उत्तर प्रदेश विधान सभा

को

कार्यवाही

की

अनुक्रमणिका

खण्ड ११३

मंगलवार, २ दिसम्बर, १९५२ से शुक्रवार, ५ दिसम्बर, १९५२ तक

मुद्रक

अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश,

इलाहाबाद

१९५३

मूल्य; बिना महसूल ४ आने, महसूल सहित ५ आने।

वार्षिक चन्दा; बिना महसूल १० रुपये, महसूल सहित १२ रुपये।

विषय-सूची

खंड ११३

मंगलवार, २ दिसम्बर, १९५२ ई०

बुधवार, ३ दिसम्बर, १९५२

बृहस्पतिवार, ४ दिसम्बर, १९५२

शुक्रवार, ५ दिसम्बर, १९५२

शासन

राज्यपाल

श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी।

मंत्रि परिषद्

श्री गोविन्द बल्लभ पन्त, बी० ए०, एल–एल० बी०, एम० एल० ए०, मुख्य मंत्री तथा सामान्य प्रशासन, सहकारिता और नियोजन मंत्री।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम, बी० ए०, एल–एल० बी०, एम० एल० ए०, वित्त तथा विद्युत् मंत्री।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द, बी० एस–सी०, एम० एल० ए०, गृह तथा श्रम मंत्री।

श्री हुकुम सिंह, बी०ए०, एल–एल० बी०, एम० एल० ए०, उद्योग तथा पुनर्वासन मंत्री।

श्री गिरधारी लाल, एम० ए०, एम० एल० ए०, निर्माण मंत्री।

श्री चन्द्रभानु गुप्त, एम० ए०, एल–एल० बी०, एम० एल० ए०, स्वास्थ्य तथा अन्न मंत्री।

श्री सैयद अली जहीर, बार–ऐट–ला, एम० एल० ए०, न्याय तथा मादक–कर मंत्री।

श्री चरण सिंह, एम० ए०, बी० एस–सी०, एल–एल० बी०, एम० एल० ए०, माल तथा कृषि मंत्री।

श्री हर गोविन्द सिंह, बी० एस–सी०, एल–एल० बी०, एम० एल० ए०, शिक्षा तथा हरिजन सहायक मंत्री।

श्री मोहन लाल गौतम, बी० ए० (आनर्स), स्वायत्तशासन मंत्री।

श्री कमलापति त्रिपाठी, सूचना तथा सिंचाई मंत्री।

श्री विचित्र नारायण शर्मा, परिवहन मंत्री।

उपमंत्री

श्री गंगा प्रसाद, बी० ए०, एल–एल० बी०, एम० एल० ए०, सहकारिता उपमंत्री।

श्री जगमोहन सिंह नेगी, बी० ए०, एल–एल० बी०, एम० एल० ए०, वन उपमंत्री।

श्री फूलसिंह, बी० ए०, एल–एल० बी०, एम० एल० ए०, नियोजन उपमंत्री।

श्री जगन प्रसाद रावत, बी०एस–सी० एल–एल० बी०, एम० एल० ए०, कृषि उपमंत्री।

श्री मुजफ्फर हसन, एम० एल० ए०, गृह उपमंत्री।

श्री राममूर्ति, एम० ए०, एल–एल० बी०, एम० एल० ए०, सिंचाई उपमंत्री।

श्री चतुर्भुज शर्मा, बी० ए०, एल–एल० बी०, एम० एल० ए०, निर्माण उपमंत्री।

सभासचिव

मुख्यमन्त्री के सभासचिव।

श्री कृपाशंकर, एम० एल० ए०।

अन्न मन्त्री के सभासचिव

१—श्री बलदेव सिंह आर्य, एम० एल० ए०।

२—श्री बनारसी दास, एम० एल० ए०।

उद्योग मन्त्री के सभासचिव

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी, एम० ए०, एम० एल० ए०।

माल–मन्त्री के सभासचिव

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य, एम० एल० ए०।

शिक्षा–मन्त्री के सभासचिव

डाक्टर सीताराम, एम० एस–सी० (विस), पी० एच० डी०, एम० एल० ए०।

सदस्यों की वर्णात्मक सूची तथा उनके निर्वाचन क्षेत्र

१—अंसमान सिंह, श्री	...	बस्ती (पूर्व)
२—अक्षयवर सिंह, श्री	...	गोरखपुर (दक्षिण-पूर्व)
३—अजीज इमाम, श्री	...	मिर्जापुर (दक्षिण)
४—अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री	...	रुड़की (दक्षिण)
५—अनन्तस्वरूप सिंह, श्री	...	फतेहपुर (दक्षिण)—खागा (दक्षिण)
६—अब्दुल मुईज खां, श्री	...	खलीलाबाद (मध्य)
७—अब्दुल रऊफ खां, श्री	...	फतेहपुर (पूर्व)—खागा (उत्तर)
८—अमरेशचन्द्र पाण्डेय, श्री	...	मिर्जापुर (उत्तर)
९—अमृतनाथ मिश्र, श्री	...	उतरौला (दक्षिण)
१०—अली जहीर, श्री सैयद	...	लखनऊ नगर (मध्य)
११—अवधशरण वर्मा, श्री	...	फतेहपुर (उत्तर)
१२—अवधेशचन्द्र सिंह, श्री	...	छिबरामऊ (पूर्व)—फर्रुखाबाद (पूर्व)
१३—अवधेशप्रताप सिंह, श्री	...	बीकापुर (पूर्व)
१४—अशरफ अली खां, श्री	...	सादाबाद (पूर्व)
१५—आत्माराम गोविन्द खेर, श्री	...	झांसी (पूर्व)
१६—आर्थर ग्राइस, श्री	...	नाम-निर्देशित आंग्ल भारतीय
१७—आशालता व्यास, श्रीमती	...	फूलपुर (दक्षिण)
१८—इर्तिजा हुसन, श्री	...	बुलन्दशहर (उत्तर-पश्चिम)
१९—इसराउल हक, श्री	...	फीरोजाबाद—फतेहाबाद
२०—इस्तफ़ा हुसैन, श्री	...	गोरखपुर (मध्य)
२१—उमाशंकर, श्री	...	सगरी (पश्चिम)
२२—उमाशंकर तिवारी, श्री	...	चंदौली (दक्षिण-पश्चिम)—रामनगर
२३—उमाशंकर मिश्र, श्री	...	नवाबगंज (दक्षिण)—हैदरगढ़—रामसनेहीघाट
२४—उम्मेद सिंह, श्री	...	उतरौला (उत्तर-पूर्व)
२५—उल्फत सिंह चौहान 'निर्भय', श्री	...	एतमादपुर—आगरा (पूर्व)
२६—एजाज रसूल, श्री	...	शाहाबाद (पश्चिम)
२७—ओंकार सिंह, श्री	...	दातागंज (उत्तर)—बदायूं
२८—कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री	...	शाहाबाद (पूर्व)—हरदोई (उत्तर-पश्चिम)
२९—कमलापति त्रिपाठी, श्री	...	चकिया—चन्दौली (दक्षिण-पूर्व)
३०—कमला सिंह, श्री	...	सैदपुर
३१—कमाल अहमद रिजवी, श्री	...	मोहमदी (पूर्व)
३२—करण सिंह यादव, श्री	...	गुन्नौर (उत्तर)
३३—करन सिंह, श्री	...	निघासन—लखीमपुर (उत्तर)
३४—कल्याण राय, श्री	...	हजूर मिलक (उत्तर)
३५—कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री	...	चंदौली (उत्तर)
३६—कालिका सिंह, श्री	...	लालगंज (दक्षिण)
३७—कालीचरण टण्डन, श्री	...	कन्नौज (उत्तर)
३८—काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री	...	कादीपुर
३९—किन्दरलाल, श्री	...	हरदोई (पूर्व)
४०—किशनस्वरूप भटनागर, श्री	...	खुरजा
४१—कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री	...	सुल्तानपुर (पश्चिम)
४२—कृपाशंकर, श्री	...	हरैया (पूर्व)—बस्ती (पश्चिम)
४३—कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री	...	सीतापुर (दक्षिण-पूर्व)
४४—कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री	...	ललितपुर (दक्षिण)

४५—[illegible], श्री ... मिलक (दक्षिण)—शाहाबाद
४६—[illegible], श्री ... मुरादाबाद (दक्षिण)
४७—[illegible], श्री ... सिकन्दराबाद (पूर्व)
४८—[illegible], श्री ... बांसगांव (मध्य)
४९—[illegible], श्री ... कैराना (उत्तर)
५०—[illegible], श्री ... गोरखपुर (उत्तर-पूर्व)
५१—[illegible], श्री ... महमदाबाद (पूर्व)
५२—[illegible], श्री ... मेरठ नगरपालिका
५३—[illegible], श्री ... [illegible]रोहा (पूर्व)
५४—[illegible], श्री ... [illegible]—[illegible]
५५—[illegible], श्री ... धामपुर (उत्तर-पूर्व)—नगीना (पूर्व)
५६—[illegible], श्री ... चन्दौसी (दक्षिण)—[illegible] (उत्तर)
५७—[illegible], श्री ... फीरोजाबाद—फतेहाबाद
५८—[illegible] शर्मा, श्री ... [illegible]
५९—[illegible], श्री ... तरबगंज (दक्षिण-पूर्व)—गोंडा (दक्षिण)
६०—[illegible], श्री ... रसड़ा (पश्चिम)
६१—[illegible], श्री ... बिधूना (पूर्व)
६२—[illegible], श्री ... मऊ-मोठ (दक्षिण)—झांसी (पश्चिम)—ललितपुर (उत्तर)
६३—[illegible], श्री ... मैनपुरी (उत्तर)—भोगांव (उत्तर)
६४—[illegible], श्री ... इलाहाबाद नगर (पूर्व)
६५—गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री ... बांसगांव (दक्षिण-पश्चिम)
६६—गिरजारमण शुक्ल, श्री ... पट्टी (दक्षिण)
६७—गिरधारीलाल, श्री ... धामपुर (उत्तर-पूर्व)—नगीना (पूर्व)
६८—गुलजार सिंह, श्री ... डलमऊ (दक्षिण-पश्चिम)
६९—गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री ... खजुहा (पश्चिम)
७०—गुरुप्रसाद सिंह, श्री ... मुसाफ़िरखाना (दक्षिण)—अमेठी (पश्चिम)
७१—[illegible], श्री ... मुसाफ़िरखाना (उत्तर)—सुल्तानपुर (उत्तर)
७२—गेंदा सिंह, श्री ... पडरौना (पूर्व)
७३—गोपीनाथ दीक्षित, श्री ... इटावा (दक्षिण)
७४—गोवर्धन तिवारी, श्री ... अल्मोड़ा (दक्षिण)
७५—गोविन्दवल्लभ पन्त, श्री ... बरेली नगरपालिका
७६—गौरीराम, श्री ... फरेंदा (मध्य)
७७—घनश्यामदास, श्री ... नवाबगंज (दक्षिण)—हैदरगढ़-रामसनेही-घाट
७८—घसीराम जाटव, श्री ... बिधूना (पश्चिम)—भरथना (उत्तर)—इटावा (उत्तर)
७९—चतुर्भुज शर्मा, श्री ... उरई—जालौन (दक्षिण)
८०—चन्द्रपाल वाजपेयी, श्री ... डलमऊ (पूर्व)
८१—चन्द्रभानु गुप्त, श्री ... लखनऊ नगर (पूर्व)
८२—चन्द्रभानुशरण सिंह, श्री ... तरबगंज (दक्षिण-पूर्व)—गोंडा (दक्षिण)
८३—चन्द्रवती, श्रीमती ... बिजनौर (मध्य)
८४—चन्द्र सिंह रावत, श्री ... पौड़ी (दक्षिण)—चमोली (पूर्व)
८५—चन्द्रहास, श्री ... हरदोई (पूर्व)
८६—चरण सिंह, श्री ... बागपत (पश्चिम)
८७—चित्तरसिंह निरंजन, श्री ... कोंच

८८—चिरंजीलाल जाटव, श्री	...	जलेसर-एटा (उत्तर)
८९—चिरंजीलाल पालीवाल, श्री	..	छिबरामऊ (दक्षिण)—कन्नौज (दक्षिण)
९०—चुन्नीलाल सगर, श्री	...	बिसौली—गुन्नौर (पूर्व)
९१—छेदालाल, श्री	...	शाहाबाद (पूर्व)—हरदोई (उत्तर-पश्चिम)
९२—छेदालाल चौधरी, श्री	...	लखीमपुर (दक्षिण)
९३—जगनारायण, श्री	...	नवाबगंज (उत्तर)
९४—जगदीशप्रसाद, श्री	...	हसनपुर (दक्षिण)—सम्भल (पश्चिम)
९५—जगदीशसरन रस्तोगी, श्री	...	सम्भल (पूर्व)
९६—जगन्प्रसाद रावत, श्री	...	खैरागढ़
९७—जगन्नाथप्रसाद, श्री	...	निघासन—लखीमपुर (उत्तर)
९८—जगन्नाथबख्श दास, श्री	...	रामसनेही घाट
९९—जगन्नाथ मल्ल, श्री	..	पडरौना (उत्तर)
१००—जगन्नाथ सिंह, श्री	...	बलिया (उत्तर-पूर्व)—बांसडीह (दक्षिण-पश्चिम)
१०१—जगपति सिंह, श्री	...	मऊ-करवी—बबेरू (पूर्व)
१०२—जगमोहन सिंह नेगी, श्री	...	लैन्सडाउन (पश्चिम)
१०३—जटाशंकर शुक्ल, श्री	...	पुरवा (उत्तर)—हसनगंज
१०४—जयपाल सिंह, श्री	...	रुड़की (पश्चिम)—सहारनपुर (उत्तर)
१०५—जयराम वर्मा, श्री	...	अकबरपुर (पश्चिम)
१०६—जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री	...	खेन-टेहरी (उत्तर)
१०७—जवाहर लाल, श्री	...	करछना (उत्तर)—चायल (दक्षिण)
१०८—जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर	...	कानपुर नगर (पूर्व)
१०९—जुगलकिशोर, श्री	...	मथुरा (दक्षिण)
११०—ज्वालादत्त वर्मा, श्री	..	मऊरानीपुर?
१११—ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री	...	गोंडा (पश्चिम)
११२—झारखण्डे राय, श्री	...	घोसी (पश्चिम)
११३—टीकाराम, श्री	...	संडीला—बिलग्राम (दक्षिण-पूर्व)
११४—डल्लाराम, श्री	...	मिश्रिख
११५—डालचन्द, श्री	...	मांट-सादाबाद (पश्चिम)
११६—ताराचन्द माहेश्वरी, श्री	...	सिधौली (पश्चिम)
११७—तिरमल सिंह, श्री	...	कासगंज (उत्तर)
११८—तुलसीराम, श्री	...	बदायूं (दक्षिण-पश्चिम)
११९—तुलाराम, श्री	...	औरैया-भरथना (दक्षिण)
१२०—तुलाराम रावत, श्री	...	नलिहाबाद—बाराबंकी (उत्तर-पश्चिम)
१२१—तेजप्रताप सिंह, श्री	...	मौदहा (दक्षिण)
१२२—तेजबहादुर, श्री	..	लालगंज (उत्तर)
१२३—तेजा सिंह, श्री	...	गाजियाबाद (उत्तर-पश्चिम)
१२४—त्रिलोकीनाथ कौल, श्री	...	बहराइच (पश्चिम)
१२५—दयालदास भगत, श्री	..	घाटमपुर—भोगनीपुर (पूर्व)
१२६—दर्शनराम, श्री	..	मऊ-करवी—बबेरू (पूर्व)
१२७—दलबहादुर सिंह, श्री	..	सलोन (दक्षिण)
१२८—दाऊदयाल खन्ना, श्री	..	मुरादाबाद (उत्तर)
१२९—दाताराम, श्री	..	नकुड़ (दक्षिण)
१३०—दीनदयालु शर्मा, श्री	..	अनूपशहर (उत्तर)
१३१—दीनदयालु शास्त्री, श्री	...	रुड़की (पूर्व)
१३२—दीपनारायण वर्मा, श्री	..	जौनपुर (पश्चिम)

१३३—देवकीनन्दन विभव, श्री	..	आगरा
१३४—देवदत्त मिश्र, श्री	...	पुरवा (दक्षिण)
१३५—देवदत्त शर्मा, श्री	..	बुलन्दशहर (दक्षिण)—[illegible]
१३६—देवनन्दन [illegible], श्री	..	सलीमपुर (पश्चिम)
१३७—देवमूर्ति [illegible], श्री	...	[illegible] (पश्चिम)
१३८—देवराम, श्री	.	सैदपुर
१३९—देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री	..	गोरखपुर (पश्चिम)
१४०—द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री	..	मुजफ्फरनगर (मध्य)
१४१—द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री	...	मडियाहू (उत्तर)
१४२—द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री	..	फरेंदा (दक्षिण)
१४३—धनुषधारी पाण्डेय, श्री	...	नजीबाबाद (दक्षिण)
१४४—धर्मसिंह, श्री	..	बुलन्दशहर (दक्षिण)—[illegible] (दक्षिण)
१४५—धर्मदत्त वैद्य, श्री	..	बहेड़ी (दक्षिण-पश्चिम)—बरेली (पश्चिम)
१४६—नत्थूसिंह, श्री	..	आओ (पूर्व)—फरीदपुर
१४७—नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री	..	हाथरस
१४८—नरदेव शास्त्री, श्री	..	पश्चिमीय दून—दक्षिण पूर्वीय दून
१४९—नरेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री	..	पिथौरागढ़—चम्पावत
१५०—नरोत्तम सिंह, श्री	...	दातागंज (दक्षिण)—बदायूं (दक्षिण-पूर्व)
१५१—नवलकिशोर, श्री	...	आंवला (पश्चिम)
१५२—नागेश्वर द्विवेदी, श्री	...	मछलीशहर (उत्तर)
१५३—नाजिम अली, श्री	..	मुसाफिरखाना (उत्तर)—सुल्तानपुर (उत्तर)
१५४—नारायणदत्त तिवारी, श्री	...	नैनीताल (उत्तर)
१५५—नारायणदास, श्री	...	फैजाबाद (पूर्व)
१५६—नारायणदीन, श्री	...	पवाया—शाहजहांपुर (पूर्व)
१५७—निरंजन सिंह, श्री	...	पीलीभीत (पूर्व)—बीसलपुर (पश्चिम)
१५८—निजामुद्दीन, श्री	...	बदायूं (उत्तर)
१५९—नेकराम शर्मा, श्री	...	सिकन्दराराव (दक्षिण)
१६०—नेत्रपाल सिंह, श्री	...	सिकन्दराराव (उत्तर)—कोइल (दक्षिण-पूर्व)
१६१—नौरंगलाल, श्री	...	नवाबगंज
१६२—पद्मनाथ सिंह, श्री	...	मुहम्मदाबाद—गोहना (दक्षिण)
१६३—परमानन्द सिन्हा, श्री	...	सोरांव (दक्षिण)
१६४—परमेश्वरीराम, श्री	...	केराकत—जौनपुर (दक्षिण)
१६५—परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री	...	महाराजगंज (उत्तर)
१६६—पहलवान सिंह चावरा, श्री	...	बांदा
१६७—पातीराम, श्री	...	छिबरामऊ (पूर्व)—फर्रुखाबाद (पूर्व)
१६८—पुत्तूलाल, श्री	..	एतमादपुर—आगरा (पूर्व)
१६९—पुद्दनराम, श्री	...	बांसी (उत्तर)
१७०—पुलिनविहारी बनर्जी, श्री	...	लखनऊ नगर (पश्चिम)
१७१—प्रकाशवती सूद, श्रीमती	...	हापुड़ (उत्तर)
१७२—प्रतिपाल सिंह, श्री	...	शाहजहांपुर (पश्चिम)—जलालाबाद (पूर्व)
१७३—प्रभाकर शुक्ल, श्री	...	हरैया (उत्तर-पश्चिम)
१७४—प्रभूदयाल, श्री	...	बस्ती (पश्चिम)
१७५—प्रेमकिशन खन्ना, श्री	...	पवायां—शाहजहांपुर (पूर्व)
१७६—फजलुल हक, श्री	...	रामपुर नगर
१७७—फतेह सिंह, श्री	...	जलेसर—एटा (उत्तर)

१७८—फ़तेह सिंह राणा, श्री	...	सरधना (पश्चिम)
१७९—फूल सिंह, श्री	...	देवबन्द
१८०—बद्रीनारायण मिश्र, श्री	...	सलीमपुर (दक्षिण)
१८१—बनारसीदास, श्री	...	बुलन्दशहर (मध्य)
१८२—बलदेव सिंह, श्री	...	बनारस (मध्य)
१८३—बलदेव सिंह आर्य, श्री	...	पौड़ी (दक्षिण)—चमोली (पूर्व)
१८४—बलवीर सिंह, श्री	...	गाजियाबाद (दक्षिण)
१८५—बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री	...	उतरौला (उत्तर)
१८६—बलवन्त सिंह, श्री	...	मुज़फ्फ़रनगर (पूर्व)—जानसठ (उत्तर)
१८७—बशीर अहमद हकीम, श्री	...	सीतापुर (पूर्व)
१८८—बसन्तलाल, श्री	...	कालपी—जालौन (उत्तर)
१८९—बसन्तलाल शर्मा, श्री	...	नानपारा (उत्तर)
१९०—बाबूनन्दन, श्री	...	शाहगंज (पूर्व)
१९१—बाबूराम गुप्त, श्री	...	कासगंज (पश्चिम)
१९२—बाबूलाल कुसुमेश, श्री	...	रामसनेहीघाट
१९३—बाबूलाल मित्तल, श्री	...	आगरा नगर (उत्तर)
१९४—बालेन्दुशाह, महाराजकुमार	...	टेहरी (दक्षिण)—प्रतापनगर
१९५—बिशम्भर सिंह, श्री	...	सरधना (पूर्व)
१९६—बेचनराम, श्री	...	ज्ञानपुर (उत्तर—पश्चिम)
१९७—बेचनराम गुप्त, श्री	...	ज्ञानपुर (पूर्व)
१९८—बेनी सिंह, श्री	...	कानपुर तहसील
१९९—बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री	...	बांसडीह (मध्य)
२००—बैजूराम, श्री	...	सिधौली (पश्चिम)
२०१—ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री	...	कानपुर नगर (दक्षिण)
२०२—भगवतीदीन तिवारी, श्री	...	जौनपुर (उत्तर)—शाहगंज (पश्चिम)
२०३—भगवतीप्रसाद दुबे, श्री	...	बांसगांव (पूर्व)—गोरखपुर (दक्षिण)
२०४—भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री	...	प्रतापगढ़ (पूर्व)
२०५—भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री	...	फ़तेहपुर (दक्षिण)
२०६—भगवानदीन मिश्र, श्री	...	कैसरगंज (उत्तर)
२०७—भगवानदीन बाल्मीकि, श्री	...	फ़तेहपुर (दक्षिण)—खागा (दक्षिण)
२०८—भगवान सहाय, श्री	...	तिलहर (दक्षिण)
२०९—भीमसेन, श्री	...	खुरजा
२१०—भुवरजी, श्री	...	फूलपुर (पूर्व)—हंडिया (उत्तर-पश्चिम)
२११—भूपाल सिंह खाती, श्री	...	अल्मोड़ा (उत्तर)
२१२—भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री	...	बांसगांव (दक्षिण—पूर्व)
२१३—भोला सिंह यादव, श्री	..	गाज़ीपुर (दक्षिण-पश्चिम)
२१४—मक़सूद आलम खां, श्री	...	पीलीभीत (पश्चिम)
२१५—मंगलाप्रसाद, श्री	...	मेजा—करछना (दक्षिण)
२१६—मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री	...	फर्रुखाबाद (पश्चिम)—छिबरामऊ
२१७—मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री	...	बांसी (उत्तर)
२१८—मदनगोपाल वैद्य, श्री	...	फैज़ाबाद (पूर्व)
२१९—मदनमोहन उपाध्याय, श्री	...	रानीखेत (उत्तर)
२२०—मन्नीलाल गुरुदेव, श्री	...	महोबा—कुलपहाड़—चरखारी
२२१—मलखान सिंह, श्री	...	कोइल (मध्य)
२२२—महमूद अली खां, श्री	...	सुमर—टांडा—बिलासपुर
२२३—महमूद अली खां, श्री	...	सहारनपुर (उत्तर—पश्चिम)—नकुड़ (उत्तर)

२२४—[illegible] बी० ... आगरा नगर (पश्चिम)
२२५—[illegible], श्री ... गोरखपुर (उत्तर-पूर्व)
२२६—[illegible] सिंह, श्री ... शिकोहाबाद (पश्चिम)
२२७—[illegible], श्री ... हंडिया (दक्षिण)
२२८—[illegible], श्री ... मोहनलालगंज
२२९—[illegible], श्री ... बिन्दकी
२३०—[illegible] सिंह, श्री ... रसड़ा (पूर्व)—बलिया (दक्षिण-पश्चिम)
२३१—[illegible], श्री ... मरहरा (पूर्व)—भोगांव (दक्षिण)
२३२—[illegible] सिंह, श्री ... बिधूना (पश्चिम)—भरथना (उत्तर)—इटावा (उत्तर)
२३३—[illegible], श्री ... बायर (उत्तर)
२३४—[illegible], श्री ... पूरनपुर—[illegible]पुर (पूर्व)
२३५—[illegible], श्री ... बिलग्राम—मिश्रिख (पूर्व)
२३६—[illegible], श्री ... बिल्हौर—अकबरपुर
२३७—[illegible], श्री ... महसवान (पश्चिम)
२३८—[illegible] अन्सारी, श्री ... डुमरियागंज (दक्षिण)
२३९—मुहम्मद [illegible], श्री ... बिजनौर (उत्तर)—नजीबाबाद (पश्चिम)
२४०—मुहम्मद [illegible], श्री ... बनारस नगर (उत्तर)
२४१—[illegible] ... नगीना (दक्षिण-पश्चिम)—धामपुर (उत्तर-पूर्व)
२४२—मुहम्मद तकी हादी, श्री ... अमरोहा (पश्चिम)
२४३—मुहम्मद नबी, श्री ... बुढ़ाना (पूर्व)—जानसठ (दक्षिण)
२४४—मुहम्मद नसीर, श्री ... टांडा
२४५—मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री ... देवरिया (उत्तर-पूर्व)
२४६—मुहम्मद मन्जूरुन नबी, श्री ... सहारनपुर नगर
२४७—मुहम्मद रऊफ जाफरी, श्री ... मछलीशहर (दक्षिण)
२४८—मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री ... उतरौला (मध्य)
२४९—मुहम्मद [illegible] अली खां, राजा ... नानपारा (दक्षिण)
२५०—मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री ... डुमरियागंज (उत्तर-पूर्व)—बांसी (पश्चिम)
२५१—मोहनलाल, श्री ... सफीपुर—उन्नाव (उत्तर)
२५२—मोहनलाल गौतम, श्री ... खैर—कोइल (उत्तर-पश्चिम)
२५३—मोहनानन्द, श्री ... बुलन्दशहर (उत्तर-पूर्व)
२५४—मोहन सिंह शाक्य, श्री ... अलीगंज (दक्षिण)
२५५—यमुना प्रसाद, श्री ... बहराइच (पश्चिम)
२५६—यमुना सिंह, श्री ... गाजीपुर (मध्य)—मुहम्मदाबाद (उत्तर-पश्चिम)
२५७—यशोदादेवी, श्रीमती ... बांसगांव (दक्षिण-पश्चिम)
२५८—रघुनाथ प्रसाद, श्री ... मेजा—करछना (दक्षिण)
२५९—रघुराज सिंह, श्री ... तरबगंज (पश्चिम)
२६०—रघुवीर सिंह, श्री ... बागपत (दक्षिण)
२६१—रणञ्जय सिंह, श्री ... अमेठी (मध्य)
२६२—रतनलाल जैन, श्री ... नजीबाबाद (उत्तर)—नगीना (उत्तर)
२६३—रमानाथ खैरा, श्री ... महरौनी
२६४—रमेशचन्द्र शर्मा, श्री ... मड़ियाहूं (दक्षिण)
२६५—रमेश वर्मा, श्री ... किराउली
२६६—राजेन्द्रप्रताप सिंह, राजा ... उतरौला (दक्षिण-पश्चिम)

२६७—राजकिशोर राव, श्री ... बहराइच (पूर्व)
२६८—राजकुमार शर्मा, श्री ... चुनार (उत्तर)
—राजदेव उपाध्याय, श्री ... हाटा (उत्तर)
२७०—राजनारायण, श्री ... बनारस (दक्षिण)
२७१—राजनारायण सिंह, श्री ... चुनार (दक्षिण)
२७२—राजवंशी, श्री ... पडरौना (दक्षिण–पश्चिम)—देवरिया (दक्षिण–पूर्व)
२७३—राजाराम, श्री ... अतरौली (दक्षिण)—कोइल (पूर्व)
२७४—राजाराम किसान, श्री ... प्रतापगढ़ (पश्चिम)—कुण्डा (उत्तर)
२७५—राजाराम मिश्र, श्री ... फैजाबाद (पश्चिम)
२७६—राजाराम शर्मा, श्री ... खलीलाबाद (उत्तर)
२७७—राजेन्द्रदत्त, श्री ... मुजफ्फरनगर (पश्चिम)
२७८—राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री ... बिलग्राम (पूर्व)
२७९—राधामोहन सिंह, श्री ... बलिया (पूर्व)
२८०—रामअधार तिवारी, श्री ... प्रतापगढ़ (उत्तर–पश्चिम)—पट्टी (उत्तर–पश्चिम)
२८१—रामअधीन सिंह यादव, श्री ... पुरवा (मध्य)
२८२—रामअनन्त पाण्डेय, श्री ... बलिया (मध्य)
२८३—रामअवध सिंह, श्री ... फरेंदा (उत्तर)
२८४—रामकिंकर, श्री ... प्रतापगढ़ (उत्तर–पश्चिम)—पट्टी (उत्तर–पश्चिम)
२८५—रामकुमार शास्त्री, श्री ... बांसी (दक्षिण)
२८६—रामकृष्ण जैसवार, श्री ... मिर्जापुर (दक्षिण)
२८७—रामगुलाम सिंह, श्री ... जलालाबाद (पश्चिम)
२८८—रामचन्द्र 'विकल', श्री ... सिकन्दराबाद (पश्चिम)
२८९—रामचरनलाल गंगवार, श्री ... बरेली (पश्चिम)
२९०—रामजीलाल सहायक, श्री ... मवाना
२९१—रामजी सहाय, श्री ... देवरिया (दक्षिण–पश्चिम)—हाटा (दक्षिण–पश्चिम)
२९२—रामदास आर्य, श्री .. बुढ़ाना (पूर्व)—जानसठ (दक्षिण)
२९३—रामदास रविदास, श्री ... अकबरपुर (पश्चिम)
२९४—रामदुलारे मिश्र, श्री ... अकबरपुर (दक्षिण)
२९५—रामनरेश शुक्ल, श्री ... कुण्डा (दक्षिण)
२९६—रामनाथ तिवारी, श्री ... देवरिया (दक्षिण)
२९७—रामनारायण त्रिपाठी, श्री ... अकबरपुर (पूर्व)
२९८—रामप्रसाद, श्री ... रायबरेली—डलमऊ (उत्तर)
२९९—रामप्रसाद देशमुख, श्री ... खैर–कोइल (उत्तर–पश्चिम)
३००—रामप्रसाद नौटियाल, श्री ... लैन्सडाउन (पूर्व)
३०१—रामप्रसाद सिंह, श्री ... महाराजगंज (दक्षिण)
३०२—रामबली मिश्र, श्री ... सुल्तानपुर (पूर्व)—अमेठी (पूर्व)
३०३—रामभजन, श्री ... मोहमदी (पश्चिम)
३०४—राममूर्ति, श्री ... बहेड़ी (उत्तर–पूर्व)
३०५—रामरतनप्रसाद, श्री ... रसरा (पूर्व)—बलिया (दक्षिण–पश्चिम)
३०६—रामराज शुक्ल, श्री ... पट्टी (पूर्व)
३०७—रामलखन, श्री ... चकिया—चन्दौली (दक्षिण–पूर्व)
३०८—रामलखन मिश्र, श्री ... डुमरियागंज (उत्तर–पश्चिम)

३५३—वीरेन्द्र वर्मा, श्री	...	कैराना (दक्षिण)
३५४—वीरेन्द्रविक्रम सिंह, श्री	...	नानपारा (पूर्व)
३५५—वीरेन्द्रशाह, राजा	...	कालपी—जालौन (उत्तर)
३५६—व्रजभूषण मिश्र, श्री	...	दूधी राबर्ट्सगंज
३५७—व्रजरानी मिश्र, श्रीमती	...	बिल्हौर—अकबरपुर
३५८—व्रजवासीलाल, श्री	...	बीकापुर (मध्य)
३५९—व्रजबिहारी मिश्र, श्री	...	फूलपुर (उत्तर)
३६०—व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री	...	घाटमपुर—भोगनीपुर (पूर्व)
३६१—शंकरलाल, श्री	...	कादीपुर (मध्य)
३६२—शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री	...	बाह
३६३—शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री	...	चकराता—पश्चिमी दून (उत्तर)
३६४—शिवकुमार पाण्डेय, श्री	...	सिराथू—मंझनपुर
३६५—शिवकुमार मिश्र, श्री	...	तिलहर (उत्तर)
३६६—शिवकुमार शर्मा, श्री	...	बिजनौर (दक्षिण)—धामपुर (दक्षिण—पश्चिम)
३६७—शिवदान सिंह, श्री	...	इगलास
३६८—शिवनाथ काटजू, श्री	...	फूलपुर (मध्य)
३६९—शिवनारायण, श्री	...	हरैया (पूर्व)—बस्ती (पश्चिम)
३७०—शिवपूजन राय, श्री	...	मुहम्मदाबाद (उत्तर-पूर्व)
३७१—शिवप्रसाद, श्री	...	हाटा (मध्य)
३७२—शिवमंगल सिंह, श्री	...	बांसडीह (पश्चिम)
३७३—शिवमंगल सिंह कपूर, श्री	...	डुमरियागंज (पश्चिम)
३७४—शिवराजबली सिंह, श्री	...	खजुहा (पूर्व)—फतेहपुर (दक्षिण-पश्चिम)
३७५—शिवराज सिंह यादव, श्री	...	बिसौली—गुन्नौर (पूर्व)
३७६—शिवराम पाण्डेय, श्री	...	डोरापुर (उत्तर)
३७७—शिवराम राय, श्री	...	सदर (आजमगढ़) (उत्तर)
३७८—शिववक्ष सिंह राठौर, श्री	...	करहल (पूर्व)—भोगांव (दक्षिण)
३७९—शिववचन राव, श्री	...	सलेमपुर (उत्तर)
३८०—शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री	...	बहराइच (पूर्व)
३८१—शिवस्वरूप सिंह, श्री	...	ठाकुरद्वारा
३८२—शुकदेवप्रसाद, श्री	...	महाराजगंज (दक्षिण)
३८३—शुगनचन्द, श्री	...	रुड़की (पश्चिम)—सहारनपुर (उत्तर)
३८४—श्याममनोहर मिश्र, श्री	...	मलिहाबाद—बाराबंकी (उत्तर—पश्चिम)
३८५—श्यामलाल, श्री	...	उतरौला (उत्तर)
३८६—श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री	...	नरैनी
३८७—श्रीचन्द, श्री	...	बुढ़ाना (पश्चिम)
३८८—श्रीनाथ भार्गव, श्री	...	मथुरा (उत्तर)
३८९—श्रीनाथराम, श्री	...	मुहम्मदाबाद (उत्तर)—घोसी (दक्षिण)
३९०—श्रीनिवास, श्री	...	उतरौली (उत्तर)
३९१—श्रीपति सहाय, श्री	...	राठ
३९२—सईद जहां मखफ़ी शेरवानी, श्रीमती		कासगंज (पूर्व)—अलीगंज (उत्तर)
३९३—संग्राम सिंह श्री	...	सोरों (उत्तर) फूलपुर (पश्चिम)
३९४—सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री	...	सलीमपुर (पूर्व)
३९५—सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती	...	गोंडा (पूर्व)
३९६—सत्यनारायणदत्त, श्री	...	औरय्या—भरथना (दक्षिण)

३९७—[illegible] रा[illegible], श्री ... देवप्रयाग

३९८—[illegible]नन्द, श्री ... सगरी (पूर्व)

३९९—[illegible] अब्दुल वाजिद, श्रीमती ... बरेली (पूर्व)

४००—[illegible]नन्द, डाक्टर ... बनारस नगर (दक्षिण)

४०१—[illegible] देवी, श्रीमती ... मुसाफिरखाना (मध्य)

४०२—सियाराम गंगवार, श्री ... फ़र्रुखाबाद (मध्य)—कायमगंज (प[illegible]

४०३—सियाराम चौधरी, श्री ... कैसरगंज (मध्य)

४०४—सीताराम, डाक्टर ... देवरिया (दक्षिण-पश्चिम)—हाटा (दक्षिण-पश्चिम)

४०५—सीताराम शुक्ल, श्री ... हरैया (दक्षिण-पश्चिम)

४०६—सुखीराम भारतीय, श्री ... सिराथू—मंझनपुर

४०७—सुन्दरलाल, श्री ... आंवला (पूर्व)—फरीदपुर

४०८—सुरजूराम, श्री ... सदर (आजमगढ़) (उत्तर)

४०९—सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री ... हमीरपुर—मौदहा (उत्तर)

४१०—सुरेशप्रकाश सिंह, श्री ... बिसवां—सिधौली (पूर्व)

४११—सुल्तान आलम खां, श्री ... क़ायमगंज (पश्चिम)

४१२—सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री ... कानपुर नगर (उत्तर)

४१३—सूर्यबली पाण्डेय, श्री ... हाटा (मध्य)

४१४—सेवाराम, श्री ... पुरवा (उत्तर)—हसनगंज

४१५—हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री ... सफ़ीपुर—उन्नाव (उत्तर)

४१६—हबीबुर्रहमान आजमी, श्री ... मुहम्मदाबाद (उत्तर)—घोसी (दक्षिण)

४१७—हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री ... शाहजहांपुर (मध्य)

४१८—हमीद खां, श्री ... कानपुर नगर (मध्य-पूर्व)

४१९—हरखयाल सिंह, श्री ... बागपत (पूर्व)

४२०—हरगोविन्द पन्त, श्री ... रानीखेत (दक्षिण)

४२१—हरगोविन्द सिंह, श्री .. जौनपुर (पूर्व)

४२२—हरदयाल सिंह पिपल, श्री ... हाथरस

४२३—हरदेव सिंह, श्री ... देवबन्द

४२४—हरसहाय गुप्त, श्री ... बिलारी

४२५—हरिप्रसाद, श्री .. बिसलपुर (मध्य)

४२६—हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री .. सीतापुर (उत्तर-पश्चिम)

४२७—हरिश्चन्द्र बाजपेयी, श्री .. लखनऊ (मध्य)

४२८—हरिसिंह, श्री ... हापुड़ (उत्तर)

४२९—हुकुमसिंह, श्री ... कैसरगंज (दक्षिण)

४३०—हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री ... करछना (उत्तर)—चायल (दक्षिण)

४३१—होतीलालदास, श्री ... एटा (दक्षिण)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

के

पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री आत्माराम गोविन्द खेर, बी० ए०, एल-एल० बी०।

उपाध्यक्ष

श्री हरगोविन्द पन्त, बी० ए०, एल०-एल० बी०।

सचिव

श्री कैलाशचन्द्र भटनागर, एम० ए०।

सहायक सचिव

श्री कृष्ण बहादुर सक्सेना, बी० ए०।

अधीक्षक

श्री राधेरमण सक्सेना, एम० ए०, एल-एल० बी०, डी० एच० एस-सी०।

श्री रामप्रकाश, बी० काम०, एल-एल० बी०।

श्री देवकीनन्दन मित्थल, एम० ए०, एल-एल० बी०।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, २ दिसम्बर, १९५२

विधान सभा की बैठक, सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३२५)

अक्षयवर सिंह, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करन सिंह, श्री
कालिका सिंह, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरु प्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्दवल्लभ पन्त, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रपाल बाजपेयी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री

चित्तर सिंह निरञ्जन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सागर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगन्नारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दानाराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देव दत्त मिश्र, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायणदीन, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिन बिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फतेह सिंह राणा, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री

बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन मिश्र, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेव प्रसाद, श्री
महाराज सिंह, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुज़फ्फ़र हसन, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फ़ारूक़ चिश्ती, श्री
मुहम्मद मंज़ूरुल नबी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुनाप्रसाद, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजनारायण, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राम अधार तिवारी, श्री
राम अधीन सिंह यादव, श्री
राम अनन्त पाण्डेय, श्री
राम अवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनाथ तिवारी, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री

रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रविक्रम सिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शिवकुमार पांडेय, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजवली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुन्जूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरि सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

*१-२--श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)--[१६ दिसम्बर, १९५२ के लिये स्थगित किये गये।]

*३-४--श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)--[१६ दिसम्बर, १९५२ के लिये स्थगित किये गये।]

कठकुइयां चीनी मिल सम्बन्धी अनशन तथा रायबरेली के विद्यार्थियों पर २६ नवम्बर, १९५२ को पुलिस द्वारा लाठी चार्ज के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना

श्री अध्यक्ष--मेरे पास दो कामरोको प्रस्ताव आये हैं। पहला यह है कि कठकुइयां चीनी [illegible]

इस सम्बन्ध में मेरे पास भी एक तार इस क़िस्म का आया है कि उनके जीवन को खतरा है, उनको बचाया जाय। मैं इस तरह के जो अनशन हुआ करते हैं उनको इतने महत्व की बात नहीं समझता कि कार्य-स्थगन किया जाय। इसमें कोई विशेषता नहीं बतलाई गई है कि कितनी वहां परिस्थिति बिगड़ गई है। इसलिये मैं इस कामरोको प्रस्ताव की अनुज्ञा नहीं देता।

दूसरा है रायबरेली के विद्यार्थियों पर २६ नवम्बर, १९५२ को पुलिस द्वारा जो लाठी चार्ज हुआ। इसमें भी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि २६ नवम्बर को जो परिस्थिति गुजर चुकी है उससे आजकल की परिस्थिति में क्या अन्तर पड़ा है। क्या परिस्थिति बिगड़ती चली जा रही है। ऐसी कोई चीज इसमें नहीं है। मैं समझता हूं कि अब यह इतने महत्व और अर्जेन्सी का नहीं रह गया। इसलिए इसकी भी मैं इजाजत नहीं देता।

अधिष्ठाता-मंडल के सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री अध्यक्ष--सदन प्रोरोग हो जाने की वजह से यह अधिष्ठाता मंडल भी [illegible] हो चुका। इसलिये नया अधिष्ठाता मंडल कार्य आरम्भ हो जाने के पहले ही हो जाना चाहिये। उसको मैं इस प्रकार नियुक्त करता हूं--

(१) श्री बेचनराम गुप्त।
(२) श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (बाराबंकी)
(३) श्री कैलाश प्रकाश।
(४) श्री जयपाल सिंह।
(५) श्री निज़ामुद्दीन।
(६) श्रीमती प्रकाशवती सूद।
(७) श्री राम कृष्ण अग्रवाल।
(८) श्री सुल्तान आलम खां।
(९) श्री सुरेश प्रकाश सिंह।
(१०) श्री हरिश्चन्द्र बाजपेयी।

याचिका-समिति के सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री अध्यक्ष--इसी प्रकार याचिका समिति भी समाप्त हो गई और उसके निम्न सदस्य अब भी होंगे --

श्री हरगोविन्द पन्त उपाध्यक्ष--सभापति ।
श्री विष्णुशरण दुब्लिश ।
श्री बाबूराम गुप्त । } सदस्य
श्री इन्दिरा हुसैन ।
श्री नारायण दत्त तिवारी ।

विशेषाधिकार-समिति के सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री अध्यक्ष--दूसरी समिति है विशेषाधिकार । यह भी समाप्त हो चुकी है । इसके लिये नये सदस्य फिर चुनने हैं । ये हैं --

श्री हरगोविन्द पन्त, उपाध्यक्ष--सभापति ।
श्री चरण सिंह ।
श्री फूल सिंह ।
श्री जुगल किशोर ।
श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव । } सदस्य
श्री राधामोहन सिंह ।
श्री अब्दुल मुईज खां ।
श्री गेंदा सिंह ।
महाराजकुमार बालेन्दु शाह ।
श्री लालाधर अष्ठाना ।

परामर्शदात्री स्थायी समितियों के निर्वाचन का कार्य-क्रम

श्री अध्यक्ष--अब मैं एक सूचना देना चाहता हूं कि परामर्शदात्री समितियां जो स्थायी समितियां हैं, उनके चुनाव के संबंध में इस प्रकार कार्यक्रम होगा ।

नाम निर्देशन प्राप्त करने की अंतिम तिथि और समय . . . ९ दिसम्बर, सन् १९५२ ई० के ३ बजे तक ।

नाम निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा . . . . १० दिसम्बर, १९५२ ई० को २ बजे तक ।

नाम वापस लेने की अंतिम तिथि तथा समय . . १३ दिसम्बर, १९५२ ई० को ३ बजे तक ।

निर्वाचन की तिथि तथा समय और स्थान, यदि आवश्यकता हुई तो, बाद में सूचित किया जायगा ।

उत्तर प्रदेश वाद और व्यवहार स्थगित करने का (मिर्जापुर) विधेयक, १९५२ ई०

श्री अध्यक्ष--मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश वाद और व्यवहार स्थगित करने के (मिर्जापुर) विधेयक, १९५२ ई० पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी १० जुलाई, सन् १९५२ ई० की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १९ जुलाई, १९५२ ई० की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल की अनुमति २१ सितम्बर, १९५२ ई० को प्राप्त हो गई और वह १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश का २०वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कंट्रोल) (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई०

श्री अध्यक्ष--मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कंट्रोल) (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई० पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी ३० जुलाई, १९५२ ई० की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २७ अगस्त, सन् १९५२ ई० की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति की अनुमति २६ सितम्बर, १९५२ ई० को प्राप्त हो गई और वह १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश का २१ वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई०

श्री अध्यक्ष--मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई० पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २८ अगस्त, १९५२ ई० की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी १७ सितम्बर, १९५२ ई० की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति की अनुमति ३० सितम्बर, १९५२ ई० को प्राप्त हो गई और वह १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश का २२वां अधिनियम बन गया ।

यू० पी० कंट्रोल आफ सप्लाईज (कन्टीन्यूएंस आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई०

श्री अध्यक्ष--मैं घोषणा करता हूं कि यू० पी० कंट्रोल आफ सप्लाईज (कन्टीन्यूएन्स आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई० पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २ सितम्बर, १९५२ ई० की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी १९ सितम्बर, १९५२ ई० की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति की अनुमति ३० सितम्बर, १९५२ ई० को प्राप्त हो गई और वह १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश का २३वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश (अस्थायी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐन्ड एविक्शन (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई०

श्री अध्यक्ष--मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश (अस्थायी) कंट्रोल आफ रेंट ऐंड एविक्शन (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई० पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ९ सितम्बर, १९५२ ई० की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २९ सितम्बर, १९५२ ई० की बैठक में पारित किया किया था, राष्ट्रपति की अनुमति ३० सितम्बर, १९५२ ई० को प्राप्त हो गई और वह १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश का २४वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई०

श्री अध्यक्ष--मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई० पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २९ अगस्त, १९५२ ई० की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी ६ अक्तूबर, १९५२ ई० की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल की अनुमति १९ अक्तूबर, १९५२ ई० को प्राप्त हो गई और वह १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश का २५वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई०

श्री अध्यक्ष--मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई० पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ५ सितम्बर, १९५२ ई० की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी ६ अक्तूबर, १९५२ ई० की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति की अनुमति २८ अक्तूबर, १९५२ ई० को प्राप्त हो गयी और वह १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश का २८वां अधिनियम बन गया ।

आगरा यूनिवर्सिटी अध्यादेश, १९५२ ई०

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डाक्टर सीताराम)--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से आगरा यूनिवर्सिटी अध्यादेश, १९५२ ई० की प्रतिलिपि मेज पर रखता हूं ।

(इस कार्यवाही में छापा नहीं गया है ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--मैं एक विधान का प्रश्न उठाना चाहता हूं और वह यह है कि यह जो आगरा यूनिवर्सिटी अध्यादेश, १९५२ ई० हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है विधान के अनुसार इसको इस सदन के सामने प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उसको पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष--इसको वह मेज पर रख रहे हैं विचार करने के लिये नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी--वह मेज पर भी नहीं रखा जा सकता है। मैं इसको आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं--

"In so far as an Ordinance under this article makes any provision which would not be valid if enacted in an Act of the Legislature of the State assented to by the Governor, it shall be void."

[यदि और जहां तक इस अनुच्छेद के अन्तर्गत कोई अध्यादेश ऐसा उपबन्ध करे जो राज्यपाल द्वारा अनुमोदित राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम में विहित होने पर विधि संगत न होगा, तो वह अनियमित होगा।]

तो यह जो आगरा यूनिवर्सिटी सम्बन्धी अध्यादेश है, वह केवल इसी प्रान्त से सम्बन्धित नहीं है बल्कि जो दूसरे पार्ट बी और पार्ट सी स्टेट्स हैं उनसे भी सम्बन्धित है। मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि और जो राज्य प्रमुख और लेफ्टिनेन्ट गवर्नर आदि के दूसरे राज्य हैं उनसे भी आगरा यूनिवर्सिटी का सम्बन्ध है। तो क्या सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के विधान के अनुसार क्या हमारी सरकार या हमारे राज्यपाल कोई ऐसा आर्डिनेन्स जारी कर सकते हैं जिसका सम्बन्ध अपने प्रदेश के अतिरिक्त दूसरे भागों से या दूसरी स्टेट्स से भी है।

श्री अध्यक्ष--यह तो आप आर्डिनेन्स जारी करने या न करने के विषय में कह रहे हैं। अब तो प्रश्न यह है कि अध्यादेश जारी हो चुका है और अब इस सदन को सूचना दी जाती है और इसकी प्रतिलिपि मेज पर रखी जाती है। तो आप कृपा कर के यह बतलावें कि आप यह कैसे कहते हैं कि सूचना देने का अधिकार नहीं है। यदि कोई ऐसा आदेश हो सकता हो कि मंत्री महोदय को सूचना देने का अधिकार न हो तो वह आप बतावें कि इस कानून के अनुसार सदन को माननीय मंत्री की ओर से सूचना न दी जाय।

श्री नारायण दत्त तिवारी--मेरा निवेदन यह है कि मेज पर रखने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि उनको इसका अधिकार नहीं है। इस प्रदेश की सरकार को दूसरे प्रदेशों अथवा स्टेट्स . . . . .

श्री अध्यक्ष--मैं इस आपत्ति को इस समय उचित नहीं समझता। जब बिल सदन के सम्मुख विचार के लिए आवेगा उस समय सदन को इस प्रकार का सवाल उठाने का मौका मिलेगा। जो चीज गुजर चुकी और हो चुकी उस पर आपत्ति करने की मैं इजाजत नहीं देता हूं। विधान के अनुसार यदि आप बतला सकें तो आप बतलायें कि किस तरह से इसको मेज पर नहीं रखा जा सकता।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जब आप बोलते हैं तो माननीय सदस्य अपने स्थान पर बैठते भी नहीं हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष--जब मैं कुछ कहने खड़ा हुआ करूं तो आप कृपा करके बैठ जाया करें। अगर वायड भी मान लिया जाय तो भी अगर मेज पर रखा गया और इत्तिला दी गई तो आप कोई ऐसी चीज बतला सकते हों तो बतलावें कि जिसके अनुसार मेज पर रखने का भी अधिकार नहीं है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—मेरा निवेदन यह है कि मेज पर रखने का तो प्रश्न ही नहीं उठता जबकि आर्डिनेन्स ही ठीक नहीं है। मैं आपका ध्यान ३७२ (१) की ओर दिलाना चाहता हूं जिसके अनुसार यह सदन इसके लिए काम्पीटेन्ट ही नहीं है........।

श्री अध्यक्ष—इस प्रकार की चीज पर विचार करने की मैं इजाजत नहीं देता, क्योंकि आप तो मेरिट्स पर जा रहे हैं। मैं इसकी इजाजत नहीं देता और आपकी आपत्ति अनुचित है।

उत्तर प्रदेश फायर सर्विस (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई०

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—मैं उत्तर प्रदेश फायर सर्विस (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई० की प्रतिलिपि, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, मेज पर रखता हूं।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६१ पर)

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई०

स्वशासन मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)—मैं उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई० की प्रतिलिपि, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, मेज पर रखता हूं।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६४ पर)

आगरा यूनिवर्सिटी (अनुपूरक) विधेयक, १९५२ ई०

शिक्षा मन्त्री के सभा सचिव (डाक्टर सीताराम)—मैं आगरा यूनिवर्सिटी (अनुपूरक) विधेयक, १९५२ ई० की प्रतिलिपि, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, मेज पर रखता हूं।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ८३ पर)

उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने का विधेयक, १९५२ ई०

माल मन्त्री (श्री चरण सिंह)—मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने के विधेयक, १९५२ ई० की प्रतिलिपि, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा संशोधित हुआ है, मेज पर रखता हूं।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ८५ पर)

उत्तर प्रदेश स्टोरेज रिक्वीजिशन (कन्टीन्यूएंस आफ पावर्स) संशोधन विधेयक, १९५२ ई०

अन्न मन्त्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश स्टोरेज रिक्वीजीशन (कन्टीन्यूएंस आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई० पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ९४ पर)

उत्तर प्रदेश फैमिन रिलीफ फण्ड (संशोधन) विधेयक, १९५२

वित्त मन्त्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश फैमिन रिलीफ फंड (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई० पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ९५ पर)

उत्तर प्रदेश भू-दान यज्ञ विधेयक, १९५२ ई०

माल मन्त्री (श्री चरण सिंह)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश भू-दान यज्ञ विधेयक, १९५२ ई० पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिए नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ९७ पर)

उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई०

स्वशासन मन्त्री (श्री मोहनलाल गौतम)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई० पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिए नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ १०४ पर)

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई०

माल मन्त्री (श्री चरण सिंह)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई० पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिए नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ११२ पर)

दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अश्वेत के भेद को समाप्त करने के सम्बन्ध में संकल्प

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसके पूर्व कि कोई और बिल लिये जावें, आपकी अनुमति चाहता हूं कि जो प्रस्ताव आज के कार्यक्रम में साउथ अफ्रीका के बारे में दिया गया है उसे यहां प्रस्तुत करने और उसके बारे में वाद-विवाद करने का अवसर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--माननीय मुख्य मन्त्री जी इस प्रस्ताव को उपस्थित करें।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं।

"उत्तर प्रदेशीय विधान सभा दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासी, प्रवासी भारतवासी तथा अन्य अश्वेत निवासियों द्वारा मानवोचित अधिकारों के प्राप्त करने के लिये शान्तिमय सत्याग्रह के प्रति प्रशंसा तथा सहानुभूति प्रकट करती है और दक्षिण अफ्रीका की सरकार द्वारा रंगभेद नीति तथा उस सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ की अवहेलना को विश्व-शान्ति के लिये भयावह समझते हुए उससे आग्रह करती है कि वह अपने प्रदेश से श्वेत अश्वेत के अन्तर को समाप्त कर दे"।

यह प्रस्ताव जो मैंने भवन के सामने प्रस्तुत किया है यह असाधारण महत्व का है। इसका सम्बन्ध केवल हमारे स्वत्वों और स्वतन्त्र भारत की मान मर्यादा और प्रतिष्ठा से ही नहीं है वरंच मानव के मौलिक अधिकारों से है। इस सभ्य जगत् में जबकि दुनिया सिकुड़ती जाती है, जो आविष्कार वैज्ञानिकों ने किये हैं उनके फलस्वरूप दूरी करीब करीब मिटती सी जाती है और दुनिया वैज्ञानिकों के आविष्कारों द्वारा एक होती जाती है ऐसी अवस्था में भी क्या कोई देश या किसी देश के निवासी ऐसे उन्मत्त हो सकते हैं कि सिद्धान्त को छोड़कर मनुष्य मनुष्य के बीच में भेद पैदा करें। यू०एन०ओ० ने एक चार्टर आफ ह्यूमन राइट्स बनाया है और उसमें सभी वर्ण, सभी देश और सभी मनुष्यों के लिये जो मौलिक अधिकार होने चाहिएं उनको निर्धारित किया है। जहां तक साउथ अफ्रीका और भारतवासियों का सम्बन्ध है वे सत्याग्रह की कई लड़ाइयां लड़ चुका है। आज से ४५ वर्ष पूर्व महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की दुन्दुभी वहां पहिले पहल बजाई थी और वहां पर ही पहिले पहल सत्याग्रह का अस्त्र अजेय साबित हुआ था। उसके बाद महात्मा गांधी ने दूसरी मर्तबा फिर वहां सत्याग्रह किया और उनकी फिर विजय हुई। ये बातें तब हुईं जबकि दुनिया पिछड़ी हुई समझी जाती थी।

उसके बाद दो युद्ध संसार मे हुए और इस बात को बड़े जोर से कहा गया कि वे युद्ध मानोवोचित अधिकारों को प्राप्त करने और उनके उपभोग करने के लिये किये जा रहे हैं। परन्तु जो अवस्था साउथ अफ्रीका मे १६०७ या १६१२ मे थी इधर उसमे भी बदतर हो गयी है। सन् १६४६ मे कुछ कानून बने और उसके बाद वहां सत्याग्रह शुरू हुआ जो ४८ तक चला। फिर यू० एन० ओ० अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सामने यह प्रश्न गया और कुछ दिनों के लिये यह स्थगित कर दिया गया, परन्तु डाक्टर मलान और उनके अनुयायी पहिले से भी ज्यादा विप्लवकारी हो रहे हैं और बजाय ऊपर उठने के नीचे गिरते ही गये। नये नये कानून वहां पर बनाये गये। ग्रुप एरिया ऐक्ट, कम्यूनल रिप्रेजेन्टेशन ऐक्ट और सप्रेशन आफ कम्यूनिज्म ऐक्ट वहां पर पास किये गये और हजारों की तादाद मे वहां के निवासी और उनके साथ ही साथ हिन्दुस्तानी भी इस सत्याग्रह मे जेलों मे गये तथा अब भी बड़ी भारी संख्या मे वहां पर यातना भोग रहे हैं।

साउथ अफ्रीका वह देश है जिसको हिन्दोस्तानियों ने बनाया। कुछ को यहां से बहका कर ले जाया गया और कुछ लोग वहां से व्यापार के लिये गये। सफेद रंग के लोग उनको यहां से काम के लिये ले गये और जो कि एक बिल्कुल जंगल था और मनुष्यों को जहां पर कोई भी सामग्री नहीं मिलती थी उसको हिन्दुस्तानियों ने अपने श्रम से बसाया। वहां जो भी सुख, संवृद्धि और दौलत पैदा हुई वह हिन्दोस्तानियों के श्रम के बल से ही पैदा हुई, लेकिन उसका परिणाम यह हुआ कि जिनकी इस दौलत से लोगों को फायदा पहुंचा, उनकी मेहनत से फायदा पहुंचा वे स्वयं आज अपने तमाम अधिकारों को खो बैठे हैं तथा जिन लोगों ने उस दौलत से फायदा उठाया उन्होंने अपने ही हितैषियों को आफत मे डाल रखा है। यहीं तक नहीं जो अधि-कार प्रत्येक देश मे साधारण मनुष्यों को प्राप्त होते हैं उनको भी कुचल दिया गया है। उनके अपनी ही जमीन मे खेती करने के अधिकारों को छीन लिया गया है। उनको अपने बनाये हुए मकानों मे रहने और अपने ही एरिया मे व्यापार करने का भी अधिकार नहीं है। जो वेटिंग्स रूम हिन्दुस्तानियों के लिये हैं वहीं पर उनको जाने दिया जाता है लेकिन गोरे रंग के लोगों को जाने के स्थानों मे उनको नहीं जाने दिया जाता। डाकखाने के काउन्टर्स गोरों के लिये अलग हैं और हिन्दुस्तानियों के लिये अलग, हिन्दुस्तानी वहां नहीं जा सकते। टेलीफोन्स के स्थान भी गोरों के लिये और साउथ अफ्रीकन्स तथा हिन्दुस्तानियों के लिये अलग अलग हैं। आज जो यह सत्याग्रह वहां हो रहा है वह कोई हिन्दुस्तानियों के अधिकारों को प्राप्त करने के लिये नहीं हो रहा है। आज तो बड़ा प्रश्न उससे भी अधिक है और वह यह है कि साउथ अफ्रीका के निवासियों को जो कई हजार वर्षों से वहां रहते आ रहे हैं, जो वहां के मूल नागरिक हैं और उनके तमाम अधिकारों को छीन कर और उनको और देशों से भी बदतर बनाकर, इस तरह से जकड़ कर, उनका इस तरह से तिरस्कार करके और उनकी बेइज्जती करके ही रहने का ही मौका उनको नहीं मिल सकता, इस ढंग से वहां ज्यादती हो रही है। आज हमारे सामने प्रश्न यह है कि जो यह रंग भेद की नीति साउथ अफ्रीका मे मलान गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है, क्या इस नीति को हम या संसार सहन कर सकता है? संसार ने, सभ्य जगत ने अपना फैसला इस बार म दे दिया। यू० एन० ओ० ने एक मर्तबा नहीं बल्कि कई मर्तबा यह फैसला कर दिया कि यह बात अनुचित है और साउथ अफ्रीका को ऐसा नहीं करना चाहिए।

कुछ ही हफ्ते हुए, सदन के सदस्यों को याद होगा कि यह प्रश्न वहां पेश हुआ था और साउथ अफ्रीका को छोड़कर किसी ने भी इस सिद्धांत को मन्जूर नहीं किया। और यू० एन० ओ० ने भी यह कहा कि इस तरह की बर्बरता इस युग मे किसी का करना सर्वथा असहनीय है। इतना होने पर भी मलान ने अपना तरीका नहीं छोड़ा बल्कि और सख्ती बरती और नये नये कानूनों को बना दिया। यही नहीं कि यू० एन० ओ० ने ही इस चीज को घृणा की दृष्टि से देखा हो बल्कि सभ्य जगत के सभी लोगों ने इसको घृणा की दृष्टि से देखा है और इसके विरुद्ध अपना मत प्रगट किया है। यही नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका गवर्नमेंट के कानून को वहां की अदालतों ने ही गलत बतलाया है, वहां की सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को वहां के विधान के विरुद्ध ऐलान करके हर तरह से गैर-कानूनी करार दिया। फिर भी मलान की

[श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

सभ्य जगत ने हर तरह से ठुकराया है। इसके साथ ही साथ वहां की जो वहीं के विधान से बनी हुई अदालतें साउथ अफ्रीका में हैं उन्होंने भी इसको विधान के विरुद्ध बतलाया है। परन्तु बावजूद इन सब बातों के यह सिलसिला फिर भी कायम है। मलान का जो नशा चढ़ा हुआ है वह उतरा नहीं है और आज जो आवाज हम उठाते हैं उसमें मुख्यतः तो हमारे एक आदर्श की रक्षा की बात विशेष है कि हम साउथ अफ्रीका के निवासियों को साउथ अफ्रीका में सबसे अधिक स्वाभाविक स्वतन्त्रता और सम्मान के साथ रहने का अधिकारी समझते हैं। इस तरह से साउथ अफ्रीका के जो निवासी हैं उन्हें हम समझते हैं कि वे अपने देश को जिस ढंग से ढालना और बनाना चाहें इसका उन्हें अधिकार है और जो भारत की नीति है वह भी बहुत साफ है और वह यह कि भारतीय जो अन्य देशों में हैं उनको उन देशों के निवासियों के स्वत्वों की सबसे अधिक परवाह करना है।

वह जो कुछ भी वहां करें, उससे उस देश के निवासियों का हित होना चाहिये। हम किसी भी देश में वहां के देशवासियों के हित को दबाकर फायदा उठाना नहीं चाहते।

हम प्रत्येक देश के नैसर्गिक अधिकारियों के अधिकारों को बढ़ाना चाहते हैं और जो साउथ अफ्रीका में आज सत्याग्रह हो रहा है उसे मुख्यतः साउथ अफ्रीका के ही निवासी कर रहे हैं, हमारे भारतवासी भी साथ हैं और यह बड़े संतोष की बात है कि सभी जोकि वहां गोरे नहीं हैं मिल जुल कर आज मनुष्य के इन मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिये शान्तिमय और सभ्यतापूर्ण उपायों से संग्राम कर रहे हैं। जो लोग अपने को तहज़ीबयाफ्ता कहते हैं, जो अपने को सभ्य कहते हैं, आज वे इस तरीक़े पर बर्बरता की बात को कर रहे हैं। वे मनुष्य के जो साधारण जीवन के लिये आवश्यक बातें हैं, उनमें भी दखलंदाज़ी कर रहे हैं और दूसरी ओर से जिनको ये लोग असभ्य कहते थे, वे सभ्यता की सर्वोच्च नीति को दिखला रहे हैं। शान्तिमय उपायों के द्वारा अपने स्वत्वों को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, जो लोग अदालतों में जब मुक़द्दमे होते हैं जमा होते हैं, उनके देखने को उनके ऊपर डंडे बरसाये जाते हैं, जो जेलों में रखे जाते हैं, उन्हें वहां होजपाइप से पीटा जाता है, पर फिर भी सब शान्ति के साथ अपना सारा काम करते हैं। यह सभ्यता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। एक तरफ से तो इस तरीक़े पर हिंसा की जाय, मनुष्यों के ऊपर हर तरह से अनादर करके, उनके स्वत्वों का अपहरण करके उसको व्यावहारिक रूप से गिराने की इस तरह से एक शैली बरती जाय और दूसरी तरफ से जिनके ऊपर ऐसे अत्याचार हों, जिनसे भड़कने की हर तरीक़े से गुंजायश हो सकती है, वह शान्तिमय उपायों को हर तरह से अपने लिये उचित समझें और शान्ति को किसी तरीक़े से छोड़ें नहीं, यह सभ्यता का एक चमकीला नमूना है और हमें इस बात का गर्व है कि हमारे पूर्वीय देशों के लोग चाहे वे साउथ अफ्रीका में हों, चाहे जब भारत का संग्राम हो रहा था, भारत में थे, उन्होंने शान्ति को सर्वोच्च स्थान दिया और उन्होंने शान्ति की लड़ाई लड़ी और अमन को क़ायम रखा है, अपने ऊपर दुख और कष्ट को लेकर लड़े और जीते।

इसी तरह से आज हमें पूरा भरोसा है कि साउथ अफ्रीका के लोग विजयी होंगे और मलान की नीति संसार में चल नहीं सकेगी। साउथ अफ्रीकन्स की तादाद वहां के योरोपियन्स के मुक़ाबिले में चौगुनी से भी ज्यादा है। एक मुट्ठी भर लोग यह चाहें कि जब्र करके, ज्यादती करके, वहां के रहने वाले लोगों को अपना गुलाम बना कर रखें, उनको कहीं भी बैठने की इजाज़त न हो, जिस जगह पर चाहें वहां न बैठ सकें, उनको डाकखानों में जाकर हर जगह टिकट खरीदने की इजाज़त न हो, उनको रेलों में जाने, डिब्बों में बैठकर किराया दे कर जाने की भी इजाज़त न हो, उनको व्यापार करने का अधिकार न हो, उनको खेती करने का अधिकार न हो, उन जगहों में, जिनको वहां की सरकार सीमित कर दे, यह असहनीय बात है, यह दुनिया गवारा नहीं कर सकती। आज हम साउथ अफ्रीका के निवासियों को बधाई देते हैं, मुबारकबाद देते हैं, उन्होंने

जो एक उच्च आदर्श को प्राप्त करने के लिये सभ्यता के सर्वश्रेष्ठ तरीक़ों को अपने लिये क़ायम किया और उन्हीं पर वह डटे रहे। आज हमको इस बात का गर्व होता है कि भारतवासी और साउथ अफ्रीका के निवासी एक दूसरे से सहयोग करते हुये, प्रेमपाश में बंधकर उन जंजीरों से जिनसे उनको गुलामी के बदतर तरीक़ों में जकड़ने की कोशिश की जा रही है, तोड़ने में दत्तचित्त हैं। महात्मा गांधी ने पहले इसे आरम्भ किया था। उन्हीं का अस्त्र इन्होंने भी सम्हाला है और इसमें कुछ भी शंका नहीं कि इनकी विजय होगी। ये कामयाब होंगे। जो सत्य को लेकर खड़ा होता है, जो एक सही बात को करने के लिए खड़ा होता है जो मनुष्य के अधिकारों को दलने वाले हैं उनको उससे रोक कर उनका विरोध करके शान्तिमय तरीक़े पर संघर्ष करके मनुष्य के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सब प्रकार का तपस्या और कष्ट को झेलने को तैयार होता है, उसको दुनिया में कोई शक्ति नहीं जो दबा सके और जीतने से रोक सके। ये अवश्य विजयी होंगे। खेद यह है कि इस तरह के साउथ अफ्रीका की कार्यवाही से मानव समाज में आपस में एक वैमनस्य, आपस में संघर्ष, आपस में अविश्वास और बदमजगी पैदा होने का अंदेशा है। आज एशिया और अफ्रीका वे नहीं रहे जो पहले जमाने में थे। आज एशिया में और अफ्रीका में हर जगह जागृति है। अफ्रीका में ही ट्युनिस मोरक्को, इजिप्ट सभी देशों में आत्मसम्मान के लिए वास्तविक स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए यत्न हो रहा है और यह समझना कि साउथ अफ्रीका के लाखों इन निवासियों के ऊपर इस तरह से जब्र किया जा सकेगा कि यह मूर्खता की बात है। इसकी संभावना नहीं हो सकती है। यह कुछ तसल्ली की बात है कि वहां के प्रतिष्ठित कुछ गोरे भी अब यह समझने लगे हैं कि मलान की यह नीति सर्वथा अनुचित है। उससे हर तरह की हानि होगी।

आपको मालूम होगा कि साउथ अफ्रीका के जो एक गवर्नर जनरल रहते थे उनके लड़के ने हाल में एलान किया है कि वह इस कम्पेन में शरीक होंगे और गवर्नमेंट के खिलाफ सत्याग्रह में हिस्सा लेंगे। चूंकि वह समझते हैं कि इससे गोरे रंग के लोगों का सबसे बड़ा नुक़सान होगा। एशिया की जनसंख्या के मुक़ाबले में यूरोप की जनसंख्या बहुत कम है। अफरीका को भी मिला कर इनकी संख्या बहुत कम रहती है। तो इस तरह से एक जातिवाद को फैला कर यूरोप और सफेद रंग के लोग जहां हों उनको एक टोली में अलग करके जो भारत के यह और गैर सफेद, अश्वेत लोग हैं, उनमें उनके खिलाफ एक माद्दा पैदा करना यह श्वेत वर्ग के लोगों के लिए भयावह है। यह उनके लिए खतरनाक बात है। इसको भी अब साउथ अफ्रीका के रहने वाले कुछ लोग समझने लगे हैं और वह इस बात को कहने लगे हैं।

आपने पढ़ा होगा एक अखबार में जो कि हाल ही में छपा है--

"Mr. Patric Duncan, eldest son of the late Sir Patric Duncan who was the first South African to become the Governor General of the Union in 1936 announced yesterday his decision to participate in the defiance compaign.

He will join a batch of Indian Congress resisters in Johannesburg on December 8, he said in a statement.

South Africa, Mr. Duncan declared, was facing the greatest crisis of its history. It was no longer in the power of white South Africans to impose on non-Whites discrimination based purely on colour.

If White South Africa tried to preserve the present caste system, it would be responsible for a race war that would probably destroy the country, Mr. Duncan added."

[स्वर्गीय सर पैट्रिक डंकन, प्रथम दक्षिण अफ्रीकी थे, जो १९३६ में संघ के गवर्नर जनरल हुए थे, उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री पैट्रिक डंकन ने कल अपना निश्चय घोषित किया कि वे अवज्ञा-अभियान में भाग लेंगे।

उन्होंने एक वक्तव्य में कहा कि वे ८ दिसम्बर को जोहेन्सबर्ग में एक भारतीय कांग्रेस प्रतिरोधियों के जत्थे में सम्मिलित होंगे।

[श्री गोविन्द बल्लभ पन्त]

श्री डंकन ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका अपने इतिहास के महत्तम संकट का सामना कर रहा है। यह श्वेत दक्षिण अफ्रीकियों की शक्ति के बाहर है कि वे अश्वेत लोगों पर केवल वर्ग मूलक भेदभाव आरोपित करें।

श्री डंकन ने कहा कि यदि श्वेत दक्षिण अफ्रीका ने वर्तमान जाति-प्रथा को बनाये रखने का प्रयत्न किया तो वह एक ऐसे जाति-युद्ध के लिए उत्तरदायी होगा, जिससे कि सम्भवतः समस्त देश का नाश हो जायगा।]

यह वहाँ के एक सम्मानित नागरिक ने जोकि कुछ बुद्धि रखते है, इस बात को स्वीकार किया है, यह कह कर कि इससे साउथ अफ्रीका बरबाद हो जायगा। इस तरह के वर्णभेद के ज़रिये, अगर यह सिलसिला जारी रहा, तो साउथ अफ्रीका का नाश हो जायगा। जो लोग वहां इस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं, वे साउथ अफ्रीका को बरबाद करने वाले हैं। यह दिखलाई देता है कि सत्याग्रह का प्रभाव वहां के निवासियों पर पड़ने लगा है और समझदारी आने लगी है और अब वहां के लोग धीरे-धीरे यह देखने लगे हैं कि डाक्टर मलान की जो नीति है, वह सर्वथा साउथ अफ्रीका के गोरों के लिये हानिकारक है।

हमें इस बात का गर्व है कि फिर हमारे देश के रहने वाले और साउथ अफ्रीका के रहने वाले, जोकि असभ्य कहलाते थे, उन्होंने दिखला दिया कि पूर्वी देशों की वास्तविक जो मौलिक सभ्यता है इसका आधार बड़ा गहरा है और वह संसार को ऊंचा उठाने वाली है। उनके पास चाहे नैसर्गिक और पार्थिव पदार्थ काफ़ी न हों, चाहे उनके पास आराम, सुख के साधन न हों, परन्तु उनके हृदयों में वही पुरानी ज्योति का अब भी आभास होता है और वे मनुष्य के आध्यात्मिक स्वत्वों को सबसे अधिक स्थान दे कर, उनकी रक्षा हर तरह की तकलीफ, मुसीबत और परेशानी को उठाकर भी कर सकते हैं। यह हमारी जो विशेष प्रकार की बधाई है, वह हम साउथ अफ्रीका के निवासियों को देते हैं। आज भारतवासी साउथ अफ्रीकनों के लिये और एक समुचित स्थान प्राप्त करने के लिये यह युद्ध कर रहे हैं और यह हमारे लिये भी अधिक संतोष की बात है कि आज कोई भारतीयों के स्वत्व का साउथ अफ्रीका में खास प्रश्न नहीं है, बल्कि साउथ अफ्रीका के निवासियों के नैसर्गिक अधिकारों का प्रश्न संसार के सामने है। इस ऊंचे आदर्श को हर तरह से प्राप्त करने में बल देना, उसकी शक्ति को बढ़ाना यह हम सब का कर्त्तव्य है। हमारी इस सदन में पहले से अभिलाषा थी कि हम इस तरह के प्रस्ताव को यहां उपस्थित कर सकें, परन्तु तब नहीं हो सका। आज हमें यह अवसर मिला है और हम अपने भाइयों को बधाई देते हुए भगवान् को धन्यवाद देते हैं कि फिर सभ्यता के सर्वोच्च सत्याग्रह के द्वारा मनुष्योचित अधिकारों की, मानवोचित मौलिक स्वत्वों की रक्षा की जा रही है और उनके लिये मनुष्य तपस्या के द्वारा मानव समाज को ऊंचा करने के लिये अपने ऊपर कष्ट, व्यथा और वेदना को ले रहे हैं।

मैं आशा करता हूं कि हमारे देश निवासी सब इस कार्य में यथासम्भव सहायता पहुंचायेंगे। हमारे देश में सब जगह इस बारे में सभाएं सभी की हो चुकी हैं। बिना किसी राजनीतिक या सामाजिक या और किसी प्रकार के मतभेद के सभी ने मिलजुल कर इन सभाओं में मलान की नीति को घृणा से देखा है और अपना यह भी संकल्प प्रकट किया है कि वह साउथ अफ्रीका के लोग, जो वहां भारतवासी हैं और जो पहले वहां भारतवासी प्रवासी थे, उनकी संतान हैं, वह भी एक तरह से साउथ अफ्रीकन ही हैं, उनको हम, यथासंभव, जहां तक हम से होगा, सहायता पहुंचायेंगे।

हमारी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट आफ इंडिया, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स के सूत्रधार और जोकि उनके संचालन कर्त्ता हैं, हमारे प्रधान मंत्री, वे भी हर तरह से इस कार्य को सम्पादित करने के लिये जोकि तरीक़े एक स्वतंत्र देश के हो सकते हैं, उनको निरंतर काम में ला रहे हैं, जिससे की मानवता का पतन न हो और मानव अब इस सभ्य जगत में अपने उच्च आदर्श को प्राप्त करने में सफल हो सके। मैं आशा करता हूं कि यह सदन इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार करेगा।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री द्वारा उपस्थित संकल्प के अन्त मे निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं--

"साथ ही यह विधान सभा भारत सरकार से सिफारिश करती है कि रंगभेद संबंधी अमानवीय नीति पर ब्रिटेन और आस्ट्रेलिया के निन्दनीय रुख को देखते हुये यह राष्ट्र मंडल यानी कामनवेल्थ से भारत का तुरन्त सम्बन्ध विच्छेद करले।"

श्री अध्यक्ष (मुख्य मन्त्री से)--क्या आप कोई वैधानिक आपत्ति उठाना चाहते हैं।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--जी हां, मैं समझता हूं कि यह जो संशोधन उपस्थित किया गया है, इसके साथ जुड़ता नहीं और यह एक नया विषय कि सम्बन्ध अलग करले, इसमे लाना है जोकि इसके स्कोप को भी बढ़ा देता है। इसलिये यह आ नही सकता है।

श्री अध्यक्ष (श्री राजनारायण से)--जो आपत्ति उठाई गयी है, उसके संबंध मे आप कुछ कहना चाहते हैं?

श्री राजनारायण--माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री की यह आपत्ति मे समझ सकने मे असमर्थ हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी का जो संकल्प है, वह बहुत ही सुन्दर है और जिन भावनाओं को उन्होंने व्यक्त किया है, वे भावनाएं भी सराहनीय हैं। उसमें जो मेरा संशोधन है माननीय मुख्य मंत्री जी के प्रस्ताव की भावना को मूर्तिमान स्वरूप देने के लिये ही है। इसलिये यह कहना कि यह संशोधन इसकी सीमा को बढ़ाता है, मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है। अगर माननीय मुख्य मंत्री जी देखे तो ठीक तरीके से उन्होंने दक्षिणी अफ्रीका के शांतिमय सत्याग्रह के प्रति प्रशंसा प्रकट की है और सहानुभूति प्रकट की है। दक्षिण अफ्रीका की सरकार की जो रंगभेद नीति है तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की जो अवहेलना हुई है, उससे विश्व शांति के लिये एक खतरा उपस्थित हो गया है, इन तमाम बातों का वर्णन माननीय मुख्य मंत्री जी के प्रस्ताव मे है। सचमुच आज खतरा उपस्थित है, मगर केवल मौखिक सहानुभूति उपस्थित करने से खतरा दूर नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष--आप मेरिट्स पर जा रहे हैं।

श्री राजनारायण --मैं आप के द्वारा माननीय मुख्य जी से सादर साग्रह निवेदन करूंगा कि जो हमारा यह संशोधन है, बहुत ही उचित संशोधन है। इस संशोधन को उनको स्वीकार कर लेना चाहिये। इस संशोधन मे जो भावना व्यक्त की गयी है, उन भावनाओं को पूरा करने के लिये ही कारगर तरीके से रखा गया है। मैं समझता हूं कि जो प्रस्ताव उपस्थित किया गया है अगर वह इस संशोधन के साथ नहीं जाता है तो वह बिलकुल अधूरा ही रह जायगा और उसमे जो भावनाएं व्यक्त की गयी है वे केवल मौखिक भावनाएं ही रह जायंगी और जो हमारी सक्रिय सहायता हो सकती है वह हम नहीं कर पायेंगे। इसलिये मैं आप से इजाजत चाहूंगा कि मैंने जो संशोधन उपस्थित किया है उस संशोधन पर ठीक तरीके से वादविवाद होने दिया जाय क्योंकि यह उसके बाहर नहीं जाता है।

श्री अध्यक्ष--एक वैधानिक आपत्ति यह उठायी गयी है कि जो संकल्प इस भवन के सामने पेश किया गया है और जो संशोधन पेश है उसका कोई संबंध नहीं जुड़ता और उसके स्कोप को बढ़ा देता है और साथ ही तुक भी नहीं मिलती है। जहां तक संशोधन के संबंध में नियम १७७ मे दिया हुआ है, वह यह है कि यदि कोई संशोधन अगर मंजूर कर लिया जाय और वह मूल संकल्प के बिलकुल विरोध मे जाता हो तो वह संशोधन अनियमित हो जायगा या जो असम्बद्ध सा हो। ऐसी कोई चीज मुझे इस संशोधन मे नहीं दिखायी देती कि यदि यह पास हो जाय या स्वीकार कर लिया जाय तो मूल प्रस्ताव के विपरीत चला जाय। स्कोप के बढ़ाने का जहां तक संबंध है, वह प्रश्न केवल तभी उठ सकता है, जब कि कोई विधेयक भवन के सामने मौजूद हो उसकी परिधि या उद्देश्यों के विपरीत जाता हो। संकल्प मे तो स्कोप बढ़ाया जा सकता है। चूंकि संकल्प एक ऐसी चीज है जो कि नया विचार सदन के दिल मे आये, कोई महत्त्वपूर्ण विषय सामने हो तो उस सम्बन्ध मे यह सदन यह भी संकल्प

[श्री अध्यक्ष]

कर सकता है कि उसको अधिक बढ़ा दिया जाय और बहुत अधिक स्कोप बढ़ाने का भी पूर्ण अधिकार इस सदन को है। मूल संकल्प ही मैं समझता हूं जो साधारण विधान में इस सदन को अधिकार है, उस अधिकार के बाहर जाता है क्योंकि हमको सिफारिश करनी पड़ती है केन्द्रीय सरकार द्वारा एक विदेशी सरकार से कोई चीज करने के लिये। यदि यह सिफारिश करने का अधिकार इस सदन को है, तो यह कोई बात नहीं है कि दूसरे किस्म की सिफारिश क्यों न करें। इसलिये स्कोप बढ़ने से भी कोई आपत्ति उसमें उठ नहीं सकती। मैं समझता हूं यह संशोधन विधान के विपरीत नहीं है और नियमानुकूल है।

श्री राज नारायण--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो संशोधन उपस्थित किया है उसके सम्बन्ध में पहिले ही आपके द्वारा इस सदन को निवेदन किया था कि यह संशोधन अगर नहीं पास किया जाता है और मुख्य मंत्री जी द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है तो उपर्युक्त माननीय मुख्य मन्त्री जी के द्वारा जो संकल्प उपस्थित किया गया है वह अधूरा रह जायगा। आज जब सारी दुनिया में एक मानव-समाज की लहर पैदा हुई है, आज बिल्कुल मानवीय गुण प्रशस्त होकर प्रगट हो गये हैं और मानवीय मर्यादायें क्या हैं उनको समझने में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है, उस समय रंगभेद पर कोई सरकार चले यह कितना निन्दनीय है उसकी जितनी भी निन्दा की जाय वह कम है। मगर हम जिस तरीके से अपनी संवेदना, सहानुभूति और प्रशंसा, दक्षिणी अफ्रीका के सत्याग्रहियों को भेज रहे हैं, वह हमारी सद्भावना तथा प्रशंसा उस शांतिमय सत्याग्रह के प्रति सक्रिय रूप में नहीं जायेगी, यदि आज अपनी केन्द्रीय सरकार के पास इस उत्तर प्रदेश का यह सदन जोकि हमारे भारतवर्ष के सबसे बड़े विशाल प्रान्त की विधान सभा है उसका यह संशोधित संकल्प नहीं भेजते हैं। उत्तरी भारत का जो इतना बड़ा क्षेत्र है उसकी जो विधान सभा है, उस विधान सभा के सम्मानित सदस्य आज केन्द्रीय सरकार से निवेदन करते हैं कि अगर इस रंगभेद की नीति को समाप्त नहीं किया जाता है जिससे सारे विश्व की शान्ति के लिये खतरा है तो हम उतनी दूर भी जाने के लिये तैयार हैं जिससे राष्ट्र मंडल से हमारा सम्बन्ध विच्छेद हो।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कामनवेल्थ से सम्बन्ध विच्छेद होने की बात कोई नई बात नहीं है। महात्मा गांधी का जो हमने अफ्रीका के सत्याग्रह के सम्बन्ध में नाम लिया, हमारे मुख्य मन्त्री जी ने नाम लिया, उसकी सार्थकता इसी में है कि हमारा संशोधन स्वीकार हो। यदि हम अपनी आजादी की लड़ाई के मूल को देखते हैं तो उस समय अगर हम ख्याल करें तो हमने ब्रिटिश कामनवेल्थ से बारबार अलग होने की मांग की है और सदन का प्रत्येक सम्मानित सदस्य इस बात को जानता है। मैं समझता हूं कि अब वह समय आ गया है, जबकि हमें समझना चाहिए कि ऐसे एक गुट में, ऐसे राष्ट्र मंडल में, जिसमें कि रंग भेद की नीति चलाने वाली सरकारें भी शामिल हों उसमें रहना हमारे लिये कलंक की बात है। वहां ब्रिटेन क्या कहता है और उसी के साथ-साथ आस्ट्रेलिया क्या कहता है? जब मलान सरकार की नीति के सम्बन्ध में हम टीका टिप्पणी-करते हैं, सक्रिय कदम उठाने की बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्रसंघ में उस बात को आगे बढ़ाने की बात कहते हैं तो ब्रिटेन की ओर से, आस्ट्रेलिया की ओर से एक दबी हुई सी नीति रखी जाती है और उनके कार्यों से मलान सरकार को अपनी रंगभेद की नीति को कार्यान्वित करने में सहायता मिला करती है। क्या कारण है कि ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया जब-जब सन् ४६ और सन् ४८ में मलान सरकार की नीति को दबाने की बात आयी, तब तब उक्त राष्ट्र संघ में तटस्थ रहे। भारतीय सरकार ने अपना सम्बन्ध-विच्छेद तो मलान सरकार से किया ही है और सम्बन्ध विच्छेद किये हुए काफी समय भी हो गया है। अब तो यह अवसर आ गया है कि वहां जब इस तरह की दमन नीति जारी है जब इस तरीके से मानवता को कुचलने की भावना जारी है, तो इस भावना को जारी रखने देने में जो राष्ट्र सहायक हों, उनसे भी हमारा अब तक का रिश्ता टूटे। हम

ब्रिटिश राष्ट्र मंडल में क्यों बने हैं ? यह बात समझ में नहीं आती है । इसलिये हमें अपनी दृष्टि खोलनी चाहिए और यह देखना चाहिए कि हम अपनी आजादी प्राप्त करके आज सारी दुनिया में विश्व शान्ति के लिये अग्रदूत का जो काम करना चाहते हैं, उस काम को कर रहे हैं या नहीं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये से माननीय मुख्य मन्त्री जी से और सदन के सम्मानित सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि यह हमारी विधान सभा केन्द्रीय सरकार के हाथ मजबूत करे और यह कहे कि अब वैदेशिक नीति में घपलेबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है । भारत इस तरह से अपने चरित्र को ऊंचा करना चाहता है, भारत का आत्मबल संगठित है, भारत की यह परम्परा है कि भारत जाति भेद वाली नीति को कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता है ।

जब हम विश्वशान्ति की बात करते हैं तो हम इस बात को साफ कर देना चाहते हैं कि दुनिया में शान्ति किस तरह से कायम रह सकती है । इस बात को अगर भारत आगे लेकर नहीं चलेगा तो फिर कौन चलेगा ? भारत की मर्यादा और परम्परा बतलाती है और उसका आवाहन करती है कि भारतवर्ष विश्व–शान्ति की बात उठावे । लेकिन आज अमेरिकन सरकार और ब्रिटिश सरकार जो नीति चला रही है और आस्ट्रेलिया जिस नीति का समर्थन कर रहा है उससे विश्वशान्ति नहीं स्थापित होगी । एक तरफ रूस अपनी ओर खींचातानी कर रहा है दूसरी तरफ अमेरिका, अपनी ओर खींचातानी कर रहा है । इस तरह से आज दुनिया के भिन्न–भिन्न देश दो टुकड़ों में बटे हुए हैं केवल हम तृतीय शक्ति की स्थापना द्वारा विश्वशान्ति की बात करते हैं । इसलिये मैं यह चाहता हूं कि हमारी यह विधान सभा केन्द्रीय सरकार से कहे और केन्द्रीय सरकार अन्तर्राष्ट्रीय जगत में मजबूत कदम उठावे । इसके माने होंगे कि हम स्पष्ट तरीके से कहें कि सारे विश्व के लिये एक तरह की राजनीतिक व्यवस्था हो, एक तरह की आर्थिक व्यवस्था हो और सारे विश्व के आर्थिक विकास की एक संस्था हो । तब तो सारे देश के लिये एक समुचित कानून बनाया जा सकता है, समानता का कानून बनाया जा सकता है ।

यदि आज हम भारतवर्ष की ओर से यह आवाज उठायें तो यह आवाज हमारी मर्यादा के अनुकूल है । यह हमारी मर्यादा और गौरव को सुरक्षित करने वाली है । इसलिये हम ज्यादा समय न लेकर माननीय मुख्य मन्त्री जी से अपील करेंगे कि हमने उनके संकल्प में संशोधन प्रस्तुत किया है वह जो उनके संकल्प से उद्देश्य निकलता है उसकी पूर्ति में सहायक है, बाधक नहीं है और इस उद्देश्य की पूर्ति हो नहीं सकती जब तक कि मन्त्री जी हमारे इस संशोधन को कबूल नहीं करेंगे । इसलिये मुख्य मन्त्री जी इसको अच्छी तरह से समझ–बूझ लें । हम न तो उनके संकल्प के स्कोप (दायरे), को बढ़ा रहे हैं और न हम संकल्प के उद्देश्य से ही बाहर जा रहे हैं, बल्कि उसी की पूर्ति के लिये हम चाहते हैं कि आज भारतवर्ष स्पष्ट शब्दों में घोषित करे कि अगर इस तरह की नीति रही तो ब्रिटिश कामनवेल्थ से हमारा कोई नाता नहीं रह जायगा । आज मलान सरकार के प्रतिनिधि भी राष्ट्रमंडल में बैठे हुए हैं, हम भी बैठे हुए हैं और आस्ट्रेलिया तथा कनाडा ऐसे देशों के प्रतिनिधि भी बैठे हुए हैं । रंगभेद की नीति चलती है इसके क्या मानी हैं ? मैं प्रधान मन्त्री के प्रति आदर और श्रद्धा रखते हुए भी कहूंगा कि पंडित जी की वैदेशिक नीति कहने के लिये तटस्थ है लेकिन वह आज तटस्थ नहीं रह गयी है बल्कि वह डावांडोल रहती है । एक तरफ रूस की ओर जाने के लिये प्रेरित होती है तो दूसरी तरफ अमेरिकन गुट में जाने के लिये प्रेरित होती है ।

मैं पूछना चाहता हूं कि अगर हम सक्रिय तटस्थता की नीति को आरम्भ से ही कार्यान्वित किये होते और वह राष्ट्र जो विश्वशान्ति को लेकर दुनिया में समानता, बराबरी और भाई चारे के सिद्धांत को लेकर के चलने की प्रतिज्ञा करते हैं, उनको अपने साथ ले चले होते तो आज हम कितना आगे पहुंचे होते ।

श्री अध्यक्ष——माननीय सदस्य को जो समय मिलता है उसी पर अपने को सीमित रखना चाहिये।

श्री राज नारायण——आज जो वक्तव्य माननीय मुख्य मंत्री जी ने उपस्थित किया है उसके विरुद्ध कि जो बातें कही जा रही हैं, उससे किसी को भी दुई होती? हमें उसके [illegible] नहीं [illegible] आज १५ अगस्त, सन् १९४७ ई० से जब से भारत स्वाधीन हुआ तब से हम सदन की नीति को बतलाया होता तो क्या मलान सरकार की यह हिम्मत पड़ती कि [illegible] में अपने देश के निवासियों को नागरिकता के अधिकारों से वंचित करने की कोशिश करती? कदापि कोशिश न करती। आज हिन्दुस्तान में एक [illegible] जमीन पाती है जबकि रूस के एक [illegible] के पीछे तीस एकड़ [illegible] अमेरिका में [illegible] एकड़ जमीन पाती है। हमारी ओर से इस तरह की भी मांग क्या नहीं हो सकती कि जहां पर मानव समाज की बात होती है, जहां पर विश्व नागरिकता की बात होती है विश्व पार्लियामेंट की बात होती है, वहां जहां घनी आबादी है (जैसे हिन्दुस्तान और चीन) उस देश के लोग दूसरे देशों में जाकर बस सकते हैं। आस्ट्रेलिया में जाकर बस सकते हैं। आज आस्ट्रेलिया में इस तरह का सवाल किया जाता है कि वहां काले मजदूर काम करने नहीं पायेंगे। क्यों नहीं करने पायेंगे? जो काले मजदूर काम करते हैं उनको नागरिकता के अधिकार क्यों प्राप्त नहीं होंगे? यह सवाल विचारणीय है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं और आपके द्वारा माननीय सदस्यों से अर्ज करना चाहता हूं कि यदि आज वे अपनी विदेशी नीति में ठोसपन नहीं लाते मजबूती नहीं लाते तथा सक्रिय तरीके से, शुद्ध तरीके से यह ऐलान नहीं करते कि भारत उस विश्व पार्लियामेंट का अंग बनेगा जो विश्व पार्लियामेंट एक मानव-समाज की स्थापना करे, बराबर के समाज की स्थापना करे और उसके साथ साथ समानता के समाज की रचना करे, सारे मुल्कों की समान आर्थिक पद्धति हो, समान राजनैतिक पद्धति हो और सारे विश्व की एक [illegible] हो, तो भारत अपने कर्तव्य से च्युत होता है। अगर भारत में [illegible] है तो उस देश से जहां कि अनाज का [illegible] है वहां से भारत में अन्न आने के लिये कोई [illegible] की आवश्यकता नहीं है। [illegible] को विचार विमर्श करने के लिये लम्बी-चौड़ी अवधि ढूंढ़ने के लिये आवश्यकता नहीं है। मानव समाज की रक्षा के लिये, मानवता के उद्धार के लिये इसको एक इकाई के समान अधिकार लेने हैं, तब जाकर विश्व मस्तिष्क के जरिये विश्व पार्लियामेंट स्थापित हो सकती है, वरना नहीं हो सकती है।

इसलिये आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं फिर नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि आदरणीय मुख्य मन्त्री और इस सदन की चाहे जो कुछ भी भावनायें हों, पंडित नेहरू के वैदेशिक नीति के प्रति, मगर उत्तर प्रदेश की विधान सभा और उत्तर प्रदेश की विधान सभा के सम्मानित सदस्यों को यह प्रस्ताव पेश करना चाहिए कि विश्वशान्ति के लिये जो भयावह खतरा उपस्थित हो रहा है, श्वेत और अश्वेत रंग भेद की नीति के कारण मलान सरकार की उस नीति के [illegible] और बढ़ता जा रहा है। उसको देखते हुए भारत एलान करता है कि वह ब्रिटिश कामनवेल्थ से, राष्ट्र मण्डल से अपना सम्बन्ध विच्छेद करता है, हमारे इस काम से आदरणीय अध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी की आत्मा को भी शान्ति मिल सकेगी, महात्मा गांधी का नाम हम बार-बार लेते हैं, महात्मा गांधी ने अफ्रीका में शान्ति का सत्याग्रह आरम्भ किया था, शान्ति का सन्देश दिया था, उसी शान्ति के सन्देश और सत्याग्रह को लेकर भारत में आने के बाद महात्मा जी के पद चिन्हों पर चल कर हमने अपने राष्ट्र की आजादी प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है, हम अपने प्रति तथा महात्मा गांधी के प्रति तभी वफादार हो सकते हैं, जब हमारा काम अफ्रीका के उन लोगों को आजादी दिला सके जो अपने मानवीय अधिकारों की रक्षा के लिये लड़ाई लड़ रहे हैं।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)——माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश कर रहा हूं। शब्द ये हैं——

तीसरी लाइन में "प्रगट करती हैं" वाक्य के पश्चात् "एवं जिन थोड़े श्वेत लोगों ने उक्त आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया है अथवा हमदर्दी जाहिर की है, उन्हें हार्दिक धन्यवाद देती हैं" जोड़ दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मुख्य मन्त्री ने अपने व्याख्यान में कहा है कि और अखबार पढ़ने वाले लोग जानते हैं कि वहां अत्याचार से पीड़ित होकर अश्वेत ही नहीं श्वेत भी परेशान हैं। उन्होंने हमारा साथ देने के लिये कहा है। एक गवर्नर साहब के पुत्र ने कहा है "मैं भी सत्याग्रह करूंगा और जेल जाऊंगा। सत्याग्रह वह बड़ा नहीं है जो दुश्मन को हरा दे, बल्कि वह बड़ा है। सत्याग्रही तो दुश्मन को भी जीत लेता है और वह जीतता है उसको दोस्त बनाकर। इसी सफलता का चिन्ह हम अपने देश में स्वयं देख रहे हैं। इस कारण जो वहां पर रंगभेद की नीति बरती जा रही है और उसमें जो श्वेत हमारा साथ दे रहे हैं और भारतीयों का साथ दे रहे हैं और सहानुभूति दिखा रहे हैं, तो उनके लिये हमारा कर्त्तव्य है कि हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकाशित करें। जिस समय रावण और राम में युद्ध चल रहा था तो उस समय लंका से विभीषण राम के पास आया था। उस समय सबने कहा कि यह रावण का दूत है और भेद लेने आया है लेकिन राम ने उसको लंकेश कह कर पुकारा था और उसका वेलकम किया था। तो हमारी संस्कृति तो यही कहती है कि हम दोस्त बनाकर उन पर विजय प्राप्त करें। हमारा हिन्दुस्तान अब वह हिन्दुस्तान नहीं रहा है हिन्दुस्तानियों ने वह करिश्मा दिखा दिया है और दुनिया के सामने एक नई हिस्ट्री रख दी है। संसार की हिस्ट्री में कोई ऐसी मिशाल नहीं मिलती है कि जिसने बिला किसी तलवार के क्रान्ति की हो, लेकिन हिन्दुस्तान ने बिला किसी हथियार के ही उस क्रान्ति को कर दिया। जिसने यह क्रान्ति की उसने कुर्सी को ग्रहण भी नहीं किया और "रघुपति राघव राजाराम" के सहारे ही सब काम कर दिया। यही नहीं, जिसने मुखालफत की उसको कुर्सी दी गई और उसी को गवर्नर जनरल बनाया गया। अन्य देश में वे स्वयं कुर्सी पर बैठे, जैसे कमालपाशा आदि, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं किया गया। इस कारण हमारा कर्त्तव्य है कि अफ्रीका में जो अश्वेतों के साथ भेद बरता जा रहा है, वह दूर हो और वहां पर बराबरी का दर्जा अश्वेतों को प्राप्त हो। यह एक सत्य बात है और दुनिया की सहानुभूति हमारे साथ है। इस कारण यह हमारा कर्त्तव्य है कि हम उनके साथ सहानुभूति प्रगट करें, जो श्वेत लोग वहां पर अश्वेतों का साथ दे रहे हैं।

श्री शम्भुनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री ने जो दक्षिण अफ्रीका के सम्बन्ध में प्रस्ताव आज इस सदन में रखा है और जो उद्गार प्रगट किये वह हमारे हृदय की आवाज है, किन्तु इस प्रस्ताव का अन्तिम भाग कुछ मुझे असंगत सा मालूम होता है। प्रस्ताव में कहा गया है कि हम दक्षिणी अफ्रीका की सरकार से आग्रह करते हैं कि वह अपने प्रदेश से इस रंगभेद की नीति को समाप्त कर दे। जिस सरकार ने हमारी बातों को बार-बार ठुकराया है। उससे फिर इस तरह बात करें और उसके सामने आरजू लेकर जायें तो यह मुझको अपने देश की प्रतिष्ठा के प्रतिकूल मालूम होता है। इसलिये मैं यह छोटा सा संशोधन यहां पर उपस्थित करना चाहता हूं और आशा करता हूं कि वह स्वीकार किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष—आपने संशोधन की कोई नकल मेरे पास नहीं भेजी है।

श्री शम्भुनाथ चतुर्वेदी—मैं आपके पास भेज दूंगा। मैं यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि "संयुक्त राष्ट्र संघ की अवहेलना को विश्वशान्ति के लिये भयावह समझते हुए" के बाद यह शब्द बढ़ा दिये जायं, "संघ के सब राष्ट्रों से आग्रह करता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रतिष्ठा व मानवोचित अधिकारों की रक्षा के हेतु वह ऐसे उपाय अमल में लावें जिससे दक्षिणी अफ्रीका की सरकार अपने देश से श्वेत और अश्वेत के भेद को समाप्त करने के लिये विवश हो।"

यह संशोधन मैंने इसलिये रखा है कि आज दक्षिणी अफ्रीका में संघर्ष चल रहा है और उसके रोकने के लिये जो बात की गई उसको सुना नहीं गया। अब उस सरकार से कुछ नहीं कहना है।

[श्री शम्भुनाथ चतुर्वेदी]

जो कुछ हम कहना चाहते हैं वह राष्ट्र संघ से कहें और उसके साम यहां प्रश्न आ भी चुका है जिसने कोरिया में जाकर एक देश की स्वाधीनता की रक्षा के लये नेशस्त्र उठाये, क्या वह मानवता के अधिकारों की रक्षा के कोई उपाय काम में नहीं ला सकती? इसलिये यह मैं समझता हूं कि यह संशोधन बहुत ही उपयुक्त है। इस नीति से यही नहीं कि केवल मानवता के अधिकारों का हनन हो रहा है बल्कि विश्वशान्ति को खतरा पैदा हो गया है और राष्ट्र संघ को भी खतरा उत्पन्न हो गया है।

अगर यह श्वेत अश्वेत की समस्या राष्ट्र संघ के द्वारा हल न हो सकी तो यह निश्चय है कि राष्ट्र संघ थोड़े दिनों में छिन्न-भिन्न (डिसइन्टिग्रेड) हो जायगा और उसकी कोई प्रतिष्ठा न रह जायेगी। इसलिये मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे संशोधन को स्वीकार किया जाय।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)——आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो तीन संशोधन मूल प्रस्ताव में पेश किये गये हैं, मैं उन तीनों संशोधनों का विरोध करता हूं और मैं मूल प्रस्ताव में एक अपना संशोधन पेश करना चाहता हूं......

श्री अध्यक्ष——आप कृपा करके अपना संशोधन मेरे पास भेज दीजिए। मैं अन्य माननीय सदस्यों को बतलाना चाहता हूं कि इसके बाद जो सदस्य संशोधन पेश करने वाले हों वे संशोधन लेकर न खड़े हों। मैं संशोधन भेजने के लिये ५ मिनट का समय देता हूं, उसमें जिनको संशोधन भेजना हो वे मेरे पास भेज दें, अगर कोई संशोधन इस समय में मेरे पास न आयेगा तो मैं उसको पेश करने की इजाजत नहीं दूंगा।

श्री नेकराम शर्मा——मेरा संशोधन इस प्रकार है कि "शान्तिमय सत्याग्रह के प्रति प्रशंसा" के पश्चात् "हर प्रकार की उचित सहायता" शब्द और जोड़ दिये जायं।

अध्यक्ष महोदय, हमारे विरोधी दल के नेता ने जो अपना संशोधन सदन के सामने पेश किया है कि कामनवेल्थ से सम्बन्ध विच्छेद कर दिया जाय और उन्होंने जो अपने प्रस्ताव के समर्थन में कहा है कि वह भारत की विदेशी नीति से सहमत नहीं हैं और उन्होंने जो उस पर आक्रमण किया है उसको मैं ठीक नहीं समझता। हमारे भारतवर्ष की विदेशी नीति की सभी ने प्रशंसा की है। हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ही नहीं बल्कि देश के सभी नेताओं ने उसकी प्रशंसा की है और जो हमारी नीति है वह एक सफल नीति है और रहेगी। इसके सम्बन्ध में यह कहना कि हमारे भारत की विदेशी नीति असफल रही है यह मैं मानने को तैयार नहीं हूं। हमारे विरोधी दल के नेता को यह मालूम होना चाहिए कि अमरीका जैसा शक्ति शाली राष्ट्र एक जमाने तक सन् १८९९ ई० तक एक अपनी तटस्थ नीति को अपनाता चला आया और उसका यह नतीजा है कि वह आज इतना शक्तिशाली राष्ट्र दुनिया का है। हां, यह बात सही है कि मलान सरकार की इतनी हिम्मत न पड़ती और न वह इतनी जुल्म की नीति को अपना ही सकती थी अगर उसके पीछे एंग्लो अमरीकन ग्रुप का हाथ न होता। यू० एन० ओ० में रंगभेद और जाति-भेद के विरुद्ध प्रस्ताव आया, परन्तु वह एंग्लो अमरीकन ग्रुप उस प्रस्ताव के विरुद्ध छिपे तौर से मलान सरकार की मदद कर रहा है और जिससे भारत एंग्लो अमरीकन ग्रुप में शामिल हो जावे। और अकेले उस सरकार की इस तरह की कभी हिम्मत नहीं पड़ती। उनका हाथ मलान सरकार की इस नीति में जरूर है। माननीय चतुर्वेदी जी ने कहा कि हमें अब मलान सरकार से आग्रह नहीं करना चाहिए इससे मैं सहमत नहीं हूं। महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह का यह उसूल था और उनका यह ढंग था कि जो जुल्म करता हो उसके पास ही फरयाद लेकर जाना चाहिए और उसके ऊपर प्रेशर डालना चाहिए कि वह इस प्रकार की नीति को बदले।

लेकिन उसका असर तभी हो सकता है जबकि दूसरे देश, एंग्लो-अमेरीकन ग्रुप, यह जानें कि हिन्दोस्तान में भी शक्ति है। "भय बिन होइ न प्रीति" ऐसा कहा गया है। यह कामनवेल्थ का जो प्रस्ताव है यह वास्तव में हमारे देश की वैदेशिक नीति से संबंध रखता है

और हमारे वैदेशिक मंत्री हैं, जो एक सफल नेता हैं, जो तटस्थ की नीति अपना रहे हैं और कार्यरूप में सफल परिणत कर रहे हैं, उसके विषय में दो राय नहीं हो सकती। हमारी केन्द्रीय सरकार ने साउथ अफ्रीका के साथ व्यापार करना बन्द ही नहीं कर दिया, बल्कि हर उचित क़दम उठाने को तैयार है; फिर विदेशी नीति की निन्दा करना कहां तक उचित है मैं नहीं समझता। एक स्वतंत्र देश के नाते हम उनसे चाहते हैं कि मलान सरकार अपना रवैया बदले। यदि उसने अपना रवैया नहीं बदला, तो जैसा कि हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा है, उन्होंने मूल प्रस्ताव में इसका संकेत किया है, दुनिया में एक युद्ध आ सकता है जिसमे ये जातिवाद, रंगभेद तथा पूंजीवाद भी समाप्त हो जावेंगे। मैं इन तीनों प्रस्तुत प्रस्तावों का विरोध करते हुये माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इसमें शब्द "प्रशंसा" के बाद 'हर उचित ... कर इस प्रस्ताव को हाउस के सामने पेश करें और मुझे विश्वास है कि हाउस इसका समर्थन करेगा।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)——अध्यक्ष महोदय, मैं संयुक्त दल की ओर से माननीय मुख्य मंत्री जी के संकल्प का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। हमारे मुख्य मंत्री जी ने साउथ अफ्रीका की घटनाओं का वर्णन विस्तारपूर्वक और ऐतिहासिक रूप से दे दिया है। उस सम्बन्ध में मेरा कुछ कहना आवश्यक नहीं है। जैसा हमारे मुख्य मंत्री जी ने कहा, दिन ब दिन दुनिया सिकुड़ती जाती है। जो पहले एक दूर विदेश था वह आज हमारा पड़ोसी देश सा बन गया है। दक्षिण अफ्रीका और हिन्दुस्तान में अब समुद्र का कोई विशेष फासला नहीं रहा है। फिर भी यह आश्चर्य और दुख की बात है कि वहां भारत के निवासियों पर आज इतने अत्याचार हो रहे हैं, जैसा हमारे मुख्य मंत्री जी ने कहा। भारत सरकार की ओर से हमेशा यह संकेत दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों को दिया जाता रहा है कि वहां की सरकार बुरा न समझे, क्योंकि जब तक वे साउथ अफ्रीका में रहते हैं वहां की सरकार उनकी सरकार है। जो संशोधन श्री राजनारायण जी ने पेश किया है उसके बारे में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि यदि उनका संशोधन मान लिया जाता है तो वह भी अधूरा ही रह जाता है। यदि वह यह चाहते हैं कि चूंकि कामनवेल्थ के देश हमारे साथ सहानुभूति नहीं दिखाते हैं किन्तु हमारे विरोध में हैं तो पांडेचेरी में फ्रांस की सरकार भी हमारा विरोध कर रही है और गोआ में पोर्चुगीज सरकार कुछ हद तक हमारे विरोध में है और सीलोन में भी हमारे भाइयों को सताया जा रहा है, तो इन देशों के साथ भी हम अपना राजनीतिक संबंध तोड़ दें। यह उनका गलत विचार है कि राजनीतिक संबंध तोड़ने से ही उसका उपाय मिलेगा।

किन्तु यह आश्चर्य प्रकट करना मुनासिब समझता हूं, विशेषकर अपने भारत के मान्य और प्रमुख नेताओं के सामने और उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे इस प्रश्न का सही उत्तर ढूंढें कि आज सारी दुनिया भारतवासियों के पीछे क्यों पड़ी है? कामन वेल्थ के नेशन्स हमारे पीछे पड़े हुए हैं, गोआ में पोर्चुगीज की सरकार, सीलोन में सीलोन की सरकार और साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीका की सरकार भारतवासियों के पीछे पड़ी हुई है। हमें इसका कोई सही उत्तर और सही जवाब निकालना आवश्यक है। अन्त में मैं यही कहूंगा कि भारतवर्ष के प्रत्येक निवासी को यह आशा है और ईश्वर से यह प्रार्थना है कि दुनिया में जो रंग-भेद यानी सफेद और काले के बीच में जो अंतर किया जाता है वह दूर हो, ईश्वर मनुष्यों में ऐसी भावना पैदा करे कि वे हर इंसान को भाई भाई समझने लगें। चाहे कोई सफेद हो, चाहे कोई काला हो या लाल हो। उन सबको वे समझें कि वे सब इंसान हैं, सब उसी एक प्रभु के बनाये हुए हैं और मनुष्यों के नाते भाई भाई हैं।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)——माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मूल संकल्प का समर्थन करता हूं। प्रश्न यह है कि साउथ अफ्रीका में आजकल जिस डमोक्रसी की रूप-रेखा रखी जा रही है वह बीसवीं शताब्दि के लिये कहां तक उपयुक्त है। साउथ अफ्रीका में यह कहा जा रहा है कि वहां के गोरों ने जो नीति अपनाई है वह प्रजातान्त्रिक है। लेकिन यह कौनसा प्रजातंत्र है जिसका उद्देश्य यह हो कि शासन की बागडोर और

[श्री शिवनाथ काटजू]

मानव अधिकार केवल गोरों के हाथ में हों और जो इस रंग के न हों उनको दासता के रूप में रखा जाय। आज से २० हजार वर्ष पूर्व ग्रीस में इस प्रकार की डेमोक्रेसी थी, लेकिन आज बीसवीं सदी में यह कहना कि वही जनता वहां पर अधिकार पाने की अधिकारी है जो गोरी है, यह बात कहां तक मानी जायगी? मलान साहब की शिकायत है कि जो आन्दोलन हो रहा है उसमें भारतवासियों की सहानुभूति है। मुझे इस बात का गर्व है कि आज संसार को यह मालूम हो रहा है कि जहां तक मानव अधिकारों की समस्या है वहां हिन्दुस्तानियों की आवाज जब जब उठी तब तब मानव अधिकारों के पक्ष में ही उठी। मलान साहब ने अभी अपनी विज्ञप्ति में बड़ा रोष प्रकट किया था। उन्होंने कहा कि सारी शरारत हिन्दुस्तानी कर रहे हैं और उन्हीं की वजह से दक्षिण अफ्रीका में यह आन्दोलन हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि हिन्दुस्तानी हमको सीख दे रहे हैं, वे पहले अपने घर को तो देखें कि वहां क्या हो रहा है। उन्होंने हैदराबाद की समस्या पर प्रकाश डाला, काश्मीर की समस्या पर प्रकाश डाला और यह कहा कि भारत में दलित लोगों के साथ क्या हो रहा है, वे पहले उसको सुधार लें। लेकिन मलान साहब अगर देखें कि भारत का विधान क्या है, अगर मलान साहब इस सदन में आ जायं तो उनको मालूम होगा कि यहां पर दलित जातियों और डिप्रेस्ड क्लासेज को क्या [illegible]
वह किसी भी प्रकार [illegible] तरह
उपयुक्त नहीं है।

आज वह वहां जो नकशा सामने रख रहे हैं, उसका ध्येय यही है कि सिर्फ गोरे लोग शासन करें और काले लोग जिनमें हिन्दुस्तानी भी शामिल हैं उन्हें इस प्रकार से रखा जाय कि उनको कोई राजनैतिक अधिकार न दिया जाय। उनके रहने के लिये एक सीमित मुहल्ला और सीमित स्थान रखा जाय। वे कोई ऐसा धंधा न कर सकें, जिसमें कि अपने आप को उठा सकें, उनकी शिक्षा के लिये ठीक तरह से प्रबन्ध न हो। यह चीज आज बीसवीं शताब्दी में नहीं चल सकती। और अगर हिन्दुस्तान की आवाज उठती है कि ऐसी बात ठीक नहीं है और हमारी सहानुभूति उनके साथ है तो यह हिन्दुस्तान के लिये एक शोभा की बात है। आज वहां के हिन्दुस्तानी भी इस सत्याग्रह में शामिल हैं लेकिन वे हिन्दुस्तानी के नाते नहीं हैं, बल्कि वे साउथ अफ्रीका के रहने वाले हैं वहां के सब्जेक्ट हैं और अगर हम यहां से सहानुभूति भेजते हैं तो इस नाते से नहीं भेजते हैं कि किसी समय पहले वे हिन्दुस्तान में थे। हम तो मानवता के नाते अपनी सहानुभूति भेजते रहे हैं और हमें यह फख्र है कि इस आन्दोलन की नींव कुछ साल पहले स्वयं महात्मा गांधी जी ने वहीं रखी थी और आज उन्हीं के कदमों पर हिन्दुस्तान के लोग और उनके साथ साथ साउथ अफ्रीका के और लोग भी चल रहे हैं।

मुझे दुख है कि संकल्प के संबंध में जो संशोधन रखा गया वह एक प्रकार से मुनासिब नहीं है [illegible]

वह एक दूसरा प्रश्न है और इस संबंध में यहां इस समय वाद-विवाद करना उचित नहीं है कि कामनवेल्थ से हमारा संबंध रहे या वहां से हम हट जायं। यह एक दूसरा प्रश्न है और जिस समय यह प्रश्न देश के सामने था तो उस पर काफ़ी गौर किया गया था और बहुत सोच-समझ कर हिन्दुस्तान कामनवेल्थ में गया था। आज यू० एन० ओ० में साउथ अफ्रीका भी है और भारत भी है तो इस तरह से आप यह भी सोच सकते हैं कि चूंकि साउथ अफ्रीका उसका सदस्य है इसलिये हम वहां से वापस चले आवें। कामनवेल्थ में रहना या न रहना यह एक दूसरा प्रश्न है, लेकिन जो मूल संकल्प रखा गया है वह हर प्रकार से मुनासिब है, हर तरह से ठीक है और केवल मानवता के नाते भारतवर्ष के दिल में जो भाव हैं उसे वह सही तरीक़े से, उचित रूप से, प्रकट करता है और मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना (जिला इलाहाबाद)—अध्यक्ष महोदय, जो संकल्प माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस सदन के समक्ष रक्खा है, मैं उसका हृदय से स्वागत करता हूं। उस

सरकार के संबंध में जो कुछ भी संशोधन (एमेन्डमेन्ट्स) आये हैं, उनके संबंध में बहुत कुछ कहा जा सकता है। हमारे माननीय मित्र श्री राज नारायण जी के एमेन्डमेन्ट के संबंध में तो मुझे सिर्फ दो-तीन बातें कहनी हैं। पहली बात यह कि वह एमेन्डमेन्ट अपनी जगह पर सही नहीं है [illegible] इसलिये कि देहली की सरकार की वैदेशिक नीति के संबंध में हम कोई निर्णय, कोई बात इस सदन में कर भी नहीं सकते और न उनके ऊपर राय देने का कोई सवाल है, क्योंकि वह तो हमारे क्षेत्र से बाहर है। अगर हम इस सदन में उस विषय पर राय देंगे, वैदेशिक नीति के संबंध में बहस करना होगा जोकि मुनासिब नहीं है। हमारे प्रतिनिधि, हमारे प्रान्त की जनता के प्रतिनिधि देहली की पार्लियामेन्ट में बैठकर सरकार को वहां राय दें यह मुनासिब बात होगी। बहरहाल, यह तो रही अपनी बात. लेकिन जहां तक कामन-वेल्थ का प्रश्न लेकर भाई राज नारायण प्रस्तावित संकल्प को संशोधित करना चाहते हैं, उन्हें मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारा कामनवेल्थ में रहना तो इसलिये है कि हर मुल्क हर जमाने में अपने देश के फायदे को मद्देनजर रखकर किसी भी स्थान में रहना या न रहना मंजूर करता है। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं उस जमाने की जब पं० जवाहर लालजी सन् १९३६ से लेकर १९३९ तक चीन में हुये उन कारनामों के खिलाफ जो जापान ने किये थे आवाज उठाई थी और तरह तरह के अत्याचारों और दमन के खिलाफ जो अबीसीनिया वगैरह में हुये थे उनके खिलाफ आवाज उठाई थी। लेकिन जिस वक्त सरकार की बात आती है दुनियादारी उसूलों को मद्देनजर रखते हुये ही तो उसको हर काम करने होते हैं और जब उन दुनियादारी बातों पर देश के हित और अहित का जो सवाल है और जो मुख्य प्रश्न है वह आता है तब उन बातों पर पूर्ण विचार करके ही सरकार कोई क़दम उठाती है। जर्मनी के हिटलर के साथ रूस के साम्यवादी स्टालिन का नात्सी के साथ समझौता हो सकता है और उनका गठबन्धन हो सकता है, तो कोई वजह नहीं है कि हिन्दुस्तान अगर किसी वजह से कुछ हद तक कामनवेल्थ में रहकर अपना लाभ उठा सके तो क्यों न उसमें रहे, लेकिन वह प्रश्न तो आज विचारणीय नहीं है।

इसके अतिरिक्त दूसरी बात हम उनको यह भी याद दिलाना चाहते हैं कि हिन्दुस्तान की राजनीति में महात्मा गांधी ने यह बुनियादी बात हमें देन रूप में छोड़ी है, कि 'हेट दि सिन बट नाट दी सिनर'। बापू का यही बुनियादी उसूल था उसी के मुताबिक किसी भी देश में जो बुरा काम है उस बुरे काम को हम घृणा की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन बुरा काम करने वाले से घृणा का प्रश्न नहीं उठता। वही आज किया जा रहा है। फिर इसके अलावा रूस का दृष्टान्त लीजिये वह यू० एन० ओ० से रूठ जाता है। इसलिये कि चीन का 'मुनासिब रिप्रेजेन्टेटिव' सिक्योरिटी कौंसिल में नहीं बैठने पाता है। लेकिन जब रूस देखता है कि कोरिया का मामला ऐसा रूप न लेता जैसा उसने लिया यदि वह रूस सिक्योरिटी कौंसिल में उपस्थित होता तो रूस दौड़कर उसी सिक्योरिटी कौंसिल में फिर स्वयं बैठता है। जिसमें कि आज भी नेशनलिस्ट चायना का वही रिप्रेजेंटेटिव, जिसे वह कल गद्दार बताता था, बैठा हुआ है। यह क्यों है ? यह दूसरा सवाल नहीं है। इसलिये मैं भाई राज नारायण जी से यह कहना चाहता हूं कि नामों के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है। हमारे मुख्य मंत्री जी ने कहा, बुनियादी सवाल को लेकर, महात्मा जी के बुनियादी उन सिद्धान्तों को लेकर, कि जो चीज मानवता के लिये भयावह है उससे हमें नफरत है और घृणा है।

इसीलिये हमारे मुख्य मंत्री जी के शब्दों में, आम जनता के शब्दों में रंगभेद की जो नीति आज दक्षिणी अफ्रीका में बरती जा रही है वह घृणित है और मैं सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूं और अपने भाई राज नारायण जी और हमारे सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि यह कोई अकेले दक्षिणी अफ्रीका की समस्या नहीं है। यह तो दुनिया के अन्दर एक नये युग का प्रारम्भ होने जा रहा है, जिसकी पहली चेष्टा के फलस्वरूप आज दबे हुये अफ्रीका के निवासी, पूर्व एशिया, मध्य एशिया की जनता एक करवट लेने की कोशिश में है और उसी करवट में बहुत सारी पुराने युग की धारणायें और बातें, जैसे

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

साम्राज्यवाद पूंजीवाद, वगैरह वगैरह खत्म होने वाली चीजों में शामिल हैं। जब तक इन देशों की शोषित जनता के उठने के प्रयास की बातों के अन्तर्गत सत्य है, अहिंसा है, प्रेम है, दया है और मानवता के प्रति अपना कर्त्तव्य निभाने और अपने कारनामों के द्वारा दुश्मन के हृदय को जीतने की क्षमता है, निरन्तर उसी आग्रह पर, सत्य के आग्रह पर और उस आग्रह के द्वारा शोषक के हृदय को जीतने का निश्चय है, तब तक उसके साथ हमारा हृदय रहेगा और जब इन बुनियादी बातों को मद्देनजर रखते हुये हम इस संकल्प को देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि बहुत ही सुन्दर तरीके से गढ़ा हुआ यह संकल्प हमारी उन भावनाओं का दिग्दर्शन कराता है। उसमें एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो बदलने के काबिल हो। दक्षिणी अफ्रीका सरकार से आग्रह करने का सवाल आता है ठीक उसी तरीके से जैसे कि गांधी जी निरन्तर जिन्ना साहब से आग्रह करते रहे और अंग्रेजों से आग्रह करते रहे और चूंकि हम सत्याग्रही थे, इसलिये आग्रह करते रहे। वे मानने वाले न थे तब भी आग्रह करते रहे। आज इस संकल्प द्वारा हम भी उसी तरीके से मलान सरकार से आग्रह करते हैं। इस प्रदेश प्रान्त के साढ़े छः करोड़ रहने वाले इन्सान भी आज दुनिया के सामने आवाज उठाते हैं और मुख्य मंत्री जी और प्रत्येक माननीय सदस्य, जोकि आज जनता का प्रतिनिधित्व करता है, आवाज उठाता है, उस नीति के विरोध में जिसकी जड़ में मानव के 'स्व' की हिंसा है, पर वह आवाज डाक्टर मलान के व्यक्तित्व के विरोध में नहीं है, अफ्रीका के विरोध में नहीं है। अफ्रीका के रहने वालों के पक्ष में है, हिन्दुस्तान के पक्ष में नहीं, क्योंकि वहां के नागरिकों को हिन्दुस्तानी कहने में मैं इन्कार करता हूं। एक जमाना रहा हो जब उनके पूर्वज हिन्दुस्तानी थे। एक जमाना था जबकि वे हिन्दुस्तानी थे। आज वे अफ्रीका के निवासी हैं; आज उन्हें अफ्रीका की जमीन से मुहब्बत है। अफ्रीका उनका देश है। अफ्रीका का प्रत्येक रहने वाला, चाहे उसके बाप-दादा सदैव से अफ्रीका में रहते थे अथवा आज पचास साल से वर्षों से अफ्रीका के नागरिक हुये हैं। अफ्रीका उसे अवश्य प्यारा है। इसलिये जब जब वह अफ्रीका में बनी हुई हर एक उस सरकार का विरोध करेगा जो अन्याय के ऊपर, अत्याचार के ऊपर, साम्राज्यवाद के ऊपर और बरबरता के ऊपर अपनी सत्ता स्थापित करना चाहेगी। हमारा रोयां रोयां भी, हमारे देशवासियों का रोयां-रोयां भी उनके साथ होगा। हमारा हृदय उनके साथ होगा क्योंकि हमने अपनी आजादी की जंग से यही सीखा है। हमने अबीसीनिया के साथ हमदर्दी जाहिर की थी और उस वक्त के राष्ट्रसंघ को कांग्रेस के प्लैट-फार्म से चेतावनी दी थी कि तुम खतरे से खाली नहीं हो, अगर तुमने टोजो, मुसोलिनी और हिटलर की नीति का विरोध नहीं किया। उस चेतावनी को टालने का फल संसार को भुगतना पड़ा और दुनिया ने उसका मजा महायुद्ध में चखा। आज हमारा देश अपनी सरकार द्वारा आजाद मुल्कों के साथ बैठकर हर मसले पर अपनी सही राय देता है। उन सभी जगहों पर बैठकर चाहे वह कामनवेल्थ कान्फ्रेंस हो, चाहे वह यू० एन० ओ० हो, चाहे यूनस्को हो या किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की कोई भी बैठक हो, जिसमें समस्त स्वतन्त्र देशों की सरकारों के प्रतिनिधि बैठते हैं। और आज फिर इस सदन के द्वारा जब हमने उसी आवाज को अपने मुख्य मंत्री के इस संकल्प द्वारा प्रसारित किया है, तो इसके लिये मैं उनको, इस सदन को और इस प्रान्त के रहने वालों को मुबारकबाद देता हूं और एक बार फिर आशा करता हूं कि यह सदन अपनी सामूहिक आवाज उस अन्याय के विरोध में उठायेगा, जिसका हमने बराबर विरोध किया है और करते रहेंगे। ताकि मानवीय स्वत्वों का खून न हो। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मुख्य मंत्री द्वारा दक्षिणी अफ्रीका की मलान सरकार की रंगभेद की नीति के विरुद्ध उपस्थित किये हुये संकल्प का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि सदन इसे एकमत से स्वीकार करेगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मैं माननीय मुख्य मन्त्री द्वारा प्रस्तावित संकल्प में निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं—

प्रथम पंक्ति मे जो शब्द "अश्वेत" है वह हटा दिया जाय और चौथी पंक्ति मे शब्द "उसमे" [illegible] दिया जाय तथा अन्तिम पंक्ति मे "वह अपने प्रदेश मे" और "कर दे" शब्दों को हटा कर अन्त मे यह जोड़ दिया जाय —

करने के हेतु वे सभी संभव व शीघ्र कार्यवाही करें"।

अन्त मे इसका रूप यह होगा। "और दक्षिणी अफ्रीका की सरकार द्वारा रंगभेद नीति तथा इस संबन्ध मे संयुक्त राष्ट्र संघ की अवहेलना को विश्व शान्ति के लिये भयावह समझते हुए आग्रह करते हैं कि श्वेत अश्वेत के अन्तर को समाप्त करने के हेतु वे सभी संभव व शीघ्र कार्यवाही करें।"

श्रीमन्, मै सर्वप्रथम आपके द्वारा माननीय मुख्य मन्त्री को इस बात के लिये बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जो इस प्रदेश की जनता की इन भावना को, जो कि दक्षिण अफ्रीका के निवासियों के सत्याग्रह के सम्बन्ध मे करने की यहां पर चेष्टा की और यह संकल्प यहां पर प्रस्तुत किया, सदन के बाहर हम लोगो ने, सभी राजनीतिक दलों के सदस्यो ने दक्षिण अफ्रीका के दिवस के अवसर पर इस प्रकार की भावनाओं को व्यक्त किया था जो कि आज इस संकल्प मे समाविष्ट हैं।

जहां तक संशोधनों का प्रश्न है और विशेषरूप से जहां तक हमारे विरोधी दल के नेता के संशोधन का सम्बन्ध है, मैं इस सम्मानित सदन के सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि हमारे संशोधन को वस्तुस्थिति के अनुसार देखा जाय। यहां पर हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने इस बात का भ्रम प्रगट किया कि अगर हम कामन वेल्थ से सम्बन्ध-विच्छेद करने की बात कहते हैं और ब्रिटेन तथा आस्ट्रेलिया की निन्दा करते हैं, उनकी रंग भेद की नीति के बारे मे विचार प्रगट किये तो इसके यह अर्थ नहीं हैं कि हमने अपनी सत्याग्रह की नीति को छोड़ दिया या महात्मा गांधी के सिद्धांत वाली बात को छोड़ दिया। हमारा सम्बन्ध विच्छेद करना ही एक प्रकार का आग्रह है। क्या हम भूल गये कि इस प्रकार का निश्चय करने मे आज से ढाई साल पहले हमारी केन्द्रीय सरकार ने यह निश्चय किया था कि हम साउथ अफ्रीका से सम्बन्ध विच्छेद कर लें। जहां तक सम्बन्ध विच्छेद का प्रश्न है, हमारा आज हाई कमिश्नर दक्षिणी अफ्रीका मे नहीं है, वह वहां से वापस बुलाया जा चुका है। माननीय विरोधी दल के नेता ने जो संशोधन रखा है वह दूसरा कदम है कि हम कामन वेल्थ से अपना सम्बन्ध विच्छेद करें और यू० एन० ओ० से सम्बन्ध विच्छेद करना तीसरा कदम है। माननीय शिव नाथ काटजू ने कहा कि हम यू० एन० ओ० से क्यों न वापस चले आये, तो हम तो कहते है कि यह हमारा अन्तिम कदम होना चाहिए कि हम यू० एन० ओ० से सम्बन्ध-विच्छेद कर ले। श्रीमन्, मैं तो यह समझता हूं कि हमारा जो प्रथम कर्त्तव्य था, जो आग्रह, और जो हमारा विरोधाभास था वह दक्षिणी अफ्रीका से सम्बन्ध-विच्छेद करने पर प्रकट हुआ।

दूसरा कदम कामन वेल्थ से सम्बन्ध-विच्छेद करने से प्रकट होना चाहिए और तीसरा जो अन्तिम कदम है, जो आग्रह के रूप मे हो सकता है और विरोधाभास को एक सत्याभास के रूप मे प्रगट करने से हो सकता है, वह यू० एन० ओ० से अपने प्रतिनिधि को वापस लेने में हो सकता है। तो जहां तक हमारी इस व्यवस्था का प्रश्न है, इस सत्याग्रह का प्रश्न है, हमारा यह स्टेप किसी माने मे, किसी अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से और किसी दृष्टि कोण से भी भी अव्यवस्थित नहीं कहा जा सकता। आखिर यह कामन वेल्थ इस रंगभेद की नीति को स्पष्ट करने के लिये या कामन वेल्थ की नीति इस बारे मे क्या है उसको बतलाने का प्रयास क्यों नहीं करती? अगर वास्तव मे वह वही कामन वेल्थ है जिसकी लन्दन कांफ्रेन्स मे व्याख्या की गयी तो क्या हम उस कामन वेल्थ से यह आशा न करें कि वह कामन वेल्थ साउथ अफ्रीका के मामले मे और रंगभेद की नीति में अपना एक दृष्टिकोण रखें, भले ही दक्षिणी अफ्रीका के एक सदस्य की, जो उसके सदस्य है, उनकी कोई आपत्ति क्यों न हो, कम से कम कामनवेल्थ को इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पर, जिसमे भारत, पाकिस्तान, अफ्रीका, आस्ट्रेलिया इत्यादि सम्बद्ध हैं, अपनी राय स्पष्ट करनी

[श्री [illegible] बिहारी]

[illegible] ब्रिटेन की सरकार, [illegible] से [illegible] वह अपना [illegible] स्पष्ट क्यों नहीं करती ? इस अस्पष्टता को लाने के लिये [illegible] है कि हम इस बात की सिफारिश अवश्य स्वीकार करें और इस बात का प्रयास [illegible] [illegible] में अपनी स्पष्ट राय को दें।

माननीय [illegible] की आपत्ति [illegible] कि [illegible] वैदेशिक नीति [illegible] हो गया, हम [illegible] की आलोचना नहीं कर सकते, स्कोप को नहीं बढ़ा सकते। पर हम तो श्रीमन् [illegible] कर चुके हैं, जब हम इस प्रस्ताव में कहते हैं कि "संयुक्त राष्ट्र संघ की अवहेलना को [illegible] समझते हुए उससे आग्रह करती है" [illegible] यहां पर यू० एन० ओ० की पालिसी तक की आलोचना हो जाती है। मैं समझता हूं कि कामनवेल्थ तो थोड़े से मुल्कों का संगठन है [illegible] यू० एन० ओ० तो सारे मुल्कों का संगठन है। तो हम तो संयुक्त राष्ट्र संघ की भी आलोचना कर चुके हैं। अब यदि हम ब्रिटेन और आस्ट्रेलिया की भी आलोचना कर लेते हैं तो हम किसी तरह से इस स्कोप को आगे नहीं बढ़ाते और मैं समझता हूं कि यह किसी तरह से नहीं कहा जा सकता कि इस प्रकार से संशोधित संकल्प को स्वीकार करने से हम स्कोप के बाहर जाते हैं।

श्रीमन् जैसा कि हमारे मुख्य मन्त्री ने कहा कि दक्षिणी अफ्रीका में यह हो रहा है तो उसी प्रकार कीनियां की ओर हमारी दृष्टि जाती है। कीनियां में जब पार्लियामेंट के प्रतिनिधि हरनी ब्राउन और लेजली हेली वहां गये थे तो वहां पर जो हालत उन्होंने देखी कि किस प्रकार से मऊ मऊ की आतंकवादी प्रवृत्ति को दमन करने के बहाने के क्यू के जो [illegible] वहां का है उनको परेशान किया जा रहा है। यहां तक कि जानवरों और भेड़ों तक को [illegible] किया जा रहा है। यह सब आतंकवादी मनोवृत्तियों को कुचलने के नाम पर हो रहा है। कीनियां में जिमोकिनियां साहब की पैरवी करने के लिये दीवान चमन लाल जा रहे हैं। तो दक्षिणी अफ्रीका में जो मलानशाही प्रवृत्ति है वह केवल दक्षिणी अफ्रीका तक ही सीमित नहीं है। हम तो देखते हैं कि आज भी इंगलैंड के अन्दर आलिवर और चर्चिल सरकार की जो नीति है उससे तो यह स्पष्ट होता है कि रंगभेद की नीति में मलानशाही ही शामिल नहीं है, बल्कि आज चर्चिल सरकार का भी उतना ही अप्रत्यक्ष हाथ है। कीनियां में मऊमऊ के दबाने के नाम पर अश्वेत निवासियों पर कितना अत्याचार किया जा रहा है। तो कीनिया में ब्रिटेन कालोनिलिज्म का रूप जो हम देखते हैं और उसकी तुलना जब हम मलानशाही से करते हैं तो कीनिया में ब्रिटेन की नीति में और दक्षिण अफ्रीका में मलान सरकार की नीति में कोई विशेष भेद नहीं पाते हैं। इस कीनिया के उदाहरण को सामने रखते हुए मैं इस सदन के माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि वे इस सिफारिश को अवश्य स्वीकार करें।

मैंने अपने संशोधन में "अश्वेत" शब्द के हटाने की बात कही है। इसमें आप यह देखेंगे कि 'दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासी, प्रवासी भारतवासी तथा अन्य अश्वेत निवासियों' दिया हुआ है। इस तरह तीन प्रकार की श्रेणियां हम इसमें रख रहे हैं। यदि प्रस्ताव में यही रहता है कि 'दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासी, प्रवासी भारतवासी तथा अन्य निवासियों द्वारा' तो भी तीनों प्रकार की कैटेगरीज आ जाती है। इसके साथ-साथ जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि वहां डंकिन साहब खुद सत्याग्रह करना चाहते हैं और एक बड़ी तादाद में वहां के श्वेत निवासी सत्याग्रह में शामिल हो रहे हैं। इसलिये हम अपनी तरफ से यदि 'श्वेत' या "अश्वेत" की बात अपने संशोधन में रखें तो यह शोभा नहीं देता है और यदि हम अश्वेत शब्द को हटा देते हैं तो माननीय शुक्ल जी का संशोधन भी उसमें आ जाता है।

इसके साथ साथ जो हमारा अन्त वाला संशोधन है उसकी आवश्यकता इसलिये है कि हम दक्षिण अफ्रीका के सरकार से ही नहीं आग्रह कर लेते हैं बल्कि यू० एन० ओ० से भी आग्रह कर लेते हैं कि वह जल्दी कदम उठाये। इसमें एक ओर हम यू० एन० ओ० की आलोचना कर रहे हैं कि यू० एन० ओ० ने विश्व शान्ति के भय को न देखते हुए दक्षिण अफ्रीका के मामले में अवहेलना की है, तो जब हम यू० एन० ओ० की आलोचना कर सकते हैं तो उससे आग्रह भी कर सकते हैं। इस संशोधन के द्वारा हम पहिला आग्रह दक्षिण अफ्रीका की सरकार से कर रहे

हैं दूसरा आग्रह यू०एन० ओ० से करने जा रहे हैं कि यू० एन० ओ० और आगे अवहेलना रंगभेद की नीति के बारे में न करे बल्कि इस रंग भेद की नीति को समाप्त करने के लिये शीघ्र कार्यवाही करे। इस प्रकार हमारा आग्रह दोमुखी हो जाता है। मुझे आशा है कि माननीय मुख्य मन्त्री जी मेरे इस अश्वेत शब्द के हटाने के संशोधन को और संयुक्त राष्ट्र संघ से आग्रह करने के संशोधन को स्वीकार करेंगे और साथ ही माननीय विरोधी दल के नेता के संशोधन को भी स्वीकार करेंगे। विशेषरूप से जैसा कि मैंने कहा कि कीनियां में ब्रिटिश साम्राज्यवादी का जिस प्रकार तारतम्य चल रहा है उसका विरोध प्रगट करने के लिये या सिफारिश और संशोधन का स्वीकार होना आवश्यक है।

श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी (जिला लखनऊ)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव हमारे नेता माननीय मुख्य मन्त्री जी ने इस भवन के सम्मुख उपस्थित किया है मैं उसका हृदय से समर्थन करता हूं और समर्थन करते हुये यह कहना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव के पीछे केवल इस सदन के सदस्यों की ही भावना नहीं है बल्कि इस प्रदेश के समस्त निवासियों की भावना इस प्रस्ताव के अन्दर मौजूद है। केवल इस प्रदेश के निवासियों की ही नहीं बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि इस प्रस्ताव में माननीय मुख्य मन्त्री ने समस्त भारतवर्ष की भावना व्यक्त की है। प्रत्येक निवासी चाहे वह किसी जाति का हो, चाहे वह किसी भाग का निवासी हो और चाहे वह किसी राजनीतिक विचार का हो आज इस प्रस्ताव के साथ है और भारतवर्ष के नर नारी, भारतवर्ष के नवयुवक और भारतवर्ष के सभी निवासी आज अपनी सहानुभूति दक्षिण अफ्रीका के उन भारतीय निवासियों के साथ प्रकट कर रहे हैं जो कि सत्याग्रह के अस्त्र को उठाकर श्वेत और अश्वेत के भेदभाव को मिटा कर संसार के अन्दर समानता का व्यवहार लाना चाहते हैं।

मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि माननीय अध्यक्ष महोदय, कि इस प्रस्ताव के अन्दर यह तो बात मौजूद है ही कि समस्त देश की भावना इसमें मौजूद है परन्तु प्रस्ताव के अन्दर यह कहा गया है कि हम प्रसंशा करते हैं इस भेदभाव के नीति के विपरीत, जो सत्याग्रह दक्षिणी अफ्रीका में चल रहा है, उसकी। प्रस्ताव में शब्द "प्रसंशा" लाया गया है। प्रसंशा हम क्यों करते हैं ? प्रसंशा हम इसलिये करते हैं कि आज दक्षिणी अफ्रीका निवासी भारतीय शान्तिमय उपायों और अहिंसा का अस्त्र उठाकर यह जो अत्याचार और अन्याय, जो भेदभाव की भावना है उसको हमेशा के लिये दक्षिण अफ्रीका में खत्म कर देना चाहते हैं और संसार में यह लाना चाहते हैं कि वे सभी निवासी चाहे जहां के भी निवासी हों एक समान हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं रखा जा सकता है और किसी को ऊंच नीच नहीं समझ सकते और कोई भी इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं कर सकता जैसा कि दुर्व्यवहार भारतीयों के साथ दक्षिण अफ्रीका में आज किया जा रहा है।

हम जानते हैं कि ४०-४५ वर्ष पूर्व यह अहिंसा का अस्त्र दक्षिण अफ्रीका में उठाया गया था, हमारे पूज्य नेता महात्मा गांधी ने दक्षिणी अफ्रीका में इस अस्त्र को उठाया था और आज उसी रास्ते के ऊपर चल कर वहां जो भारतीय निवासी रह रहे हैं वे आज फिर उसी अस्त्र को उठा कर तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं और हमेशा के लिये इस अन्याय का दमन करना चाहते हैं, इस नीति को मिटाना चाहते हैं और हमेशा के लिये समानता की भावना लाना चाहते हैं। इसीलिये प्रस्ताव में सराहना की गयी है कि जो संकल्प उन्होंने किया है वह सराहनीय और प्रशंसनीय है। दूसरा शब्द जो इस प्रस्ताव में प्रयोग किया गया है वह यह है कि हम उनके साथ सहानुभूति करते हैं। "सहानुभूति" का शब्द इस लिये है कि जो श्वेत और अश्वेत का दुर्व्यवहार है उसके साथ में हमारी सहानुभुति है और जो सत्याग्रह इस अन्याय और अत्याचार के विपरीत चल रहा है उसके प्रति हमारी सहानुभूति है। हम जानते हैं कि किस तरीके से वहां लोग दबाये जा रहे हैं, हम यह जानते हैं कि किस तरीके से उनको जेलों में कष्ट दिया जा रहा है, हम जानते हैं कि किस तरीके से गोलियां और तमंचे उठ रहे हैं, हम यह जानते हैं कि किस तरीके से सत्याग्रहियों के साथ, जो शान्तिमय उपाय द्वारा समानता का व्यवहार संसार में लाना चाहते हैं, दुर्व्यवहार साउथ अफ्रीका में हो रहा है। मलान सरकार ने शायद यह सोचा होगा कि हम भारतीयों की इस भावना को कुचल देंगे। परन्तु वह यह नहीं जानती कि जितना ही सत्याग्रहियों के प्रति दुर्व्यवहार किया जाता है और जितना ही दमन नीति का पालन

[श्री हरिश्चन्द्र बाजपेयी]

किया जाता है उतनी ही तेजी के साथ यह युद्ध आगे बढ़ता है। इस लिये इस प्रस्ताव में दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रहियों के प्रति सहानुभूति प्रगट की गई है।

श्रीमन्, यदि मैं इस प्रस्ताव को लिखता, तो जब इस तरीके से दमन नीति जारी है, जब इस तरीके से श्वेत और अश्वेत के भेदभाव बढ़ाने की भावना जारी है तब मैं भारत सरकार से प्रार्थना करता कि दक्षिणी अफ्रीका की सरकार के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दे। इस युद्ध की घोषणा से हमारा तात्पर्य यह नहीं है कि यह युद्ध कोई अस्त्र शस्त्रों द्वारा हो, कोई बन्दूक चले, तलवारें चलें, तोप चले या बमबाजी हो बल्कि हमारा मतलब यह है कि भारत सरकार दक्षिणी अफ्रीका की सरकार के विरुद्ध एक शान्तिमय युद्ध की घोषणा कर दे। यदि यह घोषणा कर दी जाय तो मेरा ख्याल है कि यहां के नर और नारी लाखों और करोड़ों की संख्या में इस युद्ध को जारी करने के लिये तथा अपने भाइयों की सहायता करने के लिये तत्पर हो जायेंगे। भारतवर्ष के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक एक लहर दौड़ेगी और तेजी आयेगी और जनता तैयार हो जायगी कि दक्षिणी अफ्रीका की सरकार की दुर्नीति पर विजय प्राप्त करे।

मेरी तो यह इच्छा है, यह भावना है जबकि संसार के अन्य देश हिंसा का युद्ध जारी करके विजय प्राप्त करते हैं तब हमारा भारतवर्ष, महात्मा गांधी का यह देश संसार के समस्त देशों को दिखा दे कि हिन्दुस्तान अहिंसा का युद्ध करके अपने भाइयों के अधिकारों को प्राप्त करता है और संसार में समानता लाने में सफल होता है। भारतवर्ष की सरकार इस तरह के युद्ध की घोषणा कर दे तो वह एक बड़े हर्ष की बात होगी। दुनिया जानेगी और संसार जानेगा कि संसार के अंदर एक भारतवर्ष ही ऐसा है जो अस्त्र शस्त्रों से अपने अधिकारों को प्राप्त नहीं करना चाहता है बल्कि महात्मा गांधी जी द्वारा बतलाये हुये अहिन्सा के युद्ध से अपने भाइयों के उचित अधिकारों को प्राप्त करना चाहता है। यदि ऐसी बात इस प्रस्ताव में रखी गई होती तो मुझे बड़ा हर्ष होता।

मैं इस प्रस्ताव की इस हालत में भी सराहना करता हूं और इसका समर्थन करता हूं क्योंकि सम्भव है इस प्रस्ताव के इस प्रदेश से जाने के बाद दक्षिणी अफ्रीका की मलान सरकार यह जान ले कि समस्त भारतवर्ष का हृदय दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह के साथ है। लेकिन मैं कहूंगा कि संबंध विच्छेद तो हो चुका है और अब समय आया है जब युद्ध की शीघ्र ही घोषणा की जाय और वह घोषणा एक शान्तिमय युद्ध की हो। हम चाहते हैं कि आज दुनिया का प्रत्येक निवासी देखे कि किस तरह से शान्तिमय युद्ध किया जाता है और अपने अधिकार प्राप्त किये जाते हैं। इस तरह के युद्ध से हमारा अभिप्राय यह कभी भी नहीं है कि हम दक्षिणी अफ्रीका पर कब्जा कर लें बल्कि हम केवल समानता के अधिकार प्राप्त करने और मलान सरकार के अन्याय को मिटाने के लिये अहिंसात्मक युद्ध जारी किए। यह युद्ध जारी किए जाने का मैं पक्षपाती हूं। इस प्रस्ताव के अंतिम अंश में यह कहा गया है कि हम प्रार्थना करते हैं, आग्रह करते हैं दक्षिणी अफ्रीका की सरकार से कि वह अपनी इस भेदभाव की नीति को तुरन्त वापस ले ले और जो सत्याग्रहियों का उद्देश्य है उसको स्वीकार कर ले। इस तरीके से आग्रह किया गया है। हमारा आग्रह जारी है। दक्षिणी अफ्रीका के भारतीयों का आग्रह जारी ही है। अगर हमारा आग्रह होता रहे तो अच्छी बात है। मैं उसका भी पूर्णतया समर्थन करता हूं। हमारा यह आग्रह जारी है और मैं यह कह देना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव के साथ अब भी यदि मलान सरकार होश में नहीं आ जाती, अपनी नीति को दुरुस्त नहीं करती, अब भी यदि अपनी नीति में परिवर्तन नहीं करती और यदि भेदभाव की नीति को जारी रखती है तो समस्त भारतवर्ष अपनी आवाज उठाकर एक साथ दक्षिणी अफ्रीका के इस शान्तिमय संग्राम के अन्दर साथ देने के लिये तत्पर रहेगा। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष--मेरे पास दो संशोधन बाकी हैं। एक उमाशंकर जी का है और दूसरा झारखंडेराय जी का। झारखंडे राय जी का जो संशोधन है उसका अर्थ राजनारायण जी

के संशोधन में आ जाता है और जिन शब्दों में उन्होंने संशोधन पेश किया है उससे वह मिलान नहीं खाता क्योंकि वह भाषा ठीक नहीं बनती। इसलिये मैं उनको इजाजत नहीं दूंगा। लेकिन वह राज नारायण जी के संशोधन का समर्थन कर सकते हैं या उसके संबंध में अपने विचार प्रकट कर सकते हैं।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से मूल प्रस्ताव में संशोधन पेश कर रहा हूं।

तीसरी पंक्ति में "रंगभेद नीति तथा" के आगे "सत्याग्रहियों पर जघन्य अत्याचार करने का दोषी ठहरा कर उसकी निन्दा करती है" और चौथी पंक्ति में "संयुक्त राष्ट्र संघ की" के आगे "उदासीनता" शब्द और पांचवीं पंक्ति में "अपने प्रदेश" के स्थान पर "राष्ट्र मंडल के प्रदेशों". जोड़ दिया जाय और पांचवीं पंक्ति के अन्त का "है" निकाल कर उसके स्थान पर "ने को अपने जीवन मरण का प्रश्न बनावे" बढ़ा दिया जाय।

इस तरह मूल प्रस्ताव को पढ़कर, जो संशोधित होगा, सुनाये देता हूं--

"उत्तर प्रदेशीय विधान सभा दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासी, प्रवासी भारतवासी तथा अन्य अश्वेत निवासियों द्वारा मानवोचित अधिकारों को प्राप्त करने के लिये शान्तिमय सत्याग्रह के प्रति प्रशंसा तथा सहानुभूति प्रकट करती है और दक्षिण अफ्रीका की सरकार द्वारा रंगभेद नीति तथा सत्याग्रहियों पर जघन्य अत्याचार करने का दोषी ठहरा कर उसकी निन्दा करती है और उस संबंध में संयुक्तराष्ट्र संघ की उदासीनता को विश्व-शान्ति के लिये भयावह समझते हुए उससे आग्रह करती है कि वह राष्ट्र मंडल के प्रदेशों से श्वेत अश्वेत के अन्तर को समाप्त करने को अपने जीवन मरण का प्रश्न बनावे।"

श्रीमान् जी, मूल प्रस्ताव के संबंध में मुख्य मंत्री जी ने जो भाषण दिया है, मेरा संशोधन अगर मान लिया जाता है तो संशोधित (संकल्प) मुख्य मंत्री जी के भाषण के अनुरूप हो जायगा। इसलिये मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हमारे संशोधन को माननीय मुख्य मंत्री जी अवश्य मानेंगे। दूसरे सदन के जो सदस्य बोले हैं, उनके भाषण सुनने पर भी यह मालूम हुआ है कि इस सदन का मलान सरकार के प्रति काफ़ी रोष है, लेकिन जो मूल प्रस्ताव है उसकी भाषा बहुत बूढ़ी है, जो माननीय मुख्य मंत्री जी की ही उम्र की है और अगर माननीय मुख्य मंत्री जी मेरे संशोधन को मान लेते हैं तो उसमें इस सदन के थोड़े नवजवानों के भी शब्द आ जाते हैं और मलान सरकार को एक चेतावनी मिल जाती है। आप गौर करेंगे तो मालूम होगा कि दुनिया में आज कल जो कुछ हो रहा है वह तथा कथित मानवता की रक्षा के लिये, रूस ने आज दुनिया भर में अपनी एजेन्सी क़ायम कर रक्खी है, इसलिये कि हम मानवता की रक्षा कर रहे हैं। और उसने दुनिया के बड़े भारी भूभाग पर क़ब्जा कर रक्खा है और अपनी खास क़िस्म की साम्राज्यवादी मनोवृत्ति का प्रचार नाम बदल कर कर रहा है और वहां का शासक वर्ग मौज उड़ा रहा है।

दूसरी ओर इंगलैंड और अमेरिका है, जो दूसरे भूभाग खाली पड़े हैं उनको हड़पे हुए हैं। हमारा प्रयत्न होगा कि दुनिया के आदमी जो घनी आबादी में बसे हुए हैं, उनके लिये दरवाजा खुले, वे आस्ट्रेलिया, अफ्रीका, रूस के मैदानों में निर्द्वन्द्व रह सकें। उन पर मानव जाति की रक्षा के नाम पर जो जुल्म हो रहा है, वह बंद हो। आप देखेंगे कि रूस के शासक कितने बड़े भूभाग पर क़ब्जा किये हुये हैं। आबादी के हिसाब से वहां पर एक मील में ५० आदमी बसते हैं, इंगलैंड और अमेरिका के लोग जिस दुनियां के बहुत बड़े भाग पर क़ब्जा किये हुये हैं उनकी आबादी तो और कम है। देशों में अगर कुछ बाहर से आदमी चले जाते हैं तो वहां पर उनके साथ जुल्म अत्याचार किया जाता है। हमारी आबादी को आप देखें तो यहां पर एक वर्ग मील में ३०० आदमी हैं, जब कि रूस में ५० और आस्ट्रेलिया में ११ आदमी प्रतिवर्ग मील में हैं। वहां पर जो अन्याय हो रहा है वह जिस दिन हिन्दुस्तान के लोग विचार करेंगे उसी दिन दूर हो जायगा, लेकिन अभी तक हिन्दुस्तान ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई थी। हमारा उत्तर प्रदेश हमारे मुल्क में अगुआ रहा है और इस प्रस्ताव को उपस्थित करके उसने फिर अगुआई ले ली, इस लिये मैं माननीय

[श्री उमाशंकर]

मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई है। दुनियां में हिन्दुस्तानियों तथा अन्य पिछड़े हुये लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, यह खत्म होगा तथा मानवता के नाम पर जो अन्याय हो रहा है, उसका जल्दी ही परदाफाश होगा। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह इस संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)--आपकी अनुमति से मैं माननीय मुख्य मंत्री को उनके इस बहुत ही सुन्दर और संयत प्रस्ताव के लिये बधाई देना चाहता हूं। मुझको सदन में इस निर्दोष प्रस्ताव पर जो विवाद सुनने को मिला उससे मुझे कुछ ऐसा लगा कि इस प्रस्ताव की मर्यादा के अनुकूल तो यह होता कि हम बिना किसी संशोधन के और बिना किसी विवाद के इसको स्वीकार कर लेते, किन्तु कुछ माननीय मित्रों को इस संबंध में गलत-फहमी भी है।

वास्तव में स्थिति क्या है? दक्षिण अफ्रिका का जो संघ है उसमे संघ मे जो ४ प्रदेश हैं उनमें ट्रान्सवाल, आरेंज फ्री स्टेट, केपटाउन और एक और है। इन चार प्रदेशों को मिलाकर उसकी आबादी आज १ करोड़ १२ लाख है। उस १ करोड़ १२ लाख की आबादी में जो श्वेत और अश्वेत का प्रश्न माननीय नारायण दत्त जी ने उठाया है उसका हल भी निकलता है। उस १ करोड़ १२ लाख की आबादी मे करीब २३ लाख ७५ हजार यूरोपियन हैं और वहां बहुत से जो यूरोपियन, हिन्दुस्तानी और कुछ दूसरे लोग हैं इनसे पैदा हुये लोग हैं जो जारज हैं। इसलिये वे पारिभाषिक शब्दों "कलरड" लोग कहे जाते हैं। जिनकी संख्या ९ लाख ५५ हजार के क़रीब है। इसके अतिरिक्त वहां के आदिम निवासी ७७ लाख ३५ हजार हैं। भारतीयों की संख्या २ लाख ८२ हजार है। इस प्रकार से कुल मिलाकर १ करोड़ ८२ लाख होते हैं। यह संख्या इन चार प्रदेशों की है। श्रीमन्, हम यह दावा जो करते हैं कि वहां पर इन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, उसका कुछ कारण भी है। आज इतने बड़े प्रदेश में केवल एक करोड़ एकड़ भूमि में खेती है जिसमें से भारतीयों ने क़रीब ५० लाख एकड़ ज़मीन पर खेती करायी है और वही पैदावार प्राप्त करते हैं। वहां की उन्नति का कारण वे ही हैं और आज यदि हम यह दावा कर दें कि भारतीयों के अधिकार छीने जा रहे हैं तो उसका भी यही कारण है।

माननीय राज नारायण जी की कामन वेल्थ की समस्या का इससे कोई सामंजस्य नहीं होता। हमने तो यहां तक किया कि दक्षिण अफ्रीका से अपना व्यापारिक सम्बन्ध छोड़ दिया और उन को यह भी मानना ही होगा कि ऐसा करने से भारत सरकार को हानि ही हुई है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने इसको कोई परवाह नहीं की। कामनवेल्थ को छोड़ देने की बात तो सभी देशों के साथ लागू हो सकती है। हमारे मित्रों को मालूम होना चाहिये कि इस समय कामन-वेल्थ का प्रधान इंगलैंड है और वहां भारतीयों के प्रति कैसा व्यवहार होता है। ३१ दिसम्बर, सन् १९५१ को इंगलैंड में भारतीयों की संख्या १ लाख ३७ हजार थी और इतनी बड़ी तादाद में आप को एक भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो किसी प्रकार की शिकायत वहां उनके साथ दुर्व्यवहार की करता हो।

आस्ट्रेलिया और कनाडा की नीति का भी ज़िक्र किया गया। मैं कहना चाहता हूं कि कनाडा में भी ऐसी कोई शिकायत नहीं है। यह दक्षिण अफ्रीका की भी जो शिकायत है वह केवल आर्थिक अधिकार की है और हम समझते हैं कि ७७ लाख आदिम निवासी, ३ लाख भारतीय और ९ लाख दूसरे वहां के ही निवासियों की यह समस्या है और किसी अन्य पर आघात करने वाली नहीं है और इसीलिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव किया है वह सब बातों को कवर कर लेता है और जिन दिशाओं के द्वारा अधिकारों का प्रतिपादन हो सकता है वह सब इससे कवर हो जाती हैं। कहा जाता है कि यू० एन० ओ० में कामनवेल्थ के देशों ने दुर्बलता की नीति को बरता है। यदि ऐसी बात है तो हमको भी उस पर विचार करने का अधिकार है। माननीय राज नारायण जी ने भूमि का जो औसत पेश किया है

उनका वह औसत बिलकुल गलत है। उन्होंने जो पौन एकड़ भूमि का औसत भारत के लिये बताया है वह केवल उस भूमि का है कि जिसमें खेती होती है, जिसमें खेती करने वालों का औसत पौन एकड़ पड़ता है। रूस की १९ करोड़ की आबादी है और वहां का क्षेत्रफल भारत से बहुत बड़ा है और वहां खेती का बिला लिहाज़ किए एक औसत रखा गया है। इसलिए रूस का औसत भी गलत है और ९ सौ आदमी की मील का जो औसत हमारे एक मित्र ने बताया है मैं उनसे निवेदन करूंगा कि संभव है कि उनके प्रस्ताव में कुछ जान हो लेकिन उनके बतलाये औसत में कोई जवानी नहीं है, क्योंकि वह तो दो तीन जिलों की गणना के हिसाब से निकाला गया था और बाकी बहुत से ज़िले हैं जहां दो सौ आदमी की मील का औसत भी नहीं आ सकता।

हमारे इस प्रस्ताव के साथ एक उसूल है वह आर्थिक, सामाजिक और सैद्धान्तिक है। आर्थिक यह कि हम वहां पर ५० लाख एकड़ भूमि के मालिक हैं, हमने जा कर उसको बोया है और इसीलिए हम वहां सामाजिक अधिकार चाहते हैं। सैद्धान्तिक अधिकार यह है कि श्वेत अश्वेत के भेद को हम वहां से हटाना चाहते हैं।

यदि यू० एन० ओ० ने कोई क़दम नहीं उठाया तो हम नैतिक बल से कुछ कर सकें तो करें वर्ना यह कहना कि कामनवेल्थ को छोड़ देने से कल्याण होगा, यह तो वैसी ही बात है कि "शापादपि, शरादपि" अर्थात् यदि आप से काम चल सके तो शर का प्रयोग क्यों किया जाय। इसलिए मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि वह इस प्रस्ताव को एक स्वर से और एक ही ढंग से स्वीकार करे और वह माननीय मुख्य मंत्री महोदय को अधिकार दे कि समूचे प्रदेश की इस आवाज़ को केन्द्रीय सरकार तक पहुंचा दें।

[इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १५ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (बाराबंकी) की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।]

श्री नौरंगलाल (जिला बरेली)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव माननीय मुख्य मंत्री जी ने हाउस के सामने उपस्थित किया है मैं उसका थोड़े से शब्दों में समर्थन करने के लिये आया हूं। प्रस्ताव के शब्द बिलकुल ठीक हैं। हमें मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिये कि उन्होंने हमें अपने विचार इस संबंध में प्रकट करने का अवसर इस प्रस्ताव को यहां लाकर दिया। जो संशोधन इस प्रस्ताव में आये उन्हें नहीं आना चाहिये था क्योंकि यह प्रस्ताव इस हाउस से बिलकुल एक मत होकर जाना चाहिये था। इसके एक मत से पास करके निकालने में ही हाउस की इज्ज़त और शान है।

एक बात यह है कि आजकल का ज़माना ऐसा है कि हर देश इस बात की कोशिश करता है कि वह अपने दुश्मन देशों को दुनिया के देशों से अलग कर दे जिससे कि उसकी आवाज में वह शक्ति न हो जो दूसरे देशों के साथ मिलकर हो सकती है। इस नीति को अंग्रेजी में पालिसी आफ आइसोलेशन कहते हैं। इसी पृथक्करण की नीति के अनुसार आज चीन को जो इतना बड़ा देश है, यू० एन० ओ० में शामिल नहीं होने दिया जा रहा है। इसलिये हमारे विरोधी पक्ष का संशोधन कि हम कामनवेल्थ से निकल जावें, उचित नहीं है। होना तो यह चाहिये था कि चूंकि अफ्रीका ने संघ की बात नहीं मानी इसलिये उसे कामन वेल्थ से निकाल देना चाहिये। उस देश ने ऐसा काम किया जो कोई सभ्य देश नहीं कर सकता। हम क्यों इस बात को मानें कि कामनवेल्थ में ब्रिटिश गवर्नमेंट का बोलबाला है, क्यों माने कि हम वहां कमज़ोर हैं और हमें वहां से निकल जाना चाहिये। कामनवेल्थ में पाकिस्तान, सिलोन, हिन्दोस्तान और ऐसे कई देश हैं जिनमें गोरे लोग नहीं बसते हैं। यह हमारे लिये कमजोरी की बात होगी यदि हम यह कहें कि हम वहां से निकल जावें। हमें चाहिये कि चूंकि साउथ अफ्रीका ने रंगभेद की नीति अपनाई है इसलिये उसे वहां से निकलवाने का प्रयत्न करें। इसलिये मैं विरोधी पक्ष की ओर से जो प्रस्ताव आया है उससे सहमत नहीं हूं। मैं यह मशविरा नहीं दे सकता कि हाउस उस प्रस्ताव को माने।

[श्री नौरंग लाल]

इसके अतिरिक्त दो तीन संशोधन और आपके सामने पेश हुए हैं और उनमें से कई बेगुनाह हैं और कुछ ऐसे हैं जिनमें कुछ शब्दों की फेर बदल कर दी गयी है। मिसाल के तौर पर पेश किया गया है कि जिन सफेद लोगों ने इस सत्याग्रह में सहायता दी है उन लोगों के प्रति भी हमारी सहानुभूति है और हम उन लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। अगर इस प्रस्ताव को मान लिया जाता है तो खुफिया तरीक़े से हम रंगभेद को मान लेते हैं जिसके विरुद्ध कि हम संघर्ष ही करने जा रहे हैं। रंगभेद की दृष्टि से हमें कोई भी काम नहीं करना है। हमें कोई भी सह... करना है उन सब के साथ हमारी सहानुभूति है, चाहे वह श्वेत हो या श्याम। अतः अगर हम इस आधार पर अपना प्रस्ताव पास करते हैं तो उसमें गलती हो जायगी। इसलिये जो प्रस्ताव शुक्ल जी ने रखा है अगर हम उसको मान लेते हैं तो हमारा आधार ही समाप्त हो जाता है।

इसी तरीक़े से और भी संशोधन हमारे सामने हैं। उनमें एक संशोधन यह है जो देखने में तो बहुत ही अच्छा मालूम होता है, वह यह है कि हम साउथ अफ्रीका के सामने क्यों जायें हमें तो यू० एन० ओ० के सामने जाना चाहिये, और मुल्कों के पास जाना चाहिये। मैं अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूं हमारे सामने केवल दो ही रास्ते हैं। एक रास्ता तो तलवार का है। अगर हम में ताक़त है तो हमें अवश्य ही अपने अपमान का बदला तलवार से लेना चाहिये। तलवार का मतलब यह है कि हम या तो अपने दुश्मन को मार दें या मर जायें। यह एक रास्ता है और दूसरा रास्ता महात्मा गांधी का है। उसका आधार क्या है? उसका आधार केवल यह है कि दुश्मन के साथ में ऐसा व्यवहार करो कि वह तुम्हारा मित्र बन जाय, जब हम इस आधार पर चलते हैं और महात्मा गांधी को अपना गुरु मानते हैं तो फिर आप कैसे कहते हैं कि हम साउथ अफ्रीका के पास नहीं जायेंगे। अगर आप इस भावना के साथ काम करेंगे तो आपका मक़सद कैसे पूरा हो सकता है। आप किसी से दुश्मनों जैसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं। सत्याग्रह की नीति का तो यही नतीजा है कि जो जुल्म करता है वह आपके सामने आकर माथा टेकता है। इसलिये अगर आप साउथ अफ्रीका से आग्रह नहीं करते तो आप महात्मा गांधी के रास्ते से दूर जाते हैं। इसलिये हमें साउथ अफ्रीका से ही आग्रह करना है और किसी से कुछ कहना नहीं है। अब साउथ अफ्रीका में चाहे मलान हों चाहे कोई और हो। आज अगर वे हिन्दोस्तानियों को वहां से निकाल देने की कोशिश कर रहे हैं, हिन्दोस्तानियों पर जुल्म कर रहे हैं लेकिन कल वे ही हिन्दोस्तानियों की इज्जत करेंगे, हिन्दोस्तानियों से हाथ मिलायेंगे और कहेंगे कि हिन्दोस्तानी हमारे दोस्त हैं, हम दोनों एक ही साउथ अफ्रीका देश के रहने वाले हैं और साथी हैं।

अगर यह संशोधन मान लिया जायगा कि हम साउथ अफ्रीका के पास आग्रह के लिये न जायं तो इस रिज्योल्यूशन का असली उद्देश्य ही खतम हो जायगा और इस तरह से हम महात्मा गांधी जी के उसूलों के खिलाफ जाकर, जो रिज्योल्यूशन कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने रखा है उसको नष्ट कर देंगे। इसलिये अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मेरा निवेदन इस हाउस से यह है कि वह इस संशोधन को पास न करे। इसी तरह से जो तीन चार संशोधन रखे गये हैं उनमें से किसी को भी पास न किया जाय यह रिज्योल्यूशन जो आपके सामने आया है वह निहायत प्रशंसनीय है और जो संशोधन आपके सामने रखे गये हैं उनका मैं विरोध करता हूं तथा मूल संकल्प, जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने आपके सामने रखा है, उसका जोरदार समर्थन करता हूं।

हमारी जो नीति है वह यह है कि साउथ अफ्रीका से रंगभेद की चीज दूर हो लेकिन उसके साथ ही हमको अपने अछूत भाइयों की तरफ भी ध्यान देना चाहिये। यह हमारे पुराने पापों का ही नतीजा है कि हम इस चीज को आज भुगत रहे हैं। हमें अपने देश से छुआछूत के भेद को दूर करना चाहिये जिससे मलान को या किसी दूसरे को यह कहने का मौका नहीं मिले कि पहले तुम अपने देश से छुआछूत के भेद को दूर करो फिर दूसरे के लिये कहना। बिना अपने यहां से इस चीज को

दूर किये हुए दूसरे से ऐसा कहने का तुम्हें क्या हक है। अस्तु, मेरा निवेदन इस हाउस से यही है कि हमें इन अछूत भाइयों के साथ इस तरह का व्यवहार करना चाहिये जिसमें दूसरों को कुछ कहने का मौका न मिले। हिन्दुस्तान ने सत्याग्रह के जरिये निहत्थे आजादी प्राप्त की उसी तरह से आप दुबारा फिर सत्याग्रह के जरिये निहत्थे दुनियां को यह दिखला दें कि इस प्रकार से रंग का भेदभाव भी दूर किया जा सकता है। इन शब्दों के साथ जो संकल्प माननीय मुख्य मंत्री जी ने पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा (जिला गोंडा)—माननीय ऐक्टिंग प्रेसीडेंट महोदय, मैं अपने माननीय मुख्य मंत्री जी के संकल्प का समर्थन करने के लिये यहां उपस्थित हुआ हूं। मैं यह न कहूंगा कि यह बिलकुल निर्दोष है, परन्तु यह कहूंगा कि यह बहुत ही शुभ संकल्प है। मुझे बड़ा हर्ष हुआ कि आखिर यह संकल्प इस सदन के सम्मुख उपस्थित किया गया। मैं तो बहुत दिनों से इस चीज को चाहता था। उदाहरण के लिये मैं आपसे कहता हूं कि संवत् २००६ में हरद्वार के कुम्भ मेले में मैंने एक वेद-मंत्र की व्याख्या करा कर जिसकी व्याख्या १६ सफे में है और जिसकी प्रतिलिपि मेरे पास मौजूद है, बंटवाया था। वह वेद मंत्र यह है—

"ओइम् तन्तुं तन्वन् रजसो भानुमन्विहि
ज्योतिष्मतः पथो रक्ष धिया कृतान्।
अनुल्बणं वयत जोगुवामपो
मनुर्भव जनया दैव्यं जनम्॥

संसार का ताना बाना बुनते हुए यानी गृहस्थाश्रम में रहते हुए बुद्धिमानों ने जो रास्ता बनाया है उस पर चले और उस रास्ते पर जो कर्म प्रकार बुद्धि से बनाया गया है और उलझन रहित है, चलते हुए मनुष्य बनो और देवताओं की सी सन्तान उत्पन्न करो। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी के हृदय में परमात्मा ने यह संकल्प उत्पन्न किया और उन्होंने उसे इस सदन के सामने उपस्थित किया और जो संशोधन पेश किये गये हैं उनके ऊपर कुछ न कह कर मैं यों ही छोड़ देता हूं। हमारी संस्कृति और सभ्यता एक अरब ६७ करोड़ वर्ष के पूर्व तक की मिली है कि हम हमेशा से केवल अपने घर, अपने परिवार और अपने देश के लिये ही नहीं बल्कि किसी भी मनुष्यमात्र की वृद्धि चाहते हैं।

इसी तरह से हमारे दूसरे ग्रन्थों में भी देख लीजिये। दुर्गा सप्तशती में भी यह आया है

"या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः
पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः।
श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा,
तां त्वां नताःस्म परिपालय देवि विश्वम्॥"

हे देवी! मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि समस्त जगत का पालन करो। तो हमारी तो यह सभ्यता और संस्कृति रही है। हमको तो यह देख कर बड़ा कष्ट होता है जब हम कहते हैं कि हम क्लासलेस सोसाइटी बनाना चाहते हैं, तो यह असम्भव सी बात है, क्योंकि कोई सोसाइटी होगी उसमें प्रधान मंत्री भी होगा और उनका अर्दली भी होगा। अगर हमारे यहां वे आयें तो दोनों को हम वैसे ही माला पहनाएं, एक ही तरह से स्वागत करें तो यह तो शायद सम्भव नहीं है। परन्तु यह सम्भव होगा कि हम व्यवहार सब के साथ समानता का करें। तो हमको यह देखकर कष्ट होता है कि जातीयता और प्रान्तीयता बहुत ज्यादा जागृत है। वह हमारी स्वतन्त्रता के बाद नष्ट हो जानी चाहिए। वह और प्रफुल्लित है यहां तक कि विद्यालयों में भी उसका कुछ अंश विद्यमान है। यह हमारी सभ्यता और संस्कृति रही है कि हमने सदैव मानवता की सेवा की है।

[श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा]

मैंने आपके सम्मुख जो प्रस्ताव महामान्य राज्यपाल के संबोधन पर किया था, चरित्र निर्माण के लिए, उस रोज तो यहां कुछ लोगों को बड़ी हंसी आयी थी। परन्तु जो चीज मैंने यहां २२ मई को रखी थी वही बात १६ नवम्बर को हमारे माननीय राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद ने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में कही थी कि लड़कों का चरित्र–निर्माण होना चाहिये और धार्मिक शिक्षा पर होना चाहिए। वही चीज हमारे डा० राधाकृष्णन ने जब वह इंग्लैन्ड से लौटे तो बम्बई में कही कि चरित्र–निर्माण की अत्यन्त आवश्यकता है। तो मैं तो यह समझता हूं कि चरित्र–निर्माण और नैतिक–उत्थान पर ही हमारे देश का भविष्य निर्भर है।

इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)–– अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव इस भवन के सम्मुख प्रस्तुत किया है मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। प्रस्ताव पर बोलते समय माननीय मुख्य मंत्री जी ने काफी विस्तार के साथ जो दक्षिणी अफ्रीका की स्थिति है और जो वहां के हालात हैं और उस समस्या को सुलझाने के लिए हमारी भारत सरकार ने जो जो कदम अब तक उठाए हैं उस पर काफी प्रकाश डाला है। मैं समझता हूं कि शायद ही इस देश में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिस को कि महत्वपूर्ण प्रस्ताव का जो मूल उद्देश्य है और जिस भावना से प्रेरित होकर इस प्रस्ताव को इस भवन के सामने लाया गया है उससे उसका विरोध हो। इसीलिए मेरा यह विचार था कि यह प्रस्ताव यह भवन सर्वसम्मति से पास करेगा, परन्तु मुझे खेद है कि ऐसा नहीं हो सका। इस प्रस्ताव के ऊपर सब से महत्वपूर्ण संशोधन विरोधी दल के नेता जी ने पेश किया है और यदि मैं कह सकता हूं तो संशोधन तो पेश हुआ लेकिन उस संशोधन का मूल प्रस्ताव से कोई तुक नहीं बंधता। इसीलिए यदि उसको बेतुका कहा जाय तो मैं समझता हूं कि ज्यादा गैर मुनासिब बात नहीं होगी। लेकिन इस संशोधन पर कोई विशेष आश्चर्य भी मुझ को नहीं हुआ क्योंकि पिछले पांच छः महीने से जो इस भवन में मैं बैठा हूं मैंने विरोधी दल के नेता जी को समझने की चेष्टा की है। उनका शायद ऐसा विचार है कि अगर वह ट्रेजरी बैंचों की तरफ से जो कोई भी प्रस्ताव पेश हो अगर उसमें थोड़ा बहुत विरोध न करें तो उनका अस्तित्व ही मिट जाता है। तो यदि इस विचार धारा को लेकर अस्तित्व को कायम रखने के लिये विरोध करना लाजिमी है और इसलिये एक ऐसा संशोधन पेश करना ही था तब तो मुझे इसके लिये कुछ कहना नहीं है। साथ ही साथ कोई नई चीज नहीं है। जब से कामनवेल्थ की सदस्यता भारतवर्ष ने स्वीकार की तब से ही समाजवादी पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं उन्होंने इस बात को ठीक नहीं समझा है। उन्होंने हमेशा कहा कि कामनवेल्थ के अन्दर शामिल होना भारतवर्ष के लिये अपमान की बात है। तो उसी अपमान की बात को लेकर विरोधी दल के नेता ने इस अवसर का फायदा उठाते हुये यह सोचा कि इस बहाने उनको भारत सरकार की विदेश नीति पर टीका–टिप्पणी करने का अवसर मिल जायगा और इसलिये उन्होंने यह संशोधन पेश कर दिया। अगर उस संशोधन की मेरिट को देखा जाय तो मेरी समझ में नहीं आया कि कामनवेल्थ के जितने नेशन्स हैं उनको हम छोड़ दें यह ज्यादा अच्छी बात है या उन सबको साथ में लेकर जो हमारे सामने वर्तमान प्रश्न है या यह जो रंगभेद नीति है उसको संसार से मिटाना अच्छी बात है। उन सबका सहयोग लेकर ही समस्या को हल करना ज्यादा अच्छा होगा बजाय इसके कि वे देश जो हमारी भावनाओं से सहमत हैं, जो हमारी विचारधारा से सहमत हैं उनको भी हम छोड़ दें और अपने आप को आइसोलेट (विरक्त) कर लें। इसके बाद दूसरे संशोधन द्वारा माननीय चतुर्वेदी जी ने यह बताया कि हमारे देश के लिये बड़े अपमान की बात है कि हम किसी भी सरकार से जो हमको बराबर ठुकराती रही है बार बार आग्रह करें कि वह इस नीति को बदल दे और बजाय इसके कि हमको यू० एन० ओ० से अपील करनी चाहिये।

जहां तक यू० एन० ओ० का सम्बन्ध है उसके जो अब तक के कारनामे हैं उसको देखते हुये ज्यादा आशा नहीं होती है। जो मसले उसके सामने पेश किये गए उनमे भी कोई ज्यादा सफलता प्राप्त नहीं हुई। काश्मीर का मसला है आप जानते हैं कि उसको किस हद तक खटाई मे डाल रखा है। यू० एन० ओ० के सामने जो मसले हैं उनमे भी कुछ हो नहीं रहा है। फिर यह मसला भी यू० एन० ओ० के सामने है ही प्रस्ताव की भाषा बड़ी सरल है उसमे आवेश की बात नहीं है। उसमे बुनियादी बात है और मानवता की बात है। इसी आधार को लेकर यह प्रस्ताव सामने रखा गया है मैं समझता हूं कि दक्षिणी अफ्रीका के जो लोग हैं वह इसी देश के बच्चे है और हमारे भाई हैं। पर इसके अलावा इसका एक दूसरा पहलू भी है वह यह कि वह दक्षिणी अफ्रीका के नागरिक न होते इसलिये भी कि वह मानव है हमे उनके साथ सहानुभूति होनी चाहिये। इस दृष्टि से यह प्रश्न केवल भारत का न रह कर सारे विश्व का ही प्रश्न हो जाता है। इन चन्द शब्दों के साथ मै इस सदन से अनुरोध करूंगा कि जो मूल प्रस्ताव मुख्य मंत्री जी ने पेश किया है उसको बिना संशोधित किये ही यह सदन पास करे।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)——माननीय चेयरमैन साहब, जहां तक मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्तावित संकल्प के मूल भाव का सम्बन्ध है उससे मुझे कोई मतभेद नहीं है, लेकिन मेरी समझ मे यह संकल्प कुछ अधूरा सा रह जाता है, अगर मेरे इस संशोधन को माननीय मुख्य मंत्री जी अस्वीकार कर देंगे। इन शब्दों के साथ मैं आपके सामने अपना अमेंडमेंट पेश करता हूं ——

"अगर दक्षिण अफ्रीका की मलान सरकार इन मानवोचित अधिकारों एवं मानव-भावनाओं को ठुकराती है..

अधिष्ठाता——आपका जो संशोधन था उसको तो सुबह हमारे अध्यक्ष महोदय ने अस्वीकार कर दिया था। अतः मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता कि आप उस संशोधन को मूव करें। यदि आप कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं, लेकिन संशोधन नहीं पेश कर सकते।

श्री झारखंडे राय——माननीय चेयरमैन महोदय, मैं माननीय विरोधी पक्ष के नेता द्वारा प्रस्तुत अमेंडमेन्ट के समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं समझता हूं कि आज सारी दुनिया में साम्राज्यवाद के खिलाफ और इंसानियत के शत्रुओं के खिलाफ, जो जगह-जगह मानवता के पुजारियों का जीवन-मरण संग्राम चल रहा है, जिसकी एक झलक दक्षिणी पूर्वी एशिया के वीतनाम के एक बहुत बड़े हिस्से में दिखलाई पड़ती है, जिसकी एक दूसरी झलक मलाया के छापेमार दस्तों के स्वातंत्र्य संघर्ष दिखलाई पड़ती है। जिसकी तीसरी झलक बर्मा के एक तिहाई हिस्से पर कब्जा किये हुए वहां के देशभक्तों की आजादी एवं जनतंत्र की लड़ाई मे दिखलाई पड़ती है, उसी की एक झलक हमको साउथ अफ्रीका मे भी वहां के सत्याग्रह के द्वारा दिखलाई पड़ती है।

आज सारा संसार दो हिस्सों मे बंटा हुआ है। एक वह हिस्सा है, जो मानवता का पुजारी है, जो संसार मे चिरशान्ति और मानवता के राज्य के लिये प्रयत्नशील है, दूसरा वह है, जो आज की व्यवस्था को कायम रख कर सारी इंसानियत को गुलाम बनाकर, मुट्ठी भर शोषकों और शासकों के लिये उसको सुरक्षित रखना चाहता है। इन दो हिस्सों मे, दुनिया के इन दो शक्ति-गुटों में दुनिया के इन दो सिद्धान्तों मे आज जिन्दगी मौत का आखिरी संग्राम चल रहा है। उसी का एक टुकड़ा, उसी का एक हिस्सा हमको अफ्रीका मे भी देखने को मिलता है। अफ्रीका मे जो संघर्ष चल रहा है उसके रूप से, उसके प्रकार से चाहे किसी को मतभेद हो सकता है जैसा कि मुझे है, लेकिन मैं महसूस करता हूं कि अफ्रीका की दलित जातियां अफ्रीका के सभी दलित लोग चाहे वह श्वेत हों या अश्वेत हों, चाहे भारतवासी हों या दूसरे लोग। आज जिस तरीके से मलान सरकार के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका में, केनिया में, ट्यूनिशिया मे, मिश्र में हर जगह उठ खड़े हुए हैं वह एक बात का इशारा करता है कि

[श्री झारखंडे राय]

दक्षिण पूर्वी एशिया की ही तरह एक दिन अफ्रीका में भी जल्दी ही वह आग लगने वाली है जो दुनिया के साम्राज्यवाद को एक चुनौती देगी और उसकी ध्वंसलीला के बाद ही वह समाप्त होगी।

माननीय चेयरमैन महोदय, जहां तक कि माननीय मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत संकल्प का विषय है उसकी अन्तिम पंक्ति में "आग्रह" शब्द का इस्तेमाल किया गया है। मैं समझता हूं कि इसमें आग्रह की बात केवल दबाव की राजनीति है। हृदय-परिवर्तन से इसका सम्बन्ध नहीं है। मैं नहीं समझता कि ऐसे कामों और अपीलों से किसी का हृदय-परिवर्तन हो सकता है। महात्मा गांधी ऐसे मनीषी और मानवता के पुजारी के जरिये भी आज तक सिर्फ एक अंग्रेज का, एक शोषक व्यक्ति का (भी) हृदय-परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिये मैं इस "आग्रह" शब्द से यही समझता हूं कि आग्रह एक दबाव की राजनीति है जो ब्रिटेन पर जोर देना है और साथ ही दुनिया के जनमत को जागृत भी करना है इसी अर्थ में माननीय मंत्री ने आग्रह शब्द का इस्तेमाल किया होगा। ऐसा मैं समझता हूं जो दबाव की राजनीति इस शब्द से प्रकट होती है वही हमारे विरोधी पक्ष के नेता द्वारा प्रस्तुत अमेंडमेंट के जरिये भी होती है। क्योंकि उसमें भी अपने राजनीतिक सम्बन्ध को कामनवेल्थ आफ नेशन्स से तोड़ने की बात कही गयी है राष्ट्र मंडल से "ब्रिटिश" शब्द हटा कर अंग्रेजों ने अपनी कूट नीतिज्ञता का, अपने मायावी जाल का परिचय दिया है। यह संशोधन भी केवल एक दबाव देता है और वह बड़े जोरदार तरीके से जो 'आग्रह' शब्द से दबाव पड़ता है उससे अधिक जोरदार तरीके से। माननीय चेयरमैन महोदय अगर इस संशोधन को माननीय मुख्य मंत्री मान लेंगे तो उनके इस संकल्प की अधूरी बात केवल पूरी ही नहीं होगी बल्कि अंग्रेज सरकार के ऊपर एक जबर्दस्त दबाव पड़ेगा क्योंकि मेरा विश्वास है कि मलानशाही की इस दरिन्दगी के पीछे अंग्रेजों का छिपा हुआ हाथ है। यह कोई साधारण तौर पर समझ में आने वाली बात नहीं कि जिस राष्ट्रमंडल में पाकिस्तान भी हो जिसके भीतर हिन्दोस्तान भी हो और पाकिस्तान की फौज चाहे वह किसी भी नाम से पुकारी जाय, जब काश्मीर पर हमला करती है तो कामनवेल्थ क्यों चुप रह जाता है ?

आज काश्मीर की समस्या जटिल होती चली जा रही है। मुमकिन है कि दुनिया के अंतिम संघर्ष के साथ ही इस समस्या का भी हल हो। इसका आज कोई संतोषजनक हल नहीं निकल रहा है बावजूद इसके कि ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में हिन्दोस्तान भी है और पाकिस्तान भी है। इसी प्रकार इसकी कोई वजह नहीं है कि राष्ट्रमंडल में हम रहें भी और हमारे ही देश के कभी के निवासी या उनके वंशज जो पददलित और पीड़ित मानवता के हिस्से हैं उसी राष्ट्रमंडल में रहने वाली सरकार के मातहत एक जानवर की जिन्दगी बिताने के लिये मजबूर किये जायं। इसलिये मैं समझता हूं कि इस संशोधन के जरिये उस सरकार के ऊपर बहुत जोर पड़ेगा। यदि आज अंग्रेज चाहे ब्रिटिश समाजवादी और चर्चिल चाहें तो निश्चित समझिये कि एक मलान सरकार क्या दस मलान सरकारें झुक सकती हैं लेकिन अगर यह संशोधन नहीं माना जाता है, यह बात नहीं मानी जाती है, तो केवल 'आग्रह' करना मैं समझता हूं कि यह "पायस विश" एक सदेच्छा के अतिरिक्त कुछ नहीं हो सकती। इसके जरिये कोई खास जोर नहीं पड़ सकता है अंग्रेजी हुकूमत पर, मलान शाही पर या विश्व के जनमत पर क्योंकि राष्ट्र संघ आज केवल अमरीका की एजेंसी का कार्य रहा है और अमरीकी डालरवालों की प्रसार-नीति के लिये एक आवरण सिद्ध हो रहा है। इसलिये माननीय चेयरमैन महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से अपील करूंगा कि वे विरोधी पक्ष की इस मांग को स्वीकार करें और उनके प्रस्ताव में जो कमी है उसको दूर करने की चेष्टा करें।

माननीय चेयरमैन महोदय, हमारे एक माननीय साथी ने इस प्रस्ताव पर बोलते हुये और तमाम अमेंडमेन्ट्स का विरोध करते हुये अपने एक नये अमेंडमेंट के जरिये कुछ बातें कही हैं। उन्होंने भारत सरकार की 'तटस्थ' नीति और 'स्वतंत्र' नीति का भी जिक्र किया है। मैं समझता हूं कि भारत सरकार की दोमुखी नीति किसी तरह भी देश को नहीं रख रही है। न तो इससे कोई लाभ हो रहा है और न इससे हमारा कोई हित सम्पादन ही हो रहा है। एक साथ ही भारत सरकार या दुनिया की कोई सरकार मानवता की रक्षा करने वालों के साथ और मानवता का शिकार करने वालों के साथ दोस्ती नहीं रख सकती। मलाया के देश भक्तों के साथ चाहे वह एटली की लेबर सरकार रही हो, चाहे आज वह चर्चिल की टोरी सरकार है, जो नृशंस अत्याचार हो रहा है, उसको देखते हुये मलाया के देश भक्तों के साथ और उनको मारने वाले अंग्रेज साम्राज्यवादियों के साथ हमारी दोस्ती साथ ही साथ नहीं चल सकती। इसी प्रकार वीतनाम में उन देश भक्तों के साथ जो पिछले ७ साल वर्षों से फ्रांसीसी दरिन्दों से अपने देश को आजाद करने के लिये लड़ रहे हैं और फ्रांसीसी शासकों के साथ हमारी दोस्ती एक साथ नहीं चल सकती है। वर्तमान सरकार ने फ्रांसीसियों द्वारा अपने हवाई अड्डों को इस्तेमाल करने के लिये जो हुक्म दे दिया है कि उनके ऊपर उड़ते और नीचे उतरते हुये आराम के साथ वे हवाई जहाज वीतनाम के जो देश भक्त हैं उनके ऊपर बम्बारी करने के लिये फ्रांस से जायें। यह दोमुखी नीति नहीं चल सकती है। हमारे देश से दक्षिण कोरिया को मेडिकल मिशन भेजना हमारी तटस्थ नीति का द्योतक नहीं है। यदि हमें मेडिकल मिशन भेजना ही था तो नेहरू सरकार को यह करना चाहिये था कि मेडिकल मिशन दोनों कैम्पों में भेजा गया होता। इस प्रकार केवल दक्षिण कोरिया में मेडिकल मिशन भेजना हमारी तटस्थ नीति का चिन्ह नहीं है। बरमा की सरकार को हमारे यहां से जो सहायता वहां की जनता को कुचलने को दी गयी है या दी जा रही है यह हमारी तटस्थ नीति का कतई द्योतक नहीं है। यह दोमुखी नीति हमारे देश को कहीं भी नहीं रखेगी, न अमरीका के कैम्प का और न सोवियट कैम्प का। सोवियट यूनियन के बारे में यह विचार यहां अभी प्रकट किया गया है कि वह दुनियां के एक तिहाई हिस्से पर अपना साम्राज्य कायम किये हुये है। मैं समझता हूं कि यह असलियत से आंख मूंदना होगा। यह असलियत नहीं है। सोवियट यूनियन मानवता का पुजारी, अलम बरदार और रक्षक है उसकी उन लोगों से तुलना करना जो मानवता के दुश्मन जंग खोर साम्राज्यवादी और नर भक्षक हैं, यह किसी भी मेम्बर को शोभा नहीं देता। मेरा मत है कि हम सत्याग्रहियों की प्रशंसा करें, अपनी हमदर्दी प्रगट करें, लेकिन ....

श्री सीताराम शुक्ल--क्या माननीय मेम्बर टू दि प्वाईन्ट बोल रहे हैं।

अधिष्ठाता--माननीय झारखंडे राय विषय पर ही बोलें।

श्री झारखंडे राय--माननीय चेयरमैन, मैं आपसे अपील करूंगा कि सदन में जो विषय उठाये गये हैं उनमें भारत की विदेशी नीति भी आ चुकी है और अनेक विषय भी आ चुके हैं। अगर माननीय सदस्य को आपत्ति उठानी थी तो उस समय उठानी चाहिए थी। लेकिन अब किसी विरोधी पक्ष के आदमी के बोलने में आपत्ति करना उचित नहीं है। खैर, अन्त में मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से अपील करूंगा कि वह विरोधी पक्ष के नेता के संशोधन को मान लें और अपने संकल्प की कमी को पूरा करते हुए पूरे सदन को और इस प्रदेश की प्रगतिशील जनता को उसकी भावनाओं की इज्जत करने का परिचय दें।

श्री जगन्नाथ बख्श दास (जिला बाराबंकी)--आदरणीय चेयरमैन, जो संकल्प माननीय मुख्य मन्त्री जी ने उपस्थित किया है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैंने श्री झार-खंडे राय जी की तकरीर सुनी और मुझे दुख होता है कि आपके द्वारा इस भवन के सामने यह कहते हुये कि उन्होंने जो बात हमारे सामने पेश की उससे हम लोगों का कोई संबंध नहीं है। मुख्य मन्त्री जी का प्रस्ताव तो बहुत ही सीधा सादा है और वह अपनी राय का इजहार करता है एक विषय के ऊपर, एक हरकत के ऊपर जो साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट वहां के

[श्री जगन्नाथ बख्श दास]

लोगों के साथ कर रही है। वैदेशिक नीति की बात करना जिससे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है, बेकार है। यह बात हमारी समझ में भी नहीं आती है, क्योंकि फारेन पालिसी की बात हमारे अख्तियार की बात नहीं है। इसलिये यह कहना कि वह सही है या गलत, ठीक नहीं है। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो हम यह कर देंगे वह कर देंगे, यह उचित नहीं है। यह तो केवल एक भाव का प्रदर्शन करता है। जो हमारे हिन्दुस्तानी भाई एक शान्तिमय युद्ध कर रहे हैं उनसे हमारी सहानुभूति है और साथ ही उस सरकार को सलाह है कि वह ऐसी हरकत न करें जिससे भारतीयों के प्रति भेदभाव की बात जाहिर हो। हमारा यह कहना है कि फारेन पालिसी से हमारा न कोई सम्बन्ध है और न सम्बन्ध होगा। हम तो केवल विचार कर रहे हैं जो आदरणीय मुख्य मन्त्री जी का प्रस्ताव है वह बिल्कुल स्पष्ट और साफ है। इस बात को कहने के लिये कि हम उनके साथ सहानुभूति रखते हैं और वहां की सरकार से आग्रह करते हैं कि वह ऐसा दुर्व्यवहार न करे जिससे हमें मजबूर होकर कोई ऐसा कदम उठाना पड़े जो हमारी वैदेशिक नीति इजाजत दे। जहां तक वैदेशिक नीति का सम्बन्ध है, जो इस तरफ हमारे भाई बैठे हैं उनकी पूरी सहानुभूति है और उसके फुल एग्रीमेंट में हैं। अगर हमारी सरकार जिसको अधिकार है वह ठीक समझे इसमें कुछ करें तो हमें एतराज नहीं होना चाहिए। हम अपनी सरकार के हाथ बांधना नहीं चाहते हैं। इन शब्दों के साथ मैं अनुरोध करूंगा कि जहां तक संशोधन का संबन्ध है वह ध्यान न दे और मूल संशोधन पर ही सदन ध्यान दे।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

अधिष्ठाता—मेरा विचार है कि इस प्रस्ताव पर काफी वाद-विवाद हो चुका है। यदि संकल्प उपस्थित किया जाय तो अच्छा है।

प्रश्न यह है कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री गोविंद वल्लभ पन्त—चेयरमैन महोदय, जो प्रस्ताव मैंने पेश किया था उससे तो वस्तुतः सभी सहमत होंगे और जो उसका सिद्धांत है, जो उसमें सुझाव रक्खा गया है वह सबको मान्य है। उसके बारे में कोई मतभेद नहीं है, परन्तु फिर भी ४, ५ बल्कि ६ संशोधन यहां उपस्थित किये गये हैं। उनमें से कुछ तो शब्दों के रूपान्तर के बारे में हैं। राज नारायण जी का संशोधन एक महत्व का प्रश्न उठाता है। उन्होंने यह सुझाव दिया है कि इस संशोधन में यह शब्द जोड़े जायं जिनसे कि इस बात का आग्रह किया जाय कि कामन वेल्थ से भारत अलग हो जाय। उन्होंने यह नहीं बतलाया कि अगर हम इसे पेश कर दें तो फिर साउथ अफ्रीका का मसला कैसे हल हो जायगा। उसके पास होने से डाक्टर मलान अपनी नीति को वापस ले लेंगे या जो इस वक्त उनकी शैली है, जो उनका दिमाग फिरा हुआ है वह ठीक हो जायगा या फिर उसमें और ज्यादा खराबी होने की गुंजाइश बढ़ सकती है। अगर वह यह कहते कि साउथ अफ्रीका से हिन्दुस्तान लड़ाई ठान ले तो कोई बात समझ में आ सकती। उन्होंने एक तरीका बतलाया, वह तरीका हो सकता है या नहीं यह तो दूसरी बात है। अगर वह यह समझते कि हिन्दुस्तान इस विषय में लड़े और उन्हें हराये तो बात समझ में आ सकती है, मगर यह कहना कि हम कामनवेल्थ से हट जाय, इससे मलान ठीक हो जायगा यह बात समझ में आई नहीं। न उन्होंने इसके बारे में कुछ बतलाया कि हट जाने से कैसे रंगभेद की जो नीति साउथ अफ्रीका में चल रही है वह खत्म हो जायेगी। उन्होंने विश्व बन्धुत्व की बातें कहीं। उन्होंने कहा कि सारे संसार को एक राष्ट्र बनाया जाय, इस बारे में भी उन्होंने कुछ अपने विचार प्रगट किये। तो क्या विश्व बन्धुत्व बढ़ाने और संसार को एक करने का रास्ता यह है कि जो एक साथ इस वक्त हैं वे भी एक दूसरे से अलग हो जायं। अगर यह तरीका एक होने का है कि जो एक हैं वे भी बिखर जायं तो

यह जो उनकी विचार शैली है वह दिखलाती है कि उनका जो सुझाव है वह युक्तिसंगत नहीं है।

उमाशंकर जी ने कहा कि साहब दे तो इसमें जवानी का पुट देना चाहता हूं। जवानी का पुट अच्छा होगा है मगर जवानी जवानी पैदा नहीं होती, वह सिर्फ इतने से मामला हल नहीं हो जाता। मैं समझता हूं कि हमें जरा गौर से इन मसलों को देखना चाहिए। विदेशी नीति का जहां तक सम्बन्ध है, विदेशी देशों से सम्बन्ध रखने वाली चीजें हैं उनमें जवानी का जोश काम करता है। अब कहा जाता है कि कामनवेल्थ से अलग हो जाना चाहिए। कामनवेल्थ क्या चीज है, कामनवेल्थ का हम पर क्या दबाव है। आखिर कामनवेल्थ से हमने कोई ऐसा समझौते की बात कही है जिससे कि हमारी आजादी में कोई फर्क आवे। आज अगर हम साउथ अफ्रीका से लड़ना चाहें तो इसको कामनवेल्थ रोक सकती है या नहीं यह मैं नहीं जानता।

हम जानते हैं कि पाकिस्तान के बीच में हमारा हिन्दुस्तान है। उसके साथ हमारी लड़ाई हुई हो या नहीं मगर एक जमाना था कि जब काफी खूंरेजी हुई और उस समय दोनों तरफ की फौजें एक दूसरे के खिलाफ थीं, लेकिन तब भी हम कामनवेल्थ के अन्दर रहे और उसका कुछ असर एक दूसरे पर पड़ा। परन्तु जो प्रश्न है उसको समझना चाहिए। असल में हिन्दुस्तानी का कोई खास सवाल नहीं है। सवाल है दुनियां में जाति वाद को खत्म करना और सवाल है रंगभेद को दूर करना। काले और गोरे का प्रश्न दुनियां में न रहे। यह चीज सारी दुनिया से ताल्लुक रखती है। अफ्रीका से ताल्लुक रखती ही है लेकिन दूसरी तरफ योरोप के बहुत बड़े हिस्से से ताल्लुक रखती है, नार्थ अमेरिका से ताल्लुक रखती है। यद्यपि साउथ अफ्रीका में हिन्दुस्तानी लोग हैं, दूसरे मुल्कों के लोग भी हैं, सीलोन के हैं, पाकिस्तान के हैं, बर्मा के लोग भी हैं। इन सबने मिल कर ही इस प्रश्न को यू० एन० ओ० में साउथ अफ्रीका की नीति को निन्दा की नजर से देखा। तो फिर आज कामनवेल्थ से अलग होने के मायने क्या हैं? क्या हम पाकिस्तान से अलग हो जायं, सीलोन से अलग हो जायं और बर्मा से भी अलग हो जायं जिन सब ने मिलकर इस सवाल को उठाया। ये सब देश कामन वेल्थ के अन्दर हैं और इन सब ने अफ्रीका की नीति की निन्दा की है और इन सब ने मिलजुल कर ही इस रंगभेद की नीति को अलग करने का निश्चय किया है। अगर हम इन देशों से अपने को अलग कर लें तो इसमें कौन सी बुद्धिमत्ता है और क्या इससे हमारा बल बढ़ सकता है यह मेरी समझ में नहीं आता है। शायद उनको यह ख्याल रहा हो कि यूनाइटेड किंगडम में उतना उत्साह नहीं दिखाई देता है जितना दिखाई देना चाहिए और जो और देशों ने दिखाया। मगर उनको यह याद रखना चाहिए कि यू० एन० ओ० में यूनाटेड किंगडम ने इसका विरोध नहीं किया। उनको यह मालूम होना चाहिए कि क्या हम अपने को सब से आईसोलेट कर लें।

पाकिस्तान और सीलोन हमारे पड़ोसी मुल्क हैं जो कि यूनाइटेड किंगडम से जुड़े हुए हैं। तो क्या हम सबसे अलग होकर अपने को अलग कर डालें? क्या इससे हमारी शक्ति बढ़ेगी? क्या इससे हम किसी मसले को हल कर लेंगे? इसलिये गुस्से की बात से सिर्फ काम नहीं चल सकता है। हमको यह भी याद रखना चाहिए कि एक जमाना था कि जब हम अंग्रेजों से लड़ते थे मगर आज किस कांटेक्स्ट में हम अपना काम करते हैं और उसमें हम क्या चीज करते हैं यह सोचने की बात है। इसलिये यह समझ में नहीं आया कि इस प्रस्ताव से क्या असर होगा और उससे क्या फायदा होगा? इसको मैं यह समझता हूं कि सोचा नहीं गया है। हमको दुनिया से जाति वाद को अलग करना है और इस रंग भेद की नीति को अलग करना है। हमको यह जानना चाहिए कि यूनाइटेड किंगडम उनमें से आज है, जिन्होंने इस नीति को छोड़ दिया है। हमारे सैकड़ों डाक्टर इंगलिस्तान में प्रैक्टिस करते हैं। वहां पर जीनियोलोजी में भी काम करते हैं। इस वक्त हमारे हजारों विद्यार्थी वहां पर ट्रेनिंग पा रहे हैं और शिक्षा पा रहे हैं। हमारे ट्रेडर्स भी वहां पर हैं जो कई तरह का काम करते हैं। आपको याद होगा कि जब हम उनकी मातहती में थे तो डाक्टर दादाभाई वहां की पार्लियामेंट के सदस्य थे। अभी हाल ही में जो चुनाव हुआ है उसमें एक भारतीय भी पार्लियामेंट के लिये

[श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

खड़े हुए थे। उन्होंने रंगभेद की नीति को छोड़ दिया है। जब इन देशों ने रंगभेद की नीति को छोड़ दिया है तो फिर उनसे अलग होना कहां की बुद्धिमत्ता है। शक्ति बढ़ाने की बात यह किस तरह से हो सकती है यह तो मैं समझ नहीं सका और आज सिर्फ एक बात से नाराज होकर कोई ऐसी बात करें, चूंकि किसी के पैर में कांटा लगा इसलिये सिर में पत्थर मार डालो, यह कोई अक्लमन्दी की बात नहीं है। यह ठीक है कि पैर के कांटे को अलग करना चाहिए, लेकिन सिर के साथ खामख्वाह लड़ जायं कि पैर में कांटा क्यों लगा यह कोई समझ में आने की बात नहीं है। आखिर आज बात क्या है? हम एक मौलिक प्रश्न पर लड़ रहे हैं और यह तो एक मारल ईशू है, यह तो केवल रंगभेद का ही सवाल है और अगर हम इस प्रकार के सवालों को हल करके दुनिया की मारल ओपीनियन को हारनेस कर सकते हैं और हमने इसमें कामयाबी हासिल की है और हमारा सारे संसार ने साथ दिया है।

आज हम विग्रह करके सारी दुनिया की शक्ति को बिखेर दें और साउथ अफ्रीका की हिम्मत को और बढ़ा दें और उन्हीं का तिरस्कार करें कि जिन्होंने रंग नीति को छोड़कर आज हमारे ही देशवासियों को अपने देश में पूर्ण स्वतन्त्रता के अधिकार दिये हैं। मेरी समझ में इसमें कोई अक्लमन्दी की बात नहीं मालूम होती। फिर कामनवेल्थ क्या चीज है? हमने कहा कि हम ताज को नहीं मानेंगे, हम रिपब्लिक हैं, हम राजा को नहीं मानते। इस पर कामन-वेल्थ ने कहा कि आप जो चाहे करो हम उसमें कोई जब्र नहीं करते। आज हमारे कई सौ करोड़ स्टर्लिंग इंगलैण्ड में हैं और हमारे उनसे बीसों तरीके के सम्बन्ध हैं, आर्थिक सम्बन्ध हैं, व्यापारिक सम्बन्ध हैं और राजनीतिक सम्बन्ध हैं, क्या उन सब को छोड़ कर हम कामनवेल्थ से अलग हो जायं? सीलोन से, बर्मा से, पाकिस्तान से सभी से तो ताल्लुक है किसी ने नहीं कहा कि कामन वेल्थ को छोड़ दिया जाय।

इस साउथ अफ्रीका के मसले पर कामन वेल्थ से अलग होने की बात की तो कोई तुक ही नजर नहीं आती। मैं समझता हूं कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिस पर हमें सोचना पड़े और मैं आशा करता हूं कि श्री राज नारायण जी अपने संशोधन को वापस ले लेंगे क्योंकि ऐसे विषयों में जहां तक हो सके हमें एक ही होकर चलना चाहिए। इसमें कोई भेदभाव की बात नहीं है। कामन वेल्थ से अलग होने का प्रश्न अगर करना ही हो तो वह अलग सामने लाया जा सकता है, लेकिन इस सम्बन्ध में वह बिल्कुल बेतुका मालूम होता है और इसका कोई आधार नहीं है और किसी तरह से भी उसका इस प्रस्ताव से मेल नहीं हो सकता है और उसका असर तो और उल्टा पड़ता है। ऐसा करने से कि जिन्होंने अपने यहां भेद भाव की नीति को छोड़ दिया है जिनके साथ मिल कर हम काम कर रहे हैं उनको ठुकरा दिया जाय, उनसे अलग हो जायं, इससे कोई लाभ नहीं हो सकता। कामन वेल्थ छोड़ने के मानी हैं सीलोन, बर्मा सब से अलग हो जाना जो सब हमारे साथ रंगभेद की नीति के विरुद्ध मिलकर चल रहे हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि इस तरह से कामन वेल्थ से अलग होने का सवाल कहीं पर नहीं आता।

इसी सम्बन्ध में कुछ बातें वैदेशिक नीति के बारे में भी कही गयीं। मुझे खेद है कि यह प्रश्न इस मौके पर यहां उठाया गया। कुछ लोगों ने कहा कि भारत की नीति दुर्बलता की है। मैं आपसे हिम्मत और फख्र के साथ कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान ने जिस शान, जिस हिम्मत और जिस निर्भीकता के साथ वैदेशिक नीति को कायम किया है और जिस पर वह डटा है वह संसार के लिये एक मिशाल और उदाहरण है। जिसके पास कोई फौज नहीं, कोई ध्वंसकारी अस्त्र नहीं वह दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकतों से कहता है कि हम धर्म पर डटे रहेंगे हमें किसी ताकत के साथ अपने को विलीन करना नहीं है और हमारा धर्म जो हम से कहेगा हम वही करेंगे आप चाहे जो करें इससे ज्यादा बढ़कर और क्या वैदेशिक नीति हो सकती है? इसको कौन दुर्बलता की नीति कह सकता है? क्या यही सफलता की नीति है कि दो ब्लाक्स में से एक में जज्ब हो जाओ। उसमें खत्म हो जाय

और अपनी स्वतंत्रता को छोड़ दे। और इस बात को भी छोड़ दे कि क्या सही है और क्या ग़लत है। बल्कि रूस के साथ अपने को बांध डाले या अमेरीका के साथ बांध ले ताकि जो इनमे मे कोई देश कहे वही करे। मेरी समझ मे नहीं आता कि राजनारायण जी किसके साथ अपने को बांधना चाहते है क्योंकि जहां तक मुझे मालूम है न तो वे रूस के साथ और न अमेरिका के ही साथ अपने को बांधना चाहते हैं। और इंग्लैंड ज़रा सोशलिस्ट हुआ था, लेकिन अब फिर नहीं रहा। तो फिर वह कहां जावे ? उनके पास कोई जगह नहीं है। वह चाहते है कि न तो हम कम्यूनिस्ट मे और न कैपिटलिस्ट मे हों। तो जो आप चाहते है वही रास्ता हमारा भी है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी कामनवेल्थ रिलेशन्स और डिप्लोमैटिक रिलेशन्स को एक ही बात समझते है ?

श्री गोविन्द बल्लभ पन्त—मै मानता हूं कि नारायण दत्त जी बहुत बारीक बातों को जानते है मगर मै तो मोटी बातों को जानता हूं और उन्ही को कहना पसन्द करता हूं। उनके जितना मेरा तजुर्बा नहीं है। बहुत से सदस्य मेरी बातों को समझते है और अगर वह नहीं समझते तो मुश्किल है।

श्री झारखंडे राय जी ने कहा कि राजनारायण जी का प्रस्ताव ठीक है। मगर राजनारायण जी का डर यह है कि कहीं कम्यूनिस्टों का पाया न बढ़ जाय, चूंकि कम्यूनिस्ट और सोशलिस्ट नहीं मिल सकते। और श्री झारखंडेराय जी कहते है कि उन्हीं के प्रस्ताव का वह समर्थन करते हैं। तो वह तो एक ही बात चाहते है कि जितना हम इंग्लेंड और अमेरिका से झगड़ा करेंगे उतना ही रूस को मदद मिलेगी। मगर हम न तो इंग्लेंड को और न रूस को या अमरीका को ही अपना दुश्मन समझते है। हम तो चाहते है कि शान्ति बनी रहे और इंडिविजुअल लिबर्टी बनी रहे क्योंकि मनुष्य का सारा उद्धार इन्हीं चीजों पर निर्भर हैं। यदि इन दो बातों को मानते हुये झारखंडे राय जी कम्युनिज्म को किसी तरह से बढ़ावे तो हमे किसी तरह की आपत्ति नहीं है। आप अब देखिये कि जो हिन्दोस्तान सैकड़ों बरस से पिछड़ा पड़ा था और जिसे अभी स्वतंत्र हुये ५ साल भी नहीं हुये उसके एक प्रस्ताव पर दुनिया मे हलचल मच गई और सारी दुनिया के लोग कहन लगे कि हां, अब संसार के उद्धार का जमाना आ गया है। यदि भारत ने कोई सबसे बड़ी चीज़ पाई है स्वतंत्रता के बाद तो वह अंतर्राष्ट्रीय जगत् मे आदर है और इसका श्रेय हमारी वैदेशिक नीति को है। आज यदि रूस हिन्दोस्तान की क़द्र करता है या अमेरिका हमारी क़द्र करता है तो केवल इसीलिये कि कहीं हिन्दोस्तान एक को छोड़ दूसरे से न मिल जाय, जो कि अब तक अलहदा रहा है। इंग्लैंड भी समझता है कि हिन्दोस्तान इतना बड़ा देश है वह कहीं रूस के साथ न चला जाय। हमारी स्वतंत्रता के मानी है कि हमारा स्वराज्य क़ायम रहे और हम हमेशा गांधी जी के बतलाये रास्ते पर चलें और आध्यात्मिकता को ऊंची जगह देकर सच्ची बात कहें और विश्वशान्ति बनाये रखने मे सहयोग दे। जो बात उचित है, न्याययुक्त है, सही है उसी को हम उचित कहेंगे, और उसी पर अमल करेंगे तथा उसके लिये अपना सारा ज़ोर लगा देंगे, इससे बढ़कर वैदेशिक नीति और क्या हो सकती है ? मै समझता हूं कि इस नीति के बारे मे थोथी बाते कहने से कोई परिणाम नहीं निकल सकता।

दूसरे संशोधनों के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि जो नारायण दत्त जी का संशोधन है उसमे उन्होंने 'अश्वेत' शब्द को अलग कर देने की बात कही है। अगर उसको अलग कर दिया जाय तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी क्योंकि उस सत्याग्रह मे जो भी शरीक होता है हम सब को बधाई देना चाहते है चाहे वह कोई भी क्यों न हो।

दूसरा संशोधन श्री शंभुनाथ चतुर्वेदी जी का है, मै उसको भी स्वीकार करने को तैयार हूं क्योंकि उससे मूल प्रस्ताव के अर्थ मे कोई परिवर्तन नहीं होता है, परन्तु एक डायरेक्ट अपील साउथ अफ्रीका से न होकर सारे संसार के देशों से हो तो वह उसके क्षेत्र को और विस्तृत कर देता है। इसलिये इससे मुझे कोई हानि नहीं दिखाई देती। इसलिये

[श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

इन दो संशोधनों के साथ संशोधित होकर अगर यह प्रस्ताव भवन के सामने आता है तो मैं आशा करता हूं कि वह एक मत होकर इसको स्वीकार करेगा।

एक बात और कहना चाहता हूं कि केवल जबानी बात करने से काम नहीं चलता, इसलिये हमें इस काम में मदद देना है। हमारी पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने थोड़े से धन से हमें सहायता देने की कोशिश की है। मैं इस भवन के सदस्यों से निवेदन करता हूं और उनके द्वारा मैं अपने प्रदेश के रहने वाले सब भाइयों से निवेदन करता हूं कि अगर वे इस काम से सहानुभूति रखते हैं और मानवता को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो वे इस कार्य में हमारी यथा-शक्ति सहायता करें।

अधिष्ठाता—अब मैं जो संशोधन उपस्थित किये गये हैं उन्हें एक एक करके लेता हूं। पहला संशोधन माननीय राजनारायण जी का है। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि क्या वे अपना संशोधन वापस लेना चाहते हैं ?

श्री राजनारायण—श्रीमान्, मैंने पहले ही निवेदन किया था कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है वह हमारे संशोधन के बिना निस्सार हो जाता है उसके प्रति हमें शंका है। भाषण का समय नहीं है, नहीं तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बताता कि हमारा संशोधन कितना महत्वपूर्ण है। इसलिये मैं चाहता हूं कि उस पर वोट ले लिया जाय।

अधिष्ठाता—प्रश्न है कि संकल्प के अन्त में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय—

> "साथ ही यह विधान सभा भारत सरकार से सिफारिश करती है कि रंग भेद संबन्धी अमानवीय नीति पर ब्रिटेन और आस्ट्रेलिया के निन्दनीय रुख को देखते हुए वह राष्ट्र मंडल (कामन वेल्थ) से भारत का तुरन्त संबंध बिच्छेद कर लें।"

(प्रस्ताव उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

अधिष्ठाता—दूसरा संशोधन श्री सीताराम जी का है। वह अपना संशोधन वापस ले लेना चाहते हैं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

अधिष्ठाता—अब श्री शम्भुनाथ चतुर्वेदी का संशोधन आता है जिसे माननीय मुख्य मंत्री ने स्वीकार कर लिया है।

प्रश्न यह है कि संकल्प की पंक्ति ४ में "भयावह समझते हुए" शब्दों के बाद निम्न-लिखित शब्द बढ़ा दिये जायें—

> "संघ के सब राष्ट्रों से आग्रह करती है कि वे संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रतिष्ठा तथा मानवता के अधिकारों की रक्षा के हेतु ऐसे उपाय अमल में लायें कि दक्षिण अफ्रीका की सरकार अपने प्रदेश से श्वेत-अश्वेत के भेद को समाप्त करने के लिये विवश हो।" और संकल्प के शब्द "उससे आग्रह करती है.............समाप्त कर दे" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अधिष्ठाता—अब श्री नेकराम शर्मा जी का संशोधन आता है। क्या नेकराम जी अपना संशोधन वापस लेने को तैयार हैं ?

श्री नेकराम शर्मा—मैं अपना संशोधन वापस लेना चाहता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

अधिष्ठाता—अब श्री नारायण दत्त जी का संशोधन आता है। इसका एक अंश तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है और बाकी जो तीन अंश रह जाते हैं उनको क्या तिवारी जी वापस लेने के लिये तैयार हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी——श्रीमान्, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यू० एन० ओ० से आज्ञा लेने के संबंध में उनकी क्या राय है ?

माननीय श्री गोविन्द वल्लभ पन्त——जो कुछ मुझे कहना था, मैंने कह दिया।

श्री नारायण दत्त तिवारी——तो मैं उसे वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन का अन्तिम भाग वापस लिया गया।)

अधिष्ठाता——जो संशोधन माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है मैं उसे उपस्थित करता हूं।

प्रश्न यह है कि संकल्प की प्रथम पंक्ति में से "अश्वेत" शब्द हटा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अधिष्ठाता——श्री उमाशंकर जी, क्या आप अपना संशोधन वापस लेना चाहते हैं ?

श्री उमाशंकर——मैं संशोधन वापस ले लेता। मुझे बहुत उम्मीद थी कि माननीय मुख्य मंत्री जी इसको मान लेंगे क्योंकि मैं देखता हूं कि इस संशोधन को वापस ले लेने पर प्रस्ताव निष्प्राण है। इसलिये मैं उसे वापस नहीं लेता।

अधिष्ठाता——तो यह संशोधन इस तरह से है, उसे मैं लेता हूं।

प्रश्न यह है कि संकल्प की तीसरी पंक्ति में "नीति तथा" के आगे "सत्याग्रहियों पर जघन्य अत्याचार करने का दोषी ठहरा कर उसकी निन्दा करती है" और चौथी पंक्ति में "संयुक्त राष्ट्र संघ की" के आगे "उदासीनता" शब्द और पांचवीं पंक्ति में "अपने प्रदेश" के स्थान पर "राष्ट्र मंडल के प्रदेशों" जोड़ दिया जाय और पांचवीं पंक्ति के अन्त का "दे" निकाल कर उसके स्थान पर "ने को अपने जीवन मरण का प्रश्न बनावें" बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

अधिष्ठाता——अब मैं संशोधित संकल्प को लेता हूं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेशीय विधान सभा दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासी, प्रवासी भारतवासी तथा अन्य निवासियों द्वारा मानवोचित अधिकारों के प्राप्त करने के लिये शान्तिमय सत्याग्रह के प्रति प्रशंसा तथा सहानुभूति प्रकट करती है और दक्षिण अफ्रीका की सरकार द्वारा रंग भेद नीति तथा उस सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ की अवहेलना को विश्व शान्ति के लिये भयावह समझते हुए संघ के सब राष्ट्रों से आग्रह करती है कि वे संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रतिष्ठा तथा मानवता के अधिकारों की रक्षा के हेतु ऐसे उपाय अमल में लायें कि दक्षिण अफ्रीका की सरकार अपने प्रदेश से श्वेत-अश्वेत के भेद को समाप्त करने के लिये विवश हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*जौनसार-बावर भौमिक अधिकार सुरक्षा तथा भौमिक अभिलेख विधेयक, १९५२

माल मन्त्री (श्री चरण सिंह)——माननीय चैयरमैन साहब, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जौनसार-बावर भौमिक अधिकार सुरक्षा तथा भौमिक अभिलेख विधेयक, १९५२ पर विचार किया जाय।

जौनसार-बावर एक पहाड़ी इलाका देहरादून जिले में स्थित है और देहरादून जिले में दो तहसीलें हैं। एक तहसील इसी इलाके की है। इसके दो हिस्से हैं, जौनसार और बावर। जौनसार दक्षिणी हिस्से का नाम है जिसमें चकराता का क़स्बा भी है और बावर उस हिस्से का नाम है जो कि उत्तर में है। तो यह इलाका शिडयूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स में अब तक था। १८७० के शिडयूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऐक्ट के मातहत यहां शासन चलता था और १९३५ के बाद यह पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया

*१३ अक्तूबर, १९५२ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री चरण सिंह]

करार दिया गया। जब यह हमारा कांस्टीटयूशन यहां नाफिज हुआ है, उसके पहले अब तक यहां जो हमारे कवानीन प्रदेश के दूसरे हिस्से मे जारी थे वहां वे जारी नहीं थे और उन्हीं को कुछ संशोधन के साथ हस्ब जरूरत गवर्नर अपने नोटीफिकेशंस के साथ उनको वहां नाफिज कर देता था। तो वहां का इलाका बहुत से मामले में उत्तर-प्रदेश के दूसरे हिस्सों से बिलकुल भिन्न है। वहां अगरचे पहाड़ बहुत ऊंचे-ऊंचे नहीं है लेकिन फिर भी पहाड़ों की इन चोटियों की तादाद बहुत ज्यादा है और इससे क़ाबिल काश्त इलाके बहुत कम है। लेकिन बावजूद इसके जेरकाश्त या काबिले काश्त एरिया कम है। फिर भी जमीन के लिये वहां भूख नहीं है वहां लैंड हंगर नहीं है जैसी कि हमारे देश और प्रदेश के दूसरे हिस्सों मे है। उसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि वहां बहुपति अर्थात् पालीएंड्री का रिवाज है और उसका नतीजा यह है कि वहां आबादी बहुत थोड़ी-थोड़ी बढ़ती है, बहुत थोड़ी रफ्तार के साथ बढ़ती है।

उस इलाके की कुल आबादी ५९ हजार के क़रीब है और रकबा जो जेरे काश्त है वह २८ हजार एकड़ है। वहां के लोग बहुत पिछड़े हुये है। वहां तालीम की अब तक बहुत बड़ी कमी रही है और लोग बहुत सीधे सादे है। आम तौर पर वहां के गांवों को हम सेल्फ सफाइसिंग गांव कह सकते है। अपने लिये कपड़ा खुद बुन लेते है और प्रायः अपने जीवन भर का अन्न भी पैदा कर लेते है। बहुत थोड़ा अन्न उनको बाहर से मंगाना पड़ता है और बहुत थोड़ी चीजे वे बाहर भेजते है। वहां व्यापार नहीं है, दूकान वहां शायद कोई देखने को मिले क्योंकि उनका रहन सहन हमारे यहां से बिलकुल अलग है और रिवाज भी अलग है। यहां तक कि हमारा एक्साइज का जो क़ानून है वह भी वहां लागू नहीं है। वहां शराब बनाने और पीने की खुली इजाजत है। तो उस इलाके में अब तक जैसे कि हमारे यहां बंदोबस्त है उस तरह का बंदोबस्त नहीं है। वहां जो काम चल रहा है वह वहां १८५१ मे वहां के रिवाजों को कोडीफाई किया था उनका जो दस्तूरुलअमल है, जो रौस के दस्तूरुलअमल के नाम से प्रख्यात है, उसके हिसाब से काम चल रहा है।

सन् १८७६ मे एक सरसरी से वहां बन्दोबस्त भी हुआ और सन् १८८३ में वहां माल-गुजारी क़ायम की गयी। वहां मालगुजारी एक अजीब तरीक़े से क़ायम होती है। वहां मालगुजारी सिर्फ जमीन की हैसियत या जमीन के रक़बे के हिसाब से नहीं है। जमीन तो देखी जाती है लेकिन साथ ही जितने आदमी उस खान्दान में काम करने वाले है, कितने मवेशी उनके पास हैं, एक प्रकार से हैसियत टैक्स कह सकते है। लेकिन वही वहां मालगुजारी कह-लाती है और जैसे कि हमारे यहां कागजात है इस तरह के कागजात भी वहां नहीं है। वहां ३९ हक हैं : यह इलाका ३९ हिस्सों में तक़सीम है और हर एक हिस्से को हक़ कहते हैं। हक़ वहां की इकाई है। उन हक़ों में हरीपुर ब्यास को छोड़ कर बाकी हिस्सों मे जैसे हमारे खतौनी खेवट वगैरह है इस तरह से कोई रेवेन्यू रेकार्ड्स नहीं हैं। केवल दो काग़ज़ात होते है। एक का नाम फाटबन्दी है और दूसरे का नाम स्याहा है। फाटबन्दी में काश्तकार दर्ज है, कितने मवाजे है, यह दर्ज है और कितना रक़बा है, यह दर्ज है। स्याहा मे यह दर्ज होता है कि कितनी उसने मालगुजारी दी और कितनी वाजिब हैं। बाकी कोई रेवेन्यू रेकार्ड जैसे कि हमारे यहां है वहां नहीं है।

वहां एक सयानाचारी कहलाता है जो कि हर एक हक़ के ऊपर होता है। उसको सदर सयाना भी कह सकते हैं। आम तौर पर जो मुखिया काम करता है, ये दोनों काम वह करता है। वह गवर्नमेंट की तरफ से खेत पर जो मालगुजारी मुक़र्रर है और खेत के अन्दर जितने गांव है फी गांव कितनी मालगुजारी आये इसको बांटने का काम इस खत सयाने को है जिसको सदर सयाना भी कहते है। फिर गांव मे भी एक सयाना होता है। वैसे सयाना के मानी होशियार के है और शायद इसी से यह शब्द बना है। तो गांव का सयाना सदर सयाना की इमदाद से अपने गांव के किसानों पर मालगुजारी तय करता है और वैसे

तो वह सदर सयाने के मातहत रहता है। सदर सयाना मालगुजारी इकट्ठा करता है। आपस के झगड़े भी निबटाता है और मालगुजारी वसूल करने का कमीशन पांच फीसदी के हिसाब से पाता है, जिसको भुसाटा कहते हैं। छोटे–छोटे फौजदारी के मुकद्दमे भी तय करता है और जुरमाने का भी उनको अधिकार है। जुरमाने का आधा खुद ले लेता है और आधा दूसरे फरीक को देता है।

वह बहुत बअसर आदमी है। लेकिन धीरे धीरे उसके अख्तियारात कम हो रहे हैं। वहां कुछ और वर्ग कोल्टा, बाजगी और दूसरे नाम से है जो कि बहुत पिछड़े हुए हैं। उनको बहुत से वाजिबुलअर्ज के मुताबिक बहुत से गांवों में जमीन की मिल्कियत हासिल करने का अख्तियार नहीं है। केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय ही जमीन रखते हैं और ये कोल्टा–बाजगी लोग, जो बैकवर्ड क्लासेज हैं, जो बहुत दबे हुए हैं, वह लोग बराबर उनके यहां काम करते हैं। एक दफा कर्जा ले लिया, बाप–दादा–परदादा किसी ने ले लिया वह अदा नहीं होता और उसके एवज में अपने जमींदार के यहां मय बच्चों और औरतों के काम करते रहते हैं। वे काबिल इन्तकाल भी हैं। हस्तांरित भी हो जाते हैं। उनको एक जमींदार दूसरे जमींदार को बेच भी सकता है। यह बिल्कुल दासता तो नहीं कही जा सकती, लेकिन दासता के निकट सन् १९४० तक इनकी दशा थी।

उसके बाद धीरे–धीरे उसकी अवस्था कुछ सुधरनी शुरू हुई है। वैसे अदालतें आम तौर पर इस तरह के रिवाज को मानती नहीं हैं जिसके जरिये कोलटा को कोई जमीन रखने का अख्तियार नहीं है और कुछ ऐसे हैं जो जमीनों के मालिक हैं और शिक्षा के विस्तार के साथ और प्रचार के साथ उनमें जागृति आ गयी है। मैं उसकी तफसील में न जाकर यह और कहना चाहता हूं कि कोल्टा की आबादी १९ फी सदी है। ५६ हजार कुल आबादी है, जिसके १९ फीसदी यानी ११ हजार के करीब ऐसे हैं जो कोल्टा, बाजगी आदि कहलाते हैं।

तो यह जो बिल पेश किया गया है, इसके दो–तीन उद्देश्य हैं, एक तो यह कि वहां रेवेन्यू रेकार्ड्स तथा अधिकार अभिलेख जो कहलाते हैं, इसका काम हो रहा है, लेकिन जब लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, वहां नाफिज नहीं है, ऐप्लिकेबिल नहीं है इसलिये वह रेवेन्यू रिकार्ड्स अगर अफसर तैयार कर भी दें, जिसका अभी काम करीब–करीब खत्म हो चुका है, तो उनकी कोई कानूनी मान्यता नहीं होगी। इसलिये उन रिकार्ड्स को एक लीगल स्टेटस देने के लिये यह बिल लाया गया है। दूसरा यह कि वहां काश्तकार की कोई सेक्योरिटी नहीं है। कोई उनका अधिकार नहीं है। जब जमींदार चाहे, स्वेच्छानुसार उनको निकाल सकता है। तो इस तरह की बेदखलियों को रोकने का उद्देश्य भी इस बिल का है। कोलटा और बाजगी जो जातियां हैं उनको लाभ इसके नतीजे के तौर पर होगा।

माननीय चैयरमैन साहब, मेरी मन्शा कहने की यह है कि इस विधेयक को बजाय इसके कि सेलेक्ट कमेटी वगैरह में भेजा जाय इस पर आज ही विचार कर लिया जाय। बहुत सरल, सीधा सा विधेयक है और ऐसा है जिसमें मैं समझता हूं कि कोई विवाद की गुंजाइश ज्यादा नहीं है।

इन शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्ताव को पेश करता हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)––माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय राजस्व मन्त्री ने जो जौनसार–बावर भौमिक अधिकार सुरक्षा तथा भौमिक अभिलेख विधेयक हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया, मैं समझता हूं कि यह बहुत ही बिलम्ब में प्रस्तुत हुआ। इसको सन ४६ में, सन् ४७ में जब पहिली कांग्रेस मिनिस्ट्री बनी, आना चाहिए था। जो कुछ भी आज किया जा रहा है वह जौनसार–बावर कमेटी रिपोर्ट के अनुसार किया जा रहा है, जो कि २३ मार्च, १९३९ ई० को सबसे पहिली कांग्रेस मिनिस्ट्री ने स्थापित की थी। यह कमेटी एफ० डब्ल्यू० डब्ल्यू०, बैंक्स आई० सी० एस० की अध्यक्षता में हुई और माननीय हर गोविंद सिंह आज के शिक्षा मन्त्री और श्री खुरशीद लाल उसके सदस्य थे। अंग्रेज तो क्या उसकी रिपोर्ट

श्री नारायण दत्त तिवारी]

को लागू करने, लेकिन जिस प्रकार की सामन्तशाही और पिछड़ा हुआ एक प्रान्त जो एक इतना विकृत रूप हो और विकृत चित्रण हो जैसा कि माननीय राजस्व मन्त्री जी ने स्वयं पेश किया, वहां आज सन् ५२ तक कोई लेजिस्लेशन, किसी प्रकार का कोई कानून हमारी सरकार न बना सकी यह बड़े ही दुःख की बात है। स्वयं राजस्व मन्त्री ने बतलाया कि सन् ५० से लैन्ड रिकार्ड्स का अभिलेख शुरू हुआ। जहां पर आज तक किसी प्रकार का कोई लैन्ड रिकार्ड न हों, जहां पर एक जातिवाद के सिद्धांत के ऊपर वाजिबुलअर्ज में दर्ज किया जाता रहा हो, केवल ब्राह्मण और राजपूतों के अलावा कोई और जमीनों के ऊपर काबिज न हों, जहां पर दासता, स्वयं राजस्व मन्त्री के कथनानुसार इतने साल से चली आ रही हो वहां तो सरकार का पहिला कर्त्तव्य था कि ऐसे विधेयक और कानून लाती जिससे वहां की पिछड़ी हुई हालत कम होती।

आगरा यूनिवर्सिटी के बारे में तो एक महीने की जब मोहलत रहती है, असेम्बली मिलने वाली है तब भी आर्डिनेन्स निकाल दिया जाता है, लेकिन जहां पर इतनी पिछड़ी हुई हालत है और जहां कि हरिजन वर्ग और जो पिछड़ी हुई जातियां हैं इतनी दबी हुई हैं वहां पर छः-सात साल तक हमारी सरकार कोई ध्यान इस तरफ न दे और आज अगर कोई विधेयक आये भी तो इतना अधूरा? मैं तो इसे बिलकुल अधूरा विधेयक कहूंगा और वह किस प्रकार अधूरा है यह मैं अभी साबित करूंगा। यह इतना अधूरा विधेयक है जिससे कोई अधिकार नहीं मिलता। मैं तो कहूंगा कि इस विधेयक से किसी प्रकार का अधिकार नहीं मिलता है, सिर्फ इतना ही होता है कि सन् ५० के जो रिकार्ड्स बना लिये हैं वह सही हो जाते हैं, जिन पर लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट लागू नहीं होता, वह हो जाता है और वह सही मान लिये जाते हैं और कानूनी दृष्टि से मुकम्मिल हो जाते हैं। इतनी बात जरूर है, लेकिन अगर राजस्व मन्त्री जी यह समझते हैं कि इससे कोलटों को या बाजगियों को या डोमों को या चमारों को, जो ११ हजार जनता जौनसार-बावर में बसती है उसको कोई रिलीफ मिलता है तो मैं ऐसा नहीं समझता। मैं इसका विश्लेषण आपकी आज्ञा से करना चाहता हूं।

उद्देश्य और कारण में लिखा हुआ है कि "देहरादून जिले के परगना जौनसार बावर में भौमिक अधिकार अब तक रूढ़ि जनित विधि के रूप में थे जो कि अधिकतर दस्तूरुल अमल में वर्णित हैं और कुछ दशा में तो लिपिबद्ध भी नहीं है।" इससे स्पष्ट है कि जितनी भी आज तक खराबियां लैन्ड या भौमिक अधिकार में रूढ़िवादिता से उत्पन्न हुई वह दस्तूरुल अमल में दर्ज हैं। लेकिन इस विधेयक में कहीं पर भी दस्तूरुल अमल को खत्म नहीं किया गया। और यह लिखा गया है कि दस्तूरुल अमल में जो विधियां हैं वे इस विधेयक के पास होने के बाद अब दस्तूर से लागू नहीं होंगी। क्योंकि धारा ३ में लिखा हुआ है कि "किसी विपरीत विधि के होते हुए भी, कोई भी काश्तकार अपने खाते से अथवा उसके किसी भाग से निम्न-लिखित में से एक अथवा दोनों आधारों के अतिरिक्त अन्य किसी आधार पर बेदखल न किया जायगा।" लेकिन काश्तकार की परिभाषा देखें कि कौन सा काश्तकार है। काश्तकार की परिभाषा इस विधेयक की जान है। माननीय राजस्व मन्त्री ने बतलाया कि कोलटा, बाजगियों की हालत इतनी खराब है। उन्होंने यह भी बतलाया कि वहां कर्जा परम्पराओं से चला आता है और खानदान के खानदान कर्जदार हैं और उसको चुकाने के लिये वह सेवा के रूप में या गुलामी के रूप में जमीन में काम करते हैं, कर्जदार होने की हैसियत से जमीनों में काम करते हैं और शायद माननीय मन्त्री जी इतना अवश्य ही मानेंगे कि इसके अलावा वहां लीज सिस्टम भी है जो धारा ४ में दिया है कि बहुत सी जो खास तौर से नौतोड़ भूमि वहां की लीज में है वह भी कोलटा बाजगियों के नाम से लीज तो है, लेकिन उनको कोई आकुपेन्सी राइट्स नहीं हैं। सन् १९३९ के ऐक्ट के अनुसार दखीलकार काश्तकारों का अधिकार मिला हुआ था वह भी इस तरह के टेनेन्ट को नहीं मिलेगा। तो मैं इतना कह कर काश्तकार की परिभाषा को प्रस्तुत करूंगा।

धारा २ की उपधारा (घ) देखी जाय तो, "काश्तकार के अन्तर्गत जोनसार बावर के दस्तूरुल अमल में माने गये मोरूसी काश्तकार या गैर मोरूसी काश्तकार है अथवा ऐसा काश्तकार जिसके पास भूमि सेवा के उपलक्ष में हो।" तो दस्तूरुल अमल भी ऐसा जिसको खुद स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स ऐन्ड रीजन्स में स्वयं माननीय राजस्व मन्त्री ने कोडिफाई बताया है, वही दस्तूरुल अमल की। काश्तकार की परिभाषा इसमें मानी गयी है। अब जो भूमि उसे मिली है वह सेवा के उपलक्ष्य में हो, 'इन लियू आफ सर्विस" (सेवा के स्थान पर)। वहां या तो कर्जदारी के उपलक्ष्य में है या लीज के उपलक्ष्य में। मेरे पास दस्तूरुल अमल की नकल भी है। उसमें राम साहब ने जो लिखा है वह मैं पढकर सुनाता हूं——

'But [illegible] Dom, Bajgi or any such low caste can get possession of such [illegible]. Only Brahmans and Rajputs can, and they can only hold it on [illegible] tenure.'

[किन्तु कोई डोम बाजगी या ऐसी कोई अन्य जाति ऐसी भूमि पर अधिकार नहीं रख सकती केवल ब्राह्मण और राजपूत ही रख सकते हैं और वे भी केवल गैर मौरूसी पट्टे पर रख सकते हैं]

दस्तूरुल अमल की परिभाषा मानी गयी है। इसमें मौरूसी काश्तकार और गैर मौरूसी काश्तकार माने जा सकते हैं और कौन हो सकते है। इसके बारे में दस्तूरुल अमल में साफ लिखा हुआ है कि –

'[illegible] two kinds of cultivators, on *mourooses* and the other [illegible] *mouroose*. Cultivators [illegible] of the Brahman and Rajput caste [illegible] power to sell or otherwise dispose of their lands. They [illegible] every way a right and title to their [illegible] the [illegible] have no right to sell or otherwise dispose [illegible] lands but the Zamindar whose land they cultivate, they pay [illegible] this payment is called *Kara*.'

यानी मौरूसी काश्तकार या गैर मौरूसी काश्तकार केवल ब्राह्मण और राजपूत हो सकते हैं, कोई कोलटा और बाजगी नहीं हो सकता है। यह दस्तूरुल अमल में दर्ज है और जो सेवा के उपलक्ष्य में है उसमें कोलटा और बाजगी आ जायेंगे। लेकिन कमेटी की रिपोर्ट में देखें कि उसमें स्पष्ट है कि कोलटा और बाजगी की मांगें क्या थीं। जब कमेटी ने कहा तो उन्होंने कहा कि जो जमीन हमारे पास है उनमें हमको आकूपेन्सी राइट्स दिये जायें और जो जमीन कर्जदार को कर्ज के ऐवज में दी जायेगी तो वह जमीन हमसे न ली जाय यानी कर्ज के चुकाने की हैसियत में जो काबिज है उसमें भी काश्तकार माने जायं। मौरूसी और गैर मौरूसी काश्तकार की जो लीज में हैं उनको भी काश्तकार माना जाय। तब तो पिछडी जाति के लोगों को कुछ रिलीफ मिल सकती थी।

अब मैं एक उदाहरण बतलाना चाहता हूं कि लोग कर्जे से किस तरह से परेशान हैं। मैं आपके सामने उस कमेटी की रिपोर्ट का एक उदाहरण देना चाहता हूं। कर्जे के सम्बन्ध में एक कोलटा इस कमेटी के सामने गवाही देने के लिये आया। यह कितना रोमांचकारी है। उस कोलटा ने बयान दिया है कि——

'I am Madho's Kolta. My great grandfather must have taken a loan. We have worked for him for five generations. They have now beaten me and turned me out. I had prepared two water mills, which the Siyanas have now claimed.'

[मैं माधो का कोलटा हूं। मेरे प्रपितामह ने अवश्य कोई कर्ज लिया होगा। हम लोगों ने उसके लिये पांच पीढियों तक काम किया। उन्होंने मुझे पीट कर निकाल दिया। मैंने दो पनचक्कियां तैयार की थीं जिन्हें सयानों ने अब अपनी बताया है।]

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

यह एक कोल्टा का बयान है। पांच परम्पराओं से वह कर्जदार था, अब दूसरा लीजिए वह कहता है कि—

"We have worked for four generations. My great grand-father had taken a loan of Rs 222."

यानी चार पुश्त पहले २२२ रुपये उधार लिये थे। आज तक वह काम करते चले आ रहे हैं, लेकिन कर्ज अदा नहीं हुआ। इस प्रकार की व्यवस्था के बारे में अंग्रेजों ने भी कहा है कि—

"In fact the problem is somewhat to be "Begar" taken by the Zamindars in the plains but on a much bigger scale."

[वस्तुतः यह समस्या बेगार के समान ही है जिसे जमींदार मैदान में लेते है, किन्तु बहुत बड़े पैमाने पर।]

स्पष्ट है कि जिसने एक दफा कर्जा ले लिया फिर उसको सारे कुटुम्ब, खानदान और पांच पुश्त तक को काम करना पड़ता है। उनके लिये इस बिल में कुछ भी नहीं है। मैंने दस्तूरुल अमल को टटोला, वाजिबुल अर्ज को देखा लेकिन यह चीज मुझे कहीं भी नजर नहीं आई। इस लिये इस बिल के स्टेटमेंट एन्ड आब्जेक्ट्स में कहा गया है उसमें तमाम जोतने वालों के लिये कहा गया है। काश्तकार की परिभाषा में कहीं भी नहीं है। इसमें लिखा है कि "अनुज भूमि जोतने वाले किसानों की सुरक्षा के निमित्त मौलिक अधिकारों से सम्बद्ध विधि को स्थिर करने तथा इस क्षेत्र के अधिकार अभिलेखों को नियमित करने के लिये यह विधेयक प्रस्तुत किया जाता है।" यानी काश्तकार की परिभाषा में यह कहीं नहीं लिखा है कि जिसके पास भूमि सेवा के उपलक्ष्य में हो। जहां पर हम कहते हैं कि उस पर दो वर्ष से अधिक का लगान बाकी है वहां सयाना लगान की कोई रसीद नहीं देता है। मैं माननीय राजस्व मन्त्री का ध्यान जरा आपके द्वारा आकृष्ट करना चाहता हूं। अगर कोई मान लिया लगान दे भी दे तो लगान की रसीद सयाना नहीं देता है। अब यह सयाना के ऊपर है कि वह यह माने या न माने कि उसने लगान दिया है या नहीं दिया है। रसीद का वहां सिस्टम ही नहीं है। इसके अलावा वहां लगान इन कैश ही नहीं दिया जाता है, इन काइन्ड भी दिया जाता है। जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने स्वयं कहा कि वहां लगान सर्कम्सटांसेज और प्रापर्टी टैक्स के रूप में है। वहां गायों पर टैक्स है और तमाम चीजों पर है, जैसा इसमें दिया हुआ है—

"Revenue assessment was settled as long ago as 1884, and approximates more to a circumstances and property tax than to a regular settlement, having been based not only on the amount of cultivable land, but also on the number of men in the family able to cultivate and on the number of cattle, sheep and goats owned."

बहुत पहिले सन् १८८४ में कर निर्धारण हो गया था और अनुमानित कर नियमित बन्दोबस्त की अपेक्षा स्थिति और सम्पत्ति पर लगाया गया था। वह केवल कृषि योग्य भूमि पर ही नहीं, अपितु परिवार के पुरुषों पर भी लगाया गया था, जो खेती करने योग्य थे, तथा मवेशी, भेड़ और बकरियों पर भी था, जो उनके पास थीं। ऐसा जब लगान है तो जो व्यवस्था आपने धारा ४ में की है कि अगर दो साल का लगान बकाया रह जाय तो वह निकाल दिया जायगा। तो भला बताइये कि कैसे मालूम होगा कि वह काश्तकार बेचारे ने लगान दिया, तो क्या दिया? कैश में दिया या काइंड में दिया या जो दिया उसकी रसीद मिली या नहीं मिली। जब तक इसका बन्दोबस्त नहीं होगा तब तक वह हमेशा बेदखल होता रहेगा। इस लिये उन काश्तकारों की सुरक्षा के लिये यह आवश्यक था कि कम से कम यह रखा जाता कि काश्तकार को रसीद देना सयाना के लिये आवश्यक होगा। वहां के बहुत पिछड़े हुए लोग हैं। पढ़ना लिखना तो दूर रहा, वहां के लोग इतना पिछड़े हुए है कि उनसे यह उम्मीद करना कि वह कानूनी माहिर हो जायेंगे गलत है। वहां के लोग तो वकीलों को भी नहीं पसन्द करते हैं। कमेटी की रिपोर्ट में यह

लिखा है कि वहां के लोगों ने कहा है कि हम वकील पसन्द नहीं करते हैं। तो जो इतना पीछे हटे हुए हैं उनके लिये कम से कम यह रखना आवश्यक था कि लगान की रसीद सयाना के लिये देना आवश्यक होगा और हर रसीद कि वह नक्ल रखेगा और जब वह बेदखली का दावा करेगा तो वह लगान की रसीद भी दिखलायेगा और तब कहीं बेदखली का प्रश्न उठेगा। कम से कम माननीय मन्त्री जी ने जब कमेटी के रिपोर्ट को देखा होगा तो उसकी सिफारिशों को भी देखा होगा। रिपोर्ट की सिफारिश मे यह स्पष्ट कर दिया गया है कि दस्तूरुल अमल और वाजिबुल अर्ज जो है उनको तो कह दीजिए कि यह बिलकुल बनाये ताक में रख दिये गये हैं। जब तक वाजिबुल अर्ज को आप किसी प्रकार भी मानेंगे तब तक कोई सुधार नहीं हो सकता है क्योंकि वाजिबुल अर्ज के लिये रास साहब ने अलग अलग कान्फ्रेन्स बुलायी थी और उस कान्फ्रेन्स में कुछ विशेष जाति के लोग बुलाये गये थे। उन्होंने एक ऐसा वाजिबुल अर्ज बतलाया कि जैसा मैंने आपके सामने अर्ज किया कि गैर मौरूसी काश्तकार मौरूसी काश्तकार हो सकता है।

हां, एक बात मैं कहना भूल गया। वहां का नौतोड़ जमीन का सिस्टम अलग है। जिसकी जहां तबीयत आती है वह वहीं जमीन तोड़ लेता है गो कि और जगह नौ तोड़ जमीन का रजिस्टर रहता है। वहां एक आदमी जहां रहता है वहां से दस मील पर जमीन जोतता है। आज भी वह ऐसा है कि एक आदमी जिस गांव में रहता है वहां से दस मील पर उसकी जमीन है। कमेटी ने यह कहा कि वहां के लोगों ने लैण्ड रिकार्ड्स आपरेशन की मुखालिफत की और उनका यह कहना था कि अगर आपने सेटिलमेंट किया और उनको पहिले अधिकार नहीं दिया तो इतना गड़बड़ होगा जिसकी हद नहीं है। मुझको यह डर है कि जैसा यह विधेयक है यदि माननीय मन्त्री जी ने हमारे संशोधनों के द्वारा या स्वयं अपने संशोधनों के द्वारा इसके आधार को नहीं बदला तो वहां बहुत झगड़ा बढ़ेगा। वहां वैसे ही पिछड़े हुए लोग हैं वे समझेंगे कि दस मील पर हमारी जमीन है, कौन लिये जा रहा है। वे कहेंगे कि हमारा वाजिबुलअर्ज में हक है। वह अब भी लागू है। आपने इस वाजिबुलअर्ज को मान लिया है और विधेयक भी लागू कर दिया। यह दोनों परस्पर विरोधी चीजें हैं। वाजिबुल अर्ज जितना पिछड़ा हुआ एक कानून और एक इतना आगे इतना बढ़ा हुआ यह कानून दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। फिर जबकि वाजिबुल अर्ज को आपने इसमें मान लिया है, जैसा कि एक जगह इसमें लिखा हुआ है, धारा ५ की उपधारा (ख) देखिए इस प्रकार नियुक्त अधिकारियों की प्रक्रिया को विनियमित कर सकेगी, किन्तु इस प्रकार नहीं जिससे कि ऐसे किसी क्षेत्र में समय विशेष पर प्रचलित किसी विधायन (enactment) के व्यापार (operation) में रुकावट पड़े। यानी अफसर कोई चीज वाजिबुलअर्ज के खिलाफ नहीं कर सकता। वह अफसर कुछ करना भी चाहे, कुछ रुकावटें डालना भी चाहे तो नहीं डाल सकता। वाजिबुलअर्ज को आपने इसमें प्रधानता दी है। इस प्रकार कोई भी अफसर इस धारा के अनुसार प्रचलित रिवाज के खिलाफ नहीं चल सकता। जौनसार-बावर के रिवाज इतने बरबर हैं, प्रतिक्रिया-वादी हैं और उनके खिलाफ अगर कोई अफसर नहीं जा सकता तो यह विधेयक क्या करेगा और अफसर क्या करेगा यह सोचने की बात है। पुराना जो वाजिबुल अर्ज है उसको खत्म करना चाहिए था और नये सिरे में एन ऐक्टमेंट करना चाहिए था। यह करना चाहिए था कि पुरानी सब बातें खत्म, अब नये सिरे से काम हो रहा है। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक कोई फायदा नहीं होगा। नये सिरे से जो सेटिलमेंट हो रहा है उसमें कितनी दिक्कतें आ रही हैं इसे माननीय राजस्व मन्त्री स्वयं जानते हैं। कमेटी रिपोर्ट में कहा गया है—

"Our Committee was at first almost unanimous in thinking that the only way to avoid ever increasing litigation was to have boundaries demarcated between all villages, by a special officer. Subsequently, however, we found that though opinions varied the greater body of local sentiment is strongly opposed to this. Such a demarcation would be very difficult to carry out in practice, with nothing to guide the demarcating officer apart from local opinions and his own discretion.

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

I- would arouse a mass of inter-village friction even in places where none exists at present and it would almost certainly involve hardship to certain villages which have little or no available land close by "

हमारे पहाड़ मे ऐसा होता है कि धार होती है। धार मे एक गाव एक ओर दूसरा गाव दूसरी ओर होता है। जो गाव नजदीक पड़ता है वह कहेगा कि यह हमारी जोत मे होना चाहिए, इस पर हमारा हक है। लिहाजा जब सेटिलमेंट का सवाल आयेगा तो कितना झगडा मचेगा, लेकिन अगर आप इस बात की पहले घोषणा कर देगे कि जो लोग खेती को जोतते चले आ रहे है, जो लोग १० मील के अन्दर है और पुरानी जमीन जोतते चले आ रहे है उनको इस विधेयक के द्वारा आप अधिकार देना चाहते है। लेकिन बिना पुराने रिवाज को खत्म किये, पुराने वाजिबुल अर्ज को खत्म किये, अपने सेटिलमेंट को शुरू कर दिया तो इससे झगडा और बढेगा और इतना झगड़ा मचेगा कि वे बेचारे आपस मे लड़ मरेगे। मै समझता हू कि पुलिस भी वहा कुछ न कर सकेगी। सयाना ही वहा के डिक्टेटर होते है, वही सब कुछ होता है। वहां क्या हालत होगी इसे राजस्व मन्त्री ही समझ सकते है। इस कानून से वहा की हालत और खराब होगी। इसके साथ ही साथ जिन सिफारिशो की बाबत मैने निवेदन किया, वे सिफारिशे सन् ३९ मे वहा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और कमिश्नर, देहरादून ने सरकार के सामने पेश कर दी थी। उन्होंने वहां के बारे में ५ सुझाव दिये थे एक तो यह था कि नौतोड़ जमीन जो है उसको कोई भी जोत सकता है। इन जमीनों को कोलटा लोग ही जोतते है अगर कोई अन्य जाति के लोग उसको जोतते है तो वे उनसे छीन लेते है। इसलिये पहिले आप यह करे कि नई तोड जमीन का एक रजिस्टर बनाया जाय। मगर इस विधेयक मे उसका कही भी जिक्र नही है।

दूसरी बात यह थी कि वहां पर जो सयाना लोग है उनके अधिकार कम किये जायं, उनकी ताकत को कम किया जाय। बिना उनकी ताकत कम हुए वहां पर कोई काम आगे नहीं बढ सकता है। वहां पर आप पञ्चायत कायम करना चाहते है यह ठीक है, लेकिन उनकी ताकत को भी कम कीजिए। अगर आप ऐसा नही करेगे तो उनकी निरंकुशता और बढेगी और वहा के झगड़े और बढ़ेगे। इस लिये इस बात की जरूरत है कि सयानाओ की ताकत को कम किया जाय।

तीसरी बात कर्जे की है कि उनके कर्जे को कम किया जाय और जो सिस्टम वहां पर चला आता है उसको तोड़ा जाय। आप कर्जे को माफ करने के लिये बड़े बडे विधेयक बनाते हैं, लेकिन उनके लिये कुछ नहीं किया जाता है तो उनके लिये भी कुछ ध्यान होना चाहिए। वहा के जो पुराने रिवाज है उनमें यह है कि वहां पर जो जमींदार है वे ही हर तरह से उसके जिम्मेदार होते हैं। अगर किसी का विवाह होता है तो उसका सारा खर्चा वे सयाना लोग देते है और जितना खर्चा होता है वह सब उनके कर्जे के रूप मे उनके नाम लिख दिया जाता है और उनके ऊपर और कर्ज चढ़ जाता है। इस कारण जब तक वहां पर यह कर्जे का सिस्टम कायम है और यह असर है तब तक कोई काम वास्तव मे वहां पर नही हो सकता है।

इसके अलावा जो जमीन वहा पर लीज पर उठी हुई है कोलटा लोगों को या और जो दबी हुई जाति के लोग है उनको जो अधिकार आकुपेन्सी राइट सन् १९३९ के ऐक्ट मे था वह इस विधेयक की धारा ४ मे उनको देना चाहिए। उसके सिलसिले मे कमेटी ने जो रिपोर्ट जौनसार–बावर के बारे मे लिखी है उसको मानना चाहिए। सरकार उसी कमेटी की रिपोर्ट को अमल मे लाना चाहती है और उसके मुताबिक काम करना चाहती है। तो अब उसी के मुताबिक जो उसने कहा है कि सरकार को काम करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते है तो जो हमारा उद्देश्य है उसको भी पूरा नहीं करते हैं। इन बातों को मै समझता हूं कि भूमि जोतने वालों की रक्षा के निमित्त राजस्व मन्त्री अवश्य स्वीकार करेंगे। मैने इन बातों को आपके सामने सही समझकर रखा है। किसी विरोध के कारण नहीं रखा है जो वास्तविक स्थिति है और तथ्य है उसको भी समझकर रखा है। अगर कोई शब्द मेरे गलत हों, जो कि

मने कहे तो बात दूसरी है अन्यथा इसमें कोई भी बात वास्तविकता से परे नहीं है। जो वाजिबुलअर्ज दर्ज है उनको और आपको ध्यान करना चाहिए। अगर काश्तकार की परिभाषा ने कोई बात नहीं की तो राजस्व मन्त्री जी को उस पर पुनर्विचार करने के लिये कोई एतराज नहीं होना चाहिए। वहां पर जो ये दबे हुए लोग हैं, पीड़ित हैं अगर उनकी रक्षा के निमित्त आप ध्यान देंगे तो इससे मानवता के एक अंश को राहत मिलेगी।

कुछ सांत्वना मिले और उनको भी उनके जन्मसिद्ध अधिकार मिलें जो कि इस प्रदेश की जनता ही ने नहीं, बल्कि संसार ने और मानवता ने स्वीकार कर लिए हैं। मैं आशा करता हूं कि जौनसार बावर के क्षेत्र पर भी अब मंत्री जी कृपा करेंगे। अब बहुत देर हो चुकी है सन् ४० से आज १३ साल के करीब हो चुके हैं और अब एक-एक दिन की देर खल रही है इस लिए आवश्यक है कि अब इसके लिए जल्द ही आर्डिनेन्स आवे। इसके बाद में माननीय राजस्व मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे पुनः विचार करके इस बिल को वापिस ले लें और कमेटी की रिपोर्ट में फिर से संशोधन करके इसको संशोधित रूप में लाने की कृपा करें।

वन उपमंत्री (श्री जगमोहन सिंह नेगी)––माननीय सभापति जी, इस विधेयक पर माननीय नारायण दत्त जी ने बहुत सी बातें कहीं। मैं यह नहीं कहूंगा कि उन्होंने कमेटी की जो रिपोर्ट है उसके विरुद्ध कहा या यह कि उनकी जो भावना है, वह किसी प्रकार बुरी है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि उनके मस्तिष्क में इस विषय में कुछ भ्रम अवश्य है, क्योंकि उनका सब से पहला आरोप सरकार पर यह था कि सन् ४० में जब यह कमेटी बैठी तो उसने इसको उसी वक्त कार्यान्वित क्यों नहीं किया? आपको इस रिपोर्ट में ही मालूम हो जायगा कि हमारे जितने उसमें कांग्रेसी सदस्य थे, वे युद्ध के छिड़ने पर उस कमेटी में हट गए, वे थे श्री खुरशेद लाल, श्री हरगोविन्द पन्त और श्री महावीर त्यागी। इसके बाद जब सन् ४६ में मिनिस्ट्री आई तो फौरन ही उस वक्त सेटिलमेंट आफ़िसर मुक़र्रर किए गए और वहां सेटिलमेंट का काम शुरू किया गया और वह काम अब तक चलता रहा। बाद को पता चला क्योंकि उस वक्त एडेप्टेशन वगैरह हो रहा था, उसमें दिक्क़तें मालूम हुईं कि अब उन नोटिफिकेशन्स से काम नहीं चल सकता, और उसके लिए अलग विधेयक लाना पड़ेगा और उसी के अनुसार काम होगा। यह बिल उसी के अनुसार सोच-समझ कर सदन के सामने लाया गया है। आप कहते हैं कि इन सुधारों को अमल में लाने की इतनी आवश्यकता थी कि आर्डिनेन्स लाना चाहिये था, इतनी जल्दी होनी चाहिए थी। और अब जो यह बिल लाया गया है तो उसमें आप कह देते हैं कि इसमें यह खामियां हैं और यह ठीक नहीं है। इसलिए इसको वापिस ले लिया जाय। लेकिन जो चीज भी बहुत सोच-समझकर की जायगी, उसमें तो समय लगेगा ही। आप जल्दी भी चाहते हैं और चाहते हैं कि वह सर्वांगपूर्ण भी हो, कोई त्रुटि न हो, तो यह दोनों चीजें साथ साथ नहीं चल सकतीं। सरकार ने उद्देश्य तथा (एम्स ऐण्ड आब्जेक्ट्स) में दिया है, वही इसकी भावना है और वही आप-हम भी चाहते हैं। आप भ्रम में इस लिए पड़े हैं कि कोलटा जो है, वह क़रीब ११ हज़ार है और बड़ी दुर्दशा में हैं। क्योंकि वे रिवीजन भूमि में काश्तकार नहीं हो सकते। ५६ हजार आबादी में से केवल ३६ सयाने हैं चाहे उनको चतुर कहिए या कुछ भी कहिए, आर्थिक दृष्टि से उनकी कुछ भी दशा हो, बाकी आप ने कमेटी की रिपोर्ट में पढ़ा होगा कि जौनसार का मसला केवल उन कोल्टा, बाजगी और चमारों के उत्थान का ही नहीं है, बल्कि सब मौरूसी और गैर मौरूसी काश्तकार, जिनको जमींदार भी कहते हैं, उनकी भी सोचनीय दशा है और उनकी समस्या भी उतनी ही महत्व की है।

आप ने रिपोर्ट में पढ़ा होगा कि उन पर कितना क़र्जा है। वहां २८ हज़ार एकड़ के क़रीब ज़मीन काश्त में है, इसमें से एक हजार एकड़ कोल्टा, चमार और बाजगियों के पास हैं। अब ३४ हज़ार एकड़ टोटल हो गई है, जिसमें से ४ हजार के क़रीब कोल्टा बाजगियों के पास है। इस औसत से आबादी के अनुपात से ५ हजार के क़रीब कोलटा, बाजगियों का

[श्री जगमोहन सिंह नेगी]

चाहिए। जो अब नये आंकड़े आये है और जिन्हें शायद माननीय मंत्री जी उपस्थित करेंगे, उनमें ४,००० एकड़ भूमि इन भूमिहीन दलितों के पास दिखलाई गई है। जो उनकी आबादी के अनुपात से करीब करीब ठीक ही है। तो बावजूद इसके कि जो सिफारिशें कमेटी की थीं, वे काम में नहीं आईं। मगर जो सैटिलमेंट होता रहा, उसमें इसी वाजिबुलअर्ज के आधार पर उनका नाम दर्ज होता रहा और जिसको अब इस विधेयक से लीगैलाइज किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि जो बात आप कह रहे हैं वह उनके हित की नहीं है। आप तो एक ही सांस में ३-४ बातें एक दूसरे के विपरीत कह रहे हैं कि या तो आर्डिनेंस बना डालो या इस बिल को वापस ले लो। मगर यह तो उनके हित में है कि यह विधेयक इसी रूप में, जिस रूप में यहां पेश किया गया है, स्वीकार किया जाय। इसमें जो सैटिलमेंट किया गया है, वह वैध किया जा रहा है ताकि वह कार्य क़ानूनी रूप धारण करने के बगैर रुका न रहे। अगर आप रिपोर्ट में देखें तो हजारों किस्म की चीजें इसमें हैं। जंगल के मामले और क़र्ज़े के मामले भी इसमें हैं। हमारे कुमायूं डिवीजन में भी पहले जो किसी तरह का शिकमी न हो या हिस्सेदार के साथ से बांट पाने वाला न हो, उसे भी कोई नौतोड़ ज़मीन लेने का हक़ नहीं था। जब ३६-३७ में कांग्रेस मिनिस्ट्री आई तो सबसे पहले यह बात उन लोगों के लिये की गई कि सबसे पहले हक़ उनका है जिनके पास कोई भी भूमि नहीं है। इसी प्रकार यहां पर भी यह बात की जा रही है। यद्यपि आप नहीं समझ रहे होंगे, मगर वाक़या यह है कि नौतोड़ जमीन पर सर्वप्रथम हक़ उन्हीं का है, जौनसार बावर में जिनके पास क़तई जमीन नहीं है।

मैं तो कहता हूं कि जब आप किसी चीज को आधार नहीं मानना चाहते तो दलितों के नाम पर कोई भूमि दर्ज कैसे हो सकती है? आप दलितों के नाम पर भूमि दर्ज काहे में से करेंगे? कुमायूं में भी केवल एक ही चीज लिखी जाती है जो दाखिलखारिज की है। आप तो कहते हैं कि वहां के लोग बिलकुल बे पढ़े-लिखे हैं और वे रसीद नहीं दे सकते, परन्तु आग्रह भी करते हैं कि उन्हें क़ानूनन रसीद लिखने के लिए बाध्य किया जाय।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या नयाबाद ऐक्ट जौनसार बावर में लागू होता है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—हां, वह फारेस्ट की मातहती में है। मगर मैं इसके लिये नहीं कह रहा हूं। आप देखें कि सन् ३५ में जब वहां के रिफार्म्स कमिश्नर ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से लिस्ट मांगी तो वह नहीं मिल सकी। मालूम तो ऐसा होता है कि आप स्वयं कन-फ्यूज्ड (भ्रम में) हैं, क्योंकि एक ओर तो आप कहते हैं कि रसीद दिलाई जाय और दूसरी तरफ आप स्वयं कहते हैं कि वहां के लोग बिलकुल बेपढ़े-लिखे हैं। तो आप ही बतलाइये कि बिना लिखे रसीद कैसे दी जायगी? आप कमेटी की रिपोर्ट देखिये। आप देखेंगे कि उन्होंने भी कहा है कि वह इस बात को चाहते हैं, मगर यह वास्तव में पेपर बात ही रह जायगी। असल में कोई रसीद नहीं देगा, क्योंकि वे लिखना जानते ही नहीं। आपको मालूम नहीं है कि हमारी सरकार ने इन लोगों को शिक्षित बनाने के हेतु कई पाठशालायें खोलीं और उच्च शिक्षा के लिए जूनियर हाई स्कूल जबकि प्रान्त में उक्त वर्ष में किसी जिले को कोई जूनियर हाई स्कूल नहीं दिया गया। केवल आप अपोजीशन में हैं, इसलिये आपको कोई बात कहना है तो बात दूसरी है। वैसे हम आपको कहने से रोकते नहीं हैं, आपको सब कुछ कहने का हक़ है और इसी से आप अपनी उपस्थिति को सिद्ध कर सकते हैं तो कहिये जो मन में आवे, लेकिन मैं इतना अवश्य कह देना चाहता हूं कि सब लोगों के हित में यही है कि यह विधेयक अविलम्ब स्वीकृत किया जाय। मौरूसी और गैर-मौरूसी लोगों में ये भी हैं यद्यपि इनकी अपेक्षाकृत अवस्था खराब है, लेकिन अधिकतर जमींदार काश्तकारों की दशा इन कोल्टे, बाजगियों और चमारों से कम खराब नहीं है।

आपकी दूसरी जो मांग है वह यह है कि उनको एक ही जगह पर भूमि दे दी जाय। १० मील दूर नहीं होनी चाहियें, लेकिन पहाड़ों पर चकबंदी हो नहीं सकती और न चकबंदी

करने से वहां के लोगों की कोई भलाई ही हो सकती है। अगर आपका ऐसा ख्याल है कि इससे वहां के लोगों की भलाई हो सकती है तो मैं कहूंगा कि आपका यह ख्याल गलत है। वहां किस प्रकार की भूमि होती है। अगर किसी को कुछ पहाड़ी का ढाल और पथरीला भाग मिल गया, जो किसी काम का नहीं होता, तो क्या वह उस भूमि को लेकर अपनी तक़दीर को रोयेगा? इससे तो वह यह अच्छा समझेगा कि एक अच्छा खेत उसको १० मील पर ही मिल जाय। इसी विधेयक में सब बातें हैं आना है. यानी जंगलों के कष्ट की बात, रसीद देने की बात, क़र्ज़े की बात और कन्सालिडेशन की बात तब तो अवश्य यह अपूर्ण बिल है। जिस दिन रूप में विधेयक लाया जा रहा है, उसमें देर करने से वहां के ग़रीब लोगों का कोई लाभ नहीं हो सकता। हां, आपकी इस बात से हम लोग सहमत हैं कि अगर इस प्रकार का विधेयक और जल्दी उपस्थित कर दिया जाता तो बहुत अच्छा होता।

हम यह भी जानते हैं कि कुमायूं डिवीजन का बिल हम अभी तक उपस्थित नहीं कर सके हैं लेकिन जहां बहुमत का ज्यादा लाभ होता है वहां हम अल्पसंख्यकों का ख्याल बाद में करते हैं। इसलिये सबसे पहिले हम जमींदारी अबालीशन बिल को लाये और अब उत्तराखंड एरिया का लाना चाहते हैं। यह हम जानते हैं कि कुमायूं डिवीजन बहुत पिछड़ा हुआ है लेकिन इन महत्वपूर्ण कार्यों के कारण सब काम अटका हुआ था। अक्सर मिलते इसके महत्व के अनुसार इस विधेयक को अब लाया गया, इसलिये इस बिल को अप-टू-डेट बनाने की मंशा के नाम पर आप करते हैं, वे एक प्रकार से उनके मार्ग में बाधक होंगे और कोई भलाई उन लोगों की नहीं कर सकेंगे। यह विषय राजस्व मंत्री जी का था मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी मगर चूंकि इस इलाक़े से मुझे विशेष जानकारी थी इसलिये मैंने दो-चार शब्द आपके सामने कहे। जैसे जैसे आवश्यकता होगी वैसे वैसे हम उसको संशोधित कर सकते हैं। जब कि आपको वहां की बहुत सी बातों की पूरी तौर पर जानकारी नहीं है तो कैसे एक डिफेक्टलेस (निर्दोष) बिल बनाने की बात करते हैं? आप समझिये कि १८१५ से आज तक वहां पर कोई क़ानून नहीं था केवल नोटीफिकेशन्स थे तो फिर वहां पर एकाएक बिना आधार और बिना फाउंडेशन के मकान बना देना किसी के बल-बूते की बात नहीं है। इसलिए उन सब नोटीफीकेशन्स वाजिबुलअर्ज़ आदि को आधार बनाकर ही बिल पेश करना था, परन्तु जहां पर रिवाज और वाजिबुलअर्ज़ में दर्ज बातें अच्छी नहीं हैं और उन्नति के मार्ग में बाधक हैं तो उन बातों के लिए वे आधार नहीं माने जावेंगे। इसलिये ज़रूर कमी हो सकती है, मगर जहां तक गवर्नमेंट कर सकती है, मैं समझता हूं कि उन्होंने बहुत सोच-समझ कर इसको बनाया है। और इसके बाद ज्यों ज्यों अनुभव हम को होते रहेंगे, अनुभव प्राप्त करते रहेंगे और जो कमियां रह गयी हैं वे संशोधन द्वारा ठीक होती जायंगी। इस लिये मैं विशेष कर विरोधी दल के सदस्यों से यह प्रार्थना करूंगा कि वे इस विधेयक को शीघ्र तिशीघ्र पारित कर दें और उनके लिये जो कार्यवाही हुई है, उसे वैध बनावें।

श्री राम लखन मिश्र (जिला बस्ती)--आदरणीय चेयरमैन महोदय, मैं इस विधेयक में कुछ विशेषता देखता हूं। इस विधेयक का प्राण स्वरूप यह प्रश्न है कि जिस दिन यह अधि-नियम हो जायगा, किसान बेदखल हो सकेंगे या नहीं। इस विधेयक में स्पष्ट रूप से धारा ३ में है कि कोई काश्तकार बेदखल नहीं होगा, जब तक कि उसके ऊपर दो वर्षों का लगान बकाया न हो। तो मैं नहीं समझ पाता कि उसे और क्या चाहिये। मौरूसी और गरमौरूसी का प्रश्न तो बाद में आयेगा। मेरा जहां तक अनुभव है पर्वतीय प्रदेश के लोग निहायत ईमानदार होते हैं, वहां झगड़े की कोई बात नहीं होती। आज से ५२ वर्ष पीछे जायं तो पाते हैं कि लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ को वहां लागू करने की ओर अब संकेत है, कब्जे के आधार पर। यह तो डिप्यूटेड आफिसर पर निर्भर करता है कि वहां का अधिकारी कैसा निर्धारित किया जाता है। यह विधेयक तो बहुत ही आवश्यकीय था, जिससे लैंड रेवेन्यू ऐक्ट के आधार पर, क़ब्ज़े के आधार पर किसानों के नाम दर्ज हो जायंगे, उनका लगान दर्ज हो जायगा, उनकी काश्तकारी दर्ज होगी। तो ऐसे विधेयक में मैं कोई नुक़सान की बात तो नहीं देखता हूं, जिससे कोई ऐसी रुकावट हो कि

[श्री रामनरेश मिश्र]

इसको वापस ले लिया जाय और इसे प्रस्तुत न किया जाय। मेरा विचार है कि यह विधेयक बहुत पहले ही आ जाना चाहिये था। इसके आ जाने से वे भी समान स्तर पर प्रदेश के साथ हो जायंगे।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो श्री नारायण दत्त जी ने हमारे सामने यह विचार रखा कि इस बिल को वापस ले लेना चाहिये, मैं समझता हूं कि यह बहुत मुनासिब बात है। और मैंने भी इस बिल को पढ़ने की कोशिश की। उसी के साथ साथ आज से कई वर्ष पहले जब कि इस सूबे मे कांग्रेस की पहली हुकूमत बनी थी तो उस वक्त उसने एक कमेटी मुकर्रर की थी जौनसार बावर इलाके की जांच करने के लिये, मैंने उसकी रिपोर्ट भी थोड़ी बहुत देखने की कोशिश की। उस कमेटी ने बहुत से पहलुओं पर विचार किया और उसने बहुत सी बातों पर अपने विचार प्रकट किये। यह हो सकता है कि इस बिल मे उन सब बातों का समावेश न हो सकता हो, लेकिन जिन बातों का समावेश करने के ऊपर कम से कम लैंडेन्योर, पर उन्होंने अपनी जैसी राय जाहिर की थी. मेरे ख्याल में उन बातों को भी पूरा नहीं किया जा सका। यह बिल एक बहुत ही अच्छे मौके पर पेश हुआ और खासतौर से उस वक्त जब कि इस सदन मे हम लोगों ने दक्षिण अफ्रीका के निवासियों के संबंध मे और यहां से जाने वाले भारतीय, जो वहां मौजूद है उनके संबंध मे विचार किया है, उनके साथ सहानुभूति प्रकट की है और मलान सरकार की नीति की कड़ी टीका की, उनकी बहुत निन्दा की।

हम यह तो नहीं कहते कि मलान सरकार की तरह से हमारी यू० पी० की सरकार की जौनसार बावर के इलाके के लोगों के साथ उदासीनता है या कोई बुरा भाव है, परन्तु यदि प्रदेश के किसी भाग मे दक्षिण अफ्रीका से मिलता जुलता भेदभाव वाली नीति देखने को मिले तो यह बड़ी शर्म की बात है। जिस वक्त हम देखा करते थे क़ानून की पुस्तकें कि जौनसार बावर परगना जो है उसको इन क़ानूनों से फायदा नहीं उठाने दिया जाता था तो हम सोचते थे कि जौनसार बावर के लोग ऐसे हैं जो ज्यादा अच्छी हालत में है जिससे इस क़ानून से दूर रखे जा रहे हैं या यह कि क़ानून की मुसीबत से बचाये जा रहे है। लेकिन अब हमने यह देखा कि जो क़ानून इस सूबे में बने और कांग्रेस सरकार ने ही बनाये उन क़ानूनों के फायदे से उनको महरूम रखा। तो क्या मैं ऐसा समझूं कि जौनसार बावर के इलाके के लोगों के साथ हमारी कांग्रेसी हुकूमत का रुख अच्छा नहीं रहा है। और एक ऐसा छोटा सा हिस्सा इस सूबे में बना कि जिसके मुक़ाबिले में हम ढूंढ़ें तो शायद सारे भारतवर्ष से कोई इलाका इस प्रकार संकटग्रस्त और पिछड़ा हुआ न मिले। जो हालत वहां के लोगों की है माननीय नेगी जी के कहने से भिन्न है। कोल्टा और बाजगी लोगों की जो हालत माननीय नेगी जी बतलाते है वैसी नहीं है। यद्यपि मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात का प्रत्यक्ष अनुभव मेरा नहीं है, मेरी निजी जानकारी जौनसार और बावर ज़िले के इलाके के लोगों की नहीं है और इस संबंध में मैं माननीय नेगी जी का लोहा मानने को तैयार हूं, क्योंकि वे पर्वतीय इलाके के रहने वाले है और वे जौनसार बावर इलाके के लोगों की हालत मुझसे ज्यादा जान सकते हैं, लेकिन जहां तक जौनसार बावर इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट है उससे मालूम होता है कि इस इलाके के लोग मानवीय अधिकारों से भी वंचित हैं। मालूम होता है कि वह हिन्दुस्तान में रहते ही नहीं हैं और यहां के नागरिक ही नहीं हैं। चाहे वह सयाने हों और चाहे वे सुपरिटेंडेंट हों, चाहे वहां हों अछूत के नाम से हों ऐसा मालूम पड़ता है कि वहां वह चीज़ें जारी हैं. जो देश के दूसरे भाग मे नहीं है। यह हो सकता है कि इस क़ानून से थोड़ा बहुत उपचार हो जाय, लेकिन उस उपचार से उस इलाके को कोई कल्याण होने वाला है, ऐसी बात नहीं।

मैं तो माननीय राजस्वमंत्री से आग्रह करता अगर वहां के बारे में मुझे कोई विशेष जानकारी पहिले से होती, तो मैं उनका दरवाजा खटखटाता कि माननीय राजस्व

मंत्री जी के लिये यहीं एक्सपेरीमेंट का मौका है। जौनसार बावर में जैसा कि कुमारप्पा साहब की रिपोर्ट है इस तरह की चीजें जैसे कलेक्टिव फार्मिंग वगैरह लागू की जाय। जौनसार बावर जांच समिति की रिपोर्ट तो इस सूबे की है, लेकिन उसमें लिखा है कि सारे हिन्दुस्तान में इतनी सहनशीलता का परिचय जितनी सहनशीलता का परिचय जौनसार बावर के इलाके के लोगों ने दिया और कहीं नहीं दिया है। मैं तो समझता हूं कि जो कठिनाइयां माननीय राजस्व मन्त्री जी ने भूमि के बटवारे के संबंध में, कलेक्टिव फार्मिंग के संबंध में, कोआपरेटिव फार्मिंग के संबंध में उत्तर प्रदेश के और भागों में बतलाते हैं वह यहां पर कम है। मेरा ख्याल है कि यह उनके मंत्रित्व काल में बहुत अच्छा नमूना होगा। और जैसी कि रिपोर्ट है कुमारप्पा साहब की है जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की ओर से डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद साहब ने जिस कमेटी को बठाया था उसके अनुसार जहां भी कोई नई जमीन आबाद की जाय वहां पर कलेक्टिव फार्मिंग की जरूर कोशिश की जाय। रिपोर्ट में यह बात मालूम हुई है कि वहां आजकल यह बताना कठिन है कि कौन कौन से कानून वहां पर लागू हैं। यह सही है कि दस्तूरुल अमल और वाजिबुलअर्ज वहां का सबसे प्रचलित कानून हैं। लेकिन यह भी कहना मुश्किल है कि इसके अलावा कितने क़ानून वहां पर लागू हैं। मुकद्दमों के फैसलों के संबंध में तो कमेटी की यह राय है कि कोई क़ानून काम नहीं करता, बल्कि ज्यादातर मुक़द्दमे इस तरह से फैसला होते हैं जैसे कि पिछले मुक़द्दमे फैसल हुए हैं। उन्हीं के आधार पर मुक़द्दमे फैसल कर दिये जाते हैं। मेरे कहने का मतलब यह था कि इस जगह पर हम को एक एक्सपेरीमेंट करने का अवसर था। जहां के लोग इतने सीधे हैं, जहां के लोग क़ानून के दांवपेच को कम जानते हैं। जहां पर बहुत सी सहूलियतें हम को हासिल हैं कि जिसे हम करना चाहते हैं, जिस चीज के लिए आज सारे देश में मांग है उसको हम वहां कर सकते थे।

इस बिल में सिवा इसके कि जिन लोगों ने जमीन जोती है उनके नाम दर्ज कर दिये जायं और उसके बाद क्या भौमिक अधिकार होंगे, उस पर भी कुछ रोशनी डाली गयी है और कुछ नहीं है। इससे मैं मान सकता हूं कि कुछ थोड़ी सी सहूलियत पद दलितों को तो जरूर मिलेगी। परन्तु वह नगण्य होगी। जिस हालत में कोलटा, बाजगी, डोम और चमार हैं उनकी हालत बहुत थोड़ी सुधरेगी। लेकिन हमारा कोई खास आदर्श तो नहीं होगा। जब कि हम वहां बहुत अच्छी तरह से अपना एक्सपेरीमेंट कर सकते थे जोकि हमारे मस्तिष्क में है। हम और जगह भूमि के बटवारे की बात करने में कठिनाई समझते हैं, हमें कलेक्टिव और कोआपरेटिव फार्मिंग की बात में भी कठिनाई मालूम होती है। समाजवादी धारा तो आखिर उनके दिमाग में भी है, यद्यपि वे कहते हैं कि मैं समाजवादी नहीं हूं, लेकिन वह समाजवादी धारा के गुणों को समझते हैं और वे उसी रास्ते पर चलने का भी दावा करते हैं। तो ऐसी हालत में हमें वहां एक नया ढांचा तैयार करने का मौका है। मैं बहुत शुक्रगुजार होता यदि माननीय राजस्व मंत्री जी अगर वैसा ढांचा तैयार करने की कृपा करते। खास तौर से अगर हम उनको मान लें कि टिनेंट्स ऐट विल हैं तो जिस तरह से बम्बई की सरकार ने टेनेंट्स ऐट विल के अधिकारों की रक्षा की है यह हमारा क़ानून उस तरह से नहीं कर पाता। यह क़ानून उससे बहुत पीछे है। इस क़ानून के जरिये हम बहुत थोड़े अख्तियारात उनको दे पाते हैं जो जमीन के अधिकारी हैं। हां, यह जरूर हो जायगा कि उनके नाम दर्ज हो जायेंगे, वहां स्थापित स्वार्थ मजबूत नहीं हैं, लेकिन थोड़े से स्थापित स्वार्थों के कारण उन के अधिकारों की रक्षा करने में हम समर्थ नहीं हो पा रहे हैं इस क़ानून के द्वारा। इसलिए मैं तो समझता हूं कि जिस तरह से बम्बई में टिनेंट्स ऐट विल की हिफाजत की गयी है उसी तरह वे भी कुछ करने का यत्न करें। जौनसार-बावर इलाक़े के लोग किस तरह से उन्नति कर सकते हैं वहां के लोगों को साधारण मानवता के अधिकार किस प्रकार दिला सकते हैं। इन सब बातों पर विचार करने के लिए उस पुरानी कमेटी की रिपोर्ट से काम न लेकर कुछ नई जानकारी और अध्ययन के आधार पर क़ानून बनाया जाय। वह रिपोर्ट सन् १९४० ई० की है। उसमें जैसा कि माननीय नेगी जी ने कहा कि तीन कांग्रेस के सदस्य थे। वे तीनों इस्तीफ़ा दे कर चले गये। कुछ लोग आई० सी० एस० आदि थे। जिन्होंने रिपोर्ट तैयार की है। मैं नहीं जानता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जी ने किस आधार पर यह क़ानून बनाया

श्री नेत्र सिंह

है अपनी निजी जानकारी के आधार पर बनाया है अथवा उस रिपोर्ट के आधार पर। अगर उस रिपोर्ट के आधार पर बनाया है तो मैं समझता हूं कि उसमें गलती अवश्य रहेगी।

मैं इस बात को बिलकुल मानने के लिये तैयार हूं कि माननीय हरगोविन्द पन्त जी, स्वर्गीय खुशीराम जी और सेकड़े साहब और महावीर त्यागी साहब थे, जो तीनों आदमी बराबर उस कमेटी की मीटिंग में हिस्सा लिये होंगे, इंक्वायरी में हिस्सा लिये होंगे, सारी जानकारी में हिस्सा लिये होंगे और उनकी राय से रिपोर्ट लिखी गयी होगी, तो वह रिपोर्ट बहुत ही क़ीमती होती और उसकी राय आज हमारे लिये बहुत ही कारगर होती और ख़ासकर माननीय राजस्व मंत्री जी के लिये बहुत ही कारगर साबित होती। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वह इस कमेटी में नहीं रहे। जो रिपोर्ट आयी वह ऐसी है कि जिस को आदि से अन्त तक पढ़ जायें तो उसमें ऐसी चीजें भी मिलेंगी कि जिनको आप किसी हालत में भी पसन्द नहीं करेंगे। अभी माननीय नेगी जी ने कहा कि वाजिबुल अर्ज़ और दस्तूरुल अमल यह दोनों चीजें आज भी लागू हैं। लागू होते हुये उसमें यह साफ लिखा हुआ है, आप अगर मुनासिब समझें तो उस रिपोर्ट का एक हिस्सा आप की खिदमत में पेश कर दूं कि डोम, चमार या बाजगी जो हैं वे किसी तरह से खेतों पर मौरूसी हक़ नहीं पा सकते और ब्राह्मणों और राजपूतों को इस तरह के हक़ हासिल हैं। जो साहब इसको देखना चाहें मैं उनसे अर्ज़ करूंगा कि २१ वां पेज पर यह साफ लिखा हुआ है :

"But no Dom, Bajgi or any such caste can get possession of such land. Only Brahmins and Rajputs can and they can only hold it on a *Ghair Mourusee* tenure."

[किन्तु कोई डोम, बाजगी या ऐसी कोई अन्य जाति ऐसी भूमि पर अधिकार नहीं रख सकती। केवल ब्राह्मण और राजपूत ही रख सकते हैं और वे भी केवल गैर मौरूसी पट्टे पर रख सकते हैं।]

यह वाजिबुल अर्ज़ और दस्तूरुल अमल का हाल है। यह दोनों आज तक लागू हैं और संभव है कि वे आगे भी चलें, क्योंकि बिल में उन्हें रद्द कर देने का कोई ज़िक्र नहीं है। मैं बहुत तफसील में इस समय इस मामले में जा नहीं सकता इसलिये कि जो लोग जौनसार बावर के संबंध में ज्यादा जानकारी रखते हैं वह इस पर ज्यादा रोशनी डाल सकते हैं। मैंने इस रिपोर्ट को पढ़ा और इस विधेयक को पढ़ने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा और मैं यह मुनासिब समझता हूं कि किसी आर्डिनेंस के ज़रिये या किसी और तरीक़े से उन किसानों की, जो कि खेत के जोतने वाले हैं, हिफाज़त करने के लिये माननीय राजस्व मंत्री जी कोई उपाय करें। दस दिन के लिये, पांच दिन के लिये या हफ्ते भर के लिये माननीय राजस्व मंत्री जी को जौनसार बावर का दौरा करना चाहिये। वे स्वयं दौरा करें या कुछ लोग जिनके ऊपर उनका अटूट विश्वास हो उनसे दौरा करायें और इस १५ वर्ष पुरानी रिपोर्ट पर आधारित न हो करके उस जगह को देखें और इस पर गौर करें कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम हर आदमी को ज़मीन दे करके ऐसी खेती करा सकेंगे जैसी खेती के ढंग के लिये आज सारे हिन्दोस्तान में और एशिया में पुकारा जा रहा है और फिर वैसी खेती करा करके हम अपना गुज़ारा कर सकेंगे। यदि वहां पर हम ऐसी चीज़ को लागू कर सकते हैं तो इसमें कोई विशेष देर की बात नहीं है। माननीय नेगी जी ने यह ज़रूर कहा कि जल्दी में कोई चीज़ नहीं हो सकती और गवर्नमेंट का जो तरीक़ा है उस तरीक़े से वह अपने काम को करती है। मेरी बदकिस्मती है कि माननीय नेगी जी नहीं हैं। मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता था कि सन् १९३९ में कमेटी बनी थी, २३ मार्च सन् १९३९ को, उसके बाद उसकी रिपोर्ट कुछ समय के बाद आ गयी। हमने माना कि लड़ाई आयी और लड़ाई आने के बाद हमारी कांग्रेस की हुकूमत को इस्तीफा देना पड़ा और इस्तीफा देने के बाद एक तारीख़ मैं याद ज़रूर दिलाना चाहता हूं, माननीय नेगी जी को। बिलकुल ठीक तारीख़ तो मुझे याद नहीं आ रही है कि सन् १९४६ में वह कब आये थे, लेकिन

मुझे याद है कि सन् १९४६ ई० में वह इन कुर्सियों पर फिर तशरीफ लाये थे। सन् १९४६ के बाद यह सन् १९५२ है, ६ वर्ष तक कोल्टा, बाजगी याद नहीं आये, जौनसार बावर का इलाका याद नहीं आया
इन को मानने के लिये
न हम इसे बर्दाश्त कर सकते। हम इस बात को भी मानने के लिये तैयार नहीं हैं कि हमारे देश के एक कोने में ऐसे लोग पड़ रहे हैं जिनकी हालत जानने के बाद हमको शर्म आवे।

मैं यह भी समझता हूं कि इतनी जोरदार भावना जो हमारे अन्दर है वह नेगी साहब के अन्दर भी है और उतनी ही माननीय राजस्व मंत्री के अन्दर भी है। मेरा कहना है कि आप इस बात को सोचकर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। यह बड़ी देर हुई और जिन परिस्थितियों में देर हुई वह हुई ही लेकिन अब सप्ताह या १० दिन का समय लगाकर कुछ विशेषज्ञों की एक कमेटी बना दी जाय जो इस सम्बन्ध में जौनसार बावर के लिये ऐसा कानून बनाये जिसमें उनकी हिफाजत हो सके और उनकी जो अर्द्धदासता है उससे उनको छुटकारा मिल सके और दूसरों को कुछ भी मिले। अगर वास्तव में आपकी ख्वाहिश है कि उनका फायदा हो तो तीन आदमियों की या चार आदमियों की एक कमेटी बना दी जाय और राजस्व मंत्री जी भी उसमें जायें। उसको देखकर कोई ऐसी चीज ले आवें जिसमें उनकी हिफाजत हो सके और सचमुच जो बदनामी की चीज है वह फिर बदनामी का कारण न रहे।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य (जिला मथुरा)--माननीय चेयरमैन महोदय, आज विरोधी दल ने एक विचित्र मांग इस सदन के सामने उपस्थित की और वह मांग यह है कि जौनसार बावर में संबद्ध भौमिक अधिकार सुरक्षा विधेयक को वापस लेकर और विचार करके दूसरा एक विधेयक लाया जाय जिसमें बहुत सी उन बातों का समावेश हो सके जो कि विरोधी दल ने सदन के सामने रखी हैं। माननीय राजस्व मंत्री ने जब इस विधेयक को सदन के सामने रखा तो उन्होंने स्पष्टरूप से इस बात को स्वीकार किया कि जौनसार बावर का जो इलाका है वह एक पददलित लोगों का इलाका है जिसकी सुरक्षा का प्रबन्ध किया जाना परमावश्यक है। यह भी स्वीकार किया गया कि इस संबंध में देर हुई और उस देरी के बहुत से कारण भी इस सदन के सामने बताये गये। जहां तक विरोधी दल का संबंध है उन्होंने भी यह स्वीकार किया कि यह इलाका बहुत पददलित है और यहां पर सुधार की आवश्यकता बहुत अधिक है और ऐसी है कि जिसकी पूर्ति यह विधेयक नहीं करता है। जहां तक सुधार होने का प्रश्न है सभी सदस्य इससे पूर्णरूप से सहमत हैं। लेकिन वह सुधार किस प्रकार किया जाय केवल इतना सा प्रश्न है। उस सुधार करने के लिये कोई विधेयक हो तो उसके लिये साउथ अफ्रीका के प्रश्न को मिलाकर और इस सरकार की जो सुधार करने की इच्छा है उसको साउथ अफ्रीका के साथ मिलाकर रखना यह कहां तक युक्तिसंगत है, यह माननीय गेदासिंह जी विचार कर सकते हैं। प्रश्न सीधा है। मानवता को कुचलने का प्रश्न विधान द्वारा हल किया जाना दूसरी बात है जैसा कि साउथ अफ्रीका में किया जा रहा है। कुचली हुई मानवता को विधान द्वारा ऊंचा उठाने का प्रश्न और है, इन दोनों बातों का साम्य अगर कोई करे तो फिर इस संबंध में मैं क्या कहूं।

दूसरी आपत्ति इस विधान के संबंध में माननीय नारायण दत्त जी ने या गेदासिंह जी ने इस सदन के सामने रखी उस पर ये दोनों सज्जन ही अधिक विस्तार से विचार कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि यदि ये मेरी इस बात पर विचार करेंगे तो जो बातें उन्होंने कही हैं उनको वापस लेने पर तैयार हो जायेंगे। मेरा निश्चित मत है कि माननीय नारायण दत्त जी को इस संबंध में बहुत ही भ्रम है। जहां तक कमीशन की रिपोर्ट का संबंध है और जो उन्होंने इस सदन के सामने रखी और चाहा कि यह सदन इस रिपोर्ट के आधार पर आगे बढ़े मैं निश्चित रूप से यह विश्वास करता हूं कि उनका शायद ख्याल यह है कि यह विधेयक वाजिबुल अर्ज की बात को लेकर चलता है और जो इस विधेयक में डिफाइन किया गया है।

[श्री लक्ष्मी रमण आचार्य]

यह धारा २ (ग) के अंग मे जो विधि को डिफाइन किया है तो शायद उनका विचार यह है कि यह विधि के डिफाइन हो जाने का तात्पर्य यह हुआ कि यह विधेयक इस विधि का प्रतिपादन करना है या स्वीकार करता है। विधि जिस प्रकार से डिफाइन की गई है। विधि की जो परिभाषा है वह खंड (ग) इस प्रकार है "विधि के अंतर्गत कोई भी आदेश, अध्यादेश, नियम, विनियम, रिवाज अथवा प्रथा है जिसे जौनसार बावर मे विधि का बल प्राप्त हो" मेरे मित्र का सम्भवतः यह विचार है कि इस परिभाषा को यह प्रतिपादित करता है यानी इसी के आधार पर यह विधेयक बनाया गया है। मैं उनका ध्यान धारा ३ की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। "किसी विपरीत विधि के होते हुये भी कोई भी काश्तकार अपने खाते मे अथवा उसके किसी भाग से निम्नलिखित मे से एक अथवा दोनों आधारों के अतिरिक्त अन्य किसी आधार पर बेदखल नहीं किया जायगा।" अथवा यह विधि जिसका संबंध धारा २ के खंड (ग) से जो परिभाषा दी गई है उसमे है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि यूसेज या रिवाज इसके विपरीत है तो भी कोई काश्तकार इन कारणों के अतिरिक्त और किसी कारण से बेदखल नहीं किया जायगा। सारे विधेयक मे मैंने विधि को किसी और स्थान पर नहीं पाया। निश्चित रूप से जो परिभाषा धारा २ मे है वह इसी के लिये समाविष्ट की गई। यद्यपि जौनसार बावर के इलाके मे मेरा सिवाय इससे कि प्रत्येक कानून मे हमने यह देखा है कि यह जौनसार बावर से लागू नहीं होगा और कोई संबंध न पहले था और न अब भी है। विधि का प्रयोग और कहीं नहीं है। वाकई मे एक प्रकार से बहुत स्पष्ट रूप से वहां पर जो यूसेज प्रचलित हुये उनके द्वारा ऐसे काश्तकार उत्पन्न हो गये जिनके लिये इस क़ानून की आवश्यकता पड़ी।

जहां तक विधि की परिभाषा का ताल्लुक है तो मेरे माननीय मित्र श्री नारायण दत्त जी इसको देखकर जो उनको भ्रम है उसको दूर कर देंगे। श्री नारायण दत्त जी ने धारा ५ के (ख) अंग को पढ़ लिया और विचित्र रूप से ख्याल किया कि इस विधि का अर्थ यह है कि इस विधि के द्वारा जो बुराइयां आ गई है यह विधेयक उनको प्रतिपादित कर देगा। उन्होंने इस तरह से पढ़ा कि "इस प्रकार नियुक्त अधिकारियों की प्रक्रिया को विनियमित कर सकती है किन्तु इस प्रकार नहीं जिससे किसी क्षेत्र मे समय विशेष पर प्रचलित किसी विधायन (इनऐक्टमेंट) के व्यापार (अपरेशन) मे रुकावट पड़े।" मेरे मित्र विधायन की विधि पढ़ गये। मेरा विचार है कि विधि का अर्थ रहेगा कि जो यूसेजेज, जो वाजिबुल अर्ज़, या दस्तूर देही या दस्तूरुल अमल है जहां तक उनका आपरेशन होता है उनमे रुकावट नहीं डालेंगे। मैं उनसे कहूंगा कि यह उनका भ्रम है। विधि को डिफाइन कर दिया गया है। विधायन के आगे "इनैक्टमेंट" को ब्रेकिट मे डाल दिया गया है और यह एनऐक्टमेंट जिसका जिक्र इसमे है या जो एनऐक्टमेंट्स प्रचलित होंगे और इस समय जो प्रचलित है वे बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल दूसरी चीज़ है और विधि दूसरी चीज़ है। जो एनऐक्टमेंट प्रचलित है उनके आपरेशन में कोई बाधा नहीं डाली जायगी।

मेरे मित्र नारायण दत्त जी ने जो बात कही उसका अर्थ यही है जहां तक मैं उनके वाद-विवाद को समझ सका। उनको शायद इसी प्रकार का भ्रम निश्चयपूर्वक रहा और उनका यह तर्क अन्त तक रहा कि यदि इस प्रकार से यह विधेयक स्वीकार किया जायगा तो वहां जो दासता की प्रथा है या दस्तूरअमल है उसको निश्चयपूर्वक प्रश्रय मिलेगा और दासता की प्रथा आगे बढ़ती चली जायगी। इसलिये मैं उनका ध्यान उद्देश्य और कारणों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। उसमे स्पष्टरूप से कहा गया है कि यह प्रथा अधिक दिनों तक प्रचलित नहीं रहेगी क्योंकि वहां पर जो दास्ता के द्वारा ऊंची कौमों ने छोटी कौमों पर अधिकार पा रक्खा है, जो प्रथा वहां प्रचलित है उसको समाप्त किया जा सके। मैं आपको उसे पढ़ कर सुनाये देता हूं, "इन विधियों ने एक ऐसे वर्ग का निर्माण कर दिया है जिनमे अधिकतर कोल्टा और बाजगी है जो दास्ता के स्तर तक गिर गये है"। तो मैं तो बहुत स्पष्ट रूप से अपने मित्र से यह कहूंगा। उद्देश्य और कारण इस विधेयक के जो इसमे वर्णित है उसके अनुसार

भी इस विधि, इस प्रथा और इन यूसेज के द्वारा वहां जिस वर्ग का निर्माण हुआ उसको दासता से निकालना ही इसका उद्देश्य है जिसके लिये यह विधेयक इस सदन के समक्ष लाया गया है। मेरे मित्र गेंदा सिंह जी का तर्क जैसा होना चाहिये था वैसा ही है। यदि उनका तर्क लिया जाय तो मुझे कहना पड़ेगा कि समस्त प्रान्त में वह तर्क लागू होता है और वह तर्क स्पष्टरूप से यह है और यही हम चाहते हैं कि इस विधेयक के द्वारा इस विधेयक की धारा २, उपधारा (३) जो अध्याय दो में वर्णित है उसके द्वारा हम उसके अधिकारों की रक्षा करना चाहते हैं। मेरे मित्र का कहना है कि प्रथा के द्वारा दस्तूरुलअमल के द्वारा और मानव ने अपने अत्याचारों के द्वारा वहां पर ऐसे वर्ग का निर्माण कर दिया है जिसके पास खाने के लिये कुछ नहीं और जो ज्यादातर दासता की श्रृंखला में बंधे हुए हैं। उनका कहना है कि इस विधि से आप उनको भूमि नहीं दे सकते, बाहर नहीं निकाल सकते। उनके ज़िले की बात तो मैं जानता नहीं अपने ज़िले की बात कहता हूं, उनके ज़िलों की वे जानें। निम्न वर्ग के लोग जो हैं उनमें से कितनों के पास ज़मीन है, बहुत कम व्यक्तियों के पास ज़मीन है। आज दिन भी ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं, राजस्व मंत्री यह बतलायेंगे कि जिनके पास आवश्यकता से अधिक ज़मीन है लेकिन किसी विधेयक के द्वारा वह भूमि उनसे छीन ली गई हो, अब तक ऐसा कोई नियम नहीं बना जिससे आप उनसे वह अधिक भूमि निकाल सकते और दूसरों को जिनको उसकी आवश्यकता है, दे सकते। हां, सन्त विनोवा भावे देश-देश में पैदल यात्रा करते हुए भूमि का दान लेते हैं। उसके लिये यह सदन विधेयक ला रहा है कि इस तरह से ली हुई ज़मीन को भूमिहीन लोगों को बांटा जाय।

ऐसा बिल इस सदन के सामने आया है। इस वक्त इस पर सदन विचार करे और आगे भी करे कि इसके अतिरिक्त और कौन सा मार्ग श्री गेंदा सिंह जी ने सदन को दिखाया। अब तक कोई मार्ग उन्होंने नहीं दिखाया, सम्भव है कि भविष्य में कोई मार्ग निकल आए लेकिन आज तक कोई मार्ग नहीं निकला है। यह जो निम्न वर्ग के लोगों, कोलटा या बजागियों की समस्या है, जिनके पास भूमि नहीं है, इस समस्या का हल आप के प्रान्त के पास कुछ भी नहीं है और आप के कुल देश के पास भी नहीं है। इसलिए इसका हल केवल ४ दिन पैदल यात्रा करने से हो जायगा या कोई बिल ला कर हो जायगा, यह असम्भव है। इससे कुछ नहीं किया जा सकता। आप स्पष्ट-रूप से सन् ५० से रिकार्ड का काम करा रहे हैं........

श्री गेंदा सिंह--मैं एक प्वाइंट आफ एक्सप्लेनेशन लाना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि वहां ज़मीन की कमी नहीं है ऐसा रिपोर्ट कहती है।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य--मैं आपने मित्र का आभारी हूं कि उन्होंने स्मरण दिलाया कि वहां ज़मीन की कमी नहीं है। वहां ५६ हजार की आबादी है और २८ हजार एकड़ के करीब वहां भूमि है लेकिन इससे भी कोई अन्तर नहीं पड़ता। मैं तो केवल सदन के सामने यह रख रहा था कि कोई विधेयक आप ऐसा नहीं ला रहे हैं कि ५६ हजार व्यक्तियों के पास आधा या तीन चौथाई या उससे कुछ कम या कुछ ज्यादा एकड़ ज़मीन तक की काश्तकारी हो। उनके पास अगर २८ हजार एकड़ ज़मीन है और वह स्वेच्छा से भूमि देना चाहते हैं जिसको आप कोलटा और बाजगियों में बांटना चाहते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है और न हो सकती है जबतक कि आप कोई आमूल परिवर्तन नहीं करते हैं और जब तक केन्द्रीय विधान की धाराओं में परिवर्तन नहीं होता है या जबतक कोई क्रान्तिकारी अधिनियम सदन में ला कर पास नहीं करते हैं। मैं केवल सिद्धान्त की बात कहता था कि इस बिल को रोकने का महत्व क्या है यह तो एक निर्दोष सा बिल है। मुझे वहां का ज्ञान नहीं है, जिनके पास आज कुछ भूमि है क्या कोई यह चाहता है कि वह भी उनसे निकल जाय अगर विधि के बारे में ऐसा चाहा जाता है तो मैं इसको गलत नीति कहूंगा। यह तो निश्चित रूप से लोगों के अधिकारों की सुरक्षा करती है। इस विषय में मैं अपने दोस्तों का ध्यान जिसमें श्री

[श्री लक्ष्मी रमण आचार्य]

नारायण दत्त जी भी सम्मिलित हैं, धारा १२ की ओर दिलाना चाहता हूं और उनसे कहूंगा कि उन्होंने जो मांग स्पीकर के सम्बन्ध में की वह सब इस धारा में मौजूद है। अगर वह ध्यान से पढ़ें तो मैं कहूंगा कि प्रान्तीय सरकार को अधिकार है कि वह इस बिल के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वह और बहुत सी धारायें प्रचलित कर सकती है और नियम बना सकती है और उनका स्थान अधिनियम में वही होगा, जो कि किसी भी धारा का किसी भी विधेयक में होता है। इसमें उनका भी स्थान एनएक्टमेंट के रूप में हो जाता है। अगर धारा १२ के बाद भी रह जाय तो मैं विशेषरूप से अन्तिम खंड की ओर आपका ध्यान दिलाऊंगा जिसमें "अन्य कोई विषय जिसके सम्बन्ध में राज्य सरकार के मतानुसार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए व्यवस्था की आवश्यकता हो," इसमें सभी निहित है। मान लीजिये कि आपको अभिलेख को ठीक करने के लिये कुछ नियम बनाने पड़ें, तो राज्य सरकार को अधिकार है कि वह नियम बना सकती है। इस विधेयक के अन्तर्गत खंड से नियमों को प्रचलित किया जा सकता है। मैं मित्रों से प्रार्थना करता हूं कि यदि उनको इस सम्बन्ध में कोई भ्रम है तो उसे वह स्पष्ट करें और इस विधेयक को पूर्णरूप से स्वीकार करें। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ,
दिसम्बर, १९५२

कैलाश चन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिए पीछे पृष्ठ ९ पर)

उत्तर प्रदेश फायर सर्विस (संशोधन) विधेयक, १९५२

(जैसा कि उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल द्वारा पारित हुआ।)

कुछ प्रयोजनों के निमित्त, जो यहां पर आगे चल कर प्रतीत होंगे, यू० पी० फायर सर्विस ऐक्ट, १९४४ में संशोधन करने के निमित्त — यू० पी० ऐक्ट ३, १९४४।

विधेयक

कुछ प्रयोजनों के निमित्त, जो यहां पर आगे चलकर प्रतीत होंगे, यू० पी० फायर सर्विस ऐक्ट, १९४४ में संशोधन करना आवश्यक है, अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है— यू० पी० ऐक्ट ३, १९४४।

१—(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश फायर सर्विस (संशोधन) अधिनियम, १९५२ होगा। — संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

२—यू० पी० फायर सर्विस ऐक्ट, १९४४ (जिसे यहां पर आगे चल कर मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ४ में शब्द — यू० पी० ऐक्ट ३, १९४४ की धारा ४ का संशोधन।

"(1) Fire Station Officers, (2) Fire Station Second Officers, (3) Leading Firemen and (4) Drivers and Firemen"

के स्थान पर निम्नलिखित रक्खे जायं—

"(1) Chief Fire Officers,

(2) Fire Station Officers,

(3) Fire Station Second Officers,

(4) Leading Firemen and Drivers, and

(5) Firemen"

३—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय— यू० पी० ऐक्ट ३, १९४४ की धारा ५ का संशोधन

"Superintendence, Powers and Functions. 5 (1) The superintendence and control of the U. P. Fire Service shall vest in the Inspector General of Police, and subject to the general control of the Inspector General of Police, in the District Superintendent of Police within the area of his jurisdiction.

(2) The State Government may appoint such officers as it may think fit to assist the Inspector General of Police and the Superintendent of Police in the discharge of their duties.

(3) Subject to the provisions of sub-sections (1) and (2), the Chief Fire Officer, Fire Station Officers and Fire Station Second Officers shall exercise such administrative powers and perform such administrative functions as may be prescribed."

यू० पी० ऐक्ट ३, १९४४ में नई धारा १९-ए का रखना

४——मूल अधिनियम की धारा १९ के बाद निम्नलिखित नई धारा १९-ए के रूप में रख दी जाय ——

"Power to search premises.

19-A. (1) The Chief Fire Officer or any officer authorised by the Superintendent of Police in this behalf may enter and inspect any land, premises or building for the purpose of determining whether the precautions against the required to be taken on such land, premises and buildings under any law for the time being in force have been so taken.

(2) If any person voluntarily obstructs, offers any resistance to, or impedes or otherwise interferes with any officer acting in the course of his duty under sub-section (1) he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months or with fine up to Rs. 500 or with both."

उद्देश्य और कारण

राज्य में इस समय तीन रीजनल फायर आफिसर्स हैं, जो क्रमशः लखनऊ, कानपुर तथा इलाहाबाद में नियुक्त हैं। किन्तु फायर सर्विस ऐक्ट में उक्त स्थानों की कोई व्यवस्था नहीं है। अब यह प्रस्ताव है कि उक्त ऐक्ट को इस प्रकार संशोधित कर दिया जाय, जिससे कि उक्त अधिकारियों को, जो अब चीफ फायर आफिसर्स कहलायेंगे, वैध प्रस्थिति (लीगल स्टेटस) तथा प्रशासकीय एवं कार्यकारी अधिकार प्राप्त हों और वे उक्त अधिनियम तथा उसके अधीन बने नियमों के अधीन कार्य करने के लिये अधिकृत हों। प्रस्तावित विधेयक में उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये इमारत तथा भूमि के निरीक्षण के निमित्त भी व्यवस्था की गयी है।

सम्पूर्णानन्द,
गृह-मंत्री।

नत्थी 'ख'

(देखिए पीछे पृष्ठ ६ पर)

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९५२

(जैसा कि उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल द्वारा पारित हुआ।)

यू० पी० ऐक्ट २. कुछ प्रयोजनों के निमित्त यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ को संशोधित करने का

विधेयक

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६। कुछ प्रयोजनों के निमित्त जो यहां पर आगे चलकर प्रतीत होंगे, यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ को संशोधित करना आवश्यक है,

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है--

नाम तथा प्रारम्भ। १--(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) अधिनियम, १९५२ होगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ८ का संशोधन। २--यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ (जिसे यहां पर आगे चलकर मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ८ की उपधारा (१) में खंड (j) के बाद निम्नलिखित नया खंड (jj) के रूप में बढ़ा दिया जाय--

"(jj) making arrangements for preparation of compost manure from nightsoil and rubbish;"

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ में नई धारा ८-ए का बढ़ाया जाना। ३--मूल अधिनियम की धारा ८ के बाद निम्नलिखित नई धारा के रूप में रखी जाय:--

"*Definitions*—8-A.—In this chapter unless there is anything repugnant in the subject or context—

(*a*) 'Assembly Rolls' mean the electoral rolls prepared for the Assembly constituencies under and in accordance with the provisions of the Representation of the People Act, 1950; XLIII of 1950.

(*b*) 'Director of Elections (Local Bodies)' means an officer appointed by the State Government in this behalf by notification in the official *Gazette*.

(*c*) 'Election' means an election to fill a seat on a Board;

(*d*) 'Elector' in relation to a ward means a person whose name is for the time being entered in the electoral roll of that ward;

(*e*) 'Order' means an order published in the official *Gazette* or in the manner prescribed;

(*f*) 'Scheduled Castes' mean the castes specified in the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950; and

(*g*) 'Ward' means a ward provided by Delimitation Order under section 11-B."

४—मूल अधिनियम की धारा ९ के स्थान पर निम्नलिखित रक्खा जाय — यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ९ का संशोधन।

"9. Except as otherwise provided by section 10, a board shall consist of— Normal Composition of the Board

(a) a President, and

(b) the elected members who shall not be less than 15 and not more than 50 as the State Government may, by notification in the official *Gazette* specify

५—मूल अधिनियम की धारा ९ के बाद निम्नलिखित नई धारा 9-A के रूप में रक्खी जाय — यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ में नई धारा ९–ए का बढ़ाया जाना।

9-A. (1) Seats shall be reserved for Scheduled Castes in each board

(2) The number of seats reserved under sub-section (1) shall bear as nearly as may be the same proportion to the total number of seats in the board as the population of the Scheduled Castes in the municipality bears to the total population as determined at the last census held under the provisions of the Indian Census Act 1950. Reservation of seats for Scheduled Castes

६—मूल अधिनियम की धारा १० के वर्तमान प्रतिबन्धात्मक वाक्य के स्थान पर निम्नलिखित रक्खा जाय — यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा १० का संशोधन।

"Provided that the provisions of this section shall not be applicable to a municipality which was already constituted under this Act on the day immediately preceding the commencement of the U. P. Municipalities (Amendment) Act, 1948, unless the municipality is one which, the State Government are satisfied, is subject to substantial seasonal variation of its population."

७—मूल अधिनियम की धारा १० के बाद निम्नलिखित नई धारा 10-A के रूप में रक्खी जाय — यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ में नई धारा १०–ए का बढ़ाया जाना।

10-A (1) Except as provided in section 31, 31-A or 47-A every board shall continue for four years from the date of notification issued in pursuance of section 31-G that the board has been constituted Term of board.

Provided that the State Government may by notification in the official *Gazette* extend from time to time the term of all or any board, so however, that the total extension does not in the aggregate exceed two years.

(2) The term of a board shall begin from the date of notification issued in pursuance of section 13-G that the board has been constituted.

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ११ और १३ से १७ तक का निकाला जाना।

८—मूल अधिनियम की धारा ११ और १३ से १७ तक निकाल दी जायं।

Delimitation of wards.

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की नई धारायें ११–ए से लेकर ११-सी तक १२-ए से लेकर १२-एच तक और १३-ए से लेकर १३-के तक का रक्खा जाना।

९—मूल अधिनियम की धारा ११ के बाद निम्नलिखित नई धाराएं 11-A से 11-C तक, 12-A से 12-H तक और 13-A से 13-K तक रक्खी जायें।

DELIMITATION

11-A. (1) For purposes of elections to a board there shall be wards provided by Order under section 11-B.

(2) The representation of each ward shall be on the basis of population of that ward as ascertained at the last census and shall as far as possible be in the same proportion as the total number of seats for the municipality and its population.

Delimitation Order.

11-B. (1) The State Government shall, by Order, determine—

(*a*) the wards in which each municipality shall be divided for purposes of elections to the board;

(*b*) the extent of each ward;

(*c*) the number of seats allotted to each ward; and

(*d*) the number of seats, if any, reserved for the Scheduled Castes.

(2) The draft of the Order under sub-section (1) shall be published for objections for a period of not less than 15 days and a copy of the same shall be sent to the board or boards concerned for comments.

(3) The State Government shall consider any objections and the comments filed under sub-section (2) and the draft Order shall, if necessary be amended, altered or modified accordingly and thereupon it shall become final.

Amendment of Delimitation Order.

11-C. The State Government may, after consulting the board concerned, by a subsequent Order, alter or amend the final Order under sub-section (3) of section 11-B.

Electoral Rolls

Election on the basis of adult suffrage.

12-A. Except as provided in section 10, the election of the members of a board shall be on the basis of adult suffrage.

Electoral Roll for every ward.

12-B. (1) There shall be an electoral roll for every ward which shall be prepared in accordance with the provisions of this Act under the supervision of the Director of Elections (Local Bodies).

(2) The Electoral Registration Officer shall, for purposes of preparation of the electoral rolls for the ward, adopt the Assembly rolls relatable to the area comprised in the said ward and publish the same in the manner prescribed, and upon its publication it shall, subject to any alteration, addition or modification made under or in accordance with this Act, be the electoral rolls for the ward prepared in accordance with this Act.

(3) Where any addition, omission, alteration or other amendment is made under the Representation of the People Act, 1950, or the Rules framed thereunder, in the Assembly rolls relatable to the area of the ward, a similar amendment shall be made in the corresponding electoral roll of the ward. Act XLIII of 1950.

12-C. Subject to the provisions of section 12-D, every person who is qualified to be registered in the Assembly electoral roll relatable to the area comprised in the ward or whose name is entered therein shall be entitled to be registered in the electoral roll of the ward. Qualifications for electors.

12-D (1) A person shall be disqualified for registration in an electoral roll if he is disqualified for registration in the Assembly rolls. Disqualifications for registration in an electoral roll.

(2) The name of any person who becomes so disqualified after registration shall forthwith be struck off the electoral roll of the ward in which it is included :

Provided that the name of any person struck off the electoral roll of a ward by reason of disqualification under sub-section (1) shall forthwith be reinstated in that roll if such disqualification is, during the period such roll is in force, removed under the provisions of this Act or under any other law authorising such removal.

12-E. (1) No person shall be entitled to be registered in the electoral roll for more than one ward in the same municipality. Registration to be in one ward and in one place.

(2) No person shall be entitled to be registered in the electoral roll for any ward more than once.

12-F. The electoral roll for each ward shall be prepared by an Electoral Registration Officer who shall be such officer of the State Government or of a local authority as the State Government may designate or nominate in this behalf. Electoral Registration Officers.

12-G. The electoral roll for each ward shall be revised every year in accordance with the provisions of this Act. Annual revision of electoral rolls.

Order re: electoral rolls.

12-H. The State Government may, by order, make provisions in respect of the following matters concerning the electoral rolls, namely.—

(a) the date on which the electoral rolls first prepared and subsequently prepared under this Act shall come into force and their period of operation;

(b) the correction of any existing entry in the electoral rolls on the application of the elector concerned;

(c) the correction of clerical or printing errors in the electoral rolls;

(d) the inclusion in the electoral rolls of the name of any person—

(i) whose name is included in the Assembly rolls for the area relatable to the ward but is not included in the electoral roll of the ward or whose name has been wrongly included in the electoral rolls of some other ward; or

(ii) whose name is not so included in the Assembly rolls and who is otherwise qualified to be registered in the electoral roll of the ward;

(e) annual revision of the electoral rolls;

(f) custody and preservation of the electoral rolls; and

(g) generally for all matters relating to the preparation and publication of the electoral rolls.

Conduct of Elections

General Elections.

13-A. Except as provided in section 31 or 31-A there shall be a general election to a board before the expiry of the term or extended term, as the case may be, of the board under section 10-A on such date or dates as the State Government may, by notification in the official *Gazette*, appoint in that behalf.

Conduct of elections to be supervised by the Director of Election (Local Bodies).

13-B. The Director of Elections (Local Bodies) shall supervise the conduct of elections under this Act.

Qualification for membership of the Board.

13-C. A persons shall not be qualified to be chosen to fill a seat on a board unless,—

(a) in the case of a seat reserved for the Scheduled Castes he is a member of any of these castes and is an elector for any ward in the municipality;

(*b*) in the case of any other seat, he is an elector for any ward in the municipality.

13-D. A person, notwithstanding that he is otherwise qualified, shall be disqualified for being chosen as, and for being, a member of a board if he,— Disqualifications for membership.

(*a*) is a dismissed servant of the State or Central Government and is debarred from re-employment therein, or

(*b*) is debarred from practising as a legal practitioner by order of any competent authority, or

(*c*) holds any place of profit in the gift or disposal of the board, or

(*d*) is disqualified under section 27 or 41, or

(*e*) is disqualified under section 146 of the Representation of the People Act, 1951 ;

(*f*) is in the service of the State or the Central Government or any local authority, or is a District Government Counsel or an Additional or Assistant District Government Counsel or an Honorary Magistrate or an Honorary Munsif or an Honorary Assistant Collector ;

(*g*) is unable to read and write Hindi, or

(*h*) is in arrears in the payment of municipal tax or other dues in excess of one year's demand to which section 166 applies, or

(*i*) is suffering from leprosy, or

(*j*) is an undischarged insolvent :

Provided that in case of (*a*) and (*b*) the disqualification may be removed by an order of the State Government in this behalf.

13-E. (1) No person who is not, and except as expressly provided by this Act, every person who is, for the time being entered in the electoral roll of any ward shall be entitled to vote in that ward. Right to vote.

(2) No person shall vote at an election in any ward if he is subject to any of the disqualifications referred to in section 12-D.

(3) No person shall vote at a general election in more than one ward and if a person votes in more than one such ward, his votes in all such wards shall be void.

(4) No person shall at any election vote in the same ward more than once, notwithstanding that his name may have been registered in the electoral roll for that ward more than once, and if he does so vote, all his votes in that ward shall be void.

(5) No person shall vote at any election if he is confined in a prison whether under a sentence of imprisonment or transportation or otherwise, or is in the lawful custody of the Police.

Method of voting.

13-F. (1) In plural member wards every elector shall have as many votes as there are members to be elected, but no elector shall give more than one vote to any one candidate.

(2) If an elector gives more than one vote to any one candidate in contravention of the provisions of sub-section (1), then, at the time of counting of votes, not more than one of the votes given by him to such candidate shall be taken into account and all other votes given by him to such candidate shall be rejected as void.

Order regarding conduct of elections.

13 G. The State Government may, by order, make provision with respect to the following matters concerning conduct of elections, that is to say—

(*a*) issue of notifications for general elections ;

(*b*) the appointment powers and duties of Returning Officers, Assistant Returning Officers, Presiding Officers and Polling Officers and clerks ;

(*c*) appointment of dates for nomination, scrutiny, withdra wals and polling ;

(*d*) the manner of presentation and the form of nomination paper, the requirements for a valid nomination, scrutiny of nominations and withdrawal of candidature ;

(*e*) appointment and duties of election agents, polling agents and counting agents ;

(*f*) procedure at general elections including death of candidate before poll, procedure in contested and uncontested elections, special procedure at elections in wards where seats are reserved for Scheduled Castes ;

(*g*) identification of voters ;

(*h*) hours of polling ;

(*i*) adjournment of poll and fresh poll ;

(*j*) manner of voting at elections ;

(*k*) scrutiny and counting of votes including recount of votes and procedure to be followed in case of equality of votes and declaration of results ;

(*l*) the notification of the names of the members elected for the various wards of a municipality and the due constitution of the board ;

(*m*) return or forfeiture of deposits ;

(*n*) manner in which votes are to be given by the presiding officers, polling agents or any other person who being an elector for a ward is authorized or appointed for duty at a polling station at which he is not entitled to vote ;

(*o*) the procedure to be followed in respect of the tender of vote by person representing himself to be an elector after another person has voted as such elector ;

(*p*) the safe custody of ballot boxes, ballot papers and other election papers, the period for which such papers shall be preserved and the inspection and production of such papers ; and

(*q*) generally on all matters relating to conduct of elections.

13-H. (1) Subject to the provisions of sub-section (2) and section 13-I, when the seat of a member elected to a board becomes vacant or is declared vacant or his election is declared void, the District Magistrate shall, in consultation with the board, by a notification in the official *Gazette*, call upon the ward concerned to elect a person for the purpose of filling the vacancy caused before such date as may be specified in the notification and the provisions of this Act and of the Rules and Orders made thereunder, shall apply, as far as may be, in relation to the election of a member to fill such vacancy. Bye-elections.

(2) If the vacancy so caused be a vacancy in a seat reserved in any such ward for the Scheduled Castes, the notification issued under sub-section (1) shall specify that the person to fill that seat shall belong to the Scheduled Castes.

13-I. Where a vacancy occurs on a board by reason of death, resignation, removal or avoidance of an election of an elected member and the term of office of that member would, in the ordinary course of events, have determined within one year of the occurrence of the vacancy, the State Government may direct that the vacancy be left unfilled until the next general elections. Certain casual vacancies not to be filled.

13-J. (1) The provisions of sections 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135 and 136 of Chapter III of Part VII of the Representation of the People Act, 1951, shall have effect as if— Electoral Offences.

(*a*) the references therein to an election were a reference to an election held under this Act ;

(*b*) for the word "constituency" the word "ward" had been substituted ;

(*c*) in section 130 for the words "100 yards" the words "25 yards" had been substituted ; and

(*d*) in sections 134 and 136 for the words "by or under this Act or under the Representation of the People Act, 1950 (XLIII of 1950)," the words "by or under the U. P. Municipalities Act, 1916," had been substituted.

(2) If the Director of Elections (Local Bodies) has reason to believe that any offence punishable under section 129 or 134 or under clause (*a*) of sub-section (2) of section 136 of the said chapter has been committed in reference to any election to a board, it shall be the duty of the Director of Elections (Local Bodies) to cause such enquiries to be made and such prosecutions to be instituted as the circumstances of the case may appear to him to require.

(3) No court shall take cognizance of any offence punishable under section 129 or under section 134 or under clause (*a*) of sub-section (2) of section 136 unless there is a complaint made by order of or under authority from the Director of Elections (Local Bodies).

Jurisdiction of Civil Courts.

13-K. (1) No Civil Court shall have jurisdiction—

(*a*) to entertain or adjudicate upon any question whether any person is or is not entitled to be registered in an electoral roll for a Ward ; or

(*b*) to question the legality of any action taken by or under the authority of an Electoral Registration Officer or of any decision given by any authority appointed under this Act, for the revision of any such roll ; or

(*c*) to question the legality of any action taken or any decision given by the Returning Officer or by any other officer appointed in this Act in connection with an election.

(2) No election shall be called in question except by an election petition presented in accordance with the provisions of this Act.

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा २५ का संशोधन ।

१०—मूल अधिनियम की धारा २५ में से उपधारा (३) निकाल दी जाय ।

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा २९ और २९-ए का निकाल दिया जाना ।

११—मूल अधिनियम की धारा २९ और २९-ए निकाल दी जाय

१२—मूल अधिनियम की धारा ३१ के स्थान पर निम्नलिखित रक्खा जाय— यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ३१ मे संशोधन।

"31. When a board is superseded under section 30, the following consequences shall follows—

Consequences of supersession of board.

(*a*) all members of the board including the President shall, on a date to be specified in the order, vacate their offices as such but without prejudice to their eligibility for re-election or re-nomination;

(*b*) such person or persons as the State Government may appoint in that behalf shall, so long as the supersession of the board lasts exercise and perform so far as may be, the powers and duties of the board and shall be deemed to be the board for all purposes, and

(*c*) a fresh board shall be constituted with effect from the date of expiry of the period of supersession as though the term fixed under-section 10-A had expired."

१३—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ३१—ए के स्थान पर निम्नलिखित रक्खा जाय— यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ३१—ए का संशोधन।

"31-A. When a board is dissolved under section 30, the following consequences shall follow—

Consequences of dissolution of board.

(*a*) all members of the board—

(i) but not the President, or

(ii) where the State Government so directs, the President also,

shall on a date to be specified in the order vacate their respective offices but without prejudice to their eligibility for re-election or renomination; and

(*b*) the election or nomination of the members or the President, as may be necessary, shall be held or made, as the case may be,

(i) in a case referred to in sub-clause (i) of clause (*a*) above as though there had been casual vacancies, and

(ii) in a case referred to in sub-clause (ii) of clause (*a*) above as though the term of the board fixed under section 10-A had expired."

१४—मूल अधिनियम की धारा ३४ की उपधारा (४) में— यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ३४ का संशोधन।

(१) शब्द और संख्या "sub-section (1)" के स्थान पर शब्द और संख्या "sub-section, (1) (1-A) or (1-B)" रख दिया जाय; और

(२) शब्द "said" और "to" के बीच में शब्द "sub section" के स्थान पर शब्द "sub sections" रक्खा जाय।

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ३५ का संशोधन।

१५—मूल अधिनियम की धारा ३५ की—

(१) उपधारा (१) में शब्द "enactment" और "the" के बीच में शब्द "or in carrying out any order made or direction issued by the State Government in exercise of any power conferred by this Act or any other enactment" रख दिये जायं।

(२) उपधारा (२) में—

(क) शब्द "performed" और "within" के बीच में शब्द "or the order or direction is not carried out" रख दिये जायं; और

(ख) शब्द "duty" और "shall" के बीच में शब्द "or executing the order or direction" रख दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ३८ का संशोधन।

१६—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ३८ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय—

Term of office of members elected or nominated to fill casual vacancies.

"38. The term of office of a member elected or nominated to fill a casual vacancy shall be for the remainder of his predecessor's term of office."

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ४० का संशोधन।

१७—मूल अधिनियम की धारा ४० में—

(१) उपधारा (१) के खंड (बी) में शब्द और संख्या "sub section (3) of section 14" के स्थान पर शब्द और संख्या "sections 12-D and 13-D" रक्खे जायं; और

(२) उपधारा (४) के बाद नई उपधारा (५) के रूप में निम्नलिखित रक्खा जाय—

"(5) The State Government may place under suspension a member, against whom proceeding under sub-sections (3) and (4) has been commenced, until the conclusion of the enquiry and any member who has been so suspended shall not so long as the order of suspension continues to remain in force, be entitled to take part in any proceedings of the board or otherwise perform the duties of a member."

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ४१ का संशोधन।

१८—मूल अधिनियम की धारा ४१ में से शब्द "Co-option" निकाल दिया जाय।

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ४२ का निकाल दिया जाना।

१९—मूल अधिनियम की धारा ४२ निकाल दी जाय

२०—इस अधिनियम और किसी और विधान में जो समय विशेष पर प्रचलित हो शब्द "Municipal Commissioner" के स्थान पर शब्द 'Municipal Member' रखे जायं। शब्द Municipal Commissioner के स्थान पर शब्द Municipal Member का रखा जाना।

२१—मूल अधिनियम की धारा ४७-ए की उपधारा (४) में से (१) शब्द "Co-opted" और "Co-option" निकाल दिये जायं; और (२) शब्द 'take place" के स्थान पर शब्द "be held or made, as the case may be as though there had been casual vacancies" रख दिये जायं। यू० पी० एक्ट २, १९१६ की धारा ४७-ए का संशोधन।

२२—मूल अधिनियम की धारा ४८ में— यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ४८ का संशोधन।

(१) उपधारा (२) मे—

(क) खंड (ए) के स्थान पर निम्नलिखित रक्खा जाय—

"(a) that there has been a failure on the part of the President in performing his duties, give him a warning or remove him from office as the State Government think fit, or" ,और

(ख) खंड (बी) में—

(१) उपखंड (i) में शब्द और संख्या 'sub-section (3) of section 14' शब्द और संख्या के स्थान पर 'sections 12-D and 13 D' रखे जायं

(२) उपखंड (v) के बाद निम्नलिखित नया उपखंड (vi) के रूप में रखा जाय-

"(vi) been guilty of gross misconduct in the discharge of his duties" , और

(२) उपधारा (२) के बाद निम्नलिखित नई उपधारा (३) के रूप मे रखी जाय—

"(3) The State Government may place under suspension a President against whom action is proposed under sub clause (vi) of clause (*b*) of sub-section (2) until the proceedings are over and where a President has been so suspended he shall not for so long as the order of suspension continues be entitled—

(*a*) to exercise the powers or perform the duties of a President imposed upon him by or under this Act or any other enactment for the time being in force, and

(*b*) to take part in any proceedings of the board."

२३—मूल अधिनियम की धारा ५७ में उपधारा (२) के बाद निम्नलिखित नई उपधारा 2-A के रूप में रखो जाय— यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ५७ का संशोधन।

"(2-A) Every board shall, if so required by the State Government, employ in addition to or in place of the Accountant, an Accounts Officer nominated by the State Government either severally or jointly with

one or more than one board or any other local authority on the terms and conditions as may be prescribed by the State Government from time to time."

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ६०-बी का संशोधन।

२४—मूल अधिनियम की धारा ६०—बी में से शब्द "Education" निकाल दिया जाय।

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ६४ का संशोधन।

२५—मूल अधिनियम की धारा ६४ में शब्द "Executive Officer" के बाद एक कामा जोड़ दिया जाय और उसके बाद शब्द "Accounts Officer" रखा जाय।

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ६८ का संशोधन।

२६—मूल अधिनियम की धारा ६८ की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(1) A Board may, by special resolution, and if so required by the State Government, shall, appoint the principal officers of its technical departments such as Civil Engineer, Assistant Civil Engineer, Electrical Engineer, Assistant Electrical Engineer, Water Works Engineer, Assistant Water Works Engineer, Electrical and Water Works Engineer. Assistant Electrical and Water Works Engineer, qualified Overseer or Sub-overseer and also Secretary and Superintendent or Lady Superintendent of Education."

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ६९ का संशोधन।

२७—मूल अधिनियम की धारा ६९, धारा ६९ की उपधारा (१) के रूप में परिगणित की जायगी और उसके बाद निम्नलिखित उपधारा (२) के रूप में जोड़ दिया जाय—

"(2) The State Government may suspend any officer appointed under sub-section (1) of section 68 pending decision of an appeal and may alter, amend or vary the order of the board."

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ७३ का संशोधन।

२८—मूल अधिनियम की धारा ७३ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

Appointment, etc. of servants on the educational establishment.

"73. (1) The power to appoint, grant leave of absence, punish, dismiss or control any servant on the educational establishment of the board—

(a) on or drawing a salary not exceeding Rs. 40 per mensem or in a city Rs. 50 per mensem.;

(b) on or drawing a salary exceeding Rs. 40 per mensem but not exceeding Rs. 50 per mensem or in a city Rs. 50 per mensem but not exceeding Rs. 75 per mensem; and

(c) any other servant other than the Superintendent or Lady Superintendent of Education shall be exercised—

(i) in the case of (a) and (b) above by the Superintendent or Lady Superintendent of Education, as the case may be, and where there is no

such Superintendent or Lady Superintendent, by the Chairman, Education Committee subject to such conditions or restrictions as may be imposed by the board:

Provided that in the case of appointments of employees under clause (*b*), where these powers are to be exercised by the Superintendent or Lady Superintendent, all such appointments shall be subject to the approval of the Chairman, Education Committee;

(ii) in the case of (*c*) above by the Chairman, Education Committee of the Board subject to such conditions or restrictions as the Board may by resolution impose in his behalf."

(2) An appeal shall lie :

(*a*) in the case of an order of dismissal or removal or any other punishment passed against servants mentioned in clauses (*a*) and (*b*) of sub-section (1)—

(i) by the Superintendent or Lady Superintendent, to the Chairman, Education Committee;

(ii) by the Chairman, Education Committee, to the President of the Board ;

(*b*) in the case of an order of dismissal or removal passed against servants mentioned in clause (C) of sub-section (1) by the Chairman, Education Committee, to the State Government; and

(*c*) in the case of an order of any other punishment passed against servants mentioned in clause (C) of sub-section (1) by the Chairman, Education Committee, to the Prescribed Authority.

२९—मूल अधिनियम की धारा ७४ में—— यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ७४ का संशोधन।

(१) शब्द "on" और अक्षर "A" के बीच में शब्द "or drawing" रक्खे जायं, और

(२) शब्द "subject in the case of dismissal or removal to an appeal to the State Government which must be presented to the State Government within one month of the date upon which the order of dismissal or removal is communicated to the person in respect of whom the order is made."

के स्थान पर निम्नलिखित रक्खा जाय——

"Provided that an appeal shall lie :

(*a*) in the case of dimissal or removal, to the State Government; and

(*b*) in the case of any other punishment, to the Prescribed Authority;

and shall be presented to the State Government or the prescribed authority, as the case may be, within one month from the date on which the order appealed against is communicated to person concerned. "

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ७६ का संशोधन।

३०-मूल अधिनियम की धारा ७६ में—

(१) खंड (ए) और (बी) में शब्द "servant" के बाद शब्द "on" के स्थान पर शब्द "on or drawing" रख दिये जायं।

(२) शब्द "but" और "each" के बीच में आये हुये शब्द "in such case" निकाल दिये जायं, और

(३) शब्द "punishment" के बाद कामा रक्खा जाय और उसके बाद शब्द "in respect of servants mentioned in clauses (*a*) and (*b*) above" रख दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ९३ का संशोधन।

३१-मूल अधिनियम की धारा ९३ में-

(क) शब्द "the Superintending Engineer, Public Health Department" के स्थान पर शब्द "Chief Engineer Local Self-Government Engineering Department" रख दिये जायं, और

(ख) शब्द "the Director of Public Health or Assistant Director of Public Health" के स्थान पर शब्द "the Director of Medical and Health Services or the Assistant Director of Medical and Health Services" रख दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ९४ का संशोधन।

३२-मूल अधिनियम की धारा ९४ की उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित रक्खा जाय —

(3) "Every resolution passed by a board at a meeting, shall, as soon there after as may be, be published in a local peper published in Hindi and where there is no such local paper, in such manner as the State Government may, by general or special order, direct."

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा १२८ का संशोधन।

३३-मूल अधिनियम की धारा १२८ की उपधारा (१) में वर्तमान खंड (viii) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

(viii) an octroi on goods or animals brought within the municipality for consumption, use or sale therein "

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा १८०-ए का संशोधन।

३४-प्रतिबन्धात्मक वाक्य को छोड़कर धारा १८०-ए की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दी जाय—

"(1) Notwithstanding anything containd in this Act or any by-law made thereunder, the construction of, or any addition to, any building of public entertainment or any addition there to shall not, except with the previous approval of the State

Government, be sanctioned by a board, if the site of, or proposed for such building is —

(a) within a radius of one furlong from—

(i) any residential institution attached to a recognised educational institution such as a college, a high school or girls school, or

(ii) a public hospital with a large in-door patient ward; or

(iii) an orphanage containing one hundred or more inmates, or

(b) in any thickly populated residential area which is either exclusively residential or reserved or used generally for residential as distinguished from business purposes; or

(c) in any area reserved for residential purposes by any housing or planning scheme or otherwise under any enactment."

३५—मूल अधिनियम की धारा २८२ की उपधारा (१) में शब्द "the Director of Public Health" के स्थान पर शब्द "the Director of Medical and Health Services" रख दिये जायं। यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा २८२ का संशोधन।

३६—मूल अधिनियम की धारा २९६ की उपधारा (२) में खंड (B) के बाद नए खंड (C) के रूप में निम्नलिखित रक्खा जाय— यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा २९६ का संशोधन।

"(c) for the appointment of an ad hoc committee to advise the Board—

(i) on the preparation of a master plan for the municipality and its execution; and

(ii) on the layout of public streets, residential and non-residential areas."

३७—मूल अधिनियम की धारा २९७ की उपधारा (१) में— ऐक्ट २, १९१६ की धारा २९७ का संशोधन।

(१) खंड (G) के मद (i) में शब्द "Chairman" के स्थान पर शब्द "President" रख दिया जाय।

(२) खंड (K) में शब्द "the" और शब्द "period" के बीच में शब्द "conditions of service including" रख दिये जायं।

३८—मूल अधिनियम की धारा ३०१ में शब्द "Commissioner" के स्थान पर शब्द "Prescribed Authority" रख दिये जायं। यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ३०१ का संशोधन।

३९—मूल अधिनियम की धारा ३२७ में शब्द "in his division" के स्थान पर शब्द "within his or its jurisdiction" रख दिये जायं। यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ३२७ का संशोधन

४०—मूल अधिनियम के Schedule I में—

(१) स्तम्भ १ में से संख्या १३ और स्तम्भ २ में से उसके संबन्ध में इन्दराज निकाल दिया जाय। यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की अनुसूची १ का संशोधन।

(२) स्तम्भ २ में धारा ६८ के सामने वर्तमान इन्दराज के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय——

"To appoint Civil Engineer, Assistant Civil Engineer, Electrical Engineer, Assistant Electrical Engineer, Water Works Engineer, Assistant Water Works Engineer, Electrical and Water Works Engineer, Assistant Electrical and Water Works Engineer, qualified Overseer or Sub-Overseer, Secretary, Superintendent or Lady Superintendent of Education."

(३) धारा 211 और 217 (1) (*A*) के सामने के इन्दराजों के बीच में निम्नलिखित रख दिया जाय——

"212-A. To control and regulate the construction of any building or street and drains beyond municipal limits, up to a distance of two miles."

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की अनुसूची २ का संशोधन।

४१——मूल अधिनियम के Schedule II में ——

(१) धारा ५२ और ५६ के सामने दूसरे स्तम्भ के इंदराजों में से शब्द "permanent" और "inferior" के बीच में आया हुआ शब्द "and" निकाल दिया जाय।

(२) धारा २०३(३) के संबंध में इन्दराज निकाल दिया जाय और

(३) धारा २०४ के सामने दूसरे स्तम्भ में इन्दराज के स्थान पर निम्नलिखित रक्खा जाय——

"To receive application for permission to layout and make a street."

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की अनुसूची ७ का संशोधन।

४२——मूल अधिनियम के Schedule VII में——

(१) स्तम्भ १ में संख्या "9 ( )" के स्थान पर संख्या "9" रख दी जाय।

(२) स्तम्भ १ संख्या "16(2)" के स्थान पर संख्या "13-D" रख दी जाय।

(३) स्तम्भ २ में शब्द "sub-section" के स्थान पर शब्द "section" रख दिया जाय।

(४) धारा 13-D और 22 से संबद्ध इन्दराज के बीच में 13-I के सामने नये इंदराज के रूप में निम्नलिखित रख दिया जाय——

"13-I—To direct that a casual vacancy be left unfilled till the next general elections."

(५) धारा 34 (2) के सामने दूसरे स्तम्भ के इन्दराज में शब्द "Commissioner" के स्थान पर शब्द "Prescribed Authority" रख दिये जायं।

(६) धारा 40 (2) के सामने दूसरे स्तम्भ इन्दराज में शब्द "under clause (*d*),(*e*) or (*f*) of sub-section (1)" के स्थान पर शब्द और संख्या "under clause (*c*), (*d*) or (*e*) of sub-section (1)" रख दिये जायं।

(७) स्तम्भ १ में संख्या 57 और 58 के बीच में संख्या और अक्षर 57 (2-A) रख दिये जायं और उसके सामने स्तम्भ २ में निम्नलिखित इन्दराज रक्खा जाय——

"To nominate Accounts Officers and to lay down the terms and conditions of their service."

(८) धारा 60A और 65 के सामने के इंदराजों के बीच में निम्नलिखित नया इन्दराज रखा जाय--

"60-B. To direct that in any municipality the Principal Officers of the Electrical, Public Works, and Water Works Departments, shall with reference to their departments exercise the power under clause (e) of sub-section (1) of section 60;

(९) धारा 73 और 74 के सामने के इन्दराज में शब्द 'President' के बाद शब्द "or Chairman, Education Committee" रख दिये जायं, और

(१०) धारा 327 और 337 के सामने के इंदराजों के बीच मे निम्नलिखित नया इन्दराज रखा जाय--

"336-A. To direct that during the transition period, the Act shall have effect subject to certain adaptations, alterations and modifications."

४३--मूल अधिनियम के Schedule VIII में-- यू० पी० ऐक्ट २ १९१६ की अनुसूची ८ का संशोधन।

(१) धारा 158 (2) के सामने तीसरे स्तम्भ में शब्द और संख्या "Rs. 100" के स्थान पर शब्द और संख्या "Rs. 500" रख दिये जायं,

(२) 248 के सामने तीसरे स्तम्भ में शब्द और संख्या "Rs. 20" के स्थान पर शब्द और संख्या "Rs. 50" रख दिये जायं।

४४--(१) कठिनाइयों को, विशेषकर ऐसी कठिनाइयों को जो मूल अधिनियम के उपबन्धों से इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों पर संक्रमण होने से सम्बन्धित हैं, दूर करने के लिये राज्य सरकार आज्ञा द्वारा निर्देश कर सकती है कि उक्त प्रकार से संशोधित मूल अधिनियम इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक बाद के बारह मास की अवधि में ऐसे अनुकूलन के साथ सप्रभाव होगा जसा वह उचित और आवश्यक समझे, चाहे वह अनुकूलन परिष्कार के रूप में हो अथवा घटाने या बढ़ाने के रूप में।

(१) उपधारा (१) के अधीन दी गई प्रत्येक आज्ञा जितना शीघ्र हो सके राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखी जायगी

उद्देश्य और कारण

संविधान में वयस्क मतदान (adult suffrage) का एवं साम्प्रदायिक निर्वाचन-मंडल की प्रथा के निर्मूलन का विधान है और इसे स्वीकृत कर लिया गया है । अतएव नगरपालिकाओं के चुनाव से सम्बद्ध विधि में परिवर्तन की अवाश्यकता हो गयी है । नगरपालिका के चुनाव संबंधी उपबन्धों को राज्यविधान मंडल तथा संसद् के चुनाव संबंधी विधि और नियम के अनुसार बनाने का विचार है । इसी उद्देश्य से विधेयक में यह व्यवस्था की गयी है कि राज्य विधान मंडल के लिये बनाई गई निर्वाचन नामावली को नगरपालिका के चुनावों के लिये स्वीकृत किया जाय । विधेयक में यह व्यवस्था की गयी है कि इस संबंध में चुनाव का परिचालन उसी प्रकार किया जाय जसा कि राज्य के विधान मंडल के लिये किया गया था । अल्पसंख्या वाली जातियों के स्थान की रक्षा का प्रबन्ध नहीं किया गया है, किन्तु संविधान के उपबन्धों के अनुकूल जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों के लिये स्थान सुरक्षित रक्खे गये हैं ।

२--कुछ ऐसे परिवर्तनों के लिये, जो आवश्यक समझे गये इस अवसर का लाभ उठाया गया है । मैला और गन्दगी से खाद (कम्पोस्ट) बनाने का, सदस्य तथा प्रेसीडेंट को मुअत्तल करने का अधिकार, शक्ति के दुरुपयोग के कारण प्रेसीडेंट को अलग करने का अधिकार (प्रेसीडेंट के रूप में चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों की शिक्षा संबंधी योग्यता को नियत करना) एकाउन्टन्ट्स अफसरों की नियुक्ति, नगरपालिका के भीतर लाई गई वस्तु या जानवरों की बिक्री पर कर लगाने और बोर्ड में प्रमुख योजना (मास्टर प्लैन) की तैयारी और उसके निष्पादन एवं ऐसे क्षेत्रों का स्थापित करना, जहां लोग निवास करते हों या न करते हों तथा सार्वजनिक मार्ग (public streeets) बनाने के संबंध में सम्मति देने के लिये बोर्ड में तदर्थ समिति की नियुक्ति की भी व्यवस्था की गई है ।

तदनुसार यह विधेयक प्रस्तुत किया जाता है

एम० एल० गौतम,
मंत्री, स्वायत्त शासन,
उत्तर प्रदेश ।

दिनांक २९ अक्तूबर, १९५२ ।

नत्थी 'ग'

(देखिए पीछे पृष्ठ ९ पर)

आगरा यूनिवर्सिटी (अनुपूरक) विधेयक, १९५२

(जैसा कि उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल द्वारा पारित हुआ)

आगरा यूनीवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ के अनुपूरण के लिये विधेयक

१२ दिसम्बर, १९४९ से प्रारम्भ होने वाले कार्यकाल के लिये निर्वाचित वाइस चान्सलर के कार्यकाल को बढ़ाकर आगरा यूनीवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ का अनुपूरण करना उचित और आवश्यक है; — प्रस्तावना यू० पी० अधिनियम ८, १९२६।

इसलिये निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

१—(१) यह अधिनियम आगरा यूनीवर्सिटी (अनुपूरक) अधिनियम, १९५२ कहलायेगा। — संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रारम्भ और समाप्ति।

(२) यह ३० अक्टूबर, १९५२ से प्रचलित माना जायगा।

(३) यह ३१ दिसम्बर, १९५३ को निष्प्रभाव हो जायगा और यू० पी० जेनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ के उपबन्ध इस प्रकार लागू होंगे मानो यह अधिनियम उस समय किसी उत्तर प्रदेश ऐक्ट द्वारा निरस्त (रिपील्ड) किया गया था।

२—आगरा यूनीवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ की धारा ९ की उपधारा (२) (जिसका सम्बन्ध वाइस चान्सलर के कार्यकाल से है) १२ दिसम्बर, १९४९ से प्रारम्भ होने वाले कार्यकाल के लिये निर्वाचित वाइस चान्सलर के विषय में इस प्रकार सप्रभाव होगी मानों शब्द "shall be three years" के स्थान पर शब्द "shall continue until the 31st day of December, 1953" रख दिये गये हों। — यू० पी० अधिनियम ८, १९२६ की धारा ९(२) का संशोधन।

३—उत्तर प्रदेश आगरा यूनीवर्सिटी अध्यादेश, १९५२, एतद्द्वारा निरस्त (रिपील) किया जाता है। — अध्यादेश का निरसन।

४—सन्देह निवारण के लिये एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि जब तक इसके विपरीत व्यवस्था न की जाय, इस अधिनियम के समाप्त होने पर आगरा यूनीवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ की धारा ९ की उपधारा (२) इस प्रकार सप्रभाव होगी मानो वह इस अधिनियम या उक्त अध्यादेश द्वारा कभी भी अनुपूरित अथवा परिष्कृत नहीं की गई थी। — सन्देह निवारण।

उद्देश्य और कारण

पिछले कुछ वर्षों में आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट के अधीन कार्यसंचालन मे कुछ कठिनाइयों का अनुभव हुआ है। इसलिये सरकार का विचार इस अधिनियम में निकट भविष्य मे बहुत कुछ संशोधन करने का है। जिस अवधि के लिये वर्तमान वाइस चान्सलर का निर्वाचन हुआ था, वह १२ दिसम्बर, १९५२ को समाप्त होने को है और साधारणतः अगले कार्यकाल के लिये नया निर्वाचन होना चाहिए। ऐसे समय पर जबकि मूल अधिनियम में बहुत से संशोधन करने का विचार हो, नया निर्वाचन करने मे अनेक प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती है। इसलिये राज्यपाल ने आगरा यूनीवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ मे कुछ प्रयोजनों के निमित्त संशोधन करने के लिये, एक अध्यादेश प्रचारित किया, जिससे वाइस चान्सलर का कार्यकाल दिसम्बर, १९५३ के अन्त तक बढ़ा दिया गया। किन्तु विधान मंडल के पुनः समवेत होने से छः सप्ताह की समाप्ति पर अध्यादेश समाप्त हो जायगा, इस अधिनियम से अध्यादेश के उपबन्धों को अधिनियमित करने की व्यवस्था की जा रही है।

हरगोविन्द सिंह,
शिक्षा मन्त्री।

नत्थी 'घ'

(देखिए पीछे पृष्ठ ९ पर)

उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने का विधेयक, १९५२

(जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित होने के उपरान्त उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा संशोधित हुआ)

(विधान परिषद् द्वारा बढाया गया विषय रेखांकित है तथा निकाला गया विषय कोष्ठकों '[ ]' मे है)

१९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के उपबन्धो के अधीन जिन जमीदारो के आस्थान हस्तगत किये गये है उनके ऋणो को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१।

विधेयक।

यह आवश्यक है कि उन जमीदारो के ऋणो को कम करने (scaling down) की व्यवस्था की जाय, जिनके आस्थान १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमीदारी और भूमि व्यवस्था अधिनियम के अधीन हस्तगत किये जा चुके है। उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१।

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है --

१--(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश जमींदारो के ऋण कम करने का अधिनियम, १९५२ होगा। संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश मे होगा।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

२--विषय या प्रसंग मे कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम मे -- परिभाषाये।

(क) "देय धनराशि (amount due)" का तात्पर्य उस धनराशि से है, जो यदि यह अधिनियम पारित न होता तो, देय होती ;

(ख) "केन्द्रीय सरकार" का वही अर्थ है जो जेनरल क्लाजेज ऐक्ट, १८९७ की धारा ३ मे "सेण्ट्रल गवर्नमेंट" को दिया गया है ; ऐक्ट १०, १८९७।

(ग) "कोर्ट आफ वार्ड्स" का तात्पर्य यू० पी० कोर्ट आफ वार्ड्स ऐक्ट, १९१२ के अधीन संघटित कोर्ट आफ वार्ड्स से है।

(घ) "डिक्री" का वही अर्थ है, जो उसे कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ मे दिया गया है। ऐक्ट ५, १९०८।

(ङ) "डिक्री जिसके विषय मे यह अधिनियम प्रवृत्त होगा" का तात्पर्य ऐसी डिक्री से है जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के होने से पूर्व अथवा पश्चात् ऐसे वाद मे दी गई हो, जिसके विषय मे यह अधिनियम प्रवृत्त होता हो (a suit to which this Act applies),

(च) "ऋण" (debt)" का तात्पर्य किसी भी ऐसे ऋण (advance) से है, जो नकद या वस्तु के रूप मे दिया गया हो और उसके अन्तर्गत कोई भी ऐसा संव्यवहार (transaction) है जो वास्तव (in substance) ऋण के रूप में हो, किन्तु इसके अन्तर्गत ऊपर कहा गया कोई ऐसा ऋण (advance) जिसका १ जुलाई, १९५२ को या उसके बाद अस्तित्व हुआ हो, अथवा जो निम्नलिखित को देय हो, ऋण नहीं है --

(१) केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य की सरकार,

(२) स्थानिक अधिकारिकी (local authority);

(३) शेड्यूल्ड बैंक ;

(४) सहकारी संस्था (co-operative society) तथा

(५) वक्फ, न्यास (trust) या निबन्ध (endowment) जो केवल दानोत्तर अथवा धर्मोत्तर हों।

(६) व्यक्ति, यदि ऋण उसकी ओर से कोर्ट आफ वार्ड्स द्वारा किसी संरक्षित व्यक्ति को दिया गया हो।

उत्तर प्रदेश अधिनियम १,१९५१

(छ) "दानोत्तर", "आस्थान", "प्रतिकर" "पुनर्वासिन अनुदान" तथा "धर्मोत्तर" का वही अर्थ है जो उन्हें क्रमशः १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम में दिया गया है और प्रतिकर के अन्तर्गत उक्त अधिनियम की धारा २९ के अधीन देय अन्तरिम प्रतिकर भी है।

(ज) "स्थानिक अधिकारिकी" के अन्तर्गत कैन्टूनमेंट बोर्ड भी है ;

(झ) "बन्धक" का अपने अनुरूप पदों सहित वही अर्थ होगा जो ट्रान्स्फर आफ प्रापर्टी ऐक्ट, १८८२ में "mortgage" को दिया गया है और उसके अन्तर्गत ऐसा भार भी है जिसकी परिभाषा (charge) के रुप में उक्त ऐक्ट की धारा १०० में की गई है ।

(ञ) "बन्धककर्त्ता (mortgagor)—

(१) के अन्तर्गत यदि बन्धक किसी संयुक्त हिन्दूपरिवार के प्रबन्धक अथवा कर्त्ता के रूप में अथवा प्रतिनिधि के रूप में निष्पादित किया गया (executed) हो, तो सभी सहभागी (co-parceners) अथवा वे व्यक्ति जिनका इस प्रकार प्रतिनिधित्व किया गया है, भी हैं: और

(२) का तात्पर्य, यदि बन्धककर्त्ता के अधिकार, आगम तथा स्वत्व फरीकैन (parties) के कृत्य अथवा विधि के व्यापार (operation of law) से, दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में संक्रामित हो गये हों, तो ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों से है ;

(ट) किसी आस्थान में मातहत दार (under-proprietor), अदना मालिक (sub-proprietor), ठेकेदार, अवध का पट्टेदार दवामी या इस्तमरारी (permanent lessee in Avadh) या दवामी काश्तकार (permanent tenure-holder) के स्वत्व के बन्धक के सम्बंध मे "स्वामी (proprietor)" का तात्पर्य धारा ३ और ४ के अनुसूची १ में, उक्त आस्थान के, यथास्थिति, मातहतदार, अदना मालिक, ठेकेदार, पट्टेदार दवामी या इस्तमरारी या दवामी काश्तकार से है ;

(ठ) "शेड्यूल्ड बैंक" का वही अर्थ है जो रिजर्व बैंक आफ इंडिया ऐक्ट, १९३४ मे उसे दिया गया है ;

(ड) "सुरक्षित ऋण (secured debt)" का तात्पर्य किसी आस्थान अथवा किसी आस्थान तथा दूसरी अचल सम्पत्ति के बन्धक द्वारा सुरक्षित ऋण से है ;

(ढ) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है ;

(ण) "वाद जिसके विषय मे यह अधिनियम प्रवृत्त होता है" का तात्पर्य किसी ऋण से सम्बद्ध वाद अथवा व्यवहार (suit or proceeding) से है चाहे उक्त ऋण सुरक्षित हो अथवा अन्यथा ; और

(त) "संरक्षित व्यक्ति" का अर्थ वही होगा जो शब्द "वार्ड (Ward)" का यू० पी० कोर्ट आफ वार्ड्स ऐक्ट, १९१२ की धारा ३ की उपधारा (३) मे किया गया है।

डिक्री देते समय ऋण का कम करना।

३—(१) किसी विधि अथवा अनुबन्ध (agreement) अथवा लेख्य (document) मे किसी बात के होते हुए भी सुरक्षित ऋण से सम्बद्ध किसी ऐसे वाद में जिसके विषय मे यह अधिनियम प्रवृत्त होता है, न्यायालय, देय धनराशि के अवधारित होने पर, किन्तु डिक्री देने से पूर्व [यहां पर] आगे लिखे [के] अनुसार कार्यवाही करेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१

(२) यदि बन्धक की गई सम्पत्ति (mortgaged property) में केवल आस्थान ही हो और उक्त आस्थान १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के अधीन हस्तगत कर लिया गया हो तो न्यायालय,

(क) यदि एक ही बन्धककर्त्ता हो, जो ३० जून, १९५२ ई० के उक्त आस्थान के स्वामी के रूप मे अधिकारी था, अनुसूची १ मे दिये हुए सूत्र (formula) के अनुसार देय धनराशि को कम कर देगा ;

(ख) यदि दो या अधिक बन्धककर्त्ता हों और उनमे से सभी या एक से अधिक ३० जून, १९५२ ई० को उक्त आस्थान के स्वामी के रूप मे अधिकारी थे, तो

(१) यदि बन्धक पत्र (mortgage deed) मे ऋण के लिये उनका अपना-अपना उत्तरदायित्व निर्दिष्ट किया गया है, उनके अपने दायित्व के अनुपात में (in the ratio of their liability) देय धनराशि

को [उक्त प्रकार के अधिकारी] उन अधिकृत बन्धककर्त्ताओं में विभाजित कर देगा, अन्यथा उक्त आस्थान में उनके अपने अपने अंशों के अनुपात मे ; और

(२) देय धनराशि के उक्त प्रकार विभाजित होने के [बाद] पश्चात् प्रत्येक बन्धककर्त्ता के लिये विभाजित धनराशि को अनुसूची १ मे दिये हुए सूत्र के अनुसार कम कर देगा।

(३) जब बन्धक की गई सम्पत्ति अंशतः उक्त प्रकार का आस्थान हो और अंशतः उक्त प्रकार के आस्थान से भिन्न दूसरी सम्पत्ति हो तो न्यायालय दोनों सम्पत्तियों पर देय धनराशि को ट्रान्स्फर आफ प्रापर्टी ऐक्ट, १८८२ की धारा ८२ में उल्लिखित सिद्धांतों के अनुसार अलग अलग विभाजित करेगा, मानो वे सम्पत्तियां दो ऐसे भिन्न व्यक्तियों की थीं, जिनका पृथक् तथा भिन्न स्वत्वाधिकार रहा हो और --

(क) देय धनराशि के उक्त प्रकार से विभाजित होने के पश्चात् निम्नलिखित कार्यवाही करेगा--

(१) यदि केवल एक ही बन्धककर्त्ता था जो ३० जून, १९५२ को उक्त आस्थान के स्वामी के रूप में अधिकारी था तो उपधारा (२) के खंड (क) मे लिखी रीति के अनुसार आस्थान द्वारा देय धनराशि को कम कर देगा मानो वह उक्त आस्थान पर भारित (charged) ऋण हो, तथा

(२) यदि दो या अधिक बन्धककर्त्ता हों और उनमे से सभी या एक से अधिक बन्धक किये हुए आस्थान के ३० जून, १९५२ को स्वामी के रूप मे अधिकारी रहे हों तो यदि बन्धक पत्र मे उनका अपना अपना उत्तरदायित्व निर्दिष्ट हो तो उनके दायित्व के अनुपात मे आस्थान द्वारा देय धनराशि को बन्धककर्त्ताओं मे विभाजित कर देगा अन्यथा उक्त आस्थान मे उनके अंशों के अनुपात मे ; और

(ख) जब देय धनराशि इस प्रकार विभाजित हो जाय तो न्यायालय अनुसूची १ मे दिये हुए सूत्र के अनुसार प्रत्येक बन्धककर्त्ता द्वारा देय धनराशि को कम कर देगा।

... प्रवृत्त होगा, दो हो, डिक्रीदा holder) अथवा वाद-ऋणी (judgment-debtor) द्वारा दिये जाने पर आगे बताई हुए रीति के अनुसार कार्यवाही करेगा।

(२) यदि बन्धक की गई सम्पति जो डिक्री द्वारा भारित हो (charged under the decree), केवल आस्थान ही हो और उस आस्थान को १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के उपबन्धों के अधीन हस्तगत कर लिया गया हो, तो न्यायालय--

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१।

(क) यदि केवल एक ही ऐसा वाद-ऋणी हो जिसे आस्थान के स्वामी होने का अधिकार प्राप्त हो, १ जुलाई, १९५२

को देय धनराशि का हिसाब लगायेगा और तब उसे अनुसूची १ में दिये हुए सूत्र के अनुसार कम कर देगा,

(ख) यदि दो या दो से अधिक वाद-ऋणी हों जिनमे सभी या एक से अधिक ३० जून, १९५२ को बन्धक किये गये आस्थान के स्वामी होने का अधिकार रखते थे ;

(i) एक जुलाई, १९५२ को देय धनराशि का हिसाब लगायेगा;

(ii) उक्त प्रकार अधिकार रखने वाले वाद ऋणियों के बीच देय धनराशि को, यदि डिक्री में उनका अपना-अपना दायित्व निर्दिष्ट हो, उनके दायित्व के अनुपात से अन्यथा उक्त आस्थान में क्रमशः उनके अंशो के अनुपात से विभाजित करेगा, तथा

(iii) जब देय धनराशि उक्त प्रकार से विभाजित हो जाय तो अनुसूची एक में दिये हुए सूत्र के अनुसार प्रत्येक वाद ऋणी के लिये धनराशि को कम कर देगा।

(३) यदि डिक्री द्वारा भारित सम्पत्ति अंशतः आस्थान हो और अंशतः आस्थान से भिन्न अन्य सम्पत्ति हो तो न्यायालय,

(क) १ जुलाई, १९५२ को देय धनराशि अवधारित करेगा और उसको ट्रांस्फर आफ प्रापर्टी ऐक्ट, १८८२ की धारा ८२ में उल्लिखित सिद्धान्तों के अनुसार अलग-अलग दोनों सम्पत्तियों पर विभाजित करेगा, मानो कि डिक्री ऋण हो और वह दो सम्पत्तियां ऐसे दो व्यक्तियों की हों, जिनका पृथक् तथा भिन्न स्वत्वाधिकार हो तथा

(ख) आस्थान के सम्बन्ध में देय धनराशि का हिसाब लगाये जाने के पश्चात् न्यायालय निम्नलिखित कार्यवाही करेगा--

(१) यदि एक ही वाद-ऋणी हो जो उक्त आस्थान का ३० जून, १९५२ को स्वामी के रूप में अधिकारी था तो अनुसूची एक में दिये हुए सूत्र के अनुसार उसे कम कर देगा,

(२) यदि दो या अधिक वाद-ऋणी हों और उनमें से सब या एक से अधिक उक्त आस्थान के ३० जून, १९५२ को स्वामी के रूप में अधिकारी रहे हों तो उनके बीच देय धनराशि को, यदि डिक्री में उनका अपना-अपना दायित्व निर्दिष्ट हो तो, उनके दायित्व के अनुपात में उक्त प्रकार विभाजित करेगा अन्यथा उनके अपने-अपने अंशों के अनुसार, तथा

(३) जब देय धनराशि इस प्रकार विभाजित हो जाय तो अनुसूची १ में दिये हुए सूत्र के अनुसार प्रत्येक बन्धककर्त्ता द्वारा देय धनराशि को कम कर देगा।

वाद ऋणी को अलग अलग इकाई समझा जायगा।

५--धारा ३ तथा ४ के प्रयोजनों के निमित्त प्रत्येक बन्धककर्त्ता अथवा वाद--ऋणी जिसका इन धाराओं के अनुसार आस्थान पर अधिकार रहा हो, पृथक् पृथक् इकाई (unit) समझा जायगा ;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति की दशा में कोई भी पिता पुंजातीय वंशानुक्रम में पुंसन्तति (male lineal descen-

dants in the male line of descent) सहित जहां तक संयुक्त सम्पत्ति का सम्बन्ध है, यदि पिता १ जुलाई, १९५२ को जीवित था, एक इकाई समझा जायगा ।

स्पष्टीकरण--८ अगस्त, १९४६ को या इसके बाद कोई बटवारा होने पर भी, परिवार संयुक्त समझा जायगा ।

कम की गई धन-राशि के लिए डिक्री ।

६--(१) देय धनराशि की धारा ३ के अधीन कम हो जाने पर, न्यायालय निम्नलिखित की डिक्री देगा --

(क) उक्त धारा की उपधारा (२) के खंड (क) के अधीन मामलों (cases) में इस प्रकार कम की गई धनराशि के लिये,

(ख) उक्त उपधारा के खंड (ख) के अधीन मामलों में ऐसी धन-राशि के लिये, जो उसके अधीन प्रत्येक बन्धककर्ता के लिये कम की गई धनराशियों के जोड़ (aggregate) के बराबर हो,

(ग) उक्त धारा की उपधारा (३) के खंड (क) के उपखंड (१) के अधीन मामलों में ऐसी धनराशि के लिए जो, आस्थान से भिन्न अन्य सम्पत्ति पर देय धनराशि तथा उक्त उपखंड के अधीन कम की गयी धनराशि के जोड़ के बराबर हो, तथा

(घ) उक्त उपधारा के खंड (क) के उपखंड (२) के अधीन मामलों में, ऐसी धनराशि के लिए जो आस्थान से भिन्न अन्य सम्पत्ति पर देय धनराशि तथा उक्त उपखंड के अधीन प्रत्येक बन्धककर्ता के लिए कम की गयी समस्त (aggregate) धनराशि के जोड़ के बराबर हो,

(२) उपधारा (१) के खंड [(ग)] (ख) और (घ) के अनुसार तैयार की गयी डिक्री में, बन्धक किये गये आस्थानों के सम्बन्ध में प्रत्येक बन्धककर्ता के विषय में कम की गयी धनराशि भी अलग-अलग दिखायी जायगी ।

डिक्री की अदायगी।

७--जब धारा ४ के उपबन्धों के अधीन और उसके अनुसार देय धनराशि कम कर दी जाय तो इस प्रकार कम की गयी डिक्री के सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि सभी प्रयोजनों और अवसरों के लिए उसके कम किये हुए अंश का यथावत् भुगतान हो चुका है ।

प्रतिकर की धन-राशि तथा पुनर्वासन अनुदान से ऋण वसूल किया जाना।

८--(१) किसी अनुबन्ध लेख्य अथवा समय विशेष पर प्रचलित विधि में (agreement, document or law for the time being in force) कोई बात होते हुए भी किन्तु उपधारा (२) के उपबन्धों के अधीन सुरक्षित ऋण के सम्बन्ध में किसी ऐसे वाद में दी गयी डिक्री जिसके विषय में यह अधिनियम प्रवृत्त होता हो,

(क) जहां तक बन्धक किये गये आस्थान के प्रतिकर का सम्बन्ध है, उक्त प्रतिकर की धनराशि की तीन-चौथाई तक ही निष्पादित (execute) हो सकेगी, तथा

(ख) उक्त डिक्री या समय विशेष पर प्रचलित किसी विधि के अधीन डिक्रीदार को प्राप्त प्रत्येक अन्य साधन के अतिरिक्त और उस पर विपरीत प्रभाव डाले बिना, बन्धक किये हुए आस्थान के सम्बन्ध में देय पुनर्वासन अनुदान के विरुद्ध भी अनुदान के तीन-चौथाई भाग तक निष्पादित की जा सकेगी ।

(२) किसी विधि मे किसी बात के रहते हुए भी बन्धक किये हुए आस्थानों के सम्बन्ध मे धारा ३ या ४ के अधीन यथास्थिति बन्धककर्त्ता या वादऋणी के विषय में कम की गयी धनराशि ऐसे आस्थानों के सम्बन्ध मे ऐसे बन्धककर्त्ता या वादऋणी को देय प्रतिकर और पुनर्वासन अनुदान में से ही विधिपूर्वक वसूल की जा सकेगी अन्यथा नहीं।

९——सुरक्षित ऋण को छोड़कर अन्य ऋण से सम्बद्ध कोई डिक्री जिसके विषय मे यह अधिनियम प्रवृत्त हो, वाद-ऋणी को उसके आस्थान के विषय मे प्रतिकर अथवा पुनर्वासन अनुदान के रूप में दिये गये बन्धों (bonds) की कुर्की या नीलाम द्वारा निष्पादित की जाय तो, डिक्री को निष्पादन करने वाला न्यायालय, किसी विधि मे किसी बात के होते हुए भी, अनुसूची २ मे बताये हुए सूत्र के अनुसार अदायगी प्रमाणित कर देगा। बन्धों के असुरक्षित ऋण के सम्बन्ध में डिक्रियों का निष्पादन।

१०——आवश्यक परिवर्तनों के साथ इस अधिनियम के उपबन्ध, ऐसे गुजारा या भरण-पोषण की वृत्ति (Maintenance Allowance) की बकाया की वसूली की डिक्री या वाद मे, जिनमे कोई भी आस्थान अकेले या अन्य सम्पत्ति सहित बन्धक किया गया हो, अथवा किसी विधि, डिक्री, अनुबन्ध (agreement) अथवा लेख्य के अन्तर्गत अन्य किसी प्रकार से भारित हो, उसी प्रकार लागू होंगे मानो गुजारा या भरण-पोषण की वृत्ति ऋण हो और धारा ३, ४ और ५ के प्रयोजनों के लिए इस प्रकार बन्धक की हुई या भारित सब अचल सम्पत्ति बन्धक की हुई सम्पत्ति समझी जायगी। भरण-पोषण की वृत्ति।

स्पष्टीकरण——पद "भरण-पोषण की वृत्ति" (Maintenance Allowance) के अन्तर्गत अवध स्टेट्स ऐक्ट, १८६९ की धारा २४ अथवा यू० पी० इस्टेट्स ऐक्ट, १९२० की धारा १३ के अन्तर्गत "annuity (वार्षिक वृत्ति)" भी है।

११——इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के निमित्त पूर्व प्रकाशन के बाद राज्य सरकार नियम बना सकती है। नियम बनाने के अधिकार।

अनुसूची १

१—धारा ३ और ४ में अभिदिष्ट (referred to) ऋण की कमी के लिए सूत्र (formula)

$$X = \frac{D \times 8}{ME}$$

२—उक्त सूत्र में—

(१) "X" का अभिप्राय धारा ३ और ४ में अभिदिष्ट कम की गयी धनराशि से है।

(२) "D" का अभिप्राय :

(क) यदि बन्धककर्ता (mortgagor) या वाद-ऋणी (Judgment-Debtor) बन्धक किये हुए आस्थान के स्वामी के नाते एकाई के रूप में (is one unit) अधिकारी रहा हो, तो यथास्थिति निम्नलिखित में अभिदिष्ट धनराशि से है—

(१) धारा ३ की उपधारा (२) के खंड (क), अथवा

(२) उक्त धारा की उपधारा (३) के खंड (क) का उपखंड (१), अथवा

(३) धारा ४ की उपधारा (२) का खंड (क), अथवा

(४) उक्त धारा की उपधारा (३) के खंड (ख) का उपखंड (१), तथा

(ख) यदि उक्त बन्धककर्ता या वाद-ऋणी एक से अधिक हों तो यथास्थिति, निम्नलिखित में अभिदिष्ट प्रत्येक बन्धककर्ता या वाद-ऋणी की विभाजित धनराशि से है—

(१) धारा ३ की उपधारा (२) के खंड (ख) का उपखंड (१), अथवा

(२) उक्त धारा की उपधारा (३) के खंड (क) का उपखंड (२), अथवा

(३) धारा ४ की उपधारा (२) और (३) के खंड (ख) के उपखंड (ii)।

(३) "ME" का अभिप्राय यू० पी० इन्कम्बर्ड स्टेट्स ऐक्ट, १९३४ के अधीन आस्थान के मूल्य अवधारण के लिए गुणक (multiple) से है और जब कोई बन्धककर्त्ता या वाद-ऋणी ऐसे दो या उससे अधिक आस्थानों का स्वामी के रूप में अधिकारी हो जिनके लिए उक्त अधिनियम के अधीन भिन्न गुणकों की व्यवस्था की गयी हो, तो ऐसे आस्थानों के संबंध में गुणकों का औसत जिसकी गणना नियत रीति से की जायगी ;

किन्तु सदैव यह प्रतिबन्ध है कि जहां उक्त अधिनियम के अधीन ME ४० से अधिक हो, तो वह ४० के बराबर समझा जायगा और जहां २० से कम है वहां २० के बराबर समझा जायगा।

अनुसूची २

(देखिए धारा ९)

बेचे गये बन्ध (bond) में अंकित मूल्य के प्रत्येक रुपये के लिए, एसी धनराशि जो उसकी $\frac{ME}{8}$ होगी।

उक्त सूत्र में ME का तात्पर्य वही होगा जो उसका अनुसूची १ के पद २ की मद (३) में है।

उद्देश्य और कारण

ज़मींदारी उन्मूलन कमेटी ने मध्यवर्तियों के ऋण को कम करने के सम्बन्ध मे कुछ सिफ़ारिशें की थीं। उन्होंने यह प्रकट किया था कि वर्तमान विधियों मे ज़मींदारी के विनाश के कारण ज़मींदारों को अपने ऋण देने की कम हुई क्षमता का कोई समावेश नहीं है। कमेटी को यह उचित और न्याययुक्त प्रतीत हुआ कि ज़मींदारी विनाश के बाद ज़मींदारों की भूमि के कम हुए मूल्य के अनुपात मे उनका ऋण भी कम कर दिया जाय। सरकार ने कमेटी की विभिन्न सिफ़ारिशों पर विचार किया और अपने निर्णय को इस विधेयक मे रक्खा है जो विधान मण्डल के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस विधेयक मे निम्नलिखित को देय ऋण के कम करने की व्यवस्था नही है :

(१) केन्द्रीय सरकार,

(२) किसी राज्य की सरकार,

(३) स्थानिक अधिकारिकी (लोकल अथारिटी),

(४) अनुसूचित बैंक,

(५) सहकारी संस्था, और

(६) वक्फ़, न्यास (ट्रस्ट) या निबन्ध (इन्डाउमेंट) जो दानोत्तर हों।

विधेयक मे डिक्री देते समय सुरक्षित ऋण (सिक्योर्ड डेट) को अथवा निष्पादन से पूर्व ऐसे ऋणों को, जिनके विषय में डिक्री दी गयी हो, कम करने की व्यवस्था की गयी है। सुरक्षित ऋण को कम करने के उपरान्त कम की गयी धनराशि का प्रारम्भिक (ओरिजनल) ऋण से वही अनुपात होगा जो ज़मींदारी विनाश के उपरान्त ज़मींदारी के हस्तगत करने के लिए प्रतिकर निर्धारण के निमित्त निश्चित पक्की निकासी मे संकलित ऋणी को दिये जाने वाले पुनर्वासन अनुदान के गुणक का उस गुणक के साथ होगा जो उस क्षेत्र के लिए जिसमें ज़मींदारी स्थित हो, यू० पी० इन्कम्बर्ड स्टेट्स ऐक्ट के अधीन नियत किया गया हो, ऐसे ऋणों का हिसाब, जो सुरक्षित न हों, विधेयक की अनुसूची २ के अनुसार होगा। विधेयक मे यह व्यवस्था भी की गयी है कि मध्यवर्ती को मिलने वाले प्रतिकर और पुनर्वासन अनुदान के चौथाई भाग के बराबर धनराशि उसके पास बच रहे।

नत्थी 'ङ'

(देखिए पीछे पृष्ठ ९ पर)

उत्तर प्रदेश स्टोरेज रिक्वीजीशन (कन्टीन्यूएंस आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई०

यू० पी० ऐक्ट सं० ३१, सन् १९५१
यू० पी० ऐक्ट सं० १२, सन् १९४७

उत्तर प्रदेश स्टोरेज रिक्वीजीशन (कन्टीन्यूएंस आफ पावर्स) (संशोधन) अधिनियम, १९५१ ई० में संशोधन करने तथा यू० पी० (टेम्पोरेरी) स्टोरेज रिक्वीजीशन ऐक्ट, १९४७ को और जारी रखने के लिए

विधेयक

क्योंकि यू० पी० (टेम्पोरेरी) स्टोरेज रिक्वीजीशन ऐक्ट, १९४७ को ३१ दिसम्बर, १९५२ तक उत्तर प्रदेश स्टोरेज रिक्वीजीशन (कन्टीन्यूएंस आफ पावर्स) (संशोधन) अधिनियम, १९५१ ई०, ऐक्ट द्वारा जारी रक्खा गया था और क्योंकि उक्त ऐक्ट को अब ३१ दिसम्बर, १९५३ ई० तक जारी रखने की व्यवस्था करना है।

इसलिए निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

छोटा शीर्षनाम और आरम्भ

१—(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश स्टोरेज रिक्वीजीशन (कन्टीन्यूएंस आफ पावर्स) (संशोधन) अधिनियम, १९५२ होगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित हो जायगा।

यू० पी० ऐक्ट सं० ३१, सन् १९५१ की धारा २ का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश स्टोरेज रिक्वीजीशन (कन्टीन्यूएंस आफ पावर्स) (संशोधन) अधिनियम, १९५१ ई० की धारा २ में संख्या "१९५२" के स्थान पर संख्या "१९५३" रख दी जाय।

उद्देश्य और कारण

यू० पी० (टेम्पोरेरी) स्टोरेज रिक्वीजीशन ऐक्ट, १९४७ की अवधि उत्तर प्रदेश के स्टोरेज रिक्वीजीशन (कन्टीन्यूएंस आफ पावर्स) (संशोधन) अधिनियम, १९५१ ई० द्वारा ३१ दिसम्बर, १९५२ ई० तक बढ़ा दी गई थी। उक्त अधिनियम से खाद्यान्न के भरने के स्थानों की और उनके अधिग्रहण करने पर प्रतिकर अवधारित करने की व्यवस्था की गई थी। इस अधिनियम की अवधि उक्त दिनांक पर समाप्त हो जायगी। जब तक खाद्यान्न के नियंत्रण की योजना किसी न किसी रूप में जारी रहेगी, तब तक खाद्यान्न भरने के स्थान की आवश्यकता होगी और फिर यह भी आवश्यक है कि अधिकृत खाद्यान्न भरने के स्थानों पर अधिकार बना रहे। इस उद्देश्य से उत्तर प्रदेश स्टोरेज रिक्वीजीशन (कन्टीन्यूएंस आफ पावर्स) (संशोधन) विधेयक, १९५२ प्रस्तुत किया जाता है।

चन्द्रभानु गुप्त,
मंत्री, रसद विभाग।

नत्थी 'च'

(देखिए पीछे पृष्ठ ९ पर)

उत्तर प्रदेश फैमीन रिलीफ फंड (संशोधन) विधेयक, १९५२

यू० पी० फैमीन रिलीफ फंड ऐक्ट, १९३६ में संशोधन करने का विधेयक

कुछ प्रयोजनों के निमित्त, जो यहां पर आगे चलकर प्रतीत होंगे, यह आवश्यक है कि यू० पी० फैमीन रिलीफ फंड एक्ट, १९३६ में संशोधन किया जाय : यू० पी० ऐक्ट सं० १०, १९३६

इसलिये निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

१—(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश फैमीन रिलीफ फंड (संशोधन) अधिनियम, १९५२ होगा। संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

२—यू० पी० फैमीन रिलीफ फंड ऐक्ट, १९३६ की धारा ७ की उपधारा (२) के बाद निम्नलिखित को उपधारा (३) के रूप से जोड़ दिया जाय — यू० पी० ऐक्ट संख्या १०, १९३६ की धारा ७ की उपधारा (२) का संशोधन

"(3) It is hereby declared that any sums required for the purposes of sub-section (2) shall be charged upon the Consolidated Fund of the State."

उद्देश्य और कारण

यू० पी० फैमीन रिलीफ फंड ऐक्ट, १९३६ की धारा ७ (१) में व्यवस्था की गई है कि फन्ड के लेखे प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में तैयार किये जायेंगे और फन्ड के अन्तर्गत सिक्योरिटियों का मूल्य वर्ष के अंतिम दिन को उनके बाजार मूल्य के अनुसार आंका जायगा। ऐक्ट की धारा ७ (२) के अन्तर्गत यदि इस प्रकार तैयार किये हुये लेखे से पता चले कि फन्ड की अवशेष धनराशि ५५ लाख रुपये से कम है तो इस कमी को दूसरे वित्तीय वर्ष में यथाशीघ्र राज्य के राजस्व से पूरा किया जायगा जब तक कि वर्ष में किसी भी समय विशेष धनराशि ५५ लाख रु० की सीमा तक न पहुंच जाय। यदि १६ लाख रुपये से अधिक की कमी पड़ती हो तो उसे वार्षिक किस्तों में, जिसमें कि आखिरी क़िस्त को छोड़कर कोई भी किस्त १६ लाख रु० से कम न होगी पूरा किया जा सकता है। वित्तीय वर्ष के अन्त में फंड मे कमी का पूर्वाभास होने पर बजट के लेखा शीर्षक "५४--दुर्भिक्ष सहायता----ख--दुर्भिक्ष सहायता निधि में संक्रामित धनराशि" में आवश्यक व्यवस्था की जाती है, और उक्त ऐक्ट की धारा ७ (२) में आदेशात्मक निर्देश (मैण्डेटरी डाइरेक्शन) होने के कारण, इस प्रयोजन के लिये उक्त व्यवस्था को प्रभृत विनियोग (चार्ज्ड एप्रोप्रियेशन) के रूप में प्रदर्शित किया जाता था।

अब भारत के संविधान के अनुच्छेद २०२ (३) के अन्तर्गत इस व्यय को राज्य के संचित निधि (कन्सालीडेटेड फन्ड) पर तब तक भारित नहीं किया जा सकता है जब तक कि राज्य विधान मंडल उसे विधि द्वारा ऐसा घोषित न कर दे। इस प्रयोजन के लिये नया विधान बनने तक ऐसे व्यय को मतदेय (वोटेड) माना जा रहा है। संविधान के अनुच्छेद २०३ (२) के अन्तर्गत विधान सभा को यह अधिकार है कि वह किसी भी ऐसे व्यय के लिये जो भारित न हो सहमति (एसेन्ट) दे अथवा सहमति देना अस्वीकार कर दे। यदि सहमति स्वीकृति नहीं की जाती है, तो उक्त ऐक्ट की धारा ७ (२) की दृष्टि से, एक अनियम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, इस स्थिति से बचने के लिय यू० पी० फैमीन रिलीफ फण्ड ऐक्ट, १९३६ में संशोधन करना आवश्यक समझा गया है।

हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम,
वित्त मंत्री।

नत्थी 'छ'

(देखिये पीछे पृष्ठ १० पर)

उत्तर प्रदेश भू-दान यज्ञ विधेयक, १९५२

श्री आचर्य विनोवा भावे द्वारा आरब्ध भू-दान यज्ञ के सम्बन्ध से भूमि के दान तथा उनके बन्दोवस्त को सुकर बनाने के लिये

विधेयक

यह आवश्यक है कि श्री विनोबा भावे द्वारा आरब्ध भू-दान यज्ञ के सम्बन्ध मे भूमि के दान को सुकर बनाया जाय और ऐसी भूमि का बन्दोबस्त भूमिहीन व्यक्तियों के साथ किया जाय :

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

१--(१) इस अधिनियम का नाम "उत्तर प्रदेश भू-दान यज्ञ अधिनियम, १९५२" होगा। संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश मे होगा।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

२--विषय या प्रसंग मे कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम मे-- परिभाषायें

(क) "भू-दान यज्ञ" का तात्पर्य उस आन्दोलन से है जो भूमिहीन व्यक्तियों मे वितरण के उद्देश्य से स्वेच्छापूर्वक दान द्वारा भूमि हस्तगत करने के निमित्त श्री आचार्य बिनोवा भावे द्वारा आरब्ध किया गया है ;

(ख) "खाता" का अर्थ वही है जो (holding) को यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट, १९३९ मे दिया गया है ;

(ग) "स्वामी" (owner) का तात्पर्य किसी भूमि के सम्बन्ध मे--

(१) उन क्षत्रों मे जहां मध्यवर्तियों के अधिकार "rights" १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा ४ के अधीन राज्य सरकार मे निहित हो गये हों, यथास्थिति, उसके भूमिधर या सीरदार से है,

(२) उन क्षेत्रों में जहां यूनाइटेड प्राविन्सेज टेनेन्सी ऐक्ट, १९३९ समय विशेष पर प्रचलित हो, उसके जमींदार (landlord) से है तथा इसके अन्तर्गत माफीदार, (rent free grantee), काश्तकार, रियायती लगान (grante a a favourable rate of rent), बागदार (grove holder) और उक्त अधिनियम की धारा २१ के खंड (क) से (च) तक में उल्लिखित काश्तकार (tenant) भी है,

(३) अन्य क्षेत्रों में, उसके स्वामियों (proprietors) से है और उसके अन्तर्गत ऐसा काश्तकार भी

है जिसका भूमि पर दाय योग्य हस्तांतरणीय स (heritable and transferable int rest) हो,

(घ) "नियत" (prescribed) का तात्पर्य इस अधिनियम अधीन बने नियमों द्वारा नियत से है ,

(ङ) "राज्य सरकार" (State Government) का तात उत्तर प्रदेश सरकार से है, और

(च) इस अधिनियम में जिन शब्दों तथा पदों (words ar expressions) की परिभाषा न दी गई हो, उनका तात्पर्य-

(१) उन क्षेत्रों में जिनका अभिदेश खंड (ग) के उपख (१) में किया गया है, १९५० ई० के उत्तर प्रदे जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनिय में दिये गये अर्थ से होगा,

(२) उन क्षेत्रों में जिनका अभिदेश उक्त खन्ड के उपखन (२) में किया गया है, यूनाइटेड प्राविन्सेज टेनेन्सी ऐक्ट, १९३९ ई० में दिये गये अर्थ से होगा ;

(३) अन्य क्षेत्रों में, भूमि पर प्रवृत्त होने वाले भौमिक अधिकार (land tenure) से सम्बद्ध विधि में दिये गये अर्थ से होगा।

भूदान यज्ञ समिति की स्थापना और उसका निगमीकरण।

३—उत्तर प्रदेश के लिये एक भू-दान यज्ञ समिति [जो यहां पर आगे चलकर "समिति" (committee) कही जायगी] की स्थापना की जायगी, जिसे सतत अनुक्रम (perpetual succession) प्राप्त होगा और जो एक नियमित संस्था (body corporate) होगी और उसे यह सामर्थ्य प्राप्त होगा कि अपने नैगम नाम (corporate name) से दूसरे पर वाद प्रस्तुत कर सकें और दूसरा उस नाम पर उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत कर सके, वह चल और अचल सम्पत्ति को उपार्जित कर सके, रख सके, उसका प्रशासन और हस्तान्तरण कर सके तथा संविदा भी कर सके।

समिति (committee) का संगठन।

४—(१) समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्

(क) राज्य सरकार के अनुमोदन के अधीन श्री आचार्य विनोबा भावे द्वारा नामांकित सभापति (चेयरमैन)।

(ख) चार प्रतिनिधि, या उससे अधिक किन्तु सात से अधिक नहीं, जिन्हें श्री आचार्य विनोवा भावे नामांकित करेंगे।

(२) यदि, राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में निश्चित किये गये दिनांक या बढ़ाये गये किन्हीं दिनों के पूर्व, सभापति (चेयरमैन) या सदस्य का नामांकन न किया जाय तो ऐसे स्थान या स्थानों पर, जो इस प्रकार रिक्त रह जायं, राज्य सरकार सभापति (चेयरमैन) या सदस्यों की यथास्थिति नियुक्ति करेगी।

(३) सभापति (चेयरमैन) तथा सदस्यों का नामांकन या उनकी नियुक्ति नियत रीति के अनुसार गजट में विज्ञापित की जायगी।

(४) समिति के सभापति और सदस्य उपधारा (३) के अधीन विज्ञप्ति के दिनांक से चार वर्ष के लिये अपने पद पर कार्य करेंगे और वे पुनर्नियुक्ति या पुनर्नामांकन के यथास्थिति योग्य होंगे।

५--(१) यदि किसी भी समय राज्य सरकार को यह सन्तोष हो जाय कि-- समिति को भंग किया जाना।

(क) समिति ने इस अधिनियम के अधीन या द्वारा लगाये गये कर्तव्यों का पालन या दिये गये कार्यों का सम्पादन किसी उपयुक्त कारण या अपदेश के (without reasonable cause or excuse) बिना नहीं किया है,

(ख) ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है कि इस अधिनियम के अधीन या द्वारा लगाये गये कर्तव्यों का पालन या दिये गये कार्यों का सम्पादन करने में समिति असमर्थ हो गई है या हो सकती है, या

(ग) अन्य कारणों से ऐसा करना उपयुक्त या आवश्यक है,

तो वह सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके--

(क) समिति को ऐसी अवधि के लिये जो निर्दिष्ट की जाय, भंग कर सकती है,

(ख) यह निदश कर सकती है कि इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार समिति को पुनः संगठित किया जाय, और

(ग) यह प्रख्यापित कर सकती है कि इस अधिनियम के अधीन, उस अवधि के लिए जिसके लिये समिति भंग की गई हो, समिति के कर्तव्यों, अधिकारों और कार्यों का पालन, प्रयोग और सम्पादन ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी (authority) द्वारा और ऐसे निरोधों (Restrictions) के साथ जो नियत किये जायं, किया जायगा।

(२) राज्य सरकार ऐसे आनुषंगिक और पारिणामिक उपबन्धों (provisions) कर सकती है जो इस प्रयोजन के लिये आवश्यक प्रतीत हों।

६--समिति में होने वाली आकस्मिक रिक्तियों को भरने का ढंग, उसके कार्य करने की प्रक्रिया (procedure) तथा उसके कार्यों का प्रचालन वही होगा जो नियत किया जाय। आकस्मिक रिक्तियां तथा समिति के सम्बन्ध में अन्य विषय।

७--(१) समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने में निहित सभी भूमियों का प्रबन्ध भू-दान यज्ञ के हित में करे। समिति के कर्तव्य।

(२) समिति भू-दान यज्ञ के प्रयोजन के लिए ऐसे अन्य कार्य करेगी तथा उसे ऐसी अन्य शक्तियां प्राप्त होंगी जो ऐसी भूमि के सम्बन्ध में आवश्यक हों।

८--(१) समय विशेष पर प्रचलित किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति जो भूमि का स्वामी हो, इस निमित्त नियत रीति से लिखित प्रख्यापन द्वारा (जिसे यहां पर आगे चलकर भूदान प्रख्यापन कहा जायगा) ऐसी भूमि का दान और अनुदान (donate and grant) कर सकता है। भू-दान यज्ञ के लिये भूमि का दान।

(२) भू-दान प्रख्यापन उसके किये जाने के पश्चात् तुरन्त ही तहसीलदार के यहां प्रस्तुत कर दिया जायगा।

९--भू-दान प्रख्यापन प्राप्त होने पर तहसीलदार-- प्रख्यापन का प्रकाशन तथा उसके सम्बन्ध में जांच

(क) उसे उज्रदारियों के लिये प्रकाशित करेगा, और

(ख) ऐसी भूमि में दाता के अधिकार, आगम और स्वत्व की सरसरी तौर से जांच करेगा।

भू-दान के लिये समर्थदाता ।

१०—१९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम (यूनाइटेड प्राविन्सेज टेनेन्सी ऐक्ट, १९३९ या भौमिक अधिकार से सम्बद्ध), किसी अन्य विधि में, जो लागू होती हो किसी बात के होते हुए भी कोई स्वामी भू-दान यज्ञ में ऐसी भूमि को, जो उनके पास उक्त रूप में हो, दान करने के निमित्त इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये समर्थ होगा ।

उज्रदारियों का प्रस्तुत किया जाना, उनकी सुनवाई और उनका निस्तारण

११—(१) कोई भी व्यक्ति, जिसके स्वत्वों पर धारा ८ के अधीन किये गये भू-दाल प्रख्यापन का प्रभाव पड़ता हो, उक्त प्रख्यापन के प्रकाशन के दिनांक से ३० दिन के भीतर उसके सम्बन्ध में तहसीलदार के समक्ष उज्रदारी कर सकता है ।

(२) तहसीलदार ऐसी प्रत्येक उज्रदारी को, रजिस्टर में, दर्ज करेगा और उसकी सुनवाई के लिये दिनांक निश्चित करेगा जिसकी सूचना प्रख्यापन करने वाले व्यक्ति, उज्रदारी करने वाले व्यक्ति तथा सम्बद्ध गांव पञ्चायत को दी जायगी ।

(३) सुनवाई के दिनांक पर या किसी ऐसे अन्य दिनांक पर, जिसके लिये सुनवाई स्थगित की जाय, तहसीलदार उज्रदारी की जांच-पड़ताल और निस्तारण की कार्यवाही आरम्भ कर देगा और धारा १२ के उपबन्धों को बाधित न करते हुए—

(क) या तो भू-दान प्रख्यापन को पुष्ट (confirm) करेगा, अथवा

(ख) उसे अधिक्रान्त (supersede) कर देगा ।

(४) यदि तहसीलदार भू-दान प्रख्यापन को पुष्ट कर देता है, तो समय विशेष पर प्रचलित किसी विधि म किसी बात के होते हुए भी स्वामी (owner) के ऐसी भूमि में सभी अधिकार, आगम और स्वत्व भू-दान यज्ञ के प्रयोजनों के निमित्त भू-दान समिति को हस्तांतरित तथा उसमें निहित हो जायेंगे ।

(५) यदि उपधारा (३) के अन्तर्गत तहसीलदार भू-दान प्रख्यापन को अधिक्रान्त कर दे तो उक्त दान निरस्त हो जायगा और स्वामी के ऐसी भूमि में सभी अधिकार, स्वत्व और आगम उसी प्रकार प्रचलित रहेंगे मानो कि ऐसा कोई दान किया हीं न गया हो ।

भूमि जिनका दान नहीं दिया जा सकता ।

१२—किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी कोई स्वामी इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त किसी ऐसी भूमि का दान नहीं कर सकता है जो निम्नलिखित वर्गों में से किसी के भी अन्तर्गत हो, यथा—

(क) ऐसी भूमि जो दो या दो से अधिक खातेदारों (tenure-holders) के संयुक्त खाते का भाग हो, जब तक कि सभी खातेदार दान के लिये सहमत न हों ;

(ख) ऐसी भूमि जो दान के दिनांक पर सार्वजनिक पशुचर भूमि, श्मशान अथवा कब्रिस्तान, तालाब, रास्ता अथवा खलिहान के रूप में अभिलिखित (recorded) हो,

(ग) अन्य ऐसी भूमि जिसे राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा निर्दिष्ट करे ।

इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व दान दी हुई भूमि ।

१३—(१) यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व कोई भूमि भू-दान यज्ञ में दान दी गई हो तो कलेक्टर उन भूमियों को छोड़कर, जिन पर धारा १२ के उपबन्ध लागू होते हों, ऐसी सभी भूमियों की सूची तैयार करेगा और उसमे निम्नलिखित प्रदर्शित होंगे—

(क) भूमि का क्षेत्रफल तथा अन्य व्योरे ;
(ख) दाता का नाम ,
(ग) ऐसी भूमि मे दाता के स्वत्व का प्रकार ;
(घ) यदि ऐसी भूमि भू-दान यज्ञ के अनुसार किसी व्यक्ति को अनुदान की जा चुकी हो तो उस व्यक्ति का नाम जिसे भूमि अनुदान की गई हो [जिसे आगे चलकर अनुदानगृहीता (grantee) कहा गया है];
(ङ) उपखड (घ) के अन्तर्गत अनुदान (grant) का दिनाक, और
(च) ऐसे अन्य व्योरे जो नियत किये जाय।

(२) इस प्रकार तयार की गई सूची नियत रीति से प्रकाशित की जायगी।

(३) उपधारा (२) के अन्तर्गत सूची प्रकाशित होने पर किसी विधि मे किसी विपरीत बात के होते हुए भी--

(क) दाता के ऐसी भूमि मे अधिकार, आगम तथा स्वत्व, दान के दिनाक से भू-दान यज्ञ समिति को हस्तातरित तथा उसमे निहित समझे जायेंगे मानो कि धारा ८ तथा धारा ११ की उपधारा (३) के अनुसार भू दान यज्ञ प्रख्यापन विधिवत् किया गया था तथा उस सम्बन्ध मे पुष्ट हुआ था।

(ख) यदि ऐसी भूमि का भू-दान यज्ञ के अनुसार किसी व्यक्ति को अनुदान कर दिया गया हो, तो उक्त भूमि अनुदान के दिनांक से धारा १४ के उपबन्धो के अधीन तथा अनुसार अनुदान-गृहीता को अनुदान की गई भी समझी जायगी।

भूमिहीन व्यक्ति को भूमि का प्रदान।

१४--समिति अथवा अन्य कोई प्राधिकारी अथवा व्यक्ति जिसे समिति राज्य सरकार की स्वीकृति से सामान्यत अथवा क्षेत्र विशेष के सम्बन्ध मे निर्दिष्ट करे, समिति मे निहित भूमि भूमिहीन व्यक्तियो को नियत विधि से अनुदान कर सकते है, और भूमि का अनुदान गृहीता --

(१) यदि भूमि किसी ऐसे आस्थान मे स्थित हो जो १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमीन्दारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा ४ के अन्तर्गत और अनुसार राज्य सरकार मे निहित हो गयी हो, ऐसी भूमि मे सीरदार के अधिकार तथा दायित्व उपार्जित करेगा, और

(२) यदि भूमि किसी अन्य क्षेत्र मे स्थित हो तो ऐसे अधिकार और दायित्व एव ऐसे प्रतिबन्धो, निरोधो और सीमाओ (such conditions, restrictions and limitations) के अधीन जो नियत किये जाय, उपार्जित करेगा, तथा अन्य किसी विधि मे किसी विपरीत बात के होते हुए भी ये सप्रभाव होगे।

भू-दान यज्ञ योजना के अनुसार ही प्रदान (ग्राण्ट) दिये जायेगे

१५--सभी अनुदान जहा तक सभव होगा भू-दान यज्ञ योजना के अनुसार ही किये जायेगे।

रजिस्ट्री तथा स्टाम्प ड्यूटी से मुक्ति।

१६--धारा ८ के अधीन किया गया या किया हुआ समझा गया भूदान प्रख्यापन अथवा धारा १४ के अधीन किया गया या किया हुआ समझा गया भूमि का अनुदान किसी विधि मे किसी विपरीत बात के होते हुए भी रजिस्ट्री और लेख्यो के निष्पादन से सम्बद्ध विधि के अन्तर्गत स्टाम्प डयूटी की

अदायगी और रजिस्ट्री अथवा साक्षीकरण (ऐटेस्टेशन) से मुक्त रहेगा और सर्वदा मुक्त समझा जायगा।

नियम बनाने का अधिकार।

१७—(१) इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकार नियम बना सकती है।

(२) पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता को बाधित न करते हुए, ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिये व्यवस्था की जा सकेगी —

(क) समिति की स्थापना, संगठन तथा इसके सभापति अथवा सदस्यों के जैसी भी दशा हो, नामांकन और नियुक्ति से सम्बद्ध विषय ;

(ख) भू-दान प्रख्यापन का आकार-पत्र तथा रीति जिसमें वह प्रस्तुत किया जायगा ;

(ग) भू-दान प्रख्यापन के साथ साथ नत्थी किये जाने वाले लेख्य ;

(घ) भू-दान प्रख्यापन के प्रकाशन की रीति;

(ङ) धारा ९ के अधीन जांच का प्रकार, क्षेत्र तथा रीति ;

(च) उज्रदारियां प्रस्तुत करने तथा इनके दर्ज करने की रीति ;

(छ) उज्रदारियों की सुनवाई के लिये दिनांक का निश्चित किया जाना;

(ज) इस अधिनियम के अन्तर्गत नोटिसों की तामील की रीति और ढंग,

(झ) धारा ११ के अन्तर्गत उज्रदारियों की सुनवाई तथा निस्तारण में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(ञ) प्रख्यापन के पुष्टीकरण अथवा अधिक्रान्त करने से सम्बद्ध प्रक्रिया;

(ट) धारा १४ के अनुसार भूमि अनुदान से सम्बद्ध विषय, और

(ठ) वे विषय जो नियत किये जाने वाले हों और नियत किये जायं।

उद्देश्य और कारण

गत शीत ऋतु में आचार्य विनोवा भावे ने इस राज्य के भूमि विहीन व्यक्तियों में वितरित किये जाने के हेतु भूमि प्राप्त करने के प्रयोजन से भू–दान यज्ञ आन्दोलन प्रारम्भ किया। इस राज्य की जनता ने इस योजना के प्रति अत्यन्त उत्साह प्रकट किया। जमींदारों और कृषकों ने भी आचार्य जी को अपनी–अपनी भूमि का दान दिया तथापि इस कार्य में कई विधिक कठि–नाइयां थीं। जमींदारों द्वारा दिये गये दान १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा २३ के उपबन्धों के अनुसार ठीक नहीं थे। कृषकों को दान द्वारा अपनी भूमि-दान करने का कोई अधिकार ही प्राप्त नहीं था। उक्त तथा ऐसी ही अन्य विधिक कठिनाइयों को दूर करना तथा भू–दान यज्ञ में भूमि–दान देने और भूमि विहीन व्यक्तियो में वितरण के विषय में आन्दोलन की लक्ष्य सिद्धि ही, विधेयक का उद्देश्य है।

चरण सिंह,
माल मंत्री।

नत्थी 'ज'

(देखिये पीछे पृष्ठ १० पर)

उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज (संशोधन) विधेयक, १९५२

यू० पी० ऐक्ट २, १९१४।

कुछ प्रयोजनों के निमित्त यू० पी० टाउन एरियाज ऐक्ट, १९१४ को संशोधित करने का

विधेयक

यू० पी० ऐक्ट २, १९१४।

कुछ प्रयोजनों के निमित्त जो यहाँ पर आगे चलकर प्रतीत होंगे, यू० पी० टाउन एरियाज ऐक्ट, १९१४ को संशोधित करना आवश्यक है,

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

१—(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज (संशोधन) अधिनियम, १९५२ होगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

यू० पी० ऐक्ट २, १९१४ की धारा २ का संशोधन।

२—यू० पी० टाउन एरियाज ऐक्ट, १९१४ (जिसे यहाँ पर आगे चलकर मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा २ में से—

(१) खंड (९) निकाल दिया जाय,

(२) खंड (११) के बाद निम्नलिखित नये खंड (१२), (१३), (१४) (१५) और (१६) के रूप में दिये जायं।

"(12) 'election" means an election to fill a seat on a Committee;

(13) "elector", in relation to a ward, means a person whose name is for the time being entered in the electoral roll of that ward;

(14) "Director of Elections (Local Bodies)" means an officer appointed by the State Government in this behalf by notification in the official *Gazette* and includes an officer whom the State Government may similarly appoint to perform the duites and functions of the Diretctor of Elections (Local Bodies in any area or for any class of local authorities;

(15 "ward" means a ward provided by or under the Act; and

(16) words and expressions not defined in this Act but used in the U. P. Municipalities Act, 1916, shall have the meaning assigned to them in that Act."

यू० पी० ऐक्ट २, १९१४ की धारा ५ का संशोधन।

३—मूल अधिनियम की धारा ५ की उपधारा (२) से (६) और उनके नीचे दिये हुये स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(2) The Committee shall consist of—

(*a*) the Chairman; and

(c) the elected members who shall not be less than nine and be not more than fifteen as the State Government may, by notification in the official *Gazette*, specify."

४—मूल अधिनियम की धारा ५ के बाद निम्नलिखित नयी धारा ५-ए के रूप में रख दिया जाय—

यू० पी० ऐक्ट २, १९१४ में नयी धारा ५-ए का रखा जाना।

"5-A (1) Seats shall be reserved for Scheduled Castes in each Committee;

Reservation of seats for Scheduled Castes

(2) The number of seats reserved under sub section (1) shall bear as nearly as may be the same proportion to the total number of seats on the Committee as the population of the Scheduled Castes in the town area bears to its total population as determined at the last census held under the provisions of the Indian Census Act, 1950"

५—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ६ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

यू० पी० ऐक्ट २, १९१४ की धारा ६ का संशोधन।

Except as provided in section 36 the term of a Committee shall be four years

Term of Committee and members, etc.

Provided that the State Government may, by notification in the official *Gazette* extend from time to time the term of all or any Committee so, however, that the total extension does not in the aggregate exceed two years

(2) The term of a Committee shall begin from the date of notification issued in pursuance of the provisions of section 6-H that the Committee has been constituted.

(3) The term of office of a member elected to fill a casual vacancy shall be for the remainder of the Committee.

(4) If a member of a Committee wishes to resign, he shall forward his resignation in writing under his hand, addressed to the prescribed authority, and where no authority has been prescribed, to the District Magistrate, and the member shall be deemed to have vacated his office from the date of receipt by the Committee of information that his resignation has been accepted by the prescribed authority or District Magistrate, as the case may be

(5) An outgoing member shall, if otherwise qualified, be eligible for re election."

यू० पी० ऐक्ट २, १९१४ में नयी धाराओं का बढ़ाया जाना।

६— मूल अधिनियम की धारा ६ के बाद निम्नलिखित नयी धाराएं 6-A से लेकर 6-K तक के रूप में रखो जायं :—

"6-A, The election of the members of a Committee shall be on the basis of adult suffrage.

Elections on the basis of Adult Suffrage.

6-B. For purposes of elections of members of a Committee there shall be wards provided by Order issued under section-6-H.

Delimitation of Wards

6-C. There shall be an electoral roll for every ward which shall be prepared in the manner provided for by or under this Act under the supervision of the Director of Elections (Local Bodies).

Electoral roll for every ward.

6-D. Except as provided in section 36, there shall be a general election to a committee before the expiry of the term or the extended term, as the case may be, of the Committee under section 6 on such date or dates as the State Government may, by notification in the official *Gazette*, appoint in this behalf.

General Election.

6-E. The Director of Elections (Local Bodies) shall supervise the conduct of elections under this Act.

Election to be supervised by the Director of Elections (Local Bodies).

6-F. (1) No person who is not, and except as expressly provided by this Act, every person who is, for the time being entered in the electoral roll of any ward, shall be entitled to vote in that ward.

Right to vote.

(2) No person shall vote at an election in any ward if he is subject to any of the disqualifications provided for by or under this Act.

(3) No person shall vote at a general election in more than one ward, and if a person votes in more than one such ward, his votes in all such wards shall be void.

(4) No person shall at any election, vote in the same ward more than once, notwithstanding that his name may have been registered in the electoral rolls for that ward more than once, and if he does so vote, all his votes in that ward shall be void.

(5) No person shall vote at any election if he is confined in a prison whether under a sentence of imprisonment or transportation or otherwise, or is in the lawful custody of the Police.

5—G. (1) In plural member wards every elector shall have as many votes as there are members to be elected but no elector shall give more than one vote to any one candidate ;

Method of voting.

(2) If an elector gives more than one vote to any one candidate in contravention of the provisions of sub-section (1) then, at the time of counting of votes, not more than one of the votes given by him to such candidate shall be taken into account and all other votes given by him to such candidate shall be rejected as void.

—H. The State Government may by Order, apply to an election under this Act, the provisions of the U P. Municipalities Act, 1916, regarding :

Applications of the provisions of U. P. Act II of 1916, reg. Delimitation of Wards, Electoral Rolls and conduct of elections.

(*a*) delimitation of wards for purposes of elections ;

(*b*) preparation and publication of electoral rolls for each ward including qualifications and disqualifications for registration in the electoral rolls ;

(*c*) the conduct of elections ;

(*d*) the removal of disqualifications ;

(*e*) the decision on doubts or disputes relating to elections ;

(*f*) bye-elections ;

(*g*) the electoral offences and corrupt practices in such elections ; and

(*h*) all other matters concerning the conduct of elections and the due constitution of committee ;

subject to such adaptations whether by way of modification, addition, or omission, but not effecting the substance, as it may deem to be necessary and expedient.

6—I. (1) No Civil Court shall have jurisdiction—

Jurisdiction of Civil Courts.

(*a*) to entertain or adjudicate upon any question whether any person is or is not entitled to be registered in an electoral roll of a ward ; or

(*b*) to question the legality of any action taken by or under the authority of an Electoral Registration Officer or of any decision given by any authority appointed under this Act, for the revision of any such roll ; or

(c) to question the legality of any action taken or any decision given by the Returning Officer or by any other Officer appointed under this Act in connexion with an election.

(2) No election shall be called in question except by an election petition presented in accordance with the provisions of this Act.

6-J A person shall not be qualified to be chosen to fill a seat on a Committee, unless—

Qualifications for membership of Committee.

(a) in the case of a seat reserved for the Scheduled Castes, he is member of any of these castes and is an elector for any ward in the Town Area; and

(b) in the case of any other seat, he is an elector for any ward in the Town Area.

6-K, A person, notwithstanding that he is otherwise qualified, shall be disqualified for being chosen as, and for being, a member or Chairman of a Committee, if he—

Disqualifications for members and Chairman.

(a) is a dismissed servant of the State or Central Government and is debarred from re-employment therein, or

(b) is debarred from practising as a legal practitioner by order of any competent authority, or

(c) holds any place of profit in the gift or disposal of the Committee, or

(d) has entailed disqualification for membership of a Committee on account of any corrupt practice relating to an election under this Act, or

(e) is disqualified under section 146 of the Representation of the People Act, 1951, or

(f) is in the service of the State or the Central Government or any local Authority, or is a District Government Counsel or an Additional or Assistant Government Counsel or Honorary Magistrate or an Honorary Munsif or an Honorary Assistant Collector, or

(g) is unable to read and write Hindi."

—मूल अधिनियम की धारा ७ निकाल दी जायगी।

८--मूल अधिनियम की धारा ७-ए की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जायेंगी-- यू० पी० ऐक्ट २, १९१४ की धारा ७-ए का संशोधन।

"(1) The prescribed authority or, where an authority has not been prescribed, the District Magistrate, may remove a Chairman or any member of the Committee who, in his or its opinion,—

(a) has been guilty of gross misconduct or failure in the discharge of his duties, or

(b) has failed to pay for a period of more than one year any taxes or other dues payable by him to the Committee:

Provided firstly, that before making an order removing the Chairman or the member, as the case may be, he shall be allowed an opportunity to submit his explanation on the charge or charges against him:

Provided, secondly, that no order for the removal of the Chairman shall take effect unless it is confirmed by the State Government.

(1-A) The State Government may on the recommendation of the prescribed authority referred to in sub-section (1) or the District Magistrate, as the case may be, place under suspension a Chairman or member against whom action has been commenced under sub-section (1) and, where the Chairman or the member has been so suspended, he shall not for so long as the Order of suspension is in force, be entitled—

(a) to exercise the powers or perform the duties imposed upon him by or under this Act or any other enactment for the time being in force, and

(b) to take part in any proceedings of the Committee.

९--मूल अधिनियम की धारा ८-ए में-- यू० पी० ऐक्ट २, १९१४ की धारा ८-ए का संशोधन।

(१) खंड (३) में शब्द "Resignation of Chairman" के बाद शब्द, "or where the election has been set aside in pursuance of an election petition presented under this Act" रख दिये जायं।

(२) खंड (४) में शब्द "of office of the members" निकाल दिये जायं, और

(३) खंड (४) के बाद निम्नलिखित नया खंड (4-A) के रूप में रख दिया जायगा--

"(4-A) No election of the Chairman shall be called in question except by an election petition presented to such authority and in such manner as may be provided for by or under this Act."

यू० पी० ऐक्ट २, १९१४ की धारा १० का संशोधन।

१०—मूल अधिनियम की धारा १० की उपधारा (२) में शब्द और संख्या "Rs. 15" के स्थान पर शब्द और संख्या "Rs. 30" रख दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट २, १९१४ में एक नयी धारा ११-ए का

११—मूल अधिनियम की धारा ११ के बाद निम्नलिखित नई धारा (11 A) के रूप में रख दी जाय—

Appointment of Accounts Officer.

"11-A. A Committee, if so required by the State Government, shall employ an Accounts Officer nominated by the State Government either exclusively or jointly with one or more local authorities on such terms and conditions as may be prescribed by the State Government."

यू० पी० ऐक्ट २, १९१४ की धारा

१२—मूल अधिनियम की धारा १४-क की उपधारा (१) में वर्तमान खंड (एफ) के बाद निम्नलिखित नया खंड (जी) रखा जाय—

"(g) any other tax being one of the taxes mentioned in sub-section (1) of section 128 of the U. P. Municipalities Act, 1916;"

यू० पी० ऐक्ट २, १९१४ की धारा ३६ का संशोधन।

१३—मूल अधिनियम की धारा ३६ की उपधारा (२) के खंड ((c)) में शब्द "reconstituted" के बाद शब्द "as though the term fixed under section 6 had expired." रख दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट २, १९१४ की धारा

१४—मूल अधिनियम की धारा ३९ में से ख (c), (d) और

उद्देश्य तथा कारण

स्थानीय संस्थाओं के चुनाव का आधार वयस्क मतदान के होने तथा संविधान द्वारा साम्प्रदायिक निर्वाचन की प्रथा को हटा देने के कारण, टाउन एरिया कमेटियों के निर्वाचन से संबद्ध विधि में संशोधन करना आवश्यक हो गया है। अतएव यह विचार है कि उक्त उपबन्धों को जहां तक सम्भव हो राज्य विधान मंडल तथा संसद् से संबद्ध विधि एवं नियमों के अनुसार कर दिया जाय। इस उद्देश्य से विधेयक में यह व्यवस्था की गई है कि टाउन एरिया कमेटियों के निर्वाचन के प्रयोजनों के निमित्त, राज्य विधान सभा की निर्वाचन नामावली को स्वीकृत कर लिया जाय। विधेयक में यह भी व्यवस्था की गई है कि निर्वाचन का परिचालन उसी प्रकार किया जाय जैसा कि राज्य विधान मंडल के लिये होता है। टाउन एरियाज ऐक्ट में अल्प संख्यक जातियों के स्थानों की सुरक्षा को हटा दिया गया है, किन्तु संविधान के उपबन्धों के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिये जन-गणना के आधार पर सुरक्षा की व्यवस्था की गई है।

इस अवसर पर ऐसे अन्य संशोधन भी किये गये हैं जो आवश्यक प्रतीत हुये हैं। उदाहरण के लिये निम्नलिखित हैं :--

सभापति और सदस्यों के मुअत्तल करने का अधिकार, एकाउन्टैस अफसरों की नियुक्ति, टाउन एरिया द्वारा वर्तमान करों के अतिरिक्त म्युनिसिपल करों का लगाया जाना और कमेटी के सेवकों को दंड देने का सभापति का अधिकार।

विधेयक तदनुसार प्रस्तुत किया जाता है।

मोहन लाल गौतम,
स्थानीय स्वशासन मंत्री
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'भ'

(देखिए पीछे पृष्ठ १० पर)

उत्तर प्रदेश जमींदारी–विनाश और भूमि–व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई०

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१।

कुछ प्रयोजनों के लिये, १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि–व्यवस्था अधिनियम को संशोधित करने का

विधेयक

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१।

यह आवश्यक है कि कुछ प्रयोजनों के लिये, जो यहां पर आगे चल कर प्रतीत होंगे, १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि–व्यवस्था अधिनियम में संशोधन किया जाय;

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है––

संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रारंभ।

१––(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जमींदारी–विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, १९५२ कहलायेगा।

(२) इसे, इसकी धारा ३४ को छोड़कर जो तत्काल प्रचलित हो जायगी, दिनांक १ जुलाई, १९५२ ई० से प्रचलित समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ की धारा ३ का संशोधन।

२––१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी–विनाश और भूमि–व्यवस्था अधिनियम (जिसे आगे चल कर मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ३ में:––

(१) खंड (११) निकाल दिया जाय:

(२) खंड (२६) में:––

(क) शब्द "दवामी काश्तकार" के पहले शब्द "क्षेत्रपति" रख दिया जाय, एवं "Permanent tenure holder" से पहले "Land holder" रख दिया जाय; और

(ख) शब्द "सीर" के बाद शब्द "काश्तकार" रख दिया जाय, एवं "Sir" के बाद "Tenant" रख दिया जाय;

(३) खंड (२७) के बाद निम्नलिखित नये खंड (२८) के रूप में रख दिया जाय:––

"(२८) भाग १ में निजी जोत की भूमि के बारे में किसी भी अभिदेश (reference) का तात्पर्य, अवध के पट्टेदार दवामी या इस्तमरारी के नाते, उसकी निजी जोत के अन्तर्गत भूमि से है।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ की धारा ६ का संशोधन।

३––मूल अधिनियम की धारा ६ में:

(१) खंड (क) के उपखंड (१) में शब्द "(गांव की आबादी, खातों और बागों के भीतर स्थित निजी कुओं से भिन्न) कुओं" निकाल दिये जायं; और

उ० प्र० अधिनियम ३, १९४९।

(२) खंड (घ) में शब्द "हो" और "ऐसे" के बीच में शब्द "या १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्तीय कृषि–आय–कर ऐक्ट के अन्तर्गत कृषि आय पर लगाये गये कर की ऐसे समय की बकाया" रख दिये जायं।

४—मूल अधिनियम की धारा ६ मे शब्द "ऐसे सब निजी कुएं, जो खातों, बाग अथवा आबादी में हों या" और शब्द "उन कुओं या" निकाल दिये जायं ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १६५१ की धारा ६ का संशोधन।

५—मूल अधिनियम की धारा १० की :—

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १६५१ की धारा १० का संशोधन।

(१) उपधारा (१) मे शब्द "वार्षिक मालगुजारी पर देय हो" और शब्द "उस भूमि का मौरूसी काश्तकार" के बीच मे शब्द "या मातहतदार, अदना मालिक या दवामी काश्तकार की दशा मे उसके द्वारा प्रतिवर्ष देय लगान २५० रुपये से अधिक हो" रख दिये जायं।

(२) उपधारा (१) के बाद निम्नलिखित, नयी उपधारा (१—क) के रूप में रख दिया जाय:—

"(१—क) जब भूमि दो या दो से अधिक मध्यवर्तियों की संयुक्त सीर हो जिनमे से केवल कुछ मध्यवर्ती उपधारा (१) मे उल्लिखित श्रेणी के हो, तो काश्तकार, भूमि के उस भाग का मौरूसी काश्तकार समझा जायगा, जो उक्त भूमि मे उपधारा (१) मे उल्लिखित मध्यवर्तियो के अंश के अनुपात मे हो; और

(३) उपधारा (२) में शब्द और संख्या "उपधारा (१)" के स्थान पर शब्द और संख्या "उपधारा (१) और (१—क)" रख दिए जायं।

६—मूल अधिनियम की धारा १५ की उपधारा (१) मे शब्द "मध्यवर्ती के पास" और शब्द "कोई भूमि" के बीच म शब्द "उस भूमि को छोड़ कर जिसमे धारा १० या १६ के अन्तर्गत मौरूसी अधिकार उत्पन्न होते हो तथा जो पट्टा दवामी अथवा इस्तमरारी पर ली गयी हो" रख दिये जायं।

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १६५१ की धारा १५ का संशोधन।

७—मूल अधिनियम की धारा १६ के अन्तर्गत स्पष्टीकरण के खंड (१) में:—

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १६५१ की धारा १६ का संशोधन।

(१) उपखंड (क) मे शब्द "स्थानिक कर देने वाले" तथा शब्द "अथवा" के बीच मे निम्नलिखित रख दिया जाय:

"या मातहतदार, अदना मालिक अथवा दवामी काश्तकार की दशा मे, ऐसे मध्यवर्ती जिसके द्वारा देय लगान २५० रु० प्रतिवर्ष से अधिक हो।"

(२) उपखंड (ख) अर्थात् शब्द "धारा १० की उपधारा (२) मे अभिदिष्ट मध्यवर्ती" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:

"(ख) ऐसा मध्यवर्ती, जो निहित होने के दिनांक पर धारा १० की उपधारा (२) के खंड (१) से (६) तक मे निर्दिष्ट वर्गो मे से किसी वर्ग का व्यक्ति हो।"

८—मूल अधिनियम की धारा १७ मे शब्द "सीर न समझी जायगी" के बाद का सारा अंश निकाल दिया जाय।

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १६५१ की धारा १७ का संशोधन।

६—मूल अधिनियम की धारा १८ की उपधारा (१) में:—

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १६५१ की धारा १८ का संशोधन।

(१) खंड (घ) के बाद शब्द "अथवा" रखकर निम्नलिखित नये खंड (ङ) के रूप मे जोड़ दिया जाय:

"(ङ) बागदार के पास हो," और

(२) शब्द "पट्टेदार या काश्तकार" के स्थान पर शब्द "पट्टेदार, काश्तकार, माफीदार, या बागदार" रख दिये जायं।

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ की धारा १९ का संशोधन।

१०—मूल अधिनियम की धारा १९ में:—

(१) शब्द "रही समझी जाय," और शब्द "यह समझा जाय" के बीच में शब्द "उस दशा को छोड़कर जिसकी व्यवस्था धारा १८ की उपधारा (१) के खंड (ध) में दी गयी है" रख दिये जायं:

(२) खंड (७) के अन्त में शब्द "और" रख दिये जाय:

(३) खंड (८) निकाल दिया जाय: और

(४) वर्तमान खंड (९) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय:—

"धारा १७ में अभिदिष्ट ऐसी सब भूमि जो उक्त दिनांक पर किसी व्यक्ति के पास दवामी या इस्तमरारी पट्टे पर हो।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ की धारा २० का संशोधन।

११—मूल अधिनियम की धारा २० में:—

(१) खंड (क) में शब्द "सीर का ऐसा काश्तकार" के पहले शब्द "उस स्थिति को छोड़कर जिसकी व्यवस्था खंड (ग) में की गयी है" रख दिये जायं,

(२) खंड (ख) में शब्द "बाग भूमि से भिन्न" के पहले शब्द "उस स्थिति को छोड़ जिसकी व्यवस्था खंड (ग) में की गयी है" रख दिए जायं।

(३) खंड (ग) में:—

(क) शब्द "जिसका नाम" के बाद शब्द "बाग भूमि या" रख दिये जायं।

(ख) उपखंड (१) में शब्द "निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर उस भूमि पर काबिज रहा हो या जिसे उक्त दिनांक पर यूनाइटेड प्राविन्सेज टेनेंसी (अमेंडमेंट) ऐक्ट, १९४७ की धारा २७ की उपधारा (१) के खंड (सी) [Clause (c)] के अनुसार कब्जा वापस पाने का अधिकार हो" के स्थान पर शब्द "१३५९ फसली में उस भूमि पर काबिज रहा हो" रख दिये जायं।

(ग) उपखंड (२) में शब्द "और जो पूर्वोक्त दिनांक पर उस भूमि पर काबिज रहा हो" निकाल दिये जायं, और

(४) खंड (ग) के बाद निम्नलिखित, नया खंड (घ) के रूप में जोड़ दिया जाय:—

"(घ) ऐसा व्यक्ति जो ऐसी भूमि का जिसे धारा १६ लागू होती हो, अध्यासी (occupant) के रूप में—

(१) यू० पी० लैंड रेवेन्यू, ऐक्ट १९०१ के चैप्टर ४ के अन्तर्गत पुनरक्षित (revised) या किसी क्षेत्र में वार्षिक रजिस्टरों को शुद्ध करने के लिये, राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से नियुक्त अधिकारी द्वारा शुद्ध किये गये (corrected) अभिलेख में अभिलिखित हो, किन्तु जो १३५९ फसली में काबिज न रहा हो, अथवा

(२) यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १६०१ की धारा ३२ के खंड (e) के अधीन तैयार किये गये १३५९ फसली के अधिकार अभिलेख मे अभिलिखित हो, किन्तु जो १३५६ फसली मे काबिज न रहा हो,

(५) स्पष्टीकरण निकाल दिया जाय।

१२––मूल अधिनियम की धारा २० के बाद निम्नलिखित नई धारा २०–क के रूप मे रख दिया जाय :–– उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ की धारा २० मे नई धारा का रखा जाना।

बाग भूमि के अध्यासी

"२०–क––प्रत्येक व्यक्ति जो निहित होने के दिनांक के ठीक पहले के दिनांक पर धारा २० के खंड (ग) मे कथित रीति के अनुसार किसी बाग–भूमि के अध्यासी के रूप मे अभिलिखित हो, उस भूमि का असामी कहलायेगा बाग–भूमि के अध्यासी और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन उस भूमि पर कब्जा करने अथवा रखने का अधिकारी होगा"

१३––मूल अधिनियम की धारा २१ के खंड (घ) मे:–– उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ की धारा २१ मे संशोधन।

(१) शब्द, अक्षर और कोष्टक "(ख) और (ग) " के स्थान पर "(ख), (ग) तथा (ङ)" रख दिये जायं, और

(२) शब्द, संख्या और कोष्टक "खंड (१) मे (६) तक " के स्थान पर शब्द, संख्या और कोष्टक "खंड (१) मे (७) तक और (६)" रख दिये जायं।

१४––मूल अधिनियम की धारा २३ की उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :–– उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ की धारा २३ मे संशोधन ।

"(२) उपधारा (२) मे कोई भी बात निम्नलिखित पर लागू न होगी :––

(क) रुपया अदा करने के लिये किसी डिक्री या आज्ञा के निष्पादन मे, न्यायालय की आज्ञा के अधीन किया गया विक्रय (सेल); अथवा

(ख) किसी वक्फ, न्यास (Trust), निबन्ध (endowment)या सस्था (society) के, जो पूर्णतः दानोत्तर प्रयोजनो के लिये स्थापित की गयी हो, पक्ष मे किया गया कोई विक्रय या दान जब तक कि राज्य सरकार किसी विशेष दशा में अन्यथा निर्देश न दे।

स्पष्टीकरण––उपधारा (२) के प्रयोजनों के लिये, "संस्था" का तात्पर्य ऐसी सोसायटी से है जो सोसायटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १८६० के अन्तर्गत रजिस्टर्ड हो।"

१५––मूल अधिनियम की धारा ३० मे निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य के रूप में जोड़ दिया जाय :–– उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ की धारा ३० मे संशोधन।

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि धारा ९९ के खंड (क) अथवा खंड (ग) क उपखंड (१) मे अभिदिष्ट किसी भी वक्फ, न्यास अथवा निबन्ध की दशा मे अन्तरिम प्रतिकर उक्त धारा के अन्तर्गत देय वार्षिक वृत्ति मे से काट लिया जायगा और उसमे संधानित कर दिया जायगा।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ की धारा ३९ का संशोधन।

१६—मूल अधिनियम की धारा ३९ में:—

(१) खंड (क) के उपखंड (२) में शब्द "और" के बाद शब्द "यदि उक्त अधिनियम में ऐसी गणना के लिये व्यवस्था न की गयी हो तो नियत रीति से, और" जोड़ दिये जायं,

(२) खंड (क) के अन्तर्गत स्पष्टीकरण में संख्या "१०" निकाल दी जाय, और

(३) खंड (ग) के अन्तर्गत वर्तमान स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण (१) के रूप में परिगणित किया जायगा और उसके बाद निम्नलिखित, स्पष्टीकरण (२) के रूप में रख दिया जायगा:—

"स्पष्टीकरण (२)—इस धारा के प्रयोजनों के लिये 'सायर' के अन्तर्गत, जहां तक वह मध्यवर्ती के बाग से संबद्ध है, उसकी लकड़ी अथवा फलों की बिक्री की आय नहीं है।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ की धारा ७३ का संशोधन।

१७—मूल अधिनियम की धारा ७३ में प्रथम प्रतिबन्धात्मक वाक्य के बाद निम्नलिखित, द्वितीय प्रतिबन्धात्मक वाक्य के रूप में रख दिया जाय:—

"और प्रतिबन्ध यह है कि धारा ९९ के खंड (क) अथवा खंड (ग) के उपखंड (१) में वर्णित वर्गों के किसी भी वक्फ, न्यास अथवा निबन्ध को उक्त धारा के उपबन्धों के अनुसार, ऐसे वक्फ, न्यास अथवा निबंध द्वारा देय मालगुजारी चाहे कितनी भी हो, पुनर्वासन अनुदान दिया जायगा।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ की धारा ७४ का संशोधन।

१८—मूल अधिनियम की धारा ७४ में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य के रूप में जोड़ दिया जाय:—

"प्रतिबन्ध यह है कि धारा ९९ के खंड (क) तथा खंड (ग) के उपखंड (१) में अभिदिष्ट वक्फ, न्यास अथवा निबन्ध को, निहित होने के दिनांक से, पुनर्वासन अनुदान देय होगा।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ की धारा ११४ का संशोधन।

१९—मूल अधिनियम की धारा ११४ में:—

(१) खंड (ख) निकाल दिया जाय, और

(२) स्पष्टीकरण (२) निकाल दिया जाय।

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ की धारा ११७ का संशोधन।

२०—मूल अधिनियम की धारा ११७ के अन्त में निम्नलिखित, नये प्रतिबन्धात्मक वाक्य के रूप म जोड़ दिया जाय:—

"और प्रतिबन्ध यह भी है कि राज्य सरकार के लिये यह वैध होगा कि खंड (१) से (७) तक में वर्णित सभी विषयों के या उनमें से किसी के संबंध में वह पूर्वोक्त प्रख्यापन करे, और ऐसा करने में वह ऐसे अपवाद अथवा प्रतिबन्ध रखे जिन्हें कि वह विज्ञप्ति में निर्दिष्ट करे।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ में नई धारा ११७-क का रखा जाना।

२१—मूल अधिनियम की धारा ११७ के बाद निम्नलिखित, नई धारा ११७-क के रूप में जोड़ दी जाय:—

"११७-क—धारा ११७ में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा प्रख्यापित कर सकती है कि ऐसे दिनांक से जो निर्दिष्ट किया जाय, किसी भी गांव में स्थित किसी भी क्षेत्र के विषय म उक्त धारा के खंड (१) से (७) तक में निर्दिष्ट सभी या कोई विषय जो इस अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार में निहित थे, उक्त गांवों के लिये स्थापित किसी भी स्थानिक आधिकारिकी (local authority) में निहित होंगे।

(२) जब कोई भूमि किसी अन्य स्थानिक आधिकारिकी में इस प्रकार निहित हो तो ऐसी स्थानीय आधिकारिकी ऐसे क्षेत्र के संबंध में ऐसे अपवादों या परिष्कारों के अधीन जिसे राज्य सरकार इस संबंध में सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा निर्दिष्ट करे, ऐसे कार्यों को करेगी, अधिकारों को प्रयोग में लायेगी और कर्त्तव्यों का पालन करेगी, जो इस अधिनियम के अन्तर्गत या द्वारा किसी गांव, गांव सभा गांव पंचायत अथवा धारा १२१ के अन्तर्गत स्थापित किसी समिति को अभ्यर्पित किये जायं, दिये जाय अथवा उस पर लगाये जायं।"

(३) उक्त स्थानिक आधिकारिकी इस धारा के अन्तर्गत अपने कार्यों, अधिकारों और कर्त्तव्यों के संपादन, प्रयोग तथा पालन में ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगी जो नियत की जाय।

(४) धारा १२६ तथा १२७ के उपबंध उपधारा (१) में अभिदिष्ट स्थानिक आधिकारिकी पर, ऐसे प्रतिबन्ध और परिष्कारों के अधीन जिसे राज्य सरकार निर्दिष्ट करे, आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।

२२--मूल अधिनियम की वर्तमान धारा १२१, धारा १२१ की उपधारा (१) के रूप में पुनः परिगणित की जाय और उसके बाद निम्नलिखित, नई उपधारा (२) के रूप में जोड़ दिया जाय:--- उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा १२१ का संशोधन। यू० पी० ऐक्ट २६, ११४७।

"(२) जब उपधारा (१) के अन्तर्गत बनाये गए नियमों के अनुसार समिति को किसी वर्ग के वादों अथवा व्यवहारों को आरंभ करने या उनका प्रतिवाद करने का अधिकार गांव सभा की ओर से और गांव सभा के लिये दे दिया जाय, तो उक्त समिति का सभापति अथवा अन्य कोई कार्य का अधिकारी या सदस्य, जैसा भी नियत किया जाय, यू० पी० पंचायत राज्य ऐक्ट, १९४७ में अथवा उसके अन्तर्गत किसी बात के होते हुए भी किसी भी लेख्य पर हस्ताक्षर करने का अथवा अन्य दूसरे ऐसे कामों के करने का अधिकारी होगा, जो वाद अथवा व्यवहार के प्रचालन के हेतु आवश्यक हो।"

२३--मूल अधिनियम की धारा १२२ में प्रथम प्रतिबन्धात्मक वाक्य के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:-- उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा १२२ का संशोधन।

"प्रथमतः प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी प्रसंग (केस) में ऐसे सदस्यों की संख्या ५ से कम हो, तो कलेक्टर गांव समाज के ऐसे सदस्यों में से उतने सदस्य नामांकित करेगा जिससे कि सदस्यों की कुल संख्या ५ हो जाय।"

२४--मूल अधिनियम की धारा १३३ में:--

(१) वर्तमान खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:-- उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा १३३ में संशोधन।

"(क) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो मध्यवर्तियों के हस्तगतीकरण के परिणामस्वरूप धारा ११, १३, २० क अथवा २१ के अन्तर्गत असामी हो जाए"

(२) वर्तमान खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:--

"(घ) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो किसी अन्य प्रकार से इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अथवा अन्तर्गत असामी के अधिकार प्राप्त कर ले।"

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा १३४ का संशोधन।

२५—मूल अधिनियम की धारा १३४ में —

(१) उपधारा (१) में—

(क) शब्द "परगना के अधिकारी" निकाल दिये जायं, और

(ख) निम्नलिखित स्पष्टीकरण के रूप में जोड़ दिया जाय:—

"स्पष्टीकरण—इस उपधारा में भूमि के अन्तर्गत भूमि का अंश भी है।"

(२) उपधारा (२) के बाद निम्नलिखित उपधारा (३) के रूप में जोड़ दिया जाय :—

"(३) उपधारा (१) में अभिदिष्ट धनराशि नकदी में, या यदि राज्य सरकार नियत करे तो बन्धों (bonds) में, अथवा अन्य प्रकार से भी अदा की जा सकती है।"

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा १३५ में संशोधन।

२६—मूल अधिनियम की धारा १३५ के शब्द "खजाने (treasury) का एक ऐसा चालान भी" के स्थान पर शब्द "यदि धनराशि नकद दी जाय तो खजाने (treasury) का ऐसा चालान, या किसी अन्य स्थिति में, ऐसा कोई लेख्य या प्रमाण" रख दिया जाय और शब्द "साथ" के पूर्व कामा

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा १३७ में संशोधन।

२७—मूल अधिनियम की धारा १३७ में:—

(१) उपधारा (२) में शब्द "के ठीक बाद के कृषि वर्ष के प्रारम्भ" निकाल दिये जायं; और

(२) उपधारा (२) के बाद निम्नलिखित, नई उपधारा (२-क) के रूप में जोड़ दिया जाय:—

"(२-क) यदि कृषि-वर्ष के प्रथम दिनांक से भिन्न अन्य किसी दिनांक को प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाय तो भूमिधर द्वारा उपधारा (२) के खंड (ख) के अन्तर्गत उस कृषि वर्ष के अवशिष्ट भाग के लिये, जिसमें प्रमाण पत्र प्रदान किया जाय, देय मालगुजारी उस रीति से अवधारित की जायगी, जो नियत की जाय।"

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ में नई धारा १३७-क का रखा जाना।

२८—मूल अधिनियम की धारा १३७ के बाद निम्नलिखित, धारा १३७ क के रूप में रख दिया जाय :—

"प्रमाण पत्र का निरसन

१३७—क—धारा १३७ के अनुसार दिया गया प्रमाणपत्र राज्य सरकार अथवा हित रखने वाले (interested) किसी व्यक्ति द्वारा प्रार्थना पत्र दिये जाने पर, निम्न लिखित कारणों में से किसी के आधार पर निरस्त अथवा परिष्कृत (cancelled or modified) किया जा सकता है :—

(क) कि प्रमाण पत्र, असिस्टेंट कलेक्टर के समक्ष छलपूर्वक झूठा सुझाव प्रस्तुत करके अथवा असिस्टेंट कलेक्टर के मामले से सम्बद्ध कोई महत्वपूर्ण बात छिपाकर, प्राप्त किया गया था,

(ख) कि प्रमाण पत्र किसी ऐसे तथ्य के असत्य कथन द्वारा प्राप्त किया गया था जो विधि की दृष्टि से उसके प्रदान के समर्थन के लिये आवश्यक था, चाहे ऐसा कथन अज्ञानवश अथवा असावधानी के कारण किया गया हो,

(ग) कि उस खाते के विषय में जिसके संबंध में प्रमाणपत्र दिया गया था, किसी वाद अथवा व्यवहार में किसी समर्थ न्यायालय द्वारा पारित

जिससे उसका आशय यह प्रदर्शित होता हो कि प्रार्थी प्रमाण पत्र पाने का अधिकारी नहीं था।

(२) उक्त उपधारा (१) के अधीन प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया जाय तो वह व्यक्ति जिसने धारा १३४ में अभिदिष्ट धनराशि जमा की थी उसको लौटाये जाने का अधिकारी हो जायगा,

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि धारा १३० की उपधारा (२) के खण्ड (ख) के अन्तर्गत दी मालगुजारी की कम की हुई मात्रा के बराबर धनराशि इसमें से काट ली जायगी।

२६—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा १३८, धारा १३८ की उपधारा (१) के रूप में ... और निम्नलिखित नई उपधारा (२) के रूप में बढ़ा दिया जाय —

(२) उपधारा (१) के अन्तर्गत किसी वाद में कोई भी दूसरा भूमिधर ... भूमिधर होने का अधिकारी हो ... अपने अंश के ... प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर ... अपने अंश को अलग करवाने का अधिकारी होगा

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि विवादग्रस्त विषयों (Issues) के निश्चित तथा लिखित होने के बाद ऐसा ... प्रार्थना पत्र नहीं लिया जायगा।'

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा १३८ का संशोधन।

—मूल अधिनियम की धारा १०२ की उपधारा (१) मे जहां कहीं भी शब्द "कलेक्टर" आया हो वहां वहां उसके स्थान पर शब्द 'परगने के अधिकारी असिस्टेंट कलेक्टर" रख दिये जायं।

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा १४- का संशोधन।

३—मूल अधिनियम की धारा १४४ की उपधारा (१) मे जहां कहीं भी शब्द 'कलेक्टर" आया हो वहां वहां उसके स्थान पर शब्द "परगना का अधिकारी असिस्टेंट कलेक्टर" रख दिये जायं।'

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा १४४ का संशोधन।

३—मूल अधिनियम की धारा १४६ के शब्द 'और उन्नति जिस प्रकार की चाहे उस प्रकार की उन्नति करे' निकाल दिये जायं।

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा १४६ का संशोधन।

३—मूल अधिनियम की धारा १४७ से १५१ तक निकाल दी जायं।

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा १४७ से १५१ तक का निकाल दिया जाना।

३४—मूल अधिनियम की धारा १६१ की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय —

'(१) कोई भी भूमिधर किसी दूसरे भूमिधर से और कोई भी सीरदार किसी दूसरे सीरदार से ऐसी भूमि को जो उसके पास क्रमशः भूमिधर या सीरदार के नाते है, विनिमय (exchange) कर सकता है,

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई भी विनिमय, जिसके परिणाम स्वरूप विनिमय करने वाले किसी भी पक्ष के पास उसके परिवार द्वारा

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा १६१ का संशोधन।

अध्यासीन भूमि को मिला कर उत्तर प्रदेश में कुल भूमि ३० एकड़ से अधिक हो, ठीक और वैध न होगा ।

प्रतिबन्ध यह भी है कि कोई भी सीरदार असिस्टेंट कलेक्टर की अनुज्ञा पहले से बिना प्राप्त किये विनिमय न कर सकेगा। यदि विनिमय से दी गई भूमि की देय मालगुजारी विनिमय द्वारा प्राप्त भूमि की देय मालगुजारी से उसका दस प्रतिशत मिला कर, उससे अधिक हो, तो असिस्टेंट कलेक्टर अनुज्ञा नहीं देगा ।'

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा १७१ का संशोधन ।

३५—मूल अधिनियम की धारा १७१ के खंड (ड) के बाद निम्नलिखित खंड (ड ड) के रूप में रख दिया जाय :—

"(ड ड) बहिन का पुत्र"

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा १९८ का संशोधन ।

३६—मूल अधिनियम की धारा १९८ की उपधारा ( ) में :—

(१) खंड (क) के बाद निम्नलिखित, नये खंड (क क) के रूप में रख दिये जायं :—

"(क क) उस सर्किल में रहने वाला खेती से सम्बन्धित ऐसा मजदूर (Agricultural Labourer) जिसके पास भूमि न हो।"

(२) खंड (ग) के बाद निम्नलिखित, नया खंड (ग ग) के रूप में रख दिया जाय :—

"(ग ग) भूमिधर जिसपर धारा १८ की उपधारा (१) अथवा धारा १३७ लागू होती हो और जिसके पास उस सर्किल में ३—१/८ एकड़ से कम क्षेत्रफल की भूमि हो।"

(३) खंड (ख) और (घ) निकाल दिये जायं; और

(४) द्वितीय प्रतिबन्धात्मक वाक्य में शब्द और अक्षर "खंड (ख) और (ग)" के स्थान पर शब्द और अक्षर "खंड (ग) और (ग ग)" रख दिये जायं ।

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा २०२ का संशोधन ।

३७—मूल अधिनियम की धारा २०२ में :—

(१) खंड (ख) में शब्द, संख्या और कोष्टक, "खंड (क) के उपखंड (१), (२), (३), (६) और (७) या" निकाल दिये जायं और शब्द "खंड (ग)" और "में उल्लिखित" के बीच में शब्द "या धारा २१ के खंड (क), (ख), (ग), (ङ) और (छ)" रख दिये जायं ।

(२) खंड (ग) में शब्द "धारा १३३ के खंड (क) के उपखंड (४)" के स्थान पर शब्द "धारा २१ के खंड (घ)" रख दिये जायं;

(३) खंड (घ) में शब्द "धारा १३३ के खंड (क) के उपखंड (५) में उल्लिखित वर्ग का है" के स्थान पर शब्द "धारा ११ के अन्तर्गत असामी है" रख दिये जायं ;

(४) खंड (ङ) में शब्द "धारा १३३ के खंड (क) के उपखंड (८)" के स्थान पर शब्द "धारा २१ के खंड (च)" रख दिये जायं; और

(५) खंड (६) में :—

(१) शब्द "धारा १३३ के खंड (क) के उपखंड (६) में उल्लिखित वर्ग का है" के स्थान पर शब्द "धारा १३ के अन्तर्गत असामी है" रख दिये जायं; और

(२) शब्द और संख्या "धारा १३" के स्थान पर शब्द "उक्त धारा" रख दिये जायं ।

३८——मूल अधिनियम की धारा २०३ में शब्द "धारा १५० के अधीन निर्धारित प्रतिकर, यदि कोई हो, घटाने के बाद" निकाल दिये जायं । उ० प्र० अनियम १, १९५१एक २०३ में ९७—क ना।

३९——मूल अधिनियम की धारा २०९ में शब्द "या गांव सभा" के स्थान पर शब्द "गांव सभा या कलेक्टर" रख दिये जायं । उ० प्र० अ १, १९५१ २०९ का

४०——मूल अधिनियम की धारा २१२ में शब्द "रहते हुये भी" और शब्द "गांव सभा" के बीच में शब्द "कलेक्टर या" रख दिये जायं । उ० प्र० अनियम १, १९५१। धारा २१२ का धन।

४१——मूल अधिनियम की धारा २३२ की उपधारा (१) में संख्या और शब्द "६ साल" के स्थान पर शब्द "एक वर्ष" रख दिये जायं । उ० प्र० अनियम १, १९५१। धारा २३२ का धन।

४२——मूल अधिनियम की धारा २३३ के बाद निम्नलिखित नई धारा २३३-क के रूप में रख दिया जाय—— उ० प्र० अनियम १, १९५१। धारा नई धारा धन। का रखा

"२३३-क——यदि अधिवासी का लगान जिन्सी हो या खड़ी हुई फसल के अनुमान या कूत के अनुसार या बोई हुई फसलों के अनुसार बदलती रहने वाली दरों पर या ऐसे ढंगों में से अंशतः एक पर और अंशतः दूसरे या दूसरों पर निर्भर हो तो असिस्टेंट कलेक्टर स्वतः, और गांव सभा अथवा उस अधिवासी के, जिसके द्वारा लगान देय हो, अथवा क्षेत्रपति के, जिसको लगान देय हो, आदेश पर तो अवश्य, ऐसी निश्चित धनराशि के रूप में लगान का नक़दी में परिवर्तन करेगा जो हिसाब लगाने पर मौरूसी दरों के १३३-१/३ प्रतिशत से अधिक न हो।" लगान का

४३——मूल अधिनियम की धारा २३४ में :—— उ० प्र० अनियम १, १९५१ २३४ का

(१) शब्द "कोई अधिवासी निम्नलिखित आधारों को छोड़ किसी दूसरे आधार पर अपनी भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकेगा" के स्थान पर शब्द "कोई भी अधिवासी अपनी भूमि से निम्नलिखित आधारों पर बेदखल किये जाने के योग्य होगा" रख दिये जायं ।

(२) शब्द "वादों से संबंध रखने वाले" के स्थान पर शब्द "वादों तथा प्रार्थना पत्रों से सम्बद्ध प्रक्रिया तथा प्रस्तुत करने के स्थान (कोरम) से संबंध रखने वाले" रख दिये जायं ।

४४——मूल अधिनियम की धारा २३५ की उपधारा (१) में से शब्द "परगना के अधिकारी" निकाल दिये जायं । उ० प्र० अ १, १९५१ २३५ का सं

४५——मूल अधिनियम की धारा २३८ में संख्या "२३४" के स्थान पर संख्या "२३५" रख दी जाय । उ० प्र० अ १, १९५१ २३८ का स

४६——मूल अधिनियम की वर्तमान धारा २४५, धारा २४५ की उपधारा (१) के रूप में पुनः परिगणित की जाय और इस पुनः परिगणित उपधारा (१) में :—— उ० प्र० अ १, १९५१ २४५ का स

(क) खंड (ख) में शब्द "खंड (घ)" के स्थान पर शब्द "खंड (घ) और (ङ)" रख दिये जायं ।

धिनियम की धारा ंशोधन।
धिनियम की धारा ंशोधन।
धिनियम की धारा उ० ंशोधन। १, १। धिनियम की धारा उ० ंशोधन। १, १ धिनियम मे एक २३–क जाना। दरिवर्तन

(ख) वर्तमान खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायगा :—

"(ग) यदि वह धारा १८ की उपधारा (२) के अधीन भूमिधर हुआ हो तो ऐसी धनराशि जो निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर उसके द्वारा उक्त भूमि के लिये देय लगान के आधे के अथवा १९४९ ई० के संयुक्त प्रान्तीय काश्तकार (विशेषाधिकार उपार्जन) विधान की धारा ४ के अन्तर्गत देय समझे गये लगान के बराबर हो"

(२) मूल अधिनियम की उपधारा २४५ की उपधारा (१) के बाद निम्नलिखित, नई धारा (२) के रूप में रख दिया जाय :—

"(२) यदि उपधारा (१) के खंड (ख) में अभिदिष्ट भूमिधर द्वारा देय लगान निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर जिन्सी था, या खड़ी फसल के अनुमान या कूत के अनुसार या बोई हुई फसल के अनुसार बदलती रहने वाली दरों पर या ऐसे ढंगों में से अंशतः एक पर और अंशतः दूसरे या दूसरों पर निर्भर था, तो असिस्टेंट कलेक्टर द्वारा उस रीति से तथा उन सिद्धांतों के आधार पर जो नियत किये जायं, अवधारित की जाने वाली धनराशि, पूर्वोक्त खंड के प्रयोजनों के लिये, उसके द्वारा देय लगान समझी जायगी।"

४७——मूल अधिनियम की धारा २४६ की उपधारा (१) में, खंड (क) बाद निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य के रूप में जोड़ दिया जाय :—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि पूर्वोक्त देय लगान बोये हुये क्षेत्र के अनुसार अथवा बाल पंचट के आचारानुसार बदलता हो, तो मालगुजारी ऐसी धनराशि होगी जो उक्त दिनांक से ठीक पहले के दस वर्षों में देय वार्षिक लगान के औसत के बराबर हो।"

धिनियम की धारा उ० ंशोधन। १, २।

४८——मूल अधिनियम की धारा २४७ के बाद निम्नलिखित, नई धारा ४७–क के रूप में जोड़ दिया जाय :—

'धारा २४५, ४६ और २४७ लगान का अर्थ। २४७–क–धारा २४५, २४६ और २४७ में पद "देय लगान" या "देय लगान के आधे" के अन्तर्गत, जब तक कि प्रसंग अन्यथा न हो, वह धनराशि भी है जो यू० पी० लोकल रेट्स ऐक्ट, १९१४ की धारा ७ या ८ अथवा यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, १९२२ की धारा १११ के अधीन सम्बद्ध भूमिधर अथवा सीरदार से भूस्वामी (लैन्ड लार्ड) द्वारा वसूल करने योग्य हो।"

धिनिय की धारा ंशोधन। धिनियम। की धारा ंशोधन।

४९——मूल अधिनियम की धारा २४९ की उपधारा (१) में शब्द "मालगुजारी के अंतर्गत" और शब्द "उतना ही अबवाब" के बीच में शब्द "उस स्थिति को छोड़ कर जिसकी व्यवस्था धारा २४७–क में की गई है," रख दिये जायं, और शब्द "अन्तर्गत" के बाद कामा रखा जाय।

धिनियम की धारा ंशोधन।

५०——मूल अधिनियम की धारा २५९ में शब्द "कमिश्नर" के स्थान पर शब्द "लैण्ड रिफार्म्स कमिश्नर" रख दिये जायं।

५१——मूल अधिनियम की धारा २६७ के बाद निम्नलिखित, नई धारा २६७–क के रूप मे रख दिया जाय :—— उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ मे एक नई धारा २६७–क का रखा जाना।

"२६७–क——यदि बन्दोबस्त के प्रचलित रहते हुए कोई भूमिधर, अपने खाते के भागो खाते का कोई भाग हस्तान्तरित कर देता है, तो की मालगुजारी खाते के प्रत्येक भाग के सम्बन्ध से देय मालगुजारी को अवधारित करने कलेक्टर नियत रीति से अवधारित करेगा।" का अकार।

५२——मूल अधिनियम की धारा २६८ की उपधारा (२) मे शब्द "असामी" के स्थान पर शब्द "असामी या अधिवासी, जैसी भी दशा हो" रख दिए जायं। उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा २६८ का संशोधन।

५३——मूल अधिनियम की धारा २७३ मे शब्द "कमिश्नर" के स्थान पर शब्द 'लैण्ड रिफार्म्स कमिश्नर' रख दिए जायं। उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा २७३ का संशोधन।

५४——मूल अधिनियम की धारा २८१ मे द्वितीय प्रतिबन्धात्मक वाक्य के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—— उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा २८१ का संशोधन।

'और यह भी प्रतिबन्ध है कि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अन्तर्गत देय किसी भी बकाया के लिए (उस खाते के सम्बन्ध मे बकाया को छोड़कर जिसका कि वह भूमिधर अथवा सीरदार हो), गिरफ्तारी या निरोधन का भागी न होगा।"

५५——मूल अधिनियम की धारा २९१ मे शब्द "कमिश्नर" के स्थान पर शब्द "लैण्ड रिफार्म्स कमिश्नर" रख दिए जायं। उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा २९१ का संशोधन

५६——मूल अधिनियम की धारा ३३२ मे :—— उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा ३३२ का संशोधन।

(१) उपधारा (१) मे शब्द "किसी ऐसे फरीक को, जिसे वह ऐसा आदेश देना उचित समझे, आदेश देगा कि वह ऐसी आज्ञा से तीन मास की अवधि के भीतर अधिक्षत्र युक्त न्यायालय मे ऐसे प्रश्न के, अवधारण (determination) के लिये वाद प्रस्तुत करे और तदुपरान्त जब तक पूर्वोक्त अवधि समाप्त न हो जाय तब तक के लिये, और यदि कोई वाद प्रस्तुत कर दिया गया हो, तो जब तक उक्त वाद का निर्णय न हो जाय तब तक के लिये, अपने सामने चल रहे वाद या व्यवहार को स्थगित कर देगा" के स्थान पर शब्द "आगम सम्बन्धी प्रश्न का विचारणीय विषय (Issue) निश्चित तथा लिख करके अभिलेख को केवल उस विचारणीय विषय के निर्णय के हेतु किसी समर्थ दीवानी न्यायालय के पास भेज देगा" रख दिए जायं।

(२) उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण के रूप में रख दिया जाय :——

"स्पष्टीकरण——भूमि के आगम के सम्बन्ध मे तर्क (Plea) स्पष्टतः अमान्य (untenable) हो और जो केवल माल न्यायालय के अधिक्षेत्र को निष्कासित करने के लिए उठाया गया हो, इस धारा के प्रयोजनों के लिए उक्त भूमि के सम्बन्ध में आगम सम्बन्धी प्रश्न नही समझा जायगा।"

(३) उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :——

"(२) दीवानी न्यायालय विचारणीय विषय (Issue) को, यदि आवश्यक हो पुनः निश्चित करके केवल इस विचारणीय विषय को निर्णीत करेगा और उस सम्बन्ध मे अपनी उपपत्ति (finding)

सहित अभिलेख को प्रस्तुत करने वाले माल न्यायालय के पास भेज देगा।

(४) उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :-

"(३) तब माल न्यायालय, अभिदिष्ट विचारणीय विषय (Issue) पर दीवानी न्यायालय की उपपत्ति को स्वीकार करके, वाद का निर्णय करना आरम्भ करेगा।"

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा ३३९ का संशोधन।

५७--मूल अधिनियम की धारा ३३९ में :--

(१) शब्द "धारा ४ के अधीन विज्ञप्ति प्रकाशित होने के" के स्थान पर शब्द "निहित होने के" रख दिए जायं।

(२) खंड (ख) में शब्द "असंगत होंगे" और शब्द "निर्वर्तित के बीच में शब्द "और जहां तक उनका सम्बन्ध उक्त क्षेत्र में लागू का है" रख दिए जायं।

(३) खंड (ग) में शब्द "संशोधित" के पहले शब्द "जहां तक उसका सम्बन्ध उक्त क्षेत्र में लागू होने का है" जोड़ दिये जायं।

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की धारा ३४२ का संशोधन।

५८--मूल अधिनियम की धारा ३४२ की उपधारा (२) में शब्द "एक वर्ष" के स्थान पर शब्द "दो वर्ष" रख दिये जायं।

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की अनुसूची २ का संशोधन।

५९--मूल अधिनियम की अनुसूची २ में :--

(१) क्रम संख्या ८ के सामने स्तम्भ २ के इन्दराज में संख्या "२०९" के स्थान पर संख्या "२०६" रख दी जाय, और

(२) क्रम संख्या २२ के सामने स्तम्भ २ में संख्या "३१२" के स्थान पर संख्या "३१४" रख दी जाय।

उ० प्र० अधिनियम १, १९५१ की अनुसूची ३ में संशोधन।

६०--मूल अधिनियम की अनुसूची ३ की :--

(१) सूची (१) में :

(क) क्रम संख्या ७ के इन्दराज के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ दिए जायं :--

"७--क--दि बुन्देलखंड इनकम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट, १९०३ (यू० पी० ऐक्ट संख्या १, १९०३)"

"७--ख--दि बुन्देलखंड एलीनियेशन आफ लैण्ड ऐक्ट, १९०३ (यू० पी० ऐक्ट २, १९०३)"

(ख) क्रम संख्या १६ के इन्दराज के बाद निम्नलिखित नया इन्दराज बढ़ा दिया जाय :

"१७--दि यू० पी० लैण्ड यूटीलाइजेशन ऐक्ट, १९४७ (यू० पी० ऐक्ट संख्या ५, १९४८)"

(२) सूची २ में क्रम संख्या २८ के सामने के स्तम्भ २ के इन्दराज में शब्द और संख्या "(चैप्टर्स ५ से ७ तक)" के स्थान "(चैप्टर्स ५ से ८ तक)" रख दिए जायं।

यू० पी० ऐक्ट ३, १९०१ का संशोधन।

६१--किसी क्षेत्र के विषय में निहित होने के दिनांक से यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१, जहां तक उसका सम्बन्ध उक्त क्षेत्र में लागू होने से है, अनुसूची के स्तम्भ में उल्लिखित आयति पर्यन्त (to the extent of) संशोधित समझा जायगा और एतद्द्वारा संशोधित किया जाता है।

अनुसूची

यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू, ऐक्ट, १६०१

(धारा ६१)

क्रम–संख्या	धारा	परिष्कार या संशोधन
१	५	शब्द "under this Act" निकाल दिए जायं।
२	२१	शब्द "halka" के स्थान पर शब्द "halkas" रख दिया जाय।
३	२३	शब्द "appoint" और "halka" के बीच मे शब्द "a patwari to each" रख दिये जायं।
	३०	शब्द "tenure holder or Gaon Sabha" के स्थान पर शब्द "tenure holders or gaon Sabhas" रख दिये जायं।
५	३४	उपधारा (३) मे शब्द "mortgagee or" निकाल दिए जायं।
६	४०	(क) उपधारा (२) मे शब्द "the" और "Tahsildar" के बीच मे शब्द "Collector or the" रख दिए जायं। (ख) स्पष्टीकरण मे शब्द "or on such transfer and changes as are dealt with in section 39" निकाल दिए जायं।
७	५०	शब्द "Gaon Sabha" के स्थान पर शब्द "Gaon sabhas" रख दिए जायं।
८	२१५	संख्या "887" के स्थान पर संख्या "806 i" रख दी जाय।
६	२२७	(क) खंड (२) मे शब्द "owners" के स्थान पर शब्द "tenure holders or Gaon Sabhas" रख दिए जायं। (ख) खंड (५) मे शब्द और संख्या "sections 35 and 39" के स्थान पर शब्द और संख्या "section 35" रख दिए जायं। (ग) खंड (६) निकाल दिया जाय। (घ) खंड (८) मे शब्द और संख्या "sections 40 to 43" के स्थान पर शब्द और संख्या "sections 40, 41 and 43" रख दिये जायं।
१०	२३३	(क) खंड (a) मे शब्द "Circles" के स्थान पर शब्द "halkas" रख दिया जाय। (ख) खंड (b) मे शब्द और संख्या "sections 23, 25, or 45" के स्थान पर शब्द और संख्या "sections 23 and 25. रख दिए जायं।
११	२३४	खंड (f) से (u) तक निकाल दिए जायं।

उद्देश्य और कारण

१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, दिनांक २६ जनवरी, १९५१ को प्रचलित हुआ और इसकी धारा ४ के अन्तर्गत निहित होने की आज्ञा दिनांक १ जुलाई, १९५२ को प्रचारित की गई। तत्पश्चात् इस पर और विचार करने से और विशेषकर प्रतिकर निर्धारण तालिकाओं के तैयार करने में प्राप्त अनुभव से इसमें कुछ ऐसी कमी पाई गई, जिन्हें दूर करने के लिए यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस विधेयक के प्रमुख उपबन्ध निम्निलिखित हैं :--

(१) यह प्रस्ताव किया गया है कि निजी कुएं चाहे खाता, बाग अथवा गांव की आबादी मे स्थित न हों, कुओं के स्वामियों के स्वामित्व मे ही रहेगे।

(२) मध्यवर्तियों की सीर भूमि के उन काश्तकारों की स्थिति, जो स्थानिक कर नहीं अदा करते थे, तथा ऐसे काश्तकारों की स्थिति, जो उन मध्यवर्तियों की सीर जोते हुए हों, जिनमे से कुछ २५० रुपये या इससे अधिक मालगुजारी प्रतिवर्ष देते हों, या दूसरे जो इससे कम मालगुजारी देते हों, स्पष्ट कर दी गई हैं।

(३) बागदार को सीधे भूमिधर प्रख्यापित कर देने का प्रस्ताव है।

(४) धर्मोत्तर तथा दानोत्तर वक्फों, न्यासों तथा निबन्धों को उनके द्वारा देय मालगुजारी १०,००० रु० प्रतिवर्ष से अधिक होने पर भी वार्षिक वृत्तियां दी जायंगी। ये वार्षिक वृत्तियां निहित होने के दिनांक से दी जायगी तथा ऐसे वक्फों, न्यासों इत्यादि के अन्तरिम प्रतिकर को वार्षिक वृत्तियों के अन्तर्गत संधानित किया जायगा न कि प्रतिकर के अन्तर्गत।

(५) गांव समाज तथा भूमि प्रबन्धक समितियों के संगठन को सरल बना दिया गया है।

(६) उस भूमि के प्रबन्ध के लिए व्यवस्था कर दी गई है जो किसी स्थानीय संस्था की सीमा से बाहर हो, किन्तु जो राजस्व ग्राम (रेवेन्यू विलेज) के अन्तर्गत हो।

(७) भूमिधरी अधिकारों के उपार्जन के उपबन्ध और भी अधिक सरल बना दिए गये हैं।

(८) निम्नतम क्षेत्र जिससे कम के क्षेत्र का बंटवारा नहीं किया जा सकेगा, ३-१८ एकड़ कर दिया गया है।

(९) धारा १९८ में प्राथमिकता के क्रम मे कृषि सम्बन्धी भूमिहीन श्रमिक को द्वितीय स्थान दिया गया है।

(१०) इस बात की व्यवस्था की गई है कि कोई भी व्यक्ति जिसके ऊपर मालगुजारी बकाया हो गिरफ्तार (arrested) किया जा सकता है और निरुद्ध (detained) किया जा सकता है; तथा

(११) माल न्यायालयों द्वारा आगम (title) के प्रश्न को निर्णय करने मे अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया को संशोधित कर दिया गया है।

चरण सिंह,

माल मंत्री।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, ३ दिसम्बर, १९५२

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्यों की सूची (२४४)

अक्तवर सिंह, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अमरेश चन्द्र पाण्डेय, श्री
अमरनाथ मिश्र, श्री
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेश प्रताप सिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतज़ा हुसैन, श्री
इस्लामुल हक, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
एजाज़ रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैया लाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कप्तान सिंह, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करन सिंह, श्री
कान्ता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टण्डन, श्री
काशी प्रसाद पांडेय, श्री
किन्दर लाल, श्री
कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्ण चन्द्र शर्मा, श्री
कृष्ण शरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खूब सिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जू राम, श्री
गणेश चन्द्र काछी, श्री
गणेश प्रसाद जायसवाल, श्री
गणेश प्रसाद पाण्डेय, श्री
गिरजा रमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरु प्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेन्दा सिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरी राम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासी राम जाटव, श्री
चन्द्रपाल बाजपेयी, श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती

चन्द्र हास, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह निरञ्जन, श्री
चिरंजी लाल जाटव, श्री
चिरंजी लाल पालीवाल, श्री
चुन्नी लाल सगर, श्री
छेदा लाल, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जगन्नारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री
जवाहर लाल, श्री
जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर
जुगुल किशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वाला प्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डाल चन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेज प्रताप सिंह, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकी नाथ कौल, श्री
दयाल दास भगत, श्री
दर्शन राम, श्री
दल बहादुर सिंह, श्री
दाता राम, श्री
दीन दयालु शर्मा, श्री
दीन दयालु शास्त्री, श्री
दीप नारायण वर्मा, श्री
देवकी नन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देव मूर्ति राम, श्री
देव राम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारिका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पाण्डे, श्री
धनुषधारी पाण्डे, श्री
धर्म सिंह, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवल किशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायणदीन, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पाती राम, श्री
पुत्तू लाल, श्री
पूह्न राम, श्री
पुलिन बिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभू दयाल, श्री
प्रेम किशन खन्ना, श्री
फतेह सिंह राणा, श्री
बद्री नारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बाबू नन्दन, श्री
बाबू लाल कुसुमेश, श्री
बाबू लाल मीतल, श्री

बालेन्दु शाह, महाराजकुमार
विशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचन राम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजू राम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती दीन तिवारी, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन मिश्र, श्री
भगवानदीन बाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मक्सूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नी लाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेव प्रसाद, श्री
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुन्नू लाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद मन्जूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणञ्जय सिंह, श्री
रतन लाल जैन, श्री
रमेश चन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्र प्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजनारायण, श्री
राजवन्शी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
राम कृष्ण जैसवार, श्री
राम गुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनाथ तिवारी, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री

रामवचन यादव, श्री
राम शंकर द्विवेदी, श्री
राम शंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
राम सुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मण राव कदम, श्री
लक्ष्मी देवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंगनारायण सिंह, श्री
बन्दीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र नाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र शर्मा, श्री
वीरेन्द्र शाह राजा, श्री
ब्रजभूषण मिश्र, श्री
ब्रजरानी मिश्र, श्रीमती
ब्रजवासी लाल, श्री
ब्रजबिहारी मिश्र, श्री
ब्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकर लाल, श्री
शम्भू नाथ चतुर्वेदी, श्री
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार मिश्र, श्री
शिव कुमार शर्मा, श्री
शिव दान सिंह, श्री
शिव नाथ काटजू, श्री
शिव नारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव मंगल सिंह कपूर, श्री
शिव राजबली सिंह, श्री
शिव राज सिंह यादव, श्री
शिव राम पाण्डेय, श्री
शिव राम राय, श्री
शिव वक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव वचन राव, श्री
शिव शरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगन चन्द्र, श्री
श्यामनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्री नाथ राम, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम डाक्टर, श्री
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखी राम भारतीय, श्री
सुन्दर लाल, श्री
सुरजू राम, श्री
सुरेन्द्र दत्त बाजपेयी, श्री
सुरेश प्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्य प्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य बली पाण्डेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हरगोविंद पन्त, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री

हर सहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरि सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होती लाल दास, श्री

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

चाकीसैण (गढ़वाल) का राजकीय चिकित्सालय

१--श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चाकीसैण कंडारस्यूं, गढ़वाल के अस्पताल-भवनों के बनाने में कितना रुपया व्यय हुआ? क्या वहां कोई डाक्टर रक्खा गया? यदि नहीं, तो क्यों?

अन्न मंत्री के सभा सचिव (श्री बनारसी दास)--जहां तक पता चला है चाकीसैण कंडारस्यूं तो कोई स्थान नहीं है। कदाचित् आशय चाकीसैण से है। वहां के राजकीय चिकित्सालय का भवन बनवाने में ६८,३५५ रुपया व्यय हुआ है।

चिकित्सालय के लिये आवश्यक सामान खरीदा जा रहा है और शीघ्र ही वहां एक डाक्टर के पहुंचने की आशा है। डाक्टरों की कमी है और अक्सर डाक्टर पहुंचने में देर लगती है।

श्री गंगाधर मैठाणी--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि ये मकान किस सन् में तैयार हो गये थे?

श्री बनारसी दास--इसके लिये सूचना की जरूरत है।

श्री गंगाधर मैठाणी--क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इन मकानों की रक्षा के लिये क्या विभाग में कोई प्रबन्ध कर दिया गया है?

श्री बनारसी दास--मकानों की रक्षा के लिये विभाग से जो प्रबन्ध होता है वह किया गया है।

श्री गंगाधर मैठाणी--क्या उनकी देखरेख के लिये विभाग का कोई आदमी नियुक्त किया गया है?

श्री बनारसी दास--जैसा कि बतलाया गया है विभाग की ओर से साधारणतः जो प्रबन्ध होता है वह किया गया है।

श्री गंगाधर मैठाणी--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि डाक्टरों की व्यवस्था कब तक हो सकेगी? और क्या जब तक किसी डाक्टर की व्यवस्था होगी एक कम्पाउण्डर कम से कम भेज दिया जायगा?

श्री बनारसी दास--मैंने डाक्टरों की कमी का कारण बताया कि कुछ डाक्टरों को रिफ्रेशर्स कोर्स के लिये बुला लिया गया था जो इस महीने के आखिर में खत्म हो रहा है और डाक्टर लोग जो उस कोर्स में गये हुए हैं वे वापिस आने वाले हैं और एक महीने के अन्दर भेज दिये जायेंगे।

श्रीनगर-गढ़वाल के अस्पताल में रोगियों के रख-रखाव पर सरकारी व्यय

*२--श्री गंगाधर मैठाणी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्रीनगर-गढ़वाल अस्पताल में रोगियों के रखरखाव के लिये वह कितना रुपया देती है?

श्री बनारसी दास--श्रीनगर गढ़वाल अस्पताल में रोगियों के रखरखाव के लिये सरकार लगभग १८,२०० रुपया देती है।

*३--श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा)--[२४ दिसम्बर, १९५२ के लिये स्थगित किया गया ।]

*४-५--श्री बद्री नारायण मिश्र (जिला देवरिया)--[१२ दिसम्बर, १९५२ के लिये संख्या ३-४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

श्री गुनेश्वर जी के अनशन से उत्पन्न होने वाली परिस्थिति पर विचारार्थ कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--मेरे पास श्री नारायण दत्त जी का एक कामरोको प्रस्ताव श्री गुनेश्वर जी द्वारा किये गये अनशन से उत्पन्न होने वाली परिस्थिति के बारे में आया है। उनका कहना है कि उससे देवरिया जिले के चीनी के उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। इसके लिये वे चाहते हैं कि इस पर विचार करने के लिये सदन का कार्य स्थगित कर दिया जाय । इस सम्बन्ध में कल मैंने बतलाया था कि केवल अनशन के सम्बन्ध में यदि कोई काम रोको प्रस्ताव आता है तो मैं उसकी इजाजत नहीं दे सकता जब तक कि यह न मालूम हो जाय कि सार्वजनिक दृष्टि से वह कितने महत्व का है । इसी कारण मैंने इसको स्वीकार नहीं किया है । इसके साथ ही साथ माननीय राजनारायण जी ने भी मुझे एक पत्र दिया। उसमें उन्होंने बहुत सी बातें बतलायीं । उस पत्र में उन्होंने यह बताने का प्रयत्न किया है कि इन मिलों के सम्बन्ध में उन्होंने सरकार से लिखा-पढ़ी की, लेकिन कोई कामयाबी नहीं हुई, इस कारण यह झगड़ा पैदा हो गया है और यह अनशन इस झगड़े का एक अंग है । इस कारण मैं यह उचित समझता हूं कि श्री नारायण दत्त जी इस पर प्रकाश डालें कि वे इस सदन का कार्य स्थगित करना क्यों उचित समझते हैं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--श्रीमान् जी, गुनेश्वर जी की भूख हड़ताल का आज १२वां दिन है। उनकी ६० वर्ष की अवस्था है, इसलिये उनकी हालत दिन पर दिन बहुत खराब होती जा रही है। वहां के डाक्टरों ने राय दी है कि बहुत दिनों तक यह अवस्था नहीं चल सकती और ज्यादा दिन तक उनकी जान का बना रहना बहुत मुश्किल है । जो अनशन उन्होंने किया है, वह व्यक्तिगत नहीं है, जैसा कि आपने कहा है वह अनशन भी एक सिद्धांत को लेकर के चल रहा है।

यू० पी० चीनी मिलों ने श्रीमान् सरकार को मालूम है कि चार महीने तक मजदूरों की मजदूरी को रोक रखा, जबकि खासतौर से सरकार ने कानून बना रखा है, सब कुछ इसके बारे में किया है, ऐक्ट भी बनाया है तो फिर इस तरह से चार महीने की मजदूरी न देना उस ऐक्ट की धारणा के खिलाफ है । कटकुइयां की फैक्ट्री ने लगातार चार महीने तक मजदूरों को मजदूरी नहीं दी है जिसमें करीब डेढ़ लाख रुपया कटकुइयां मिल के मजदूरों को मिल मालिकों की लापरवाही की वजह से और इनकी गैर जिम्मेदारी की वजह से नहीं मिल पाया और इस बारे में वहां की यूनियन ने कहा तो उसकी कोई सुनवाई भी नहीं हुई, कोई जवाब भी उनको नहीं मिला और उन्हें किसी प्रकार का आश्वासन भी नहीं मिला । तब आखिर में जाकर उनको भूख हड़ताल करनी पड़ी । इसके लिये उन्होंने पहिले चेतावनी भी दी, लेकिन उसका भी कोई असर मिल वालों पर नहीं हुआ । इसके साथ ही साथ वहां पर किसानों का भी लाखों रुपया रुका पड़ा है । नया सीजन शुरू होने वाला है, लेकिन कटकुइयां मिल के खुलने की कोई आशा भी नहीं है । कटकुइयां मिल का असर देवरिया की सभी चीनी मिलों पर पड़ सकता है और देवरिया की ही नहीं बल्कि पूर्वी यू० पी० की जितनी चीनी मिलें हैं उन सभी पर इसका असर पड़ सकता है । और जो सीजन कुछ ही दिनों में चालू होने वाला है, उस पर भी इसका असर पड़ सकता है । तो मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता था । इसकी अर्जेंसी के बारे में माननीय गृह मन्त्री जी और सरकार स्वयं जानती है कि यह कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है और विशेष रूप से जब कि मजदूरों को चार महीने की तनख्वाह भी नहीं मिली है । तो मैं इतना ही कहकर आपसे फिर निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय

जगन्नाथ मल्ल जी जो कटकुइयां मिल यूनियन के सभापति हैं, उनको भी इस अर्जेंसी के बारे में कुछ बतलाने के लिये मौका देने की कृपा करेंगे।

गृहमन्त्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--अध्यक्ष महोदय, यह बात बिल्कुल सही है कि वहां के मजदूरों की मजदूरी बाकी है। लेकिन चार महीने की बात गलत है, तीन महीने की मजदूरी बाकी है। और यह बात भी सही नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कटकुइयां ऐसी कितनी चीनी मिलें हैं, जहां मजदूरों की मजदूरी कई कई महीने की बाकी है। जो माननीय सदस्य बैठे हुए हैं उनको मालूम होगा कि यह बात सही है कि इसी मिल को नहीं, बल्कि कई और मिलों को भी शुगर व्यवसाय की स्थिति ठीक न होने से उन्हें मजदूरों की मजदूरी देने में दिक्कत हुई और किसानों को भी वे रुपया नहीं दे पाये। कई जगहों पर बैंकों से भी उनको रुपया मिलने में दिक्कत हो रही है। बहरहाल, गवर्नमेंट ने उन मिलों पर दबाव डाला और दबाव डाल भी रही है कि उनका रुपया शीघ्र से शीघ्र दे दिया जाय। आज ही विरोधी पक्ष के नेता श्री राज नारायण जी, श्री गेंदा सिंह जी और श्री जगन्नाथ मल्ल जी मुझसे मिले और उनसे मेरी बात चीत हुई तो मैंने उन्हें बतलाया कि हम क्या कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं। हम भी इस बात को जानते हैं कि कई जगहों पर किसानों को और मजदूरों को रुपया मिलने में दिक्कत हुई लेकिन एक लाख रुपया कहीं से निकालना आसान नहीं है कि कहीं से लेकर दे दिया जाय, यह एक बड़ी रकम होती है। महज किसी के अनशन करने से यह रुपया नहीं निकल सकता है। अभी-अभी हमको मालूम हुआ है कि जो दो सौ रुपये से कम तनख्वाह पाने वाले मजदूर हैं, उनकी एक माह की तनख्वाह मिल वालों ने दे दी है और जो दफ्तर में काम करने वाले हैं उनकी भी मजदूरी शायद एक महीने की कल उन्होंने दे दी और उन लोगों ने हमको विश्वास दिलाया है कि अगले क्रशिंग सीजन तक जो १५ दिसम्बर से शुरू होने वाला है, हम पूरा रुपया दे देंगे। इस परिस्थिति में जिस किस्म की हम कोशिश कर रहे हैं और जो कुछ कर सकते हैं उसे मैंने आपको बतलाया। इसके बाद भी यदि कोई अनशन करता है तब तो मजबूरी है।

श्री अध्यक्ष--क्या माननीय नारायण दत्त जी माननीय गृह मन्त्री जी के आश्वासन देने के बाद भी अपने काम रोको प्रस्ताव को पेश करना चाहते हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--माननीय गृह मन्त्री जी ने जो आश्वासन दिया है, उसके बाद मैं अपने काम रोको प्रस्ताव को पेश करना उपयुक्त नहीं समझता हूं।

*जौनसार-बावर भौमिक अधिकार सुरक्षा तथा भौमिक अभिलेख विधेयक, १९५२ (क्रमागत)

माल मन्त्री के सभासचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विधेयक इस भवन के सम्मुख प्रस्तुत किया गया है उस सम्बन्ध में विरोधी दल की तरफ से यह कहा गया कि यह नाकाफी है और जौनसार-बावर में जो कोलटा और बाजगी हैं उनको वास्तव में इससे कोई लाभ नहीं पहुंचता। इसके साथ-साथ माननीय श्री गेंदा सिंह जी ने यह कहा कि वहां पर भी जमीन का समुचित रूप से बटवारा होना चाहिये और जितने किसान हैं उनकी जमीन एक जगह हो जाय तो उनको ज्यादा लाभ होगा। और भी जो एतराज किया गया इस बिल के सम्बन्ध में यह कहा गया कि जो जमीन है उसकी जो पैमाइश हो रही है, उसमें नौतोड़ जमीन की बाबत भी इस विधेयक में नहीं कहा गया और इसलिये यह बिल नाकाफी है। वैसे किसी माननीय सदस्य ने इस विधेयक का कोई विरोध नहीं किया है। जहां तक विधेयक के उसूलों का सम्बन्ध है उस सम्बन्ध में कोई बात किसी ने नहीं कही कि यह विधेयक नहीं आना चाहिये, बल्कि यह कहा गया कि यह नाकाफी है और इसे वापिस ले करके कोई दूसरा विधेयक आना चाहिये जिसमें उन माननीय सदस्यों की बताई हुई बातों का भी समावेश किया जा सके। मैं यह बतला देना चाहता हूं

*१३ अक्तूबर, १९५२ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री द्वारका प्रसाद मौर्य]

कि इस विधेयक की यह मंशा नहीं है कि जमीनों का फिर से बटवारा किया जाय। वह तो हमने जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था विधेयक या कानून मे भी नहीं किया है। इस विधेयक की यह भी मंशा नहीं है कि जिनके पास जमीने नहीं हैं उनको जमीन दे दी जाय। केवल मंशा इस बात की है कि जो जिस जमीन पर काबिज है उस जमीन से कोई बेदखल न किया जाय और उस जमीन का वह मालिक बन कर रहे। अब यह कहना कि कोलटा और बाजगी के पास पहले से जमीने नहीं हैं, इसलिये उनको कोई फायदा नहीं पहुंचता तो वह तो जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था विधेयक मे भी जिनके पास जमीने नहीं है उनको कोई जमीन नहीं दी गई थी। यह जरूर है कि धारा १९८, जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था कानून के मातहत खाली जमीनों का जो बंदोबस्त होगा वह किस प्रकार होगा वह उसमे जरूर रखा गया है तो यही मौजूदा विधेयक मे खाली जमीन की कोई बात कही नहीं गई है और न यह कहा गया है कि उससे वहां के कोलटा और बाजगी वंचित रहेंगे। सिर्फ इस विधेयक का मंशा यही है कि जिनने पर जो काबिज है उस भूमि से वह बेदखल न किया जाय। किन्हीं शर्तों को छोड़कर जैसे दो वर्ष का लगान बाकी है या जिस गरज से जमीन दी गई उस गरज के खिलाफ कोई काम करता है तभी बेदखल होगा। मने जौनसार-बावर मे खुद जाकर के वहां की परिस्थितियो का अध्ययन किया। मने वहां देखा कि वहां के कोलटा और बाजगी जमीन काश्त करते हैं। यह बात नहीं है कि उनके पास जमीने नहीं हैं। यह जरूर है कि जितने अनुपात मे उनके पास जमीनें होनी चाहिये उतनी जमीने नहीं है। वहां के राजपूत और ब्राह्मण जो जमीन का हक रखते हैं और जिनकी तरफ से कोलटा और बाजगी काम करते हैं, वहां जरूर राजपूत और ब्राह्मणों को जमीन ज्यादा मिलता है।

लेकिन उन्होंने जमीनें दे रखी है पुराने कर्ज के एवज मे जमीनें काश्त हो रही है और दूसरे तरीके पर भी कोलटा और बाजगी जमीन मे काश्त करते हैं। जो मौजूदा सर्वे हो रहा है वह करीब करीब खत्म हो चुका है। उस सर्वे मे भी उन कोलटा और बाजगियों का उनकी जमीनों पर नाम दर्ज हुआ है जो जिस जमीन पर काबिज है। तो इस तरीके पर उन कोलटा और बाजगियों को भी उन जमीनों पर अधिकार मिल रहा है। वैसे जो बन्दोबस्त का इस विधेयक में जिक्र किया गया है, वह तो एक कानूनी अड़चन को दूर करने के लिए ही उस क्लाज को रखा गया है क्योंकि लैंड रेवेन्यू ऐक्ट के मातहत सर्वे करने मे एक कानूनी दिक्कत का झगड़ा हुआ। इसलिए उसका सुधार इस विधेयक के जरिये से कर दिया गया है। लेकिन जहां तक जमीन मे अधिकार देने का प्रश्न है, वहां तक चाहे वह राजपूत और ब्राह्मण हों चाहे कोलटा या बाजगी हों जो भी जिस जमीन पर काबिज है उस जमीन से उनको बेदखल नहीं किया जायगा और उस जमीन का वह मालिक होगा। वैसे जो अब खाली जमीने तोड़ी जायंगी उनके बारे मे इस विधेयक मे कोई बात नहीं कही गयी है। उस पर अगर कोई बात होगी तो यह सदन बाद मे विचार करेगा। लेकिन जमीन को एक जगह करने की जो बात श्री गेंदा सिंह जी ने कही वह तो वहां सम्भव नहीं है। हमारे यहां जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम जिन क्षेत्रों मे लागू हैं, वहां के लिए चकबन्दी का कानून शीघ्र ही आने वाला है और उसका विधेयक भवन के सम्मुख प्रस्तुत किया जायगा। वह तो चकबन्दी की बात है। जहां तक उन पहाड़ों पर चकबन्दी का सवाल है, वहां पर चकबन्दी सम्भव नहीं है। हमने वहां पर देखा है कि उन्होंने जहां पर मौका पाया है वहां पर अपनी काश्त कर ली है। वहां तो यहां के आदमी आसानी से चढ़ भी नहीं सकते काश्त करना तो बहुत मुश्किल है। पहले बन्दोबस्त के जमाने में जो जमीने उनकी काश्त मे थीं वे बहुत से पहाड़ों से नीचे गिर गयीं। वे आज से

भी नहीं। तो जिस तरीके पर जो जमीनें जहां है, उन पर उनकी काश्त हो रही है और उसमें यह नहीं है कि एक जमीन की नक्ल एक सी बराबर बनी रहे। उसमें रद्दोबदल तब्दीलियां भी हुआ करती है। अब बहुत मुश्किल से सरवे हो पाया है और अब उनकी जमीनों को निर्धारित कर दिया गया है। जिसकी जितनी जमीन है उसके नाम पर वह जमीन दर्ज कर दी गयी है। दस्तूरुल अमल उनके रीति-रिवाज भिन्न भिन्न हैं। उन रीति-रिवाजों में इस कानून के जरिये से दखल देना मुनासिब नहीं है। उन रीति-रिवाजों में उनके बहुत सी सोशल ऐक्टिविटीज हैं। लेकिन जहां तक जमीनों पर हक देने की बात है वह इस कानून के जरिये से दिया गया है। श्री नारायण दत्त जी ने कहा कि उनमें दस्तूरुल अमल है उनको रद्द नहीं किया गया। बहुत से उनके रीति-रिवाज इस काबिल नहीं है कि रख लिया जाय। फिर इस विधेयक से जमीन में हक देने की बात कही गयी है। उनको वह दिया गया। बकिया दस्तूरुल अमल, बकिया रस्मरिवाज उनके कायदे रहने से इस कानून से जो अधिकार दिया गया है उसमें दिक्कत नहीं कोई पैदा होती। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो हक देने की जमीन में बात है वह इस विधेयक के जरिये से अपनी जगह पर सही है। उसमें कोई दस्तूरुल अमल, कोई रिवाज बीच में हायल नहीं पड़ता है और मैं समझता हूं कि जो लोग जमीन काबिज है उसके हुकूक महफूज होते हैं और काफी आगे तक यह बिल उनको मुस्तकिल करने में मदद पहुंचाता है। और जो जौनसार बावर कमेटी की रिपोर्ट की कर्ज की बात थी वह तो कानून पहले ही बन चुका था। मैं समझता हूं कि यह बिल वहां के रहने वालों के लिये और कोल्टा बाजगियों वगैरह सब के लिये खासी मदद पहुंचाता है और मैं समझता हूं कि यह भवन इसे स्वीकार करेगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--माननीय उपमंत्री जी ने कहा कि जौनसार कर्ज के बारे में कानून बन चुका है। तो कौन सा कानून है कृपा करके बतायें ?

श्री अध्यक्ष--वह जवाब में आपको मिल जायगा।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस विधेयक का उद्देश्य माननीय मंत्री जी ने दिया वह तो बहुत अच्छा था। उन्होंने कहा है "अतएव भूमि जोतने वाले किसानों की सुरक्षा के निमित्त भौमिक अधिकारों से सम्बद्ध विधि को स्थिर करने तथा इस क्षेत्र के अधिकार अभिलेखों को विनियमित करने के लिये यह विधेयक प्रस्तुत किया जाता है।" अगर यह उद्देश्य इस बिल को लाने का है तब तो बहुत अच्छा है पर जहां तक बिल में हम पढ़ते हैं जोकि काश्तकार की परिभाषा दी गयी है तो उसमें कहा गया है कि "काश्तकार के अन्तर्गत जौनसार बावर के दस्तूरुल अमल में माने गये मौरूसी काश्तकार या गैर मौरूसी काश्तकार हैं अथवा ऐसा काश्तकार जिसके पास भूमि सेवा के उपलक्ष में हो और ऐसे काश्तकार धारा ३ में कहा गया है कि किसी विपरीत विधि के होते हुए कोई भी काश्तकार अपने खाते से अथवा उसके किसी भाग से निम्नलिखित में से एक अथवा दोनों आधारों के अतिरिक्त अन्य किसी आधार पर बेदखल न किया जायगा।" लेकिन जिन कोल्टा लोगों की बातें यहां पर कही जा रही हैं और जिनको इस विधेयक से कुछ फायदा होना है उनकी कोई चर्चा इस बिल में नहीं है। जहां यह कहा गया है कि "जिसके पास भूमि सेवा के उपलक्ष्य में हो" तो सेवा के उपलक्ष्य में कोल्टा लोग नहीं आते हैं। उनके पास जो जमीन है वह कर्ज के तौर पर, जो उनके मां बाप या बुजुर्ग लोगों ने साहूकारों से रुपया लिया था उसके एवज में यह जमीन उनके पास है। इसलिये अगर यह साफ किया जाता कि उन लोगों को जो चाहे कोल्टा हों और किसी जाति के हों और जमीन पर काबिज हों, उन्हें इन जमीनों पर अधिकार मिलना चाहिये। अगर ऐसा अधिकार मिलता तो सारी सफाई हो जाती। पर ऐसा न होने की वजह से हमें आज शंका है। उद्देश्य में यह होते हुए भी आज कोल्टाओं की कोई चर्चा इस विधेयक में नहीं है जिनको

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने की बातें कही जा रही हैं। हमें तो खुशी होती कि हमारे माननीय सदस्य जो वहां से प्रतिनिधि होकर आये हैं, माननीय शान्ति प्रपन्न जी वह इस ओर कुछ रोशनी डालते लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि वह इस बिल के बारे में कुछ नहीं कह पाये। हम भी चूंकि उसी पहाड़ी प्रदेश के रहने वाले हैं, चाहे वहां के न हों लेकिन हमें वहां पहाड़ों के किसानों की जो तकलीफें हैं उनके बारे में काफी जानकारी है।

हमारे माननीय नेगी जी ने कहा कि पहले तो हमने उन किसानों को लिया जो बहुत ज्यादा तादाद में हैं। उसके बाद वह उन किसानों को छोड़ गये जो ५६ हजार की तादाद में जौनसार बावर में हैं। इसी प्रकार हमारे कुमायूं के इलाके के लिये अभी तक कोई कानून नहीं बना है। वहां के लिये सन् १९३७ में एक कमेटी बैठी। आज सन् १९५२ आ गया है उस कमेटी की रिपोर्ट लाइब्रेरी में रखी हुई है। मान लो उस कमेटी की रिपोर्ट को ले करके कुमायूं के काश्तकारों के लिये कोई कानून बन गया होता तो जौनसार बावर के गरीब किसानों की जो मुसीबतें हैं या जो हम उन्हें अधिकार देना चाहते हैं उनके समझने में हमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि वह कुमायूं का कानून नहीं लागू हुआ। मैं समझता हूं कि यही हुकूमत का मंशा है कि जो आदमी जमीन पर काबिज है चाहे वह असामी के रूप में हो, चाहे वह कोल्टा के रूप में हो, चाहे वह जमींदार के रूप में हो वह उस जमीन का मालिक बना दिया जाय। जिस तरह से यहां विधेयक में दिया हुआ है, उसमें हमें शक होता है कि उससे कोलटा लोगों को कोई फायदा होने वाला है। इससे उन्हीं किसानों का फायदा होगा, जिन्हें जमींदार लोग अपने किसी काम करने के एवज में जमीन दे देते हैं। इससे कोलटा लोगों का क्या होगा ? मैं कोलटा की परिभाषा पढ़े देता हूं, वह यह है--

"The vast majority of the Koltas have been, and are living in a mild form of slavery. They and their wives and children are kept by the Zamindars as whole-time servants, ploughmen and herdsmen. They are provided with daily food, poor clothing, and a miserable house. Mostly attached permanently to their respective zamindars, they are occasionally transferred from one to another. The system rests on ancient indebtedness to the zamindars, which the Koltas never have an opportunity to pay off. The zamindars pay the expenses of their marriages and ceremones, but write it up against their debt, which goes on from father to son, and is transferred along with their persons from one zamindar to another. The District Gazetteer mentions that "the bonds of the social system were found so strong in 1908 that the Koltas claimed maintenance during famine at the hands of their overlords, who unanimously accepted the responsibility which the claim implied." In most cases it is impossible for the Koltas to pay off their indebtedness as they have no independent living, and saving is impossible.

One typical Kolta stated before us "I am Madho's Kolta. My great grandfather must have taken a loan. We have worked for him for five generations. The Sayana has now beaten me and turned me out. I had prepared to water-mills, which they Sayanas have now claimed." Another stated "we have worked for four generations. My great-great-grandfather had taken a loan of Rs 222."

[कोलटा जाति के अधिकतर लोग एक आसान प्रकार की दासता करते रहे हैं और कर रहे हैं। वे, उनकी स्त्रियां तथा उनके बच्चे जमीन्दारों द्वारा चरवाहों, हरवाहों और पूरे समय के नौकरों की भांति रक्खे जाते हैं। उनको दैनिक भोजन, तुच्छ कपड़ा तथा निकृष्ट कोटि का मकान मिलता है। अधिकतर वे लोग स्थायी

रूप से अपने जमींदारों के साथ रहते हैं और कभी कभी एक जमींदार के पास से बदल कर दूसरे के पास चले जाते हैं। यह प्रणाली जमींदारों से लिए गए उस प्राचीन ऋण पर आधारित है जिसका भुगतान करने का कोल्टा लोगों को कभी अवसर नहीं मिलता। जमींदार लोग उनके विवाहों और उत्सवों का खर्चा देते हैं, परन्तु इसको उनके ऋण के खाते में लिख लेते हैं जो ऋण पिता से पुत्र तक जाता है और उनके शरीर के साथ एक जमींदार से दूसरे के पास भी बदल जाता है। डिस्ट्रिक्ट गजेटियर में यह जिक्र आया है—सन् १९०८ में सामाजिक प्रथा के बन्धन इतने दृढ़ पाए गए कि अकाल के समयों में कोल्टा लोगों ने अपने स्वामियों से गुजारा मांगा और स्वामियों ने सहसम्मति से उस भार के [illegible] को स्वीकार किया"। अधिकतर प्रकरणों में कोल्टा लोगों के लिए ऋण से मुक्त होना असम्भव है क्योंकि उनका जीवन स्वतन्त्र नहीं और बचत करना सम्भव नहीं।

एक कोल्टा ने हमारे सामने यह बयान दिया, "मैं माधव का कोल्टा हूँ। मेरे प्रपितामह ने ऋण लिया होगा। हम लोग उसके लिए पांच पीढ़ियों तक काम कर चुके हैं। सयाने ने अब मुझे पीट कर घर से निकाल दिया है। मैंने दो पन-चक्कियां बनाई थीं जिनको कि सयाने लोग अब अपनी बताते हैं। दूसरे ने यह कहा "हम लोग चार पीढ़ियों तक काम कर चुके हैं। मेरे प्रपितामह ने २२२८० उधार लिये थे।"]

मैं कोल्टा को इस बिना पर जमीनें मिली हैं। अगर विधेयक में साफ साफ लिख दिया जाता कि कोल्टा लोग चाहे भी किसी रूप में जमीन पर काबिज हो वह उस जमीन के मालिक हो जायगे तो इससे सारी सफाई हो जाती। हमारा सौभाग्य है कि जो कमेटी उस समय जौनसार बावर के सिलसिले में बनी थी उसके हमारे माननीय उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त भी मेम्बर थे उस वक्त जो कमेटी बैठी थी उस कमेटी ने कहा—

'We propose a revised set of Regulations to replace the old Rules and Orders. The more important features of these are:

1. Koltas, etc, to be allowed to own land and to break up nautor"

हमारा प्रस्ताव है कि पुराने नियमों और आदेशों के स्थान पर पुनर्विक्षित नवीन विनियम रख दिया जाय। इसमें महत्वपूर्ण विशेषता की बाते यह है:—

१—कोल्टा इत्यादि लोगों को भूमि का स्वामी बनने का तथा नवतोड भूमि पर जुताई आरम्भ करने का अधिकार हो।]

वह कमेटी जो उस वक्त बैठी थी उसने यह कहा कि कोल्टाओं को इस जमीन का मालिक बना देना चाहिये। जौनसार बावर में दो किस्म के किसान होते हैं—एक मोरूसी होते हैं और दूसरे गैर मोरूसी होते हैं। यह जो कोल्टा लोग हैं, यह गुलाम समझे जाते हैं। उससे मैं समझ नहीं सका जो कल माननीय मंत्री जी ने कहा और आज पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी साहब मौर्य जी ने कहा है।

माननीय मौर्य जी ने यह कहा कि किसानों को हम जमीन दे रहे हैं मालिक बना रहे हैं। मैं नहीं समझ पाया कि किन किसानों को बना रहे हैं। तीन में यह भी कहते हैं कि "किसी विपरीत विधि के होते हुए भी कोई भी काश्तकार अपने खाते से अथवा किसी भाग से निम्नलिखित में से एक अथवा दोनों आधारों के अतिरिक्त अन्य किसी आधार पर बेदखल न किया जायगा अर्थात्—कि उस पर दो वर्ष का लगान बाकी है। वह लगान तो देता ही नहीं और न लगान देने के लिये उसके पास कुछ है और उस पर पुराना कर्जा चला आ रहा है। दूसरे कि उसने कोई कार्य किया है जो खाते की भूमि के लिये हानिकर हो"। इसलिये इसमें भी वह नहीं आता। मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जो संशोधन बाद को रक्खे गये हैं अगर उनकी मंशा सचमुच में यह रही है कि वे किसान जो जमीन पर किसी रूप

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

से काबिज हैं, बरसों से काबिज चले आ रहे हैं और उन किसानों को जो जमीन पर काबिज हैं, उनको आप मालिक बनाना चाहते हैं तो हमें कोई उज्र नहीं होगा। हम चाहते हैं कि उनको मालिक बनाया जाय। जिस वक्त अमेंडमेंट्स आयेंगे उस वक्त उनकी बातों को सुनकर हम समझ सकेंगे कि वह कितने साफ है और वह क्या चाहते हैं और उस वक्त नियमों पर डिटेल में बहस करेंगे। उसी वक्त हम ज्यादा जोर देंगे और कह सकेंगे कि यह पूरा नहीं है और इसमें साफ साफ बातें नहीं दी गई हैं। इसलिये इस समय में बिल का तो समर्थन करता हूं क्योंकि हम भी चाहते थे कि कोई कानून तो जरूर बनाया जाय और माननीय राजस्व मंत्री जब ज्यादा सफाई दे देंगे तो जो विरोध है, उसकी भी जरूरत नहीं रहेगी।

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)--अध्यक्ष महोदय, यह जो जौनसार बावर भौमिक अधिकार सुरक्षा तथा भौमिक अभिलेख विधेयक, १९५२, माननीय राजस्व मंत्री जी ने इस भवन के समक्ष पेश किया है उस पर काफी तकरीरें हो चुकी हैं और मैंने काफी ध्यान से उन सबको सुना। मैं यह समझता हूं कि एक ऐसे क्षेत्र के लिये जहां कि आज तक कोई कानून नहीं था उस क्षेत्र के लिये इस सरकार की तरफ से यह पहला कदम उठाया गया है और कानून की शक्ल में यह सरकार की तरफ से पहला प्रयत्न है और उसमें इस बात का भी कोई दावा नहीं किया गया है कि यह जो बिल बना है यह उस क्षेत्र के लिये सभी कुछ है और इसके आगे कुछ होने की गुंजाइश नहीं है। तो अगर इस ऐक्ट को हम इस रोशनी में देखें तो मैं समझता हूं कि यह भवन आभारी होगा माननीय राजस्व मंत्री का कि उन्होंने पहली बार एक प्रयत्न किया है जौनसार के लिये जोकि एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है उसके लिये एक नई आशा और नया जीवन देने का। जहां तक कि जौनसार बावर का सम्बन्ध है सबसे पहले सन् १९३९ व ४० ई० में इसके बारे में पूज्य ठक्कर बापा जी ने बहुत कुछ कहा व लिखा था, जिसको हमने अखबारों में पढ़ा था, जिसमें वहां के सामाजिक जीवन और उसके गिरे हुए स्तर पर काफी रोशनी डाली गई थी। पिछले चुनाव में मुझे देहरादून १०, १५ दिन रहने का मौका मिला। उस समय जो वहां पर सयाने लोग थे और जो कोल्टा और बाजगी आए थे उनसे उस क्षेत्र की बाबत कुछ जानकारी हुई इसमें कोई सन्देह नहीं कि वहां के लोगों का जीवन हर दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, गिरा हुआ है। वहां के कोल्टा और बाजगी लोग दासता के अन्दर जकड़े हुए हैं। वह उनकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दासता है। जहां तक उनकी नैतिकता का सम्बन्ध है वह भी बहुत गिरी हुई है। असल में जौनसार बावर का एरिया ऐसा है और वहां की प्रथायें ऐसी हैं कि वे हमारे समाज के लिये कोई गर्व की चीज नहीं हो सकती हैं बल्कि उन बातों को जानकर कुछ शर्म ही मालूम होती है और हमारा सर नीचा होता है। शिक्षा का भी वहां पर उचित प्रबन्ध नहीं है और ट्रान्सपोर्ट जो है वह भी बहुत कम है। वहां जाने में लोगों को बहुत असुविधा होती है। यही कारण है कि उस क्षेत्र का सम्बन्ध सारे देश से बिलकुल अलग ही हो गया है बल्कि कट सा गया है। तो ऐसे क्षेत्र के लिये जो इतना गिरा हुआ हो उसके लिये सरकार ने इस विधेयक के द्वारा पहली बार इस बात का प्रयत्न किया है कि वहां की जनता के अन्दर सुधार किया जाय और वहां के जीवन को उठाने की चेष्टा की जाय और उनकी हालत को किसी प्रकार सुधारा जाय।

विरोधी दल की तरफ से कल माननीय नारायण दत्त जी ने यह कहा था कि यह जो बिल है यह बहुत देर से लाया गया है। मैं उनकी इस बात से इत्तफाक करता हूं। जब ऐसे क्षेत्र की इतनी दशा गिरी हुई हो तब अगर यह बिल जल्दी से आता तो बहुत अच्छा होता। मुझे खुशी है कि सरकार ने इस तरफ ध्यान दिया और इस बात को एहसास किया कि वहां पर सुधार किया जाय। सरकार ने भी इस बात को माना

है और यह भी बताया है कि कुछ विशेष कारण से इसमें देर हुई और इसके लिये कुछ विशेष परिस्थितियां थीं। लेकिन जब नारायण दत्त जी ने यह कहा कि इसको वापस लिया जाय तो मुझे यह जानकर ताज्जुब हुआ और मैंने यह समझा कि जिस भावना को लेकर देरी होने पर उनको क्षोभ हुआ वह इतनी महत्त्व की नहीं थी जितना कि इसका विरोध करना। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि इस बिल में वहां जो कोलटा जाति के लोग हैं या वहां के हरिजन लोग हैं उनका इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसका उत्तर मौर्य जी ने काफी स्पष्टरूप से दे दिया है। इसके लिये मैं इतना ही कह सकता हूं कि जहां तक मैंने इस बिल को समझा है वह यही है कि जो काश्तकार किसी भी शक्ल में किसी भूमि पर काबिज होगा वह उस पर काबिज रहेगा और उससे उसको हटाया नहीं जायगा सिवाय इसके कि २, ३ आइटम जो दफा ३ के अन्दर हैं जो उनमें आते हैं वही बेदखल होंगे। लिहाजा उनका जो सन्देह है वह भ्रमात्मक है।

इस बिल के जो उद्देश्य दिये गये हैं उनमें एक बात मुझको खटकती है। जौनसार बावर में जो सयाने हैं वही वहां के सर्वेसर्वा हैं और वहां के क्षेत्र की जो यह दुर्दशा है उसका सब से बड़ा उत्तरदायित्व उनके ऊपर ही है। तो अच्छा यह होता कि इसके उद्देश्यों में यह भी होता कि जो वहां पर सयाना प्रथा है उसको खत्म कर दिया जाता, जिस प्रकार से कि आपने जमींदारी एबालिशन कर दिया है। इसी प्रकार से जो सयाना सिस्टम है उसको भी खत्म कर देते और मैं यह समझता हूं कि वह एकदम खत्म हो जानी चाहिए। उस क्षेत्र में जो सयानों की प्रभुत्वमय स्थिति है उसके कारण ही वहां की आर्थिक दुर्व्यवस्था चलती है। यह हो सकता है कि एकदम ऐसा करने में कुछ दिक्कतें हों लेकिन मेरा यह निश्चित मत है कि जौनसार बावर से सयाना प्रथा को बिल्कुल खत्म कर देना चाहिये। और खत्म करना होगा। बगर इनको खत्म किये वहां पर कोई सुधार करना सम्भव नहीं हो सकता है, क्योंकि यह सयाना लोग कोलटा जाति पर इतने हावी हैं कि वह भय के कारण किसी दूसरे की बात को सुनना पसन्द नहीं करते हैं। जब तक वहां की कोलटा जाति पर से सयानों का बोझा नहीं हटाया जायगा तक उन उनका सुधार नहीं हो सकता है। जहां तक और बहुत सी बातें कही गई हैं उनके संबंध में तो मुझे कुछ कहना नहीं है। अभी एक कोटेशन पढ़ा गया जिसमें एक कोलटा ने कहा था कि चार पांच जनरेशन पहले उसके ग्रेट ग्रांड फादर ने कर्जा लिया था और उस वक्त तक वह अदा नहीं हो सका। तिवारी जी ने भी स्वयं कहा था कि वहां पर डेट रिडम्पशन ऐक्ट लागू नहीं होता है। उनकी ऐसी बहुत सी बातें विचारणीय थीं। लेकिन यह मामूली कामन सेंस की बात है कि एक ऐसे क्षेत्र में जहां चारों तरफ यानी आल राउंड उन्नति की आवश्यकता है उसके लिये कोई ऐसा बिल बनाया जाय जोकि वहां के सभी आसपैक्ट्स और पहलुओं को कवर करे तो ऐसी चीज तो बहुत ही कठिन और मुश्किल है।

इस बिल का अभिप्राय तो इतना ही है कि वहां के आर्थिक ढांचे को कुछ सुधारने के लिये यह प्रयत्न किया गया है कि वहां के जो दलित काश्तकार हैं वह अपनी जमीन पर मालिक हों और अपनी जमीन से बेदखल न किये जायं। यह एक ऐसा कदम है जिससे आगे चलकर एक ऐसा ढांचा बन सकेगा जैसा कि हम चाहते हैं, इसी सिलसिले में और भी बहुत सी बातें हुई। हमें खेद होता है कि हम कभी-कभी मेन इश्यू को छोड़ देते हैं और इधर-उधर की बात करने लगते हैं। हमारे मित्र श्री गेंदा सिंह जी ने कहा कि हम भारतवर्ष के अन्दर साउथ अफ्रिका को बरदाश्त नहीं कर सकते हैं। अगर कल की डिबेट उन्होंने सुनी होती तो उन्हें मालूम होता कि कल जो संकल्प पास हुआ था वह इस बात का प्रमाण है कि यह भवन वहां की इन बातों को निन्दनीय समझता है और उसी चीज को वह पुनः कहते हैं कि हम बरदाश्त नहीं कर

[श्री नवलकिशोर]

सकते हैं। उनका संकेत यह था कि जौनसार बावर की स्थिति वही है जो दक्षिणी अफ्रिका के अन्दर वहां के निवासियों की है। मैं समझता हूं कि यह उनकी बहुत जानकारी की बात नहीं है क्योंकि जैसा कि और भी माननीय सदस्यों ने कहा है कि दोनों के अन्दर कोई समानता नहीं है। दक्षिणी अफ्रिका के अन्दर सरकार की ओर से जुल्म किया जाता है और भेदभाव की नीति को अपनाया जाता है और इस तरह के कानून बनाये जाते हैं जबकि हमारी प्रांतीय सरकार ऐसे नियम और कानून बनाती हैं, जिनसे भेदभाव खत्म हो और उनके जीवन का स्तर ऊंचा हो।

मैं यह चाहता था कि विरोधी दल की तरफ से जो बात कही जाय वह कंस्ट्रक्टिव बात हो और इस विचारधारा से हो कि अगर उनके हाथ में शासन की बागडोर होती तो वह कितना आदर्श कानून बना पाते तब तो ज्यादा फायदा होता, लाभ होता। यदि यह भावना होती है कि हम क्योंकि विरोध में हैं, इसलिये कुछ न कुछ विरोध तो होना ही चाहिये तो इससे कुछ फायदा नहीं हो सकता है। अन्त में मुझे इतना ही कहना है, इस बिल के बाबत मैं यह नहीं समझता कि यह कोई एक आइडियल बिल है और इसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजायश नहीं है। इंसान जो कानून बनाता है उसमें कमियां जरूर रहती हैं और जब उसका एक्जीक्यूशन किया जाता है तभी वास्तविक अनुभवों के आधार पर उसमें वक्तन-फवक्तन संशोधन किये जाते हैं। इसलिये यह बिल पहला कदम है इस तरफ कि इस पिछड़े हुये क्षेत्र के जीवन में उन्नति हो। इस दृष्टिकोण से मैं राजस्व मंत्री को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि भवन इसे स्वीकार करेगा।

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)--अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि कल मुझको जितनी बातें कहनी चाहिए थीं उतनी मैंने नहीं कहीं वर्ना जो तकरीरें इस बिल की आलोचना के सिलसिले में हुई हैं, वे शायद न होतीं। मैंने कल यह कहा था कि कोल्टा और बाजगी जो बहुत पिछड़े हुए वर्ग हैं जिनके साथ बहुत बुरा बर्ताव होता आया है और क्या बर्ताव होता आया है इस सिलसिले में मैंने यह भी कहा था कि वह करीब करीब दासता की कोटि में रहते आये हैं। साथ ही यह भी जरूर है कि अब उनकी हालत सुधरती जा रही है और अदालतें पुराने दस्तूरअमल की ताबीर उदारता के साथ कर रही हैं और जब मैंने कहा था कि कोल्टा और बाजगी जमीन तक नहीं रख सकते हैं तो सब जगह ऐसा नहीं है वहां भी कुछ वाजिबुलअर्ज ऐसे हैं, कि जहां वह नहीं रख सकते हैं लेकिन अब वहां भी शिक्षा का प्रसार हो रहा है और उनकी हालत इधर पहले से बेहतर होती जा रही है लेकिन फिर भी मुझे अफसोस है और मैं माफी चाहता हूं कि मैं अपनी पहली तकरीर में पूरे हालात को तफसील के साथ नहीं बतला सका। अब मैं आप के सामने पूरी तफसील के साथ बतलाना चाहता हूं कि इन ४-५ सालों में गवर्नमेण्ट ने वहां क्या क्या किया है। अपोजिशन की तरफ से श्री नारायण दत्त जी ने यह इलजाम लगाया था कि जो कमेटी सन् ३९ में कायम हुई थी उस पर कोई कार्य-वाही नहीं हुई। वह कमेटी सन् ३९ में बेशक बनी थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट सन् ४१-४२ में ही आई जबकि लड़ाई शुरू हो चुकी थी और कांग्रेस मंत्रिमंडल का इस्तीफा हो चुका था। इसलिए उनको सन् ४० का हवाला तो देना ही नहीं चाहिए था बल्कि उनको यह कहना चाहिए था कि सन् ४६ के बाद क्या हुआ या क्या नहीं हुआ, क्योंकि सन् ४६ में ही जनप्रिय सरकार आई। उस वक्त अप्रैल के महीने में मंत्रिमंडल बना और उस के दो महीने के बाद ही जून सन् ४६ में मैं खुद मौके पर गया जब कि मैं महकमा माल में पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी था और श्री महावीर त्यागी, श्री अजीत प्रसाद जैन व श्री खुरशेद लालजी भी मेरे साथ गए थे और सुपरिन्टेंडेंट दून या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट देहरादून जिनके सुपुर्द जौनसार बावर का प्रबन्ध भी रहता है और तमाम मकामी अफसरान भी दो तीन दिन तक वहां रहे, इसलिए कि किस तरह से उस कमेटी की रिपोर्ट को अमली जामा पहनाया जाय। इस पर उस वक्त काफी विचार

किया गया और उसके बाद बतफसील एक रिपोर्ट हमारी तरफ से पेश की गई। और इस गवर्नमेण्ट ने भी इस सिलसिले में काफी काम किया। मैं मुख्तसिर तौर पर बतलाना चाहता हूं कि वहां उसके बाद क्या क्या काम किया गया है।

वहां पहली बात यह हुई कि सन् ४८ में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिसका नाम है 'जौनसार बावर परगना डिस्ट्रिक्ट देहरादून डट कंट्रोल रेगुलेशन, १९४८'। उसके मुताबिक यह ते हुआ कि कर्ज के सिलसिले में कोई वाद या मुआहिदा अन्जाम देना इल्लीगल होगा। मैं आपकी इजाजत से अंग्रेजी का परा या जो रूल ३ है वह सुनाना चाहता हूं:—

"An agreement or promise to render personal service in consideration of a loan advanced or to be advanced shall be void"

यह सन् ४८ ही में कर दिया गया था और उसी से दफा ४ से यह भी था कि जो कर्जे ३ साल से ज्यादा मुद्दत के हैं उन की बाबत कोई नालिश नहीं हो सकती है और जो हो रहे हैं वह भी खारिज हो जायंगे और ३ साल से पहले के कर्जे बेबाक समझे जायेंगे। वहां कोई लिमिटेशन ऐक्ट नहीं था और तब से पहले वहां पर यही लिमिटेशन लागू हुआ कि ३ साल से पुराने कर्जे खत्म समझे जायंगे और आगे चलकर यह भी किया गया कि जो कर्जे हैं उन पर ५ फीसदी से ज्यादा सादा सूद नहीं लगाया जायगा वह भी ८ आने से कम कर दिया गया। और डिग्री हो जाने के ६ महीने के बाद खेत की फसल कुर्क नहीं हो सकती। वह डिग्री के ६ महीने के अन्दर ही कुर्की करा सकता है। इसमें १२ साल तक इजरा हो सकती है लेकिन ६ महीने से ज्यादा अर्से तक वह ऐग्रीकल्चर प्रोड्यूस को कुर्क नहीं करा सकता है। इसके साथ ही साथ दूसरी बात यह है कि अगर वह ऐग्रीकल्चर प्रोड्यूस को कुर्क कराता है तो उसका केवल एक चौथाई भाग ही कुर्क करा सकता है। मैं समझता हूं कि यह इतना संरक्षण था, जितना मुमकिन था। यह तो १९४८ में जो नोटीफिकेशन हुआ उसके अनुसार रहा अब जो नोटीफिकेशन १९४९ में हुआ यानी नंबर १, १९४९, वह सयानों के बारे में था। उनके अधिकारों पर भी प्रतिबंध लगाया गया, उसके बारे में यह किया गया कि जो सदर सयाना होता था वह हेरीडिटरी होता था, लेकिन इसमें यह प्राविजन किया गया कि उसको गांव पंचायत से मुकर्रर किया जायगा। लेकिन पहिले ऐसी कोई गुंजाइश ही न थी। पहिले अपने पिता के मरने के बाद बेटा सयाना होता था। इसलिये उसमें यह किया गया कि अगर कोई सयाना मर जाय और दूसरा सयाना मुकर्रर किया जाय तो वह पंचायत के मशविरे से मुकर्रर किया जाय। यह जरूर रखा गया कि आमतौर पर उसका बेटा ही किया जाय लेकिन यह पंचायत की मर्जी पर था उसके लिये कोई आवश्यक नहीं था। अगर कोई बात उसके खिलाफ हो तो वह उसके मुकर्रर करने की पाबंद नहीं। इसके अलावा गांव या खेत की पंचायत गांव या खेत के सयाने को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से डिसमिस करा सकती है। तीसरा प्रतिबंध यह लगाया गया कि पहिले सयाने को यह अधिकार था कि वह जिसके जिम्मे चाहे, जितना लगान लगा दे, लेकिन हमने यह कर दिया कि जमीन के रकबे का हिसाब लगाकर ही यह किया जायगा। फांट बना कर प्रकाशित कर दिये जायेंगे और उसको २० दिन का मौका ऐतराज करने को मिलेगा।

तीसरा जो रेग्युलेशन हुआ वह यू० पी० नं० २, १९४९ का हुआ उसमें जो कुछ पाबंदी लगायी गयी वह अंग्रेजी में इस प्रकार है। मैं आपकी आज्ञा से उसको पढ़ कर सुनाना चाहता हूं।

'Notwithstanding any thing in any law or degree of a court no tenant shall, during the period this regulation remains into force be ejected from the holding if at the commencement of this regulation he has been in cultivatory possession thereof for a period of not less than three yers."

[श्री चरणसिंह]

यानी इस रेग्युलेशन के जरिये से बावजूद किसी कानून के या डिग्री के कोई भी काश्तकार अपने खेत से बेदखल नहीं किया जायगा। अगर वह नोटीफिकेशन के समय ३ साल पहले से अपनी जमीन पर काबिज है तो कम से कम वह किसी भी तरह से बेदखल नहीं किया जा सकता। उसमें किसी भी प्रकार की कोई शर्त नहीं है। यहां तक कि लगान की अदम अदायगी में भी उसको बेदखल नहीं किया जा सकता। जमींदारी अबालीशन ऐक्ट में भी सीरदार या भूमिधर को ऐसा अधिकार नहीं दिया गया उसकी जमीन भी अदम अदायगी मालगुजारी में नीलाम हो सकती है जैसा कि सब टैक्सों की अदम अदायगी में हुआ करता है। लेकिन उसके लिये हमने रखा कि वह किसी सूरत मे भी बेदखल नहीं होगा। तो जहां तक कि कानूनी कार्यवाही करने का संबंध था ये तीन रेग्युलेशन जारी नाफिज किये गये।

फिर यहीं बस नहीं की गई। इसके साथ दूसरे महकमों के द्वारा भी वहां के लोगों की आर्थिक और सामाजिक उन्नति करने के लिये यथासम्भव सभी कार्यवाहियां की गई उनके यहां कोई अस्पताल वगैरह नहीं था। अब ५ तो आयुर्वेदिक अस्पताल गवर्नमेन्ट की ओर से वहां खोले गये हैं और चूंकि वहां बहुपति विवाह प्रथा के कारण मूत्रसम्बन्धी रोग अधिक हैं, इसलिये एक विनेरियल डिसीसेज सम्बन्धी अस्पताल भी खोला गया है। २ अस्पताल एलोपैथिक के खोले गये हैं। इस तरह से ८ अस्पताल इलाज के वास्ते हैं और ६५ हजार रुपये सलाना अलीगढ़ के गांधी आई अस्पताल को दिये जाते हैं केवल जौनसार बावर में काम करने के लिये। तो स्वास्थ्य रक्षा के सम्बन्ध में यह किया गया है। एक मैटरनिटी सेंटर भी वहां कायम कर दिया गया है।

जहां तक पशुपालन विभाग का सम्बन्ध है उस सिलसिले में भी काफी काम हुआ है और अधिक होने जा रहा है। वहां की भेड़ काफी अच्छी ऊन देती हैं। उनकी उन्नति करने के लिये वहां काफी रुपया खर्च किया जा रहा है। वहां ५० रु० सालाना अनुदान उन लोगों को दिया जाता है जो ५० भेड़ और १ भेड़ा रखता हो और ५० सेर से ज्यादा ऊन साल भर में पैदा करके दिखावे। फिर १०० भेड़ और ५ भेड़ों पर यानी २० भेड़ और १ भेड़े पर १ भेड़ा उस एक एक आदमी को दिया जायगा जिसकी बाबत यह अनुमान है कि इस काम मे दिलचस्पी रखता है और उसका काम अच्छा रहा है। यह मुफ्त दिया जायगा और केवल शर्त यह होगी कि उनसे जो बच्चे पैदा हों उनमें से १/४ चार साल तक वह गवर्नमेंट का देता रहे। साथ ही फी भेड़ा खर्च के लिये ४ रुपया सन् १९५२-५३ में, ३ रुपया १९५३-५४ में, २ रु० १९५४-५५ में और १ रूपया सन् १९५५-५६ में दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष--यदि माननीय मंत्री इतनी डिटेल में न जावें और मुख्तसर में कह दें तो अधिक अच्छा हो।

श्री चरण सिंह--ठीक है, लेकिन कल चूंकि यह कहा गया था कि उस कमेटी की रिपोर्ट पर कोई अमल नहीं हुआ, इसलिये यह सब कहने की आवश्यकता महसूस हुई।

जहां तक उद्योग विभाग का सम्बन्ध है उसमें वहां ३ स्पिनिंग और २ वीविंग सेंटर खोले गये। शिक्षा का भी वहां प्रबन्ध किया गया है और काफी संख्या में स्कूल खोले गये हैं। जिन बच्चों को आवश्यकता होती है उन्हें किताबें और वजीफे भी दिये जाते हैं। इस सब से यह अन्दाजा लगाया जा सकता है कि ५६ हजार की आबादी के इलाके के लिये जितना वहां गवर्नमेन्ट ने किया है तो फी ५६ हजार मनुष्यों के लिये और कहीं नहीं किया है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--यह ५६ हजार की आबादी सन् ४१ में थी या अब की है?

श्री चरण सिंह--बहुपति विवाह में आबादी बढ़ती कम है।

एक सदस्य--पहले भी इतनी ही थी?

श्री चरण सिंह--लीजिये पहले भी और अब भी इतनी ही है।

अब एक बात इस बिल के सिलसिले में यह कही गयी कि इस बिल से क्या फायदा है। दस्तूर अमल की बाबत गवर्नमेन्ट को तसलीम है इसलिये जैसा कि श्री नारायण दत्त जी ने कहा कि कोलटा और बाजगी पर वही दस्तूर अमल अमल किया जा रहा है कि नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। इस बिल में तो लिखा है कि मौरूसी काश्तकार, गैरमौरूसी काश्तकार और जिन्होंने सेवा के उपलक्ष में जमीन ली। तो उसमें हर प्रकार के काश्तकार आते हैं। जिन्होंने सेवा के उपलक्ष में जमीन ली उनको भी इसके अन्दर माना गया है। तो जितने किस्म के काश्तकार हो सकते हैं सभी काश्तकारों के अधिकारों की सुरक्षा के लिये यह बिल लाया गया है। फिर आपने दफा ८१ को पढ़कर सुनाया जिसमें लिखा है कि मौरूसी जमीन जो है वह उनको नहीं मिलेगी। ठीक है ब्राह्मण और राजपूत जो मौरूसी जमींदार हैं वह ब्राह्मणों और राजपूतों के पास के पास ही हो सकती है वह जमीन उनके किसी रिश्तेदार या वारिस को ही मिलेगी वरना पंचायत के पास चली जायगी। सन् १८५१ के अन्दर मौरूसी का जिक्र है और सर्विस टेन्योर की जमीन का जिक्र है। फिर जैसा कि मैंने कहा सन् १८५१ की बहुत पुरानी बात के बारे में खासतौर से रिपोर्ट में लिखा हुआ है "A very few of them are fairly well off and do hold land." उनमें से बहुत बहुत कम लोग सुख सम्पन्न हैं और भूमि रखते हैं।

कुछ के पास अच्छी हालत जमीन है और उनके पास अच्छी जमीन है।

"Some others have been able to take land on lease from the Zamindars when the latter cannot cultivate all the land available."

दूसरे कुछ लोगों ने जमींदारों से कुछ जमीन पट्टे पर ली है। उनको जमीन उसी हालत पर मिलती है जब कि जमींदार समस्त उपलब्ध जमीन को स्वयं न जोत सके।

कुछ लोगों ने पट्टे पर जमीन दी है।

"But the owning land by Koltas was prohibited by the Dastur-ul-Amal, the record of Jaunsar Bawar customs drawn up by Mr. Ross in 1851 and the only such records; and also by the Wajib.ul-Arz drawn up at Settlement. It is only during recent years that the courts in some cases have refused to maintain this condition on ground of equity.

It is estimated that of about 28·000 acres under cultivation in Jaunsar Bawar only, 1·000 are held, by Koltas, though the latter number 11·000 out of a total population of 55623."

[लेकिन कोलटा लोगों के लिये भूमि का स्वामित्व दस्तूरुल अमल द्वारा निषिद्ध है। दस्तूरुल अमल जौनसार बावर की रीतियों का अभिलेख है। जिसको मिस्टर रास ने सन् १८५१ में लेखबद्ध किया था और जो इस प्रकार का अकेला ही अभिलेख है। उन लोगों के लिये भूमि का स्वामित्व बन्दोबस्त करने के समय लेखबद्ध किये गये वाजिबुल अर्ज द्वारा भी निषिद्ध है। अभी हाल के कुछ वर्षों में ही न्यायालयों ने साम्य के आधार पर कुछ प्रकरणों में इस शर्त को मानने से इन्कार किया है।

यद्यपि ५५,६२३ की जनसंख्या में कोलटा लोगों की संख्या ११,००० है तथापि अनुमान यह है कि कृषि के अन्तर्गत लगभग २८,००० एकड़ भूमि में से उन लोगों के पास केवल १,००० एकड़ है।]

उसी रिपोर्ट में खुद तसलीम है और सन् १८५१ के रिवाज की बात का जिक्र है लेकिन साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि अदालतें उन रिवाजों पर अमल नहीं कर रही है। क्लिंचिंग जवाब इसका यह है कि कल जिस वक्त वहां का रकबा हमारे सामने आया उस उस सम्बन्ध में जो सिफारिशें रिपोर्ट के अन्दर हैं उसके आंकड़े में आपको पढ़कर सुनाना

[श्री चरण सिंह]

चाहता हूं कि कितनी जमीन कल्टीवेटेड है और कितनी जमीन अनकल्टीवेटेड है। इन जमीनों में केवल २८ हजार एकड़ का जिक्र है। टोटल कल्टीवेटेड जमीन ३९,६१३ एकड़ है जिसमें से ३५३७३ एकड़ जमीन ब्राह्मणों और राजपूतों के पास है और ४,२९८ एकड़ जमीन कोल्टा और बाजगी लोगों के पास है। तो साढ़े ३९ हजार एकड़ जमीन में ४,३०० एकड़ जमीन के ही वे मालिक हैं। और ३५,३१६ एकड़ जमीन ब्राह्मणों और राजपूतों की मिल्कियत है। जिसमें से ३,०४३९ एकड़ जमीन पर वे काश्त कर रहे हैं और बाकी ४,८७६ एकड़ जमीन में कोल्टा और बाजगी काश्त कर रहे हैं। कोल्टा जाति के पास जो २,०१० एकड़ जमीन है उसनें १,०२३ एकड़ जमीन सर्विस टेन्योर है।

एक सदस्य--किस हैसियत से ?

श्री चरण सिंह--काश्तकार की हैसियत से। और बाकी जो एक हजार एकड़ के करीब मौरूसी है वह मौरूसी टेन्योर है। और बाकी ५९२ एकड़ में २९२ एकड़ सर्विस टेन्योर है। २,२७४ एकड़ में ४,८७६ एकड़ जमीन ब्राह्मणों और राजपूतों के पास है जिसमें वे काश्त करते हैं।

तो २ हजार १० एकड़ और ५९२ एकड़ इस तरह से २,६०२ एकड़ है जो कोलटा और बाजगी दूसरे लोगों की जमीन को जोत रहे हैं और ४,२९८ एकड़ वह जमीन है जो वह अपनी काश्त करते हैं। इस प्रकार ६,९०० एकड़ जमीन है ४१ हजार एकड़ में से जिन पर कोल्टा और बाजगी बहैसियत खुदकाश्त के या बहैसियत दूसरों के काश्त के काश्त करते हैं। यह ४१ हजार एकड़ में से ६,९०० एकड़ जो है यानी साढ़े १७ फीसदी कुल जमीन है जो उन कोलटा और बाजगी लोगों के कल्टीवेट्री पजेशन में हैं।

श्री मदन मोहन उपाध्याय--क्या यह सब कोलटा और बाजगी जमीन के मालिक बनाये जायेंगे ?

श्री चरण सिंह--इसके सिलसिले में अध्यक्ष महोदय, मैं बाद में जवाब दूंगा। इस वक्त जो बिल आ रहा है वह मालिक बनन के लिये नहीं आ रहा है बल्कि उनके काश्तकारी अधिकारों की रक्षा करने के लिये आ रहा है और यही बात स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट ऐन्ड रीजन में कही कई है। हमारे सबे में जो शिड्यूल्ड कास्ट हैं उनके पास इतनी जमीन नहीं थी। हमारे सूबे में १९ फीसदी औसत है शिड्यूल्ड कास्ट का और वहां इत्तिफाक से साढ़े १९ फी सदी जमीन है परन्तु कोल्टाज और बाजगी लोगों के पास कुल औसत साढ़े १७ फी सदी जमीन ह फिर कैसे कहा जा सकता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। जो थोड़ा बहुत अन्याय १९३९ और ४० में था वह गवर्नमेंट की इन्लाइटेन्ड पालिसी की की वजह से जो मौके पर काबिज हैं उनके साथ सुविधा बरती जा रही है। रिकर्ड आपरेशन्स खत्म होने वाले हैं और ये सारी बातें जल्द ही फाइनलाइज हो जायंगी। यह सही है कि उनकी सोशल कन्डीशन खराब चली आ रही है और अब तक रही है और दास के तरीके पर उनके साथ बर्त्ताव होता रहा है लेकिन अब प्रदेश की दूसरे हिस्सों की अपेक्षा वह कहीं बेहतर हालत में हैं, अगर यह कहूं तो अतिशयोक्ति न होगी।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)--मैं एक जानकारी चाहता हूं कि कोलटा और बाजगी जितनी जमीन जोतते हैं उसका वह कितना लगान देते हैं।

श्री चरण सिंह--लगान की मेरे पास इस समय कोई सूचना नहीं है लेकिन मैं समझता हूं कि वह लगान बहुत थोड़ा है। अब मैं एक दो बातें और कह कर बैठ जाऊंगा।

श्री अध्यक्ष--आप तो बैठ चुके थे। आप उनके सवाल का जो जवाब देना चाहें, दे दीजिए और आगे कुछ नहीं कह सकते क्योंकि आप बैठ चुके थे और अपना भाषण खत्म कर चुके थे।

श्री चरण सिंह--खत्म तो मैंने नहीं किया था लेकिन चूंकि गेंदा सिंह जी खड़े हुए थे इसलिये कि वह कुछ सवाल मुझसे करना चाहते थे इसलिये मैं बैठ गया था। लेकिन मेरा भाषण खत्म नहीं हुआ था खैर, तो मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। क्लेक्टिव फार्मिंग का कल जिक्र किया गया। नेशनल प्लानिंग कमेटी ने कल यह सिफारिश की है कि जहां जमीन खाली पड़ी हो या जहां कहीं बाहर से आदमी लाकर बसाये जायं और या और जहां कहीं मुमकिन हो वहां पर क्लेक्टिव फार्मिंग का परीक्षण किया जाय। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने लायक दोस्त को बता देना चाहता हूं कि अगर उनका मतलब क्लेक्टिव फार्मिंग से जिस लफ्ज का इस्तेमाल उन्होंने किया था रूस की टाइप की क्लेक्टिव फार्मिंग से है तो वह किसानों की मरजी से उनपर कायम नहीं किया जा सकता, वह जबरदस्ती लादा जायगा और मैं नहीं समझता कि समाजवादी पार्टी उसमे कहां तक सहमत है। लेकिन मुझे मालूम है कि उसमे हल्की कोआपरेटिव फार्मिंग का जब जिक्र आया था तब मेरे चन्द दोस्तों ने, नाम नहीं लेना चाहता, जो प्रजा समाजवादी पार्टी के मेम्बर है कोआपरेटिव फार्मिंग जो जमीन्दारी उन्मूलन और भूमि व्यवस्था कानून के आखिरी चैप्टर मे जिस का जिक्र है वह भी बहुत कुछ काबिलुलअमल नहीं देखा गया था। आज वह बात कहते हैं कि इस पहाड़ी इलाके मे क्लेक्टिव फार्मिंग हो जाय। खेतों का क्लेक्टिवाइजेशन हो सकता है या नहीं उन लोगों की रजामन्दी से। इसके लिये भी दो राये रही है लेकिन जहां तक पहाड़ों मे कलेक्टिव फार्मिंग की बात है वहां चकबन्दी भी मुश्किल है। कलेक्टिव फार्मिंग की क्या कही जाय क्योंकि उसका मतलब है एक इकाई की तरह पर खेती और पहाड़ों मे छोटे-छोटे स्ट्रिप्स होते है तो कंसालिडेशन आफ होल्डिंग हो सकती है इसी मे सन्देह है। कन्सालिडेशन आफ होल्डिंग्स की एक कमेटी बनी थी उसमे मैं कोई भेद की बात नहीं बता रहा हूं। उस कमेटी, जिसके कि श्री गेंदा सिंह जी सदस्य थे की यह सिफारिश है कि पहाड़ी इलाकों मे कंसालिडेशन आफ होल्डिंग्स नहीं हो सकती। तो जहां कंसालि-डेशन आफ होल्डिंग्स नहीं हो सकती तो वहां क्लेक्टिव फार्मिंग या कोआपरेटिव फार्मिंग कैसे हो सकती है ?

अभी श्री मदन मोहन उपाध्याय जी ने यह दरयाफ्त किया कि वह क्या उसके मालिक होंगे ? बिल का उद्देश्य तो केवल इतना है कि जो रेकार्ड आपरेशन्स है उनको लीगल फार्म दे दिया जाय क्योंकि लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट वहां लागू नहीं है और जो हमने रेग्यूलेशन, १९४९ मे लागू कर दिया, उससे जो काश्तकार है वे बेदखल नहीं हो सकेंगे। उस समय रेगुलेशन या नोटिफिकेशन हो सकता था। लेकिन २६ जनवरी, १९५० के बाद कानून बनना चाहिए। उस रेगुलेशन मे जो किसानों को अधिकार दिये गये थे उनको कानून अधिकार देने के लिये यह विधेयक लाया गया है। वहां जमींदारी विनाश करने का उद्देश्य नहीं है। आपके द्वारा मैं अपने लायक दोस्तों को बतला देना चाहता हूं कि जमींदारी हम सूबे के कोने-कोने से खत्म करने जा रहे है। वहां भी रिकार्ड बन जायं तो वहां भी जमींदारी खत्म होगी। जमींदारी खत्म हो जायेगी तो जमीन्दार और काश्तकार का प्रश्न ही नहीं रहेगा। लेकिन इसके कब्ल रेकार्ड्स बनाना जरूरी था। उसके लिये इस बिल की जरूरत थी।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि जौनसार बावर भौमिक अधिकार सुरक्षा तथा भौमिक अभिलेख विधेयक, १९५२ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २

२--विषय या प्रसंग मे कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम परिभ में--

(क) "कलेक्टर" का तात्पर्य देहरादून जिले के कलेक्टर से है और इसके अन्तर्गत कोई भी ऐसा प्रथम श्रेणी का असिस्टेन्ट

कलेक्टर है जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत कलेक्टर के कार्य करने के लिये अधिकार प्रदान करे।

(ख) "खाता" और "क्षेत्रपति" के वही अर्थ होंगे जो क्रमशः "holding" और "land holder" को यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट, १९३९ दिये गये हैं।

(खख) "विधि" (law) के अन्तर्गत कोई भी आदेश (Order), अध्यादेश (ordinance) नियम (Rule) विनियम (Regulation) रिवाज (Custom) अथवा प्रथा (usage) है जिसे परगना जौनसार बावर में विधि का बल प्राप्त हो।

(ग) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है।

(घ) "काश्तकार" (tenant) के अन्तर्गत जौनसार बावर के दस्तूरुल अमल में माने गये मौरूसी काश्तकार या गैर-मौरूसी काश्तकार हैं अथवा ऐसा काश्तकार जिसके पास भूमि सेवा के उपलक्ष में हो।

श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)--श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से इस जौनसार बावर भौमिक अधिकार सुरक्षा तथा भौमिक अभिलेख विधेयक में इस प्रकार से संशोधन पेश करना चाहता हूं।

खंड २ के उपखंड (क) की तीसरी पंक्ति में शब्द "कलेक्टर" और "है" के बीच में शब्द "हो सकता" रख दिये जायं।

श्रीमान् जी, खंड २ के (क) भाग में कलेक्टर के साथ "प्रथम श्रेणी का असिस्टेन्ट कलेक्टर" के भी शब्द आये हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जो अधिकार कलेक्टर को है वही प्रथम श्रेणी के असिस्टेन्ट कलेक्टर को भी होंगे। परन्तु मैं यह समझता हूं कि किसी समय ऐसा अवसर आ सकता है कि जो कलेक्टर के अधिकार हों, वे असिस्टेन्ट कलेक्टर प्रथम श्रेणी को नहीं दिये जाने चाहिए जसा कि इस विधेयक में काफी वादविवाद हुआ और कहा गया है कि उस स्थान पहाड़ी प्रदेश के जितने भी कृषक हैं या दलित जातियां ह उनको सुविधा दी जाय। यह हो सकता था जैसा कि माननीय राजस्व मन्त्री जी ने कई बार कहा कि ऊंचे दरजे से लेकर हम छोटी पंचायत या देहात में पूर्ण अधिकार देना चाहते हैं क्योंकि पहले पुराने समय में भी ग्रामवासियों को ऐसे अधिकार मिले थे और अब भी हमारी सरकार यह चाहती है। परन्तु मैं यह देखता हूं कि इस इलाके में जितने भी गिरी हुई दशा के व्यक्ति बसते हैं, यह अधिकार छोटे अधिकारियों को देना उचित नहीं बल्कि उच्च पदाधिकारियों को अधिक देना ही अति उत्तम होगा। अधिक न कहकर मैं यही विचार प्रगट करता हूं कि उस स्थान पर जहां पर कि "कलेक्टर" और "है" शब्द आये हैं इनके बीच में "हो सकता है" शब्द रख दिये जायं जिससे कि असिस्टेन्ट कलेक्टर का स्वत्व कम हो जाता है। क्योंकि प्रायः यह देखा जाता है है कि कलेक्टर और असिस्टेन्ट कलेक्टर के अधिकार एक से नहीं होते और यदि वे शब्द रख दिये जायं, जैसे कि इस विधेयक में मैं चाहता हूं। मैं समझता हूं कि कलेक्टर के स्वत्व भी किसी प्रकार कम स्वत्व असिस्टेन्ट कलेक्टर से नहीं होंगे। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि अगर सुचारु रूप से इस विधेयक को चलाना है और उनके स्वत्व को कायम रखना है तो इस प्रकार से असिस्टेन्ट कलेक्टर के स्वत्व कम होने चाहिए और असिस्टेन्ट कलेक्टर को पूर्ण अधिकार नहीं होने चाहिए। बस यही मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य——श्रीमान्, अध्यक्ष महोदय, यहां कलेक्टर एक पारिभाषिक शब्द है और यह कहा गया है कि कलेक्टर का तात्पर्य देहरादून जिले के कलेक्टर से है। लेकिन अगर सरकार चाहे तो किसी प्रथम श्रेणी के असिस्टेन्ट कलेक्टर को कलेक्टर के स्थान पर पर रख दे और जो संशोधन आया है कि उसमें असिस्टेन्ट कलेक्टर हो सकता है, यह जो कहा गया है, इसमें मुझे कोई अन्तर नहीं दिखायी देता। असिस्टेन्ट कलेक्टर "हो सकता है" जो असिस्टेन्ट कलेक्टर "है" सरकार नियुक्त कर दे। इसलिये यह बिल्कुल अनावश्यक संशोधन है। अन्य बातें जो इस संबन्ध में कही गयीं, वह भी इससे सम्बन्ध नहीं रखती। मैं समझता हूं कि यह अनावश्यक है और इसे अस्वीकार किया जाय।

श्री अध्यक्ष——क्या माननीय श्रीचन्द्र जी इसे वापस लेंगे ?

श्री श्रीचन्द——मैं इसे वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री नारायण दत्त तिवारी——श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं कि खंड २ के उपखंड (घ) की पंक्ति ४ में शब्द "में" के बाद शब्द "या ऋण प्रतिदान कार्य हेतु, अथवा मौरूसी या गैर मौरूसी—काश्तकार से पट्टेदारी में ली हुई "बढ़ा दिये जायं।

श्रीमन्, यह जो काश्तकार की परिभाषा में यह दो काश्तकार की परिभाषा को बढ़ाने वाले जो संशोधन हैं, जो मैं बढ़ाना चाहता हूं, मैं समझता हूं कि जौनसार बावर की स्थिति को रखते हुए यह बहुत ही आवश्यक है। मैंने जो कल कुछ निवेदन इस बारे में किया था कि वहां पर किस प्रकार कोलटा और बाजगी काश्तकार हैं वे काश्तकार के रूप में नहीं बल्कि एक कर्जदार के रूप में जमीन में काम रहे हैं या कुछ लीज में जमीन लेकर पट्टेदारी में काम कर रहे हैं। किसी सेवा के रूप में नहीं काम कर रहे हैं। यह बात जो मैंने कही थी उसको माननीय राजस्व मंत्री ने स्पष्ट नहीं किया। अगर स्पष्ट कर देते तो मैं शायद संशोधन न रखता।

इस काश्तकार की परिभाषा में जो हमारे सामने प्रस्तुत है उसमें लिखा हुआ है कि "काश्त-कार के अन्तर्गत जौनसार बावर के दस्तूरुल अमल में माने गये मौरूसी काश्तकार या गैर—मौरूसी काश्तकार हैं अथवा ऐसा काश्तकार जिसके पास भूमि—सेवा के उपलक्ष्य में हो"। तो इसमें काश्तकारों के दो हिस्से माने गये हैं। एक तो मौरूसी और गैर—मौरूसी काश्तकार और दूसरे ऐसे काश्तकार, जिनके पास भूमि—सेवा के उपलक्ष्य में "इन ल्यू आफ सर्विस" है। तो जैसा कि माननीय राजस्व मंत्री ने स्वयं माना, दस्तूरुल अमल के अनुसार मौरूसी और गैर—मौरूसी काश्तकार केवल ब्राह्मण और राजपूत काश्तकार ही हो सकते हैं। यह हो सकता है कि कुछ रिपोर्टों में और कुछ फैसलों में जैसा कि मैंने कहा कि कुछ काश्तकारों या कुछ कोलटा बाजगियों को गैर—मौरूसी मान लिया गया हो लेकिन जब तक दस्तूरुल अमल लागू है, जब तक वाजिबुल अर्ज लागू है, जैसा कि रिपोर्ट में छपा हुआ है और जैसा कि स्वयं माननीय राजस्व मंत्री जी मानते हैं कि दस्तूरुल अमल आज भी लागू है, तब तक कोलटा बाजगियों का बड़ा भारी बहुमत, ९५ फीसदी बहुमत किसी प्रकार काश्तकार नहीं हो सकता। जब मैंने यह देखने की कोशिश की कि सेवा के उपलक्ष्य में कितने काश्तकार हैं तो इन ल्यू आफ सर्विस कितने काश्तकार हैं, यह कहीं भी रिपोर्ट में नहीं मिला। मैं यह चाहूंगा कि इस संबंध में रेग्यूलेशन्स और नियम हैं उनको मुझे दे दिया जाय क्योंकि वे बाद में काम आयेंगे। माननीय मंत्री जी ने जो पढ़ा उसमें उन्होंने यह कहीं नहीं पढ़ा कि एक, दो या सौ या पांच सौ ऐसे टेनेंट्स हैं, जो इन ल्यू आफ सर्विस जमीन पर काम करते हैं। परिभाषा में यह नहीं दिया गया है कि सेवा में कौन काश्तकार काम करते हैं परन्तु परिभाषा में यह दिया हुआ है कि 'सेवा के उपलक्ष्य में'। इस संबंध में माननीय मंत्री जी ने

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

या माननीय पार्लियामेंटरी जी ने कोई सफ़ाई नहीं की है। माननीय मंत्री जी ने यह बतलाया है कि सन् १९५० का रेग्युलेशन लागू कर दिया गया है। यह विधेयक उस क़ानून का एक तिहाई भी नहीं है और उसके मुक़ाबिले में इसका कोई मतलब ही नहीं रहता है। तीन साल तक जो खेतों पर काबिज़ रहा वह बेदखल नहीं होगा. यही तो श्रीमन् आप ने रेग्युलेशन पढ़ा ?

श्री चरण सिंह--जी हां।

श्री नारायणदत्त तिवारी--यदि सन् १९५० के रेग्युलेशन को और इस विधेयक को मिलायें तो जमीन आसमान का फ़र्क़ है। अगर उस रेग्यूलेशन को इस विधेयक में धारा ४ के रूप में रख दिया जाता कि काश्तकार वह माना जायगा, जो कि जौनसार बावर में तीन साल के खेत जोतता रहा है। अगर यह काश्तकारों की परिभाषा होती तो मुझे कोई एतराज नहीं होता परन्तु वह काश्तकारों की परिभाषा नहीं रखी गयी है, जो सन् १९५० के रेग्युलेशन में थी। इस विधेयक में इतना और जोड़ दिया गया है कि जो दो वर्ष तक लगान नहीं देगा वह बेदखल कर दिया जायगा। मैं यह शिकायत के रूप मे नहीं कह रहा हूं। मै तो माननीय राजस्व मंत्री जी की इस संबंध में तारीफ करता हूं कि उन्होंने इस बात की कोशिश की है, जहां-जहां इस क़िस्म के विधेयक लागू नहीं है वहां उनको लागू किया जाय। यह उनका सराहनीय प्रयत्न है परन्तु मेरी शिकायत यह है कि जो पुराना रेग्युलेशन बना वह ऐक्ट के रूप में नहीं आया। मैं फिर यह कहूंगा कि, सन् १९५० का रेग्यूलेशन इस विधेयक में लाया जाय। जो उन्होंने अभी भाषण दिया उसको जब मैंने इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों से मिलाया तो वह बिलकुल प्रतिकूल मालूम हुआ। मैं उद्देश्य और कारण पढ़ दूं, "देहरादून जिले के परगना जौनसार बावर में भौमिक अधिकार अब तक रूढ़ि जनित विधि के रूप में थे जो कि अधिकतर "दस्तूरुल अमल" में वर्णित हैं।" तो इससे यह मतलब आता है कि जो काश्तकारों की परिभाषा धारा (३) में दी गयी है उसका शायद दस्तूरुल अमल मे उल्लेख नहीं है लेकिन गैर-मौरूसी और मौरूसी काश्तकार लोग पहले से जमींदार हैं। जिन काश्तकारों को हम काश्तकार मान रहे हैं उनको दस्तूरुल अमल भी काश्तकार मानता है लेकिन कर्जदार हैं उनको काश्तकार नहीं मानता है। आखिर माननीय मंत्री जी इन कोल्टा बाजगियों को किस प्रकार जमीन दे सकेंगे। मैं आप की आज्ञा से यह पढ़ना चाहता हूं कि वहां ऐसे काश्तकारों की क्या हालत है। वहां कर्ज़ा ऐसा नहीं है जैसा यहां है कि टिकटनामे पर या स्टाम्प पर ऐसा लिख दिया जाय कि इतना ब्याज देंगे और फिर रुपया अदा करेंगे। वहां ऐसे कर्ज़ नहीं है बल्कि वहां पर कर्ज़ परम्परा से चले आ रहे हैं। पांच छै पुश्तों से चले आ रहे हैं। कोई लिखा हुआ नहीं है। अब मैं आपकी आज्ञा से मंत्री जी का ध्यान इस तरफ दिलाता हूं कि :--

"Mostly attached permanently to their respective Zamindars, they are occasionally transferred form one to another. The system rests on ancient indebtedness to Zamindars, which the Koltas have never opportunity to pay off."

[अधिकतर वे लोग स्थायी रूप से अपने जमीन्दारों के साथ रहते हैं और कभी कभी एक जमींदार के पास से बदल कर दूसरे के पास चले जाते हैं। यह प्रणाली जमींदारों से लिए गए उस प्राचीन-ऋण पर आधारित है, जिसका भुगतान करने का कोल्टा लोगों को कभी अवसर नहीं मिलता।]

तो वहां का क़र्ज़ा ब्याजवाला सूदवाला नहीं हैं। वहां का कर्ज़ा अनोखे प्रकार का क़र्ज़ा है। उसकी कोई लिखत नहीं है, सूद का सवाल नहीं है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि रेग्यूलेशन के द्वारा नहीं हो सकेगा तो यह सब ठीक है लेकिन यह यू० पी०

लिये ठीक है, कुमायूं के लिये ठीक है लेकिन जौनसार बावर के लिये ठीक नहीं हो सकता है तो इसके लिये हमें साफ–साफ कहना पड़ेगा कि वहां का कर्जा पुश्तों से चला आ रहा है तो इस प्रकार के लोगों को जो टेनेन्सी में हैं उनको अधिकार मिलने चाहिये। इसके अलावा जो लीज़ में पट्टे पर काम कर रहे हैं उनको भी अधिकार मिलने चाहिये। चैप्टर ८ में और रूल ७९ में स्पष्ट कर दिया गया है, जिसमें कमेटी ने सिफारिश की है कि आक्युपेंसी टेनेन्सी के अधिकार ऐसे सभी काश्तकार को दिये जायं, जिनकी वास्तव में जमीन पट्टे में है।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि दस्तूरुल अमल में, जो परिभाषा है वह लागू नहीं होती है तो वह ऐसा आर्डर बतलायें जिसके रू से दस्तूरुल अमल की परिभाषा लागू न होती हो तो मैं अपने संशोधन को वापिस लेने के लिये तैयार हूं। इसमें लिखा हुआ है कि दस्तूरुल अमल में जो परिभाषा है उसको मानेंगे तो मौरूसी काश्तकार वही ब्राह्मण और राजपूत हैं तो उन्हीं को अधिकार दिये जा रहे हैं. जिनको दस्तूरुल अमल में अधिकार मिले हुये हैं तो क्या नई बात है, जो बिल से करने वाले हैं। इसके स्टेटमेंट और आब्जेक्ट्स की आखरी लाइन के ऊपर वाली लाइन बिल्कुल साफ है। उसमें लिखा हुआ है कि "क्षेत्रपति भूमि जोतने वाले किसानों को खातों से स्वच्छंदतापूर्वक बेदखल कर रहे थे।" श्रीमन् यह इसमें छपा हुआ है। अभी मंत्री जी ने कहा कि कोई बेदखल नहीं होगा तो क्या बात है। मैं समझता हूं कि कितना बड़ा पारस्परिक विरोध है कि एक तरफ तो आर्डर लागू है कि वह बेदखल नहीं होंगे और दूसरी तरफ यहां यह है कि वह स्वच्छंदता पूर्वक बेदखल किये जा रहे थे, तो इसलिये दस्तूरुल अमल का सवाल है। उनकी परिभाषा समाप्त करने का सवाल है तो उसके बारे में इस रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ है उसकी ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। रिपोर्ट पेज १२९ पर रूल ९० में लिखा हुआ है कि:

"Notwithstanding any provisions in the D. U. A. or any W. U. A. to the contrary no person shall be banned from acquiring land merely by belonging to a particular caste or tribe such as Koltas or Bajgi."

[दस्तूरुल अमल या वाजिबुल अर्ज में कोई चीज़ इसके प्रतिकूल होते हुए भी, किसी व्यक्ति के भूमि प्राप्त करने पर केवल इस कारण से प्रतिबन्ध नहीं लगाया जायगा कि वह कोल्टा या बाजगी इत्यादि किसी विशेष जाति का है।]

स्पष्ट लिखा हुआ है तो यह दस्तूरुल अमल कितना प्रतिक्रियावादी था यह इस रिपोर्ट की सिफारिश में स्पष्ट है। तो श्रीमन्, मेरा जो संशोधन है वह केवल इतना ही है कि हम उनको काश्तकार नहीं मानते हैं जो पहले से काश्तकार हैं बल्कि उन लोगों को काश्तकार मानें जो वास्तव में भूमि पर काबिज हैं। लेकिन सेवा के उपलक्ष में जौनसार–बावर में कोई भी काश्तकार नहीं है। मैंने तीन बार इस बात की कोशिश की कि जौनसार बावर में कितने काश्तकार हैं, जो इन ल्यू आफ सर्विस काम कर रहे हैं। केवल उन्हीं को रिलीफ मिलने वाला है, जो क्षेत्रपति हैं। लेकिन यह सरकार की मंशा नहीं है। इसकी पूर्ति जब होती है जब इसको ठीक कर दिया जाय। मंत्री जी ने जो पढ़ा अगर उसको माना जाये तो मैंने उसको स्पष्ट कर दिया है। मौरूसी और गैर–मौरूसी काश्तकार का मतलब हुआ कि वही काश्तकार हैं, जो दस्तूरुल अमल में वर्णित हैं यानी जो राजपूत तथा ब्राह्मण हैं। उनकी पट्टेदारी में वही लोग हैं जो कोल्टा और बाजगी हैं। वह परिभाषा में आ जाते हैं तब उन पर यह विधेयक लागू होना है। मैं समझता हूं कि भवन इसका अर्थ समझेगा जो भावना मैंने प्रदर्शित की है।

श्री चरण सिंह––माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को कुछ ग़लतफहमी हो गई वर्ना इस संशोधन की आवश्यकता नहीं थी। आप यह चाहते हैं कि क़र्ज़े के एवज में जो लोग जमीन पर काश्त करते हैं वे लोग बेदखल रहें लेकिन अगर उनका जमीन पर क़ब्ज़ा है और क़ब्ज़ा लिखा हुआ है तो वे काश्तकार हैं तो चाहे जमीन

[श्री चरण सिंह]

ली हो या न ली हो, लिहाजा वे बेदखल नहीं होंगे। यह तो क़ानूनी पोजीशन है। इसलिये आपका यह क़ानून बिल्कुल गैरजरूरी है। फिर आपने एक बात यह कही जिसका मतलब यह था कि बकिया लगान में भी जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था लोग बेदखल नहीं होंगे, अब आप उनको बेदखल करने जा रहे हैं। वह जो नोटिफिकेशन था वह बिल्कुल आर्जी तौर पर एक इन्तज़ाम किया गया था : जिस तरह कि एक आर्डिनेन्स होता है जैसा कि किसी एक सदस्य ने कल कहा कि आर्डिनेन्स क्यों नहीं जारी कर दिया गया तो वह आर्डिनेन्स की शक्ल उस नोटिफिकेशन की थी, जल्दी में वह जारी किया गया था। लेकिन किसी भी माननीय सदस्य की यह मंशा नहीं हो सकती कि टैक्स न दे, लगान न दे तो आदमी बेदखल ही न हो। लिहाज़ा इसमें यह रक्खा गया कि दो साल तक जो लगान न दे वह बे-दखल हो जायगा। आप इसको अन्याय समझ रहे हैं। क्या यह लिख दिया जाय कि चाहे कोई लगान दे या न दे वह बेदखल नहीं होगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी--आपने खुद ही कहा था।

श्री चरण सिंह--मैंने कहा था कि रेग्यूलेशन कुछ इस हद तक जाता था और आपने कहा कि गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया तो मैंने जवाब में कह दिया था कि गवर्नमेंट इस हद तक जा चुकी है। अब इस रेग्यूलेशन को क़ानून की शक्ल देने की जरूरत है। बिल आये, ऐक्ट बने। लिहाज़ा इससे यह नतीजा नहीं निकलता कि पहले अगर यह कर दिया था कि कोई बेदखली नहीं होगा तो आगे भी न होगा। आप इसको दलील बना कर यह कह रहे हैं कि यह अन्याय हो रहा है। फिर कहा गया कि वह दो साल के लगान में बेदखल हो जायगा। क्या किया जाय कि २५ साल के लगान न देने पर बेदखल होगा। क़ायदा तो यह है कि गवर्नमेंट का ६ महीने का लगान है तो बेदखल हो सकता है। साल भर का हो तो बेदखल हो सकता है। अगर हम यह करें कि तीन साल के बकिया लगान में बेदखल हो जायगा तो उस पर बोझ बढ़ेगा। आदमी को सहारा मिल जाता है कि इस साल मत दो। इस तरह तीन साल तक न देने से बोझ ज्यादा हो जायगा तो बेदखल हो ही जायगा। अगर आप कहते कि एक साल का रखिये, दो साल का बोझ तो ज्यादा हो जायगा तो बहुत अच्छा होता। लेकिन आप इसको भी अन्याय समझ रहे हैं कि वह दो साल के बकिया लगान पर बेदखल हो जायगा। स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स ऐण्ड रीजन्स में लिखा हुआ है कि जो लोग स्वच्छंदतापूर्वक बेदखल हो रहे हैं, वह जार वाइड स्टेटमेंट है, वह सब काश्तकारों पर लागू नहीं होता। रेगुलेशन नोटिफिकेशन में यह था कि तीन साल के जितने काश्तकार हैं वे बेदखल नहीं होंगे लेकिन अपने बिल में हम यह रख रहे हैं कि जिनका एक साल भी क़ब्ज़ा है वह भी बेदखल नहीं होंगे। उनको भी हम आकूपेंसी टेनेंट के राइट्स दे रहे हैं। तीन साल का जो वक्त उसमें था वह लिमिटेड था उस लिमिटेशन को हम निकाल रहे हैं कि जो लोग एक साल के लिये काश्तकार थे उनको बेदखल कर दिया। स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स ऐण्ड रीजन्स कोई बहुत डिटेल में नहीं जाया करता।

अब आपका यह कहना कि दस्तूरुल अमल लागू है। मैं यह कह सकता हूं कि मेरे मित्र अगर किसी वकला से मशविरा लेते तो वह इस नतीजे पर पहुंचते कि ये जो कस्टमरी लाज होते हैं ये अगर माने जाते रहे तो उनकी वेलिडिटी बढ़ जाती है, उनकी मान्यता बढ़ जाती है लेकिन अगर कोई वक्त ऐसा आ जाय कि वे डिसरिगार्ड होने शुरू हो जायं और धीरे-धीरे वे काफ़ी मुद्दत तक डिसरिगार्ड होते रहें तो उनकी मान्यता खत्म हो जाती है। अब आपने जो जमीन के बारे में कहा आपने देखा होगा कि बहुत थोड़ी जमीन, २५ हज़ार एकड़ में १ हज़ार एकड़ जमीन कोल्टा और बाजगी लोगों के पास है।

अब सन् १९५२ ई० की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक ३६ हज़ार एकड़ का एरिया कोल-टाओं के पास है और ७ हज़ार के क़रीब बाजगियों के पास है। वहां पर दस्तूरुल अमल नहीं हो रहा है। दस्तूरुल अमल का असर तो कहीं पर भी तभी होता है जब वहां पर कोई बाकायदा ला नहीं हो। इसमें इस बात के कहने की जरूरत नहीं है कि वह न हो। वह तो

अपने आप ही खत्म हो गया। यह बिल जब ऐक्ट बन जायगा तब उसका असर नहीं रहेगा, बिना लिहाज किसी बात के मुद्दत के या कौमियत के उस जमीन पर उसका क़ब्जा बना रहेगा। इस क़ानून के जरिये से हम उसकी सुरक्षा करना चाहते हैं कि वह बेदखल न हो। अलग से इस चीज को कहने की जरूरत नहीं है, वह खत्म हो गया।

आपने रिपोर्ट से पढ़कर सुनाया कि कर्जे में वह जमीन रखते हैं। तो उसी रिपोर्ट में आगे चलकर यह भी लिखा है कि जो लोग मजदूरी करते हैं उनको जमीन मिलती है, फिर कर्जा भी कटता है और इसके साथ-साथ उस मजदूरी की एवज में उनको जमीन दी जाती है काश्त करने के लिये। इनकी तादाद भी काफ़ी है। आपने यह पूछा था कि तादाद नहीं बतलाई गई। अगर आप उसको जानना चाहते हैं तो मैं आपको वह भी बतला दूंगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मैं तो.......

श्री अध्यक्ष--जब तक माननीय मंत्री खड़े हुये हैं तब तक आप बोल नहीं सकते हैं।

श्री चरण सिंह--दस्तूरुलअमल पर जो जमीन कोलटा के पास है वह २ हजार ९० एकड़ है और बाजगियों के पास ५९२ हजार एकड़ है। इसमें जो कोलटाओं के पास है उसमें सर्विस टेन्योर का एरिया १,०२३ एकड़ भी शामिल है। बाजगियों के पास जो सर्विस टेन्योर है वह २९२ एकड़ है। वैसे वहां का टोटल कल्टीवेटेड एरिया ३९,६१३ एकड़ है। इनमें राजपूत और ब्राह्मणों के पास ३५,३१५ एकड़ है और शेष जो बचा क़रीब ४,२९८ एकड़ कोल्टा, बाजगी और दूसरे के पास रह जाता है।

तो यह मैंने फिगर्स बतलाये। अब मैं यह समझता हूं कि यह जो आपका अमेंडमेंट है वह गैरजरूरी है और गलतफहमी पर मुबनी है। इसकी आवश्यकता नहीं है और गवर्नमेंट इसको स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, मैंने बड़े ध्यानपूर्वक राजस्व मंत्री जी के मेरे संशोधन के उत्तर को सुनने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मैं समझने में असमर्थ रहा। किस प्रकार माननीय मंत्री जी यह समझते हैं कि ऐसे काश्तकार, जिनको सेवा के उपलक्ष्य में जमीन मिली है, वह क़र्जदार भी आ जाते हैं और लैसी भी आ जाते हैं। आपने इस बात को स्पष्ट नहीं किया और आंकड़े भी आपने पेश किये कि कुलटा और बाजगी जो हैं उनको सेवा के उपलक्ष्य में भूमि मिली है उनकी तादाद भी बताई, लेकिन उनका क़ब्जा किस तरह से उनके ऊपर रह जायगा, इस बात को आपने स्पष्ट नहीं किया। क़ानून स्पष्ट होना चाहिये। आपने क़ानूनी लोगों से मशविरा करने के लिये कहा तो मैंने भी इसको देखा है और जो जानता हूं वह यही कि क़ानून साफ होना चाहिये और उसमें दुविधा नहीं होनी चाहिये। सेवा के उपलक्ष्य में मिलने वालों में तो नौकर भी आ सकते हैं।

श्री चरण सिंह--क़र्जे के उपलक्ष्य में वह काश्तकार होते हैं जिनको जमीन मिलती है। अगर किसी क़र्जदार को जमीन के ऊपर क़ब्जा है तो वह काश्तकार है और वह सेवा के उपलक्ष्य में क़र्जदार होता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क़र्जे के उपलक्ष्य में मिली हुई जमीन पर अगर कोई क़ाबिज है तो वह काश्तकार किस प्रकार से होता है ....

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि कुछ भ्रान्ति है। 'ऋण प्रतिदान कार्य हेतु' इसका अर्थ, अगर कोलटा ने जमीन के स्वामी को क़र्जा दिया हुआ है तो उसके उपलक्ष्य में काश्तकारी प्राप्त की है, यह निकलता है। दूसरी ओर परिस्थिति यह है कि कोलटों को क़र्जा जमींदारों से दिया जाता है और जमीन कोलटों को सेवा के बदले में दी जाती है। इन दो हालतों के बीच कनफ्यूजन हो रहा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मैं इसी को स्पष्ट कर रहा था कि यह किस ऐक्ट में दिया हुआ है कि जो क़र्जदार के रूप में क़ाबिज है वह भी काश्तकार समझा जायगा।

श्री चरण सिंह--इसमें ऐक्ट बताने की कोई बात नहीं ह। कोई कोलटा या बाजगी क़र्जा लें और वह उसकी एवज में सेवा करते हैं और साथ ही साथ उसके एवज में वह जमीन भी पाते हैं और एक तरह से क़र्ज और जमीन दोनों पाते हैं और इन दोनों के उपलक्ष्य में वह सेवा करते हैं और इस टिनयोर के माने हैं कि वह मजदूरी भी करते हैं और जमीन भी पाते हैं। क़र्ज तो वह लोग देते हैं जो राजपूत या ब्राह्मण हैं। आप तो उल्टी बात कहते हैं। कोलटा और बाजगी क़र्जा लेने वाले हैं और वही जमीन भी पाते हैं और उल्टी उनके यहां एग्रीकलचरल लेबर और मजदूरी करते हैं और उनकी वह जमीन उन्हीं के टिनयोर में आ जाती है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--यही बात यदि परिभाषा में स्पष्ट कर दें तो इसमें क्या एतराज है। जब तक वह कहीं पर किसी ऐक्ट में या परिभाषा में स्पष्ट न होगा तब तक कैसे काम चल सकता है। अगर वही चीज मान ली जाती जो हमारे दिमागों में है तो फिर ऐक्ट बनाने के संबंध में आवश्यकता ही क्या होती। आपने स्वयं यह कनफ्यूजन बतलाया है कि कौन सेवा करते हैं, जमींदार सेवा करते हैं या जो क़र्जा लेते हैं वह सेवा करते हैं। तो इस कनफ्यूजन को परिभाषा में दूर करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष--मैंने यह कहा कि कनफ्यूजन आपको है। जो क़र्जा लेने वाले हैं और सेवा के बदले में जो उनको क़र्जा मिलता है वह उसके एवज में सेवा देते हैं और इसीलिए वह काश्तकार की तरह उसकी जमीन पर काश्त करते हैं और सेवा देते हैं। इसलिए इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन प्रस्तावित संशोधन से ऐसा मालूम होता है कि कोलटा क़र्ज देते हैं जमींदारों को और उसके एवज में वह जमीन पाते हैं, तो ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--एक खास प्रकार का क़र्जा वहां पर है। वहां पर एक गवाह ने कमेटी के सामने एक गवाही दी थी--

"I am Madho's Kolta. My great grand father must have taken a loan. We have worked for him for five generations. The Sayanas has now beaten me and turned me out. I had prepared two water-mills which the Sayanas have now claimed."

[मैं माधव का कोल्टा हूं ने मेरे प्रपिता ने ऋण लिया होगा। हम उसके लिए पांच पीढ़ियों तक काम कर चुके हैं। अब सयाने ने मुझे पीट कर घर से निकाल दिया है। मैंने दो पनचक्कियां बनाई थीं जिनको कि सयाने लोग अब अपनी बताते हैं।]

तो जब एक कोलटा ने ऐसा कहा तो किस तरह से यह मालूम होता है कि यह काश्तकार की सेवा में मिली।

एक दूसरे कोलटा ने कहा कि--

"We have worked for four generations. My great grand father had taken a loan of Rs. 222."

[हम लोग चार पीढ़ियों तक काम कर चुके हैं। मेरे पितामह के पिता ने २२२ रु० उधार लिए थे।]

जब उससे कमेटी ने रसीद मांगी तो उसने कहा कि-- रसीद कोई नहीं है। हमारे यहां यह कहते हैं कि ४ पुश्तों पहले कभी कर्जा लिया गया था और कितना लिया गया था, यह नहीं मालूम है। आज तक यह कहीं किसी नियम में नहीं है कि किस प्रकार यह क़र्जा माना जायगा। जब मंत्री जी इसको मान रहे हैं तो इसको परिभाषा में स्पष्ट कर देने में ही क्या हर्ज है। वह जैसे चाहें लिखकर दे दें, मैं इसको ठीक कर दूं या श्री रामनरेश जी रख दें, मैं उसको मान लूंगा।

लेकिन मैं यह चाहता हूं कि यह चीज विधेयक में साफ़ हो जाय और दोबारा संशोधक विधेयक न लाना पड़े। वहां तो यह तक हुआ कि जो कोल्टा कमेटी के सामने गवाही देने आये उनको

घरों और चक्कियों से निकलवा दिया। तो जब तक विधेयक मे परिभाषायें साफ नहीं होंगी तब तक कुछ भी नहीं होगा और लोग परेशानी मे पड़ जावेंगे। रिपोर्ट के पेज १२८ में लिखा है--

No landholder shall take a premium for the admission of a tenant to a holding and it shall not be a condition for any tenancy that the tenant shall render any service to, or do any work for the landholder, whether for wages or not.

[कोई भी भूमिधारक किसी खाते में किसी असामी को दाखिल करने के लिए पगड़ी न लेगा और भूमि पर क़ब्ज़ा होने की यह शर्त न होगी कि असामी भूमिधारक की कोई सेवा करेगा या उसके लिए कोई कार्य वेतन लेकर या बिना वेतन के करेगा।]

तो वह काश्तकारी भी करें और सेवा भी करे, यह कहां तक मुनासिब और जायज़ है ? यह कहां का फार्मूला है ? रिपोर्ट तो कहती है कि सेवा की भावना ख़त्म की जाय। लेकिन यहां तो लिखा है कि उसे सेवा करते रहने का अधिकार दिया जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि अगर वह स्वयं भी ऐसा इस आशय का संशोधन कर दे तो मैं अपना संशोधन वापस ले लूंगा।

श्री चरण सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मै बहुत देर से इस बात का अपनी अक़ल पर जोर दे रहा था कि मैं अपने मित्र को किस प्रकार समझाऊं, क्योंकि यह मेरी समझाने की नाकाबिलियत के कारण मालूम होता है कि वह अब तक समझ नहीं पाये। मोटी सी बात है कि जो आदमी क़र्ज़ देता है तो जो आदमी क़र्ज़ा लेता है उसकी ज़मीन को उस क़र्ज़ के असिल या सूद के एवज़ में ज़मीन ले लेता है। तो वह कहलाता है कि क़र्ज़ के एवज़ में काश्तकार हुआ। अब यहां जो क़र्ज़ा लेता है वह कोल्टा ही लेता है उच्च जाति वालों से। तो अगर उन्होंने कोल्टा को क़र्ज़ा दिया और उसकी ज़मीन उस राजपूत या ब्राम्हण ने ले ली तब तो राजपूत या ब्राह्मण कोल्टा का काश्तकार कहलावेगा। यहां यह सवाल नहीं है। उस उच्च जाति वाले से वह क़र्ज़ा लेता है मजदूरी करन का। क़र्ज़ की असल और सूद के बिल एवज़ वह उसके यहां नस्लन् नस्लन् सेवा करता रहता है। तो यह बात तो केवल क़र्ज़ के क़ानून में आनी चाहिये। अगर कोई आदमी ५० साल तक, बिला लिहाज मियाद के, क़र्ज़ा देता है तो फिर उसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है ? गवर्नमेंट ने तो यह किया है कि कोई आदमी मजबूर नहीं किया जायगा परसनल सर्विस करने के लिये क़र्ज़ के एवज़ में। लेकिन अगर कोई अपनी राज़ी से सर्विस करता है तो फिर उसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती है। उसे तो पब्लिक ओपीनियन ही या पब्लिक वर्कर्स ही ठीक कर सकते हैं। तो यह कहा गया है कि ३ साल से ज़ायद का क़र्ज़ा बेबाक़ समझा जायगा।

नालिश ३ साल से ज्यादा क़र्ज़ की न हो सकेगी और आगे भी ३ साल से ज्यादा क़र्ज़ की नालिश न की जा सकेगी। ऐग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के बारे में भी हमने यह कर दिया कि ६ महीने से ज्यादा की डिग्री में उसको कुर्क़ नहीं कराया जा सकता। लेकिन अगर कोई कोल्टा या बाजगी अपनी मर्ज़ी से नौकरी करता है तो उसको क्रिमिनल आफेन्स क़रार नहीं दिया जा सकता। कोई नुक्ताचीनी करने के पहले यह तो जरूर सोचना चाहिये कि गवर्नमेंट क्या कर सकती थी। अगर आप कोई माकूल बात बतायेंगे तो गवर्नमेंट जरूर उस पर गौर करेगी और हर वक्त उसको मानने के लिये तैयार हैं सर्विस के बारे में इसी रिपोर्ट में आगे चल कर लिखा है :--

"The Koltas are virtually serfs for the most part, prepetually indebted to and working for their Zamindars, and being transferred from one to another, but allowed to cultivate some of their markers' land."

[श्री चरण सिंह]

[कोल्टा लोग वास्तव में अधिकतर अर्द्ध दास हैं जो अपने जमींदारों के सदा ऋणी रहते हैं और उनके लिए काम करते रहते हैं, एक जमींदार के पास से उनकी बदली दूसरे के पास भी हो जाती है, परन्तु उन्हें अपने स्वामी को कुछ भूमि जोतने की अनुमति मिलती है।]

उन लोगों के ऊपर प्रतिबंध है, यह जरूर है, लेकिन वे अपने मालिक की जमीन पर काश्त करते हैं और इस तरह की सर्विस टेन्योर ३,८०० है। उनके लिये हमने कर दिया है कि वे काश्तकार बेदखल नहीं हो सकते। क़र्ज़ की बात बिलकुल अलग है। काश्त के एवज़ में वे मजदूरी करते हैं और क़र्ज़ के साथ ही साथ जमीन भी पाते हैं। जमीन की सर्विस टेन्योर मान ली गयी है। उनको काश्तकार उस जमीन पर माना जायगा और उनके राइट्स सुरक्षित रहेंगे सिवाय दो साल के लगान की अदम अदायगी की सूरत में।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से यह साफ कर देना चाहता हूं कि यह चीज १२ साल पहिले आई है। आज इस हालत मे काफ़ी अन्तर हो गया है। आज उनकी हालत बहुत बेहतर है। मैंने पहिले भी बतलाया है कि इस तरह के शिड्यूल्ड कास्ट के काश्तकारों की संख्या साढ़े सत्तरह फ़ी सदी है। शायद अब मैं उनको समझाने मे कामयाब हो सका हूंगा। जैसा कि कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि बात बहुत मोटी सी थी, शायद अब समझ में आ गयी होगी।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (घ) की पंक्ति ४ में शब्द "में" के बाद शब्द "या ऋण प्रतिदान-कार्य हेतु, अथवा मौरूसी या गैरमौरूसी काश्तकार से पट्टेदारी में ली हुई" बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३

३--किसी विपरीत विधि के होते हुए भी, कोई भी काश्तकार अपने खाते या उसके किसी भाग से निम्नलिखित में से एक अथवा दोनों आधारों के अतिरिक्त किसी आधार पर बेदखल न किया जायगा, अर्थात्--

(१) कि उस पर दो वर्ष से अधिक का लगान बकाया है, या

(२) कि उसने कोई कार्य किया है जो खाते की भूमि के लिये हानिकर हो।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमान्, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड ३ की प्रथम पंक्ति में शब्द "कोई भी काश्तकार" के स्थान पर शब्द "हर काश्तकार को वही अधिकार होंगे जो यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट, १९३९ के अनुसार दखीलकार काश्तकार (occupancy tenant) को थे, तथा वह" रख दिये जायं।

श्रीमन्, अभी जो पूर्व संशोधन पर बहस हुई उस मेरे कहे जाने के बाद भी जो पट्टे पर काश्त करते हैं उनके बारे में कुछ नहीं कहा गया। सेवा भाव के बारे में तो बहुत सी बातें कही गयीं, लेकिन जो काश्तकारी करते हैं उनकी क्या स्थिति होगी, उनको क्या अधिकार मिलेंगे, उसके बारे में इस विधेयक में कोई बात भी स्पष्ट नहीं है। विशेषतः जब हम देखते हैं कि उसी रिपोर्ट में जिसका कि माननीय मंत्री महोदय बार-बार हवाला देते हैं उसी के पेज १२९ की धारा ८८ और ८९ की तरफ मैं उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

धारा ८८ में यह दिया हुआ है। बिलकुल एक प्रकार से धारा उपधारा वैसी की वैसी ही रखी गयी है, लेकिन जहां आकुपेंसी टिनेंटस् के अधिकार देने का सवाल है उसको नहीं माना गया है। मै आपकी आज्ञा से उसे पढ़ना चाहता हूं। रूल ८८ पेज १२९--

"६४. (1) In all khats other than Haripur Bias of every tenant who has been holding land continuously for a period seven years or more. shall have a right of occupancy in such land, and shall not be ejected except on one or more a the following grond viz-(a) that a decree against him or his predecessor in interest for arrears of rest in respect of that holding remains unsatisfied under the Provisions of Regulation 27 (1); etc. etc."

तो आकूपेंसी टिनेंट्स का राइट जो हम उन्हें दे रहे हैं वह यही कि उनको केवल बेदखली से बचावें। इतना ही हम उनको अधिकार देने जा रहे है। वह कोई अधिकार नहीं है कि कोई एजेक्टमेंट नहीं होगा और वह बराबर सेवा भाव करता रहेगा, गुलामी करता रहेगा, जिस तरह से बर्बर काल में लोग गुलामी करते थे और जिस तरह से अमेरिका में नीग्रोज की स्थिति है उसी को आप बरकरार रखना चाहते हैं। श्रीमन्, इस प्रकार से उनको कोई अधिकार न रहे, यह किस प्रकार से सम्भव है। अधिकार दिया जाना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि उनको बेदखली से बचाना। आखिर उनको बेदखली से आप काहे के लिये रोकना चाहते हैं। जो काश्तकार की परिभाषा है उसमें काश्तकार शब्द ही आया है। यह बड़ा अच्छा शब्द है, इसमे मुझे बड़ी खुशी हुई। जिस तरह से जमींदारी एबालिशन ऐक्ट में काश्तकारों की नयी-नयी परिभाषायें दी हुई है, भूमिधर, सीरदार, आसामी अधिवासी इन सब को न रख कर एक काश्तकार शब्द ही सबके लिये रखा गया है। आपने काश्तकार शब्द का प्रयोग तो किया है, लेकिन जहां पर अधिकार देने का सवाल है आप उनको बेदखली से बचाने का अधिकार देने जा रहे हैं। लेकिन जहां अधिकार देने का सवाल है वहां आप बिलकुल उससे अलग हैं। इसलिये मै समझता हूं कि कमेटी की रिपोर्ट को देखते हुए इसमें कोई खास बात नहीं की गयी है। कल माननीय नेगी जी ने कहा था कि यह अंग्रेजों की बनायी हुई रिपोर्ट है, उस वक्त तो हम लोग जेल चले गये थे। जब अंग्रेजों की बनायी हुई रिपोर्ट के ऊपर आप अमल नहीं कर रहे हैं तो अगर अपने आप की बनायी हुई रिपोर्ट होती तो भगवान ही जाने कि आप क्या करते। मेरा मतलब यही है कि उनको आकुपेंसी टिनेंट का अधिकार दिया जाना चाहिये। मेरे संशोधन का तात्पर्य यही है कि चाहे वे सेवा भाव से काम करते हों, चाहे कर्जदार हों, चाहे पट्टेदार हों, चाहे मौरूसी काश्तकार हों, चाहे गैर-मौरूसी काश्तकार हों, उन सभी को आकुपेंसी राइटस् मिल जायं। हरिपुर पट्टी में आकु-पेंसी टिनेंसी का राइट है। जौनसार बावर में ३९ पट्टियां हैं, जिनमें से एक में तो आकुपेंसी टिनेंसी है, लेकिन बाकी ३८ पट्टियों में नहीं है।

श्री चरण सिंह--नैनीताल में भी ऐसा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--पहाड़ी हिस्से में वही है।

श्री अध्यक्ष--इस तरह से आप आपस में वाद-विवाद नहीं कर सकते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमान्, मैं यह निवेदन कर रहा था कि हमारे माननीय मंत्री जी को कुछ गलतफहमी हो गयी है, वे कहते हैं कि आपके नैनीताल जिले में भी है। मेरा कहना यह है कि वह क़ानन भी तो आपही का बनाया हुआ है। आपको इसकी अच्छी जानकारी है कि नैनीताल और बाबर में जहां वैसी जमीन है वहां उसे लागू किया जाय और बाकी जहां उस क़िस्म की जमीन न हो वहां उसको लागू ही न किया जाय। जौनसार बावर की बिल्कुल एक अलग ही बात है। जौनसार बावर में ३९ पट्टियां हैं, जिनमें से हरिपुर पट्टी में तो आकुपेंसी टिनेंसी है, लेकिन बाकी ३८ मे टेन्योर है।

अगर यह बात सही है तो मैं श्रीमन् आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी अपनी असीम कृपा उनपर क्यों नहीं विस्तारित करते। एक खत्ती

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

को तो आकूपेसी राइट्स दिये गये हैं तो माननीय मंत्री जी यह भी नहीं कह सकते कि आकूपेसी टेनेसी के राइट्स दिये नहीं गये हैं, आपने एक पट्टी को दिया है । आप फाइल मंगवाइये तो आपको मालूम होगा कि कितने काश्तकार हैं जौनसार भावर परगने में जिन्हें टेनेसी के आकूपेसी राइट्स दिये गये हैं । हरिपुर खत्ती में जो एक चौथाई आबादी रहती है उनको मिले और सब को न मिले, यह मैं समझता हूं परस्पर विरोधी बातें हैं और चूंकि हरिपुर खास का कोई जिक्र नहीं है इसलिये मुझे यह भी डर है कि कहीं इस विधेयक के पास हो जाने के बाद हरिपुर खास के लिये भी यह आकूपेसी राइट्स की बात खत्म न हो जाय । धारा ९ के अन्दर सिर्फ एक ही रेगूलेशन वेलिडेट हुआ है, तो हरिपुर खास में जहां पर आप आकूपेसी राइट्स दे चुके हैं उन्हीं अधिकारों को दूसरों के लिये आप क्यों नहीं सुरक्षित रखना चाहते । क्या यह इसलिये कि यह संशोधन अपोजिशन की तरफ से आया है या इसलिये कि मैंने पेश कर दिया है, वह स्वीकार नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा भी नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूं कि मंत्री जी का हृदय बहुत विशाल है और वह कह भी चुके हैं कि अगर कोई अच्छा सुझाव हुआ तो वह मानने को तैयार हैं । मैं इस बात के लिये अपनी कमजोरी महसूस करता हूं कि इससे अच्छा सुझाव मैं नहीं दे सकता और मैं समझता हूं कि शायद इससे बेहतर सुझाव उनके दल के भी सदस्य नहीं दे सकते । इससे बेहतर सुझाव कोई हो नहीं सकता और मैं कोई फूलवर टंगेड ओरेटर नहीं हूं तो फूलों को उनके ऊपर बिखेर दूं और माननीय मंत्री जी प्रसन्न हो जायं और मेरे संशोधन को स्वीकार कर लें । मैंने तो एक रूखी-सूखी बात कही है और मुझे आशा है कि वह मेरी रूखी-सूखी बात को स्वीकार कर लेंगे और इस संशोधन को स्वीकार करेंगे ।

श्री चरण सिंह--मुझे अफसोस है कि मुझे फिर तिवारी जी को निराश करना पड़ेगा । यह संशोधन मैं इसलिये नहीं मंजूर कर रहा हूं कि मंशा इस विधेयक का केवल यह है कि बेदखली रोक दी जाय और फिर इसका मंशा यह है कि बहुत जल्द वहां पर जमींदारी अबालीशन ऐक्ट लागू कर दिया जायगा, तो फिर वे लोग हेरीडिटरी या आकूपैसी टेनेंसी के राइट्स क्या होंगे, यह करार देना बिलकुल बेकार है । तो उसका मंशा यह नहीं है कि आकूपैसी टेनैंसी रखी जाय या क्या रखी जाय उसका मंशा केवल यही है कि वह बेदखल न हों । बहुत जल्द जमींदारी अबालीशन ऐक्ट चाहे उसके ऐडाप्टेशन के जरिये से और जरूरत हुई तो छोटा सा बिल लाकर लागू करना चाहते हैं । तो फिर जरूरत क्या है कि मुस्तकिल इंतिजाम करें कि किस तरह के काश्त-कार हों या न हों । मेरे माननीय मित्र ने जो रिपोर्ट पढ़ कर सुनाई वह सन् १९४२ की थी, जब जमींदारी अबालीशन ऐक्ट का कंटेम्प्लेशन नहीं हुआ था, इसलिये तब यह कैसे हो सकता था कि आकूपैसी टेनेंट करार दिया जाय । तो उसकी कोई जरूरत नहीं है और फिर जो आपने फरमाया कि ऐसा हमने यहीं देखा है कि जौनसार बावर में किसी इलाके में कुछ है और किसी इलाके में कुछ । तो जहां आप जिस जिले के रहनेवाले हैं वहां भी यही है । जब मैंने यह कहा तो आप उलट पड़े कि वह कानून भी आपका ही बनाया हुआ है । तो कानून तो गवर्नमेन्ट का बनाया हुआ है ही, चाहे इस गवर्नमेन्ट ने बनाया हो और चाहे इससे पहले की गवर्नमेन्ट का । लेकिन आपके यहां ही ऐसा है कि कुछ इलाके ऐसे हैं जिनमें जमींदारी अबालीशन ऐक्ट लागू है और किसी इलाके में लागू नहीं है । जहां मैदानी इलाका है वहां जमींदारी अबालीशन ऐक्ट लागू है और जहां पर नहीं है, जहां पर पहाड़ी इलाका है वहां पर यह लागू नहीं है । इसी तरह से यहां जौनसार में भी है । तो यह बात तो सिर्फ जवाब के तौर पर है और यों तो माननीय अध्यक्ष जो मैं कहना चाहता था वह यही है कि यह संशोधन बिलकुल गैरजरूरी है क्योंकि हम वहां से भी बहुत जल्द जमींदारी को खत्म करना चाहते हैं और उस वक्त यह सब चीजें वहां पर लागू हो जायेंगी ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, जौनसार बावर जाने का तो मुझे सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन माननीय मंत्री जौनसार बावर गये हैं, उन्होंने दौरा भी किया है, उनको सरकारी सूचना भी हो सकती है। मुझे यह सुन कर आश्चर्य हुआ जब श्री शांति प्रपन्न शर्मा जी ने यह कहा कि हरीपुर व्यास में है। हरीपुर व्यास पहाड़ में है। इसमें लिखा हुआ है--

"Before concluding this chapter it is desirable to make a brief mention of Khat Haripur-Bias where the Chakrata motor road debouches into the Dun."

[यह वांछनीय है कि इस अध्याय को समाप्त करने के पूर्व खास हरिपुर व्यास का कुछ जिक्र किया जाय, जहां पर कि चकराते वाली मोटर की सड़क घूमकर दून को जाती है।]

तो यह तो पहाड़ी हिस्सा है। यह देश का हिस्सा कहां से बना दिया। वह वैसी ही एक पट्टी है जैसी पहाड़ की और पट्टियां होती हैं। यह रिपोर्ट गलत हो सकती है। मैंने इसी के आधार पर कहा था। यह जौनसार बावर के ३९ खत्तों में एक है। वह भी पांडवों के वंशज बतलाते हैं, वह भी पांडवों के वंशज बतलाते हैं। वहां भी वही रीति, रिवाज है वहां भी वही रीति-रिवाज है। जैसे कि हमारे यहां जिलों के परगने हैं उसी प्रकार से जौनसार बावर का हरिपुर व्यास भी एक हिस्सा है। यह कहना कि चूंकि देश से नजदीक है, इसलिए हमने वहां टेनेंसी ऐक्ट लागू कर दिया। श्रीमन्, मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी अगर इस बयान को न देते तो बहुत अच्छा था, जहां वहां के लोग माननीय मंत्री जी का संदेश सुनेंगे तो उनको बहुत दुख होगा कि हमारी एक ही मोटर रोड है, हमारी एक ही बाजार है, हमारा एक ही हेडक्वार्टर है, एक ही में रीति-रिवाज है, लेकिन इस प्रकार से अलग-अलग व्यवहार किया जा रहा है, यह उचित नहीं है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि जमींदारी ऐक्ट भी वहां लागू करने का इरादा है। तो श्रीमन्, मैं आपके द्वारा उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे लैंड टेन्योर में और इस प्रकार की टेनैंसी में वह जमींदारी ऐक्ट कैसे लागू करेंगे। अगर जमींदारी अबालिशन ऐक्ट लागू करने की बात होती तो इसके पहिले १९३९ का टेनेन्सी ऐक्ट लागू करने में क्या दिक्कत थी। मैंने स्वयं कहा कि अंग्रेज की यह रिपोर्ट है, इसको ही लागू कर दीजिए। उनका कहना है कि यह ४२ की रिपोर्ट है, इसको हम क्या लागू करें? इतना लागू करने में जब दिक्कत पैदा हो रही है तो इसके बाद बढ़ने में कितनी दिक्कत पैदा होगी। मैं यह जानता हूं कि दो महीने के बाद फिर एक विधेयक आ जायगा और उसमें वही देंगे जो मैं आज कह रहा हूं। लेकिन आज मानने में पता नहीं क्या आपत्ति है।

खैर, मैं वापस तो लेता नहीं और फिर कहता हूं कि इस पर विचार करें।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड तीन की प्रथम पंक्ति में शब्द "कोई भी काश्तकार" के स्थान पर शब्द "हर काश्तकार को वही अधिकार होंगे जो यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट, १९३९ के अनुसार दखीलकार काश्तकार (occupancy tenant) को थे, तथा वह" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री बाबूलाल मीतल (जिला आगरा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड ३ की दूसरी पंक्ति में शब्द "दोनों" के स्थान पर शब्द "उससे अधिक" रख दिये जायं।

अध्यक्ष महोदय, जिन शर्तों पर कोई काश्तकार बेदखल हो सकता है वे केवल दो दी हुई हैं, इसलिये कि लिखा हुआ है कि "एक या दोनों"। मेरा निवेदन है कि दोनों नहीं, दो से ज्यादा भी ऐसी हालतें पेश हो सकती हैं जबकि काश्तकार को बेदखल करने का सवाल आये, तो एक या उससे अधिक में दो भी आता है और दो से ज्यादा भी आता है। यहां पर

[श्री बाबूलाल मीतल]

इस प्रकार यदि उससे अधिक रख दिया जाय तो दो से ज्यादा भी अगर होंगी तो भी ठीक रहेगा ।

मेरे विचार से मन्त्री महोदय को यह मेरा छोटा सा संशोधन स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कारण माननीय सदस्य ने बतलाया है उसे देखते हुए यह संशोधन स्वीकार है ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३ की दूसरी पंक्ति में शब्द "दोनों" के स्थान पर शब्द "उससे अधिक" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)--अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरे संशोधन का सम्बन्ध है, केवल वह इतना ही है कि धारा ३ के उपखन्ड (१) में शब्द "दो" के स्थान पर शब्द "तीन" रख दिया जाय। यह संशोधन कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है और इसका कारण भी यह है कि जितने पुराने ऐक्ट थे, जैसे टेनेन्सी ऐक्ट, सन् १९३९, उनमें भी तीन ही साल था और अक्सर यह भी देखने में आया है कि अगर पहिले साल फसल खराब भी हो जाय तो दूसरा साल उसको रिकूप करने के लिये चाहिए। तो तीन साल रहते हुए भी एक साल ऐसा मिल जाता है जिसमें पहिले दो सालों की अदायगी एक काश्तकार कर लेता है । मैं समझता हूं कि राजस्व मन्त्री मेरे इस संशोधन को स्वीकार कर लेंगे।

दूसरी एक बात और यह भी है कि मैंने जो इन संशोधनों की लिस्ट को उठाकर देखा तो इसमें मेरे कई भाइयों ने इसी संशोधन को इसी रूप में पेश किया है । भाई महीलाल जी, श्री श्रीचन्द्र जी और श्री कमला सिंह जी, तीनों माननीय सदस्यों ने दो के स्थान पर तीन ही शब्द रखना उपयुक्त समझा है । तो मैं अधिक न कह कर अपने राजस्व मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस दो के स्थान पर तीन को स्वीकार कर लिया जाय ।

श्री चरण सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि पहिले भी एक सिलसिले में बयान कर चुका था "दो" के बजाय "तीन" करना कुछ उन काश्तकारों के हित में न होगा। मेरे माननीय मित्र ने फरमाया कि पहिले कानूनों में यह था कि पहिले साल की बकाया लगान से ही बेदखली हो सकती थी तो मैं अदालत माल में वकालत तो नहीं करता था, लेकिन जिस जमाने में सन् ३७ या ३८ में वह कानून बना तो मैं मेम्बर था। मुझे मालूम है कि उसमें दो तरह से बेदखली हो सकती थी। एक दरख्वास्त के जरिये और एक नालिश के जरिये। तो नालिश तो एक ही साल के बकाया लगान की होती थी और उसमें बेदखली हो सकती थी। ऐप्लीकेशन में यह होता था कि एक साल की बकाया हो और दरख्वास्त देने के दरमियान में जितनी बकाया हो वह भी शामिल हो जाती थी जिससे दो साल हो जाते थे। नालिश के जरिये जो बेदखली होती थी वह एक साल की बकाया की ही होती थी। यह दूसरी बात थी कि कोई तीन साल तक नालिश न करे। वह तो एक साल की बकाया में ही मुस्तोजिब बेदखल थी। तो तीन साल की बात गलत है ।

लेकिन अगर तीन साल की बात हम सही मान भी लें तो आजकल जितने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के दाम हैं, चौगुने, पचगुने, तीन गुने भी हों, तो तब भी लगान कोई बार नहीं है। तो उसको दो साल तक इन्तजार कराने की क्या जरूरत है । जबकि बकाया हो उसको तभी निबटा दिया जाय तो अच्छा है। देर करने से आदमी को सहारा लगता है और वह दस साल तक भी नहीं दे सकेगा। अगर इसी तरह से टालते रहते हैं तो यह कोई काश्तकार के हित की बात नहीं है । फिर तीन-चार साल करना बेकार है, क्योंकि बहुत जल्द हम

जमीन्दारी अबालिशन ऐक्ट लागू करने जा रहे हैं, तो जमीन्दार भी उससे वसूल करेगा ही। क्या उसे फायदा है कि तीन साल तक उसके ऊपर बोझ हो जाय। कोई वसूल की बात नहीं थी कि उसमें यह कहा जाता और मैं ऐक्सेप्ट न करूं। और चार ही क्यों न हो जाय? वजह यही थी कि उसके ऊपर बोझा रहता। इसलिये मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे माननीय मित्र इसे वापस लेंगे और दूसरे साथी इसको पेश नहीं करेंगे।

(इस समय १ बजकर १७ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और दो २ बजकर १७ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविंद पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री गेन्दा सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय बलवन्त सिंह जी ने जो संशोधन उपस्थित किया है उसका समर्थन करना चाहता हूं। संशोधन बहुत निर्दोष है और मुझे डर इतना ही लगता है कि मैं भी समर्थन कर रहा हूं, कहीं संशोधन मेरे समर्थन करने की वजह से अस्वीकार हो जाय।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--वह तो पहिले ही अस्वीकार हो चुका है।

श्री गेन्दा सिंह--मैं ऐसा सोचता था कि केवल मैं ही समर्थन करने वाला नहीं हूं, बलिक माननीय मौर्य्य जी के साथियों में से कई माननीय सदस्यों ने उसी तरह का संशोधन पेश किया है, तो संभव है कि माननीय बलवन्त सिंह जी को जो उत्तर दिया गया उसके बाद भी सोचने विचारने के बाद कुछ ऐसा मालूम हो कि यह एक बड़ा निर्दोष संशोधन है और इसको स्वीकार कर लिया जाय। मैं बहुत ज्यादा बहस मुबाहिसा की बात न कह करके यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि दो वर्ष के बजाय तीन वर्ष मान लिया जाय कि तीन वर्ष लगातार लगान न अदा करने के बाद ही कोई किसान बेदखल किया जायगा, इससे कोई नुकसान होने का अन्देशा नहीं है। मैं माननीय राजस्व मन्त्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने इस पर जोर दिया है कि वहां का लगान ज्यादा नहीं है। मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस समय मेरे पास जौनसार बावर की इन्क्वायरी रिपोर्ट मौजूद नहीं है, नहीं तो मैं उनकी सेवा में उसका वह अंश पेश करता कि वहां पर लगान बहुत ज्यादा है। वहां सरकारी मालगुजारी बहुत कम है, इसमें कोई सन्देह नहीं, लेकिन जो जमींदार कहलाते हैं वह लोग खेत जोतने वालों से जो वसूल करते हैं वह रकम बहुत ज्यादा है। इस ख्याल से लगान का बोझ किसानों के ऊपर कुछ कम नहीं है। और संभव है कि कभी किसान मुसीबत में आवे (नेचुरल कैलैमिटी) प्राकृतिक आपदाएं या किसी तरह की चीज से तो वैसी हालत में उसको लगान अदा करने में कठिनाई हो सकती है। इन हालतों में मैं समझता हूं कि दो वर्ष के बजाय तीन वर्ष कर दिया जाय तो कोई ऐसी बात नहीं होने वाली है कि जिससे कानून की शक्ल में कुछ बदसूरती आ जाय या कुछ कानून की मन्शा बिगड़ जाय। यह बहुत ही सीधी-साधी बात है जैसा कि माननीय राजस्व मन्त्री जी ने फरमाया कि पिछले जमाने में भी ऐसा था कि एक वर्ष का लगान बकाया रहने पर भी लोग बेदखल किये जा सकते थे, लेकिन मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं उस कानून की तरफ कि उस कानून में इस बात की गुंजाइश थी कि पहले नोटिस हुआ करती थी और उस नोटिस पर यह कहा जाता था कि अगर वह काश्तकार तामील होने के १५ दिन या तीस दिन के भीतर अपना लगान अदा न कर दे या जवाबदेही न करे तो वैसी हालत में वह बेदखल किया जायगा, लेकिन अगर उसने आ करके जवाब देही कर दी तो उसको फिर बकाया लगान के मुकदमें की तरह से ट्रीट किया जाता था और वैसी हालत में फिर समय मिल जाने की गुंजायश थी या और तरह की गुंजायश थी। यह मैं मानता हूं कि कि ऐसी बात थी, लेकिन यह भी मान लिया जाय कि तीन वर्ष का लगान जब बकाया होगा। उसी वक्त बेदखल हो सकेगा। तो मैं नहीं समझता कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो कानून की मन्शा में कुछ खराबी पैदा हो सकती है, बल्कि काश्तकार को थोड़ी राहत हो जाती है, थोड़ी मदद हो जाती है। मैं इतना ही कह कर प्रार्थना करूंगा कि माननीय राजस्व मन्त्री

[श्री गेदा सिंह]

जी से कि दो या तीन वर्ष में कोई ऐसा खास फर्क नहीं पड़ता है। तीन वर्ष वाली बात को वह स्वीकार करले तो अच्छा होगा।

श्री कमला सिंह (जिला गाजीपुर)--उपाध्यक्ष महोदय, श्री बलवन्त सिंह जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है, मैं उसके समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं। जो ऐक्ट इस सदन के सामने है अगर उसको शुरू से आखिर तक पढ़ा जाय तो देखा जायगा कि इस ऐक्ट के जरिये जितने काश्तकार हैं जौनसार बावर में उनको दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो वह धारा ४ के अन्दर आ जाते हैं कि (१) अविवाहिता स्त्री, अवयस्क (माइनर) जिसका पिता मर गया हो, पागल या जड़, ऐसा व्यक्ति जो अन्धेपन या अन्य किसी शारीरिक निर्बलता के कारण खेती करने में अक्षम हो, संघ की स्थल सेना, नौसेना या वायुसेना सम्बन्धी सेवा में व्यक्ति, या तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिये कारावास भोग रहा व्यक्ति, इसके अलावा बकिया जो काश्तकार बचते हैं वह दूसरी श्रेणी में आते हैं।

हमारे माननीय मन्त्री जी ने यह कहा कि दो वर्ष से तीन वर्ष कर दिये जायेंगे तो बड़ा नुकसान हो जायगा। लेकिन अगर देखा जाय और धारा ४ पढ़ी जाय तो उसमें लिखा है कि कोई भी काश्तकार अपने सम्पूर्ण खाते या उसके किसी भाग का तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिये अथवा किसी शिकमी के पास किसी भाग के रहने से तीन वर्ष के भीतर, नहीं उठायेगा, ऐसी हालत में ऐसे भी आदमी इन पट्टे करने वालों में हैं जो तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिये कारावास भोग रहा हो। तो कोई भी व्यक्ति कारावास का दण्ड भोग रहा है वह किसी शिकमी पर किसी को खाता दे दे और वह खाते वाले लगान अदा नहीं करेंगे। ऐसी हालत में वह बेदखल हो जायेगा। क्योंकि दो साल के अन्दर लगान अदा नहीं किया है। ऐसी सूरत में दूसरी किस्म के लोग जो धारा ४ में आते हैं क्या उनके प्रति अन्याय नहीं होगा। साथ ही साथ यह भी देखा जाता है कि इसी विधान सभा से जो ऐक्ट बना है उसमें धारा २८९ है। उसमें दिया हुआ है

"Provided that the period for which any village or any area therein may be so attached, shall not exceed three years from the commencement of the agricultural year next following the date of attachment shall be cancelled if the arrears are sooner liquidated."

ऐसी हालत में एरियर्स आफ रेन्ट के लिये यह जो कानून इस सदन का बनाया हुआ है उसमें यह दिया हुआ है कि किसी की मालगुजारी बाकी हो, वसूल नहीं हुई है तो हम तीन साल तक उसको किसी तरह से अटैच नहीं कर सकते। यह जो कानून है जो थोड़े दिन हुए बनाया गया है उसमें आप तीन साल का मौका देते हैं जिन्हें लगान अदा करना है। लिमिटेशन ऐक्ट जो यू० पी० के हर प्रदेश में, हर जगह लागू है उसमें भी तीन साल की मियाद रखी गयी है। तीन साल का लगान है तो हम वसूल कर सकते हैं। ऐसी हालत में तीन साल की जगह दो साल का रखना उचित नहीं होगा। ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि राजस्व मन्त्री जी खुशी से दो साल की जगह पर तीन साल मान लेंगे।

श्री बलवन्त सिंह--अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरे इस संशोधन का अर्थ है, मैं समझता हूं कि थोड़ा सा इसको समझने में गलतफहमी हो गयी है। मैंने जैसा कि पहिले अर्ज किया था अक्सर ऐसा होता है कि किसान की एक साल की फसल मारी जाती है और अगले साल उसकी ऐसी दशा हो जाती है कि वह अपनी पिछली कमी को पूरा कर ले तो अगर भगवान की कृपा से तीसरे साल उसकी फसल अच्छी हो जाती है तो वह तीसरे साल में पिछले दोनों साल का लगान भी अदा कर देता है। इसलिये तीन साल का रखना ज्यादा मुनासिब होगा।

दूसरे यह भी बात है कि यह जो ऐक्ट बन रहा है वह प्रान्त के ऐसे हिस्सों के लिये है जहां के लोग बिल्कुल अनपढ़ और बिल्कुल अनजान हैं। इससे विधेयक में एक चौथी धारा

रक्खी गयी है उसमें तीन साल की अवधि निर्धारित की गई है । अब एक धारा मे तीन साल और दूसरी मे दो साल का रखना उन लोगों को परेशानी मे डाल देगा । अगर दोनों में तीन साल रक्खे जाते है तो उनको याद रखने मे सहूलियत होगी और देनदारी मे भी सहूलियत होगी । मै यह भी समझता हूं कि दो साल के बजाय तीन साल की अवधि रखने में किसी प्रकार का नुकसान तो होता ही नहीं है । अब यदि यह कहा जाय कि तीन साल के बजाय चार साल क्यों न रखे जायं तो उसकी बाबत यह कह सकता हूं कि इसमे चौथी धारा में तीन साल रक्खे गये है, ये चार साल क्यों न रख दिये गये, ५ साल क्यों न रख दिये गये । मै समझता हूं कि जहां तक मेरे संशोधन का ताल्लुक है मै पुनः राजस्व मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस पर विचार करें और अगर इस संशोधन को मान लिया जाय तो ज्यादा उपयुक्त होगा ।

श्री चरण सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत गौर से माननीय बलवन्त सिंह जी की तकरीर सुनी । उन्होंने फरमाया यह है कि उनके संशोधन के हक मे सबसे बड़ी दलील यह है कि मान लो काश्तकार की फसल एक साल मारी गई तो दूसरे साल वह उसको रिकूप कर ले और तीसरे साल अदा कर दे । लेकिन मान लो परमात्मा की या प्रकृति की कुदृष्टि से दूसरे साल भी मारी गई तो फिर शायद दो साल रिकूप करने मे लग जायें और ३ साल मे अदायगी हो सके । नार्मल चीज यह है कि फसल मारी नहीं जाती है, वह बात बहुत असाधारण है ।

जो नियम साधारण व्यवहार को देखकर बनाये जाते है, किसी असाधारण व्यवहार को देखकर नहीं बनाये जाते है ।

दूसरी बात यह है कि अगर किसी साल फसल मारी गई तो उस साल उस फसल का लगान माफ हो जाता है । तो फिर रिकूप करने का सवाल पैदा नहीं होता है । उसको तो लगान बिल्कुल ही नहीं देना पड़ेगा । मेरी समझ मे नहीं आता कि इस दलील को किस प्रकार वह बारबार यहां पर लाते है । दफा १४८ यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट की है वह यह कहती है कि :

"Except as otherwise provided by this Act, an arrear of rent shall be recoverable by suit, or by notice through the Tahsildar, in accordance with the provisions of this Act."

[सिवाय उस सूरत के जबकि इस ऐक्ट मे किसी दूसरी तरह के आदेश हों, बकाया लगान इस ऐक्ट के आदेशों के मुताबिक बजरिये नालिश या तहसीलदार के मार्फत नोटिस देकर वसूल किया जा सकेगा ।]

६ महीने या साल भर का लगान वह दे सकता है । इससे ज्यादा होने पर वसूलयाबी के लिये बेदखल करना पड़ेगा । तीन साल के लिये कोई कायदा ऐसा नहीं था । कायदा यह था कि ३ साल से जायद वसूल नहीं कर सकता था । ३ साल से कम वसूल कर सकता था । लिमिटेशन ऐक्ट मे भी इसका जिक्र है । लेकिन उसका इससे कोई वास्ता नहीं है । यही दलील कमलासिंह जी ने और गेन्दा सिंह जी ने भी दी है । अगर उसके ऊपर तीन साल का बकाया छोड़ दिया जाय तो यह उसके साथ कोई रियायत नहीं है । अगर ऐसा किया जायगा तो फिर सूद भी उस रुपये का बढ़ता जायगा । जैसे जैसे एरियर बढ़ता जायगा वैसे वैसे सूद भी बढ़ता जायगा । उसको तीन साल का सूद भी देना पड़ेगा । इसका बोझा होने से वह और भी मुश्किल मे फंस जायगा । मेरी इस दलील का जवाब किसी माननीय मित्र ने नहीं दिया कि उससे उसका क्या फायदा हो जायगा । अगर आप इस तरह की दलील देते हैं कि २ से ३ कर दिया जाय तो फिर २ से १ के लिये भी वही बात कही जा सकती है या ३ से ४ क्यों न हो या ५ क्यों न हो, तो यह कोई उसूल की बात नही है । गेन्दा सिंह जी ने कहा कि २ और ३ मे कोई फर्क नहीं है तो फिर २ और १ में भी कोई फर्क नहीं हो सकता है । यह कोई उसूल की बात नहीं हो सकती है । पहले एक साल का था तो उसको २ साल का कर दिया गया । अब आप कहते है कि

[श्री चरण सिंह]

इसको ३ साल का कर दिया जाय तो इसका मतलब यह साफ है कि किसानों के साथ आप इस बात को कहकर अपनी उदारता दिखाना चाहते हैं, लेकिन यह उनके साथ एक ज्यादती हो जायगी। मैं समझता हूं कि इसको स्वीकार करना किसानों के साथ भलाई नहीं होगी।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (१) में शब्द "दो" के स्थान पर शब्द "तीन" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी--श्रीमान् जी, मैं आप की आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (१) के शब्द "है" के उपरान्त शब्द "और तत्सम्बन्धी डिक्री का निष्पादन न हुआ हो" बढ़ा दिये जायं।

श्रीमन्, अभी माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो दो या ३ साल के इस समय के संबंध में भाषण दिया उससे मेरा विश्वास इस संबंध में और भी दृढ़ हो चला है कि डिग्री का निष्पादन करने के बारे में जो संशोधन है वह अवश्य स्वीकार होना चाहिए, क्योंकि जो दावा मंत्री जी करते हैं कि दो साल का लगान न देने पर उसको बेदखल करने का जो प्राविजन है उससे काश्तकार को सहूलियत होती है। वह तभी हो सकती है जब कि उसमें यह भी हो कि दो साल का लगान न देने पर उस पर डिग्री हुई हो और उसके अनुसार काम न किया गया हो और तभी जा कर बेदखली की बात हो तब तो ठीक हो सकता है। यह सुझाव मेरा ही नहीं है, बल्कि जिस रिपोर्ट के आधार पर यह धारा लाई गई है उसमें भी लिखा है। उस में धारा १२६ के ८८ वें रूल में स्पष्ट लिखा है कि

"that a decree against him or his predecessor in interest for arrears of rent in respect of that holding remains unsatisfied under the provisions of Regulation 27 (*h*)."

मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी ने इस रिपोर्ट के अनुसार ही यह रूल रखा है। तो उसमें भी डिक्री की बात स्पष्ट है। मंत्री जी ने जो भाषण दिया उसको देखते हुए यह बात भी आवश्यक हो जाती है। मैं ज्यादा विवाद नहीं करना चाहता क्योंकि ज्यादा विवाद करने से शायद माननीय मंत्री जी शंका करने लगें। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि मंत्री जी इसकी समानान्तर और समकक्षी भावनाओं को देखते हुए इसे स्वीकार करेंगे।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर श्री नारायण-दत्त जी का संशोधन कोई वास्तविक मानी रखता होता तो उसे शायद स्वीकार भी किया जा सकता था, लेकिन उनका संशोधन ऐसा कन्ट्राडिक्टरी और बेमानी है कि अगर इसको स्वीकार किया जाय तो जिस उद्देश्य से यह क्लाज रक्खी गई है उसका कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। क्लाज यह है कि उसपर दो वर्ष से अधिक का लगान बकाया है तो बेदखली की डिक्री उसके खिलाफ होगी। जिसके ऊपर २ साल की बकाया हो जायगी उस के खिलाफ कोर्ट डिक्री देगा। आप कहते हैं कि वह डिग्री निष्पादित न हो, तब तक कोई कार्यवाही न की जाय। शायद उनका आशय यह है कि बकाया की डिग्री हो और अगर उसने रुपया दे दिया तो उसकी बेदखली न हो। बकाया हो और उसकी बाबत बेदखली हो और निष्पादित न हो और बेदखली न हुई हो तो वह रोक दी जाय। बेदखली की डिग्री होगी तो बेदखली की जायगी। अगर उनका संशोधन यह होता कि बकाया लगान की डिग्री में इतने दिन तक लगान अदा करदे तो बेदखली न की जाय। तो एक बात थी। लेकिन यह तो वह चाहते नहीं। यह तो तब होता कि उसको मौक़ा दिया जाय कि वह उसको अदा कर दे।

तो मैं यह कहूंगा कि जिस आशय से माननीय नारायणदत्त जी ने यह संशोधन रखा है वह बिल्कुल पैदा नहीं होता। यह संशोधन स्वीकार करने के क़ाबिल नहीं है। दूसरी बात यह है कि अभी भवन में २ बरस की बक़ाया लगान पर बेदखल होने की बात मानी है तो उसकी वजह से भी यह मौजूदा संशोधन नहीं आ सकता और जिस रूप में यह है, उस रूप में अस्वीकार होने योग्य है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—श्रीमन्, मुझे तो आशा थी कि माननीय सभासचिव जी मेरे अर्थ का अनर्थ नहीं करेंगे, बल्कि इसे समझेंगे और मेरा संशोधन मान लेंगे। लेकिन उन्होंने तो बिल्कुल ही अनर्थ कर डाला। मैं अपने संशोधन के साथ इस धारा को पढ़ना चाहता हूं और वह इस प्रकार होगी :

"किसी विपरीत विधि के होते हुये भी, कोई भी काश्तकार अपने खाते से अथवा उसके किसी भाग से निम्नलिखित में से एक अथवा दोनों आधारों के अतिरिक्त अन्य किसी आधार पर बेदखल न किया जायगा, अर्थात् कि उस पर दो वर्ष से अधिक का लगान बक़ाया है और तत्सम्बन्धी डिक्री का निष्पादन न हुआ हो।"

इसमें उन्होंने शायद तत्सम्बन्धी का अर्थ ठीक नहीं समझा है। यह नहीं होगा कि पहले कोई बेदखली की डिक्री होगी या उसके बाद वह बेदखल नहीं किया जायगा। सवाल यही है कि अगर २ साल बाद उसका लगान बकाया है और ज़मींदार ने नालिश की है और डिक्री होने के बाद बक़ाया का भुगतान नहीं हुआ है तो फिर बेदखली का प्रश्न उठता है। इससे तो आप काश्तकार को और मौक़ा देते हैं कि वह अपने लगान का भुगतान कर दे। माननीय सभा सचिव जी की दलीलें ही मेरे संशोधन की ओर लागू होती हैं। मैं उनको दोहराकर हाउस का समय नहीं लेना चाहता। शायद माननीय मंत्री जी समझे कि रिपोर्ट को मैं गलत पढ़ रहा था लेकिन अब उन्होंने देख लिया है कि उस रिपोर्ट में भी वही बात है जो मैंने पढ़ा है। तो अब या तो वह यह कह दें कि रिपोर्ट में ही ग़लत है या मेरे संशोधन को मान लें। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरी बात को समझ गये हैं और वे बड़े सुन्दर ढंग से अब कहेंगे कि वह इस संशोधन को स्वीकार करते हैं।

श्री चरण सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह संशोधन अनावश्यक है। आपको आशंका यह है कि जहां दो साल का बक़ाया हुआ तो वह बेदखल अज़खुद हो जायगा या बिना डिक्री हासिल किये हुये ज़मींदार उसे बेदख़ल कर देगा।

यही आशंका आपको है। इसलिये आप इसको लाना चाहते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि दो साल की बकाया हो गयी और डिग्री का निष्पादन नहीं हुआ है तो वह बेदखल हो जायगा। जैसे अल्फाज़ बिल में है उसका मतलब ही यही है कि जब दो साल की बकाया होगी तभी वह नालिश करेगा, दरख्वास्त देगा, डिग्री करायेगा इसलिये यह संशोधन बिलकुल गैर जरूरी है। यह बात नहीं है कि दो साल की बकाया हो गयी और बेदखल हो गया।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं कुछ ऐक्सप्लेनेशन चाहता हूं। श्रीमान् जी, जब नालिश होगी तो वह बेदखली की नालिश होगी या लगान की नालिश होगी?

श्री चरण सिंह—लगान की नालिश से मतलब है। लगान की नालिश में यह जरूरी नहीं है कि बेदखली की नालिश वह करे। अतः आपने जो कहा है वह लिखा जाना जरूरी नहीं है और विधेयक में जो अल्फाज़ है उनमें आपको कोई आशंका नहीं होनी चाहिये। आप रिपोर्ट को बार बार पेश करते हैं, क्या वह रिपोर्ट बाइबिल है? उन्होंने तो सजेशन दिया था कि इस तरीक़े के रेग्युलेशन बनाये जाने चाहिये लेकिन यह १२ साल पहिले की परिस्थिति है। उसी तरह के अल्फाज भी रक्खे जा सकते हैं। हम तो केवल यह चाहते हैं कि काश्तकार बेदखल न हो ताकि वहां पर भी ज़मींदारी

[श्री चरण सिंह]
अबलीशन ऐक्ट लागू हो सके । आप ऐसी बातें पेश करके हाउस का समय तो क्या अपना भी समय नष्ट करते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (१) के शब्द "है" के उपरान्त शब्द "और तत्सम्बन्धी डिग्री का निष्पादन न हुआ हो" बढ़ा दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री गेंदा सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह संशोधन आपकी आज्ञा से पेश करना चाहता हूं कि खंड ३ के उपखंड (२) के स्थान पर निम्नलिखित नया उपखंड (२) रख दिया जाय ।

"(२) कि उसने लगातार तीन कृषि वर्षों तक भूमि पर खेती नहीं की है ।"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन रखते हुए मुझे फिर डर लग रहा है । मैं यह समझता हूं कि आज के जमाने में सबसे बड़ा कृषि सुधार यही है, जिसके द्वारा अन्न का उत्पादन बढ़ाया जा सके । कानून में इस बात की गुंजाइश की गयी है कि अगर उसका कोई कार्य ऐसा है जो भूमि के लिये हानिकर है तो उसमें संशोधन पेश करते हुए मैंने कहा है कि अगर वह तीन वर्ष तक लगातार खेती नहीं करता तो वैसी हालत में उसे बेदखल करने का अधिकार हो, इसके अतिरिक्त और क्या वह ऐसा कार्य कर सकता है जो खेती के लिये हानिकर हो उसे स्वयं इस बात की चिन्ता है कि खेती की हैसियत में तरक्की हो । इस प्रकार की धारायें पहिले कानूनों में भी रही हैं और इन क़ानूनों का बड़ा दुरुपयोग हुआ है जब कि हमारे यहां जमींदारी प्रथा थी ।

अगर कहीं किसी किसान ने पानी रोकने के ख्याल से बांध लगा लिया तो उस पर मुकद्दमा दायर होता था और मुक़द्दमा दायर होने के बाद फिर उस गरीब किसान को एक बड़े जमींदार का मुक़ाबिला करना होता था । दोनों में मुक़द्दमेबाजी होती थी और जमींदार की तरफ से इन अदालतों में इस बात को साबित करने की कोशिश की जाती थी कि यह जो बांध लगा है, वह सुधार का काम नहीं है । वास्तव में किसान ने सुधार का काम किया था, लेकिन अदालत में उसके लिये यह सिद्ध करना कठिन हो जाता था कि उसने सुधार का काम किया है । उसके लिये सबूत इकट्ठा करना, गवाहों को अदालतों में ले जाना, मुक़द्दमे की पैरवी करना, यह कोई ऐसी हल्की बात नहीं थी कि एक बड़े जमींदार के मुक़ाबिले में एक ग़रीब किसान उसे सुधार का काम साबित कर सके।

पूर्वी जिलों में आमतौर से फूस वाले छप्पर के मकान होते हैं । मुझे याद है कि इसी क़ानून की आड़ लेकर जिन जमीनों में लोगों ने फूस लगाया था, मूंज लगाया था इस प्रकार के सैकड़ों आदमी आज से कुछ वर्ष पहले बेदखल हो गये । तो मैं समझता हूं कि यह बहुत ही अनावश्यक क्लाज है । इसमें व्यर्थ कागज लगाने से कोई लाभ नहीं उठाया जा सकता है । मैं नहीं चाहता कि वे अपनी जमीन के मौरूसी काश्तकार हो जायं और वे अपनी जमीन को खराब करें । एक बात यह जरूर हो सकती है कि वे जमीन के मालिक तो बने रहें, लेकिन उस पर खेती न हो । यह काम हम खराब समझते हैं । यह चीज राष्ट्र के हित में नहीं है, उनके हित में नहीं है या उस इलाक़े के हित में नहीं है । ऐसा हुआ है और आज भी हो रहा है कि खेती तो नहीं करते हैं, लेकिन खेती के मालिक वे बने हुए हैं । यह एक बड़ा भारी अपराध है और इस अपराध को खेती से बेदखल हो जाने के लिये कारण रखना मैं समझता हूं कि ज्यादा मुनासिब होगा और इस पर माननीय राजस्व मंत्री जी विचार करेंगे । लेकिन अगर तीन वर्ष तक कृषि का काम न हो तो उसके बेदखल होने की गुंजायश रखी जाय तो इससे कुछ लाभ हो सकता है । मैं सिर्फ इतना ही कह कर आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जी अगर हमारे दूसरे संशोधनों की तरफ इसकी तकदीर का फैसला न करें तो बड़ी मेहरबानी हो ।

श्री चरण सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस संशोधन के स्वीकार करने में यों तो कोई आपत्ति नहीं थी। उसूलन बात बिलकुल ठीक है कि अगर जमीन खाली रखी जाय तो वह जमीन जब्त हो जानी चाहिये। आपने तो यहां तीन साल रखा है, लेकिन जमींदारी एबालिशन ऐक्ट ने तो सीरदार के लिये दो साल की ही कैद है कि अगर वह दो साल तक जमीन खाली रखे तो उसकी जमीन जब्त होकर गांव समाज के पास पहुंच जायगी। लेकिन मेरा मंशा इस बिल से सिर्फ इतना था कि यह जो बीच का समय है, जब तक कि हम जमींदारी एबालिशन ऐक्ट को लागू नहीं करते, उस समय तक काश्तकारों को बेदखली की बिना न दी जाय और इससे भी ज्यादा यह था कि हमारे पास कोई रेकार्ड्स हो जायं, जिन पर हम आगे लिख पढ़ सकें और जिनकी बिना पर कम्पेनसेशन देना तय हो सके और उसको जैसा भी उचित समझा जाय भूमिधरी, सीरदारी, आसामी या अधिवासी का अधिकार दे दिया जाय न कि एक एलेबोरेट टिनेन्सी ऐक्ट तैयार कराया जाय। यों तो यू० पी० टिनेन्सी ऐक्ट ने इम्प्रूवमेंट, रेलिक्विशन आदि की न मालूम कितनी चीजें हैं। इसमें कहीं यह भी नहीं लिखा हुआ है कि कच्ची कुर्की नहीं होगी जो कि यू० पी० टिनेन्सी ऐक्ट में लिखा हुआ है। इसको हम इतना लम्बा चौड़ा नहीं बनाना चाहते हैं। हम तो सिर्फ दो तीन बातें चाहते हैं कि अगर दो तीन साल तक लगान न मिले तो जमीन इस क़ाबिल न हो जाय कि वह काश्त करने के क़ाबिल ही न रहे। इसी की तरफ हमारा खासतौर से संकेत है। ४,८७६ एकड़ जमीन में जो काश्त होती है उसी के लिये यह है। जो बड़े गांव में जमीन होनी है या बहुत बड़े बड़े गांवों में या दो गांवों में इतनी जमीन होगी, बस इतनी जमीन का मामला है, जिसके लिये मुझे फिर दोहराना पड़ता है कि कोई बड़ा भारी क़ानून बनाने का इरादा नहीं है। इसलिये मैं अपनी मजबूरी जाहिर करता हूं। उसूलन मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं समझता हूं मेरे दृष्टिकोण को समझते हुये गेंदा सिंह इसको वापिस करेंगे।

श्री गेंदा सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फिर मैं अपना दुर्भाग्य समझता हूं और मैं नहीं समझ सका कि माननीय राजस्व मन्त्री क्यों इस पर इतना इसरार करते हैं। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि इस क़ानून को बड़ा पोथा न बनाया जाय और छोटा कर दिया जाय, लेकिन मैंने तो सिर्फ इसमें यह कहा था कि तीन वर्ष तक अगर किसी ने कोई काम नहीं किया है तो वैसी हालत में बेदखली की गुंजायश की जाय। मुझे डर इस बात का है कि शायद माननीय राजस्व मन्त्री का ध्यान दूसरी तरफ था और इसलिये उन्होंने नहीं सुना जो मैंने कहा। उन्होंने कहा कि सिर्फ ४७१ एकड़ जमीन का मामला है, लेकिन बात ऐसी नहीं है। सभी किसान इस क़ानून के शिकार हो सकते हैं। मैं कहता हूं कि इस चीज को इसी तरह से छोड़ देने से काश्तकारों और जमींदारों के बीच में खींचातानी बढ़ेगी। जमींदार चाहेंगे कि जिस तरीक़े से भी हो सके काश्तकारों को परेशान करो। और वह इस क़ानून की शरण लेकर परेशान कर सकेंगे। यह मैं मानता हूं कि सौ दो सौ मुक़दमे हो जाने के बाद जब माननीय राजस्व मन्त्री की जानकारी में यह बात आयेगी तब वह इसके लिये उपाय जरूर करेंगे और काश्तकारों को बचायेंगे, लेकिन तब तक तो परेशान करने के लिये जमींदार इस क़ानून की शरण ले सकते हैं और उसमें काश्तकारों को काफ़ी हद तक परेशान कर सकते हैं जैसे पिछली मरतबे मैंने स्मरण दिलाया था कि फूस रखने पर जमींदारों ने मुक़द्दमे दायर कर दिये, बांस लगाये थे, और बाग लगाये थे और उस पर जमींदारों ने मुक़द्दमे दायर कर दिये और कहा कि इस खेत की हैसियत खराब कर दी गयी और उसको साबित करने में कि हैसियत खराब नहीं की गई है, काश्तकार को काफ़ी परेशान होना पड़ता था। इस दृष्टिकोण को लेकर ही मैं अर्ज कर रहा था कि इस क़ानून की शरण लेकर जमींदारों को आज जो अधिकार वह दे रहे हैं, वह सिर्फ ४७६ एकड़ वालों का नहीं है, बल्कि इससे काफ़ी परेशानी बढ़ जायेगी। यह बात है, बाक़ी उनको अधिकार है जैसा वह चाहेंगे वैसा तो पास होगा ही।

श्री चरण सिंह—मुझको कुछ और कहना नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (२) के स्थान पर निम्निलिखित नया उपखंड (२) रख दिया जाय --

"(२) कि उसने लगातार तीन कृषि वर्षों तक भूमि पर खेती नहीं की है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री बाबूलाल मीतल--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड ३ के उपखंड (२) के शब्द "हो" के बाद का विराम निकाल दिया जाय और निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं :--

"या उस प्रयोजन से असंगत हो जिसके लिये भूमि पट्टे पर दी गई थी, या"

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन बहुत ही निर्दोष है। यह और जितने संशोधन इस प्रस्ताव के इस खंड के संबंध में आये हैं, उन सबका आशय एक है और वह यह कि काश्तकार जिस काम के लिये जमीन को ले, वह काम उस पर करे और उसका दुरुपयोग न करे और यदि वह दुरुपयोग करना चाहे तो उसके ऊपर कौन सी ऐसी रोकथाम हो, जिसके कारण वह न कर पाये। इसी का इलाज मेरे इस संशोधन में है। यदि वह उसी कार्य के लिये जमीन लेता है और उसके अलावा दूसरा कोई काम करता है तो वह दुरुपयोग करता है।

उसके लिये उसे मौका न दिया जाय। इसके लिये यह ढंग है कि अगर जिस कार्य के लिये कोई जमीन ले, उसके अतिरिक्त कोई और काम करे तो उसको बेदखल कर दिया जाय।

मैं समझता हूं कि मेरा यह आशय इतना स्पष्ट है कि मुझे इस के बारे में कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है।

मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इस निर्दोष संशोधन को स्वीकार करेंगे।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--यह संशोधन सिद्धांततः ठीक जान पड़ता है, इसलिये स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (२) के शब्द "हो" के बाद का विराम निकाल दिया जाय और निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं--

"या उस प्रयोजन से असंगत हो जिसके लिये भूमि पट्टे पर दी गयी हो, या"।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री कमला सिंह--उपाध्यक्ष महोदय, मै प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (२) के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय--

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसे कार्य सुधार (improvement) के तरीके पर किये गये हों तो वे हानिकर न समझे जायेंगे।"

इस विधयक की धारा ३ (२) इस प्रकार है कि उसने कोई कार्य किया हो जो खाते की भूमि के लिय हानिकर हो" ऐसी हालत में अगर कोई आदमी कुआं बनान के लिये या मकान बनाने के लिये या किसी तरह का इंप्रूवमेंट जैसा कि टिनेंसी ऐक्ट के अन्दर दिया हुआ है अगर उस काम को करता है तो वह खाते की भूमि के लिये हानिकर होगा, क्योंकि भूमिका वह जो हिस्सा है, वह कुएं या मकान के रूप में बिलकुल अलग हो जाता है तो खाते की भूमि अगर इसमें रहता है तो उस वक्त जरूरी हो जाता है कि वह प्रतिबन्ध जो मैंने पेश किया है वह जोड़ दिया जाय।

इम्प्रूवमेंट क्या चीज है, इसको मैं पढ़ देना चाहता हूं।

(11) "Improvement" means with reference to a holding.

(i) a dwelling house erected on the holding by the tenure holder for his own occupation or any other constructions erected or set up by him on the holding for purposes connected with agriculture, horticulture or animal husbandry which includes pisciculture and poultry farming;

(ii) any work which adds materially to the value of the holding and is consistent with the purposes aforesaid, which, if not executed on the holding, is either executed directly for its benefit or is, after execution, made directly beneficial to it; and, subject to the foregoing provisions of this clause, includes—

(a) the construction of wells, water channels and other works for the supply or distribution of water for the purposes aforesaid,

the construction of works for the drainage of land or for the protection of land from floods or from erosion or other damage by water;

the reclaiming, clearing, enclosing, levelling or terracing of land ;

(d) the erection in the immediate vicinity of the holding otherwise than on the village site, of buildings required for the convenient or profitable use or occupation of the holding;

(e) the construction of tanks or other works for the storage of water for purposes aforesaid

(f) the planting of trees and groves of the holding;

(g) the renewal or reconstruction of any of the foregoing works or such alterations therein or additions thereto, as are not of the nature of mere repairs:

[११—"तरक्की" से मतलब जब वह असामी की जोत के सिलसिले मे हो:

(१) रहन के घर से है जिसको असामी ने जोत पर अपने रहने के लिये बनाया हो, या मवेशियों के बाड़े या गोदाम से है या काश्त के लिये बनाई या खड़ी की हुई किसी और तामीर ने है, जिसे उसने अपनी जोत पर बनाया हो।

(२) किसी काम से है जिससे जोत की हैसियत मे खास बढ़ती हो जाय और जो उसी उद्देश्य के अनुकूल हो जिसके लिये जोत उठाई गयी थी और जो अगर उसी जोत पर न किया गया हो तो या तो वह सीधे सीधे उसके फायदे के लिये किया गया हो या किये जाने के बाद उसे ऐसा बना दिया गया हो कि उससे जोत को सीधे सीधे फायदा पहुंचे और उसमें इस फिकर के उपर्युक्त आदेशों के साथ नीचे लिखी हुई बाते शामिल है:—

(क) कुओं, पानी की नालियों और दूसरे कामों का बनाना, जो खेती के लिये पानी पहुंचाने या बांटने के लिये हों।

(ख) ऐसे कामों का बनाना जो आराजी से पानी के निकास के लिये या आराजी को बाढ़ या कटाव से या और तरह के पानी के नुकसान से बचाने के लिये हों।

(ग) आराजी को फिर से खेती के लायक बनाना, साफ करना, घेरा बनाना, बराबर करना या जमीन के सीढ़ीनुमा तख्ते बनाना।

[श्री कमला सिंह]

(घ) जोत के बिल्कुल नजदीक गांव से अलाहिदा ऐसी इमारतों का बनाना जिनकी ऐनी जोत को आसानी या लाभदायक तरीके पर इस्तमाल करने या उस पर कब्जा रखने के लिये जरूरत पड़े।

(ङ) उपर्युक्त उद्देश्यों के लिये पानी इकट्ठा करने के वास्ते तालाबों और दूसरे तामीरी कामों का बनाना।

(ङ--१) जोत की जमीन पर पेड़ या बाग लगाना।

(च) ऊपर लिखे हुए कामों को फिर से दुरुस्त करना या बनाना या उनमे ऐसी तब्दीलियां करना या उन्हे बढाना जो केवल मरम्मत की किस्म के न हो।]

तो ऐसी हालत में जितनी ये चीजे दी हुई है अगर उनको वैधानिक मान लिया या यह मान लिया कि यह इंप्रूवमेंट हानिकर न होंगे तो ऐसी हालत मे म समझता हूं कि इसका पास होना बहुत जरूरी है और इसके आ जाने से इसका इंटरप्रिटेशन भी कि उसने कोई ऐसा कार्य किया हो जो कि खाते की भूमि के लिये हानिकर न हो यह इंटरप्रिटेशन भी बिल्कुल सही हो जायगा।

अब मुझे उम्मीद है कि हमारे राजस्व मंत्री जी बहुत ही रीजनेबिल इसमे होंगे और वह अवश्य इसको मान लेंगे।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बार नहीं कई बार माननीय राजस्वमंत्री ने इस बात को इस भवन के सामने स्पष्ट कर दिया कि यह विधेयक केवल इसी आशय से प्रस्तुत किया गया है कि वहां के काश्तकार सिक्योर हो जायं, उनकी बेदखलियां जो रही हों, वह रुक जायं और बेदखलियां के जो कारण दिये गये हे उन्हीं कारणो पर हो सके। दो वर्ष का बकाया लगान हो अथवा भूमि के लिये कोई हानिकर बात वह करे तो यह सारी बाते हम करना चाहते है और ये जितनी इंप्रूवमेंट के डेफिनिशन की बाते ह, वह सब जो जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था कानून के अन्तर्गत है, यह सभी यहां लाने की बात फिर उठ खड़ी होती है। फिर कौन सी बात छोड़ दी जायं और कौन सी यहां समावश की जायं, यह सवाल उठता है। जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था कानून के अन्तर्गत तो सभी के लिये कहा जा सकता है कि यह भी आना चाहिये, यह भी आना चाहिये। तो एक ही बार कह दिया गया कि जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था कानून को इस क्षेत्र में भी लागू करने का सरकार का विचार है और जब वह कानून वहां लागू हो जायगा तो बहुत सी बातें अडेप्टेशन के साथ वहां हो जायेंगी और जो तरह तरह की शंकायें खड़ी हो रही हैं उन सबका समाधान हो जायगा। लेकिन इस तरह से इंप्रूवमेंट क्या है और इंप्रूवमेंट की डेफिनिशन भी जोड़ दी जाय और इंप्रूवमेंट और तरह तरह के अधिकार जो काश्तकारो को होना चाहिये कि सीरदार भी हो जायं, भूमिधर भी हो जायं इसका न तो यह स्थान है और न यह सोच कर यह बिल लाया गया है। इसलिये हानिकर शब्द जो है वह पर्याप्त है। कोई भी कार्य जैसे कुवां बनाना है, वह तो हानिकर होता नहीं हालांकि पहाड़ पर और जौनसार बाबर मे मैने देखा, वहां न कुएं है और न होना संभव है, लेकिन फर भी इंप्रूवमेंट की जो चीज कही गयी है, अव्वल तो वहां का इम्प्रूवमेंट भी दूसरी तरह का होगा। मगर उसकी आवश्यकता नहीं है। कोई हानिकर चीज अगर वह करे तो बेदखल हो जाता है। कोई अच्छी तरह से समझ सकता है कि कार्य हानिकर है या नहीं। अगर तरह तरह की बाते रखी जायेंगी तो कोई संभावना इंप्रूवमेंट की नहीं होगी। इसलिये यह स्वीकार करने के योग्य संशोधन नहीं है।

श्री गेंदा सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस संशोधन के अस्वीकार होने पर बड़ा आश्चर्य हुआ कि माननीय राजस्व मंत्री जी बैठे हुये है और हमारे

उपमंत्री जी इसे भी अस्वीकार कर रहे हैं। पहला संशोधन जो मेरा था उसमें तो मैं कुछ समझ न सका, वह अस्वीकार हो गया। खैर, इसमें माननीय कमला सिंह जी का यह कहना है कि आप मेहरबानी करके इतना बढ़ा दीजिये कि हानिकर और इम्प्रूवमेंट की क्या डेफिनिशन होगी और जो सुधार के कार्य हैं उसमें बेदखली न की जाय। मैं कोई कारण नहीं समझता हूं कि जैसा कि माननीय उपमंत्री जी ने फरमाया वह यह कहते हैं कि इसके लिखने से बेकार का बोझ पड़ जायगा और अदालतें काम्पीटेंट हैं वह समझ लेंगे कि क्या हानिकर है और क्या लाभकर है। तो क्या मैं अर्ज करूं कि हम किसलिये यहां बैठे हैं? कौन लाभकर है और कौन हानिकर है? यह समझना हमारा काम है या नहीं? आखिर हमारा भी कुछ काम है, जिसको माननीय उपमंत्री स्वीकार करेंगे। अगर उस कानून में यह लिख दिया जाय तो बेचारे अदालत वालों को निर्णय करने में सुविधा मिलेगी, इसमें कौन सी बात है जो मान लेने से कठिनाई उत्पन्न करती है। यह तो केवल हठ है। चूंकि माननीय कमला सिंह ने कहा है इसलिये नहीं मानेंगे। अब हम क्या कहें? हमको तो वह कहानी याद आती है कि एक आदमी का लड़का डूब रहा था नदी में। उसको यह मालूम था कि अगर हम लड़के को कहेंगे कि तुम पानी में से निकल आओ तो वह डूब जायगा। तो उस समय वहां एक लकड़ी बही चली जा रही था। बाप ने, आप मेरी गुस्ताखी माफ करेंगे, मैं अपोजीशन को वह दर्जा नहीं देना चाहता हूं लेकिन वह कहानी की बात है इसलिये कह देना चाहता हूं।

बाप ने अपने लड़के से यह कहा कि देखो बेटा लकड़ी न पकड़ना। लड़के ने जाकर के लकड़ी पकड़ ली और उसकी जान बच गयी। यह हालत हमारी हो रही है। हम समझते नहीं कि हम क्या कहें। असेम्बली तो वह है नहीं जैसी की बाप ने अपने बेटे को सीख दी कि लकड़ी मत पकड़ो तो उसने लकड़ी पकड़ ली। हमें तो दिन को दिन ही कहना पड़ेगा, हम दिन को रात तो कह नहीं सकते हैं लेकिन जब हम दिन को दिन कहते हैं तो सरकार समझने लगती है कि कोई खतरा जरूर है। तो यह एक बहुत ही निर्दोष संशोधन है और इसमें केवल इतना कहा जा रहा है कि मेहरबानी करके सरकार इतना ही उसमें स्पष्ट कर दे कि सुधार के कार्य जो होंगे उन पर बेदखली नहीं की जायगी। अब सरकार यह फरमाती है कि साहब हम यह कानून बहुत लम्बा-चौड़ा नहीं बनाना चाहते हैं, हम जल्दी से जल्दी जमींदारी समाप्त करना चाहते हैं। जिस तरह से आपने गांवों की जमींदारी समाप्त की उसको देखा। उसके बाद जो शहरों की जमींदारी समाप्त करने का बिल आ रहा है, उसको भी हमने देखा कि उसमें आप कितने कदम आगे गये हैं और कितने कदम पीछे गये हैं। अब आप जौनसार बावर की जमींदारी खत्म करने जा रहे हैं उसको भी हम देखेंगे कि आप कितने कदम आगे जाते हैं और कितने कदम पीछे जाते हैं और वहां के सयाना लोगों से आप वहां के लोगों को छुट्टी दिलाते हैं या नहीं। कितना कम्पेंसेशन देने की आप बात करते हैं। इसके लिये माननीय मंत्री जी की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं कही गयी कि वह बिल कब आयेगा। मैं फिर आप से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे संशोधन जो बिल्कुल निर्दोष हों और जिनसे कोई नुकसान न होने वाला हो, बल्कि उनसे कुछ लाभ हो जाने वाला हो तो उनको मान लिया करें। अगर आपने पहले से यह राय बना लिया है कि अपोजीशन की तरफ से जो कोई बात कही जाय वह चाहे कितनी ही वाजिब हो हम नहीं मानेंगे तो यह ट्रेडीशन, यह परम्परा इस देश के लिये बहुत बुरी होगी। हमारा देश इस परम्परा का कायल नहीं है। हमारा देश उसकी परम्परा का कायल है, जिसकी तपस्या पर और जिसके त्याग और कुर्बानी पर आज हम यहां बैठे हुए हैं। वह तो बार बार इस बात को कहा करता था कि "निन्दक मेरे बसाइये आंगन माड़ो छवाय।" यह उसकी परम्परा थी, परन्तु हम तो निन्दक भी नहीं हैं। हो सकता है कि आपकी बुद्धि हमसे तीव्र हो। आप बहुत अच्छी बातों को सोचते हों, लेकिन कोई ठेका तो आपने नहीं ले लिया है कि सारी अच्छी बात आप

[श्री गेंदा सिंह]

ही सोच सकते हैं, कुछ हम भी सोच सकते हैं। इसीलिये मैंने गांधी जी का नाम ले लिया और उनका वह दोहा पढ़ दिया। मालूम नहीं है कि उससे हमारे माननीय राजस्व मंत्री जी को कुछ कष्ट हो गया या किस बात से कष्ट हुआ, लेकिन मैं कष्ट देना नहीं चाहता। मैं केवल यह चाहता हूं कि ऐसे संशोधन जो आवें, उनको आप मेहरबानी करके मान लिया करें। ऐसा करने से हमारी सरकार की शान नहीं बिगड़ती है, बल्कि हमारी सरकार की जो प्रजातांत्रिक नीति है उसकी शान बढ़ जाती है। फिर मैं आप से अनुरोध करूंगा कि माननीय कमला सिंह जी का जो संशोधन है वह बड़ा निर्दोष है, आपके काम में सहूलियत पहुंचाता है, अदालतों के काम में कोई दिक्कत नहीं खड़ा करता है। इसलिये अगर आप उस पर फिर विचार करें तो बड़ी मेहरबानी आपकी होगी।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आश्चर्य हुआ कि ये निर्दोष कहे जाने वाले संशोधनों के लिये मेरे मित्र श्री गेंदा सिंह जी को बोलना पड़ा और वह भी काफी समय तक। मुझे तो स्वयं इस संशोधन पर बहुत आश्चर्य था कि उसको क्यों रखा गया और किस प्रकार से इसे वैध कह कर पुकारा जा सकता है। बहुत ही स्पष्ट रूप से इस विधेयक की धारा ३ के उपखंड (२) के अनुसार यह है कि "कि उसने कोई कार्य किया है जो खाते की भूमि के लिये हानिकर हो" उसके आगे यह बढ़ाया जाना चाहा जा रहा है। किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसे कार्य सुधार के तरीके पर किये गये हों तो हानिकर न समझे जायेंगे।" हानिकर और सुधार के कार्य यह एक दूसरे के विरोधी शब्द हैं जो हानिकर हैं वह सुधार का कार्य कैसे होगा। इसको मैं नहीं समझ सका।

मैं अपने मित्र श्री गेंदा सिंह जी को स्मरण दिला देना चाहता हूं कि बहुत से न्यायालयों के पुराने निर्णय हैं जिनमें यह निर्णय किया गया है कि जो कार्य हानिकर है वह इंप्रूवमेंट के कार्य नहीं हो सकते और जो इंप्रूवमेंट के कार्य हैं वह हानिकर नहीं हो सकते हैं। श्री गेंदा सिंह जी ने कहा कि पूला लगवाने के कार्य में बेदखल कर दिये गये तो वह मुझ से असहमत हो सकते हैं लेकिन मैं तो इससे सहमत हूं। कोई भी कार्य जिसमें भूमि के हित में हानि उत्पन्न हो सके यानी भूमि का कार्य यह है कि उस पर पैदावार हो तो जो पैदावार में रुकावट डाल सके वह हानिकर कार्य है। जैसे ईंटों के लिये भट्ठा बनवा देना, गड्ढा खोद देना, या कांटे वाले पेड़ लगा देना या सारी जमीन में ऐसे पेड़ लगा देना जिनकी जड़ें लम्बी-लम्बी चली जायें तो यह हानिकर कार्य समझे जाते थे और पुराने निर्णयों के अनुसार यह हानिकर कार्य थे। लेकिन मुझे एक भी निर्णय याद नहीं है जिसमें ऐसा हो। मैं श्री गेंदा सिंह जी का अनुगृहीत होऊंगा यदि वह मुझे बतला सकें कि किसी निर्णय में सुधार के कार्य को हानिकर कार्य कहा गया हो। जैसे उन्होंने कुएं खोदने की बात कही। यद्यपि श्री मौर्य जी ने बताया कि उस इलाके में कुआं खोदना संभव है तो यह बात या आपने ऐसे कार्य किये जिससे भूमि की उत्पत्ति शक्ति में वृद्धि हुई तो किसी भी निर्णय के अनुसार आज तक की तारीख तक मेरे स्मरण में या मेरे ज्ञान में कोई निर्णय नहीं है जिससे कि इनको हानिकर कार्य कहकर किसी को बेदखल किया गया हो। मेरी दृष्टि में इससे अधिक निर्मूल और व्यर्थ का दूसरा कोई संशोधन नहीं हो सकता है जिसका कोई अर्थ न हो और जिसके पीछे एक ऐसी बात हो, मुझे क्षमा किया जाय धृष्टता के लिये यदि मैं कहूं कि यदि यह अधिनियम बनकर किसी न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो और वकीलों के पास जाय तो मुझे क्षमा करें उस शब्द के लिये जो मैं प्रयोग करूंगा। शायद वह इसे हास्य की सामग्री बना लें। इंप्रूवमेंट का कार्य कभी हानिकर नहीं समझा जायगा। मेरे दोस्त ने लड़के की लकड़ी वाला उदाहरण दे दिया। लेकिन इस प्रकार की बातों के कहने

का अवसर प्राप्त नहीं होता है जिससे हम उल्टी बात कहें और आप उसे उल्टी स्वीकार करें। मेरे मित्र अब इसको विचार सकेंगे कि कौन उपयुक्त है और कौन नहीं है।

श्री कमला सिंह--अभी श्री लक्ष्मी रमण जी ने बहुत सी बातें बतलाई हैं और उन्होंने बहुत से पुराने रूलिंग्स का भी ज़िक्र किया है, लेकिन मेरा खयाल है कि हमारे माननीय सदस्य जिस ऐक्ट के बारे में कह रहे हैं या इम्प्रूवमेंट के बारे में कह रहे हैं, कोई ऐसा क़ानून नहीं है जिसमें इम्प्रूवमेंट की डेफिनीशन में यह आया हो। अगर आप ज़मींदारी अबालीशन ऐक्ट को देखें तो उसमें भी डेफिनीशन है। इसके रहने की वजह से कोई गलतफहमी किसी न्यायालय को नहीं हो सकती है। जहां यह मौजूदा क़ानून है जो इस सदन के सामने मौजूद है उसमे डेफिनीशन दी गई है। उसमें इम्प्रूवमेंट की परिभाषा नहीं आयी है। और यही वजह है कि इम्प्रूवमेंट की डेफिनीशन का इस दफा में ले आना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसके न आने से हो सकता है कि वह कुंआं बनवाये, मकान बनवाये। ऐसी हालत में बेदखली के मुक़दमात जारी किये जायं। साथ ही साथ यह भी है जैसा कि हमारे लक्ष्मी रमण आचार्य जी ने बतलाया कि पैदावार में जो हानिकर हो, ऐसे कार्य इसके अन्दर आते हैं तो मैं समझता हूं कि अगर मकान किसी खाते के अन्दर बनवा लिया जाता है तो उससे उपज के लिये हानि हो सकती है। खास कर इम्प्रूवमेंट की डेफिनीशन जब नहीं थी तो हमेशा इस चीज़ पर बेदखलियां हुआ करती थीं। इसलिये ३९ के ऐक्ट में यह ज़रूरी समझा गया कि इम्प्रूवमेंट की डेफिनीशन दी जाय। इस ऐक्ट में यह इम्प्रूवमेंट की डेफिनीशन नहीं दी हुई है इसलिये यह आवश्यक है। साथ ही साथ आप देखगे कि धारा ३ में यह भी दिया हुआ है "कि उसने कोई कार्य किया हो जो खाते की भूमि के लिये हानिकर हो"। अगर कोई खाता दो एकड़ का है और किसी ने दो बिस्वे ज़मीन में मकान बनवा लिया तो वह खाते की भूमि के लिये हानिकर है, वह खाते की भूमि में पैदावार में खराबी पैदा करेगा और जिस दो बिस्वे भूमि पर मकान या कुंआं बना हुआ है, उसमें पैदावार किसी क़िस्म की नहीं हो सकती। अगर कोई बाग़ लगा लेता है तो वह भी हानिकर है। ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि अगर इम्प्रूवमेंट की डेफिनीशन इसमें आई होती तो मैं इस संशोधन को पेश नहीं करता। राजस्व मंत्री जी न यह भी बतलाया है कि ज़मींदारी अबालीशन ऐक्ट आने वाला है और वह भी उस स्थान पर लागू किया जायगा, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि राजस्व मंत्री जी इस चीज़ को, इम्प्रूवमेंट की डेफिनीशन को मानने के लिये तैयार नहीं हैं। क्या माननीय मंत्री जी चाहते हैं कि हजारों लाखों किसानों की बेदखलियां जारी रहें और हजारों किसान जो कि अपनी भूमि को जोत रहे हैं, वे बेदखल किये जायं या अदालत में परेशान किये जाय ? अगर यह भावना है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन अगर यह भावना है कि जो लोग शान्तिमय तरीक़े से अपनी ज़मीनों को जोतते चले आ रहे हैं और जोतते चले जायं तो मैं समझता हूं कि ऐसी हालत में माननीय मंत्री जी को इम्प्रूवमेंट वर्क्स की डेफिनीशन इसमें दे दी जाय। यही मंशा मेरे संशोधन की है। इन बातों के कहने के पश्चात् मैं समझता हूं कि राजस्व मंत्री जी इस बात को अवश्य मान लेंगे ताकि अदालत में उनके दिमाग़ में यह ग़लतफहमी न हो और ज़मींदारों को जिनको बेदखली करन का हक़ है, उनकी बेदखली न कर सकें और किसान परेशान न हों।

श्री चरण सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मेरे भाई श्री लक्ष्मी रमण आचार्य जी ने दरशाया यह परस्पर विरोधी बातें इस क्लाज में हो जायंगी, अगर इसको हम मान लेते हैं। क्लाज इस तरह से है "किसी विपरीत विधि के होते हुए भी, कोई काश्तकार अपने खाते से अथवा उसके किसी भाग से निम्नलिखित में से एक अथवा दोनों आधारों के अतिरिक्त अन्य किसी आधार पर बेदखल न किया जायगा अर्थात् उसने कोई कार्य किया है जो खाते की भूमि के लिय हानिकर हो, इसमें आप इतना और बढ़ा देना चाहते हैं "किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे कार्य सुधार के तरीक़े पर किये गये हों तो वे हानिकर न हों।"

[श्री चरण सिंह]

अब मैं इस लालच को संवरण नहीं कर सकता। गेंदासिंह जी ने यह कहा था कि क्या बुद्धि का ठेका गवर्नमेंट ने ही ले लिया है ? उनका कहना है कि जब वह कोई बात कहते हैं तो उसकी बात रद्द कर दी जाती है क्योंकि वह उनकी तरफ से आती है। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि चूंकि यह बात आपकी तरफ से आयी है इसलिये इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन गेंदासिंह जी इस बात को कई बार कह चुके हैं कि क्योंकि वे पेश कर रहे हैं, इसलिये उनका अन्दाजा है कि उसको स्वीकार नहीं किया जायगा। जिस समय बलवन्त सिंह जी ने अपना संशोधन पेश किया था तो उसी समय मैंने उनको कह दिया था कि मैं इसको मंजूर नहीं कर सकता। आपकी यह भावना क्यों है ? अगर आपका कोई संशोधन स्वीकार नहीं होता है तो उसका कुछ कारण है। देवरिया से गेंदासिंह जी आते हैं और गाजीपुर से कमलासिंह जी आते हैं अगर वे किसी वकील से भी सलाह लेंगे तो उनको यही बतलाया जायगा कि इसमें परस्पर विरोध है। उसको अगर अस्वीकार कर दिया गया तो इसमें किसी का दोष नहीं हो सकता है। मैं आपको बतलाऊं कि मेरे पास निशान लगे हुये हैं कुछ संशोधनों पर जिनको मैंने स्वीकार करने के लिये निशान लगाया है। यह इस बात का सबूत है कि जो सही बात है चाहे वह किसी भी तरफ से हो, उसको स्वीकार किया जाता है। इसमें एक तो नारायण दत्त जी का है और दूसरा कमला सिंह जी का है। लिहाजा यह आक्षेप निराधार है कि इन्साफ नहीं किया जाता। फिर कमला सिंह जी ने कहा कि "इम्प्रूवमेंट" शब्द के डेफिनीशन की जरूरत नहीं है। उसकी जरूरत होगी जैसे कि टेनेन्सी एक्ट में कई क्लाज के अन्दर उसकी डेफिनीशन दी हुई है। अगर आप परिभाषा नहीं देते हैं तो फिर काम नहीं चल सकता है। अगर आप नहीं परिभाषा देते हैं तो फिर अकेले इस प्राविजन से उसको क्या सहारा अदालत में लगेगा। अदालत के लिये यह काफ़ी नहीं है कि इतनी सी बात लिख दी जाय "किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसे कार्य सुधार के तरीक़े पर किये गये हों तो वे हानिकारक न समझें जायंगे" अगर आप सुधार की परिभाषा नहीं देते हैं और अदालत को बुद्धि पर ही छोड़ देते हैं तो फिर मुश्किलात पैदा होंगी। कौन सा कार्य हानिकर है और कौन सुधार का है इसका फैसला करना मुश्किल हो जायगा और अगर आप परिभाषा देते हैं तो फिर वह १०-१२ क्लाज जो टेनेन्सी एक्ट में दिये गये हैं वह इसके अन्दर आयेंगे। लिहाजा गेंदासिंह जी का यह कहना और गांधी जी की दुहाई देना किसी तरह से मुनासिब नहीं मालूम होता है और आपका आक्षेप किसी तरह से सही नहीं है। और अगर आप अब भी इसी बात पर विचार करते हैं तो मैं यह समझता हूं कि आपको गवर्नमेंट की कोई बात सुहाती नहीं है।

रही जमींदारी अबालिशन की बात वह इस बात को देखें कि कितने हम आगे बढ़े हैं। और कितना पीछे हटे हैं। जब गेंदा सिंह जी इस हाउस में बोलते हैं तब तो कोई बात नहीं लेकिन जब वह बाहर बोलते हैं तब मालूम होता है कि वे कितने प्रगतिशील हैं या प्रतिगामी हैं और हम आगे बढ़ते हैं या नहीं, यह तो आप के संशोधनों से ही साबित है। हम ने कहा कि दो साल में खाली होगी आप बावजूद इसके कि ३ साल चाहते हैं और फिर भी आप हमको कहते हैं कि आप आगे नहीं बढ़ते और पीछे ही जाते हैं। इसलिए आपका यह कहना सही नहीं है। कमला सिंह जी का यह कहना कि अगर आप की भावना यह हो कि हजारों-लाखों काश्तकार बेदखल हो जायं, मैं समझता हूं कि यह तो नियत पर फिजूल का हमला है। ऐसा आप समझते नहीं हैं कि हमारी या हमारे किसी भी साथी की इस तरह की भावना है केवल युक्ति के लिए आप ऐसा कह देते हैं। वहां कुल ५,००० काश्तकार हैं तो फिर वहां लाखों और हजारों काश्तकार का सवाल ही क्या है। यह आक्षेप बिलकुल निराधार है कि संशोधन इसलिए स्वीकार नहीं किया जा रहा है कि जिससे हजारों काश्तकार बेदखल हो जांय। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जरूरत से कुछ ज्यादा सदन का समय लिया लेकिन दोनों मेम्बर साहबान ने कुछ एसी बात कही कि जो अच्छी नहीं लगी और इसीलिए मैं जवाब देने के लिए मजबूर

था। इसलिए मैं कहूंगा कि वह इस संशोधन को प्रेस न करें क्योंकि यह खुद ही सेल्फ कन्ट्राडिक्टरी है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (२) के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय —

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसे कार्य सुधार (improvement) के तरीके पर किये गये हों तो वे हानिकर न समझे जायंगे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री बाबूलाल मीतल—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड ३ के उपखंड (२) के बाद निम्नलिखित नया उपखंड (३) रख दिया जाय :—

"(३) कि उसके अपने खाते या उसके किसी भाग को इस अधिनियम के उपबन्धों के विरुद्ध शिकमी पर उठा दिया है।"

उपाध्यक्ष महोदय, इस खंड के बाद खंड ४ में दिया है कि किन हालतों में एक काश्तकार अपनी जमीन को शिकमी काश्तकार को उठा सकता है। उसके बारे में जो भी संशोधन हों, उनमें मतभेद भी हो सकता है। लेकिन यह स्पष्ट है कि सारे ऐक्ट में यह कहीं नहीं दिया है कि जो भी अन्तिम रूप से सदन तय करे कि इतने साल की अवधि तक वह शिकमी को उठा सकता है अगर उससे ज्यादा समय तक के लिये कोई काश्तकार उठा दे। तब उसका क्या इलाज हो। सम्भव है, यह बात किसी वजह से रह गई हो और मेरा संशोधन इसी दिक्कत को दूर करता है। खंड ४ से केवल इतना मालूम होता है कि जो मियाद शिकमी को उठाने की, जिन शर्तों के अन्तर्गत यह सदन तय कर दे उनके अनुसार काश्तकार अपने खाते को शिकमी को उठा सकता है। मेरा सुझाव है कि यदि कोई काश्तकार उसके प्रतिकूल उठा दे तो वह इस कारण बेदखल हो सकेगा। यह एक ऐसी साधारण बात है कि इसमें शायद ही २ राय हो सकें और शायद सदस्यों को इस राय से सहमत होने में कोई दिक्कत न होगी। इन शब्दों के साथ मैं अपने संशोधन को सदन के सम्मुख रखता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से श्री बाबू लाल जी के संशोधन का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इसका विरोध करने की इसलिए आवश्यकता हो गई है क्योंकि काश्तकार की परिभाषा हम पहले ही धारा २ की उपधारा (घ) में स्वीकार कर चुके हैं। वह इस संशोधन को स्वीकार करके लागू ही नहीं होती। यह कुछ समझ में भी नहीं आता विशेषरूप से जबकि धारा ४ में लिखा हुआ है कि कोई भी काश्तकार अपने सम्पूर्ण खाते या उसके किसी भाग को तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिये अथवा किसी शिकमी के पास किसी भाग के रहने से तीन वर्ष के भीतर नहीं उठावेगा। तो हमने काश्तकार को यहां मौरूसी काश्तकार या गैर मौरूसी काश्तकार माना है या ऐसा काश्तकार माना है जो कि सेवा के उपलक्ष्य में काश्तकार हो। तो मौरूसी काश्तकार या गैरमौरूसी काश्तकार अगर शिकमी किसी को बनावेंगे तो उनको बेदखल करने वाला कौन होगा? अगर शिकमी पर किसी ने जमीन को उठाया है तो उसको बेदखल कौन करेगा? कोई वहां ऐसी बड़ी अथारिटी नहीं है। जो मौरूसी और गैर-मौरूसी काश्तकार पर हो। क्या उससे शिकमी कहेगा कि मेरे काश्तकार को बेदखल कर दिया जाय? तो यह संशोधन वास्तविकता के विरुद्ध है। इससे पूर्व माननीय मन्त्री ने पट्टे वाले संशोधन को मान लिया है तो उस पर तो मैं कुछ नहीं कहता; लेकिन जो मैंने एक संशोधन दिया था उसे सरकार ने नहीं माना। यह एक मिसाल है कि जैसे माननीय चरण सिंह जी कह रहे थे कि हमारे संशोधन क्यों नहीं स्वीकार किये जाते हैं। तो यह एक सिलसिले में बात आई जो मैंने कह दी। अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि श्री बाबू लाल जी कोई

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

ऐसी बात न लावें जिससे बेदखली और अधिक हो। वैसे ही इसमें काफी गुंजाइश है। मेरी राय में इस संशोधन को वापस लेना ही ज्यादा श्रेयस्कर होगा।

श्री कमला सिंह--जो संशोधन सदन के सामने आया ह उसे देखा जाय तो धारा ३ में यह दिया हुआ है कि किसी विपरीत विधि के होते हुए भी कोई भी काश्तकार अपने खाते से अथवा उसके किसी भाग से निम्नलिखित में से एक अथवा दोनों आधारों के अतिरिक्त अन्य किसी आधार पर बेदखल न किया जायगा, एक तो यह कि उस पर दो वर्ष से अधिक का लगान बकाया हो और दूसरे यह कि उसने कोई कार्य किया है जो खाते की भूमि के लिये हानिकर हो। तो ऐसी हालत में यह बात कि कौन चीज भूमि के लिये हानिकर है और कौन नहीं ह यह न्यायालयों के ऊपर ही छोड़ दिया गया है। इसके साथ ही अगर इस बिल के उद्देश्य और कारणों को देखा जाय तो उनमें यह साफ दिया हुआ है कि क्षेत्रपति भूमि जोतने वाले किसानों को खातों से स्वच्छंदतापूर्वक बेदखल भी कर रहे थे, इनकी सुरक्षा करना आवश्यक है।

इस ऐक्ट के पीछे जो डेफिनीशन दी हुई है उससे इस ऐक्ट का उद्देश्य यही मालूम होता है कि इसके द्वारा काश्तकारों की रक्षा की जाय, जिससे वे बेदखल न हो सकें। अगर यह संशोधन जैसा कि माननीय सदस्य ने मूव किया है अगर हम मान लेते है तो उद्देश्य और कारणों के विरुद्ध जाता है और उनकी बेदखली की अन्य चीजें भी हो जाती है यानी जो शर्त पहिले लगायी गयी है कि २ बरस का लगान न दिया हो और (२) खेत की भूमि के लिये हानिकर कार्य किया हो, उसके अलावा और कोई चीज से वह बेदखल नहीं होवेगा। अतः यह संशोधन उद्देश्य और कारणों के विपरीत जाता है। ऐसी हालत में मैं इस्तेदुआ करूंगा कि माननीय राजस्व मन्त्री जी इस चीज को न मानें। हमारा एक संशोधन माननीय उपाध्यक्ष के पास है अगर इसके बजाय माननीय राजस्व मन्त्री उसको स्वीकार करने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--उपाध्यक्ष महोदय, संशोधन बिल्कुल स्पष्ट है कि नियमों के उपबन्धों के विरुद्ध अगर कोई जमीन को शिकमी पर उठा दे तो उसको बेदखल कर दिया जायगा। यह तो शिकमी पर उठाने की बात है, नियम के विरुद्ध तो किसी भी काम के करने का लाजिमी नतीजा यही निकलेगा कि बेदखल हो जाय। इस संशोधन का विरोध करते हुए माननीय नारायण दत्त जी ने कहा कि कौन बेदखल करेगा। कमला सिंह जी ने कहा कि यह उद्देश्य और कारणों के विरुद्ध पड़ता है। मैं नहीं समझता कि उद्देश्य और कारणों के विरुद्ध कौन सी बात आई। शिकमी देने को तो जमींदारी अबालिशन बिल में भी नाजायज करार दिया है। नारायण दत्त जी ने कहा कि कौन बेदखल करेगा। तो वहां भी को-शेयरर होते हैं। अगर कोई काश्तकार गलत तरीके से अपनी जमीन को शिकमी पर देगा तो जमीन का मालिक को-शेयरर उसको बेदखल करा देगा। अतः यह संशोधन स्वीकार होने के काबिल है, जरूर स्वीकार होना चाहिए।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमान् जी, मैं पूछना चाहता हूं कि इसमें को-शेयरर कहां से आगया ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जौनसार बावर में जो खेत हैं उनके अपने-अपने जमींदार हैं। वह जमीन्दार की हैसियत से अपनी भूमि के मालिक हैं। जो दूसरे काबिज हैं वही काश्तकार मौरूसी या गैर मौरूसी हो सकते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या जो शिकमी पर उठायेगा तो वह को-शेयरर अपने दूसरे को-शेयरर से बिना पूछे हुए उठा देगा और क्या फिर वह दूसरा को-शेयरर उसको बेदखल करायेगा ?

श्री उपाध्यक्ष--उन्हें प्रश्न का उत्तर देने के लिये मजबूर नहीं किया जा सकता जो कुछ वे कहना चाहते थे कह चुके। वे और कुछ अब कहना नहीं चाहते।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विचार से इस संशोधन के विषय में बहुत विवाद की आवश्यकता नहीं है। जबकि धारा ४ इस विधेयक का अंग है तो फिर धारा ३ की उपधारा ३ इस प्रकार की होनी ही चाहिए। क्योंकि धारा ४ में यह लिखा हुआ है कि इन प्रतिबन्धों के साथ जमीन शिकमी काश्तकार को उठाई जा सकती है। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसका अन्तिम परिणाम यही होना चाहिए कि अगर वह कानून के खिलाफ करता है तो उसको जमीन से अलहदा होना ही चाहिए तो ऐसी दशा में इस सदन के सामने यह रखा गया है कि वह ठीक ही है कि धारा ४ के होते हुए धारा ३ की उपधारा ३ इसी प्रकार की होनी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री बलवन्त सिंह--उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि जो प्रस्ताव भाई बाबू लाल मीतल जी ने रखा है मुझे इसका विरोध करना है और उसका एक खास कारण है। जिस प्रान्त के लिये हम यह कानून बना रहे हैं वहां पर कानून का बड़ा अभाव है। इस बात का निर्णय करना कि कौन असल काश्तकार है और कौन शिकमी काश्तकार है जरा कठिन सी बात है। मैं समझता हूं कि असल और शिकमी की बात पर उत्तर प्रदेश में हमेशा से झगड़ा है और तब भी निर्णय बड़ा कठिन हो जाता है क्योंकि यहां पर इतने दिनों से हमारा कानून लागू हुआ है और कई कानून ऐसे बन रहे हैं। अब ऐसे प्रान्त में जहां कोई कानून हो ही नहीं वहां पर इस किस्म की बातों का निर्णय किया जाय तो मैं समझता हूं कि इसमें काफी खर्च भी हो जायगा और मुकदमेबाजी भी काफी लम्बी हो जायेगी और उन बेचारे काश्तकारों को जिन्हें कानून का पता भी कुछ नहीं है कि कौन असल काश्तकार है और कौन शिकमी काश्तकार है इस तरह से उनका बड़ा भारी अनिष्ट हो जायगा। दूसरी बात इसमें यह रखी गयी है कि तीन वर्ष तक यदि कोई आदमी खेती न करे तो बेदखली की नौबत आयेगी तो मैं पूछता हूं कि कानून तो आप अभी बनाने के लिये जा रहे हैं और उनके जो बहुत से झगड़े हैं उनको खत्म करना चाहते हैं। इस तरह से एक ऐसा कानून हमारे सामने आ जायगा जिससे हम वहां के जमींदारों और उनके अन्दर जो कुप्रथा है उसको खत्म कर देंगे जो कि आज उस प्रान्त में देखी जा रही है। मैं समझता हूं कि इस बात की कोई आवश्यकता नहीं है कि वहां से शिकमी काश्तकारों को बेदखल किया जावे।

दूसरी बात यह है कि कौन असल काश्तकार है और कौन शिकमी काश्तकार है इसको मालूम करना बड़ा ही कठिन है। अभी तक काश्तकार का केवल एक डिफिनीशन दिया हुआ है और उस डिफिनीशन में यह बात साफ तौर से नहीं दी गयी है कि कौन असल काश्तकार है और कौन शिकमी काश्तकार है और बिना इस बात को मालूम किये हुए किसी भी आदमी को बेदखल कर देना बड़ा कठिन है। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि यह देखने और सुनने में आया है कि वहां की व्यवस्था कुछ ऐसी है कि वहां पर कुछ कठिन सी बात चल रही है। कुछ लोग तो अपने सूद के मामले में उन लोगों की जमीन लिये हुए हैं। कोई किसी और प्रकार से जमीन लिये हुए हैं गरज यह कि वहां की व्यवस्था कोई साफ नहीं है [illegible]

[illegible] इस प्रान्त के लिये एक सीधा साधा तरीका जो हमारे माननीय राजस्व मन्त्री जी ने रखा है, वह बहुत ही साफ रखा है कि दो ही तरीके बेदखली के हो सकते हैं। एक तो यह कि वह लगान न दे और दूसरा यह कि वह अपनी जमीन को खेती के लिये इस्तेमाल न करे, उसमें खेती बारी न करे ऐसे ही उसे पड़ी रहने दे तो बेदखल हो जायगा। मैं समझता हूं कि यह तरीका बेदखली का जो इसमें रखा गया है वह बहुत पर्याप्त है। यदि हम चाहते हैं कि वहां मुकदमेबाजी न बढ़े तो मैं समझता हूं कि ऐसा प्रस्ताव जैसा प्रस्ताव माननीय राजस्व मन्त्री जी का है उसे ही मान लेना ठीक होगा। नहीं तो बजाय इसके कि हम उनके लिये

[श्री बलवन्त सिंह]

कोई फायदा कर सकें, वह नुकसान में परिणित हो जायगा। इसलिये मैं श्री बाबू लाल जी मीतल के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और उनसे आशा करता हूं कि इस कानून की मन्शा को देखते हुए और वहां के लोगों की हालत को देखते हुए वे अपनी इस दफा को वापस ले लेंगे।

श्री ब्रज विहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो भाषण इस संशोधन के विरोध में हुए हैं उन्हें बहुत ध्यान से सुना है लेकिन जो लोग इस संशोधन का विरोध कर रहे हैं उनसे मैं सहमत नहीं हूं। मैं इस संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। खंड ४ के रहते हुए कोई कारण नहीं है कि इस उपखंड ३ में यह संशोधन न ला दिया जाय। अगर तीन वर्ष तक कोई अधिकार शिकमी पर देने का आपने दिया है और यदि उसका दुरुपयोग होता है और आप उसके लिये कोई पिनाल्टी नहीं रखते हैं तो फिर उसका अर्थ ही क्या रह जाता है। इसलिये यह आवश्यक है कि यह संशोधन स्वीकृत हो जाय। एक बात जो रह जाती है उसकी तरफ मैं श्रीमान् का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। खंड ३ इस तरह से पढ़ा जाता है --

"किसी विपरीत विधि के होते हुए भी, कोई भी काश्तकार अपने खाते से अथवा उसके किसी भाग से निम्नलिखित में से एक अथवा दोनों आधारों के अतिरिक्त अन्य किसी आधार पर बेदखल न किया जायगा"।

अगर तीन उपखन्ड मान लिया जाता है तो "दोनों" के स्थान पर "तीनों" करना पड़ेगा। कहा जाता है कि यह कर दिया गया है इसलिये इस संशोधन को स्वीकार कर लेना आवश्यक है।

श्री बाबूलाल मीतल--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपने भाई माननीय बलवन्त सिंह जी का भाषण बड़े ध्यान से सुना लेकिन मुझे खेद है कि जो आरोप उन्होंने मेरे तर्क पर लगाये हैं वे अपने ही तर्क पर लगाने चाहिये थे। चौथे खंड में माननीय बलवन्त सिंह जी ने चार संशोधन पेश किये हैं लेकिन उसमें कहीं भी यह शंका नहीं पेश की है कि कौन सा काश्तकार शिकमी है और कौन सा असल है। जो चौथे खंड में है वही तीसरे खंड में है। मुझसे वह इसकी परिभाषा क्यों पूछते हैं। मैंने तो इतनी स्पष्ट बात कही है और वह बहुत साधारण बात है कि अगर आप यह मान लेते हैं कि काश्तकार को अधिकार है कि अपनी जमीन को इतने दिनों तक पट्टे पर उठा सकता है तब यह अनिवार्य है कि जो भी शर्त आप करें अगर उसके विपरीत वह करेगे तो उसका क्या इलाज होना चाहिए। अगर आप यहां उसको न तय करें तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय उसका नतीजा यह होगा कि मुकदमेबाजी बढ़गी और जिन लोगों की भलाई का ध्यान रखते हुए मेरे संशोधन का विरोध किया जा रहा है उनके साथ बड़ा भारी अन्याय हो जायगा और उनकी बरबादी के लिये रास्ता खुला रहेगा। अब माननीय बलवन्त सिंह जी ने कहा है कि शिकमी को अधिकार न दिया जाय। कौन असली है और कौन शिकमी है इसका सवाल इस समय पैदा नहीं होता। जिस काश्तकार को जिस मुद्दत के लिये यह सदन अख्तियार देता है अगर वह उस अधिकार के विपरीत जाता है तब उसके खिलाफ यह दन्ड होना चाहिए कि वह बेदखल कर दिया जाय। केवल यही एक तर्क था जो माननीय बलवन्त सिंह जी ने दिया है और उसक बारे में मुझे इतना ही निवेदन करना है कि जहां तक माननीय नारायण दत्त जी का आक्षप है उसके बारे में मैं इतना ही कह सकता हूं कि मैंने ने तो किसी की आरक्षा के खयाल से कुछ कहा है न मैंन ऐसी बात कही है जो असगत हो। मेरा जो संशोधन है उससे तो काश्तकार की और भी रक्षा होती है। किसी काश्तकार को यदि यह अधिकार है कि इतने साल या उससे कम के लिये वह अपनी जमीन शिकमी को उठा सकता है उस दशा मे यदि वह ज्यादा समय के लिये उठाये तो क्या होगा? अगर यह बात हमारे विधेयक मे स्पष्ट न होगी तो बकार परेशानी होगी।

मैं समझता हूं कि यह संशोधन ऐसा है जिसे इस सदन को अवश्य स्वीकार करना चाहिए। इसके विरोध में जो बातें कही गयी हैं, मेरा निवेदन सुनने के बाद वह निःसार सिद्ध हो जाती है।

श्री चरण सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय बाबू लाल मीतल और माननीय लक्ष्मीरमण आचार्य ने कहा है अगर हम इसमें खंड ४ रखते हैं तो यह संशोधन उसमें आवश्यक हो जाता है।

खंड ४ में मनाही की गयी है कि इस तरह से शिकमी को नहीं उठायी जायेगी। इस तरह से उठायी जायेगी। जब इतना प्रतिबन्ध है तो यह प्राविजन भी होना चाहिए कि जो इसका उल्लंघन करेगा तो उसको यह सजा होगी। तो उस तरह का एक सेंशन होना चाहिए तो वह यों हो सकता है कि जो इस प्राविजन के विपरीत शिकमी को उठायेगा वह बेदखल हो जायेगा। गलती हो गयी कि इसको पहिले से विधेयक में रखा नहीं गया था। मुझे संशोधन स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (२) के बाद निम्नलिखित नया उपखंड (३) रख दिया जाय--

"(३) कि उसके अपने खाते या उसके किसी भाग को इस अधिनियम के उपबन्धों के विरुद्ध शिकमी पर उठा दिया है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३ इस विधेयक का अंश माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नया खन्ड ३--क

श्री गेंदा सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं की खंड ३ के बाद निम्नलिखित नया खंड ३-क बढ़ा दिया जाय।

"३-(क)--किसी विपरीत विधि के होते हुए भी सभी प्रकार की कृषि योग्य भूमि का अपनी जीविका के लिये खेती पर निर्भर रहने वाले व्यक्तियों में निम्नलिखित आधार पर बटवारा कर दिया जायगा--

(१) प्रत्येक व्यक्ति को बराबर भूमि दी जाय।

(२) नये खाते परिवार के हिसाब से बनाये जायं।

(३) हर परिवार को यथासंभव एक चक में भूमि दी जाय।"

उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन इस विचार से हमने रखा है कि देहरादून का जौनसार--बावर इलाका जो है वह जैसा कि हमारे माननीय नवल किशोर जी ने दोपहर से पहले कहा था कि कुछ हमारे देश से अलग भाग समझा जा रहा है या उसकी अवस्था ऐसी है जो कि हमारे प्रदेश में आमतौर मे जो दूसरी जगह अवस्था है उस अवस्था से भिन्न है। यदि मैं भूलता नहीं हूं तो माननीय राजस्व मन्त्री जी का अथवा जिस दल विशेष से उनका संबन्ध है उसका सैद्धांतिक मतभेद भूमि बटवारे से नहीं है। व्यावहारिक कठिनाई अपने सामने वह देखते हैं। इसलिये उस व्यावहारिक कठिनाई को देखते हुए इस प्रदेश में भूमि बटवारे की बात से वह घबराते हैं। जब कभी इस सदन में इसके पहले भूमि बटवारे की बात की चर्चा हुई है उसमें उन्हों ने यह कहा है कि अपने प्रदेश में बटवारे के लिये भूमि का अभाव है और इतनी कमी है और इतनी कम जमीन बटवारे के लिये मिलेगी जिससे कि बटवारे से कोई विशेष लाभ नहीं होने वाला है।

[श्री गेंदा सिंह]

कुछ सीर व् दकाश्त के आंकड़ों को सदन के सामने प्रस्तुत करते हैं और सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान उस तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं कि यह काम तो चक्कर का है और बहुत समय लगेगा और इससे लाभ कम होगा। परन्तु कभी उन्होंने इस बात से इन्कार नहीं किया कि देश में भूमि बटवारे की बात गलत है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--आन प्वाइंट आफ आर्डर। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह संशोधन जो माननीय गेंदा सिंह जी ने उपस्थित किया है वह इस बिल के स्कोप के बाहर है। इस बिल का यह हरगिज़ स्कोप नहीं है कि ज़मीन का बटवारा किया जाय और चकबन्दी की जाय। श्रीमान् जी, यदि आप उद्देश्य और कारणों को देखेंगे तो उसमें लिखा है कि ज़मीनों की जो बेदखलियां की जा रही हैं "इनकी सुरक्षा करना आवश्यक है। अतएव भूमि जोतने वाले किसानों की सुरक्षा के निमित्त भौमिक अधिकारों से सम्बद्ध विधि को स्थित करने तथा इस क्षेत्र के अधिकार अभिलेखों को विनियमित करने के लिये यह विधेयक प्रस्तुत किया जाता है।"

तो बेदखलियों से रक्षा करने का जो सवाल है उसी मक़सद से यह बिल उपस्थित किया जा रहा है। नये सिरे से बटवारा करना या चकबन्दी यह सब इसके स्कोप से बाहर है और इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह असंगत सा संशोधन है और इसे श्रीमान् जी रूल आउट करें।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, माननीय मौर्य जी ने जो समय के बाद प्वाइंट आफ आर्डर उठाया है वह एक आफ़्टर थाट ही कहा जा सकता है क्योंकि कुछ समय के बाद प्वाइंट आफ आर्डर उठाया। उन्होंने उद्देश्य और कारणों का ज़िक्र किया, जो कि इस विधेयक के अंग नहीं हैं। कई बार इस सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय की रूलिंग हो चुकी है कि इन पर तो प्वाइंट आफ आर्डर होना ही अनुचित है और जहां तक शीर्षक, प्रसार और प्रारम्भ का विषय है वह भी इस हाउस में बदला जा सकता है, जो कि बिल के अंग हैं, माननीय अध्यक्ष ने रूलिंग दे दी है कि बिल के स्कोप को बढ़ाया भी जा सकता है और उद्देश्य और कारण तो अंग भी नहीं हैं। इसलिये उनका यह कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है और इर्रेलिवेंट है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि नारायण दत्त जी का यह विरोध है कि यह समय के बाहर है तो मैं यह प्रार्थना करूंगा कि यह विरोध गलत है। अभी इस पर वादविवाद प्रारम्भ ही हुआ है और इसी समय यह प्वाइंट आफ आर्डर उठाया गया।

मैं इसके अतिरिक्त एक दूसरी बात भी सदन के सामने रखूंगा और यह कहूंगा कि यह संशोधन अवैधानिक भी है और उसका कारण यह है कि संशोधन जिस प्रकार से है उसमें यह बात निहित है कि पहले जिन व्यक्तियों के पास भूमि है उनसे भूमि छीनी जाय, छीनने के बाद उसका वितरण हो और वितरण इस प्रकार से हो जैसा उन्होंने इस संशोधन में लिखा है। तो मेरी प्रार्थना यह है कि अनुच्छेद ३६ जो भारतीय संविधान की है उसके अन्तर्गत कोई भूमि छीनी नहीं जा सकती। दुर्भाग्य से मेरे पास संविधान की प्रति अंग्रेज़ी में है। शायद धारा बतलाने में मुझसे गलती हुई है।

हां, अनुच्छेद ३१ मुझ से ज़रा सी गलती हुई। अनुच्छेद ३१ के अनुसार जिसे कि मैं इस सदन के सामने रख देता हूं--

"31. (1) No person shall be deprived of his property save by authority of law.

(2) No property, movable or immovable, including any interest in, or in any company owning, any commercial or industrial undertaking,

shall be taken possession of or acquired for public purposes under any law authorising the taking of such possession or such acquisition, unless the law provides for compensation for the property taken possession of or acquired and either fixes the amount of the compensation, or specifies the principles on which, and the manner in which, the compensation is to be determined and given."

[३१--(१) कोई व्यक्ति विधि के प्राधिकार के बिना अपनी सम्पत्ति से वंचित नहीं किया जायेगा।

(२) कोई स्थावर और जंगम सम्पत्ति, जिसके अन्तर्गत किसी वाणिज्यिक या औद्योगिक उपक्रम में या उसकी स्वामिनी किसी कम्पनी में कोई अंश भी है, ऐसी विधि के अधीन जो ऐसा क़ब्जा या अर्जन करने का प्राधिकार देती है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये क़ब्जाकृत या अर्जित तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि वह विधि कब्जाकृत या अर्जित सम्पत्ति के लिये प्रतिकर का उपबन्ध न करती हो और या तो प्रतिकर की राशि को नियत न कर दे या उन सिद्धान्तों और रीति का उल्लेख न कर दे जिन से प्रतिकर निर्धारित होना है और दिया जाना है।]

तो मेरी प्रार्थना यह थी कि धारा ३१ के अन्तर्गत किसी प्रकार की कोई प्रापर्टी या सम्पत्ति का अपहरण नहीं किया जा सकता और वह केवल तब ली जा सकती है जब कि उसके संबंध में कोई कम्पेंसेशन आदि की व्यवस्था की जाय। इसके लिये मैं ज़मींदारी एबालिशन ऐक्ट और इसके सम्बन्ध में जो ज़मींदारों को कम्पेसेशन दिया गया और उसके पश्चात् उनकी भूमि प्राप्त की गयी, उसका उल्लेख कर देना भी यहां असंगत नहीं समझूंगा। तो मैं सदन के सामने यह रख रहा था कि इस धारा के होते हुये किसी भी प्रकार से जो संशोधन मेरे मित्र श्री गेंदा सिंह जी सदन के सामने उपस्थित कर रहे हैं स्वीकार नहीं किया जा सकता। आज की स्थिति में वह अवैधानिक है क्योंकि उसमें पहले सम्पत्ति लेनी पड़ेगी, उसके बाद उसका वितरण करना पड़ेगा और सम्पत्ति को इस समय तक लिया नहीं जा सकता जब तक कि धारा ३१ संविधान की एक धारा के रूप में बनी हुई है।

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि इस वर्तमान विधेयक का क्षेत्र बहुत सीमित है और यह जो प्रश्न इस वक्त बटवारे वगैरह के उठाये जा रहे हैं वे इसके क्षेत्र के अन्दर नहीं आ सकते। इसलिये मैं समझता हूं कि यह संशोधन नहीं लिया जा सकता है और यह अवैधानिक है।

जो देर के सम्बन्ध में आपत्ति उठाई गयी उसके लिये मैं यह कहूंगा कि अभी बहुत देर नहीं हुई है और यह प्रश्न अभी उठाया गया है। ऐसी दशा में इस संशोधन पर इस वक्त विचार नहीं किया जा सकता।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, मैं आप की आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं कि खंड ३ के उपरान्त निम्नलिखित नया खंड ३-क बढ़ा दिया जाय --

"३-क--(१) किसी भी काश्तकार के विरुद्ध उसके काश्तकार होने के स्वत्व को विधि अथवा दस्तूरुल अमल में लिखी हुई किसी बात के होते हुए भी इसलिए सीमित नहीं किया जा सकेगा कि वह किसी जाति विशेष का सदस्य है अथवा किसी ऋण अथवा सेवा का देनदार है,

(२) कोई काश्तकार विधि के द्वारा निर्धारित लगान को निर्धारित व्यक्ति या क्षेत्रपति को देने पर, ऐसे व्यक्ति या क्षेत्रपति से लिखी हुई रसीद लेने का अधिकारी होगा जिसमें कि उस खाते या क्षेत्र जिसका कि लगान दिया गया हो, लगान देने की तिथि मास व वर्ष आदि का वर्णन स्पष्टतः लिखा होगा।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

(३) किसी विपरीत विधि के रहते हुए भी, कोई ऐसा समझौता (agreement) लेख्य (document) अथवा पत्र (letter) जो किसी काश्तकार के इस धारा द्वारा प्राप्त स्वत्व को सीमित करते हों, निष्प्रभाव माना जायगा।"

श्रीमन्, यह संशोधन जो मैंने यहां पर उपस्थित किया यह नया खंड बढ़ाने की बात कही है यह सभी दृष्टिकोणों को देखते हुये बहुत ही आवश्यक है। इसमें पहली बात तो यह है कि जो हमने काश्तकार की परिभाषा धारा (३) में स्वीकार की है और जैसा कि पारिभाषिक दृष्टिकोण माननीय राजस्व मंत्री जी ने उसका दिया अगर उसको भी हम मान लें और धारा ३ में जो अधिकार हम पहले दे चुके हैं।

(इस समय ४ बजकर १० मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

उनको भी हम स्वीकार कर लें जो हम स्वीकार कर चुके हैं तब भी आवश्यक हो जाता है कि बहुत सी बातें स्पष्ट कर दी जायं। दस्तूरुल अमल में जो जाति के आधार पर या किसी ऋण के आधार पर या सेवा के आधार पर जो क्लाजेज हैं या नियम बने हैं उनके होते हुये किस प्रकार काश्तकार को गुंजायश रहेगी कि उनके ऊपर कोई आरोप न लगाया जाय कि तुम इस जाति के हो या इतना ऋण तुम पर था या परम्परा का ऋण था तो इस बात को स्पष्ट कर देना आवश्यक है। इसलिये मैंने जो अपने संशोधन में खंड (१) रखा है कि किसी काश्तकार के विरुद्ध उसके काश्तकार होने के स्वत्व को विधि तथा दस्तूरुलअमल में लिखी हुई किसी बात के होते हुये भी इसलिये सीमित नहीं किया जायेगा कि वह किसी जाति विशेष का सदस्य है अथवा किसी ऋण अथवा सेवा का देनदार है, "दस्तूरुल अमल" में ऐसी बहुत सी बातें कई जगह लिखी हुई हैं इसलिये उनको देखते हुये इस बात का रखा जाना अत्यंत आवश्यक है।

मैं आपकी आज्ञा से दस्तूरुल अमल में कौन सी ऐसी बातें हैं उनको रख देना चाहता हूं ताकि मैं बतला सकूं कि वह कितनी महत्व की है और दस्तूरुल अमल की इन बातों को इस खंड द्वारा सीमित किया जाना कितना आवश्यक है दो तरह के दस्तूरुल अमल चलते हैं। एक रौस साहब का और दूसरा राबर्टसन साहब का। रौबर्टसन साहब ने करेक्शन में ९८ पृष्ठ पर लिखा हुआ है। यहां पर तो रहन की बात आ गई है। क़र्ज़े की तो हम दिन भर बहस करते रहे हैं लेकिन रहन पर यानी मौरगेज पर कोई बहस नहीं हुई। इसमें आदमी रहन होता है। सेवा रहन से दूसरी चीज है। अगर हम इसको मंजूर नहीं करते हैं तो यह बेचारे ऐसे के ऐसे ही रह जायंगे। दस्तूरुल अमल में लिखा हुआ है कि --,

'A mild form of slavery exists in this pargana. "Kolthas" mortgage themselves to Zamindars and are ever after their slaves, so to speak, till they return the mortgage money. It usually happens that his money is paid by some other Zamindar and the services are then transferred to him."

[इस परगने में एक नम्र प्रकार की दासता विद्यमान है। कोल्टा लोग अपने आपको ज़मींदारों के पास बन्धक रख देते हैं। और तत्पश्चात् वे प्रायः सदा के लिए उनके दास हो जाते है जब तक कि वे बन्धक का रुपया वापस न कर दें। साधारणतः ऐसा होता है कि कोई दूसरा ज़मींदार वह रुपया अदा कर देता है और वह सेवा हस्तांतरित हो कर उसके पास चली जाती है।]

दस्ततूरुल अमल में आदमी का मौरगेज करना भी लिखा हुआ है और देखिये कास्टिज्म के बारे में स्पष्ट लिखा हुआ है कि--

"Besides persons of high caste, there are other people of low caste such as carpenters, bajjies, coolies, blacksmiths, goldsmiths, Chamars, etc, but these attend to their own trades and get pay for the work they each perform. Every Zamindar gives to the blacksmith, bajjie, and

carpenters only four pathas of corn, the Chamar does the work of the master in whose service he is, if he gives him food and clothing, and gives a little land to his family."

[ऊंची जाति के लोगों के अतिरिक्त, बढ़ई, बज्जी, कोली, लोहार, सोनार, और चमार इत्यादि नीची जाति के लोग भी हैं परन्तु यह लोग अपना पेशा करते हैं और इनमे से हर आदमी को अपने काम के लिए वेतन मिलता है। लोहार, बज्जी और बढ़ई को प्रत्येक ज़मींदार केवल चार पाठा अनाज देता है; चमार उस स्वामी का कार्य करता है जिसकी सेवा में वह है यदि ज़मींदार उनको भोजन, वस्त्र तथा उसके परिवार को थोड़ी सी भूमि दे दे।]

और साफ कर दिया गया है कि—

"There are two kinds of cultivators, one *mouroosee* and the other *gair mouroosee* Cultivators are of the Brahmin and Rajput caste and have the power to sell or otherwise dispose of their land. But no Dome, Bajgie, or any such caste can get possession of such land only Brahmins and Rajputs can, and they can only hold it on a *gair mouroosee* tenure."

[दो प्रकार के किसान हैं। एक तो मौरूसी और दूसरे गैर-मौरूसी। किसान लोग ब्राह्मण और राजपूत जाति के हैं और उन्हें भूमि को बेचने की या अन्य प्रकार से उसका निस्तारण करने की शक्ति प्राप्त है। परन्तु किसी डोम, बाजगी या ऐसी जाति के किसी व्यक्ति को ऐसी जमीन पर क़ब्जा नहीं मिल सकता; केवल ब्राह्मण और राजपूत पा सकते हैं और वे भी केवल गैर-मौरूसी क़ब्जा पा सकते हैं।]

श्रीमन्, यह बाइबिल नहीं है, दस्तूरूल अमल है। माननीय मंत्री जी को शिकायत थी कि मैं इसको बाइबिल की तरह से पढ़ता रहता हूं। अब मैं रिपोर्ट पढ़ रहा हूं। यह वहां के लिये अवश्य बाइबिल है। जिन चीजों का सीमित करना आवश्यक है, उनको सीमित करे। सयाना केवल हाई कास्ट का ही होता है।

"The Sayana and zamindars of Khats are of the same caste and parentage but the title of Sayana is hereditary."

[सयाना और ज़मींदार एक ही जाति और गोत्र के होते हैं, परन्तु सयाना की पदवी पैत्रिक है।]

यानी सयाना ऊंची जाति का ही होगा। जो आपने संशोधन किया है, वह क्या होगा? हाईकास्ट का ही सयाना रहेगा।

उनके ठाट कैसे होते हैं। गुड्स का डिवीजन कैसे होता है या जब कोई ज़मीन बिक्री में आ जाती है तो किस प्रकार उसका सेल होता है, क्या वहां का रिवाज होता है।

"Goods are divided in the following manner, viz.: After deducting one thing of each kind and one field for *pitans*, viz rights on account of seniority and half of that field viz. *kanchoo* for the youngest, all the rest are divided equally among them; but if there should be any bought land, viz. by mortgage or sale, or if there is any of their own land mortgaged in another place, that is also divided among them."

[वस्तुओं का वितरण इस प्रकार होता है, प्रत्येक प्रकार की वस्तुओं में से एक वस्तु तथा एक खेत पीटान के लिए अर्थात् वयोवृद्धता के अधिकारों के कारण निकाल कर व कांचू अर्थात् उस खेत का आधा सब से छोटे के लिए निकाल कर शेष वस्तुओं को उन लोगों में बराबर बराबर बांट दी जाती हैं; परन्तु यदि बिक्री अथवा बन्धक द्वारा क्रीत भूमि को या उनकी अपनी भूमि किसी दूसरे स्थान में बन्धक रखी हुई हो तो वह भी उन लोगों में बांट दी जाती है।]

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

इस प्रकार के दकियानूसी सिद्धान्त वहां हैं जो बटवारे में वहां लागू होते हैं। इसके साथ जहां पर क़र्ज़े का सवाल है, वहां पर इंट्रेस्ट का सिस्टम भी बड़ी तारीफ का है। इसमे लिखा हुआ है--

"The following is the custom in this district as regard bargains: There are no written documents taken, every thing is done verbally; if any person knows how to write, he will write it down. If any quarrels arise on this account, it is settled in the following way: If a debtor denies his entire debt, the Sahukar has to swear to it in the name of his deity, but if a debtor denies a part of his debt, and acknowledges a part, the Sahukar gets that portion of the money which the debtor acknowledges, and for the remaining he must make the usual oath."

[सौदा करने के बारे मे इस जिले मे निम्नलिखित रीति है --

कोई लिखे दस्तावेज नहीं लिए जाते, सब काम जबानी होते है, यदि कोई व्यक्ति लिखना जानता है तो वह इसको लिख लेगा। यदि इस बारे मे झगड़ा उठ तो उसका निर्णय इस रीति से होता है--

यदि कोई ऋणी सम्पूर्ण ऋण से इन्कार करे तो साहूकार को अपने देवता के नाम से उस ऋण की शपथ लेनी पड़ती है, परन्तु यदि ऋणी अपने ऋण के किसी भाग से इन्कार करे और किसी भाग को स्वीकार करे तो साहूकार ऋणी के द्वारा स्वीकृत भाग को ले लेता है और बाकी के लिए उसको उसी प्रकार की शपथ लेनी पड़ती है।]

तो इस प्रकार का दस्तूरुल अमल में ये चीज वर्बली होती है। कोई लिखना जानता है तो सहूलियत के लिये लिख लेता है। कोई देखता है वहां महोशे उनकी कसम कर्जे मे खाई जाती है। रेवेन्यु के बारे में रसीदें होना वहां आवश्यक है। यह नियमों में हो सकता है। कल आचार्य जी ने कहा कि इस बारे में नियम बनाये जायंगे लेकिन नियम तभी बनते है जब उनको विधेयक में रखते हैं तब जाकर नियमों में यह बात आ सकती है कि रसीद कौन काटेगा, रसीद का फार्म क्या होगा, कौन रखेगा, सयाना रखेगा, जमींदार रखेगा और एक तीसरा इंटरमीडिएरी होता है, खुर्तबुन, वह रखेगा। यह तीसरा इंटरमीडिएरी सयाने की गाइडेंस में रहता है। इसके बारे में कहा है --

'In many Khats in each of the villages there is an officer of lower task than the Sayana who is called in the language of the district Chuckrotta."

[प्रत्येक गांव में बहुत से खातों मे सयाने से निम्नतर श्रेणी का एक अफसर है, जिसको इस जिले की भाषा मे "चुक्रोटा" कहते है।]

तो यह चुक्रोटा भी रेवेन्यू कलेक्शन के लिये मौजूद है। रसीदे कौन देगा सयाना देगा, जमींदार साहब देंगे यह स्पष्ट होना चाहिये। यह सब नियमों में आयेगा, लेकिन लगान के बारे में दस्तूरुलअमल के बारे मे यह लिखा हुआ है--

"Whereas the revenue is fixed on the general resources of the Zamindars as well as upon the lands actually under cultivations, and not as in the Dun and plains, it is necessary to have knowledge of the capabilities of the people as regards quantity of sheep, goats, plough-cattle, labourers and quantity of land and of its produce, viz. walnut-trees, apricots etc. cabbages, honey. All this is referred to as, on account of the frequent changes or distribution of shares, a frequent change of the revenue is necessary."

[चूंकि मालगुजारी इनकी और मैदानों की रीति से नहीं बल्कि जमींदार के सामान्य आय साधनों पर तथा कृषि के अन्तर्गत आई भूमि पर नियत की जाती है, यह आवश्यक है कि भेड़-बकरियां, हल जोतने वाले पशुओं, भूमि तथा उसकी उपज जैसे अखरोट के पेड़, खुबानी, करमकल्ला, शहद इत्यादि के विषय में जानकारी प्राप्त किया जाय। इस सबका जिक्र यह कह कर किया गया है कि विभिन्न भागों में बार-बार परिवर्तन अथवा विस्तरण होने के कारण मालगुजारी में पुनः पुनः परिवर्तन आवश्यक हो जाता है।]

तो वहां कोई नकद रेवेन्यु का सवाल नहीं है। वहां शहद भी रेवेन्यु है, खुबानी में भी रेवेन्यु है, बादाम में भी है। जहां इस प्रकार की रेवेन्यु है, जो कैश से ज्यादा काइंड में होती है वहां इस प्रकार की रसीदें दी जायं। वहां हर चीज वर्बल होती है। पंचायत सेक्रेटरी जो हो वह लिखना जानता हो, यह नियमों के अन्दर हो जो पंचायत सेक्रेटरी हो वह लगान के दिन सबको रसीदें बांटे।

तब जाकर यह बेदखली का सवाल पैदा होगा, जोकि हम स्वीकार कर चुके हैं और इसी के आधार पर यह बेदखली की धारा उपयुक्त हो सकेगी। आप इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि दो साल का लगान बकाया होने पर उसको बेदखल कर दिया जायगा। तो लगान दे चुका है या लगान बाकी है इसका निर्णय कौन करेगा और किस प्रकार से होगा, जब कि हमारे पास कोई रसीद नहीं है और जबकि लिखित रसीद का प्रबन्ध इस विधेयक में नहीं किया जायगा और तब तक इस स्थिति का सुधार भी नहीं हो सकता है। इसमें और लगान देने का तरीका बतलाया गया है कि वह कैसे दिया जायगा—

"If a Sayana should have to attend Kutchery or the District Officer on his tour, he is entitled to a coolie as a servant and other to carry a load. He also receives one seer of atta from each Zamindar."

[यदि सयाने को कचहरी में जाना पड़े या दौरे पर आये हुये जिले के अफसर के पास जाना पड़े तो उसको एक कुली नौकर के रूप में पाने का अधिकार है और दूसरा कुली बोझ ले चलने के लिये पाने का अधिकार है। उसको प्रत्येक जमींदार से एक सेर आटा भी मिलता है।]

श्री अध्यक्ष—यह आप मालगुजारी का तरीका बतला रहे हैं और इस संशोधन से असंगत है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—यह बहुत लम्बा-चौड़ा लिखा हुआ है, लेकिन मैं थोड़े से का जिक्र कर रहा हूं कि वह लगान किस तरह से काइंड में दिया जाता है। लगान काइंड में दिया जाता है कहीं पर अनाज की शक्ल में, कहीं पर आटे की शक्ल में है, और कहीं पर अलग-अलग किस्म से दिया जाता है। तो इस लगान का स्पष्ट-रूप से निर्धारण होना चाहिये कि जो लगान है वह अनाज की शकल में लिया गया या किसी और शक्ल में लिया गया है। सयाना जिस तरह से लेवे उनको शकल उसके अन्दर होना चाहिये और इसकी बाकायदा रसीद होनी चाहिये और इसको स्पष्ट करना चाहिये।

मेरा तीसरा संशोधन यह है कि "किसी विपरीत विधि के रहते हुए भी कोई ऐसा समझौता, लेख्य अथवा पत्र जो किसी काश्तकार के इस धारा द्वारा प्राप्त स्वत्व को सीमित करते हों निष्प्रभाव माना जायगा" यह क्योंकि आवश्यक है इसको विधि के अन्दर केवल एक जगह पर विधेयक में बतलाया गया है, बाकी जगह नहीं बतलाया गया है। विधि का जो अर्थ था वह धारा २ "ग" में स्पष्ट किया गया है। जबकि agreement, document और letter कहीं पर विधेयक के खिलाफ जाते हैं तो वहां पर इनको इनवैलिडेट करार दिया जाय। अपने अधिकार के लिये लड़ने

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

के लिये उनको मुकद्दमा लड़ने का मौका होगा और अगर आप इनको इनवैलिडेटेड कर देंगे तो फिर लीगल कठिनाई नहीं होगी और सयाना ... .

श्री चरण सिंह—मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता था कि रसीद क्यों दी जाय, यह आप फरमा रहे हैं और इसी बात को कई बार दोहरा चुके हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं अपने तीसरे खंड की बात कर रहा हूं, जो मैंने पेश किया है। अगर इन प्रयोजनों के लिये नाजायज करार दे देंगे, तो लिटिगेशन कम होगा और तब काश्तकारों के अधिकार का जो मसला है, उनके विरोध में अदालत में फैसला नहीं दिया जायगा। मान लीजिए कि एक जमींदार का कोई कोलटा है और उस जमींदार का कर्ज उस कोलटे पर है और उस जमींदार का जो कर्जा है वह अगर कोई दूसरा जमींदार अदा कर देता है तो वह कोलटा भी उसका हो जाता है। तो इस बीच में जो मार्टगेज डीड होगा, उसका क्या होगा ? इस बिल में ऐसी बात कहीं नहीं है, इसलिये इस धारा का रखना आवश्यक है, क्योंकि इससे वहां के काश्तकारों को सहूलियत होगी और जो अधिकार सरकार दे रही है इससे उन्हीं की पूर्ति होगी। मैं कोई अधिक समय हाउस का नहीं लेना चाहता था, लेकिन चूंकि दस्तूरुलअमल की बात थी, इसलिये उसको बतलाने की आवश्यकता थी और भी अभी कुछ बातें थीं, जिनको आप कहें तो बतला दूं।

श्री अध्यक्ष—आप केवल इशारा उनके सम्बन्ध का दे दीजिए।

श्री नारायणदत्त तिवारी—वहां का दस्तूरुलअमल ऐसा है कि संसार में न मालूम किस तरह से वह अमल में लाया जाता था। मैं आखिर में इतना ही कहूंगा कि यह तीनों प्राविजन बहुत जरूरी हैं।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री नारायण दत्त जी ने जो अपना नया खंड बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है, मैं उसका विरोध करता हूं। श्री नारायण दत्त जी ने दस्तूरुलअमल को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा और यह स्वाभाविक ही है कि उसको पढ़कर उनका चित्त बहुत खिन्न हुआ और वह इस नतीजे पर पहुंचे कि यहां के रहने वालों पर बहुत अन्याय हो रहा है। लेकिन मेरे विचार में जो बिल यहां है इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो इस दस्तूरुलअमल की खराबियों को हमारे सामने रखे, बल्कि यह विधेयक तो उन तमाम खराबियों को दूर करता है। माननीय मंत्री महोदय ने कल शाम यह कहा था कि वहां की स्थिति अवश्य ही सोचनीय है और वहां की दशा बहुत खराब है, उसको सुधारने के लिये यह बिल लाया गया है। नारायण दत्त जी अगर यह समझते हैं कि दस्तूरुलअमल को बार-बार पढ़ कर हमारे सामने और सदन के सामने वहां का नग्न चित्र खींचें तो ठीक है, लेकिन जो बातें उन्होंने यहां रखी हैं, मैं समझता हूं कि उनकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि जो मूल खंड ३ है उसमें कहीं यह नहीं लिखा है कि जो ब्राह्मण नहीं है या शूद्र है या किस जाति का है, तो उस पर उस जाति का होने के नाते यह बिल किसी प्रकार की रुकावट डालता है। यह विधेयक स्पष्टरूप से कहता है कि जो आदमी काश्त कर रहा है उसको बेदखल न किया जाय। वह चाहे ब्राह्मण हो या किसी जाति का हो उससे किसी प्रकार का जातिभेद न रखा जाय। अगर वह ऐसा समझते हैं कि इसको स्पष्ट करने की जरूरत है और जो लोग दलित जाति के हैं उनकी रक्षा की जाय, तो मेरा निवेदन है कि खंड ३ में इसका अच्छी तरह से स्पष्टीकरण है और यह जो उन्होंने खंड (क) का पहला भाग यहां रखा है, वह बिल्कुल अनावश्यक है। इस तरह की कोई रसीद का भी सवाल नहीं पैदा होता। जो रुपया देता है उसको रसीद लेने का अधिकार है। अगर वह यह कहते हैं कि जो क्षेत्रपाल है या लैन्ड होल्डर है उसके लिये लाजिम हो जायगा कि वह काउन्टरफ़ायल रखे या रजिस्टर रखे तो

दूसरी बात थी। यहां तो यह कहा जाता है कि उसको रसीद पाने का अधिकार होगा। कोई भी आदमी जो रुपया देता है वह यह कह सकता है कि रसीद दो।

तीसरा उनका जो प्रस्ताव है वह यह कहता है कि कोई भी इस प्रकार का समझौता कानूनन जायज न होगा जो बिल की धाराओं के विपरीत हो। कानून का मूल सिद्धांत है कि कानून के बाहर कोई अपने आपको कंट्राक्ट नहीं कर सकता। जहां-तक जातिपांति का सवाल है, उससे किसी प्रकार से इसमें कई रोक-थाम नहीं है। यदि कोई इस तरह का समझौता करता भी है तो उसका न्याय की या कानून की दृष्टि में कोई महत्व नहीं है। यह मैं मानता हूं कि इस प्रस्ताव में जो भाव हैं वे बहुत सुन्दर हैं, इससे तो किसी को विरोध नहीं हो सकता। लेकिन साथ ही यह संशोधन बिल्कुल अनावश्यक है। विधेयक में ये सब बातें आगयी हैं और इन्हीं बातों को रोकने के लिये यह विधेयक रखा गया है। जो चीजे अभी पढ़ी गयी हैं उनका इस विधेयक पर कोई असर नहीं है। और माननीय मंत्री जी ने जो अभी कहा कि बार बार इनके पढ़ने से और दोहराने से कोई विशेष लाभ नहीं है वह मेरी राय में उन्होंने बिल्कुल सही कहा। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री चरण सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे भी यह संशोधन स्वीकार नहीं है। माननीय काटजू साहब ने जो कुछ कहा है, मैं उससे अक्षरशः सहमत हूं। हमारे विधेयक में किसी बिरादरी विशेष का जिक्र नहीं है। जो भी काश्तकार, बिला लिहाज किसी जाति-पांति के मौरूसी हैं, गैरमौरूसी हैं, चाहे सेवा के उपलक्ष में उसकी जमीन है, उसकी रक्षा के लिये यह विधेयक लाया गया है और चाहे उसका कोई भी जमींदार हो। जैसा काटजू साहब ने संकेत किया, हमारे संविधान के अनुसार भी कोई किसी बिरादरी के लिये किसी किस्म का प्रतिबन्ध नहीं हो सकता है। जमीन रखने के सिलसिले में या व्यापार करने के या किसी और अपने राइट को एक्सरसाइज करने के सिलसिले में कोई भी फर्क नहीं किया जा सकता है। वह कस्टमरी ला जो १०१ बरस पुराना है, वह अब यहां धीरे धीरे अदालतों के उदार अर्थ लगाने से और जमाने के दौर का भी असर पड़ने से बेकार हो गया है और अब कानूनन उसकी कोई शक्ल नहीं है। अगर कुछ थी भी तो हमारे संविधान ने खत्म कर दी है और यह विधेयक रही सही को, यदि कुछ हो तो, खत्म करने जा रहा है। जिस रिपोर्ट को नारायणदत्त जी ने पढ़ा वह १० साल पुरानी है और इस बीच में संख्या २६ हजार से ३६ हजार हो गयी है और कोल्टा लोगों के पास १७/१।२ फीसदी जमीन पहुंच गयी है। आपने कहा कि साहेब, सुबह से कर्जे का जिक्र हुआ लेकिन मार्टगेज का नहीं हुआ। मानो मार्टगेज कर्जा नहीं होता है। मुझे तिवारी जी माफ करेंगे, मेरा काम और इस सदन का काम बहुत हलका हो जाता यदि श्री तिवारी जी कुछ वर्ष प्रैक्टिस कर लेते। वह जान जाते कि मार्टगेज भी कर्जा ही होता है। जो उन्होंने प ा है उससे इस विधेयक का या संशोधन का कोई संबंध नहीं है। यह इमानदारी की बात है कि बाप ने यदि कर्ज लिया है तो बेटा उसे चुकाये। इस रिपोर्ट में कई जगह लिखा है कि यह माना कि एक तरह का सर्फ है, लेकिन इस विधेयक पर इसका कोई खास असर नहीं है कि यह संशोधन माना जाय। खैर इन बातों को जाने दीजिए क्योंकि ये सब गैरमुताल्लिक हैं। जो संशोधन रखा गया है, वह बिल्कुल अनावश्यक है। आप बराबर यह कहते हैं कि साहब, वहां लोग अशिक्षित हैं। आप बराबर यह कहते हैं कि लोग अशिक्षित हैं, शिक्षित नहीं हैं। अगर ऐसी बात है, जो कि अब नहीं है तो आप १० साल पुरानी बात कहते हैं। इस बीच में प्रत्येक खत में एक प्राइमरी स्कूल खोल दिया गया है और लोग काफी तादाद में शिक्षित हो गये हैं। मैं आपकी दलील ही माने लेता हूं कि वहां बिल्कुल शिक्षा नहीं है। तो फिर रसीद कौन लिखेगा। फिर रसीद की शर्त होगी कि काउन्टर फाइल हो और अगर रसीद न दी

[श्री चरण सिंह]

जायगी तो जुर्माना होगा। अगर किसी के पास रसीद नहीं तो चाहे उसने रुपया दिया है या नहीं दिया कयास यही किया जायगा कि अगर उसके पास रसीद नहीं है तो उसने रुपया नहीं दिया। आज वहां ऐसी हालत है कि कोल्टा ने रुपया दे दिया है और उसको रसीद नहीं दी है तो भी जमींदार उस पर नालिश नहीं करता है। अगर वहाँ का कोल्टा ईमानदार है तो वहां का जमींदार भी ईमानदार है। मेरे पास जुलाई के आंकड़े हैं। इस मास में केवल ३ नालिशें हुई हैं बकाया लगान की। इसलिये आप रसीद की पाबन्दी लगाकर उनका भला नहीं करेंगे बल्कि इससे उनकी हानि ही होगी। इसलिये अध्यक्ष महोदय मैं इसे स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमान, राजस्व मंत्री जी ने जो मुझे उत्तर दिया उसको मैंने बड़े ध्यानपूर्वक सुना। आप मेरी किताब को देख कर क्यों चौंकते हैं। जब कि मेरे हाथ में किताब है, तब तो आपको यह शंका होती है कि मैंने प्रैक्टिस नहीं की फिर न जाने और क्या शंका होने लगेगी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय काटजू साहब और माननीय राजस्व मंत्री जी ने विधान के बारे में कहा कि अब तो विधान बन गया है इसलिये वहां जाति भेद का कोई सवाल ही नहीं है और फिर आगे कहा कि कि मौजूदा सवाल विधेयक में उठाया ही नहीं गया। लेकिन श्रीमन्, मैं यह निवेदन करूं कि दस्तूरुलअमल वहां अभी लागू है और जातिवाद का वहां अभी इतना बड़ा उदाहरण मौजूद है कि इतना कहीं मिल ही नहीं सकता। जातिवाद वहां बर्बरता के साथ लागू है।

श्री चरण सिंह---६६०० एकड़ जमीन कोल्टाओं के पास फिर कैसे पहुंच गयी?

श्री नारायण दत्त तिवारी---इस रिपोर्ट में केवल एक हजार का जिक्र आया है, लेकिन वे अगर कहते हैं कि ६ हजार है तो उनके पास तो अनेक साधन हैं मुझे तो इसकी कोई सूचना नहीं है। मेरे पास ऐसे कोई कागजात नहीं हैं। वे यदि यह कहते हैं कि ६ हजार एकड़ है तो मैं इसको भी गलत नहीं कहता लेकिन यह जरूर कहूंगा कि विधान के रहते हुए भी वहां पर दस्तूरुलअमल लागू है। अगर विधान के अनुसार उसे नहीं होना चाहिये तो फिर आप यह क्यों नहीं कहते कि दस्तूरुलअमल विधान के पश्चात् समाप्त हो गया। इस विधेयक में भी आपने दस्तूरुलअमल का जिक्र किया है। धारा २ की उपधारा (घ) में आपने स्वयं यह लिखा है--

"काश्तकार" के अन्तर्गत जौनसार बावर के दस्तूरुलअमल में माने गये मौरूसी काश्तकार या गैर मौरूसी काश्तकार हैं अथवा ऐसा काश्तकार जिसके पास भूमि सेवा क उपलक्ष में हो"

दस्तूरुलअमल को आपने इस विधेयक में स्वयं माना है और उसका जिक्र इसमें किया है। हां है, दस्तूरेअमल का नाम है, जिसके बारे में मैंने कहा कि उसमें स्पष्टरूप से ब्राह्मण राजपूत का नाम तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन उसकी जो परिभाषा है उसको पढ़ने से सारी बातें साफ हो गयीं। अगर माननीय मंत्री जी दस्तूरेअमल का जिक्र नहीं करते तो फिर मुझे कैसे मालूम होता कि मौरूसी काश्तकार कौन है और गैरमौरूसी काश्तकार कौन है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछता तो वे यही जवाब देते कि मुझे नहीं मालूम है, जाकर लाइब्रेरी में देख लो। इसके सिवाय रसीद के बारे में तो उन्होंने कोई तर्क ही नहीं दिया कि आखिर वे रसीद किस प्रकार से लगान की देते हैं। क्या मैंने यह गलत कहा है कि वहां लगान लेने पर रसीद नहीं दी जाती है! उन्होंने कहा है कि वहां केवल तीन आदमियों पर लगान बकाया है. यानी सारे जौनसार बावर परगने

में सिर्फ तीन आदमियों का लगान बाकी है। अगर ऐसी बात है तब तो फिर वहां राम राज्य कायम हो गया है या सतयुग शुरू हो गया है। फिर इस तरफ के विधेयक की वहां के लिये तो कोई आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिये। वहां तो कोई लीगल डिस्प्यूट होना ही नहीं होगा। अगर वास्तव में वहां पर राम राज्य कायम है तो फिर दस्तूरलअमल ऐसी बात भी वहां नहीं रहनी चाहिये। जब कि वहां लगान के बारे में कहा गया है कि वह बकाया नहीं रहता। इसके अलावा रिपोर्ट में जो बातें कही गयी हैं वे अंग्रेजों की बनायी हुई रिपोर्ट के अन्दर ही हैं लेकिन उस रिपोर्ट पर भी सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है। इस रिपोर्ट की केवल एक ही कापी है, अगर दो तीन होतीं तो कुछ कहा भी जा सकता था लेकिन उस कापी में जो हवाला दिया गया है वह यह है। पेज १२८ रूल ८४ :

'A tenant is entitled to a written receipt from his landholder for all payments of rent made by him. The receipt shall show the land, the year, and the instalment for which it is paid and credited, and whether the payment has been accepted as in fully or only on account. It shall also show the date of payment."

इसलिये रसीद की व्यवस्था उस कमेटी ने की है कि इन कारणों से लगान की रसीद देना बहुत आवश्यक है। जो मूल रूल बना है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। मिसलेनिअस चैप्टर ८ रूल ९०——

"Notwithstanding any provisions in the Dastur-ul-Amal any Wajib-ul-Arz to the contrary no person shall be barred from acquiring or owning land merely by belonging to a particular caste or tribe such as Koltas or Bajgis"

यह भी रिकमेंडेशन के अन्दर है। फिर रूल ९२ को देखिए——

"Notwithstanding any provision of the Dastur-ul-Amal to the contrary, no person shall be compelled to perform labour for the Sayana, the Zamindars, or Government officials againtt his will, whether for payment or otherwise, or by reason of debt."

तो श्रीमान, यह जो मेरा सुझाव है उससे आप देखेंगे कि कोई गलतफहमी नहीं होती है।

श्री अध्यक्ष——क्या माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि रूल्स जो बने हुए हैं वे विधेयक में आ जायं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी——मेरा तो यह मतलब है कि कमेटी की रिपोर्ट में जो रूल्स ८४, ९० और ९२ हैं उनको मैं अपने संशोधन की पुष्टि में पढ़ रहा हूं। चूंकि एक कमेटी की रिपोर्ट में जिसमें यह दिया हुआ है। अगर दो तीन ऐसी रिपोर्टें हों तो माननीय मंत्री जी यह बतलावें, मैं उनको भी देखूंगा। गरज यह कि इसके लिये कोई वकील होने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा हो सकता है कि किसी ने एक वर्ष भी प्रैक्टिस न की हो फिर भी वह मुझसे ज्यादा काबिल हो। ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने वकालत की डिग्री न हासिल की हो लेकिन वह अच्छे अच्छे वकीलों से भी काबिल हो। हमारे हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री जिन्होंने एक वर्ष भी प्रैक्टिस नहीं की है, एक दिन आई० एन० ए० के केस में गये थे। लेकिन वे बड़े काबिल हैं और इस देश के प्रधान मंत्री हैं। मैं तो यह कहूंगा कि अगर ऐसी बात है तो एलेक्शन कमीशन के सामने पालियामेंट की मेम्बरी के लिये भी इस तरह का क्वालिफिकेशन तय करने के लिये कह दिया जाय कि अगले एलेक्शन में वही पालियामेंट या असेम्बली के मेम्बर हो सकते हैं जिन्होंने ५ या १० या १५, २० या २५ वर्ष तक प्रैक्टिस की हो।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

श्रीमान्, मैंने मारगेज का जिक्र जो किया था वह लाइफ मारगेज की बात थी न कि प्रापर्टी मारगेज की। कर्जा एक दूसरी चीज है, रेहन एक दूसरी चीज है और यह बिल्कुल दूसरी चीज है कि आदमी स्वयं अपने को रेहन रख दे। एक आदमी ही नहीं उसका सारा कुटुम्ब पैदा होने वाला बच्चा सब रेहन रख दी जाती है। एक बीबी के पांच पति होते हैं या एक पति के पांच बीबियां होती हैं उससे जितने बच्चे हो जायं वह सब तीन तीन पीढ़ी पहले के कर्जे के लिये रेहन रखे गये हैं। सिर्फ यही बात थी जिसके लिये वकालत और प्रैक्टिस आदि की बात कही गयी। इसमें वकालत पढ़ने की जरूरत नहीं है। यह किसी प्रकार से विधान के विपरीत नहीं है। बिल्कुल विधान के अनुकूल है। इसके अलावा रिकमेंडेशन्स भी है और माननीय मंत्री जी भी चाहते हैं। इसमें प्रैक्टिस, वकालत या हाउस के मेम्बर होने की आवश्यकता नहीं है। इंसानियत के नाते, मानवता के सभी सिद्धांतों के नाते इसे मानने का सवाल है। इसमें प्रैक्टिस की कोई बात नहीं है अगर मैं उनको थोड़ी देर के लिये विश्वास दिला दूं कि मैं यहां प्रैक्टिस करने के लिये नहीं आया हूं केवल आपकी आज्ञा से कुछ सुझाव देने के लिये जो मुझे उचित जान पड़े आया हूं और अगर वह मेरे सुझाव को उचित समझते हैं तो उसे स्वीकार कर लें।

श्री चरण सिंह—मैं मारगेज और वकालत का जिक्र नहीं करूंगा, नहीं तिवारी जी फिर परेशान हो जायेंगे। मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं और वह यह है कि माननीय तिवारी जी ने यह कहा कि दस्तूरुलअमल तो एक तरीके से इस विधेयक में मान लिया गया है तो उससे मुझे कतई तौर से इंकार है। दस्तूरुलअमल में वैलिडिटी स्वीकार डाइरेक्टली या इनडाइरेक्टली की गयी है ऐसा कुछ नहीं है। इसमें "काश्तकार" के अन्तर्गत जौनसार बावर के दस्तूरुलअमल में माने गये मौरूसी काश्तकार या गैर मौरूसी काश्तकार हैं अथवा ऐसा काश्तार जिसके पास भूमि सेवा के उपलक्ष में हो। इसका मतलब है कि यह काश्तकार उसके अन्दर शामिल है और यह बात भी अलहदा है लेकिन दस्तूरुलअमल में मौरूसी और गैरमौरूसी काश्तकार जो माने गये हैं वे ऐसे हैं जो किसी भी कानून में माने जा सकते हैं। तो इस तरीके से दस्तूरुलअमल में जो बातें हैं वह गलत तो हो सकती हैं लेकिन जहां मौरूसी और गैरमौरूसी काश्तकार का जिक्र है वह तो इन्नोसेंट इसमें जो शब्द है वह यह है कि:

"Cultivators are all Brahmins and Rajputs and have the powers to sell or otherwise dispose of the lands."

[सब किसान लोग ब्राह्मण और राजपूत हैं तथा उनको भूमि का विक्रय करने या अन्यथा निस्तारण करने की शक्तियां प्राप्त हैं।]

तो मौरूसी और गैरमौरूसी के लिये उन्होंने डिस्क्रीशन कर दिया और यह कहा कि —

"they have the powers to sell or otherwise dispose of the land."

[उन्हें भूमि का विक्रय करने या अन्यथा निस्तारण करने की शक्तियां प्राप्त हैं।]

यह उन्होंने डेसक्रिप्शन के तौर पर दिया। कल्टीवेटर्स राजपूत और ब्राह्मण हैं। १८६१ में जब उन्होंने लिखा तो उसमें उन्होंने यह कहा कि ये सारे कल्टीवेटर्स मौरूसी और गैरमौरूसी राजपूत और ब्राह्मण हैं। उसमें यह नहीं कहा कि राजपूत और ब्राह्मण जो हैं उनके अलावा कोल्टा और बाजगी आगे को जमीन होल्ड नहीं कर सकते हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—माननीय मंत्री जी दूसरी धारा भी पढ़ दें।

श्री चरण सिंह—वह मैं पढ़ चुका हूं और सुना भी चुका हूं। उसमें केवल यह है कि अगर कोई मौरूसी काश्तकार चला जाय तो क्योंकि वह राजपूत या ब्राह्मण हैं पहले तो उसके रिश्तेदार को जायगा, चचा भतीजा जिसको भी विरासत का हक पहुंचता हो और अगर

कोई वारिस नहीं है तो दूसरे राजपूत को दी जायगी। जैसा कि पंजाब वगैरह में है कि फलां काश्तकार बेचेगा तो फलां काश्तकार खरीद सकता है। लेकिन उसके मतलब यह नहीं है कि आगे को कोल्टा या बाजगी मौरूसी या गैरमौरूसी काश्तकार हो नहीं सकते। उसमें तो यह अगर मौरूसी छोड़ कर जाय तो उसकी जमीन किसको मिलेगी और जैसा मैंने कहा कि यह कस्टमरी ला है और उस पर अमल नहीं हुआ है। और उसके सबूत में यह कहा कि एक हजार एकड़ जमीन का सन् १९४२ ई० में जिक्र था और जो मेरे पास लेटेस्ट रिपोर्ट है लैन्ड रेकार्ड्स आफिसर श्री बी० एम० शर्मा की ३ अगस्त, १९५२ की उसमें किस बिरादरी के पास कितनी काश्त है और किस के पास है और कितना रकबा है यह दिया हुआ है। उसमें यह दिया हुआ है कि ६ हजार चार सौ एकड़ जमीन कोल्टा और बाजगी की तरफ है जो कुल जमीन की १७ फीसदी पड़ती है।

तो उसमें केवल यह है कि मौरूसी और गैरमौरूसी काश्तकार राजपूत और ब्राह्मण ही है यह नहीं है कि अगर कोई राजपूत या ब्राह्मण आगे को अगर अपनी जमीन किसी कोल्टा या बाजगी को देना चाहे तो उसके लिये मनाही है। तो विधेयक में तो यह है कि दस्तूरुलअमल में, मौरूसी और गैरमौरूसी काश्तकार का जो बखान है जो डिफिनिशन है उसमें यह दिया हुआ है मौरूसी को राइट आफ सेल है और गैरमौरूसी को राइट आफ सेल नहीं है।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—मैं आपकी इजाजत से जरा माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं वे जहां तक उन्होंने मौरूसी और गैरमौरूसी काश्तकार के संबंध में पढ़ा है उसके सेकेंड क्लाज को अगर पढ़ें तो उसमें स्पष्ट तौर से लिखा है--

'.. ... but no Dome, Bajgie, or any such caste can get possession or such land; only Brahmins and Rajputs can, and they can only hold it on a *gair mourousee* tenure.

[लेकिन किसी डोम, बाजगी या इसी प्रकार की जाति के व्यक्ति को ऐसी भूमि पर कब्जा मिल नहीं सकता। केवल ब्राह्मणों और राजपूतों को मिल सकता है। और उनको भी केवल गैरमौरूसी कब्जा मिल सकता है।]

इसलिये आपके जरिये से मैं अर्ज करूंगा कि इसको भी स्पष्ट कर दें कि इस खंड का मंत्री जी क्या अर्थ लगाते हैं।

१९५१ में जब जौनसार बावर इन्क्वायरी सब-कमेटी ने सिफारिश की थी तो इस वक्त तो स्पष्ट कर दिया था।

'Notwithstanding any provisions in the Dasturulamal or any Wajibularz to the contrary no person shall be barred from acquiring or owning land merely by belonging to a particular caste or tribe such as Koltas or Bajgis".'

[दस्तूरुलअमल या वाजिबुलअर्ज में कोई चीज इसके प्रतिकूल होते हुए भी, किसी व्यक्ति के भूमि प्राप्त करने पर केवल इस कारण प्रतिबन्ध नहीं लगाया जायगा। कि वह कोल्टा या बाजगी किसी विशेष जाति का है।]

इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर इसका स्पष्टीकरण माननीय मंत्री जी को हो जाय तो इस संशोधन को मान लेने में उन्हें आसानी होगी।

श्री चरण सिंह—जी हां, मैं जरा सा कहना चाहता हूं। आपने पहले भी कहा था। एक दफा पहले भी पढ़ कर सुना चुका हूं और आप में से भी किसी सज्जन ने पढ़ा था।

'but no Dome, Bajgi, or any such caste can get possession of such land. "

[लेकिन किसी डोम, बाजगी या किसी प्रकार की जाति के व्यक्ति को ऐसी भूमि पर कब्जा मिल नहीं सकता।]

[श्री चरण सिंह]

और वह आता है इसमें कि--

"If any *mouroosee* cultivator removes or runs away from his village, the land in the first place should be made over to his brother, nephew, or any other nearest relations, the Sayana of the Khat distributes the land among the *mouroosee* culivators of the village. But if they do not agree to such an arrangement, the Sayana gives it to some other person on a *gair Mouroosee* and settles the quota of revenue payable by him. And if any such land cannot be settled in the above manner it lies fallow, and the Sayana distributes the amount due from it over the whole Khat according to the capabilities of each person, but no Dome, Bajgie, or any such caste can get possession of such land, only Brahmins and Rajputs can, and they can only hold it on a *gair mouroosee* tenure"

[यदि कोई मौरूसी किसान अपने गांव से हट जावे या भाग जावे तो भूमि पहले तो उसके भाई, भतीजे या अन्य किसी निकटवर्ती रिश्तेदार को दी जानी चाहिये, खाते का सयाना भूमि को गांव के मौरूसी किसानों में बांटता है। परन्तु यदि ऐसी व्यवस्था से वे लोग सहमत न हों तो सयाना किसी अन्य व्यक्ति को गैर-मौरूसी तौर पर वह भूमि दे देता है और उस व्यक्ति के द्वारा देय मालगुजारी को नियत कर देता है और यदि उक्त रीति से किसी ऐसी भूमि की व्यवस्था न हो सके तो वह परती पड़ी रहती है और सयाना उस भूमि के मालगुजारी को पूरे खाते के ऊपर प्रत्येक व्यक्ति के सामर्थ्य के अनुसार बांट देता है, लेकिन किसी डोम बाजगी या इसी प्रकार की जाति को ऐसी भूमि पर कब्जा नहीं मिल सकता। केवल ब्राह्मणों और राजपूतों को मिल सकता है। और उनको भी केवल गैर-मौरूसी कब्जा मिल सकता है।]

तो मतलब यह है कि मौरूसी कल्टीवेटर के लिये जिक्र है। अगर कोई मौरूसी कल्टीवेटर भाग जाय तो उसकी जमीन ब्राह्मण, राजपूत को मिलेगी और किसी को नहीं मिलेगी। लकिन गैरमौरूसी का जिक्र नहीं है। यही है कि वह कोल्टा और बाजगी को नहीं मिल सकती। दूसरी बात यह है कि कोई जमींदार अपनी मौरूसी जमीन को छोड़ कर अगर भाग कर न जाय, खुद छोड़ दे या बेदखल कर दिया जाय तो इसमे कहीं प्रतिबन्ध नहीं है कि वह जमींदार अपनी जमीन को मौरूसी वालों को, कोल्टा या बाजगी को नहीं दे सकता है। मौरूसी काश्तकार भाग जाय तो इसमें प्रतिबन्ध है, गैर मौरूसी पर नहीं है। मौरूसी में भी हर किस्म की जमीन पर प्रतिबन्ध नहीं है। वह प्रतिबन्ध जो धारा २ सन् १८५१ की है उसमे है। वहां पर उसका अमल नहीं हुआ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमान, एक प्रश्न। जो डोम बाजगी या कोल्टा के आर ऐनी सच कास्ट जो रखे है जो गैर-मौरूसी टेन्योर नहीं होल्ड करते तो मौरूसी काश्तकार कैसे करेगा?

श्री अध्यक्ष--मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं। काफी कहा जा चुका। अगर समझने की कोशिश न हो तो थोड़ी मुश्किल होती ही है।

प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपरान्त निम्नलिखित नया खंड ३-क बढ़ा दिया जाय--

"३-क--(१) किसी भी काश्तकार के विरुद्ध, उसके काश्तकार होने के स्वत्व की विधि अथवा दस्तूरुलअमल में लिखी हुई किसी बात के होते हुए भी इसलिये सीमित नहीं किया जा सकेगा कि वह किसी जाति विशेष का सदस्य है अथवा किसी ऋण अथवा सेवा का देनदार"

(२) कोई काश्तकार विधि के द्वारा निर्धारित लगान को निर्धारित व्यक्ति या क्षेत्र-पति को देने पर, ऐसे व्यक्ति या क्षेत्रपति से लिखी हुई रसीद लेने का अधिकारी होगा जिसमें कि उस खाते या क्षेत्र जिसका कि लगान दिया गया हो, लगान देने के तिथि, मास व वर्ष आदि का वर्णन स्पष्टतः लिखा होगा।

(३) किसी विपरीत विधि के रहते हुए भी, कोई ऐसा समझौता (agreement) लेख्य (document) अथवा पत्र (letter) जो किसी काश्तकार के इस धारा द्वारा प्राप्त स्वत्व को सीमित करते हों, निष्प्रभाव माना जायगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ--

पक्ष में--१८
विपक्ष में--१०१।

(इसके बाद सदन ५ बज कर ३ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
३ दिसम्बर, १९५२।

पी० एस० यू० पी०--३३ एल० ए०--१९५२--८३८

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, ४ दिसम्बर, १९५२

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३४२)

अक्षयवर सिंह, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज़ खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली ज़हीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेश चन्द्र सिंह, श्री
अवधेश प्रताप सिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतज़ा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फ़त सिंह चौहान निर्भय, श्री
एजाज़ रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकि, श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करन सिंह, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशी प्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेश प्रसाद जायसवाल, श्री
गणेश प्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरु प्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्दवल्लभ पन्त, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रपाल वाजपेयी, श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती

चन्द्र सिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दालाराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्नराम, श्री
पुलिन विहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फ़तेह सिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री

बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन मिश्र, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदन गोपाल वैद्य श्री
मदन मोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेव प्रसाद, श्री
महाराज सिंह, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मुन्नू लाल श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणञ्जय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्र प्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनाथ तिवारी, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राम रतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री

रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वम्भरनाथ पांडेय, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजबिहारी मिश्र, श्री
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराज बली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द्र, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्री चन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री

हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरि सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

रानीबाग (नैनीताल) की डिफारेस्ट भूमि भूमिहीन किसानों को देने के लिये सिफारिश

*१--श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--क्या सरकार को मालूम है कि ए० डी० एम०, नैनीताल द्वारा २५ अक्तूबर, सन् १९५२ ई० को बुलाई गई कमेटी में एक मत से यह निश्चय किया गया कि रानीबाग़ में डिफारेस्ट की जाने वाली ज़मीन को केवल भूमि-हीनों को ही दिया जाय ? अगर हां, तो सरकार उक्त सिफारिश को कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

वन उपमन्त्री (श्री जगमोहन सिंह नेगी)--जी हां, इस कमेटी ने जो इस संबंध में सुझाव किया है वह यह है कि रानीबाग़ में या किसी और जगह वन भूमि लेने के लिये जब भूमिहीन किसान आवेदन-पत्र दें तब उच्च अधिकारियों से उस भूमि को पट्टे पर देने के लिये प्रार्थना की जाय और उस भूमि को उन्हीं भूमिहीन किसानों को दिया जाय जिनको देने का यह कमेटी निश्चय करे। जब इस प्रयोजन के लिए किसी वन भूमि के विच्छेद करने का प्रस्ताव सरकार के पास आयेगा तो वह नियमानुसार उस पर विचार करेगी।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या सरकार को मालूम है कि रानीबाग़ में जो ज़मीन डिफारेस्ट की जा रही है वह किनको दी जा रही है, भूमिहीनों को दी जा रही है या और लोगों को दी जा रही है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--इस सेंस अर्थात् उस अर्थ में नहीं की जा रही है, जिससे आपका मतलब है, जंगल ज़रूर साफ किये जा रहे हैं और वह ज़मीन लीज़ अर्थात् पट्टे पर दी जा रही है। उससे डिफारेस्ट अर्थात् संबंध विच्छेद नहीं किया जा रहा है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--पट्टे पर जो ज़मीन दी जा रही है वह भूमिहीनों को दी जा रही है या किनको दी जा रही है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--वह ज़मीन कुमायूं इंडस्ट्रीज़ एक संस्था है उसको दी जा रही है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--इस कमेटी के इस प्रस्ताव के होते हुये भी कुमायूं इंडस्ट्रीज़ नामक संस्था को यह ज़मीन क्यों दी जा रही है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह ज़मीन से संबंध विच्छेद नहीं हो रहा है बल्कि कुमायूं इंडस्ट्रीज़ को जो ज़मीन दी जा रही है वह उद्योग-धंधों को प्रोत्साहन देने के लिये केवल पट्टे पर दी जा रही है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुना (जिला इलाहाबाद)--यह ज़मीन उन भूमिहीन किसानों को दी जा रही है, जो कोआपरेटिव सोसायटी द्वारा खेती करने के काम को निश्चित करें या व्यक्तिगत रूप से हर किसान को देने का इरादा है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—यह तो दूसरे प्रश्न के संबंध में आयेगा। इस प्रश्न के संबंध में ऐसी कोई मांग नहीं है। इसमें इंडस्ट्रीज के लिय दी गई है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—जो जमीन डिफारेस्ट की जा रही है वह कौन सी क्लास के जंगल हैं?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—यह तराई भाबर के जंगल जब रेवेन्यू से फारेस्ट में आये तब इनको अलग कर दिया गया है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—जिन दस गांवों का नाम सूची में दिया है उनमे किन किन गांवों में विस्थापित लोगों को बसाया जायगा और किन किन गांवों मे भूमिहीनों को बसाया जायगा?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—यह अभी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। संभव हो सकता है कि सबको मिलाकर दिया जाय या गांव अलग अलग दिये जायं, यह बात विचारा-धीन है।

कुमायूं के भूमिहीन परिवारों के लिये जमीन

*२—श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि तराई भाबर फारेस्ट डिवीजन में कुछ जमीन डिसफारेस्ट की जा रही है? अगर हां, तो कितनी और कहां? क्या सरकार साथ ही यह भी बतायेगी कि इस जमीन मे से कुमायूं के भूमिहीन परिवारों को कितनी जमीन दी जायेगी?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—तराई भाबर फारेस्ट डिवीजन में लगभग ८,५८५·६ एकड़ बन भूमि डिफारेस्ट की जाने वाली है? यह जिन फारेस्ट ब्लाकों में स्थित है उनकी सूची मेज पर रक्खी है। यह भूमि विस्थापित लोगों और कुमायूं के भूमिहीन परिवारों को दी जायगी, किन्तु कितनी किस वर्ग के व्यक्तियों को दी जायगी इसका अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २५१ पर)

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि कितनी अर्जियां अभी तक कुमायूं भाबर के सुपरिटेंडेंट के पास पहुंच गई हैं?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—इसकी संख्या तो यहां पर है नहीं, मगर आप नोटिस देंगे तो दी जायगी।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—जो विस्थापित लोग वहां बसाये जायंगे वह पंजाब के होंगे या पूर्वी बंगाल के?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—यह अभी उसमें स्पष्ट नहीं किया गया है। इसमें शरणार्थी और उखड़े हुए लोग हैं। संभवतः सभी क़िस्म के आ जायं।

प्रदेश से कच्चे चमड़े का निर्यात

*३—श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—क्या सरकार प्रदेश के बने हुए चमड़े के माल को प्रोत्साहित करने के लिए कच्चे चमड़े को बाहर निर्यात करने पर रोक लगाने का विचार रखती है?

उद्योग मंत्री के सभा सचिव (श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी)—उत्तर प्रदेश में जितना कच्चा चमड़ा उत्पन्न होता है वह इस प्रदेश की मांग को पूरा करने के उपरान्त भी बच रहता है। अतः इस चमड़े के भारत के अन्य भागों में प्रयोग होने पर इस सरकार को कोई आपत्ति नहीं। भारत से बाहर निर्यात करने का प्रश्न केन्द्रीय सरकार से संबंध रखता है।

श्री देवकीनन्दन विभव--क्या माननीय मंत्री जी ने इस संबंध में कोई आंकड़े इकट्ठे किये हैं कि इस प्रदेश में कितनी आवश्यकता है और कितना बाहर भेजा जाता है ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री--इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

*४--श्री देवकीनन्दन विभव--[२५ दिसम्बर, १९५२ के लिए स्थगित किया गया।]

*५--७--श्री इस्तफा हुसैन (जिला गोरखपुर)--[११ दिसम्बर, १९५२ के लिए स्थगित किये गए।]

-----

†जौनसार बावर भौमिक अधिकार सुरक्षा तथा भौमिक अभिलेख विधेयक, १९५२

*खंड ४ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष--अब जौनसार बावर भौमिक अधिकार सुरक्षा तथा भौमिक अभिलेख विधेयक, १९५२, पर विचार जारी रहेगा।

श्री कमला सिंह (जिला गाजीपुर)--अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ की पहली पंक्ति में शब्द "काश्तकार" के बाद शब्द "इस विधेयक के प्रचलित होने पर" जोड़ दिये जायं।

इन शब्दों के बारे में कहने से पहले मैं यह आवश्यक समझता हूं कि यह बतला दूं कि इन शब्दों को जोड़ने की आवश्यकता क्यों हुई। इस सदन में कल में एक प्रस्ताव लाया था जिसमें यह जो इम्प्रूवमेंट हैं वे हानिकर न समझे जायं इसके लिये राजस्व मंत्री जी ने विरोध किया था और यह कहा था कि हानिकर के साथ यह इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता। ऐसी हालत में मैं इस सदन का ध्यान यू० पी० टेनन्सी ऐक्ट, १९३९ की धारा १७२ की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसमें यह दिया हुआ है --

"A tenant shall be liable to ejectment from his holding on the suit of the landholder--

(a) On the ground of any act or omission detrimental to the land in that holding, or inconsistent with the purpose for which it was let ; or . . . . ."

[कोई असामी जमींदार के नालिश करने पर अपनी जोत से बेदखली के क़ाबिल होगा--

(क) किसी ऐसे काम के करने या न करने की वजह से जो उस जोत की आराजी को नुक़सान पहुंचाये या जो उस उद्देश्य के खिलाफ हो जिसके लिए वह आराजी उठायी गयी थी; या....................]

माल मन्त्री (श्री चरण सिंह)--आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर सर, कल जो इम्प्रूवमेंट के संशोधन के सिलसिले में मैंने कहा था उसका जवाब देने का अब क्या अवसर है। अब आप सिर्फ यह कहते हैं कि जिस डेट से यह अधिनियम लागू होगा उस रोज से ये शब्द बढ़ने चाहिए इस खंड ४ में। अब आप यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट............

श्री अध्यक्ष--मैं जांच रहा था कि माननीय सदस्य उसके सम्बन्ध में क्या कहते हैं, उनका भाषण थोड़ा समाप्त हो जाय जिससे कुछ कान्क्लूजन निकालूं, तब बात समझ में आ सकती थी।

श्री कमला सिंह--मैंने पहिले ही शुरू में बतला दिया कि जो संशोधन मैंने पेश किया है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। इस चीज को मैं सदन को दिखलाना चाहता हूं, इसलिये यह रिफरेन्स सदन को देना चाहता हूं। तो जो १७२ धारा 'ए' है उसका प्राविजन यह है कि:--

"Provided that the planting of trees in accordance with the provisions of section 80 or the making of an improvement in accordance with the provisions of this Act, or the use of a holding for the purpose of

---

*३ दिसम्बर, १९५२ की कार्यवाही में छपा है।

†३ अक्तूबर, १९५२ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री कमला सिंह]

grazing or raising stock including horses or the construction of enclosures suitable for stock raising shall not constitute ground for ejectment under this section."

[पर यह शर्त है कि दफा ८० के आदेशों के अधीन पेड़ लगाना, या इस ऐक्ट के आदेशों के अनुसार किसी तरक्की का करना, या जोत का इस्तेमाल चराई के काम के लिये या मवेशियों को (जिसमें घोड़े भी शामिल हैं) पालने के लिये करना या मवेशियों के पालने के लिये अहाते बनाना, इस दफा के अधीन बेदखली की वजहें न होंगी।]

यह धारा उस कानून की है जोकि सदन का बनाया हुआ है। उसमें यह दिया हुआ है कि डिटरीमेंटल ऐक्ट अगर है तो वह इस इम्प्रूवमेंट के साथ आ सकता है क्योंकि वह पहला संशोधन मन्जूर नहीं हुआ था। उस चीज को साफ करने के लिये यह अमेंडमेंट लाया गया है। इसके साथ साथ में सदन को यह भी बतलाना चाहता हूं कि हाउस ने कल श्री बाबूलाल मित्तल के संशोधन को जो १३ नम्बर पर है मन्जूर किया है। उससे पब्लिक के ऊपर जो असर पड़ता है उसको भी साफ करने की जरूरत है। वह संशोधन नम्बर १३ इस प्रकार है "खंड ३ के उपखंड (२) के बाद निम्नलिखित नया उपखंड (३) रख दिया जाय :—

(३) कि उसने अपने खाते या उसके किसी भाग को इस अधिनियम के उपबन्धों के विरुद्ध शिकमी पर उठा दिया है।

जब यह चीज उठा दी गई तो फिर क्या परिस्थिति हो गई यह देखने की जरूरत है। अब यह जो ऐक्ट बनेगा उसके अनुसार वहां पर एक आदमी दावा करके काश्तकार को बेदखल करेगा या दोनों करेंगे क्योंकि वहां पर जमीन्दारी अबालिशन नहीं हुआ है। वहां पर एक से ज्यादा जमीन्दार हो सकते हैं। इस लिये जहां पर ऐसे जमीन्दार हैं वहां पर एक जमीन्दार दावा करके बेदखल करेगा या जुम्ला जमीन्दारान दावा करके बेदखल करेंगे इसके साथ साथ एक यह भी चीज है कि अगर पहिले का काश्तकार है और उसने बाद को पांच साल के लिये पट्टा उठा दिया है तो पास हुए संशोधन के मुताबिक ए तो बेदखल हो जायेगा लेकिन बाकी क्या परिस्थति होगी। मैं यह चाहता हूं कि राजस्व मन्त्री जी इस चीज को स्पष्ट करने की कृपा करें कि वह कैसे बेदखल होगा। इसके साथ यह भी देखना है कि एक आदमी ने तीन साल के लिये पट्टा दिया है और फिर वह पांच साल के लिये पट्टा दे देता है तो उसको आप बेदखल कर देंगे लेकिन ३ साल के बाद अगर ट्रैसपासर का कब्जा है तो उसको बेदखल करने के लिये आप कोई इन्तजाम नहीं कर रहे हैं। अगर १७१ धारा टेनेन्सी ऐक्ट १९३९ को आप देखें तो उसमें यह दिया हुआ है कि—

"171. (1) If a tenant transfers or sub-lets the whole or any portion of his holding otherwise than in accordance with the provisions of this Act, and the transferee or sub-lessee has entered upon possession in pursuance of such transfer or sub-lease both the tenant and any person who may have thus obtained possession of the whole or any part of the holding shall on the suit of the landholder be liable to ejectment from the area so transferred or sub-let at the date of the institution of the suit :"

[१७१ (१) अगर कोई असामी अपनी कुल जोत या उसके किसी हिस्से को इस ऐक्ट के हुक्मों के अतिरिक्त किसी और सूरत से मुन्तकिल करे या शिकमी पट्टे पर दे और अगर उस पर ऐसी मुन्तकिली या शिकमी पट्टे के अनुसार मुन्तकिलइलैह या शिकमी पट्टेदार ने कब्जा हासिल कर लिया हो तो असामी और कोई शख्स जिसने कुल जोत के किसी हिस्से पर ऐसी मुन्तकिली या शिकमी पट्टे के अधीन कब्जा हासिल कर लिया हो जमीन्दार के नालिश करने पर दोनों शख्स नालिश दायर करने की तारीख को इस तरह मुन्तकिल किये हुए या शिकमी पट्टे पर दिये हुए रकबे से बेदखली के काबिल होंगे।]

यह हालत १७१ धारा मे काश्तकार और शिकमी दोनों के लिये सुविधा की रखी गयी है। लेकिन इस विधेयक में जो रखा गया है उसके मुताबिक यह गलतफहमी पैदा होगी कि काश्तकार के लिये तो सुविधा की गई है लेकिन जो उस वक्त भूमि पर काबिज है उसको बेदखल करने के लिये कोई भी रास्ता अख्तियार नहीं किया गया है। इसलिये यह गम्भीर परिस्थिति पैदा हो जाती है। जब यह परिस्थिति है तो हमारे लिये यह जरूरी है कि हम उन काश्तकारों के लिये जो काबिज है उसके लिये जो बात इस ऐक्ट से पैदा हो जायेगी उनके लिये कोई ऐसी परिस्थिति रखें जिससे कि उनको यह मालूम हो जाय कि उनके लिये कुछ सुविधा रखी गई है। इसलिये यह जरूरी है कि यह जो धारा ४ है उसके अन्दर यह सुविधा रखें और यह मालूम हो जाय कि जो इल्लीगल ट्रेस्पासर है वह इस धारा से सम्बन्ध रखता है। साथ ही साथ मे एक चीज और इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। यह धारा ४ इस तरह के आदमियों के लिये बनी है जो बेचारे हर तरह से मजबूर हैं जैसे अविवाहिता स्त्री है, अवयस्क जिसका पिता मर गया हो, पागल या जड़ हो, ऐसा व्यक्ति जो अन्धेपन, या अन्य किसी शारीरिक निर्बलता के कारण खेती करने में अक्षम हो, संघ की स्थल सेना, नौसेना, या वायु सेना सम्बन्धी सेवा में व्यक्ति, या ....

अध्यक्ष--यह तो विधेयक में दिया ही हुआ है और वह सब के सामने है उसको फिर बतला कर समय आप न लें।

श्री कमला सिंह--तो धारा ४ इस समय जिस तरह से है उसमे तो सरकार के दिल में जिनके लिये स्थान है वह भी खत्म हो जायेगे और डर है कि इससे ऐसे ही लोगों की बेदखली होगी इसलिये जरूरी है कि यह संशोधन इसमें अवश्य रखा जाय और मैं समझता हूं कि माननीय राजस्व मन्त्री जी इसको सहर्ष स्वीकार करेंगे।

माल मन्त्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)--माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे विरोधी दल की ओर से कमला सिंह जी ने जो संशोधन उपस्थित किया है और कहा है कि अगर यह संशोधन स्वीकार न किया जायगा तो बड़ी गम्भीर परिस्थिति पैदा हो जायेगी और उन्होंने हवाला दिया कि यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट की धारा १७१ और १७२ का। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जो भ्रम उनको है वह उनका गलत भ्रम है। यह धारा बिल्कुल स्पष्ट है उन्हें ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए कि अगर वह क्लाज नहीं जोड़ी जायेगी तो ऐसी कोई बात हो जायेगी कि पहिले की भी ये बेदखली हो जायेगी और दफा १७१ की सी परिस्थिति हो जायगी। अगर आप दफा १७१ को देखें तो उसमें इस तरह से है कि

"If a tenant transfers or sub-lets the whole or any portion of his holding otherwise than in accordance with the provisions of this Act, and the transferee or sub-lessee has entered upon possession in pursuance of such transfer or sub-lease."

[अगर कोई असामी कुल जोत या उसके किसी हिस्से को इस ऐक्ट के हुक्मों के अतिरिक्त किसी और सूरत से मुन्तकिल करे या शिकमी पट्टे पर दे और अगर उस पर ऐसी मुन्तकिली या शिकमी पट्टे के अनुसार मुन्तकिलइलेह या शिकमी पट्टेदार ने कब्जा हासिल कर लिया हो।)

जिस तरीके से दफा १७१ का जो गलत इन्टरप्रीटेशन हुआ और उससे बहुत सी गलत बेदखलियां हो गई यह बात यहां नहीं पैदा होती है। यहां यह स्पष्ट है कि कोई भी काश्तकार जमीन को या उसके भाग को नहीं उठायेगा सिर्फ कुछ दशाओं को छोड़कर जो दी हुई हैं और उठायेगा शब्द से ही यह स्पष्ट है कि यह आगे के लिये है। अगर यह जोड़े कि इस विधेयक के प्रचलित होने पर नहीं उठायेगा तो इसका मतलब तो पहले से ही यह है कि आगे से नहीं उठायेगा फिर इसकी क्या आवश्यकता है। मेरे ख्याल से इससे कोई गम्भीर परिस्थिति नहीं पैदा होगी और जो दलीलें श्री कमला सिंह जी ने दीं वह इस पर नहीं लागू होतीं। मैं इसका विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि हाउस इस संशोधन को अस्वीकार करेगा।

श्री कमला सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने शब्दों का इन्टरप्रिटेशन जो किया है उससे जो मतलब इस संशोधन का है वह साफ नहीं होता। मान लीजिए कि दो साल पहले किसी ने ५ साल के लिये पट्टा किया होगा तो आज से ३ साल के अन्दर उसकी क्या परिस्थिति होगी यह खुद माननीय मन्त्री जी समझें मेरे ख्याल में अगर ५ साल के लिये पट्टा किया है और अगर एक साल बीत चुका है तो एक साल के बाद तीन साल माना जायगा। जहां तक मेरा ख्याल है यही चीज होगी और इसी की वजह से एक गलत प्रयोग अदालतों में हो चुका है और जिसकी वजह से ऐसी परिस्थिति आ चुकी है कि जो जमीन बेदखल हो गई थी उसको वापस करना पड़ा और उससे बहुत परेशानी हुई। तो यह चीज इन शब्दों के जोड़ देने से दूर हो जायगी और अगर वह दूर हो सकती है तो वह जरूर दूर होनी चाहिए और साथ ही साथ यह भी है कि जब हम किसी काश्तकार को ऐसा अधिकार नहीं दे रहे हैं कि वह किसी धारा के अन्तर्गत अपने शिकमी को बेदखल करे तो मैं समझता हूं कि ऐसी धारा का प्रयोग करना न्यायसंगत न होगा। इस लिये जैसी कि धारा दी हुई है वैसी की वैसी ही बिना संशोधन के पास हो जाना ठीक नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि राजस्व मन्त्री जी इस चीज पर गौर करेंगे और अपने लीगल एडवाइजर साहब से परामर्श करके मुनासिब समझ कर काम करेंगे।

श्री चरण सिंह--मैं समझता हूं कि संशोधन बिल्कुल अनावश्यक है। जब तक यह न कहा जाय कि फलां विधेयक में फलां काम रिट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट रखेगा तब तक डेट आफ केमेंसमेंट से वह लागू समझा जाता है। इसलिये आपका जो संशय है वह निराधार है अगर वह ऐक्सेप्ट कर भी लिया जाय तो कोई हर्ज नहीं होता, लेकिन वह गैर जरूरी है। इन्टरप्रिटेशन के जो कायदे हैं उनके अनुसार वह उसी डेट से लागू होता ह जिस दिन कि उसकी असेंट गवर्नर के यहां से आ जाती है।

श्री कमला सिंह--मैं पूछना चाहता हूं कि जो ५ साल की मिसाल मैंने दी है वैसे काश्तकार की इसके पास हो जाने से क्या पोजीशन होगी ?

श्री चरण सिंह--जो पहले के दिये हुए हैं वह जायज रहेंगे। आगे के लिये मनाही है।

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ४ की पहिली पंक्ति में शब्द "काश्तकार" के बाद शब्द "इस विधेयक के प्रचलित होने पर" जोड़े दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ--

पक्ष में--१८।

विपक्ष में--१५१।

श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं कि खंड ४ की पंक्ति २ व ३ से शब्द "तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिये अथवा किसी शिकमी के पास किसी भाग के रहने के तीन वर्ष के भीतर" निकाल दिये जायं।

श्रीमान्, यह संशोधन उपस्थित करने का मेरा आशय यह है कि जैसा कि उत्तर प्रदेश जमींन्दारी विनाश अधिनियम में यह रखा गया है कि काश्तकार को उठाने का कोई अधिकार नहीं दिया गया उसका कारण जहां तक मैंने समझा वह यही था कि जमींन्दारी के कीटाणु किसी तरह से फिर भी उसमें न पड़ें और न पनपें। तो मैं समझता हूं कि कोई कारण नहीं है, जहां तक कि परिस्थिति को भी देखें तो उससे कोई महायता नहीं मिलती। यदि यह अधिकार किसानों को इस क्षेत्र में दे दिया जाय तो इससे कठिनाइयां ही पैदा हो सकती हैं, इसलिये मैं अपना यह संशोधन उपस्थित करता हूं और मुझे आशा है कि सदन इसको स्वीकार

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--श्रीमन्, मैं माननीय देवकीनन्दन विभव जी के संशोधन का सख्त विरोध करना चाहता हूं। क्योंकि एक ही जो अच्छी बात इस धारा में है उसको भी वे छीने ले रहे हैं। अगर माननीय विभव जी इसको ध्यानपूर्वक पढ़ते तो वे कभी भी इस संशोधन को पेश करने को नहीं सोचते। कम से कम उसे तीन वर्ष से अधिक की अवधि जो थी, अगर तीन वर्ष का बेचारा पुराना शिकमी काश्तकार है और उसको आप पहिले धारा ३ में अधिकार दे चुके हैं और उसे सहूलियत देने की बात मान चुके हैं तो फिर उसको उसमें से निकाल देने की बात सही नहीं मालूम होती। कोल्टा और बाजगी जो बेचारे जमाने से ऐसे ही परेशान हैं उनको इस संशोधन से कम से कम और परेशान तो न किया जाय ? आप कम से कम उनके लिये ऐसा संशोधन तो लावें जिससे उनको और राहत मिले।

श्री चरण सिंह--अध्यक्ष महोदय मुझको यह संशोधन स्वीकार है। माननीय श्री नारायण दत्त जी तिवारी जिस वक्त इस सिलसिले में मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ तो मुझे ताज्जुब था कि आखिर वे क्या कहेंगे। अब आप इसको कहते हैं कि यह प्रतिगामी है किस प्रकार ? इसमें केवल यह है कि टेनेंट सब टेनेन्ट को नहीं उठा सकेगा।

श्री कमला सिंह--प्वाइंट आफ आर्डर मेरा यह है कि जो संशोधन है उसमें शिकमी काश्तकार का वर्ड जोड़ा गया है। धारा २ का उपखंड ङ में काश्तकार की डेफनीशन दी हुई है फिर काश्तकार का आना मैं समझता हूं शिकमी के साथ दोनों कंट्रेडिक्टरी हो जायगा। इसलिये शिकमी के साथ काश्तकार शब्द नहीं आना चाहिये।

श्री चरण सिंह--यह जो जयराम वर्मा जी का संशोधन है उसमें कहा जा सकता है. लेकिन जो विभव जी का संशोधन है उसमें यह चीज नहीं आ सकती।

श्री अध्यक्ष--श्री विभव के संशोधन में शब्दों को निकालने के लिये कहा गया है और उसमें जोड़ने के लिये कोई शब्द नहीं है। आपका जो एतराज है वह गलतफहमी पर निर्भर ह इसलिये स्वीकार नहीं हो सकता। आप कृपा करके बैठ जाइये।

श्री चरण सिंह--श्री देवकीनन्दन जी विभव के संशोधन का आशय यह है कि वह मौरूसी और गैर मौरूसी को जो सेवा के उपलक्ष में काश्त पाये हुये हैं जिनको काश्तकार इस विधेयक में माना गया है वे लोग आगे को सिवाय कुछ दशाओं को छोड़कर शिकमी पर नहीं उठा सकेंगे। अब तक जैसी इसमें धारा है उसका अर्थ यह है कि तीन साल तक उठा सकता है और यह तीन साल के अन्दर से नहीं उठायेंगे तो तीन साल का अन्तर देकर उठा सकते हैं सिवाय उन लोगों को छोड़कर जिनका जिक्र इसमें किया गया है। अब हम उसको बिलकुल निकाल रहे हैं कि किसी तरह से भी कोई टेनेंट सब-टेनेंट को जमीन नहीं दे सकेंगे सिवाय असमर्थ लोगों के जिनकी तालिका नीचे दी हुई है। तो फिर प्रतिगामिता या प्रतिक्रियावादिता कहां से आ गई। मैं इस संशोधन को केवल इसलिये स्वीकार कर रहा हूं ताकि यह न कहा जाय कि आप जमींदारी अबालिशन करने के लिये जा रहे हैं और फिर तीन साल के लिये आप क्यों सब टेनेंसी कन्टेम्प्लेट करते हैं। वाकया यह है कि हम जमींदारी खत्म करने जा रहे हैं क्योंकि जो काश्तकार पहले से उठा रहे हैं वह तो उठा रखे हैं, लेकिन आगे से किसी काश्तकार को जमीन उठाने का अधिकार नहीं होगा सिवाय उन चन्द शर्तों के लिये मैंने यह गवर्नमेन्ट की मंशा की घोषणा कल को थी, उसमें किसी तरह से असंगत न हो और उसी दृष्टिकोण पर यह संशोधन आया है इसलिये मैं इसको स्वीकार करता हूं। यह मेरी समझ में अब तक नहीं आया कि प्रतिगामी यह कैसे है, बहरहाल मैं इसको स्वीकार करता हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी--मुझे स्पष्टीकरण की इजाजत दीजिये।

श्री अध्यक्ष--दोबारा बोलने की इजाजत नहीं है।

श्री देवकी नन्दन विभव--माननीय अध्यक्ष महोदय, तिवारी जी ने मेरे संशोधन को प्रतिक्रियावादी और प्रतिगामी कहा है तो आज तो दृष्टिकोण यह हो गया है कि समाजवादी मित्र जो बात भी कहें वह तो प्रगतिशील है और जो बात हम कहें चाहे वह कहीं आगेवाली बात भी हो तब भी वह प्रतिगामी और प्रतिक्रियावादी हैं। इसलिये जब तिवारी जी ने वह बात कही तो मैंने उसे हर्रे (रूटिन) की बात समझी जो सदन में आज तक बराबर कही जाती रही है। मैं कोई कारण नहीं समझता कि परिस्थितियां बताई गई हैं जिन परिस्थितियों में वह उठा सकते हैं। और उसके बाद फिर भी यह पंक्ति और ये शब्द रखने का कोई अभिप्राय नहीं था। न तिवारी जी ने यह बताया कि क्यों ये शब्द रखने चाहिये थे, क्यों शिकमी पर उठाने का उनको अधिकार रहना चाहिये। मैं इससे यह समझता हूं कि सदन मेरे संशोधन को स्वीकार करेगा।

श्री चरण सिंह--एक जरा सी चीज रह गयी। वह यह कि इस संशोधन को तो मैंने स्वीकार किया लेकिन इसके कांसिक्वेंस के तौर पर दो शब्द और बढ़ने चाहिये थे वे विभव जी ने रखे नहीं हैं। वह मैं चाहता था कि यहां आ जायं। वह यह कि "शिकमी पर" नहीं उठायेगा या "शिकमी के पास" नहीं उठायेगा यह आ जायं और बाकी सब निकाल दिये जायं।

श्री देवकीनन्दन विभव--मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष--अब मैं संशोधित संशोधन को पेश किये देता हूं।

प्रश्न यह है कि खंड ४ की पंक्ति २ व ३ से "शब्द तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिये, अथवा किसी शिकमी के पास किसी भाग के रहने के तीन वर्ष के भीतर" ये शब्द निकाल दिये जायं और इनके स्थान पर "शिकमी पर" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी--श्रीमन् मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं--

खंड ४ की पंक्ति ४ के शब्द "पट्टेदार (lessee)" के स्थान पर शब्द "पट्टा देने वाला (lessor)" रख दिये जायें।

श्रीमन्, जहां तक मैं इस धारा को समझ सका हूं और जो ये दशाएं बतलाई गयी हैं अविवाहिता स्त्री अवयस्क जिसका पिता मर गया हो या पागल या जड़ इत्यादि ये "लेसर" के लिये होनी चाहिये। अगर "लेसी" शब्द के कोई दूसरे मानी हों तो मैं नहीं कह सकता। डिक्शनरी में तो ऐसा है नहीं। "लेसी" के स्थान पर "लेसर" ही आना चाहिये क्योंकि लेसी कैसे पट्टेदार होगा। अविवाहिता स्त्री कैसे हो सकती है या हो सकेगी, यह कोई बात मुझे जंची नहीं। अगर कोई खास मतलब माननीय मंत्री जी ने सोचा हो तो बात दूसरी है। मैं तो समझता हूं लेसर ही होना चाहिये और पुरानी जो परिपाटी है जिसके अनुसार रखा गया है उसके अनुसार भी "लेसर" वर्ड ही आना चाहिये। मुझे फिर रिपोर्ट का हवाला देना पड़ता है। रिपोर्ट के पेज १२७ में रूल ७६ है। उसमें लिखा है--

"No tenant shall sub-let the whole or any part of his holding for a term exceeding one year, and shall not again sub-let the whole or any portion of his holding within two years from the expiry of any such sub-lease :

Provided that the restriction on sub-letting shall not apply when the lessor is a female, a minor, a lunatic, an idiot, or a person incapable of cultivating by reason of blindness or physical infirmity, or because he is in the Military, Naval or Air Service of the Crown."

[कोई भी असामी अपने सम्पूर्ण खाते या उसके किसी भाग को एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए पट्टे पर नहीं उठायेगा और फिर अपने खाते या उसके किसी भाग को, उस शिकमी पट्टे के समाप्त होने के बाद दो वर्ष की अवधि के भीतर, पट्टे पर नहीं उठा सकेगा।

किन्तु यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा यदि पट्टा देने वाला स्त्री है, अवयस्क, पागल या जड़ या ऐसा व्यक्ति है जो अन्धेपन या अन्य किसी शारीरिक निर्बलता के कारण खेती करने में अक्षम हो या संघ की स्थल सेना, नौ सेना या वायु सेना सम्बन्धी सेवा में हो।]

यह करीब-करीब उसी को हेर फेर कर अनुवाद कर दिया है।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आपके भाषण से वह स्पष्ट हो गया अब देखिये माननीय राजस्व मंत्री जी क्या कहते हैं। आप को जवाब देने का अधिकार तो है ही।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने एक माकूल बात कही है और जब भी कोई माकूल बात कही जायगी तो उसको अवश्य स्वीकार किया जायगा। मैं समझता हूं कि उनको इससे काफी संतोष होगा कि यह स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४ की पंक्ति ४ के शब्द "पट्टेदार" (lessee) के स्थान पर शब्द "पट्टा देने वाला (lessor)" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री कमला सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ के उपखंड (१) में शब्द "अविवाहिता" के बाद शब्द "परित्यक्ता या विधवा" जोड़ दिये जायं।

जहां तक लेसर का सम्बन्ध है यानी पट्टा देने वाले का सम्बन्ध है पट्टेदारी के लिये स्त्रियों के लिये एक खास स्थान दिया गया है क्योंकि वह अपाहिज होती हैं, खुद अपनी खेती—बाड़ी नहीं कर सकती हैं। स्त्रियां तीन प्रकार की होती हैं एक वे हैं जिन के पति जीवित हैं, दूसरी वे हैं जो पति के जीवित रहते डाइवोर्स कर दी गयी हैं और अपने हसबैंड से सप्रेटली रहती हैं, तीसरी वे हैं जो विधवा हैं और उनके पति जीवित नहीं हैं। यह तीन प्रकार की स्त्रियां हैं। जो नाबालिग हैं वे अवयस्क के अन्दर आ जाती हैं। लेकिन जो बालिग हैं और अविवाहिता हैं वे नम्बर एक से कवर हो जाती हैं। जो परित्यक्ता हैं और अपने पति से अलग रहती हैं उनके लिये भी इस बिल में कोई स्थान नहीं है। उनके साथ ही साथ जो विधवा हैं जिनका कोई काम करने वाला नहीं है और जो काम करने की हालत में नहीं हैं उनके लिये इस ऐक्ट के अन्दर कोई स्थान नहीं है। ऐसी हालत में मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जी इस अमेंडमेंट को स्वीकार करेंगे। साथ ही साथ यह भी है कि जो जमींदारी अबालिशन ऐक्ट है उसकी धारा १५७ की उपधारा (क) में दिया हुआ है कि "अविवाहिता परित्यक्ता या विधवा स्त्री हो" तो जब कि खास तौर पर हमने जमींदारी अबालिशन ऐक्ट में जो कि इसी विधान सभा के जरिये बनाया गया है स्त्रियों को स्थान दिया है तो जौनसार बावर की स्त्रियों से हम क्यों दुश्मनी मोल लें और वैसा ही स्थान उनको भी क्यों न हम दें। ऐसी दशा में मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री इस संशोधन को अवश्य स्वीकार करेंगे।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं पहले ही इसका विरोध

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

करता लेकिन माननीय राजस्व मंत्री जी ने इसे स्वीकार कर लिया। मैं समझता हूं कि इन शब्दों की यहां पर आवश्यकता नहीं है क्योंकि माननीय कमला सिंह जी को शायद वहां की परिस्थिति से अनुभव नहीं है। वहां एक स्त्री के पांच पति होते हैं।

तो वह विधवा तो कभी होती नहीं। बहुत दिन लगते हैं उसमें। इसलिए परित्यक्ता का भी सवाल आता नहीं। एक स्त्री के पांच पांच-पति हैं। अगर एक ने छोड़ दिया तो चार बाकी रह जाते हैं। इसलिए इस संशोधन की आवश्यकता नहीं हैं। इसको माननीय राजस्व मंत्री ने बिना वहां की परिस्थिति जाने हुए स्वीकार कर लिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जितने भाषण सुन रहा हूं सब वे लोग भाषण दे रहे हैं जिन्होंने जौनसार बावर न कभी देखा है न पढ़ा है और न जानकारी हासिल की। माननीय शान्ति प्रपन्न जी वहां के सदस्य हैं। उन्होंने इस पर कुछ भी रोशनी नहीं डाली। अगर वह कुछ रोशनी डालते तो उस बारे में ज्यादा मालूम होता।

मैं इसकी आवश्यकता नहीं समझता और इन शब्दों को इसमें नहीं रखा जाना चाहिए।

श्री कमला सिंह—चूंकि माननीय राजस्व मंत्री जी ने इस को सहर्ष स्वीकार कर लिया है। इसलिए इसके बाद मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—मैं भी अपना विरोध वापस लेता हूं।

श्री चरण सिंह—सिर्फ एक बात कह देना चाहता हूं। यह ठीक है कि वहां पालीएंड्री है। लेकिन ऐसे भी केसेज हैं जहां एक पत्नी के एक ही पति है।

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—पांचों अगर मर जायं तो विधवा तो हो ही जायगी।

श्री चरण सिंह—विधवा परित्यक्ता भी हो सकती है जैसा कि बाबू जी ने कहा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (१) में शब्द "अविवाहिता" के बाद शब्द "परित्यक्ता या विधवा" जोड़ दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री नारायण दत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से निम्न संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड ४ के उपखंड (२) में जो इस प्रकार है "अवयस्क जिसका पिता मर गया हो, इसमें "जिसका पिता मर गया है" यह निकाल दिया जाय। खाली "अवयस्क (minor)" इतना ही रहे।

यह संशोधन इसलिए आवश्यक है क्योंकि जिसका पिता मर गया हो यह एक वचन इस्तेमाल किया गया है। अभी उपाध्याय जी ने ध्यान आकर्षित किया कि वहां पर बहुपति प्रथा है और माननीय मंत्री जी ने भी माना है कि वहां बहुपति प्रथा है। तो इसके रहते हुए यह पता लगाना मुश्किल है कि उसका पिता मर गया या जिन्दा ही है। मान लिया जाय कि चार-पांच लड़के हैं या तीन लड़के और एक लड़की है और चार पति हैं। मानलें कि चार में एक मर गया और तीन जीवित हैं तो ऐसी हालत में माइनर ज्यादा उपयुक्त होगा कमेटी ने भी इसीलिये माइनर शब्द इस्तेमाल किया था। वहां कैसी प्रथा इस जमीन के बटवारे के सिलसिले में है इस संबंध में मैं आपकी आज्ञा से उदाहरणार्थ पढ़ देना चाहता हूं जिससे यह मालूम हो जाय कि माइनर ही ज्यादा उपयुक्त है।

"If, according to custom, four brothers have two or perhaps one wife between them, and four or five daughters are born, and one of the brothers marries again, the children are not shared between them, but remain with the woman; and the woman cannot go to the younger brothers, but must live with the elder; but the children are entitled to equal shares from the four brothers, which are paid to the elder. If they separate, the elder brother bears expenses of the marriages."

[अगर प्रथानुसार चार भाइयों की दो पत्नियां हैं या सम्भवतः एक ही पत्नी है और चार या पांच पुत्रियां पैदा होती हैं और एक भाई दुबारा शादी कर लेता है तो बच्चे उनमें नहीं बांटे जाते पर वे औरत के साथ रहते हैं और औरत छोटे भाइयों के पास नहीं जा सकती, वह बड़े भाई के पास ही रहती है, परन्तु बच्चे चारों भाइयों की सम्पत्ति के बराबर हिस्सेदार हैं, जोकि सबसे बड़े को दिये जाते हैं। अगर वे अलग हो जायं, तो बड़ा भाई शादियों के हर खर्चे को बरदाश्त करता है।]

एक तो प्रथा यह है कि बच्चों का शेयर होता है। तो इस प्रकार पिता की कोई गुंजाइश नहीं है। वह औरत के साथ चला जाता है।

तो कौन पिता किस का जीवित है, किसका मर गया है यह बड़ा मुश्किल हो जायगा।

फिर इसका रूल ४ पृष्ठ ६१ पर देखिये।

"If any man has three wives, and they have children in unequal numbers, viz. one has two, another three at the time of sharing, the children all receive equal shares, except that the son with whom the first mother is to live will receive a little more."

[अगर किसी आदमी की तीन पत्नियां हैं और उनके बच्चे बराबर संख्या में नहीं हैं जैसे एक के दो, दूसरे के तीन हैं जबकि बंटवारा होता है, तो सब बच्चे बराबर २ हिस्सा पाते हैं केवल वह लड़का, जिसके साथ पहली माँ रहती है, कुछ ज्यादा पाता है]

तो इस प्रकार के वहां पर बेतुके रिवाज हैं। इसी प्रकार तीसरा है कि--

"If two brothers have one wife and have two children at the death of wife and both brothers marry again, and after the marriage the elder brother dies, leaving four sons at the time of sharings after deducting half the whole property for the children by the first marriage, the remainder is divided into six equal shares: from those six shares two more, besides the half previously deducted, are given to the children by the first Marriage."

[अगर दो भाइयों की एक पत्नी है और पत्नी की मृत्यु के समय उनके दो बच्चे हैं और दोनों भाई दुबारा शादी करते हैं और शादी के बाद चार बच्चों को छोड़कर बड़ा भाई मर जाता है, तो बंटवारे के समय सारी सम्पत्ति का आधा भाग पहली स्त्री के बच्चों के लिये होगा और शेष सम्पत्ति के छः बराबर भाग होंगे; उन छः भागों में से दो भाग आधी सम्पत्ति के अतिरिक्त पहली स्त्री के बच्चों को मिलेंगे।]

इस प्रकार इन तीन उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि जिसका पिता मर गया हो इसकी परिभाषा करना असम्भव है कि कौन पिता था, कौन मरा और कौन जीवित है। इसलिये खाली माइनर रख दिया जायगा तो ठीक होगा और जो सरकार चाहती है वह मंशा भी पूरी हो जायगी।

श्री चरण सिंह--मुझे अफसोस है कि मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता हूं। जिसका पिता मर गया हो इसलिय यह शब्द रखे हैं ताकि लीज के खिलाफ जो प्राविजन्स है उसमें काश्तकार अपन लड़के के नाम कर दे और फिर उससे लीज करा दे। इसलिये यह शब्द रखे गये है कि जिसका बाप जिन्दा हो वह माइनर नही कर सकता ह। जिनका बाप मर गया हो वह बेशक कर सकता है। तो जो यह शब्द रखे गये, बिल्कुल उचित हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी--मैं एक सूचना जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि कौन पिता मर गया है और कौन पिता जीवित है यह कैसे मालूम होगा क्या जब किसी माइनर के चारों पिता मर जायेंगे जब वह माइनर माना जायगा।

श्री चरण सिंह--चारों भी मर सकते हैं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन श्री नारायण दत्त तिवारी ने पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। मैं समझता था कि मंत्री जी वहां की प्रथा को जानते होंगे। अगर यह शब्द रखे जायगे तो एक दिक्कत यह पड़ेगी कि एक औरत के पांच पति हैं और एक बच्चा है जब तक पांचों पति नहीं मर जाते ह तब तक कोई न कोई उस माइनर की देखभाल करने वाला होगा। इसलिये यह रखा जाय कि जिसके सारे पिता मर गये हो तब तो ठीक है। इसलिये इसकी आवश्यकता नही है। यह हमारे सौभाग्य या दुर्भाग्य की बात है कि वहां के लोग अपने को पांडवों की संतान कहते हैं। हम तो हंसते है लेकिन वह लोग बड़े गर्व के साथ कहते है कि हम पांडवों की संतान हैं। यह उनके यहां रिवाज चला आता है। ऐसे लोग भी वहां पर है जिनकी एक स्त्री के एक ही पति होता है। बहुत सी जगह ऐसी है जहां एक स्त्री के पांच पति होते हैं अगर एक पिता मर गया और बच्चा माइनर है तो दिक्कत पड़ेगी। इसलिये इसकी आवश्यकता नहीं है। माइनर शब्द काफी है। इसलिये मैं इसका समथन करता हूं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना (जिला इलाहाबाद)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन श्री नारायण दत्त जी ने जौनसार-बावर की परिस्थितियों को देखते हुये रखा है वह बहुद मुनासिब है। माननीय राजस्व मंत्री जी ने बहुत जल्दी की जो अपना फैसला इसके संबंध में सुना दिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मर्दुम-शुमारी के कागजात को देखकर वह अपने मत को बदलने की बात पर बिचार करें जौनसार-बावर की बात दुनिया से निराली है। एक पुत्र के ५ पिता होन का यदि रिवाज वहां है तो सामान्य बुद्धि कहती है कि नारायण दत्त तिवारी जी ने जो प्रश्न उठाया है, वह हल हो जाय यदि पिता की परिभाषा, इस अधिनियम मे कर दी जाय और या यह मान लिया जाय कि इस अधिनियम के अन्तगत "पिता" के मरने का अर्थ वही होगा जबकि उन पांचों मे से जो एक पत्नी के पति हैं कोई एक या एक से अधिक मर जाय। जब तक ऐसा न होगा तब तक यह उपखण्ड जौनसार-बावर की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए असंगत और अव्यवहारिक ही नहीं, बेकार भी हो जायेगा या फिर जो बेकार क्लाज इसमे है वह निकाल दिया जाय तो यह भी मुनासिब ही बात होगी। इसलिये मैं माननीय राजस्व से निवेदन करूंगा कि एक बेकार क्लाज इसमे से या तो निकाल दिया जाय या इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का जो माननीय नारायण दत्त जी ने उपस्थित किया है समर्थन कर रहा हूं उसे स्वीकार किया जाय।

श्री रतन लाल जैन (जिला बिजनौर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो यह संशोधन है मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जौनसार-बावर के अन्दर

चकरौता मे ऐसे भी किसान है जिनमे यह प्रथा नहीं है जो जौनसार-बावर के अन्य भागो मे विद्यमान है, वहां पर एक स्त्री के एक ही पति होता है तो यह जो क्लाज आया है वह वहां पर भी लागू हो जायगा । अगर यह हटा दिया जायगा तो ऐसे जो किसान है उनके लिये नुकसान होगा इसलिये मै यह समझता हूं कि जो क्लाज है वही रहना चाहिये और यह संशोधन ठीक नहीं बैठता ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नारायण दत्त जी के प्रस्ताव का मै विरोध करता हूं । सत्य तो यह है कि एक प्रकार से मै समझ भी नहीं पाया । यह स्थिति तो तभी पैदा होती है जब कि कोई काश्तकार किसी शिकमी को भूमि उठाये । यह स्थिति तो उस दशा मे उपस्थित होती है जब या तो कोई काश्तकार मर जाय या उसके पश्चात् उसका अवयस्क लड़के का नाम खाते मे दर्ज हो लेकिन जिस पुत्र के ५ पिता है यदि उनमे से एक पिता मर जाय तो मेरी दृष्टि मे तो उस माइनर का नाम खाते मे दर्ज होगा नहीं और यदि खाते मे नाम दर्ज नही होगा तो शिकमी उठाने का प्रश्न नहीं उठता । ऐसी दशा में अगर नारायण दत्त जी का सुझाव कि वह पांचों पिता मरें और उसके बाद मे माइनर को अधिकार दे तो उसके दूसरे रूप मे यह कहा जा सकता है कि पांचों पिता के रहते हुए यह अनिश्चित है कि किस पिता की कौन कौन सन्तान है । ऐसी अवस्था मे वहां माइनर को कभी अधिकार नहीं मिलेगा । मै इसको भी छोड़ता हूं अगर इस तरह से स्वीकार कर लिया जाय तो अन्त में हमको यह विचारना पड़ेगा कि ५ पिताओं का एक पुत्र है । उनमे से एक मर जाता है तो वह पुत्र ऐसा होगा जिसकी देखभाल के लिये दूसरे लोग मौजूद है । मै तो यह समझता हूं कि जिस पत्नी के ५ पति है उनके अलग-अलग कुटुम्ब नहीं होंगे । मै ठीक तो नहीं जानता लेकिन ऐसा समझता हूं कि वे पांचों पति अलग अलग न रह कर उसी एक पत्नी के घर पर रहते होंगे । उनसे कोई सन्तान उत्पन्न हुई तो वह सन्तान पांचों पतियों की है और उसको पांचों का संरक्षण प्राप्त है। इसलिये इस संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

यह जो धारा ४ है यह कुछ संरक्षण दिये जाने की धारा है यानी कुछ विशेष अधिकार की धारा है और यह अधिकार माइनर को दिये जाने का इसमें जिक्र है जिसके द्वारा कुछ अधिकार माइनर को दिये जायंगे उस स्थिति को ध्यान मे रखते हुये जब तक माइनर का कोई संरक्षक या कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उसकी भूमि का देखभाल कर सके तो ऐसी परिस्थिति मे न्याय भी ऐसा है और इस विधेयक मे भी ऐसा है कि उस कानून के द्वारा उसको कुछ अधिकार प्राप्त हो कि वह अपनी भूमि को शिकमी पर उठा सके । तो मै स्पष्ट रूप से प्रार्थना यह करूंगा कि मेरे मित्र नारायण दत्त तिवारी ने जो सुझाव रखा है वह तो इस विधेयक मे सैद्धान्तिक रूप से धारा ४ में निहित है । सिद्धान्त के आधार पर यह संरक्षण केवल उन माइनर को मिलना चाहिये जिनका कोई संरक्षक नहीं है और उसकी भूमि की देखभाल नहीं हो पाती उसके देखभाल के लिये किसी व्यक्ति की जरूरत है । उसके दूसरे पिता के द्वारा तो उनको संरक्षण प्राप्त होना ही चाहिये । मेरे मित्र इसका उत्तर यह देंगे कि यह धारा ही इसमें से निकाल दी जाय। तो इसका उत्तर में उनको यही दूंगा जो राजस्व मंत्री जी ने दिया है कि हमारे यहां जो यह बहुविवाह प्रथा है इसके अलावा कुछ ऐसे कुटुम्ब भी है जिनके एक पत्नी या एक पिता ही होता है और उनके एक पुत्र भी होता है । एक पुत्र होता है जब उसका पिता मर गया तो उसके बाद खाते मे नाम उस लड़के का चढ़ेगा और उसको वह संरक्षण प्राप्त होना चाहिये, अन्यथा जिसके कोई पिता नहीं है उसको संरक्षण कैसे प्राप्त होगा ? मेरी दृष्टि से मेरे मित्र नारायण दत्त जी मेरी इस बात को स्वीकार करेंगे और अपने प्रस्ताव को सदन के सामने नहीं रखेंगे ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, इस बात को हाउस अच्छी तरह स जानता है कि जौनसार-बावर में एक स्त्री के कई पति होते हैं लेकिन जो संशोधन पेश किया गया है और इसके संबंध में जो बात कही गयी और नारायणदत्त जी ने जिस बात को कहा कि अगर एक स्त्री के कई पति हैं उसमें किसको उसका पति समझा जाय और कौन जिन्दा है और कौन मर गया है। यह एक बिल्कुल सीधी सी बात है। चार पिता हैं, एक स्त्री है, और एक लड़का है। अगर चारों पिताओं के संबंध में भ्रम है कि उस लड़के का कौन पिता है तो जब वह सब मर जायेंगे तभी वह पितृहीन समझा जायगा लेकिन जब तक वे चारों पिता जिन्दा हैं तब तक वह पितृहीन नहीं माना जायगा। अगर उनका यह कहना है कि चार पिता हैं तो उनकी मौजूदगी में तो कैसे उसको हक प्राप्त होगा तो राजस्व मंत्री जी ने यह बात बतलाई कि जब माइनर के नाम पर जमीन चढ़ गई तो फिर उसका कोई पिता उस जमीन को शिकमी पर चढ़ा दे तो इस बात को रोकने के लिये यह क्लाज रखी गयी है।

अध्यक्ष--अगर माननीय मंत्री जी इसको पितृहीन कर दे तो संभवतः यह झगड़ा खत्म हो जाय। जिसका पिता मर गया वह पितृहीन हो गया।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम में तो पितृहीन माइनर लिखा हुआ है और ऐसे लिखने से यह झगड़ा खत्म हो सकता है तो मुझे स्वीकार है, लेकिन जो वहां पर प्रथा है वह यह है कि बड़ा भाई शादी करता है वही स्त्री जितने भाई होते हैं उनकी स्त्री समझी जाती है। लेकिन ऐसी भी है और मैंने इसको जौनसार बावर में सुना है कि अगर कोई भाई अपने परिवार से अलग हो जाय तो वह शादी कर सकता है। जब तक वह सम्मिलित कुटुम्ब का है तब तक उसको शादी करने का अधिकार नहीं है। वह अलग हो कर ही ऐसा कर सकता है। इस प्रकार से वहां शादी अलग से भी की जा सकती है, लेकिन सामान्य रिवाज यही है कि बड़ा भाई वहां पर शादी करता है और वह सब की स्त्री समझी जाती है तो जो कोई पुत्र उत्पन्न हुआ उसके लिये निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि वह किस पिता का पुत्र है इसलिये जो क्लाज है कि पितृहीन होने पर ही अधिकार होगा तो जितने पिता हैं सब नहीं रहेंगे तब वह पितृहीन होगा। इसलिये इसमें कोई संशय की बात नहीं है और श्री नारायण दत्त जी का जो संशय है वह पैदा नहीं होता। इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री कमला सिंह--मैं श्री नारायण दत्त जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इसलिये कि एक अवयस्क के साथ जिसका पिता मर गया हो, इस पर कुछ कहने के पहले मैं सदन का ध्यान जो आखिर का प्रतिबन्ध है उसकी ओर दिलाना चाहता हूं कि "यदि कोई खाता एक से अधिक व्यक्तियों के पास संयुक्त रूप से हो तो यह अपवाद उन पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि वे सभी व्यक्ति पट्टे के प्रारंभ से ही उपर्युक्त एक या एक से अधिक अक्षमताओं से ग्रस्त न हों।" सभी व्यक्ति पट्टे के प्रारंभ से ही "के अनुसार अगर आप ध्यान दें" तो अगर माइनर शब्द लाया जाता है तो पिता मर गया हो तो यह शब्द निकाल दिये जाते हैं तो यह प्रतिबन्ध तो कवर कर लेगा और अगर नहीं निकालते हैं तो उसमें एतराज होगा जिसको मानने के लिये राजस्व मंत्री जी बाध्य होंगे। ऐसी परिस्थिति में मैं उनका ध्यान दिलाऊंगा कि वह प्रतिबन्ध की ओर भी ध्यान दें और समझ सोच लें और उसके बाद अपना किसी किस्म का फैसला दें। अब तक एक पिता या ५ पिता के बारे में कहा गया, एक पिता हो या ५ पिता हों इसका कोई असर धारा पर नहीं पड़ता। जब हम कहते हैं कि वह "सभी व्यक्ति पट्टे के प्रारंभ से ही उपर्युक्त एक या एक से अधिक अक्षमताओं से ग्रस्त न हों।" ऐसी हालत में मैं राजस्व मंत्री जी से फिर कहूंगा कि वह माननीय नारायण दत्त जी के संशोधन को मान लें।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैंने बड़े ध्यानपूर्वक अपने माननीय मित्रों के भाषणों को सुनने की चेष्टा की कि जिन्होंने मेरे संशोधन के विरोध में कुछ कहा लेकिन दरअसल में उन्होंने अगर प्रस्तुत धारा को देखा होता तो उनको ऐसी

शंका न होती। इसमें स्पष्ट लिखा है कि 'केवल उस दशा को छोड़कर जब कि पट्टेदार निम्नलिखित में से कोई हो, उसमें आता है" अवयस्क जिसका पिता मर गया हो, तो यह एक वचन में है बहुवचन में नहीं है यानी जो पितृहीन हो गया हो लेकिन पितृहीन होने पर भी जो मशा है वह नहीं आती। अगर आप दस्तूरुलअमल को देखें तो उससे स्पष्ट हो जायगा कि वहां कभी-कभी ऐसा होता है कि वहां आदमियों का भी शेयर होने लगता है और वहां ऐसी-ऐसी अजीब प्रथायें हैं कि उनको अगर मैं बताऊं तो घंटा भर लगेगा। रिपोर्ट में दस्तूरुलअमल के बारे में पेज ९० में है कि--

"If, according to custom, four brothers have two or perhaps one wife between them, and four or five daughters are born and one of the brothers marries again, the children are not shared between them, but remain with the women".

[अगर प्रथानुसार चार भाइयों की दो या शायद एक पत्नी हो और चार या पांच पुत्रियां पैदा होती हैं और एक भाई दुबारा शादी कर लेता है तो बच्चे उनमें नहीं बांटे जाते परन्तु वे औरत के पास रहते हैं।]

ऐसे कानून जहां के हैं वहां पितृहीन कैसे लागू होगा। एक पिता कहां लागू होगा। श्री लक्ष्मी रमण जी आचार्य को भी शायद कुछ गलतफहमी हो गयी कि माइनर में भी टाइटिल मिल जाता है। माइनर में किसी के दो-तीन पिता हों और जब कोई माइनर होगा तभी तो शिकमी उठावेगा और अगर टाइटिल न होगा तो वह जमीन उठावेगा ही कैसे उसको उठाने का अधिकार तो उसके परन्तुम को होगा।

जो बात उन्होंने कही वह माइनरशिप में आ जाती है। इधर जैन साहब को गलत-फहमी हो गयी। उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से कुछ लोग वहां चले जाते हैं अगर वे बहु-विवाह नहीं करते तो यह चीज उनमें लागू नहीं हो सकती जो मैं कह रहा हूं। मेरा तो कहने का मतलब यह है कि वह माइनर जिसको काश्तकारी टाइटिल मिला हुआ है और काश्तकार के रूप में उसको उठाता है। लेकिन जो माइनर काश्तकार ही नहीं है तो फिर वह कहां से उठायेगा। इसलिये वहां की हालत को देखते हुए यह शब्दावली ठीक नहीं है "जिसका पिता मर गया हो" या तो यह होना चाहिये कि जिसके सब पिता मर गये हों या यह कि जैसा मौर्य जी ने कहा "पितृहीन" शब्द अगर रख दिया जाय तो मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। अगर मेरा नहीं तो माननीय मंत्री यदि मौर्य जी का संशोधन स्वीकार कर लेंगे तो मेरे ऊपर तो क्या उन लोगों के ऊपर जो माइनर हैं, बड़ा उपकार होगा। शान्ति प्रपन्न शर्मा जी जरा और बता दें कि वहां पर क्या हालत है। अतः मेरे संशोधन के मानने में यदि कोई आपत्ति हो तो मौर्य जी का ही संशोधन स्वीकार कर लिया जाय।

श्री चरण सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि बहुत मोटी से मोटी बात भी समझ में नहीं आती और मैं और मेरे दूसरे साथी अपने आपको उन्हें समझाने में अपने आपको नाकाबिल पाते हैं। विधेयक में यह लिखा हुआ है कि "जिसका पिता मर गया हो" उसके बजाय आप चाहते हैं "सब पिता मर गये हों" जनरल क्लासेज ऐक्ट में यह आया है कि 'सिंगुलर इन्क्लूड्स प्लूरल' इसलिये जहां एक पिता है वहां उसका मतलब एक से होगा और जहां कई पिता हैं वहां उसका मतलब बहुत से पिताओं से होगा। लिहाजा आपकी जो शंका और भ्रम है वह सब निराधार है। अध्यक्ष महोदय, मेरी यह समझ में नहीं आता कि यह कैसे माना जा रहा है कि सभी स्त्रियों के बहुत पति होते हैं। इधर अब वहां मोनोगेमी के हक में लोग बहुत होते जा रहे हैं। वहां के निवासियों में एक पत्नी का रिवाज होता जा रहा है। दूसरी बात यह है यह मान भी लिया कि वहां पुराना रिवाज पूरी ताकत से लागू है तो भी एक पति वाली पत्नी भी तो हो सकती है। मान लिया कि किसी का एक ही लड़का है तो उसकी जो पत्नी होगी वह एक पति वाली ही होगी और उसका जो लड़का होगा उसका एक ही पिता होगा। इसलिये यह कहना कि सभी

[श्री चरण सिंह]

स्त्रियों के कई-कई पति होते हैं, यह गलत है। इसलिये चाहे तो एक पिता हुआ या एक ग्रुप आफ परसन्स पिता हुए वह जब तक पितृहीन नहीं होगा जब तक कि वह पिता या उनमें से कोई पिता जिन्दा है। इसलिये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक व्यक्ति को पिता मान लिया जाय या एक ग्रुप आफ परसन्स को इकाई मानकर पिता मान लिया जाय। उसमे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। मुझे जरा बहुगुना जी के यह कहने पर ताज्जुब हुआ। उनको यह अधिकार था कि वे कहते कि जो अच्छी चीज है मैं उसका समर्थन करता हूं। लेकिन यह कि माकूल बात कही जाय चाहे वह विरोधी भाइयों की तरफ से भी कही जाय तो मैं उसे स्वीकार करता हूं और यदि कोई नामाकूल बात हो, बिलकुल गैरमाकूल हो तब नामंजूरी की नौबत आती है। लेकिन उसमे ऐसी कोई अच्छी चीज है नहीं। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ४ (२) के शब्द "जिसका पिता मर गया हो" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजाफ्फर नगर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से खंड ४ में यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि उपखंड (२) के अन्त में शब्द:--

"और यदि किसी रिकग्नाइज्ड संस्था का विद्यार्थी हो तो २५ वर्ष की आयु तक" बढ़ा दिये जायं। उसे भी एक माइनर का हक दिया जाय कि वह अपनी जमीन दूसरे को उठा सके। मेरी केवल इतनी ही प्रार्थना है कि ऐसे विद्यार्थी को, जो किसी रिकग्नाइज्ड संस्था में पढ़ते हों, उन्हें २५ वर्ष की आयु तक वे अधिकार हों जो कि एक माइनर का अधिकार है। १८ वर्ष की उम्र के बाद कोई माइनर नहीं रहता। मगर ऐसी परिस्थितियां हैं जैसे कि कोई विद्यार्थी पढ़ता हुआ हो, और वह २५ वर्ष की आयु तक पढ़ता रहे तो उसको भी यह अधिकार होना चाहिये जो कि एक माइनर का अधिकार है।

इसके साथ में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम की दफा १५७ के न भाग को आपके सामने पढ़ कर सुनाता हूं। "किसी स्वीकृत संस्था में अध्ययन करता हो और २५ वर्ष की आयु का न हो" तो उसको अपनी जमीन के ऊपर हक दिया गया है अगर कोई ऐसा विद्यार्थी है तो उसको भी और यदि कोई ऐसा पितृहीन है तो ऐसी दशा में उस शख्स को भी अधिकार है कि वह अपनी भूमि किसी दूसरे को उठा सके। तो जमींदारी उन्मूलन कानून और मौजूदा कानून में सामंजस्य उत्पन्न होना चाहिये और उसके साथ साथ ऐसे विद्यार्थियों को भी यह हक होना चाहिये कि वे अपनी भूमि किसी दूसरे को दे सकें और उससे लाभ उठा सकें। इसी के साथ साथ इससे सबसे बड़ा लाभ यह भी होगा कि वह प्रान्त के इस पिछड़े हुये भाग में जहां शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव है, शिक्षा बढ़ेगी। इसलिये अगर यह प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है तो मैं समझता हूं कि वहां के शिक्षा प्रचार में भी बहुत कुछ सहूलियत मिल जायगी और उससे बहुत लाभ हो सकेगा। इसलिये मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वे इस प्रस्ताव को अवश्य स्वीकार कर लें।

श्री मदन मोहन उपाध्याय--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय बलवन्त सिंह जी ने पेश किया है, मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। और इसलिये विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं कि शायद मेरे विरोध करने से माननीय राजस्व मंत्री जी उसे मान लें और स्वीकार कर लें। क्योंकि जब हम किसी चीज का विरोध करते हैं, सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य विरोध करते हैं तो वे समझते हैं कि जरूर इसमें कोई अच्छी चीज होगी या बुरी होगी, जो कुछ भी वे ठीक समझते हों। इसलिये मैं इसका यहां पर विरोध कर रहा हूं। मैं यह समझता हूं कि इसकी आवश्यकता नहीं है। १८ वर्ष जब किसी लड़के

को हो जाते हैं तो वह काफी समझदार हो जाता है और अपनी जमीन का इंतजाम वह खुद कर सकता है या नौकर रख करके करवा सकता है। २५ वर्ष तक के लिये रियायत दे देना ठीक नहीं है। जौनसार बावर में जहां तक शिक्षा का सवाल है वहां अब काफी शिक्षा जोरों से चल रही है और काफी ग्रेजुएट्स वहां हो गये हैं। वहां के काफी लोग सरकारी नौकरियों में भी आ गये हैं। वहां के लोग अब उतने पिछड़े हुए नहीं हैं जितना माननीय सदस्य समझते हैं। इससे शिक्षा में भी कोई प्रोत्साहन नहीं मिलने वाला है और मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल फिजूल है और २५ वर्ष तक के लिये बढ़ा देने से कोई फायदा नहीं है। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस रूप में यह संशोधन रखा गया है वह तो स्वीकार नहीं है लेकिन बात सही है उसको स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है यानी किसी रिकगनाइज्ड संस्था का विद्यार्थी हो। लेकिन जमींदारी उन्मूलन अधिनियम में जो शब्द रखे गये हैं ऐसा रख दिया जाय तो मुझ आपत्ति नहीं होगी। जमींदारी उन्मूलन की धारा १५१ के क्लाज (ङ) में है "किसी स्वीकृत संस्था (recognised institution) में अध्ययन करता हो और २५ वर्ष से अधिक आयु का न हो।" इसको यदि इस रूप में रख दिया जाय, जैसा मैं बताता हूं तो मुझे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

यह संशोधन इस प्रकार उपस्थित किया जाय--

खंड ४ के उपखंड (२) के बाद एक दूसरा उपखंड (२-क) बढ़ा दिया जाय जो इस प्रकार हो "(२-क) किसी स्वीकृत संस्था (recognised institution) में अध्ययन करता हो और २५ वर्ष से अधिक आयु का न हो।"

श्री बलवन्त सिंह--माननीय राजस्व मंत्री की ओर से जिस रूप में यह संशोधन रखा गया है वह मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (२) के बाद निम्नलिखित नया उपखंड (२-क) बढ़ा दिया जाय--

"(२-क) किसी स्वीकृत संस्था (recognised institution) में अध्ययन करता हो और २५ वर्ष से अधिक आयु का न हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (जिला बाराबंकी)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से खंड ४ के प्रतिबन्ध की अंतिम पंक्ति में शब्द "ग्रस्त" के बाद शब्द "न" बढ़ा दिया जाय, यह संशोधन पेश करता हूं।

यह इसलिये जरूरी है कि यदि प्रतिबन्ध का क्लाज जो है उसको पढ़ें तो उसमें यह लिखा हुआ है "किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई खाता एक से अधिक व्यक्तियों के पास संयुक्त रूप से हो तो यह अपवाद उन पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि वे सभी व्यक्ति पट्टे के प्रारंभ से ही उपर्युक्त एक या एक से अधिक अक्षमताओं से ग्रस्त हों।" ऐसे शब्द हैं। उसके लिये "न" शब्द जब तक नहीं आता तब तक इसका मतलब साफ नहीं निकलता। मैं समझता हूं कि यह छापेखाने की गलती है वरना यह बहुत आवश्यक है कि "न" रखा जाय। इसके बिना असली मतलब पूरा नहीं होता। मैं समझता हूं कि यह संशोधन माननीय राजस्व मंत्री जी स्वीकार करेंगे।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--यह संशोधन स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ४ के प्रतिबन्ध की अंतिम पंक्ति में शब्द "ग्रस्त" के बाद शब्द "न" बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राम नारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)——अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड ४ के वर्तमान प्रतिबन्ध के उपरान्त निम्नलिखित दो नये प्रतिबन्ध बढ़ा दिये जायं——

"किन्तु दूसरा प्रतिबन्ध यह है कि यदि भूतकाल में किसी काश्तकार ने ३ वर्ष से अधिक अवधि तक अपनी काश्त की जमीन शिकमी लगानी या शिकमी बटाई पर उठाया हो, तो उक्त जमीन से यदि वह १० एकड़ से अधिक हो, उसका १० एकड़ से अधिक जमीन से स्वत्व समाप्त हो जायगा और शिकमी असली काश्तकार हो जायगा।

किन्तु तीसरा प्रतिबन्ध यह है कि धारा ४ की उपधारा (१) से (६) तक में वर्णित व्यक्तियों के लिये १० एकड़ से ज्यादा जमीन के लिये धारा ४ में दी हुई रियायत लागू नहीं होगी।"

अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत विधेयक जो है उसका नाम "जौनसार बावर भौमिक अधिकार सुरक्षा तथा भौमिक अभिलेख विधेयक, १९५२" है। अगर यह केवल भौमिक : विधेयक होता और रेकार्ड्स को तैयार करने के लिए होता तो हम इस पर आपत्ति नहीं करते। लेकिन धारायें ३ और ४ इसमें ऐसी धारायें हैं जिसमें सरकार का यह भी इरादा मालूम होता है कि कुछ भौमिक सुरक्षा भी उनको प्रदान की जाय। धारा ३ के बारे में कल काफी बहस हो चुकी है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य——आन प्वाइन्ट आफ आर्डर। मैं श्रीमान् के नोटिस में यह लाना चाहता हूं कि इसके पहले एक संशोधन यह स्वीकार कर लिया गया कि शिकमी का उठाना ही अवैध होगा यानी तीन वर्ष या किसी समय के लिये कोई शिकमी नहीं उठा सकेगा। तो अब माननीय रामनारायण जी का यह संशोधन ३ वर्ष की अवधि से अधिक के लिये उठाया जाय, यह बात यहां बैठती नहीं है और शिकमी उठाना बिल्कुल बन्द कर दिया गया तो ३० एकड़ वगैरह का भी प्रश्न नहीं उठता। आपने उसके आगे यह कहा है कि तीसरे प्रतिबन्ध में कि ३० एकड़ से ज्यादा भूमि के लिये धारा ४ में दी हुई रियायत लागू नहीं होगी तो उनके लिये तो आपने ऐक्सेप्शन रखा है जो उसमें नाम दिये गये हैं ६-७ क्लाजेज के। तो इसलिये यह आवश्यक है और एक बात जब तय हो गयी तो इससे मतलब नहीं निकलता कि ३ वर्ष से अधिक के लिये यह प्रतिबन्ध लगाया जाय। इसलिये यह आउट आफ आर्डर है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी——अध्यक्ष महोदय, ऐसा मालूम होता है कि माननीय राजस्व मन्त्री के सभासचिव न ऐसे संशोधन को ठीक से नहीं पढ़ा। जो इस सदन में पहले पास हो चुका है और माना जा चुका है वह भविष्य काल के लिये है, पर मेरा संशोधन तो भूतकाल में है। इसका आशय यह नहीं है कि आगे कोई शिकमी पर उठा सकेगा, बल्कि भूतकाल में शिकमी उठाया गया और उसके लिये मेरा संशोधन है, इसलिये इन आर्डर है।

श्री अध्यक्ष——मैं समझता हूं आपत्ति लागू नहीं होती। आप पेश कर सकते हैं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी——अध्यक्ष महोदय, मैं अपने भाषण में यह कह रहा था कि इस विधेयक की धारायें ३ और ४ ऐसी हैं जो इसको भौमिक सुरक्षा बनाने का प्रयत्न कर रही हैं। धारा ३ की निस्सारता को हमारी तरफ से कल साबित की जा चुकी है लेकिन बहुमत की हठवादिता की वजह से कोई सुनवाई नहीं हुई। धारा ४ का सवाल है और उसमें लिखा है कि "कोई भी काश्तकार अपने सम्पूर्ण खाते या उसके किसी भाग को तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिये अथवा किसी शिकमी के पास किसी भाग के रहने से, ३ वर्ष के भीतर, नहीं उठायेगा, केवल उस दशा को छोड़कर जबकि पट्टेदार निम्नलिखित में से कोई हो।" इस धारा को अगर गौर से पढ़ा जाय तो इसमें कोई भौमिक सुरक्षा प्रतीत नहीं होती। सिर्फ उसका एक नतीजा होगा जरूर कि वहां के किसान

जो कि कुछ साल तक शिकमी पर जमीन जोत करके अपने बालबच्चों और अपने परिवार के अन्य लोगों की परवरिश करते थे वह भविष्य में हर तीन साल के बाद जमीन बदल दिया करेंगे और उस जमीन से किसी को प्रेम नहीं रहेगा। हर किसान यह सोचेगा कि तीन साल तक शिकमी रहेंगे और फिर निकाल दिये जायेंगे इसलिये पहले अपनी जमीन जोतो और उसके बाद अगर थोड़ा सा समय मिले तो उसमें भी परिश्रम कर दो। तो इससे कोई भौमिक सुरक्षा वहां पहुंचती है, ऐसी बात नहीं है। अगर वाकई सरकार का मतलब यह है कि इसको भूमि सुरक्षा विधेयक बनाया जाय तो मेरा जो संशोधन है उससे वास्तव में पिछले जमाने से जो लोग शिकमी काश्त करते चले आरहे हैं उनकी सुरक्षा हो जाती है। अध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि इस सम्बन्ध में हमारी सरकार के पास कोई भी आंकड़े नहीं हैं कि शिकमी काश्त पर कितनी जमीन उठी हुई है। जैसा कि कायदे में है। हमारी विधान सभा प्रक्रिया नियमावली में, मैंने आपके द्वारा राजस्व मन्त्री जी से कुछ आंकड़े मांगे थे और उसमें पहिला मेरा प्रश्न एक यह था कि शिकमी काश्तकारों की कब्जे की अधिक से अधिक और कम से कम अवधि और शिकमी काश्तकारों का रकबा तो उत्तर मिला है कि "कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।" तो हमारी सरकार का सबसे बड़ा दावा धारा ४ के द्वारा भौमिक सुरक्षा रखने का है और उसके सम्बन्ध में हमारी सरकार को कोई आंकड़े ही नहीं मालूम हैं और दूसरे आंकड़े जो हमारे पास कल आये हैं उसमें कई बार कई बातें कही गयीं।

श्री चरण सिंह--मैं जरा पूछना चाहता हूं कि आपके कौन से सवाल के जवाब में हमने लिखा था। क्या आपने जौनसार बावर के बारे मे सवाल पूछा था ?

श्री रामनारायण त्रिपाठी--अच्छा तो होगा कि मै वह पत्र ही पढ़ करके सुना दूं :

प्रेषक,

श्री राम स्वरूप महरा,
अन्डर सेक्रेटरी, राजस्व विभाग,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

सचिव,
उत्तर प्रदेश विधान सभा।
दिनांक १४ अक्तूबर, १९५२ ई०।

महोदय,

आपने जो जौनसार बावर अधिकार सुरक्षा तथा भौमिक अभिलेख विधेयक के सम्बन्ध में श्री रामनारायण त्रिपाठी का जो पत्र भेजा है उसके सम्बन्ध में मुझे राजस्व मन्त्री ने निम्नलिखित सूचना देने का आदेश दिया है :

(१) उक्त परगने में मध्यवर्तियों के सीर और खुदकाश्त का कब्जा--इस परगने में सीर और खुदकाश्त की प्रथा वैसी ही राज्य के अन्य भागों में है प्रचलित नहीं है। उस भूमि का रकबा जो जमीन्दारों के कब्जे में हैं और पट्टे पर नहीं उठी हुई है, ३४७३७ एकड़ है।

(२) औसत लगान--कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(३) औसत मालगुजारी--इस समय कुल खती का रकबा ३९६१३ एकड़ है और कुल मालगुजारी २५९१० रुपया, इस प्रकार औसत लगान ०-१०-६ प्रति एकड़ हुआ।

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

(४) शिकमी काश्तकारों का रकबा
(५) शिकमी काश्तकारों के कब्जे की की अधिक से अधिक और कम से कम अवधि } कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(६) कोल्टा और बाजगी जातियों के अधिकार के जमीन का रकबा ६५६५ एकड़।

तो अध्यक्ष महोदय, इन आंकड़ों में मै यह देखता हूं ३४६३६ एकड़ जमीन ऐसी है जो जमींदारों के कब्जे मे है और पट्टे पर नहीं उठायी गयी है और ६५६५ एकड़ जमीन ऐसी है जो कोल्टा, बाजगियों के पास है। जो जमीन जमीन्दारों के पास है उसको वे या तो खुद जोतते हैं या शिकमी पर उठाते हैं। शिकमी काश्तकारों के पास कितनी जमीन है और कितने समय से उठी हुई है इसके कोई आंकड़े सरकार के पास नहीं हैं। जैसे कि रिकार्ड्स आपरेशन किये जा रहे हैं उनके लिये यह आवश्यक है कि यह पता चले कि इतने साल से यह शिकमी है और इतने साल से इतना शिकमियों का रकबा निकलता है। और ३४७३७ एकड़ जमीन में से कितनी शिकमी जमीन है। तो जो मेरा संशोधन है वह सरकार की पूरी मदद करता है और मै समझता हूं कि अगर यह संशोधन मान लिया जाय कि भूतकाल में जिन्होंने अपनी जमीन तीन साल से ज्यादा शिकमी पर उठायी है उनकी जमीन शिकमी काश्तकार को मिल जाय, इससे बहुत मदद मिलेगी। मैंने इस सम्बन्ध में खास रियायत की है क्योंकि हम जानते हैं कि जब कोई कानून बनता है तो लोग बहुत सी बातें कर लेते हैं। माननीय राजस्व मन्त्री जी को जमींन्दारी अबालिशन और भूमि व्यवस्था विधेयक के क्रान्तिकारी होने पर बड़ा गर्व है। उन्होंने उसमें यह रखा है कि अगर शिकमी पर किसी किसान ने उठाया हो और आठ एकड़ तक उसका रकबा हो तब वह बेदखल कर सकता है, अगर आठ एकड़ से ज्यादा रकबा हो तो ८ एकड़ से ज्यादा रकबा वाला जो शिकमी काश्तकार हो वह असामी या शिकमी बन जायेगा और वह असली काश्तकार नहीं रहेगा। माननीय राजस्व मन्त्री जी ने पहले ही बताया था कि वहां जमीन जो है वह ऐसी जमीन है जो प्लेन्स की जमीन के बराबर नहीं है। तो मेरा संशोधन जो है वह जमींन्दारी अबालिशन और भूमि व्यवस्था कानून के अनुकूल भी है। अगर माननीय राजस्व मन्त्री जी सचमुच इसको भौमिक सुरक्षा विधेयक बनाना चाहते हैं तो उनको मेरे इस संशोधन को मान लेना चाहिए। दूसरा प्रतिबन्ध मैं बाद में लूंगा।

श्री चरण सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र माननीय मौर्य जी ने एक आपत्ति उठायी थी, उस आपत्ति को मै दोहराना नहीं चाहता लेकिन उसके अलावा एक प्वाइन्ट और था जिसका जिक्र करना वे भूल गय थे और वह यह है कि आपका कहना यह है कि ३० एकड़ से ज्यादा वह हो तो उस पर से उनका स्वत्व खत्म हो जायगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---३० के बजाय १० मैंने किया है।

श्री चरण सिंह---अच्छा दस सही। "किन्तु दूसरा प्रतिबन्ध यह है कि यदि भूतकाल में किसी काश्तकार ने ३ वर्ष से अधिक अवधि तक अपनी काश्त की जमीन शिकमी लगानी या शिकमी बटाई पर उठायी हो, तो उक्त जमीन से यदि वह १० एकड़ से अधिक हो, उसका १० एकड़ से अधिक जमीन से स्वत्व समाप्त हो जायगा और शिकमी असली काश्तकार हो जायगा।" यह जो आप उनके राइट्स कंफिस्केट करना चाहते हैं बिना कम्पन्सेशन दिये यह एक तरीके से बिल्कुल कांस्टीट्यूशन के विपरीत पड़ता है। लेकिन मैं इस कांस्टीट्यूशनल प्वाइन्ट पर स्टैन्ड नहीं ले रहा हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने बड़ी बिटरनेस के साथ यह कहा, बड़ी कड़वाहट के साथ यह कहा कि सरकार के पास कोई आंकड़े नहीं हैं, इतनी निकम्मी है। लेकिन जब मैंने कहा कि आप पूरा पढ़कर सुनाइये तो आपने सुनाया और आपकी शिकायत केवल इतनी रह गयी है। आपको जो खत गया उसमें बतलाया गया। इसमें उन्होंने पूछा

कि सीर के काश्तकारों का रकवा क्या है और शिकमी काश्तकारों की कम से कम और अधिक से अधिक क्या अवधि है। इस पर यहां से लिखा गया है कि कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। बाकी सब सूचनायें आपको आना पाई दे दी गयीं। सिर्फ इन दो चीजों की इत्तिला नहीं दी जा सकी। सीर के काश्तकारों का रकबा कैसे बतलाया जा सकता है जबकि वहां पर यह सवाल है ही नहीं। दूसरी चीज आपने यह पूछी कि शिकमी काश्तकारों की ज्यादा से ज्यादा और कम से कम अवधि क्या है यानी बड़ी से बड़ी होल्डिंग्स क्या है और छोटी से छोटी होल्डिंग्स क्या है। इतनी सी सूचना उपलब्ध नहीं है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी मुझे मुखातिब करके कह रहे हैं।

श्री चरण सिंह--अध्यक्ष महोदय, जब माननीय सदस्य ने यह कहा कि शिकमी का बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा रकबा क्या है। जबकि सदन को मालूम है कि यहां पर कोई लैन्ड रिकार्ड नहीं था। यह सन् १९५० ई० से शुरू हुआ है। इसीलिये सूचना उपलब्ध नहीं हो सकी है। दूसरे कितनी ही सूचना इकट्ठी क्यों न कर ले तब भी कोई न कोई बात रह ही जायेगी। सूचना जब हासिल करने की कोशिश की जाती है जबकि उससे कुछ फायदा हो। जब वहां पर बड़ी होल्डिंग्स हैं ही नहीं तब यह गैर-जरूरी बात थी और उससे कोई पब्लिक इन्ट्रेस्ट सर्व नहीं होता था। वैसे मैंने बतलाया था कि कुल रकबा काश्तकारों के पास ४८७६ एकड़ है और खाते ७८६० हैं तो १.६ एकड़ पर खाते का रकबा हुआ जो काश्तकार के पास है। इसमें ३० एकड़ और १० एकड़ की होल्डिंग कैसे हो सकती है क्योंकि सूचना नहीं है इसलिये कहा जा सकता है कि मुमकिन है कोई हो। लेकिन यह मुमकिनात में से ही है। मौके पर शायद ही कोई पाई जाय। अगर कोई एक आध होल्डिंग पाई भी गयी तो उसके लिये मेरे माननीय मित्र ने जो संशोधन रखा है वह गैर-जरूरी है और बिला वजह मेहनत करना है या किसी खास वजह से या प्रचार के दृष्टिकोण से लाया गया हो तो बात दूसरी है वर्ना यह सवाल उठता नहीं है। किसी के पास दस एकड़ जमीन नहीं होगी। यदि होगी भी तो एक आध के पास भले हो होगी। कुल जमीन ३९६१३ एकड़ है और खातों की तादाद २३८०४ है और खाते में १.६ एकड़ पड़ता है और एक खाते में कई कई आदमी हो सकते हैं। मैंने आपको पहिले ही बतला दिया है कि कुल रकबा ४८७६ एकड़ है और खाते ७८६० हैं। इसलिये यह केवल थ्योरिटिकल बात रह जाती है। मैं मुनासिब नहीं समझता हूं कि यह किसी भी तरह ठीक हो सकता है। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राम नारायण त्रिपाठी के संशोधन का समर्थन करना चाहता हूं। मुझे एक बात माननीय राजस्व मन्त्री के मुंह से सुनकर बड़ा दुख और आश्चर्य हुआ। मैं तो उनको आंकड़ों का खजाना समझता था लेकिन जिस वक्त उन्होंने यह बतलाया कि उस इलाके में कोई लैन्ड रिकार्ड नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने यह बतलाया कि इस तरह के आंकड़े देना संभव नहीं था कि कितने लोगों के पास कितनी जमीन है बड़े से बड़े और छोटे से छोटे खाते कितने हैं। अगर ऐसे आंकड़े सरकार के पास उपलब्ध नहीं है तो सरकार कैसे मालगुजारी वसूल करती है। माननीय राजस्व मन्त्री इसे स्वीकार करेंगे कि सरकार मालगुजारी वसूल करती है तो वह किसी आधार पर वसूल करती है। यह जरूर है कि भेड़ों और बकरियों का भी ध्यान रखा जाता है। लेकिन क्या इस बात की भी गुंजाइश नहीं है कि इसमें जमीन का भी अन्दाजा रक्खा जाता है और इसके हिसाब से हम मालगुजारी वसूल करते हैं।

राजस्व मन्त्री जी ने यह बात कही कि वहां मालगुजारी ज्यादा नहीं है, बहुत कम है। तो क्या कोई हिसाब मालगुजारी लगाने का सरकार के पास नहीं था, तो किस आधार पर यह बात कही गयी। यह सुनकर वाकई आश्चर्य होता है और यह कहना मुनासिब नहीं मालूम

[श्री गेंदा सिंह]

होता कि वहां पर ऐसे आंकड़े नहीं हैं कि जिनके आधार पर यह बतलाया जा सके कि कितने एकड़ के बड़े से बड़े और छोटे से छोटे काश्तकार हैं। माननीय राम नारायण जी का संशोधन केवल इतना है कि १० एकड़ से ज्यादा जो जोतने वाले हैं और उन्होंने शिकमी दे रखी हैं और शिकमी को उठाये तीन बरस से ज्यादा हो गये हैं तो उन शिकमी काश्तकारों को मौरूसी हक दे दिया जाय। यह कोई ऐसी बात नहीं है जो नई हो। इस सदन ने आज नहीं, सन् ३७ में जब कांग्रेस गवर्नमेंट आई थी उस वक्त जो टेनेन्सी ऐक्ट बना था तो उसमें यह स्पष्ट कर दिया गया था कि जिसके पास ५० एकड़ से ज्यादा सीर है और जो २५० रुपये से ज्यादा मालगुजारी अदा करता है तो उसका शिकमी काश्तकार जो होगा उसको मौरूसी हक दे दिया जायगा। तो ऐसी हालत में यह दलील देना कि जौनसार बावर में १० एकड़ के ऊपर के जोतने वाले के शिकमी को यह अधिकार देने में कान्स्टीट्यूशनल झगड़ा पड़ जायगा। मैं नहीं समझता कि यह झगड़ा कैसे उठ जायगा।

जौनसार बावर के इलाके के सम्बन्ध में जो इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट है हरीपुर ब्यास का जो इलाका है बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दिया गया है। ३९ का टेनेन्सी ऐक्ट वहां लागू कर दिया जाय। बहुत पहिले से इस चीज की मांग है लेकिन हमारी सरकार इसके लिये तैयार नहीं है। अगर ऐसी हालत में जौनसार बावर को उस इलाके से जिस इलाके में दूसरी प्रथा जारी है उससे जोड़ना के मानी यह होंगे कि इसको एक मुसीबत में डालना होगा। यह कहूं तो अत्युक्ति होगी। माननीय राजस्व मन्त्री जी ने जैसा हमें बतलाया है कि वहां ५५ या ६० हजार की आबादी है और २० हजार एकड़ पर खेती है। यह खेती और आबादी का अनुपात हम अपने प्रदेश में नहीं पायेंगे। यह अनुपात ऐसा नहीं है जिसमें हम जमीन के बटवारे से बहुत घबड़ायें। हम तो जमीन के बटवारे की बात छोड़कर एक एक्सपेरीमेंट करने की बात कह रहे हैं जिससे अनुभव प्राप्त किया जा सकता है। वर्तमान सरकार तो पूरे प्रदेश के कृषि कानून में कई प्रकार के परीक्षण कर रही है। बनारस में कोई दूसरा कानून है, रामपुर में कोई दूसरा कानून है और उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्सों में कोई दूसरा कानून है। तो मैं यह समझता हूं कि हर जगह रामपुर में कोई और अनुभव, बनारस में कोई और अनुभव हो सकता है और उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्सों में कोई और परीक्षण हो सकता है तो देहरादून जिले की एक तहसील में अगर इस तरह का परीक्षण कर लिया जाय कि जमीन वहां के लोगों को बांट कर देखा जाय कि इससे उत्पादन बढ़ता है या घटता है या किस तरह से उसका असर पड़ता है तो यह कोई बहुत ज्यादा खतरे की बात नहीं है। केवल इतना प्रश्न है कि जिन लोगों के पास काफी जमीन है और जो स्वयं खेती नहीं करते हैं और दूसरे से खेती करवाते हैं और दूसरे की मेहनत पर मौज करते हैं तो ऐसे लोगों के पास जमीन नहीं रहना चाहिए और जो अन्न उत्पादन करते हैं, जो राष्ट्र का हित करते हैं और मेहनत करके अनाज पैदा करते हैं उनको ही जमीन का मालिक बनाया जाय। मैं समझता हूं कि स्वत्व शब्द से कुछ गलतफहमी पैदा हो सकती है लेकिन माननीय राजस्व मन्त्री चाहेंगे तो इस पर उनसे समझौता हो सकता है बजाय इसके द्वारा शब्द रखा जा सकता है अगर शिकमी को मौरूसी का हक देने का फैसला कर दिया जाय। यह संशोधन जो है उसकी बाबत माननीय राजस्व मन्त्री जी का ध्यान टेनेन्सी ऐक्ट ३९ की तरफ, जो उनका ही बनाया हुआ है, उसकी तरफ दिलाना चाहता हूं और फिर उसके बाद जमीन्दारी अबालिशन ऐक्ट की तरफ दिलाना चाहता हूं जो इस वक्त लागू है और फिर उनके वक्तव्य की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसको उन्होंने बार बार हमारे सामने कहा है कि हम एक दो महीने में इसी कानून को वहां पर लागू कर देंगे। इसमें कोई वजह नहीं मालूम होती है कि इस कानून का एक टुकड़ा अगर इसी वक्त लागू कर दिया जाय। इसमें कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से ऐसी गड़बड़ हो जाय जिससे पहिले से भी हालत बिगड़ें। मैं यह समझता हूं कि रामनारायण जी की भी बात को मान लिया जायगा और उससे हम यह समझेंगे कि कम से कम हमारी एक बात तो मान ली गयी जो बहुत मुनासिब बातों में से है।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य--अध्यक्ष महोदय, मेरे विरोधी दल के मित्रों ने जो विवाद आज भवन में उपस्थित किया उससे मैं केवल यह समझा कि भूमि वितरण के सिद्धान्त प्रतिपादन करने के लिये उन्होंने यह संशोधन इस सदन के सामने रखा है। भूमि वितरण का सिद्धान्त गलत है या सही, इसको मैं नहीं कहता और यह सदन इस सिद्धान्त को किस रूप में आज या भविष्य में स्वीकार करे यह तो एक अलग चीज़ है और इस संबंध में मेरे मित्रों का क्या रुख रहेगा यह भी एक अलग चीज है। लेकिन मैं तो उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यदि वह स्वयं अपने संशोधन को जो धारा ४ का संशोधित रूप है, उसके साथ में इसको रखकर पढ़ें तो इस धारा ४ की स्थिति कैसी बन जायगी। यह धारा ४ जो बिल की है वह इस प्रकार है कि "कोई भी काश्तकार अपने सम्पूर्ण खाते या उसके किसी भाग को तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिये अथवा किसी शिकमी के पास किसी भाग के रहने से तीन वर्ष के भीतर नहीं उठायेगा केवल उस दशा को छोड़कर जब [illegible]

नहीं उठा सकता है [illegible]

प्रतिबन्ध यह धारा लगाती है और कुछ व्यक्तियों को विशेष अधिकार देते है शिकमी पर उठाने के लिए। अब अगर हमारे मित्र श्री राम नारायण जी का यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाय तो जो स्थिति इस धारा की होगी वह यह होगी कि जो प्रतिबंध इसमें हैं यानी एक या एक से अधिक कोई व्यक्ति खाते में हों तो उनके संबंध में दूसरी स्थिति हो या नहीं हो।

इसके अतिरिक्त यदि आप के प्रतिबन्ध को स्वीकार किया जाय तो वह प्रतिबन्ध यह हुआ कि यदि किसी ने पिछले ३ सालों से कोई भूमि शिकमी पर उठाई है तो अब उसको उसका दंड मिलेगा कि अगर उसकी दस एकड़ भूमि से अधिक है तो वह उससे निकल जायगी. मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वह इस धारा को पढ़ें और उसके बाद यदि वह इस प्रतिबन्ध को रखें तो वह समझेंगें कि यह तो एक दूसरे के विरोध में हैं। उधर तो आप कहते हैं कि कोई शिकमी पर न उठा सकेगा और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि अगर ३ साल पहले कभी उठाई होगी तो भी उसको यह दंड दिया जायगा। यह तो एक दूसरे के विरोधी बात है। जो पहले स्थिति थी कि ३ साल तक यदि शिकमी पर उठायेगा वह तो नहीं उठावेगा, ऐसी स्थिति में शायद यह संशोधन कुछ अर्थ रख सकता था, लेकिन इस तरह से तो यह केवल व्यर्थ ही नहीं बल्कि अनियमित भी है। अनियमित इसलिए है कि यह क़ानून के विरुद्ध है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--मैं एक प्वाइंट आफ आर्डर रेज़ करना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप की रूलिंग हो चुकी है और फिर भी माननीय सदस्य कह रहे हैं कि यह अनियमित है।

श्री अध्यक्ष--ऐसा तो वह कह सकते हैं कि यह क़ानून की धाराओं के विरुद्ध है या अनियमित है, वह तो मेरिट्स पर कह रहे हैं, उन्होंने रूलिंग को क्वेश्चन नहीं किया है।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य--मैं अध्यक्ष महोदय, आप का अनुगृहीत हूं। मेरा भी यही मतलब था और मैं किसी रूप में भी माननीय अध्यक्ष की रूलिंग की अवहेलना नहीं कर रहा था बल्कि मैं तो यह कह रहा था कि यह अनियमित है और क़ानून के विरुद्ध है। एक दूसरी बात मैं सदन के समक्ष रखना चाहता हूं यद्यपि मंत्री महोदय ने भी इसका जिक्र किया था और मैं अपने माननीय मित्र राम नारायण जी का ध्यान संविधान की धारा ३१ की तरफ दिलाऊंगा जिसमें है कि "किसी भी प्रकार किसी सम्पत्ति का अपहरण नहीं किया जा सकता और वह केवल ऐसी स्थिति में किया जा सकता है जब कि उस सम्पत्ति के लिए प्रतिकर स्टेट गवर्नमेंट दे।" अगर यह स्वीकार किया जाता है तो परोक्ष रूप से अर्थ यह है कि आप दस एकड़ से ऊपर की भूमि का आप अपहरण करते हैं और उसे दूसरे लोगों में बांटते हैं। इस दृष्टि से मैं कहूंगा कि आप का यह संशोधन गलत है और अनियमित है। अब तीसरे

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

व्यावहारिक रूप मेरे मित्र देखेंगे कि किसी व्यक्ति के पास ५० एकड़ का खाता है और यदि आज की स्थिति को स्वीकार किया जाय तो वह व्यक्ति जो इन ६ प्रकार में से होगा। जैसे अविवाहिता स्त्री हो या पागल हो या अवयस्क हो आदि जो है। मान लें कि किसी का ५० एकड़ का खाता है और आप कहते हैं कि अगर किसी ने पिछले ३ साल से अपने खाते पर शिकमी कायम किया है इसलिए आप के पास केवल दस एकड़ भूमि रहेगी और आप ४० एकड़ दूसरे को दे देंगे यह आप उसको दंड देते हैं। अगर किसी ने भूमि को बढ़ाया है, इम्प्रूव किया है उसको आप केवल दस एकड़ ही देना चाहते हैं।

और उधर आप ४० एकड़ के एक दूसरे खाते को दूसरे आदमी के लिये पैदा कर देते हैं। मैं कहूंगा कि व्यावहारिक रूप से यह चीज बिलकुल गलत है। फिर आज की स्थिति में जब भूमि के वितरण की व्यवस्था आपके सामने आये तब अगर आप इस चीज को रखें तब तो सदन इस पर अच्छी प्रकार से विचार कर सकता है लेकिन इस धारा ४ के साथ में यह चीज नहीं रखी जा सकती। अगर यह धारा ४ के साथ जोड़ दिया जाता है तो वह बिल्कुल व्यर्थ और निरर्थक हो जायगी और बहुत ज्यादा झंझट की संभावना है। इन शब्दों के साथ मैं अपने मित्र से कहूंगा कि धारा ४ के साथ में इस चीज को लाना ठीक नहीं है क्योंकि इस संशोधन में दूसरी चीज और धारा ४ में बिल्कुल दूसरी चीज है।

इसके अतिरिक्त मैं नहीं समझ सका कि कानून बनाने के जो सिद्धान्त हैं उनके अनुसार यह संशोधन कैसे लाया जा सकता है। हमें देखना यह है कि इस विधेयक का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य यह है कि वहां के रीति रिवाज के कारण वहां एक प्रकार के वर्ग की उत्पत्ति हुई है उसको समाप्त करके उन लोगों को सहूलियत दी जाय लेकिन आप उसके बजाय यहां पर दंड देने की व्यवस्था करते हैं। मैं नहीं समझ सका कि कैसे वहां दंड देने की व्यवस्था की जा सकती है, परोक्ष में नहीं तो अपरोक्ष रूप में आप दंड की व्यवस्था कर रहे हैं। यानी तीन वर्ष पहले किये हुए कार्य खत्म कर दिये जायेंगे। एक ओर तो आप इस प्रकार के व्यक्तियों को संरक्षण दे रहे हैं दूसरी ओर आप उन्हें दंड दे रहे हैं। मैं कहूंगा कि ये दोनों परस्पर विरोधी बातें हैं और एक दूसरे का सामंजस्य और समन्वय नहीं है और जो तरीका या सिद्धान्त क़ानून बनाने का है उसके विरुद्ध है। अतः मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, मैंने राजस्व मंत्री और साथ ही साथ माननीय लक्ष्मी रमण आचार्य जी के भाषण बड़े ध्यान से सुने। उनमें दो तीन बातें कही गई। पहले मैं लक्ष्मी रमण आचार्य जी ने जो कहा उसको लूंगा। उन्होंने कहा कि इस संशोधन के द्वारा सोशलिस्ट पार्टी भूमि वितरण के सिद्धान्त का प्रतिपादन कर रही है। पहले भी उन्होंने कई बार यह कहा कि मौसम बे मौसम सोशलिस्ट पार्टी भूमि वितरण के सिद्धान्त का प्रतिपादन करती रहती है। अध्यक्ष महोदय आप इस बात से वाक़िफ़ हैं कि जहां तक यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट, १९३९ का सवाल है और जमींदारी एबालीशन ऐक्ट का सवाल है उनमें भूमि के वितरण के सिद्धान्त को न मान कर कम से कम यह मान लिया गया है कि भविष्य में होल्डिंग्स को सीमित किया जाय। अब सिर्फ फ़र्क़ इतना ही है कि हम यह चाहते हैं कि पिछले भी इसी प्रकार बटवारे हो जाने चाहिये और ३० एकड़ से ज्यादा भूमि किसी को न मिले और सरकार यह कहती है कि भविष्य में किसी के पास ३० एकड़ से ज्यादा न हो लेकिन कहती है कि भूतकाल में जो ३० एकड़ से भी ज्यादा जमीन है वह न्यायसंगत है। हमारी इस बात का क्या जवाब है यह तो सरकारी दल के लोग या सरकार ही जानें लेकिन जो बात हमारे सामने है वह यही है कि हम यह मानते हैं कि जो बात अब के लिये या भविष्य के लिये लागू हो सकती है वह भूत के लिये भी लागू होनी चाहिये और सरकार कहती है कि भूत के लिये लागू नहीं हो सकती। मेरी यह समझ में नहीं आता कि सरकार क्यों इन दो विरोधी बातों को एक साथ मानती है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय लक्ष्मी रमण जी आचार्य यह कह सकते हैं कि आपने कपोल–कल्पना कह दिया, आप कोई धारा या सेक्शन की बात तो सुनाइये। तो मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि–व्यवस्था अधिनियम की धारा १३ का थोड़ा सा अंश उद्धृत करना चाहता हूं।

धारा १३ (२) उसका क्षेत्रफल ३० एकड़ से अधिक है, तो यह समझा जायगा कि उसमें से तीस एकड़ पर वह धारा १८ के प्रयोजनों के लिये पूर्वोक्त प्रकार से मौरूसी काश्तकार के रूप में क़ाबिज रहा है और शेष खाली भूमि समझी जायगी तथा ठेकेदार धारा २०६ के निदेशों के अनुसार उससे बेदखल हो सकेगा। फिर उसी धारा की उपधारा (ख) में आया है :—

"यदि वह उक्त उपधारा के खंड (ख) में आने वाली भूमि हो तो ३० एकड़ से अधिक, रखने के लिये।" फिर

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ठेकेदार इस प्रकार अनुज्ञात भूमि ठेके की अवधि के बाद रखने का अधिकारी न होगा और उस अतिरिक्त भूमि के जो उसे खंड (ख) के अधीन ३० एकड़ से ऊपर मिली हो, वह गांव सभा की ओर से असामी होगा और उसके निमित्त उस लगान का देनदार होगा जो निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर लागू मौरूसी दर के अनुसार हो।"

यह तो दफ़ा १३ हुई। उसके बाद दफ़ा १९६ में यह आया है :—

"यदि कोई भूमि धारा १३ की उपधारा (२) के खंड (ख) के उपखंड (२) के अधीन खाली हो जाय और ऐसी भूमि निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर किसी ऐसे मध्यवर्ती के स्वामित्व में रही हो, जिसकी सीर में धारा १० के अधीन मौरूसी अधिकार उत्पन्न हो गए हों, तो गांव सभा ऐसे मध्यवर्ती की प्रार्थना पर प्रार्थी को ऐसी भूमि या उसका भाग सीरदार के रूप में उठा देगी, किन्तु प्रार्थी भूमि के इस प्रकार उठाए जाने के परिणामस्वरूप ऐसी भूमि का अधिकारी न होगा, जो उस भूमि से मिल कर, जो उसके पास हो, उत्तर प्रदेश में ५० एकड़ से अधिक हो जाय।"

तो बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मैंने नहीं की हैं। मौसम बे मौसम मेरा यह प्रयत्न नहीं रहता कि मैं भूमि वितरण के सिद्धान्त का प्रतिपादन करूं। यह तो माननीय राजस्व मंत्री जी का ही बनाया हुआ क़ानून है। इसके बाद मैं आपका ध्यान यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट, १९३९ की धारा ६ और १६ की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। धारा १६ का यह अंश जिसके लिये माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा :—

'Every person who at the commenement of this Act is a tenant of sir holding from a sir-holder to whom the proviscons of the first proviso to clause (*a*) of section 6 apply shall, at such commencement, become a hereditary tenant of his holding if at such commencement such sir holder possesses fifty acres or more than fifty acres of sir which is not let, and which did not cease to be sir under any of the previous provisions of this Act."

[प्रत्येक व्यक्ति जो इस ऐक्ट के लागू होने के समय ऐसी सीर का असामी है जिसका क़ब्जा उसे किसी ऐसे सीरदार से मिला हो जिस पर दफा ६ के फ़िक़रे (क) के पहले फ़िक़रे शर्तिया के आदेश लागू होते हैं, इस तरह लागू होने के समय, अपनी जोत का मौरूसी असामी हो जायगा, अगर इस तरह लागू होने के समय ऐसे सीरदार के क़ब्जे में पचास एकड़ या उससे अधिक ऐसी सीर है जो लगान पर उठाई नहीं गई है और जो इस ऐक्ट के उपर्युक्त आदेशों में से किसी आदेश के अधीन सीर हो रही हो।]

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

मैं समझता हूं कि जो मौजूदा क़ानून है उसमें ८ एकड़ वाली बात है लेकिन जल्दी में मुझे ढूढ़ने पर नहीं मिली। लेकिन माननीय राजस्व मंत्री जी को तो मालूम ही होगा कि उन्होंने काश्तकारों के लिये ऐसा प्रतिबन्ध रखा है कि वे बेदखल हो सकते हैं लेकिन ८ एकड़ से कम है तभी। अगर ८ एकड़ से ज्यादा किसी काश्तकार के पास जमीन है और उसे वह सीर पर उठाये हुए हैं तो ८ एकड़ तक वह बेदखल कर सकता है। मसलन एक काश्तकार है जिसके पास १५ एकड़ जमीन है जिसे वह शिकमी पर उठाये हुए है तो वह ८ एकड़ से बेदखल कर सकता है और ७ एकड़ जमीन उसकी जब्त हो जायगी। जिसमें ५ गुना तो काश्तकार को मिलेगा और १० गुना सरकार को मिलेगा। वह धारा मुझे तो इस समय याद नहीं है लेकिन माननीय राजस्व मंत्री जी को अवश्य ही याद होगा। आपका कहना है कि भौमिक अभिलेख विधेयक के द्वारा रेकार्ड्स को लीगलाइज करने के लिये ही हम इसको लाये हैं तो हम लोग कभी इसका विरोध नहीं करते। हमलोग इसकी प्रशंसा ही करते कि आज तक जो रेकार्ड्स नेगलेक्टेड थे अब इसके द्वारा ठीक हो जायंगे कि किसके पास कितनी मैक्जिमम, मिनिमम होल्डिंग्स है। आप इसको जौनसार बावर भौमिक अधिकार सुरक्षा तथा भौमिक अभिलेख विधेयक कहते हैं ऐसी सूरत में मैं समझता हूं कि इसमें सुरक्षा की कौन सी बात है यह मेरी समझ में नहीं आयी।

श्री लक्ष्मी रमण जी इसको ऐसा समझते हों, ठीक है। क्योंकि हर व्यक्ति विद्वान होने का दावा नहीं कर सकता। हर व्यक्ति अपने ढंग से सोचता है। लेकिन यदि आप इसको स्वीकार कर लें और यदि आप कम्पेनसेशन संविधान की धारा के अनुसार देना चाहते हैं, ऐसे मैं तो शुरू से ही किसी प्रकार का प्रतिकर देने के विरुद्ध रहा हूं, लेकिन यदि आप इसको ठीक समझते हैं तो कृपा करके हमारे इस संशोधन को स्वीकार कर लें। हम तो इस चीज को भी पाप समझते हैं कि प्रतिकर का नाम लें।

श्री अध्यक्ष--उन्होंने वैधानिक आपत्ति नहीं उठायी। सिर्फ एक बहस की बात की। जो कुछ आपने कहा उसके लिये उन्होंने कहा कि अगर सदन इसको मानता है तो आप पेश कर सकते हैं। तो फिर उसका जवाब देने की कोई आवश्यकता मैं नहीं समझता।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--उन्होंने बहस में कहा था उसी का जवाब दिया है अगर वह कोई कम्पेंसेशन लगाकर ऐसा संशोधन उपस्थित कर दे कि हमारा संशोधन उनको मंजूर हो जाय तो हमें कोई एतराज नहीं हो सकता है। अब इस में संविधान की धाराओं का जिक्र कर देना यह सरकार का हमेशा से एक हीला-हवाला रहा है। हमारा हमेशा से यह दावा रहा है कि आप इस बटवारे से बच नहीं सकते। सरकार की बनाई हुई प्लानिंग कमीशन ने भी सेंट्रल गवर्नमेंट से और कांग्रेस से कहा है कि होल्डिंग्ज की कोई लिमिट जरूर होनी चाहिये। जो भविष्यवाणी हमने दो-तीन-चार महीने पहले की थी और चाहे माननीय राजस्व मन्त्री जी को अप्रिय लगे लेकिन हमने कहा था और आज भी कहते हैं कि जमीन का बटवारा होगा और होकर रहेगा और आपकी प्लानिंग कमीशन ने भी वही रिकमेंड कर दिया है। तो ऐसी सूरत में कोई प्रयत्न यदि जनहित के लिये करने को कहना और उसके लिये प्रयत्न करना अन्याययुक्त नहीं होगा। मुझे आशा है कि इतनी बातें सुनने के बाद माननीय राजस्व मन्त्री अवश्य मेरे इस संशोधन को मान लेंगे।

श्री चरण सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता केवल माननीय गेंदा सिंह जी की एक बात का जवाब देना है और वह यह है कि उन्होंने यह फरमाया कि हमारे प्रदेश के दूसरे हिस्सों में आम तौर पर जो प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में जमीन आती है वैसी ही प्रायः जौनसार बावर के इस इलाके में आती है। लेकिन यह बात नहीं है। हमारे यहां १३५५ फसली के आंकड़ों के अनुसार जो जमींदारी एबालीशन कमेटी की रिपोर्ट की दूसरी जिल्द है उसमें पांचवें या सातवें टेबिल के अनुसार १ करोड़ २२ लाख आदमियों के नाम दर्ज थे खतौनी में और ४ करोड़ १३ लाख एकड़ जमीन

जेरे काश्त थी मय पट्टे शदीद के और बागात के। अब १ करोड़ २२ लाख आदमियों के अन्दर इतनी जमीन बंटी तो एक आदमी के हिस्से में कोई साढ़े तीन एकड़ पड़ी। यहां एक खानदान के हिस्से में हमारे सूबे में ६ एकड़ पड़ती है लेकिन एक व्यक्ति जिनका नाम खतौनी में दर्ज है लेकिन वहां साढ़े तीन एकड़ पड़ती है यानी ६ गुनी जमीन का फर्क है। इस पहाड़ी इलाके में और मैदानी इलाके में इतना फर्क है और किसी भी पहाड़ी इलाके में १० एकड़ से ज्यादा जमीन किसी के पास नहीं, इसी इलाके की क्या बात है। हां, बहस की खातिर माननीय अध्यक्ष महोदय अपनी विचारधारा का प्रचार हो रहा है तो मैं उसको कैसे रोक सकता हूं लेकिन जिन लोगों ने संशोधन के विरोध में जो बातें कही हैं मैं उनसे बिलकुल सहमत हूं और इसको स्वीकार करने में अपने को असमर्थ पाता हूं।

श्री अध्यक्ष——प्रश्न यह है कि खंड ४ के वर्त्तमान प्रतिबन्ध के उपरान्त निम्नलिखित दो नये प्रतिबन्ध बढ़ा दिये जायं——

"किन्तु दूसरा प्रतिबन्ध यह है कि यदि भूतकाल में किसी काश्तकार ने ३ वर्ष से अधिक अवधि तक अपनी काश्त की जमीन शिकमी लगानी या शिकमी बटाई पर उठाया हो, तो उक्त जमीन से यदि वह १० एकड़ से अधिक हो, उसका १० एकड़ से अधिक जमीन से स्वत्व समाप्त हो जायगा और शिकमी असली काश्तकार हो जायगा।

किन्तु तीसरा प्रतिबन्ध यह है कि धारा ४ की उपधारा (१) से (६) तक में वर्णित व्यक्तियों के लिए १० एकड़ से ज्यादा जमीन के लिए धारा ४ में दी हुई रियायत लागू नहीं होगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

(इस समय १ बज कर १७ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर १७ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री उपाध्यक्ष——प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ४ इस विधेयक का अंश माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नया खंड ४—क

श्री रामनारायण त्रिपाठी——उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन ...

श्री देवकीनन्दन विभव——मुझे इस संशोधन के संबंध में एक वैधानिक आपत्ति है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी——पहले मुझे संशोधन उपस्थित करने की अनुमति दी जाय। संशोधन इस प्रकार है ——

"खंड ४ के उपरान्त निम्नलिखित नया खंड ४—क बढ़ा दिया जाय——

"४—क——इस अधिनियम के लागू होने पर इस परगने में किसी भी काश्तकार परिवार के पास १० एकड़ से अधिक जमीन नहीं रहेगी और इस धारा के फलस्वरूप जो जमीन उपलब्ध होगी वह भूमिहीन कोल्टा और बाजगियों में वितरित कर दी जायगी।"

श्री देवकीनन्दन विभव——उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस संशोधन के उपस्थित करने मे कुछ वैधानिक आपत्ति है और वह दो कारण से है। एक तो यह कि मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि इस विधेयक के उपस्थित करने के जो उद्देश्य और कारण बतलाये गये हैं यानी "अतएव भूमि जोतने वाले किसानों की सुरक्षा के निमित्त भौमिक अधिकारों से

[श्री देवकीनन्दन विभव]

सम्बद्ध विधि को स्थिर करने तथा इस क्षेत्र के अधिकार अभिलेखों को विनियमित करने के लिये यह विधेयक प्रस्तुत किया जाता है"। इसका क्षेत्र कभी भी भूमि वितरण करने का नहीं है। त्रिपाठी जी के संशोधन में स्पष्टतया यह कहा गया है कि वह भूमि वितरण करने से संबंध रखता है और जो ३० एकड़ भूमि से अधिक हो वह बांट दी जाय। वह बिल्कुल उसके आशय के प्रायः विपरीत है। दूसरा मेरा कारण जो मैं इसे अनियमित समझता हूं वह यह है कि भारतीय संविधान की धारा ३१ की उपधारा २ के अन्तर्गत यह स्पष्ट बतलाया गया है कि कोई प्रापर्टी से आप किसी भी व्यक्ति को बिना नियमित तरीके पर और बिना उसको मुआविजा दिये हुए वंचित नहीं कर सकते। आपका यह जो संशोधन है वह उन काश्तकारों को जो ३० एकड़ से अधिक भूमि रखते हैं भूमि से वंचित करता है बिना किसी मुआविजे के दिये हुए। इसलिये भूमि हीन कोल्टा लोगों से मेरी सहानुभूति होते हुए भी मुझे खेद है कि यह संशोधन अनियमित है, इसलिये उपस्थित नहीं किया जा सकता।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे सखेद विभव जी की आपत्ति के विरोध में बोलना पड़ रहा है। विभव जी की आपत्ति उद्देश्य और कारण पढ़ने के बाद भी होती है इस बात का मुझे और आश्चर्य है। अगर उद्देश्य और कारण को अच्छी तरह से पढ़ा जाय और उसका मनन किया जाय तो जोतने वाले किसानों की सुरक्षा के निमित्त ही यह विधेयक यहां पर प्रस्तुत किया गया है और माननीय रामनारायण जी का यह संशोधन है वह किसी मानों में भी जो जोतने वाले किसान हैं उनकी सुरक्षा के ऊपर नहीं जाता। अब वह यह कह सकते हैं कि जो सीमाबद्ध किया जा रहा है, तो जोतने वाले किसान की सुरक्षा कैसे होगी और भौमिक अधिकारों से सम्बद्ध विधि को स्थिर कैसे किया जायगा। यह सारी बातें इस विधेयक के अन्दर आनी चाहिये। इसलिये मैं आप के जरिये माननीय विभव जी से और दूसरे भाई से जो केवल उद्देश्य और कारण की बात कह करके इस महत्वपूर्ण संशोधन को इस समय विचार में नहीं लेना चाहते उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस बारीकी में न जा करके जो उद्देश्य और कारण में वर्णित है उसको देखें। मैं आपकी अनुमति से उद्देश्य और कारण उनकी सेवा में पुनः पढ़ देना चाहता हूं। अंतिम लाइन पढ़ी जाय तो उसमें स्पष्ट है, अगर ऊपर से पढ़ी जाय तो और स्पष्ट हो जायगा। अंतिम लाइन यह है :

"अतएव भूमि जोतने वाले किसानों की सुरक्षा के निमित्त भौमिक अधिकारों क निमित्त भौमिक अधिकारों से संबद्ध विधि को स्थिर करने तथा इस क्षेत्र के अधिकार अभिलेखों को विनियमित करने के लिये यह विधेयक प्रस्तुत किया जाता है।"

तो आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विभव जी से यह जानना चाहता हूं कि भौमिक अधिकारों से संबद्ध विधि के क्या मानी होते हैं? भूमि संबंधी जो अधिकार हैं उसकी विधि क्या होगी? इस संबंध में यह कहा जा सकता है कि भूमि संबंधी अधिकार १० एकड़ तक सीमित किये जायं और दस एकड़ के ऊपर जो जमीन है वह वहां की जो पिछड़ी हुई जातियां हैं उनको बांट दी जाय, या जिन लोगों को वहां के रिवाज के मुताबिक जमीनों पर अधिकार नहीं मिले हैं उनको वे अधिकार दिये जायं। जो वहां खेत जोतने वाले हैं उनके भौमिक अधिकारों से संबद्ध विधि को स्थिर करने के लिये यह विधेयक आया हुआ है।

माननीय रामनारायण जी का जो संशोधन है वह स्पष्टरूप से यह कहता है कि इस अधिनियम के लागू होने पर इस परगने में किसी भी काश्तकार परिवार के पास १० एकड़ से अधिक जमीन नहीं रहेगी और इस धारा के फलस्वरूप जो जमीन उपलब्ध होगी वह भूमिहीन कोल्टा और बाजगियों में वितरित कर दी जायगी। अब मैं समझता हूं कि काफी सफाई हो चुकी है और माननीय विभव जी आपनी आपत्ति को वापस लेने की कृपा करेंगे। अगर माननीय विभव जी की आपत्ति फिर भी रहती है तो मैं निहायत अदब के साथ आपके जरिये माननीय विभव जी से और उनके मत से समान मत रखने वाले जितने माननीय सदस्य यहां पर उपस्थित हैं उनसे अर्ज करना चाहता हूं कि उनको इस विधेयक में वर्णित उद्देश्य की बारीकी में नहीं जाना चाहिये। उनको स्पष्ट तरीके से हमारे संशोधन को ला करके उसको बहुमत के

आधार पर वोट करके गिरा देना चाहिये। इस प्रकार उनके मन से जिस व्यवस्था को, जिस परिपाटी को, जिस सामाजिक और आर्थिक ढांचे को वह चलाना चाहते हैं उस ढांचे की पुष्टि होती है और यथास्थिति बात कायम रहती है। यदि वे यथास्थितिवाद को हटाना चाहते हैं और हमारे इस मत से सहमत हैं कि जो वहां खेती करने वाले हैं उनके पास जमीन जाय तब तो इस उद्देश्य और कारण में इतनी गुंजायश है कि इस उद्देश्य और कारण के अन्दर रहते हुए हम माननीय रामनारायण त्रिपाठी जी का जो संशोधन है उस पर आज यहां विचार करें और उसे कबूल करें।

श्री ब्रजबिहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री विभव जी की आपत्ति का समर्थन करने के लिये उपस्थित हुआ हूं। मुझे अफसोस है कि जो तर्क माननीय राजनारायण जी ने दिया है उससे मैं सहमत नहीं हूं। उन्होंने इस विधेयक का जो उद्देश्य और कारण हैं उसके अंतिम वाक्य की ओर इस सदन का ध्यान आकृष्ट किया है। मैं उसको फिर से पढ़ना चाहता हूं और उन्हीं के तर्क से उनकी बातों के खंडन करने का प्रयत्न करूंगा, "अतएव भूमि जोतने वाले किसानों की सुरक्षा के निमित्त भौमिक अधिकारों से सम्बद्ध विधि को स्थिर करने तथा इस क्षेत्र के अधिकार अभिलेखों को विनियमित करने के लिये यह विधेयक प्रस्तुत किया जाता है।" इसमें उन्होंने यह कहा कि भौमिक अधिकारों से सम्बन्धित विधि को स्थिर करने के लिये यह संशोधन प्रस्तुत किया गया है। मैं यह समझने में असमर्थ हूं इसलिये कि हमने कोई ऐसा नियम नहीं बनाया है कि दस एकड़ से अधिक भूमि वह है किसान से निकाल ली जायगी। अगर यह सिद्धांत स्वीकार कर लिया गया होता तब तो वह तर्क जो हमारे माननीय विरोधी दल के नेता ने उपस्थित किया है समझ में आ सकता था। लेकिन अभी तक भवन ने इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया है। इसलिये यह तर्क जो श्री राजनारायण जी ने पेश किया है वह इर्रेलिवेंट हो जाता है। जो आपत्ति श्री विभव जी ने उठाई है वह नियमित है और मैं समझता हूं कि यह संशोधन फंडामेंटल राइट्स पर भी कुठाराघात करता है। इसलिये संविधान के नियम ३१ का जो उन्होंने हवाला दिया है उसके अनुसार भी यह आपत्ति उचित है और उनका प्वाइंट आफ आर्डर स्वीकृत होना चाहिए।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (बाराबंकी)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विभव जी की जो आपत्ति है उससे सहमत प्रदर्शित करते हुए माननीय श्री राज नारायण जी के तर्क के बारे में कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो आब्जेक्ट्स और स्टेटमेंट के आखरी हिस्से को पढ़कर जो कोशिश की है वह ठीक नहीं है। इससे जो सीमा में कमी और ज्यादती आयेगी कि ये १० एकड़ या ३० एकड़ तो यह भौमिक अधिकार के भीतर आता है। जहां तक अधिकार शब्द का अर्थ होता है वह राइट्स और टाइटिल का होता है। वह एरिया का नहीं होता है। जहां घटाने और बढ़ाने की बात होती है तो वह रकबा के घटाने और बढ़ाने की बात होती है तो जो शब्द उन्होंने पढ़े हैं कि "भूमि जोतने वाले किसानों की सुरक्षा" तो जो इस समय काश्तकार हैं उनके अधिकारों की सुरक्षा करें तो इसमें कोई कतर-ब्योंत नहीं है। जब जमीन के बटवारे का सवाल आता है तब कतर-ब्योंत का सवाल आता है और तब यह प्रश्न पैदा होता है। इससे अधिकारों की सुरक्षा का प्रश्न रह जाता है। तो इस विधेयक का जो मंशा है उसकी सुरक्षा नहीं होती है बल्कि रक्षा छिन जाती है। उनका संशोधन इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों के प्रतिकूल पड़ता है। इसलिये विभव जी ने जो आपत्ति उठाई है वह ठीक है। इसलिये मेरी समझ में यह संशोधन नहीं आना चाहिये।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यहां पर विधि कहा था हमारे माननीय मित्र देखेंगे कि इसके उद्देश्य और कारणों से केवल भौमिक अधिकार नहीं लिखे हुए हैं। बल्कि इसमें लिखा हुआ है कि भौमिक अधिकारों से संबंधित विधि तो इसके यह माने होते हैं कि भौमिक अधिकारों के संबंध में जितने नियम-उपनियम हैं वह इससे लागू होते हैं।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--मुझे तो इस संबंध में कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। यह जरूर है कि भूमि के वितरण की बात तो तब हो सकती है जब कि किसानों से जमीन ल

[श्री द्वारका प्रसाद मौर्य]

ली जाय और तब वह भूमि दूसरे किसानों में वितरित की जाय तो यह इस विधेयक का उद्देश्य नहीं है कि किसी से भूमि ले ली जाय और यह कांस्टीट्यूशन के अन्दर भी नहीं आता है कि किसी की भूमि ले ली जाय और वितरित कर दी जाय। तो यह संशोधन इसकी सीमा के बाहर है। श्रीमान् जी ने एक रूलिंग भी दे दी है जब श्री गेंदा सिंह जी ने अपना प्रस्ताव रखा था। उसी तरह का संशोधन यह भी है। मैं नहीं समझता कि यह कैसे इसके अंदर आता है।

श्री गेंदा सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे फिर अपने मित्र मौर्य जी की बात से आश्चर्य हुआ। इसमें भूमि वितरण का क्या सवाल है। और वह भूमि वितरण के नाम से घबड़ाते क्यों हैं। भूमि वितरण के लिये मैं आपके सामने प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट जो उसने रिआर्गनाइजेशन आफ एग्रिकल्चर के संबंध में प्रकाशित की है उसका हवाला दूं। तो उसमें खेती की सीलिंग मुकर्रर कर दी गयी है। बात तो यह है कि जिन लोगों को बेदखली करने का अधिकार दिया जा रहा है उनके अधिकारों को सीमित करना इसका अर्थ है। यह कानून कोई आज ही नहीं बना है। इस तरह का कानून इससे पहले ३९, में जब कि, ३५ का शासन विधान हिन्दुस्तान में लागू था उस समय जमींदारों की सीर खुदकाश्त को महदूद करने और उनके शिकमियों की सुरक्षा के लिये बनाया गया था। १९९३ का जो टेनेंसी ऐक्ट है उसमें दफा ६ और दफा १६ में बतलाया गया है कि किसी भी जमींदार के पास ५० एकड़ से ज्यादा सीर हो और जो ढाई सौ रुपये से ज्यादा मालगुजारी देने वाला है तो उसकी सीर जो शिकमी काश्त पर होगी उस शिकमी काश्तकार को मौरूसी हक मिल जायगा। तो वहां भूमि वितरण की बात नहीं थी। वह बिल्कुल बेदखली के अधिकार को सीमित करने की बात थी। वही बात यहां भी है। तो इसमें भूमि वितरण की चर्चा कैसे आ जाती है। भूमि वितरण की बात अपने वक्त पर आयेगी और इत्तिफाक से जो एक गैर सरकारी प्रस्ताव इस संबंध में आ चुका है उस पर उस दिन फैसला करना होगा। माननीय मौर्य जी को मैं बतला देना चाहता हूं कि इसमें भूमि वितरण की कोई बात नहीं है। कल माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने इस पर एक व्यवस्था भी दी है उसका मैं पूरा आदर करता हूं। हम कदापि उसकी चर्चा नहीं करना चाहते। मैं नहीं समझता कि फिर भूमि वितरण की बात क्यों बार बार दोहराया जाता है। मैं बहुत सफाई के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि यह भूमि वितरण के लिये संशोधन नहीं है बल्कि बेदखली करने वालों के अधिकारों को सीमित करने का संशोधन है। इसी दृष्टि से इस पर विचार होना चाहिये।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (बाराबंकी)--आन ए प्वाइंट आफ आर्डर सर। मैं माननीय उपाध्यक्ष का ध्यान नियम १९३ की ओर दिलाना चाहता हूं जिसके अनुरूप आपको यह अधिकार दिया गया है। उसके शब्द ये हैं:--

"No discussion on any point of order shall be held unless the speaker thinks to fit to hear the views of the members thereon."

[वैधानिक प्रश्न पर चर्चा करने की अनुज्ञा न दी जायगी जब तक कि अध्यक्ष उस पर सदस्यों के विचार सुनना उचित न समझें।]

मैं समझता हूं कि काफी सदस्य इस पर अपना विचार प्रकट कर चुके हैं। अब राम नारायण जी इस पर अपनी तकरीर करना चाहते हैं तो यह कोई जवाब देने का मौका नहीं है आप इस पर निर्णय दें।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो मूवर हूं। मेरा तो अधिकार है और लोग तो फिजूल बोले हैं।

सदन में दोनों तरफ से इस पर बहस हुई। माननीय गेंदा सिंह जी ने टेनेंसी ऐक्ट का हवाला दिया और साथ ही माननीय राजस्व मंत्री जी को यह भी बतला दिया था कि मौजूदा जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था बिल की धारा १३ और १९६ में भी तकसीम की सीमा को बांध दिया गया है जो फिजूल जमीन होगी वह किसी के पास जायगी। इसलिये

यह संशोधन विधान का उल्लंघन करता है या भूमि वितरण के संबंध में है, ऐसी बात नहीं है । इसलिये मैं समझता हूं कि मेरा संशोधन बिल्कुल इन आर्डर है ।

श्री उपाध्यक्ष--मैं आज के कार्यक्रम में यह देख रहा हूं कि संशोधन संख्या २१ पर अभी एक प्रकार से एक सीमा काश्तकारों की काश्त की भूमि की हम मान चुके हैं। यह बात बिल्कुल विवाद से परे तो नहीं है कि बिना मुआविजा दिये हुए किसी काश्तकार की भूमि की हम बिल्कुल ही एक सीमा निर्धारित कर दे कि अगर उसके पास १ एकड़ से अधिक होगी तो वह छीन ली जायगी। यह प्रश्न जरूर विचारणीय है । इसलिये मैं यह समझता हूं कि चूंकि अभी एक संशोधन में हम एक ऐसा सिद्धांत मान चुके हैं इसके लिये भी बहस मुबाहिसे का मौका दे देना उचित समझता हूं ताकि भवन भी इस विषय में अपना निश्चित मत दे सके । इसलिये मैं इस संशोधन को पेश करने की अनुमति देता हूं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--अभी २१ नवम्बर के संशोधन पर जब मैंने उसको पेश किया था तो इसी किस्म की बातें कही थीं। इसके संबंध में भी करीब-करीब वहीं दलीलें होंगी, जोकि पहले संशोधन पर मैं निवेदन कर चुका हूं। इसलिये मैं यह मुनासिब नहीं समझता कि उन्हीं बातों को दोहराकर सदन का समय और बरबाद करूं।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--श्रीमान् जी, जो बहुत से कारण अभी प्वाइंट आफ आर्डर के सिलसिले में उपस्थित किये गये उन्हीं को फिर से दोहराना मैं ठीक नहीं समझता, लेकिन मैं यह निवेदन जरूर करना चाहता हूं कि अगर इस संशोधन को स्वीकार किया जाय तो बहुत सी उलझन जरूर पैदा हो जायगी।

पहली बात यह है कि कि उसमें यह साफ नहीं किया गया है कि जो जमीन उपलब्ध होगी वह जिसके द्वारा वितरित की जायगी। मौरूसी या गैरमौरूसी काश्तकारों के पास जो २० एकड़ से ज्यादा की जमीन है वह जमींदार वितरित करेंगे या गवर्नमेंट करेगी या और कोई व्यक्ति होगा जो उसको वितरित करेगा। यह बात उससे साफ नहीं होती है। इसके अलावा अभी इस भवन में २१ नम्बर पर जो एक प्रस्ताव था, उसको अस्वीकार कर चुके हैं कि १० एकड़ से ज्यादा अगर शिकमी के पास है तो वह अधिक सब समाप्त हो जायगी और अगर अब उसको यह कहा जाता है कि १० एकड़ से ज्यादा पर स्वत्व समाप्त हो जायगा तो यह उसके प्रतिकूल पड़ता है और इससे दिक्कत पैदा हो जायगी। इसके अलावा यह भी बात है कि बिना किसी मुआविजे के हम किसी की जमीन को नहीं ले सकते है। अगर ली जायगी तो जो हमारा संविधान है उसको तब्दील करना पड़ेगा। यह सब दिक्कतें हैं, जिनकी वजह से इस संशोधन को स्वीकार करने में कठिनाई है और आशा करता हूं कि भवन इसको स्वीकार नहीं करेगा।

श्री राजनारायण--उपाध्यक्ष महोदय, मैं रामनारायण त्रिपाठी जी द्वारा उपस्थित किये हुए संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अभी एक पर्चा मेरे हाथ में आया है, जिसके अनुसार जौनसार बावर में कितनी-कितनी जमीन किसके किसके पास है, इसका हिसाब है। यह पर्चा रामनारायण जी के पास राजस्व मंत्री जी के आदेशानुसार आया है। उस परचे को हम अच्छी तरह से देखते हैं तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अगर इस संशोधन को नहीं माना जाता है तो जिस उद्देश्य को लेकर यह विधेयक यहां पर प्रस्तुत किया गया है, वह उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। मैंने सरकारी पक्ष द्वारा उठाई हुई आपत्ति के समय यह कहा था कि इस विधेयक का उद्देश्य यही है कि भौमिक अधिकारों से संबंधित विधि को नियमित किया जाय। तो भूमि संबंधी अधिकार से, जो संबंधित बातें हैं उनकी क्या विधि हो, क्या व्यवस्था हो, उनके क्या नियम बनाये जायं यही इस बिल का उद्देश्य है। जब वहां का रकबा देखा जाता है जो जमींदारों के कब्जे में है और पट्टे पर नहीं उठाया गया है तो वह ३४,७३७ एकड़ है और औसत लगान की कोई सूचना सरकार के पास नहीं है। और कुल खेती का रकबा ३६,६१३ एकड़ है। अब मैं सदन के

[श्री राजनारायण]

सम्मानित सदस्यों का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि वहां इस समय कुल खेती का रकबा ३६,६१३ एकड़ है और जमींदारों के कब्जे में जो जमीन है जो पट्टे पर नहीं है, वह ३४ ७३७ एकड़ है तो अगर आप ३९,००० में से ३४ हजार एकड़ घटा देते हैं, तो ५,००० एकड़ जमीन ही बचती है, जो जमींदारों के अतिरिक्त दूसरे लोगों के पास है। शिकमी काश्तकारों का रकबा क्या है और उनके कब्जे में अधिक से अधिक और कम से कम तादाद जमीन की क्या है इसकी सूचना सरकार के पास नहीं है। कोलटा और बाजगियों के कब्जे में ६,५६५ एकड़ रकबा है। इसलिये मैं राजस्व मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि केवल ५ हजार एकड़ जमीन ही बचती है, जो जमींदारों के कब्जे से बाहर है। तो फिर मैं जानना चाहता हूं कि कोल्टा बाजगियों के हाथ में ६,५६५ एकड़ जमीन किस तरह से पहुंची। मेरे कहने का मतलब यह है कि सरकार के पास जो सूचना है वह गलत है और अगर उसको आधार माने तो फिर किस तरह से उनके पास ६ ५६५ एकड़ जमीन आती है। अगर सरकार दस एकड़ की सीमा को नहीं बांधती है तो कोलटा और बाजगी की आबादी के हिसाब से उनके पास जमीन कहां है ? जब बार-बार सरकार की तरफ से कहा जाता है कि यह तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बार-बार अपने प्रोग्राम को दोहराया करती है। मैं अपने माननीय मंत्री जी को बतलाऊंगा कि जब यहां डेमोक्रेसी है और सरकार है और विरोधी दल है, तो इसमें शर्माने की क्या बात है? सरकार अपनी पालिसी के अनुसार कानून बनाती है और हम भी जो हमारा कार्यक्रम और पालिसी है उसके अनुसार उसमें संशोधन लाते हैं, इस बात के कहने में हमें कोई हिचक नहीं है। हम तो आज हैरत में पड़ जाते हैं, जब कि हम देखते हैं कि एक कदम जो सरकार की ओर से उठाया जा चुका है, उस से भी वह पीछे जाने की कोशिश करती है। आप देखें कि जमींदारी अबालिशन ऐक्ट, जो मैदानी इलाके में लागू है उसमें जमींदारों की जो सीर थी, उसमें प्रतिबन्ध लगाया गया था और वह प्रतिबन्ध पहले से है जब कि विधेयक को वैधानिकता प्राप्त नहीं हुई थी। टेनेंसी ऐक्ट में २५० रु० के ऊपर के जो मालगुजार जमींदार थे और उनकी सीर अगर ५० एकड़ से ज्यादा थी और उसको अगर कोई शिकमी पर जोत रहा था तो वह उसके हाथ से नहीं निकल सकती थी। तो क्या कारण था कि उस समय तो कांस्टीट्यूशन के विपरीत नहीं माना गया और अब कहा जाता है कि यह कांस्टीट्यूशन के विपरीत है। अब हमें सब बातें सफाई के साथ कहनी चाहिये, किसी शब्द जाल में हमें नहीं आना चाहिये, कांस्टीट्यूशन की दुहाई नहीं देनी चाहिये। ईमानदारी के साथ सरकार की ओर से अगर यह कह दिया जाय कि यह सरकार की इच्छा ही है कि इस तरह का कानून बनाया जाय ; तो फिर हमें इसमें कोई शिकायत नहीं होगी क्यों कि मैं समझता हूं कि जैसी जिसकी नीति होगी वह यथासंभव वैसा ही कार्यक्रम रखेगा और उसके अनुरूप ही कानून बनायेगा। मगर जब कांस्टीट्यूशन को सामने लाया जाता है और उद्देश्य और कारणों में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनको अपनी नीति का समर्थन दिलाने के लिये जब तोड़ा मरोड़ा जाता है तो उसमें हमें आपत्ति होती है। मैं माननीय राजस्व मंत्री को इत्मीनान दिलाता हूं कि मेरा यह संशोधन उद्देश्य और कारणों से बाहर नहीं जाता है या भारत के संविधान के बाहर नहीं जाता है।

हमारे पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य जी ने एक बहुत ही बुनियादी बात कही और वे अक्सर बुनियादी बातें कहा करते हैं। उन्होंने कहा "आखिर जब जमीन ले ली जायगी तो उसके बांटने की मशीनरी क्या होगी"। मैं निहायत अदब के साथ यह बताना चाहता हूं कि वह जमीन काश्तकार जोतता होगा तो वह बेदखल नहीं होगा वह उनके पास रह जायगी, लेकिन अगर माननीय द्वारिका प्रसाद जी की दृष्टि में इस बात की कमी हो तो इसमें एक क्लाज ऐसा जोड़ा जा सकता है कि "उस विधि से जिसको सरकार आगे निश्चित करे।" अब बताइये इसमें क्या दिक्कत होगी ? दिक्कत तो मनोवृत्ति की होती है। अगर माननीय राजस्व मंत्री जी इस संशोधन को मान लेते हैं, तो जो जमीन बचगी उसके

बाद में हम और वे यहां बैठकर तय कर सकते हैं। उस दिक्कत को रफा कर सकते हैं। मगर यहां पर तो वह दिक्कत केवल कहने भर की नहीं है, वह बुनियादी दिक्कत है, वह दिक्कत नीति की दिक्कत है। इस सरकार की नीति ही नहीं है कि ब्राह्मणों और राजपूतों (जमींदारों मौरूसी, गैरमौरूसी) की जमीन कम की जाय। जैसे कि आपने देखा कल दो संशोधन प्रस्तुत किये गये थे, मगर उसे भी सरकारी पक्ष ने नहीं माना था। यह सरकार तो यथास्थितिवाद बात को कायम करने के लिये अड़ी हुई है और आगे नहीं जाना चाहती है। मैं सूचना के लिये बता देना चाहता हूं कि जो रीति-रिवाज वहां चल रहे हैं वे ब्राह्मणवाद को कायम करते हैं। अभी-अभी हमारे राष्ट्रपति जी बनारस गये हुए थे। उनके सामने मैंने एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें मैंने अच्छी तरह से बताया था कि हमारे यहां की सरकार किस नीति पर चल रही है और हमारे सूबे को किस ढांचे में ढालना चाहती है, उन सब बातों का वर्णन मैंने उसमें किया था। माननीय राष्ट्रपति ने बातचीत के दौरान में बतलाया और स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा कि आपकी सरकार और आप बैठकर जो फैसला सर्वसम्मति से करेंगे उसमें उन्हें तनिक भी आक्षेप करने की गुंजायश नहीं होगी। यहां पर सरकार की मनोवृत्ति स्पष्ट करने के लिये ही उसके सिलसिले में एक चर्चा और कर देना चाहता हूं, आशा है आप उसको भी अपने दिमाग में स्थान देंगे। काशी में हमें यह जानकर महान आश्चर्य हुआ कि गवर्नर महोदय और गृहमंत्री महोदय के प्रयत्न से वहां पर २०० ब्राह्मणों को बुलवाया गया और राष्ट्रपति ने उनके चरण धोकर चरणामृत लिया और दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को विदा किया। क्या यह वर्णविहीन और वर्गविहीन समाज की रचना का द्योतक है, या यथास्थितिवाद को कायम करने की यह मनोवृत्ति है, निश्चय यही यथास्थितिवाद को कायम करने की यह सरकार की मनोवृत्ति है, जो सरकार के कर्णधार हैं उनकी मनोवृत्ति है। इसलिये अब इस सदन से सदस्यों को तनिक भी शक करने की गुंजायश नहीं रहनी चाहिये। राष्ट्रपति काशी में जाता है और दो सौ ब्राह्मणों को बुलाता है और उनके चरणों को धोता है, यह क्या है? मैं आपके जरिये यह कहना चाहता हूं कि इस संशोधन पर आते हुए इसका जो उद्देश्य और कारण दिया हुआ है, अगर उनको देखा जाय तो हमारा संशोधन स्वीकार होना चाहिये और यदि यथास्थितिवाद, ब्राह्मणवाद को कायम रखना है तो बात ही दूसरी है।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)——उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक प्वाइंट आफ आर्डर रेज करना चाहता हूं। इस बिल के डिस्कशन के साथ यह कहना कि डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद काशी गये और उन्होंने ब्राह्मणों को बुला कर किस प्रकार उनका आदर-सत्कार किया, इससे यहां क्या संबंध है?

श्री उपाध्यक्ष——वास्तव में अगर इसका जिक्र नहीं होता तो अच्छा होता।

श्री राजनारायण——आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय काटजू जी हमारे मित्र हैं, लेकिन मैं आपके जरिये चूंकि उन्होंने मुझसे पूछा इसलिये मैं बतला देना चाहता हूं कि मैंने केवल मंशा को व्यक्त किया कि इस सरकार की मंशा क्या है और इसके कर्णधारों की मंशा क्या है। यह इस तरह की मनोवृत्ति को कायम करना है। यह घटना कोई काशी की ही घटना नहीं है, बल्कि सारे राष्ट्र की घटना है। क्या यह कोई मामूली बात है कि राष्ट्रपति जायं और दो सौ ब्राह्मणों को बुला कर उनके चरणों को धोवें?

श्री उपाध्यक्ष——इस प्रसंग पर इसके असंगिक होते हुए भी आप बहुत कुछ कह चुके हैं। अब आप अपने विषय पर आवें।

श्री राजनारायण——मैंने उनकी सूचना के लिये उनसे कह दिया। इस संशोधन के संबंध में बोलते हुए मैं पुनः आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह संशोधन जो १० एकड़ जमीन निश्चित करने के लिये रखा गया है, यह बहुत ही मौजूं है, आवश्यक है और उचित है और इसी के साथ ही साथ चूंकि आगे भी इससे संबंधित संशोधन आने

[श्री राजनारायण]

वाले हैं, मैं चाहता हूं कि अगर हमारे माननीय राजस्व मंत्री और हमारे माननीय द्वारिका प्रसाद मौर्य, पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी और दूसरे सम्मानित सदस्य हमारी बातों को हृदयंगम कर सकें तो इस संशोधन को सहर्ष स्वीकार करेंगे और अगर वे इस संशोधन को अस्वीकार करते हैं तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सदन का समय बचाने के लिये हमारे माननीय सदस्य इधर उधर की बातें न करें, विधान संविधान की बातें न करें, उद्देश्य और कारणों की बातें न करें। केवल बातें यह करें कि सरकार की इस समय यह काम करने की मंशा है। अगर वे संविधान की बात करते हैं तो आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, संविधान की धारा पढ़ने की जरूरत होती है, अगर उद्देश्य और कारण की बात करते हैं तो उसे भी हमें पढ़ने की जरूरत होती है और यदि रीति-रस्म की बातें करते हैं, तो दस्तूरेअमल की पुस्तक पढ़नी पड़ती है, जैसे कि माननीय नारायणदत्त जी ने पढ़ा था, माननीय राजस्व मंत्री जी बराबर कहते हैं कि नारायण दत्त जी वहां की रीति-रिवाज संबंधी पुस्तिका को क्यों पढ़ते हैं? निश्चय ही जब बात आती है तो उसमें समय लगाने की जरूरत होती है। जहां पर कोई कुप्रथा को हटाने का संशोधन हमारी तरफ से आता है, तो उसके लिये भी सरकार की तरफ से इधर उधर की बातें कह दी जाती हैं। इसलिये मन उदाहरण के लिये प्रसंगवश डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद के बारे में कह दिया है कि राजेन्द्र प्रसाद का काशी में ब्राह्मणों का चरणामृत लेना, सत्ताधारी पार्टी की उसी मनोवृत्ति का द्योतक है, जिस मनोवृत्ति से प्रभावित होकर आज यह सरकार हमारे संशोधन का विरोध कर यथास्थिति वाद, ब्राह्मण वाद' को कायम रखना चाहती है।

श्री राम नरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने नेता विरोधीदल की इस शिक्षा को मानते हुए कि हमें यहां इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिये, लेकिन उनके पथप्रदर्शन पर चलने में यदि आगे न जायं तो साथ-साथ चलने में कोई शिकायत भी न होनी चाहिये। जहां तक उन्होंने काशी की घटना का वर्णन किया, उन्हें शिकायत हो सकती है और शिकायत के क्या कारण हो सकते हैं, यह मैं नहीं कह सकता, वे स्वयं बतला सकते हैं। लेकिन एक बात कहना आवश्यक प्रतीत होता है, जहां तक कि इस संशोधन का संबंध है और वह यह है कि जिस मनोभावना का जिक्र किया गया कि सरकार की क्या मनोभावना है तो अगर उसी हिसाब से कहा जाय कि विरोधी पक्ष की ओर से यह संशोधन किस मनोभावना से रखा जा रहा है और क्या उसका तात्पर्य है और किधर वह इस प्रान्त को ले जाना चाहते हैं, तो यह बात दायरे के बाहर नहीं होगी। आपके संशोधनों या जो मौजूदा संशोधन हैं उसके भाषण पढ़ने के बाद मैं तो बड़े आदर के साथ यह प्रार्थना करूंगा कि मुझे इसमें शंका होती है कि इसमें केवल राजनीतिक चालें हैं। इस सदन के अन्दर यह सब कहना और इस आशय से कहना कि बाहर के लोग सुनेंगे या किसी ऐसे अखबार में आ जायगी जो उनका बहुत ज्यादा प्रचार किया करता है कि विरोधी दल ने अमुक जातियों का साथ दिया और अमुक जातियों का विरोध किया तो मैं तो इसे जो आज का विरोधी दल यहां है यह मानते हुए कि वह कम्युनिस्ट टैकटिक्स को दबाने की बातें ज्यादा करते हैं, लेकिन दरअसल में रास्ता वही अख्तियार करते हैं कि जो उनके बड़े भाई साहब करते हैं और वह रास्ता यह है कि ऐसे वर्गो को या ऐसे दलों को अपने हाथ में ले करके और ऐसे नाजुक स्थानों पर अंगुली रख करके राजनीतिक फायदा उठाया जाय तो इन भाषणों को सुनने के बाद जो जरा सी भी भारत की राजनीति का अध्ययन कर रहा है, वह निसंकोच इस फैसले पर आयेगा कि यह उनके बड़े भाई साहब का रास्ता है और इस रास्ते पर चलने से इस प्रान्त का ही नहीं बल्कि देश का कल्याण नहीं हो सकता। जब कि हमारी तरफ से कह दिया गया है कि यह मौजूदा बिल वहां के जमीनों को रिकार्ड करने के लिये है तो उसमें बुनियादी बातों को उठाकर यह ताना देते हुए कहना कि हमारे पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी साहब बुनियादी बातों को कहने के आदी हैं तो अगर उसको कसौटी पर कसा जाय तो पता चलेगा कि कौन बुनियादी बातों को कहता है। यह बिल को रिकर्ड करने के लिये है और उसमें इन बातों की क्या आवश्यकता है।

एक बात मै और कहता हूं और वह यह है कि वह संजीवनी बूटी, सब रोगों की एक दवा, जो मथुरा या और किसी जिले से निकला करती है हमारे पास तो है नहीं। वह विरोधी पक्ष के पास हो सकती है कि जब भी कोई बिल आये, कोई भी संशोधन आये तो उसमे भूमि वितरण की समस्या आ जाती है। गल्ले की कमी इसलिये है कि भूमि–वितरण नहीं है। देश में लड़ाई–झगड़े हो रहे हैं तेलंगाना हो रहे हैं वह इसलिये हो रहे हैं कि भूमि–वितरण नहीं हुआ है। यह भूमि–वितरण भी एक वैद्य जी की एक पुड़िया है जो हर मर्ज पर दे दीजिए और उसी को यहां पर लाया गया है। मै निःसंकोच एक बात बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार और हमारे राजस्व मंत्री एक प्रकार से उन राजनीतिज्ञों मे से नहीं हैं, जो रोगी को ऐसी दवा दे जिससे रोगी मर जाय। जिस प्रकार का जो मरीज होता है वैसी उसको दवा दी जाती है। जिस इलाके के लिये यह बिल प्रस्तुत किया गया है उसके लिये यह विधेयक उत्तम है पहले भी यह संशोधन ३० एकड़ के लिये रखा गया लेकिन जब किसी ने कहा कि वहां किसी के पास तीस एकड़ नहीं है तब सोचा गया कि बात तो गड़बड़ है। एकड़े जाये सीधे और सरकार के पास आकड़े भी हो सकते है। हालांकि कहा जाता है कि वहां आंकड़े नहीं है। वहां की वस्तु स्थिति न जानने के कारण वह इस एकड से बाधना चाहते हैं। वहां ९० और ९५ फीसदी ऐसे है जिनके पास एक या डेढ़ एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं है। वहां की वस्तु स्थिति यह भी है कि अगर इसको पूरे तौर पर मान लिया जाय कि वहां का वह वर्ग जिसे कोल्टा और बाजगी कहते है वह कहेगा ही नहीं कि इन जमीनों पर हमारा कब्जा है। इसलिये होशियारी यही है कि पहले जमीनें रेकार्ड कर ली जायं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मै आपके द्वारा बडे अदब से विरोधी दल से प्रार्थना करूंगा कि वह आसमान की दुनियां मे रहना छोड़ दे और ख्वाबों से––

श्री राज नारायण––एक जानकारी चाहता हूं।

श्री रामनरेश शुक्ल––बाद मे पूछ लीजिएगा, इकट्ठा ही।

तो मै उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रार्थना कर रहा था कि ख्वाब देखा करें लेकिन दिन मे और असेम्बली मे बैठ कर कृपा करके न देखें। इससे देश का नुकसान होगा। वास्तविकता की दुनिया में आ जायं। वास्तविक प्रश्न यह है कि जो हमारा यह बिल है, जिस रास्ते पर हम चल रहे है उससे फायदा होता है या नहीं। यह रेकार्डिंग इसलिये हो रही है कि खानेशुमारी मे नाम दर्ज हो जायं और अंत मे जब इस विषय में कानून बनेगा तो कम से कम इतने आदमियों को जमीन मिल सकेगी जितने आदमियों का नाम रेकार्ड हो जायगा। अगर इस समय इस प्रकार की चीजे अभी उठा दी जायं तो सारे के सारे कोल्टा बाजगी इनकार कर देंगे कि न हमारी कोई जमीन है, न मै काश्तकार हूं।

श्री राज नारायण––वहां कोई जमीन ब्राह्मण और राजपूत के अतिरिक्त दूसरे की भी है?

श्री रामनरेश शुक्ल––इसलिए बड़ी ही चतुरता से हमारे राजस्व मंत्री ने पहला कदम यह उठाया है कि रेकार्ड करवा लिया जाय, थोड़ी बहुत जिसके पास जितनी है बिला इस चीज को उठाये हुए कि कौन कितनी रख सकता है और जब यह रेकार्ड हो जायगा और एक आखिरी कानून बनेगा तो मै उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष से प्रार्थना करूंगा कि तब इस प्रकार के बुनियादी संशोधन रखें। तब चाहे राष्ट्रपति भी आ जायं, गवर्नर साहब भी आ जायं, प्रधान मंत्री भी आ जायं और कैसे पैर धोये गये या नहीं धोये गये यह झगड़ा तब निबटाया जाय। मै यह कहूंगा कि वास्तविकता की दुनियां मे आ जायं। इस तरह से समय व्यर्थ करने से कोई लाभ नहीं है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय––कब आयेगा वह बिल?

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा आज सदन को यह बतला देना चाहता हूं कि इस संशोधन को, जो माननीय राजनारायण जी ने पेश किया है मुझे दुख है कि मैं उसका विरोध करता हूं क्योंकि यह बिल जो लाया गया है वह किसानों के हित के लिये लाया गया है। उन्होंने काश्तकारों के विरुद्ध अपना संशोधन पेश किया है। इसके अन्दर किसी जमींदार का अगर जिक्र किया गया होता तो मैं उसको वेलकम करता। हमारे बिल की जो अंतिम लाइन है, वह मैं पढ़ देना चाहता हूं। "अनाव भूमि जोतने वाले किसानों", "किसानो" शब्द को देखिए। किसी जमींदार के लिये नहीं लिखा है। हमारे मंत्री महोदय ने पिछले सेशन में वह कानून बना दिया है कि जिस खेत को कोई भी किसान जोतता हो और दस आदमी गांव वाले कह दें, मैजिस्ट्रेट के सामने तो वह उनकी हो जायगी। इससे अच्छा शायद कोई भी कानून कोई मिनिस्टर नहीं ला सकता था, जो ठाकुर चरण सिंह जी ने किया। अगर राजनारायण जी का संशोधन जमींदारों के विरुद्ध होता तो मैं उसे वेलकम करता। लेकिन यहां तो काश्तकार की गर्दन ही नापने के फेर मे हैं। आप उन्हीं के वोट पर आये हैं, हम भी आये है। आप से कम दर्द हमारे दिल मे उनके लिये नही है। हम वहां की भूमि-हीन दशा को सुधारना चाहते हैं। हमारे कानून को वहां प्रवेश होने दीजिए। रेकार्ड हो जाय और आप और हम चलकर वहां वालन्टियरिली सर्वे करें और यह देखा जाय कि सही रेकार्डिंग हो, गलत रिकार्डिंग न होने पाये। इस चीज की जरूरत है। सिर्फ सदन के अन्दर बैठ कर एक दूसरे को क्रिटिसाइज किया जाय, गलत गलत अमेंडमेंट पेश किये जायं और समय व्यर्थ किया जाय, यह बिलकुल असामयिक बात है। मुझे दुख है कि हमारे माननीय राजनारायण जी ने उधर से डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद का नाम लिया कि बनारस मे उन्होंने क्या किया? मैं पूछता हूं कि इन्डियन कल्चर को भी कोई खत्म कर सकता है? हमारे देश मे हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी जाति के लोग बसते हैं और जाति पांति का कोई प्रश्न भी नहीं है। उधर आप लाल टोपी लगाये बैठे हुए हैं, लेकिन कोई त्रिपाठी साहब हैं, कोई सिंह साहब हैं, कोई कुछ बने हुए है। उसको आपने पहिले क्यों नहीं अबालिश किया? और दूसरों को इल्जाम देते है। "पर उपदेश कुशल बहुतेरे"। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं निहायत अदब के साथ इस संशोधन का विरोध करते हुए अन्त में यही कहूंगा कि अगर जमीन्दार का विरोध होता तो मुझसे ज्यादा इसको सपोर्ट करने वाला कोई हाउस के अन्दर नहीं मिलता। लेकिन दुःख है कि किसानों का विरोध किया गया जिनके ऊपर आप मबनी हैं।

श्री रामसुन्दर पान्डेय (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे साथी रामनारायण त्रिपाठी जी ने जो संशोधन उपस्थित किया है उसका मैं हार्दिक समर्थन करता हूं। जब से इस संशोधन पर बहस चल रही है, मैं बहुत ही गौर से अपने सभी साथियों के भाषणों को सुनता रहा। एक-एक भाषण सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मालूम होता है कि सरकार के लोग और सरकारी बेन्चों पर बैठे हुए हमारे साथी आज हमारे साथी के संशोधन को मानें या न मानें, लेकिन सरकार की ऐसी नीति होती चली आई है कि हमारी पार्टी के जो भी सुझाव आते हैं, यहां चाहे न माने जायं, लेकिन चन्द दिनों के बाद जरूर माने जाते है। हमारे साथी भूमि-वितरण का जिक्र इसमे करते है, इसलिये संशोधन मे तो कहा गया है कि जिसके पास इतनी से ज्यादा जमीन हो, वह ले ली जाय, वितरण का सवाल नहीं आता है, फिर भी माननीय द्वारका प्रसाद जी के द्वारा ये वितरण के शब्द सुने तो मैं स्तम्भित सा हुआ।

माननीय पंडित ब्रज विहारी मिश्र जी ने कहा कि सदन ने भूमि-वितरण की योजना स्वीकार नहीं की है, स्वीकार न करने से पहले कैसे इस तरह का प्रस्ताव आ सकता है? मैं तो हैरान रहा कि सदन स्वीकार तो करता, जब कोई चीज आती। आसमान से कोई विधान

लागू नहीं होता है। सदन में कोई आदमी लाता है। चाहे वह सरकारी सदस्य हो या गैर सरकारी सदस्य हो। अगर गैरसरकारी सदस्य के द्वारा ही इस तरह का सदन में संशोधन लाया गया और स्वीकार किया गया होता, तो मैं समझता हूं कि सरकार की ताकत में, बल में कोई कमी नहीं आती। आचार्य विनोबा भावे आज घूम-घूम करके सारे प्रदेश में भूमि वितरण की समस्या को सुझाना चाहते हैं जो सही माने में हमारे देश की सब से बड़ी समस्या है और मैं यह कह सकता हूं कि यदि भूमि-वितरण की समस्या हमारे देश में ठीक तरह से नहीं की गई तो हमारे देश की जो अन्न की समस्या है वह हल होने वाली नहीं है। हमारा देश, खास करके हमारा प्रदेश, कृषि प्रधान प्रदेश है और जहां के लिये यह ऐक्ट लाया गया है, वहां पर तो हमारे साथियों ने बतलाया है और स्वयं राजस्व मन्त्री जी ने बतलाया है कि अधिक जमीन ऐसे लोगों के कब्जे में है, जो अधिक मानों में खेतिहर नहीं हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं माननीय राजस्व मन्त्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस तरह की जो खेतिहरों और भूमि-वितरण की समस्या है, उसको आपको मानना चाहिए और जो संशोधन हमारे साथी माननीय राम नारायण त्रिपाठी जी ने रखा है, उसको मानने में कोई कोर कसर नहीं करना चाहिए। हमारे माननीय राजस्व मन्त्री, इस सदन के माननीय मुख्य मन्त्री जी और इस देश के एक महान नेता आचार्य विनोबा भावे इस चीज को बार-बार कहते हैं।

आचार्य विनोबा भावे ने कई बार कहा है कि यदि भूमि-हीन लोगों को जमीन नहीं दी गई तो जमींन्दारी खत्म करने से कोई लाभ नहीं है। जो संशोधन हमारे साथी ने रखा है वह माननीय विनोबा भावे और दूसरे बाहर के कांग्रेसी नेता जो कहते हैं, उसका हल है। इसलिये मैं आपके द्वारा माननीय राजस्व मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे साथी माननीय राम नारायण त्रिपाठी जी ने जो संशोधन रखा है उसको उन्हें स्वीकार करना चाहिए। इसमें कोई हिचकने की बात नहीं है। यदि वे इस समय इस संशोधन को नहीं मानते हैं तो यदि वे उन कुर्सियों पर विराजमान रहे तो उनको चन्द सालों में मानना पड़ेगा। इस प्रकार यह हो जायगा कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के लोगों ने एक संशोधन रखा और उसको कांग्रेस सरकार ने मान लिया। मैं पुनः आपके द्वारा माननीय राजस्व मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे हमारे संशोधन को स्वीकार करें।

श्री रामनारायण त्रिपाठी——उपाध्यक्ष महोदय, सब से पहले मैं माननीय राम नरेश जी को इस बात के लिये बधाई देना चाहता हूं कि इसमें शब्द "जमीन्दार" नहीं था उसकी ओर उन्होंने मेरा ध्यान आकृष्ट किया। "जमीन्दार" शब्द से उनका मतलब यही था कि जमीन्दार और काश्तकार में फर्क किया गया है, लेकिन मेरा मतलब यहां "काश्तकार" से यही था कि जो जमीन जोतने वाले हैं। अगर वे मेरा साथ देना चाहते हैं और उनकी सरकार मेरा साथ देने के लिये तैयार है तो मैं "काश्तकार तथा जमीन्दार परिवार" उसमें जोड़ देता हूं और फिर मुझे आशा है कि वे उसे स्वीकार कर लेंगे।

अब रहा यह कि माननीय रामनरेश जी का ऐसा कथन है कि यह एक राजनीतिक चाल है जो कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के लोग अक्सर चला करते हैं। यह आम बात वे अपनी दलीलों में दिया करते हैं। ऐसी राजनीतिक चाल आम बात नहीं है। आपका दल भी यह करता है और हम भी करते हैं, लेकिन हर बात को अगर आप राजनीतिक चाल समझें तो यह ठीक नहीं है। अगर वह ऐसा समझते हैं तो हमको मौका ही क्यों देते हैं। वह हमारी बात मान लें और फिर उनको भी कोल्टा और बाजगियों में कहने को हो जायगा कि उन्हीं ने पेश किया और हमने मान लिया। ऐसी हालत में तो पेश करने वाले से मानने वाले को ज्यादा क्रेडिट होती है, लेकिन माननीय राम नरेश जी बार बार मौका छोड़ देते हैं और यह हमारे लिये दुख की बात है।

अब रह गया जमीन के बटवारे का सवाल। हमारे पास जो आंकड़े माननीय राजस्व मन्त्री जी के पास से आये है, उनमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोल्टा और बाजगियों के पास ६,५९५ एकड़ जमीन है और ३४,७३७ एकड़ जमीन जमीन्दारों के पास है या काश्तकारों

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

के पास है । काश्तकार और जमीन्दार में इस परगने में ज्यादा फर्क नहीं है क्योंकि दस्तूरुल अमल के मुताबिक ब्राह्मण और क्षत्रियों के अलावा वहां कोई जमीन का मालिक नहीं हो सकता है। इस सम्बन्ध में एक प्रश्न यह उपस्थित हो जाता है कि सरकार दल की तरफ से मालूम हुआ है कि वहां सयाना लोगों के लगभग ३९ ही परिवार हैं जो कि सारी जमीनों के मालिक हैं और तमाम पुलिस और पटवारी के अख्तियार उनके पास हैं । दूसरी बात हमारे सामने यह है कि शिकमी काश्तकारों का रकबा भी हमें मालूम नहीं है । इसलिये हमको शुबहा होता है कि यह ३४,७३७ एकड़ जमीन जो है वह बहुत थोड़े परिवारों के पास हैं । अगर हमारा संशोधन मान लिया जाता है तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन के पास १० एकड़ से फाजिल जमीन होगी जो दूसरों को मिल सकती है । और हमारी शंका इसलिए और भी पुष्ट हो जाती है कि हमें यह बतलाया गया कि ५६,००० की आबादी है और लगभग ४०,००० एकड़ जमीन है तो इस हिसाब से पौन एकड़ फी आदमी आती है । यह भी बतलाया गया कि एक पत्नी है और उसके पांच पति होते हैं । अगर दो-दो बच्चे हुए तो १० बच्चे हुए तो इस तरह से कुल मिलाकर १६ आदमी एक खाते में हुए तो इस हिसाब से दस एकड़ जमीन एक खाते में हो जाती है तो यह कोई असंभव बात नहीं है । दस एकड़ से ज्यादा जमीन किसी परिवार के पास नहीं है, अगर ऐसा ही है तब भी वह कम से कम हमारा दिल खुश करने के लिये इसको मान लें ।

अब रह गया यह कि माननीय राम नरेश शुक्ल ने यह सलाह दी कि हम ख्वाब न देखा करें । उन्होंने रात के और दिन के ख्वाबों का भी जिक्र किया । लेकिन मैं तो ख्वाबों का देखना बहुत ही जरूरी समझता हूं और उपाध्यक्ष महोदय, वह कौम संसार से मर चुकी होती है जो ख्वाब नहीं देखती है । अगर राष्ट्रीय कांग्रेस को यह ख्वाब नहीं होता कि अंग्रेजों को भारत से निकाला जाय तो न तो कांग्रेस ही बनती और न अंग्रेजों से ही आजादी की लड़ाई होती और हम वर्षों गुलाम बने रहते । एक आदमी ने ख्वाब देख लिया तो मजबूर होकर अंग्रेज आज भारत से निकल गये । इस प्रकार से हमारी पार्टी और हर एक पार्टी के ख्वाब होने चाहिए । अगर माननीय रामनरेश जी समझते हैं कि उनक पास कोई ख्वाब नहीं है तो उनको तथा उनके दल को मौका जनता को नहीं देना चाहिये । तो ख्वाब देखना हर एक दल के लिये आवश्यक है और महत्वपूर्ण है । जिनके पास ख्वाब नहीं हैं वह मुर्दे के समान हैं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि व्यर्थ के विवाद में न पड़ कर इस संशोधन को इसके निर्दोष होने के कारण माननीय राजस्व मन्त्री जी अवश्य स्वीकार कर लें ।

श्री चरण सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही संक्षेप में कुछ बातें कहना चाहता हूं क्योंकि काफी कांग्रेस बैन्चज की तरफ से एक युक्तियुक्त जवाब पहले ही दिया जा चुका है । श्री रामसुन्दर जी ने यह कहा कि भूमि वितरण का इस संशोधन में जिक्र ही नहीं है । जब यह संशोधन पेश हुआ तो मैं हाजिर नहीं था । लेकिन इसमें जो यह कहा गया है कि इसमें भूमि वितरण का जिक्र नहीं है तो यह गलत है, क्योंकि संशोधन यह है कि "इस अधिनियम के लागू होने पर इस परगने में किसी काश्तकार परिवार के पास १० एकड़ से अधिक जमीन नहीं रहेगी और इस धारा के फलस्वरूप जो जमीन उपलब्ध होगी वह भूमिहीन कोल्टा और बाजगियों में वितरित कर दी जायगी" तो भूमि वितरण की बात तो इसमें है । इस संशोधन में दो बातें हैं एक तो यह कि १० एकड़ से ज्यादा जमीन जिसके पास होगी, उससे ले ली जायेगी । अगर यहां पर यह बात होती कि जमीन ले ली जायगी और क्षेत्रपति को वापस चली जायगी, तब तो कोई कंस्टिट्यूशनल कठिनाई नहीं आती थी, लेकिन फिर आपका कहना है कि वह जमीन तकसीम कर दी जायगी, बाजगी और कोल्टाओं में और गालिबन बिना मुआविजे के तकसीम कर दी जायगी तो यहां पर कांस्टिट्यूशनल कठिनाई आती है । लेकिन मैं उसका

जिक्र करना नहीं चाहता हूं। हर बार जो भूमि वितरण की बात कही जाती है तो जैसे एक आदमी का ट्रम्प कार्ड होता है, उसी तरह से सोशलिस्ट भाई इसको पेश कर दिया करते हैं। भूमि व्यवस्था के सम्बन्ध में उनके पास केवल दो ही बातें रह गयी है. जिसको वह बारबार कहते है चाहे हरदोई में कांफ्रेंस हों, चाहे यहां उनकी तकरीर हो, चाहे तुक बैठती हो या न बैठती हो, लेकिन भूमि वितरण की बात कहीं न कहीं से ले आते है, क्योंकि यह उनका बहुत ही प्रिय विषय है। इस पर वह काफी अपने दिल की भड़ास निकाल लेते है. अपने मन में यह मानकर कि हम बड़े प्रगतिशील है और दूसरी बेंचेज के लोग प्रतिक्रियावादी हैं। अच्छा है कि उनके पास कम से कम एक विषय तो ऐसा है कि जिस पर वह चाहे गलत तरीके से ही सही जोश में आ जाते हैं। हम लोग उनको प्रतिगामी दीखते हैं। लेकिन किसी बात को बारबार उठाने से कोई फायदा नहीं होता है। जमीन की बटवारे की बात उन देशों से ली गई, जहां पर कि बहुत बड़ी जमीन्दारी थी या बहुत बड़े-बड़े होल्डर थे। उनमे जमीन लेकर भूमिहीन लोगों को जिनके पास अलाभकर जोत थी या छोटी जोत थी, उनको तकसीम की गई। तो जहां तक इस उसूल का ताल्लुक है कि कुछ लोगों के पास बड़ी बड़ी जमीन हैं या बहुत लोगों के पास जमीन बिलकुल न हो और चन्द थोड़े से आदमी जमीन को मोनोपलाईज करके बैठे रहें तो उनसे जमीन ली जाय। मैं इस उसूल को मानता हूं और बुरा नहीं समझता और न इधर के हमारे साथी उसको बुरा समझते हैं। विरोधी दल के सदस्यों ने अखबारों में पढ़ा होगा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में इस सिलसिले में काफी बहस हुई और हमारे नेता इसको आवश्यक समझेंगे कि यह बात देश के हित में है और भूमि का वितरण देश के हित में है तो जहां वह और बातों में नहीं हिचकिचाये हैं, इसमें भी कोई हिचक नहीं पैदा होगी, अगर यह आवश्यक हुआ कि भूमि वितरण हो, तो वह किया जायगा। लेकिन सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में ही यह समस्या है, कुछ लोगों के पास भूमि बहुत ज्यादा है और उसके तकसीम करने से खाद्य समस्या या और आर्थिक समस्या बिना किसी कन्ट्रोल के हल हो जायेगी। मैं एक दो बार से अधिक उन आंकड़ों को बता चुका हूं और इस बात का इन्तजार भी किया है कि कोई सज्जन बतलायें कि मेरे यह आंकड़े कहां तक गलत हैं। मगर कोई ऐसी बात नहीं बतलाई गई। आप देखेंगे कि आज स्थिति क्या है। आज स्थिति यह है कि जिस आदमी के कब्जे में जितनी जमीन है, वह हमने उसको दे दी। काश्तकार की जमीन काश्तकार के पास और जमीन्दार की जमीन जो उसके कब्जे में थी वह उसके पास है। जमीन्दारों की संख्या जिनका खेतों पर कब्जा है, करीब १९,२० लाख के हैं: सीर ६५ लाख दर्ज है। तो खेवट में जितने नाम दर्ज है उसके मुताबिक फी आदमी साढ़े तीन एकड़ पड़ता है और फिर सीर पर भी जो काश्तकार थे उनमें जो ढाई सौ से ज्यादा के थे उनको भूमिधर करार दे दिया और ढाई सौ से कम जो सीर वाले थे, उनको अधिवासी करार दे दिया। तो इस तरह से सीर की तकसीम हो गई और जो जमीन काश्तकारों के पास थी यानी उनके शिकमियों के पास थी, उस पर भी उनको अधिकार दे दिया और इस तरह से काश्तकारों की जमीन भी तकसीम हो गयी। बाकी जमीन जो बची वह हमने गांव सभा को दे दी और गांव सभा को यह अधिकार दे दिया कि वह उस जमीन को तकसीम कर दे। जैसा कि जमीन्दारी अबालिशन ऐन्ड लैन्ड रिफार्म ऐक्ट में जो हम संशोधन करने जा रहे हैं, वह इस सदन के सामने १,२ दिन पहिले बांटा जा चुका है। उसमें सभी लोगों ने देखा होगा कि उसमे हम एक संशोधन करने की बात सोच रहे हैं और वह महज एक अदलाब बदलाव की बात है, लेकिन जहां तक जमीन तकसीम करने का मामला है, दफा ९८ अमेंडेड कानून के मुताबिक भूमि वितरण हो सकता है। अब आखिर वह जमीन कौन सी बची जो तकसीम के लिये रह जाती है। कुल एक लाख १४ हजार ७०० खाते ऐसे हैं, जिनका २५ एकड़ से ज्यादा रकबा है, जिनमे से ९ हजार ऐसे है, जिनका रकबा ५० से ज्यादा है और १ लाख ५० हजार ऐसे है जिनका रकबा २५ से लेकर ५० तक है और इस १ लाख ५ हजार में १,५ को छोड़कर ज्यादातर २५ और ३० एकड़ के बीच के रकबे वाले खाते होंगे। १ लाख ५ हजार में से अगर एक चौथाई निकाल दें तो जो खाते बचेंगे

[श्री चरण सिंह]

वे ३० एकड़ से ज्यादा रकबे वाले होंगे। इसमें से वह जमीन फिर निकालनी पड़ेगी जो केवल काश्तकारों के खाते की है। इनमें बहुत से जमीन्दार ऐसे हैं जो भूमिधर बन गये हैं। इस तरह से ८ लाख एकड़ जमीन बचती है जो उनसे लेकर तकसीम की जा सकती है और साढ़े चार लाख एकड़ जमीन मजरूआ बचती है जिनमें बागात लगे हुए हैं। यह ८ लाख इसमें जोड़ सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि देश के हित का तकाजा अगर यह है कि यह ८ लाख उनसे ली जाय तो मुझे या मेरे किसी साथी को कांग्रेस पार्टी के यह हिचकिचाहट नहीं होगी कि ऐसा न किया जाय। लेकिन सोचना यह है कि क्या ऐसा करने से कोई इन्कलाब हो जायगा। क्या और जो बड़ी-बड़ी समस्यायें हैं, उनमें उलझें। अभी जमीन्दारी अबालिशन किया है। कम्पेनसेशन का सवाल पूरे तरीके से हल नहीं हुआ है। न रिकार्डस तैयार हुए हैं। चीजें अभी सेटिल डाउन नहीं हुई हैं और एक चीज को और उठा लें जिससे कोई बड़ा फायदा होने वाला नहीं है। फिर वही सवाल यहां भी उठेगा, मुआविजा उनको देना होगा। अब यह बात कि बिना मुआविजा दे दो यह हमारे संविधान के खिलाफ है। बहुत सी वजूहात से हमने यह जरूरी समझा कि जब किसी की जायदाद ली जाय तो उसको मुआविजा दिया जाय। जमीन्दारों को ही मुआविजा इस तरह से दिया जाय, कहां से इतनी बड़ी रकम आवे, यह सवाल पहिले से हमारे सामने है। जमीन्दार असंतुष्ट हैं कि उनको मुआविजा बहुत कम मिल रहा है! तो यह जमीन जिन लोगों के कब्जे में है जमीन्दारों से ली तो। जमीन उनके कब्जे में नहीं थी, केवल प्रोप्राइटरी राइट उनका था, लेकिन यहां तो जिनसे जमीन लेंगे उनके कब्जे में जमीन भी है और प्रोपाइटरी राइट भी है। उनको मुआविजा काफी देना पड़ेगा। जमीन्दारों को जिस तरह से दिया वैसे नहीं दिया जा सकता। क्या मुआविजा गवर्नमेंट अपने पास से देगी या जिन लोगों को तकसीम की जायेगी वह देंगे। वह भूमि ही नहीं दे सकते, उनके पास है नहीं। मुआविजा भी बहुत ज्यादा होगा। क्या गवर्नमेंट दे सकती है? गवर्नमेंट तो रोजाना विकास के काम करती है और प्रगति के साथ करना चाहती है और कर रही है उसमें ही बजट में जितनी आय है और जितना व्यय हम कर रहे हैं, उसमें ही बड़ा अन्तर है। उस अन्तर को दूर करने के लिये और कमी को पूरा करने के लिये कई बिल्स पहिले ही सदन में आ चुके हैं। किस तरह से वह घाटा पूरा होगा इस पर सरकार विचार कर रही है। जब कभी कोई बिल आयेगा रुपये लेने के लिये तब मैं समझता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समाजवादी पार्टी के भाई बड़ा भारी विरोध करेंगे। तो वह रुपया कहां से आयेगा? फिर आप यह भी कहेंगे कि मुआविजा न दिया जाय, तो आप पहिले कांस्टीट्यूशन को बदलवा लीजिए, तब यह बात सोची जा सकती है लेकिन जब मुआविजा देना है और वहां मुआविजे का रेट भी बहुत ज्यादा होगा, मौजूदा जमीन्दारी अबालिशन ऐक्ट से कहीं ज्यादा, और जिन लोगों को भूमिहीनों को वह भूमि देने की बात कहते हैं, वह उस मुआविजे को नहीं दे सकते, लिहाजा वह कहां से आयगा? गवर्नमेंट तो जनता से ही लावेगी और यह भी मैं जानता हूं कि आप तो घात लगाये बैठे हैं कि गवर्नमेंट कहीं टैक्स बढ़ाने या लगाने की बात लाये और हम विरोध करें। फिर यह मसला कैसे तय हो। जहां तक गवर्नमेंट की नीयत का सम्बन्ध है कि भूमिहीनों को जमीन मिले, उनके लिये बहुत जल्द जमीन्दारी अबालिशन ऐक्ट का अमेंडिंग बिल आ रहा है, उसमें जो क्रम अब तक दफा १९८ का था, उसको बदल कर भूमिहीन और खेतिहर मजदूर को एक तरह से पहला स्थान दिया जा रहा है।

आचार्य विनोबा भावे का बहुत अच्छा मकसद है और वे धन्य हैं कि एक बहुत ही उत्तम वातावरण पैदा कर रहे हैं और वह अपने योग्यता से और अपने आन्दोलन से जो कुछ कर रहे हैं, वह बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और एक सार्वजनिक कार्यकर्त्ता की हैसियत से वह देश के लिये जो कुछ कर रहे हैं, उसके लिये वह बधाई के पात्र हैं और न उनके उद्देश्य से किसी को इनकार ही हो सकता है। हम भी उन्हीं के उद्देश्य को पूरा करने के लिये अपने जमीन्दारी अबालिशन ऐक्ट में संशोधन कर रहे हैं।

अभी वेस्ट लैन्ड संशोधन बिल भी आने वाला है और आपने उसके बारे में अखबार में पढ़ा होगा उसके बारे में इस वक्त में कुछ ज्यादा कहना नहीं चाहता केवल इतना कहूंगा कि जहां तक गरीब लोगों को उठाने का सम्बन्ध है और जहां तक अपने गिरे भाइयों के आंसू पोंछने का सम्बन्ध है और जहां तक देश की तेजी के साथ दुनिया के तमाम प्रगतिशील और उन्नतिशील और समृद्धिशाली देशों की पंक्तियों में ले जाकर बिठा देने का सवाल है आप के जरिये अपने दोस्तों को और उनके जरिये उनके समर्थकों को विशेषतः बतलाना चाहता हूं कि इस हाउस में या इसके बाहर इस पार्टी का कोई नेता मामूली सा वर्कर हो आप से या किसी भी और पार्टी से एक कदम भी पीछे नहीं है। केवल बात इतनी है कि हम प्रगति करना चाहते हैं, शांति के साथ-साथ धीमे-धीमे और इस तरह करना चाहते हैं कि हम जिन लोगों के स्वत्व ले उनके भी थोड़े बहुत आंसू पोंछ जा सकें। जिनके पास जायदाद है चाहे भूमि के रूप में हो या और किसी प्रकार की हो, हम उनको किसी प्रकार भी उनको अपना बैरी नहीं मानते। वह भी पुरानी सोसाइटी और समाज के अंग हैं और उसका जो स्टैंडर्ड रहा है और जो वेल्यूज रही हैं उसके मुताबिक उनकी जायदाद रही है। अब उन की वेल्यूज को हम चेंज करते जा रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ लोग चाहते हैं कि जो मान्यतायें बुजुर्गों की रही हैं उनकी एक दम अवहेलना करना जैसे कि माननीय राज नारायण जी ने हमारे राष्ट्रपति के एक कार्य के बारे में संकेत किया, अगर्चे वह यहां बिलकुल गैरमुताल्लिक बात थी, उससे यहां कोई वास्ता नहीं थी लेकिन उससे उनकी भावना मालूम होती है केवल हमारे यहां एक मान्यता है कि जो विद्वान हैं उन का आदर करना। हमारे यहां होता है उस पर्टिक्युलर काम से हो सकता है किसी को मतभेद हो, लेकिन वह कार्यविशेष जिस मनोवृत्ति का सूचक है और जिस मनोभाव या संस्कृति का वह प्रतीक है उस संस्कृति को जाहिलाना समझना या प्रतिगामी समझना या पूंजीवाद का पोषक समझना और इसलिये उनसे पीठ मोड़ कर चला जाना और जिन लोगों के पास किसी तरह से पूंजी है चाहे वह किसी तरह से आई हो उनको बैरी समझना हमने तो सीखा नहीं है। और उस आदमी से हमने यह सीखा है जिसका नाम समाजवादी या विरोधीदल के सदस्य भी लेते रहते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि मैं मोती बखेर रहा हूं लेकिन सब बेकार होगा, उसका कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी मैं एक बार यह जरूरी समझता हूं कि भूमि वितरण के सिलसिले में जो बार बार बात कही जाती है वह केवल किसी खास उद्देश्य से कही जाती है, यह किसी प्रकार भी नहीं कि उससे कोई प्रैक्टिकल लाभ किसी को होने वाला है।

एक बात आंकड़ों की बाबत भी कही गयी। राज नारायण जी ने जो कुछ कहा उसको मैं अच्छी तरह से सुन नहीं पाया लेकिन जहां तक समझ पाया उन्होंने यह कहा और मैं समझता हूं कि वे कुछ गुमराह हो गये। उसमें जो आंकड़े हैं उनमें जो १,९१३ एकड़ कोल्टा और बाजगी के पास बतायी गयी है वह केवल उन्हीं के पास है। ३५,३१५ एकड़ जमीन राजपूत और ब्राह्मणों के पास है और उनकी जमींदारी में है, ३०५ एकड़ जमीन और लोगों के पास है यानी ढोल और चमार आदि जाति के लोग हैं, उनके पास है। अतः ३९,९१३ में ३०५ जोड़ दिया जाता है तो ४२,९९८ हो जाता है। अतः उनके पास जो ४२,९९७ एकड़ की उनकी इनफारमेशन है वह उन सब जातियों के पास की जमीन के बारे में है। इसके अलावा २,६०२ एकड़ जमीन राजपूत और ब्राह्मणों के पास बहैसियत काश्तकार के हैं जिसके ऊपर उनका कब्जा है। उस तरीके से ९९०० एकड़ जमीन बैठती है। तो फिर अब बताइये गलती कहां हुई। मैं इसके लिये अगर कोई गलती हो तो जैठने के लिये तैयार हूं। अतः मेरी तरफ से जो आंकड़े दिये गये थे उनके समझने में मेरा ख्याल है माननीय मित्र की ओर से गलती हुई है। लेकिन आंकड़े बिल्कुल सही हैं। उनके खाते वगैरह की हर एक तफसील मेरे पास है। अब देखना यह है कि ऐसी जमीन कितनी है जो १० एकड़ से ज्यादा है। अभी मैंने बताया कि जहां काश्तकारों के पास जो औसत आता है वह .९ का बैठता है तो फिर १० एकड़ से ज्यादा किसके पास होगी। आपने कहा कि फिर मेरा मन समझाने के लिये ही इसको मान लीजिए। मन तो वचन से ही समझाया जाता है। यह जगह कोई खाला जी का घर थोड़े ही है। यहां तो किसी उद्देश्य को लेकर ही कोई काम

[श्री चरण सिंह]

किया जाता है। यहां तो सोचना होता है कि यहां पर एक चीज को मान लेते हैं तो उसके कांसीक्वेंसेज क्या होंगे। आज केवल १० एकड़ की ही बात नहीं है। आप उसमें भूमि के बटवारे की भी बात कहते हैं। अगर यहां यह मान लिया जाता है तो फिर यह कहा जायगा कि दूसरे हिस्से में यह क्यों नहीं बिना मुआविजे के मान लिया जाता है। इसलिये यह बात सिर्फ मन समझाने के लिये नहीं रखी जा सकती है, न मंजूर की जा सकती है। और बार-बार उलाहना दिया जाता है कि क्योंकि यह हमारी तरफ से रखा गया है, इसलिये मंजूर नहीं किया जा सकता, यह कोई दलील नहीं है और न अपने मन में इस तरह की बात रखनी चाहिये। क्योंकि किसी तरफ से कोई बात आती है और वह माकूल होती है तो उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। मैं आपको बतलाऊं कि दो तीन दिन अमेंडमेंट्स समाजवादी दल की तरफ से आये वे स्वीकार हुए। जो बात माकूल थी वह मान ली गयी।

कल का एक और सबूत माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से देना चाहता हूं कि कल जिस वक्त यह सदन उठ चुका तो माननीय गेंदा सिंह जी ने मुझसे कहा कि वास्तव में आप जमींदारी एबालिशन करना चाहते.... नहीं हैं वरना आप तीन साल तक के लिये हर आदमी को हर काश्तकार को जमीन शिकमी और पट्टे पर उठाने का क्यों अधिकार देने जा रहे हैं दफा ४ में ? मैंने उनसे कहा कि हमारी नीयत ऐसी है और गवर्नमेंट की पालिसी भी है कि उसे खत्म करें लेकिन जिस सिलसिले में आपने कहा है उस पर मैंने ठीक से विचार नहीं किया था। अगर कोई ऐसी बात होगी तो उसे ठीक कर दिया जायगा। मैंने उस पर विचार किया तो मालूम हुआ कि उसमें कुछ इनकंसिस्टेंसी है और मैंने उनसे कहा कि बेशक आपकी बात ठीक है। और मेरे एक मित्र ने उस पर संशोधन पेश किया जिसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। तो ऐसी बात नहीं है कि हम तीन साल तक जमींदारी एबालिशन नहीं करना चाहते हैं। इसलिये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने मित्रों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि यह दूसरी बात है कि वे दूसरी पार्टी से वास्ता रखते हैं और हम एक दूसरी पार्टी से वास्ता रखते हैं, लेकिन जहां तक देश हित का संबंध है उसमें कोई दो रायें नहीं हैं और दो रायें होना नहीं चाहिये। केवल यह जो तफरका है वह गलतफहमी पर मबनी है। मैं केवल यही विश्वास दिला सकता हूं कि नीयत मेरी और मेरे साथियों की, मेरे लीडरों की और मेरी पार्टी की नेक है और उतनी नेक है जितनी कि मुमकिन हो सकती है। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपरान्त निम्नलिखित नया खंड ४-क बढ़ा दिया जाय--

"४-क--इस अधिनियम के लागू होने पर इस परगने में किसी भी काश्तकार परिवार के पास १० एकड़ से अधिक जमीन नहीं रहेगी और इस धारा के फलस्वरूप जो जमीन उपलब्ध होगी वह भूमिहीन कोल्टा-बाजगियों में वितरित कर दी जायगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री कमला सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने प्रस्ताव को शुरू करने के पहले एक बात है जिसको बदल देना चाहता हूं। इसमें जो प्रतिबन्ध है उसमें ३० एकड़ दिया हुआ है तो हम चाहते हैं कि ३० एकड़ की जगह सवा छः एकड़ पढ़ा जाय।

श्री शिव नारायण--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो कार्य सूची हमारे सामने मौजूद है उसमें ३० एकड़ दिया हुआ है। तो क्या यह तुरन्त चेंज किया जा सकता है ? उसके लिये कुछ समय तो चाहिये।

श्री कमला सिंह--इस सदन की परिपाटी है कि अगर रिजोल्यूशन नहीं भी आता है तब भी संशोधन को परिवर्तित किया जा सकता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन इस प्रकार है कि "खंड ४ के बाद निम्नलिखित खंड ४-क जोड़ दिया जाय :

"४-क---यदि कोई व्यक्ति समय विशेष पर प्रचलित विधि में निदेशों के अनुकूल (otherwise than in accordance) और जहां भूमि किसी काश्तकार के खाते का भाग हो वहां ऐसे "काश्तकार" की सहमति के बिना कब्जा करने या अपना कब्जा रखे रहे वह व्यक्ति जैसी दशा हो वाद पर बेदखल हो सकेगा और वह क्षतिपूर्ति का भी देनदार होगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि काश्तकार ने तीन वर्ष से अधिक अवधि तक अपनी काश्त की जमीन शिकमी लगानी या बटायी पर उठाया हो और यदि वह धारा ४ के अन्तर्गत न आता हो और उसके पास निज जोत में ६, १/४ एकड़ से अधिक भूमि हो तो उस ६, १/४ एकड़ से अधिक भूमि से उसका स्वत्व समाप्त हो जायगा और शिकमी "काश्तकार" हो जायेगा।"

इसके पहिले कि अमेंडमेंट के बारे में कुछ कहूं यह बतला देना चाहता हूं कि अभी तक जो धारायें पास हुई हैं उससे विषम परिस्थितियां उत्पन्न होंगी और धारा ३ (३) के अन्तर्गत जो १३ नम्बर का संशोधन कल मंजूर हुआ था उसमें कोई भी काश्तकार बेदखल हो जायगा। साथ ही साथ आज तक जितने ऐक्ट बने टेनेंसी ऐक्ट, १, २६ और ३९ का और जमींदारी अबालीशन ऐक्ट में भी शुरू से आखिर तक सब में एजेक्टमेंट तीन कारण से हुए हैं। पहला एरियर्स आफ रेंट, लगान अगर बाकी हो, दूसरा यह कि काश्तकार डेट्रीमेंटल ऐक्ट कोई करें और तीसरा सब लीज अगर कानून के खिलाफ करता है तो उस वक्त भी उसकी बेदखली हो सकती है। सन् १९०१ के ऐक्ट में जो एजेक्टमेंट होंगे वह सेक्शन ५७ में दिये गये हैं। सेक्शन ५७ इस प्रकार है:

"A tenant, not being a permanent tenure-holder, shall be liable to ejectment from his holding on one or more of the following grounds, namely, ——

(*a*) on the ground that a decree against him or his predecessor in interest for arrears of rent in respect of that holding on account of any agricultural year remains unsatisfied at the expiry of that year;

(*b*) on the ground any act or omission detrimental to the land in that holding, or inconsistent with the purpose for which it was let;

(*c*) on the ground that he or any person holding from him has broken a condition, not inconsistent with the provisions of this Act, and on breach of which he is by special contract with his landholder liable to be ejected;

(*d*) on the ground that he has sub-let or otherwise transferred the whole or any portion of that holding in contravention of the provisions of this act;"

यह ग्राउंड उसमें दी हुई है और धारा ६३ के अन्दर बेदखली होती है। ६३ में यह दिया हुआ है:—

"when a landholder desires to eject a tenant on any other ground than that specified in clause (*a*) of section 57, he shall proceed by suit; but no suit for the ejectment of a non-occupancy tenant on the grounds specified in section 58 shall be instituted except between the thirtieth day of June and the first day of October."

इन सेक्शंस को पढ़ने से मेरा मंशा यह है कि जितने भी इजेक्टमेंट के सेक्शंस हैं सब में यह चीज दी हुई है कि किसके दावा करने पर काश्तकार या शिकमी बेदखल होगा। जो सेक्शन मैंने अभी पढ़ा है उसमें पहले यह दिया हुआ है "व्हेन ए लैन्ड होल्डर डेजायर्स टु इजेक्ट ए टिनेंट"।

[श्री कमला सिंह]

इससे यह साफ जाहिर है कि जब लैन्ड होल्डर दावा करेगा तभी काश्तकार बेदखल होगा। लेकिन जो हमारा अमेंडमेंट ३ का ३ आया हुआ है उसमें यह नहीं दिया हुआ है कि किसके बेदखल करने पर काश्तकार बेदखल होगा। उसके बाद जो सेक्शंस आये हुए हैं शुरू से आखिर तक मैंने देखा किसी भी अमेंडमेंट में ऐसी चीज नहीं आयी है जिससे मालूम हो कि वह काश्तकार किसके सूट पर बेदखल होगा। साथ ही साथ यह भी देखना है कि अगर जमींदारी अबालिशन ऐक्ट वहां पर लागू होता तो भी हम समझ सकते थे कि ग्राम सभाओं के दावा करने पर वह बेदखल होगा लेकिन ऐसी हालत में जब कि एक से अधिक जमींदारान मौजूद हैं तो यह एक सोचने की चीज है साथ ही साथ में तो यह कहूंगा कि जहां पर यह भी साफ नहीं है कि एक जमींदार के बेदखल करने पर काश्तकार बेदखल होगा या जितने जमींदार हैं उन सब के दावा करने पर बेदखल होगा। ऐसी परिस्थिति में जहां पर इस चीज का भी ठिकाना न हो वह जो हमने धारा ३ की ३ बनायी है किसी तरह से कार्यान्वित नहीं हो सकेगी। ऐसी हालत में विषम परिस्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। साथ ही साथ हमें यह भी सोचना है कि आप एक काश्तकार को तो बेदखल करने जा रहे हैं, लेकिन उसको भी एक मौका देना चाहिये कि वह भी अपने सब टिनेंट को बेदखल कर दे। अभी जो धारा ४ हमने पास की है उसमें भी आप देखेंगे कि एक विषम प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हुई है। ४ की २ और ३ को अगर हम पढ़े तो उसमें दिया हुआ है "अवयस्क जिसका पिता मर गया हो", और "पागल या जड़" साथ ही साथ जो प्रतिबन्ध है उसमें दिया हुआ है, "किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई खाता एक से अधिक व्यक्तियों के पास संयुक्त रूप से हो तो यह अपवाद उन पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि वे सभी व्यक्ति पट्टे के प्रारंभ से ही उपर्युक्त एक या एक से अधिक अक्षमताओं से ग्रस्त हों।"

"सभी व्यक्ति" जो दिया हुआ है इसके लिये एक उदाहरण मैं भवन के सामने रखता हूं। मान लीजिए कि कोई खाता है जिसके दो हिस्से हैं। एक लड़के के पास और एक बाप के पास। बाप जो है वह पागल है और लड़का नाबालिग है। चूंकि यह धारा ऐसे ही लोगों के लिये बनायी गयी है जिसमें कोई अक्षमता हो तो जो उदाहरण मैंने दिया उस दशा में क्या परिस्थिति होगी। माननीय मंत्री जी जिस समय जवाब दें तो इसको साफ करने की कृपा करें, क्योंकि प्रतिबन्ध में यह दिया हुआ है कि "वे सभी व्यक्ति पट्टे के प्रारंभ से ही उपर्युक्त एक या एक से अधिक अक्षमताओं से ग्रस्त हों।" अगर जैसा कि नारायणदत्त जी का संशोधन था तो उसमें माइनर लड़का और बाप दोनों होते थे तो वह चीज आ सकती थी। लेकिन ऐसी हालत में जब कि उसका बाप जिन्दा है उसके लिये कौन सी परिस्थिति होगी और उसकी रक्षा आप कैसे करेंगे? अभी मैं जिक्र कर रहा था कि अगर टनेंसी ऐक्ट में या इस विधान सभा ने जितने कानून अब तक बनाये हैं हर एक में काश्तकार को बेदखल करने की एक धारा बनायी है। लेकिन साथ ही साथ जो सबलेसी या ऐसे सबटेनेंट्स हैं जो किसी भूमि पर जबरदस्ती काबिज हैं उनको बेदखल करने के लिये भी धारायें बनायी गयी हैं। लेकिन यह जो हमारा मौजूदा कानून इस वक्त सदन के सामने मौजूद है उनके अन्दर कोई भी धारा नहीं जान पड़ती है। उसको भी पढ़ जाइये और जो धारा हमारे सामने विधेयक की रखी गयी है अगर उसको भी आप पढ़ जाइये तो कोई धारा नहीं मिलती जिससे उन काश्तकारों को या ऐसे काश्तकारों को जिनको पट्टे पर जमीन दी है अगर वह जबरदस्ती करना चाहें या भूमि को न छोड़े तो उनको बेदखल करने के लिये हमारे पास क्या अधिकार होगा? मैं समझता हूं कि यह एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत ही विषम परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसी सूरत में जबकि ऐसी चीज है तो हमारे लिये यह जरूरी है कि हम एक ऐसी धारा को ले आवें जिससे वह काश्तकार जो जबरदस्ती किसी भूमि पर कब्जा जारी रखना चाहते हों या तीन वर्ष बाद पट्टे को भी जारी रखना चाहते हों वह बेदखल हो सके या वह काश्तकार जिन्होंने ५ साल के लिये पट्टा लिया है और वह इल्लीगल हो और ३ साल के बाद अक्ल आवे कि उसको बेदखल कर ले तो हम उसको एक मौका दे सकें कि ३ साल तक बेदखल करके अपनी ज़मीन को सुरक्षित कर सकें। अगर ऐसा नहीं करते तो परेशानी होती है। अगर ५ साल का पट्टा लिख दिया तो बेदखल न कर सके,

मैं नहीं समझता कि यह न्यायसंगत बात होगी। अब १९०१ के बाद १९२६ के कानून को लें तो उसमें भी जो ग्राउन्ड्स दिये गये हैं वह भी यही तीनों है जो यहां दिये गये हैं और उसमे भी शिकमी काश्तकारों के बेदखल करने के लिये मैक्सिम दिये गये है। इसी तरह से सन् १९३९ में भी १८० और १७५ दो धारायें थीं जिनके जरिये हम गासिब या ट्रेसपासर को एजेक्ट करते थे और १७५ धारा तो ऐसी थी जिनके जरिये ऐसे लोगों को भी जिनको कनसेंट से जमीन दी हुई है, एजक्ट किया जा सकता था। जब मैं यहां शुरू में बोल रहा था मैंने राजस्व मंत्री जी का ध्यान दिलाया था और वह यह कि हम इस ऐक्ट को लागू होने के लिये ५ साल के लिये लिख चुके हैं। इस ऐक्ट के लागू होने पर वह एक चीज है जो सोचने की है। मैं समझता हूं कि इन चीजों पर अवश्य ध्यान देना चाहिये। १७५ धारा जो थी वह ऐसे लोगों के लिये नहीं है जो ट्रेसपासर हों बल्कि जो कनसेंट से हों यानी ५ साल वाल जिनको २ साल पहले ५ साल का पट्टा दे दिया है। ऐसे लोगों के लिये भी हमारे पास एक धारा होनी चाहिये जिससे उनको बेदखल कर सके। इस लिये यह जरूरी होता है कि मौजूदा अमेंडमेंट हमारा जो है वह मंजूर किया जाय।

अब इसके पहले कि मैं अपने संशोधन पर आऊं मैं एक और चीज इस सदन में बतला देना चाहता हूं कि जो हमारा जमींदारी अबालीशन ऐक्ट है उसके बारे में हमारे राजस्व मंत्री जी ने बतलाया है कि थोड़े दिनों के बाद हम इस परगने में लागू करने जा रहे है। इस ऐक्ट में भी उन शिकमी काश्तकारों के लिये जो ट्रेसपासर्स हैं उनके लिये उसमें भी वह धारा रखी गयी है और वह है धारा २०९। मैं उसे पढ़ देना चाहता हूं --

"A person taking or retaining possession of land otherwise than in accordance with the provisions of the law for the time being in force, and

(*a*) where the land forms part of the holding of a bhumidhar, sirdar or asami without the consent of such bhumidhar, sirdar or asami.

(*b*) where the land does not form part of the holding of a bhumidhar, sirdar or asami without the consent of the Gaon Sabha.

shall be liable to ejectment on the suit of the bhmidhar, sirdar, asami or Gaon Sabha, as the case may be, and shall also be liable to pay damages."

[यदि कोई व्यक्ति समय विशेष पर प्रचलित विधि के निदेशों के अनुकूल, और

(क) जहां भूमि किसी भूमिधर, सीरदार या असामी के खाते का भाग हो वहां ऐसे भूमिधर, सीरदार या असामी की सहमति बिना;

(ख) जहां भूमि किसी भूमिधर, सीरदार या असामी के खाते का भाग न हो, वहां गांव सभा की सहमति बिना, किसी भूमि पर कब्जा कर ले या अपना कब्जा रखे रहे तो वह भूमिधर, सीरदार, असामी गांव सभा के, जैसी भी दशा हो, वाद पर बेदखल हो सकेगा और क्षतिपूर्ति का भी देनदार होगा।]

तो इस तरह से वह जमींदारी अबालीशन एक्ट जिसको आप थोड़े दिनों बाद इस परगने में लागू करने जा रहे हैं उसके मातहत यह चीज भी आपको ध्यान में रखना है कि ऐसे लोग जो बेकस हैं, या जिनके पास कोई चारा नहीं है, कोई ऐसा जरिया नहीं है कि वह खुद अपनी भूमि को जोत सकें, ऐसी हालत में हम उनको भी अख्तियार दें कि वह अपने शिकमी को या सबलेसीज को एजेक्ट कर सके।

[श्री कमला सिंह]

ऐसी हालत में यह जरूरी हो जाता है कि इस विधेयक के अन्दर भी ऐसी धारा रहे जिससे कि हम अपने शिकमियों को, लेसर को या ट्रेसपासर को जिन के जरिये बेदखली होने जा रही है उनको भी हम पहले बेदखल करने की सूरत अख्तियार कर सकें।

श्री चरण सिंह—जरा संक्षिप्त करदें तो बड़ी मेहरबानी होगी ।

श्री कमला सिंह—जरा यह भी डर होता है कि समझ में न आये और फिर यह कहने को हो जाय कि समझाते समझाते परेशान हो गये लेकिन नहीं समझे ।

जो यह मेरा नयी धारा जोड़ने का संशोधन है उसमें यह दिया हुआ है यदि कोई व्यक्ति समय विशेष पर प्रचलित विधि में निदेशों के अनुकूल (otherwise than in accordance) और जहां भूमि किसी काश्तकार के खाते का भाग हो वहां ऐसे काश्तकार की सहायता बिना कब्जा करने या अपना कब्जा रक्खे रहे वह व्यक्ति जैसी दशा हो वाद पर बेदखल हो सकेगा और वह क्षतिपूर्ति का भी देनदार होगा। अगर आप इसके अर्थ को देखें तो धारा २०९ जो जमींदारी एबालिशन ऐक्ट की है उसमें भी यही चीज करीब करीब है । उसमें दिया हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति समय विशेष पर प्रचलित विधि के निदेशों के अनुकूल (otherwise than in accordance) तो जहां तक इसके अर्थ का ताल्लुक है यह करीब करीब वही है जो मेरे संशोधन में है। अगर आप यह कहें कि इन शब्दों में किसी तरह की कोई बुराई है तो मैं समझता हूं कि पहले धारा को यह कहना पड़ेगा कि जमींदारी एबालिशन ऐक्ट की जो बातें हैं जिनको आप ने पास किया है और जिन को आप कार्यान्वित कर रहे हैं वे भी बुरी हैं । मैं समझता हूं कि मेरा जो संशोधन है उसमें भी करीब-करीब वही शब्द हैं जो जमींदारी एबालिशन ऐक्ट में हैं और एक भी शब्द ऐसा नहीं है जिस पर छींटा डाल सकें । ऐसी हालत में मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से कहूंगा कि वे इस चीज को किसी तरह न छोड़ें बल्कि इसको जरूर अपना लें ।

(इस समय ४ बजकर ७ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

एक चीज और है जो माननीय राजस्व मंत्री जी को खटकेगी । अभी इस सदन में यह कहा गया कि सोशलिस्ट पार्टी का प्रचार हो रहा है या अन्य पार्टियों का प्रचार हो रहा है । मैं इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन एक सिद्धांत की बात कहना चाहता हूं । सवा छः एकड़ के कहने में भी एक सिद्धांत की बात है और जो आपने एक ऐक्ट बनाया है उसका वह एक सिद्धांत है । जमींदारी एबालिशन ऐक्ट की धारा १९८ जिस को आप लागू करना चाहते हैं उसको अगर आप पढ़ें तो उसमें साफ दिया हुआ है :—

"धारा १९५ या १९७ के अधीन किसी व्यक्ति को सीरदार या असामी के रूप में भूमि उठाते समय गांव सभा धारा १९८ या २३७ के अधीन बने नियमों या न्यायालय की आज्ञा को बाधित न करते हुए निम्नलिखित तारतम्य का अनुसरण रखगी ।"

इसी धारा की उपधारा (ख) में यह दिया हुआ है :

"ऐसे भूमिधर जिसे धारा १८ की उपधारा (२) या धारा १३७ लागू होती हो और जिसके पास उस मंडल में ६ १/४ एकड़ से कम क्षेत्रफल की भूमि हो ।"

उसके बाद भी दिया हुआ है :

"उन भूमिधरों से भिन्न जिन्हें खंड (ख) लागू होता हो ऐसे खातेदार जिनके पास उस मंडल में ६ १/४ एकड़ से कम क्षेत्रफल की भूमि हो ।"

साथ ही साथ यह भी दिया हुआ है दूसरे प्रतिबन्ध में :--

"और यह भी प्रतिबन्ध है कि उन दशाओं में जिन्हें खंड (ख) और खंड (ग) लागू होते हों ऐसे खातेदार को केवल उतनी ही भूमि मिलेगी जितनी उसके पास की कुल भूमि के क्षेत्रफल को ६ १/४ एकड़ कर देने के लिये पर्याप्त हो।"

तो यह सिद्धान्त जो आपके प्रतिबंध (२) में दिया है कि हर आदमी के पास कोशिश करें कि सवा छः एकड़ जमीन हो, इस चीज को आप इसके मान लेने पर कार्यान्वित करते हों इतना ही नहीं बल्कि हमारे उपराजस्व मंत्री परेशान थे भूमि वितरण की व्यवस्था के बारे में कि किस तरह से होगा। सोशलिस्ट पार्टी भी बतला रही है। बड़ी कठिन समस्या है। मैं राजस्व मंत्री से कहना चाहता हूं कि आपने जो नियम और उद्देश्य जमींदारी अबालीशन ऐक्ट में बनाये हैं वह चीज इसमें भी है। ऐसी सूरत में जब वही उद्देश्य जो जमींदारी अबालीशन में रखे हैं तो फिर वही चीज इसमें भी है इसलिये इसको मान लेना चाहिये।

इसके साथ ही साथ यह भी प्रतिबंध हो कि ऐसे लोग जो धारा ४ में आते हैं उनकी रक्षा करना है क्योंकि वह अपाहिज लोग हैं जिनके पास खेती करने का कोई साधन नहीं है। इसलिये उनको एक्जेम्प्ट करने की कोशिश की गई है। इतना ही नहीं बल्कि यह भी है कि सवा छै एकड़ से अधिक भूमि हो तो उसकी जमीन में कोई शिकमी या ट्रेसपासर हो तो वह उस भूमि का काश्तकार हो जायगा। इससे तीन चीजों का फायदा होता है। एक तो आप लिटीगेशन से बच जाते हैं। दूसरे यह कि हमारे जो और कानून हैं उनमें यह है कि लैंड होल्डर्स के सूट पर ही बेदखल किया जायगा। तो यह जो कमी हमारी वहां पर रह गई थी इसके जरिये से इसको भी हम दूर कर रहे हैं।

एक चीज जरूर खटकेगी वह यह है कि प्रतिबंध की लास्ट लाइन में यह है कि ६ १/४ एकड़ से अधिक भूमि से उसका स्वत्व समाप्त हो जायगा। इसके मुताल्लिक मैं समझता हूं कि अगर आप १९३९ का टेनेन्सी ऐक्ट पढ़ें ....

श्री अध्यक्ष--जो बात श्री राम नारायण त्रिपाठी जी वगैरह कह चुके हैं उसी को आप दोहरा रहे हैं। वह पढ़ चुके हैं इसलिये अब इसका इशारा ही काफी है।

श्री कमला सिंह--सेक्शन का रिफरेन्स आया इसलिये मैं इसको बतला देना चाहता हूं। मैं पढ़ नहीं रहा हूं। इसमें भी है कि अगर ५० एकड़ जमीन किसी के पास हो और उसके बाद कोई शिकमी काबिज हो तो वह हेरिडिटेरी टेनेन्ट आटोमेटिकली हो जायगा। यह भी इसी सिद्धान्त की ताईद करता है। ऐसी सूरत में मैं आशा करता हूं कि हमारे राजस्व मंत्री इसको अवश्य स्वीकार करेंगे।

श्री चरण सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, संशोधन का आशय यह है कि जो लोग बिना अधिकार के जमीन पर कब्जा रखे हैं वह ट्रेसपासर हो गये और उनकी बेदखली के लिये कोई धारा नहीं रखी गई है वह रखी जानी चाहिये। इतना मोटा सा संशोधन है। उसके लिये टेनेन्सी ऐक्ट, लैंड रिफार्म्स ऐक्ट और दुनिया भर की दलीलें और नजीरें और न जाने किन-किन चीजों पर मेरे मित्र ने व्याख्यान दे डाला।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कई बार कह चुका हूं कि इसका उद्देश्य मुख्यतः यह है कि जो वहां पर लैंड रिफार्म्स आपरेशन्स हो रहे हैं उनको कानूनी नौइयत दे दें दूसरे यह कि जो काश्तकार वहां पर बेदखल हो रहे हैं उनको बेदखली को रोकना। इसका इससे अधिक उद्देश्य कुछ भी नहीं है। मैं कई बार कह चुका हूं और जितनी जल्दी मुमकिन होगा प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी जमींदारी एबालीशन एंड लैंड रिफार्म ऐक्ट आवश्यक संशोधनों के साथ लागू करने का इस सरकार का इरादा है। तो यह विधेयक यह दावा नहीं करता कि यह स्वयं कम्प्लीट है

[श्री चरण सिंह]

हर तरीके से। तो फिर क्यों टेनेन्सी ऐक्ट और लैंड रिफार्म्स ऐक्ट की दफाओं को उठा कर इसमें लाने की कोशिश की जाती है। जो आदमी गासिब है उसके खिलाफ सिविल ला और क्रिमिनल ला में यह अधिकार है कि वह आदमी बेदखल किया जा सकता है। जो जो रेगुलेशंस लागू हैं उनमें भी इसकी गुंजाइश है। पृष्ठ २६३ और ११४ में इसका जिक्र है। इसमें चेप्टर तीन के अन्दर रेगुलर सूट्स के उप-शीर्षक की नीचे क्लाज ४ में जो दिया गया है उससे वह आवश्यकता पूरी हो जाती है। इसमें लिखा हुआ है....

"Suits brought by the same parties to oust tenants for any default at the end of any year or at the expiration of any lease on the ground that such tenants have no permanent right of occupancy."

लीज का टर्म खत्म होने के बाद कोई कब्जा रखता है तो उसके खिलाफ दावा बेदखली का हो सकता है। इसी तरह से प्रैक्टिस आफ रेगुलर सूट्स नम्बर ८ पर इस किस्म की नालिश का जिक्र है। फिर सारी दुनिया भर की चीजें इस विधेयक मे ला कर बिल्कुल एक पूरा कोड बनाने का विचार इस सरकार का नहीं है और चीजें जैसी हैं वे यथापूर्व चलती रहेंगी। फिर मेरी समझ में नहीं आता कि इतनी मोटी सी बार के होते हुए आज दूसरे दिन भी यह खत्म नहीं हो पाया और शायद कल तीसला दिन भी इसमें लगे। जो बात जहां से मिल जाय उस सबको हम यहां कह दें मानो फिर कभी मौका मिलेगा ही नहीं। ऐसी कोशिश होती है यह प्रतीत होता है। हर माननीय सदस्य को अधिकार है चाहे जितना समय ले लेकिन मैं समझता हूं अगर बुरा न माना जाय अगर मै कहूं कि कोई न्याय की बात नहीं है और बिला वजह अगर बुरा न मानें तो मै कहूंगा कि समय नष्ट करने के बराबर यह बात है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिये मै इस संशोधन को स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

श्री कमला सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक समय खराब करने का जिक्र माननीय राजस्व मंत्री जी ने किया अगर ऐसी चीज है तो मैं समझता हूं कि कोई अमेंडमट यहां मूव करने की जरूरत ही नहीं है और जैसा विधेयक लाया जाता है वैसा पास कर दिया जाया करे।

अभी माननीय राजस्व मंत्री जी ने कहा कि नजीरें पेश की गईं। अभी कल इस सदन में बहस हो रही थी। माननीय राजस्व मंत्री जी ने कहा कि गाजीपुर और देवरिया से वकील बुलाये जायं वह परामर्श देवें तो मैं मान लूं। उसके लिये हमने लिखित धारा १७२ बतलाई कि इम्प्रूवमेंट प्राविजो में आ सकता है। इस विधान सभा ने जो पास किया है उसके अन्दर हमने दिखला दिया फिर भी वह चीज मांगी गई। खैर मुझे कुछ नहीं कहना है। हमारा तो यह उद्देश्य रहता है कि कोई भी कानून बन उसमें फिर अमेंडमेंट लाने की जरूरत न पड़े। इसी उद्देश्य से हम परिश्रम करते हैं और सदन के सामने चीज लाने की कोशिश करते हैं, चाहे गवर्नमेन्ट उसे माने या न माने। अभी तक जो धारायें बनी थीं उनमें अभी तक ऐसे काश्तकारों के लिये कोई धारा नहीं थी जिससे वह इजेक्ट कर सकें इसलिये यह जरूरत पड़ी कि हम इस धारा को ले आय। आपने बतलाया है कि सिविल ला, क्रिमिनल ला में रेवेन्यु कोर्ट्स को यह अधिकार दे दिया गया है। उसके अन्तर्गत किसी आदमी को बेदखल किया जा सकता है। मैं तो यह समझता हूं कि ऐसा कानून हम क्यों लाने की कोशिश करें जब कि हमारा कानून खुद ही मौजूद है। हमारे कानून के अन्दर ऐसे क्लाज बनाये जायं जिससे ऐसा आदमी जो सही रास्ते पर चल रहा है उसको भी बेदखल होन की सूरत पैदा हो। मैं तो चाहता

यह था कि बेदखली की सूरत ही न आये। हमारा जो यह संशोधन है उसके अन्दर उसकी बेदखली भी हो जाती है। अगर आप यह सोचना चाहते हैं कि कोई भी आदमी अगर उसने लगान नहीं दिया और अगर किसी तरह से कानून की मुखालफत करता है तो वह बेदखल हो तो जैसा कि आपने बेदखली के लिये एक ग्राउन्ड क्लाज ३ में किया है उसको नहीं रखना चाहिये। मेरे संशोधन से वह हमारी सारी दिक्कत दूर हो जाती है जो सूरत आपको परेशान कर रही है। भूमि वितरण की समस्या जो आपको परेशान कर रही है वह सब इससे हल हो जाती है।

ऐसी सूरत में माननीय राजस्व मंत्री जी ने बतलाया कि वहां पर उसके लिये सिविल ला मौजूद है जिससे वह इजक्ट किया जा सकता है और क्रिमिनल ला मौजूद है। मैं तो यह निवेदन करता हूं कि हम उन दोनों ला को क्यों इस्तेमाल करें। हमारे पास तो हमारा यह कानून ही इतना कम्प्लीट होना चाहिये जिसमें उसकी जरूरत न पड़े। रेवेन्यू कोर्ट में जाकर हो जाय तो अच्छा है बजाय इसके कि सिविल कोर्ट में जायं। इन सब बातों को देखते हुये मैं यह समझता हूं कि यह संशोधन स्वीकार किया जायगा।

श्री चरण सिंह--मैं तो सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि मैंने यह कहा था सिविल ला और क्रिमिनल ला तो जनरल है लेकिन वहां पर जो रूल्स और रेगुलेशन्स इन्फोर्स हैं उनके अन्दर भी इसका प्राविजन दिया हुआ है लिहाजा इसकी जरूरत नहीं है और दूसरी चीज आगे आने वाली है तो इसके अन्दर आपको लाने की जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ४ के बाद निम्नलिखित नया खंड ४-क जोड़ दिया जाय:--

"४-क--यदि कोई व्यक्ति समय विशेष पर प्रचलित विधि में निदेशों के अनुकूल (otherwise than in accordance) और जहां भूमि किसी काश्तकार के खाते का भाग हो वहां ऐसे 'काश्तकार' की सहमति बिना कब्जा करने या अपना कब्जा रक्खे रहे वह व्यक्ति जसी भी दशा हो वाद पर बेदखल हो सकेगा और वह क्षतिपूर्ति का भी देनदार होगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि काश्तकार ने तीन वर्ष से अधिक अवधि तक अपनी काश्त की जमीन शिकमी लगानी या बटाई पर उठाया हो और यदि वह धारा ४ के अन्तर्गत न आता हो और उसके पास निज जोत में ६ १/४ एकड़ से अधिक भूमि हो तो उस ६ १/४ एकड़ से अधिक भूमि से उसका स्वत्व समाप्त हो जायेगा और शिकमी काश्तकार हो जायगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

खंड ५

५--राज्य सरकार धारा ६ में निर्दिष्ट अभिलेखों (record) को तैयार करने के लिये अथवा उनके सामान्य अथवा आंशिक पुनरीक्षण (revision) के लिये-- *अभिलेख सम्बन्धी कार्यवाहियां Record Operations*

(क) एक अधिकारी (जिसे यहां आगे चलकर स्पेशल रिकर्ड आफिसर कहा गया है) नियुक्त कर सकती है जो परगना जौनसार बावर की अभिलेख सम्बन्धी कार्यवाहियों का इन्चार्ज होगा और अन्य ऐसे अधिकारियों को भी नियुक्त कर सकती है जो स्पेशल रिकर्ड आफिसर को सहायता देने के लिये आवश्यक हों,

(ख) इस प्रकार नियुक्त अधिकारियों की प्रक्रिया को विनियमित कर सकती है किन्तु इस प्रकार नहीं जिससे कि ऐसे किसी क्षेत्र में समय विशेष पर प्रचलित किसी

[श्री अध्यक्ष]

विधायन (enactment) के व्यापार (operation) में रुकावट पड़े।

(ग) अभिलेख सम्बन्धी कार्यवाहियों (record operation) से आनुषंगिक (incidental to) वे अधिकार और कर्त्तव्य निर्दिष्ट कर सकती है जिनका ऐसे अधिकारी प्रयोग या पालन करेंगे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड ६

अभिलेख जो तैयार किये जायेंगे

६—(१) परगना जौनसार-बावर के प्रत्येक गांव के लिये जो अभिलेख (records) तैयार किये जायेंगे उनमें निम्नलिखित होंगे :—

(क) नक्शा और फील्डबुक,

(ख) रजिस्टर,

(१) सभी स्वामियों का,

(२) उन सभी व्यक्तियों का जो भूमि पर खेती करते हों या अन्य किसी प्रकार से उस पर काबिज (occupying) हों, तथा

(३) उन सभी व्यक्तियों का जिनके खाते की मालगुजारी माफ हो, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के स्वत्व का प्रकार तथा सीमा निर्दिष्ट की गई हो,

(२) अभिलेख में निम्नलिखित ब्योरे भी निर्दिष्ट किये जायेंगे।

(क) स्वामी द्वारा देय मालगुजारी,

(ख) काश्तकार द्वारा देय लगान,

(ग) प्रत्येक खातेदार (tenure holder) का प्रकार तथा वर्ग और

(घ) खाते से सम्बन्धी अन्य कोई शर्तें या ब्योरे जिन्हें राज्य सरकार अभिलिखित कराये।

श्री नारायण दत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं कि खंड ६ के उपखंड (१) (ख) के भाग (३) के बाद निम्नलिखित नया भाग (४) बढ़ा दिया जाय—

"(४) नवतोड़ भूमि संबंधी"

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने हमको कल बतलाया था कि सन् १९५० ई० से जौनसार बावर में रिकार्ड आपरेशन हो रहे हैं और वहां पर एक रिकार्ड आफिसर काम कर रहा है लेकिन शायद समय की कमी की वजह से उन्होंने यह नहीं बतलाया कि वहां पर नवतोड़ जमीन की स्थिति क्या है। यह बात स्पष्ट है कि कुमायूं में और पहाड़ों में जो नयाबाद इलाके हैं वहां जो कानून है वह जौनसार बावर में लागू नहीं होता। पहाड़ी जगहों में वहां के काश्तकारों के लिये नयाबाद जमीन का बड़ा महत्व है नयाबाद और नौतोड़ एक ही चीज है। जब परिवार बढ़ता है और जिनके पास जमीन कम होती है वह लगातार चेष्टा करते हैं, मांग करते हैं, दरख्वास्तें देते हैं कि पहाड़ में उनकी खेती के सिलसिले में अगर जमीन है या अगर गांव में जमीन कम है तो जंगलात में या ऐसी जगह जहां जमीन बंजर है वह चाहते हैं कि उनको जमीन मिले। वहीं नौआबाद या नौतोड़ की व्यवस्था रही है लेकिन वहां नयाबाद

का कोई कानून नहीं बना है और माननीय मंत्री जी ने जो ३ रेगुलेशन्स बनाये उनमें नयाबाद जमीन के बारे में कोई बात नहीं है। नौतोड़ यहां जितने महत्व की चीज है वह इसी रिपोर्ट से मालूम पड़ता है। इसमें कहा गया है कि:

"Nautor corresponds with Nayabad in Kumaun. *i. e.* breaking up waste land bringing it under cultivation. Though it has given rise to a certain amount of litigation, this has not reached the voluminous dimensions which it has in Kumaun, mainly because land-hunger in Jaunsar-Bawar is at present not nearly so acute. As mentioned in Chapter II, the reason is probably that on account of the prevailing practice of polyandry the increase in population in Jaunsar-Bawar is far slower. The people are also more indolent. On the other hand, owing to the precipitous nature of the hillsides, far less land is available for breaking up. And with the infiltration of education and modern ideas, it is probable that the rate of increase in the population will be accelerated in future years, with correspondingly increased pressure on the land."

जब कि सन् ४० में कोल्टा बाजगियों के पास १००० एकड़ जमीन थी तो आज माननीय मंत्री के शब्दों में ज्यों ज्यों वहां शिक्षा का प्रसार होगा वहां जमीन पर दबाव बढ़ेगा वह बात कोई गलत साबित नहीं होती। आंकड़े यह साबित करते हैं कि जब जमीन चौगुनी बढ़ गयी तो आवश्यक है कि नौतोड़ जमीन का ठीक इंद्राज होना चाहिये और जो भी रिकार्ड अफसर वहां काम करते हों उनके पास एक नौतोड़ का रजिस्टर होना चाहिये। हमारे कमायूं में भी नयाबाद का रजिस्टर और नियम बिल्कुल अलग है। मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि वह नयाबाद ऐक्ट का भी संशोधन करें उसमें बहुत सी खामियां हैं और जौनसार बावर में जहां पर नौतोड़ भूमि का कोई भी कानून या रेगुलेशन नहीं है वहां पर मंत्री जी इतना जरूर कर सकते हैं कि नौतोड़ रजिस्टर के द्वारा ऐसे सब काश्तकारों के अधिकारों को कि जिन्होंने पिछले सालों में नौतोड़ जमीनों को जोता है उनका उसमें कब्जा दर्ज किया जाय और सब कुछ लिखा जाय कि कितनी जमीन है किसका खाता है जो कुछ भी उसमें आगे चल कर शर्तें रखी हैं उनमें रखा है कि परगना जौनसार बावर के प्रत्येक गांव के लिये जो अभिलेख तैयार किये जायेंगे उनमें यह होंगे कि नक्शा और फील्डबुक, रजिस्टर सभी स्वामियों का, उन सभी व्यक्तियों का जो भूमि पर खेती करते हों, या अन्य किसी प्रकार से उस पर काबिज हों और तीसरे उन सभी व्यक्तियों का जिनके खाते की मालगुजारी माफ हो, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के स्वत्व का प्रकार तथा सीमा निर्दिष्ट की गयी हो। जिनकी मालगुजारी माफ है उनमें नयाबाद का रजिस्टर जरूर होना चाहिये क्योंकि यह किसी खास दिन या महीने की वस्तु नहीं है। आज भी हो सकता है ४ साल के बाद भी हो सकता है और जब नयाबाद रजिस्टर रहेगा तो वह रजिस्टर केवल रिकार्ड अफसर की ही सहूलियत के लिये नहीं होगा बल्कि भविष्य में जहां भी नई जमीनें होंगी उन सबके इंद्राज के लिये और ठीक रिकार्ड के लिये कि कितनी जमीन जोती जा चुकी है और कितनी की और गुंजायश है और कितनी काम में आ रही है, वह एक बड़ा सर्टिफिकेट और एक इतिहास होगा जिससे मालूम होगा कि नौतोड़ जमीन की स्थिति क्या है। आज वहां पर नौतोड़ जमीन की हालत क्या है। किसी को भी किसी प्रकार से पता यह नहीं चलता कि नौतोड़ जमीन किसके पास है। इसमें लिखा है ––

"Disputes as to who should be allowed to break up land in a particular place have not been very common in the past but are bound to increase. There are no village boundaries, only those of the Khats have been demarcated."

उसमें गावों की जमीन दर्ज नहीं है जिसको दर्ज कराना चाहिये और वहां के काश्तकारों का रजिस्टर होना चाहिये। इसलिये नौतोड़ भूमि संबंधी रजिस्टर खोलना अत्यावश्यक है, क्योंकि नेचुरल बाउन्डरीज के बारे में इसमें लिखा हुआ

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

है कि कहीं तो पहाड़ की चोटी मान ली गयी है, कहीं पर नदी नाले प्राकृतिक सीमा मान लिये गये हैं, कहीं कोई बड़ा पेड़ खड़ा है तो वही मान लिया गया है, कहीं कोई बड़ा पत्थर है तो उसी को सीमा मान लिया गया है। दस्तूरुलअमल के पैरा ५ में यह लिखा हुआ है

"स्फीअर्स आफ इन्फलुएंस"

अब यहां पर यह जो स्फीअर आफ इन्फलुएंस शब्द है वह बड़ा वेग है। जिसके पास जोर है, जिसका असर है वही उस जमीन को नौतोड़ कर लेता है। वहां पर स्फीअर आफ इन्फ-लुएंस यही नयाबाद की परिभाषा है। कुमायूं में तो नदी, पहाड़, पत्थर को सीमा माना जाता है लेकिन यहां पर सिर्फ जिसका असर हो। जिसने जहां चाहा जोत लिया और जहां न चाहा न जोता। इसलिये यह नौतोड़ का रजिस्टर होना अत्यन्त आवश्यक है। नौतोड़ की जो परिभाषा की गयी है वह इस प्रकार है--

"If any person breaks up nautor hereafter without such permission, no demand of ownership will be recognized by the courts in his favour: and a fine will be levied in accordance with a scale to be laid down."

इस प्रकार वहां चरागाह भी सुरक्षित नहीं हैं यानी जो स्थान गोचर, भेड़ों और बकरियों के लिये है वह भी नौतोड़ बना लिया गया है। लेकिन जब रिकार्ड आफीसर वहां जायगा तो वह यह देखेगा कि नौतोड़ कहां होना चाहिये और कहां नहीं होना चाहिये। और सबके हितार्थ वह इंदराज करायेगा। इसलिये कोल्टा और बाजगियों की यह सबसे बड़ी मांग है। इसलिये चैप्टर ३ में कहा गया है कि---

"In Chapter III we have mentioned Koltas' insistent demand for land to cultivate. All our witnesses agree that Koltas Bajgis should be given the right of breaking up and owning nautor."

नौतोड़ के बारे में एक अलहदा परिच्छेद दिया गया है। यह बात तो वहां के ब्राह्मण और जमींदार काश्तकारों ने भी मानी है कि नौतोड़ जमीन कोल्टा और बाजगियों को मिलना चाहिये। इस बात को देखते हुए नौतोड़ का रजिस्टर बनाने की जरूरत है। वहां एक रजिस्टर फांडबन्दी के बारे में भी रखा जाता है उसमें सियाने के हल्के का ही रिकार्ड दर्ज होता है और उस फांडबन्दी का नौतोड़ से कोई संबंध नहीं है। अतः रिकार्ड आफीसर को इस बारे में एक रजिस्टर बनाने और उसमें इंदराज करने की आज्ञा देनी चाहिये। रिपोर्ट के पेज १३० की ओर में माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पेज १३० पर नियम ९६ इस प्रकार है :---

"When such permission is granted it will be entered in a new nautor register to be introduced and the grantee will be deemed to be the proprietor of the land.

If any person breaks up nautor hereafter without such permission no demand of ownership will be recognized by the courts in his favour: and a fine will be levied in aacordance with a scale to be laid down."

तो जो अफसर आज्ञा देगा या जो अफसर जाकर फैसला करेगा अगर माननीय मंत्री जी ने वहां जमींदारी खत्म कर दी और जब वहां कानून बन गया तो नौतोड़ रजिस्टर को रखने से उनको आगे भी सहायता मिलेगी। यह बहुत ही निर्दोष संशोधन है और मैं समझता हूं कि अगर माननीय मंत्री जी ने मैं नहीं जानता कि माकूलियत का ठेका ले लिया है मैं समझता हूं कि हर एक को इस बात का अधिकार है जितना कि माननीय मंत्री जी को कि वह माकूल बातों को सोचें। मैं उनके अधिकार को लेना नहीं चाहता लेकिन मैं उनसे यह जरूर प्रार्थना करता

हूं कि अगर हमारा यह संशोधन उनकी माकूलियत की परिभाषा में आ जाय तो वे जरूर इस पर विचार करें और इसको स्वीकार करें।

श्री चरण सिंह——अध्यक्ष महोदय, सभी माकूलियत का ठेका तो न मैंने लिया है और न कोई और ले सकता है। मैंने केवल इतना कहा था कि अगर कोई माकूल बात हो तो गवर्नमेंट उसे स्वीकार करने के लिये तैयार रहेगी। इसका मतलब यह नहीं है कि मैंने माकूलियत का ठेका लिया है और आपने नामाकूलियत का ठेका लिया है। मेरे माननीय मित्र का कहना यह है कि नवतोड़ रजिस्टर बनाया जाय जिससे आगे चल कर आपको सहायता मिले। मैं समझता हूं कि यह सब गैर जरूरी है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि विधेयक की दफा ६ (१) को आप पढ़ें जिसमें यह सब दिया हुआ है:

६ (१) परगना जौनसार बावर के प्रत्येक गांव के लिये जो अभिलेख (records) तैयार किये जायेंगे उनमें निम्नलिखित होंगे:

(क) नक्शा और फील्ड बुक,

(ख) रजिस्टर,

(१) सभी स्वामियों का,

(२) उन सभी व्यक्तियों का जो भूमि पर खेती करते हों या अन्य किसी प्रकार से उस पर काबिज (occupying) हों,

तो जो लोग जिस जमीन पर काबिज हैं, खेती करते हैं या किसी प्रकार से काबिज हैं उनके तो रिकार्ड्स तैयार हो चुके हैं या जितने नवतोड वाले हैं उन सब का नाम आ चुका है। केवल एक मोटी सी बात जो सन् ४१,४२ की रिपोर्ट में है वह यह कि २८ हजार एकड़ जमीन जेरेकाश्त और मजरूआ है जिसमें से ११,६१३ एकड़ जमीन दस साल के अन्दर तोड़ी गयी है। उन सब का रिकार्ड्स आपरेशन हो चुका है और सब का इन्दराज और कब्जा सब मुकम्मिल हो चुका। तो चाहे वह नवतोड़ जमीन हो चाहे पुरानी तोड़ी हुई जमीन हो उन सबको इसके अन्दर रखने की क्या जरूरत है, यह बात मेरी समझ में नहीं आई। और जब यह जमींदारी एबालिशन ऐक्ट वहां लागू हो जाय और आप कहें कि न भी लागू हो तो मैं समझता हूं कि इसका उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। आगे जो जमीन तोड़ी जायेगी वह दर्ज होती रहेगी। वह नौतोड़ जमीन है या पुरानी तोड़ी गयी है इससे इस पर क्या असर पड़ा, इससे क्या फर्क पड़ा? वहां का जो आपरेशन है वह करीब करीब खत्म हो चुका है। केवल कुछ जाब्ते की चीज रह गयी है जो फाईनलाइज करने की है। और अब तक जितने काबिज हैं एक प्रकार से उन सबका इन्दराज हो चुका है। इसलिये नवतोड़ के लिये अलग से रजिस्टर वगैरह रखने की बात बिल्कुल गैर जरूरी है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय——माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय नारायण दत्त जी ने पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं यह समझता था कि जौनसार बावर के सिलसिले में किसी किस्म का कानून आयेगा तो वह ज्यादातर जमीनों के सिलसिल में अगर न भी होती तब भी उनके यहां जो पुराने नियम थे उनको कुछ तब्दील करने की गरज से आता तो अच्छा मालूम होता और अगर किसी वक्त जमीन के सिलसिले में जौनसार बावर में कोई कानून आये तो उसमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो थी वह थी नवतोड़ और उस सम्बन्ध में कोई बात इस बिल में नहीं कही गयी है। जब हम कहते हैं हैं कि एक रजिस्टर बने और उस रजिस्टर में कि जितनी नवतोड़ जमीनें है उनका जिक्र हो तब माननीय मन्त्री जी कहते हैं कि उसकी जरूरत क्या है। मैं कहता हूं कि अगर उसकी जरूरत नहीं है कि आप उसको दर्ज करें तो हर्ज ही क्या हो जायगा। उसमें सब चीजें आ जायेंगी। अगर किसी किस्म का झगड़ा जौनसार बावर में मिलता है तो वह इस नवतोड़ जमीन का झगड़ा है। कोल्टा मेहनत करता है, जमीन को खोदता है, पहाड़ी इलाके में खेत वगैरह बनाता है लेकिन यह सब करने के बाद जो वहां का जमींदार सयाना होता है कहता है जमीन मेरी है और उस पर उसका कब्जा हो जाता है। ऐसे भी झगड़े मैंने देखे है जैसे कि कमेटी

श्री चरण सिंह--उसका भी रजिस्टर होगा जो आग आने वाली है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--यह तो साफ है। चाहे रिपोर्ट को पढ़ लीजिए। मैं जो पन्ना खोलता हूं उसी में निकलता है। पेज १६ मे तीसरा पैराग्राफ है --

"Any *bonafide* resident of the Khat may break up nautor land, after obtaining the written permission, the Sub-Divisional Officer will ordinarily consult the panchayats concerned and will consider the circumstances in each case."

[खाट का कोई वास्तविक बाशिंदा लिखित अनुमति लेने के बाद नवतोड भूमि तोड सकता है, सब-डिवीजनल आफिसर साधारण रूप से पंचायत के साथ परामर्श करेगा तथा हर मामले म परिस्थिति पर विचार करेगा।]

अब यह भविष्य की बात है कि कौन कौन रजिस्टर रहेंगे और कौन नही रहेंगे। फाट बन्दोबस्त पहले स है। तीन रजिस्टर आप रख रहे हैं। मैं तो हैरान हूं कि क्या नाराजी विरोधी दल से हो गयी है कि जो संशोधन हम रखते हैं उसका फौरन विरोध। वह "लेसर" और लेसी वाला मामला जो माना वह उन्होने एहसान नही किया। वह तो माकूल बात थी, इसलिये "लेसर" आपने मान लिया। उसमें क्या नई बात की।

श्री चरण सिंह--नामाकूल बात मानी जाय तभी एहसान हो ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--तो माकूल बात तो यह है कि आप इसको मान ले। क्योंकि आप कल को फिर वही करेंगे। इस समय चाहे न बनाएं लेकिन नवतोड़ रजिस्टर आपको बनाना पड़ेगा।

श्री चरण सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, दफा यह है कि परगना जौनसार बावर के लिये प्रत्येक गांव के लिये जो अभिलेख तैयार किये जायेंगे उनमे निम्नलिखित होगे:- आप कहते हैं कि "नवतोड़ सम्बन्धी" सवाल यह है कि जब सन् ३२ मे किताब लिखी गयी थी जिस किताब को बार बार पढ़ कर सुनाया जाता है तब ऐसा था कि नवतोड़ वालो के अधिकार अलग होंगे और पुरानी तोड़ वालों के अधिकार और होंगे, तो उसका रजिस्टर तैयार कर लिया जायगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी--वह दर्ज कहां होगे ?

श्री चरण सिंह--दर्ज तो अलहदा यूं करने पड़ते हैं ताकि उनके अधिकारो में कोई अन्तर हो। जब हम अधिकारों में अन्तर करने नहीं जा रहे हैं तो अलहदा इन्दराज करने का या अलहदा रजिस्टर बनाने का सवाल ही नहीं उठता है। जमींदारी एबालिशन ऐक्ट की धारा १९८ में यह अख्तियार दिया गया है कि गांव सभा जमीन किसी आदमी को उठा सकती है जो आज कल्टीवेटेड नहीं है लेकिन कल्टीवियेबिल है। तो जब किसी को जमीन गांव सभा देगी तो वह जो पहिले से खसरा खतौनी है उसमें लिख ली जायेगी तो ऐसी हालत में नवतोड़ रजिस्टर की कोई जरूरत अलग बनाने की नहीं है। जो नवतोड़ किसी आदमी को मिलेगी उसमें उसको वही अख्तियार होंगे जो पुरानी तोड़ वालों को है। लिहाजा रजिस्टर की जरूरत किसी प्रकार की नहीं है। नयाबाद जो है वह गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड फारेस्ट में जो जमीन तोड़ी जाय कुमायूं में उसके सिलसिले में कुछ कानून है। उससे यहां कोई मतलब नहीं और न यहां वैसे इन्दराज होंगे।

श्री नारायण दत्त तिवारी--केवल सूचना के लिये वहां रजिस्टर क्यों रखा गया है ?

श्री चरण सिंह--नयाबाद गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड फारेस्ट में जो जमीन है उनके अलग अधिकार हैं, अलग लायबिलिटीज हैं, हम कोई ऐसी चीज करने ही नहीं जा रहे हैं कि नवतोड़ और पुरानी तोड़ का कोई लेख हम करने जा रहे हों। चाहे पुरानी तोड़ जमीन हो चाहे नवतोड़ जमीन हो, सबको एक ही अधिकार देने जा रहे हैं। जो नवतोड़ जमीन

है उसका इन्दराज हमने कर लिया है। अब यह कहा जा रहा है कि नवतोड़ जमीन का रजिस्टर हो क्योंकि कुमायूं में नव आबाद जमीन का रजिस्टर है, यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। अब तो जमाना दस वर्ष आगे बढ़ गया सन् १९४२ से लेकर सन् १९५२ तक दस वर्ष तो जमाने के लिहाज से बढ़ गया। और विचारों के लिहाज से सैकड़ों वर्ष बढ़ गया। अब मैं इस बात को कैसे समझाऊं कि रजिस्टर वहां रखने की जरूरत नहीं है। वहां चाहे नवतोड़ जमीन हो चाहे पुरानी जमीन हो, किसी के अधिकार अलग नहीं हैं लिहाजा नवतोड़ भूमि के सम्बन्ध में रजिस्टर रखने की जरूरत नहीं है। मैं बैठने को तैयार हूं और माननीय सदस्य से यह जानना चाहता हूं कि जब सब के अधिकार एक से हैं तो नवतोड़ भूमि के लिये रजिस्टर रखने में क्या लाभ है?

श्री राजनारायण--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी के इस सवाल का जवाब देना चाहता हूं। अभी अभी माननीय मन्त्री जी यहां आये थे और उन्होंने मुझसे यह कहा कि भाई सदन का बड़ा समय नष्ट हो रहा है और जमींदारी उन्मूलन का जो संशोधित कानून प्लेंस के लिये बनाऊंगा वही वहां लागू कर दूंगा। तो मैं माननीय मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या नवतोड़ जमीन का अलग रजिस्टर होगा? सरकार बराबर एक सिद्धांत की बात किया करती है कि नवतोड़ जमीन जो तोड़ेंगे उनको उस पर कब्जा दिलाया जायगा। अगर नवतोड़ जमीन का आप अलग रजिस्टर रखेंगे तो जो आप आगे जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट का संशोधन करने जा रहे हैं, हो सकता है कि उसको आप जौनसार बावर में भी लागू करें, तो जब नवतोड़ जमीन का अलग रजिस्टर रहेगा तो जो जमीन तोड़ेगा उसका कब्जा साबित करने में आसानी होगी। इसलिये नवतोड़ जमीन का रजिस्टर रखना आपके लिये जरूरी है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आपने इसका कारण नहीं बताया कि नवतोड़ जमीन का रजिस्टर क्यों नहीं रखा जायगा।

श्री चरण सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर जमींदारी ऐक्ट, लागू करते समय हम ऐसा करें कि नवतोड़ वालों के वही अधिकार होंगे जो कि पुरानी तोड़ वालों के होंगे तब अलहदा रजिस्टर रखने की क्या जरूरत है। ऐसी दशा में मैं समझता हूं कि अलग रजिस्टर रखने की कोई जरूरत नहीं है। इतना बताने के बाद भी अगर मैं न समझा पाऊं तो यह मेरी बदकिस्मती के सिवा और क्या है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--मैं एक सूचना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--काफी हो चुका, अब मैं इजाजत नहीं दे सकता।

प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखंड (१) (ख) के भाग ३ के बाद निम्नलिखित नया भाग (४) बढ़ा दिया जाय--

"(४) नवतोड़ भूमि सम्बन्धी"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ के उपखंड (२) (घ) की प्रथम पंक्ति में शब्द "सम्बन्ध" के स्थान पर शब्द "सम्बद्ध' रख दिया दिया जाय।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--यह स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखंड (२) (घ) की प्रथम पंक्ति में शब्द "संबंध" के स्थान पर "सम्बद्ध" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ७

--(१) अभिलेखों के सभी विवादहीन इंदराज स्वत्व रखने वाले पत्रों द्वारा प्रमाणित रोंगे और ऐसे इंदराजों से संबंध सभी विवाद कब्जे के आधार पर निर्णीत किये जायेंगे।

२) यदि इस धारा के अन्तर्गत विवाद जांच करते समय स्पेशल रेकर्ड आफिसर अपने को द ढंग से यह निर्णय करने में असमर्थ हो कि किस पक्ष का कब्जा है तो वह सरकारी तार में वह जांच करेगा कि कौन सा व्यक्ति संपत्ति का सबसे अधिक हकदार है और ऐसे व्यक्ति को कब्जा दिला देगा।

(३) कब्जे के संबंध में इस धारा के अन्तर्गत दिया गया कोई आदेश किसी भी व्यक्ति को किसी क्षेत्राधिकार प्राप्त (having jurisdiction) दीवानी अथवा माल न्यायालय में संपत्ति से संबद्ध अपना अधिकार स्थापित करने से वंचित न कर सकेगा।

श्री जय राम वर्मा--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ७ के उपखंड (१) की दूसरी पंक्ति में शब्द "संबंध" के स्थान पर शब्द "सम्बद्ध" रख दिया जाय।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ७ के उपखंड (१) की दूसरी पंक्ति में शब्द "संबंध" के स्थान पर शब्द "सम्बद्ध" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

बैठक का कार्य-काल बढ़ाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--अब समय हो गया है----

माल मन्त्री के सभा सचिव (श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य)--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज सदन का समय आध घंटे और बढ़ा दिया जाय ताकि यह विधेयक, समाप्त हो जाय।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष--जो प्रस्ताव आया है उसका अगर कोई विरोध करता है तो मैं सदन की राय लिये लेता हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी--आपने जब कह दिया है कि समय समाप्त हो गया तब यह प्रस्ताव नहीं लिया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष--मैंने यह कहा कि अब समय समाप्त हो गया है लेकिन डिक्लेयर नहीं किया।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या ठीक ५ बजे भी कोई प्रस्ताव आ सकता है।

श्री अध्यक्ष--जब तक मैं डिक्लेयर न कर दूं तब तक आ सकता है।

प्रश्न यह है कि आज सदन का आध घंटा समय और बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ --

पक्ष में--७५
विपक्ष में --१२

श्री शिवनाथ काटजू--मैं यह पूछना चाहता हूं कि तीस मिनट ५ बज कर ५ मिनट से बढ़ाये गये हैं या ५ बजे से?

श्री अध्यक्ष--५ बजे से। ५ बज कर ३० मिनट पर समय समाप्त हो जायगा। ५ बज कर ३५ मिनट के लिये दूसरा प्रस्ताव लाना पड़ेगा।

जौनसार बावर भौमिक अधिकार सुरक्षा तथा भौमिक अभिलेख विधेयक, १९५२ (क्रमागत)

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (जिला बाराबंकी)--मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ७ के उपखंड (२) की प्रथम पंक्ति के शब्द "विवाद" के बाद शब्द "की" बढ़ा दिया जाय।

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य)--स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ७ के उपखंड (२) की प्रथम पंक्ति के शब्द "विवाद" के बाद शब्द "की" बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ --

पक्ष में--६९
विपक्ष में --११)

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (बाराबंकी)--मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ७ के उपखंड (२) की पंक्ति १ व २ के शब्द "अपने को संतोषप्रद ढंग से यह निर्णय करने में असमर्थ हो" के स्थान पर शब्द "निश्चय न कर सके" रख दिये जायं।

यह संशोधन एक शाब्दिक संशोधन है और मैं समझता हूं कि यह स्वीकार किया जायगा।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--मुझे स्वीकार है।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--श्रीमन्, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं और माननीय शुक्ल जी का ध्यान खंड ७ के उपखंड (२) की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसमें यह है कि "यदि इस धारा के अन्तर्गत विवाद जांच करते समय स्पेशल रिकार्ड आफिसर अपने को संतोषप्रद ढंग से यह निर्णय करने में असमर्थ हो कि किस पक्ष का कब्जा है"। तो वह ऐसे आदमी को कब्जा दिलायेगा जिसको वह ठीक समझेगा। पहले तो वह विवाद की जांच करेगा और फिर सरकारी तौर पर जांच करेगा तब वह अपना फैसला देगा। यह तो संशोधन ऐसा है कि जो बिल्कुल असंगत मालूम होता है। जो पहले निश्चय नहीं कर सकता वह बाद को निर्णय कैसे देगा। निर्णय में तो कुछ डाउट भी हो सकता है लेकिन निश्चय तो फाइनल होता है। तो इससे तो और भी गड़बड़ पैदा हो जायगी। निर्णय करने में और निश्चय करने में जैसा कि मैंने बतलाया फर्क होता है। इसलिये मैं यह समझता हूं कि शुक्ल जी का यह संशोधन और भी कठिनाई पैदा कर देगा और इससे और भी गड़बड़ पैदा हो जायगी।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (बाराबन्की)--नारायण दत्त जी ने जो शंका उपस्थित की है वह भ्रांतिपूर्ण है। निर्णय और निश्चय में वही फर्क है जो कि डिसीजन और जजमेंट में होता है। पहले जब डिसीजन हो जाता है तभी जजमेंट होता है और मुझे तो इसमें कोई शंका नहीं मालूम होती है।

माल मन्त्री (श्री चरण सिंह)-- मुझे यह स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ७ के उपखंड (२) की पंक्ति १ व २ के शब्द "अपने को संतोषप्रद ढंग से यह निर्णय करने में असमर्थ हो" के स्थान पर शब्द "निश्चय न कर सके" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (बाराबंकी)--मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ७ के उपखंड (२) की पंक्ति २ के शब्द "सरकारी" के स्थान पर शब्द "सरसरी" रख दिया जाय। यह एक शाब्दिक संशोधन है। इसे स्वीकार किया जाय।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि यह एक प्रिंटिंग मिस्टेक है इसको मैं दुरुस्त कर दूंगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मैं संशोधन में संशोधन करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि "सरसरी तौर पर" डिलीट हो जाय क्योंकि सरसरी तौर पर कोई जांच नहीं होती।

श्री अध्यक्ष--अगर आपको आपत्ति है तो मैं आपका प्रस्ताव ले लूंगा।

श्री चरण सिंह--मुझे संशोधन स्वीकार है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ७ के उपखंड (२) की तीसरी पंक्ति में शब्द "सरसरी तौर से" निकाल दिये जायं।

मैं इसको पढ़ना चाहता हूं। "यदि इस धारा के अन्तर्गत विवाद जांच करते समय स्पेशल रेकर्ड आफिसर अपने को संतोषप्रद ढंग से यह निर्णय करने में असमर्थ हो कि किस पक्ष का कब्जा है तो वह सरकारी तौर से वह जांच करेगा कि कौन सा व्यक्ति संपत्ति का सब से अधिक हकदार है और ऐसे व्यक्ति को कब्जा दिला देगा।"

तो यह जांच स्वत्वों की होगी और यह वह स्वत्व होंगे जो धारा ६ के अनुसार है....

श्री अध्यक्ष--आप डिलीट करने की बात कैसे कह सकते हैं। आप का अपोजीशन हो सकता था, वह आप कर चुके। अब मैं आपको इजाजत नहीं देता।

श्री चरण सिंह--संशोधन श्री भगवती प्रसाद जी का सही है और जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ७ के उपखंड (२) की पंक्ति २ के शब्द "सरकारी" के स्थान पर "सरसरी" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी--श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से खंड ७ के उपखंड (२) के बाद निम्नलिखित प्रतिबन्ध बढ़ाना चाहता हूं--

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि अगर कोई काश्तकार किसी खाते पर खेती करता चला आ रहा है, तो किसी विवाद के होते हुए भी ऐसे खाते पर स्पेशल रिकार्ड अफसर उक्त काश्तकार को हर हालत में आवश्यक इंदराज कर कब्जा दिला देगा।"

श्रीमन्, मैं समझता हूं कि यह खंड कोल्टा और बाजगियों को सबसे ज्यादा कब्जा दिलाने वाला है और कब्जा दिलाने में सबसे ज्यादा समर्थ है। चाहे वह खेतिहर हो, शिकमी हो, सेवा भाव से कर रहा हो, कर्जदारी से हो या और किसी रूप में काबिज हो अगर इस धारा में यह प्रतिबन्ध जोड़ दिया जायगा तो उसे हर प्रकार से अधिकार मिल सकता है। मान लीजिए स्पेशल रिकार्ड आफीसर किसी गांव में जाता है और इंदराज करना चाहता है और यह जानना चाहता है कि किसी व्यक्ति का किसी खेत पर कब्जा है या नहीं या यह कि कौन खेत जोतता है तो जैसा कि शांति प्रपन्न शर्मा जी ने कहा कि वहां पर सयानों का इतना ज्यादा असर है कि किसी भी कोल्टा या बाजगी की यह हिम्मत नहीं कि वह यह कह जाय कि वह जमीन जोतता है। वह अपने बयान में यह नहीं कहता कि इस जमीन पर मेरा कब्जा है। वह तो यही कहता है कि "हमारा कब्जा नहीं है"। इसलिये इन गरीबों की ऐसी हालत को देखते हुए और गांव में संघर्ष होने के डर से, या यह विचार कर कि गांव में आगे कब्जा न मिल सकेगा वे सयाने के खिलाफ कुछ नहीं कहते। इसलिये इन लोगों को रिलीफ देने के लिये यह आवश्यक है कि हम इस प्रकार का प्रतिबन्ध यहां पर जोड़ दें। इस प्रतिबन्ध के यहां पर होने से क्या होगा? मान लिया जाय कि किसी गांव में स्पेशल रिकार्ड आफीसर आता है और वहां पर मालूम होता है कि इस खेत पर कोल्टा का कब्जा है। मगर सयाना इस पर एतराज करता है और कहता है कि इस खेत पर इसका कब्जा नहीं है मेरा कब्जा है, लेकिन असलियत यह है कि कोल्टा १०-१२ साल से उसको जोत रहा है, उसका कब्जा है, बाद में उसको बेदखल कर दिया गया है, या उसे इसी साल बेदखल

किया गया है या एक दो साल पहिले बेदखल किया गया है। तो वह स्पेशल रिकार्ड आफीसर उस सयाने की बात नामंजूर कर सकता है। इसलिये मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है कि "किसी भी विवाद के होते हुए" जमींदार, उसकी बड़ी जाति के होने के कारण अगर वह किसी अधिकार को चैलेंज करता है, किसी काश्तकार के अधिकारों को चैलेज करता है, किसी मौरूसी काश्तकार या गैरमौरूसी काश्तकार के [illegible]

[illegible] हुए वह देख कर कि व [illegible] उसी समय करा देगा और उसको कब्जा दिला देगा। मैं इस प्रतिबन्ध की चौथी लाइन के शब्द "हर हालत में" पर विशेष जोर देता हूं। यह प्रतिबन्ध ४९ में जो सरकार की ओर से रेग्युलेशन हुआ है उसके अनुसार भी है। क्योंकि उसमें यह दिया हुआ है कि जौनसार बावर का कोई भी भूमि जोतने वाला काश्तकार जो पिछले तीन साल से जौनसार परगना में भूमि जोत रहा है उसको खेत से बेदखल नहीं किया जायगा। यह माननीय मंत्री जी की सूचना के अनुसार मैं कह रहा हूं। ऐसा रेग्युलेशन जारी हो चुका है। अतः यह प्रतिबन्ध उस रेग्युलेशन के अनुसार है। अब चूंकि यह रेग्युलेशन इस ऐक्ट के द्वारा खत्म हो जायगा। अतः मैं चाहता हूं कि पिछले तीन सालों से जो जौनसार बावर में खेती कर रहे थे और जिनको इस रेग्युलेशन के अनुसार रिलीफ मिला हुआ था वह रिलीफ इस विधेयक के द्वारा कायम रहे। यानी जो ३ साल पहिले से काबिज हैं वह बेदखल न किया जाय और उसका नाम इंदराज कर दिया जाय। यही मेरे इस संशोधन की मंशा है।

इस खंड २ में यह लिखा हुआ है कि अगर वह निश्चय न कर पाये कि किस व्यक्ति का कब्जा है तो वह सरसरी तौर पर उसकी जांच करेगा। श्रीमन्, इसीलिये मुझे इस 'सरसरी तौर' पर एतराज था लेकिन अब चूंकि यह हो चुका है इसलिये मैं इसके बारे में और कुछ कहना नहीं चाहता। उससे मुझे डर है कि कहीं इस सरसरी तौर पर देखने में यह न हो जाय कि सयानों का वहां पर जो असर है उसकी वजह से फैसला उनके ही हक में हो जाय। अब जब कि यह 'सरसरी तौर पर' जांच की जायगी और उस जांच में यह निश्चय किया जायगा कि कौन व्यक्ति संपत्ति का सबसे अधिक हकदार है, तो 'सब से अधिक' में सयाना कहेगा कि मैं पट्टा देने वाला हूं और यह पट्टा लेने वाला है, वह कहेगा कि मैं भूमि जोतता हूं, और सन् ४९ के रेग्युलेशन के मुताबिक मैं बेदखल नहीं हुआ हूं, खेत पर मेरा अधिकार है, २ गांव वाले भी कहते हैं कि इसी का अधिकार है। अतः खंड २ में जो यह बात आई है कि "कौन सबसे अधिक हकदार है" यह चीज हमें पीछे ले जाने वाली है। इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि जो व्यक्ति कानून के अनुसार हकदार हो सकता है वही व्यक्ति भूमि जोतने वाला नहीं हो सकता। 'सबसे अधिक अधिकार' और 'भूमि जोतने वाला' इन दोनों संज्ञाओं में फर्क है और दस्तूरुलअमल के अनुसार संपत्ति पर सब अधिकार जमींदार को है, कोल्टा को नहीं है। इसलिये उन गरीबों को भूमि देने का हमें इस विधेयक के अनुसार अधिकार नहीं है। इस विधेयक के अनुसार माननीय मंत्री जी भी यही चाहते हैं कि उन लोगों के अधिकारों की रक्षा हो और भूमि जोतने वालों के नाम दर्ज कर दिये जायं लेकिन इस 'संपत्ति का सबसे अधिक अधिकारी हो' इससे एक विवाद खड़ा हो जायगा और उसके बाद जो जांच होगी वह सरसरी होगी इससे यह डर पैदा होता है कि बजाय इसके कि वह भूमि भूमि जोतने वाले के पास जाय कहीं सयाने या जमींदार के पास न चली जाय और उसके नाम का दुबारा इंदराज न हो जाय। इसी डर को खत्म करने के लिये और इस सदन की मंशा को देखते हुए कि जौनसार बावर के लोगों को सुविधा प्रदान की जाय, मैं यह संशोधन लाया हूं। इन कारणों से यह आवश्यक है कि यह प्रतिबन्ध इसमें जोड़ा जाय और रिकार्ड आफीसर के लिये यह पाबन्दी कर दी जाय कि वह उनका कब्जा करा दे।

मेरा कहना यही है कि जमीन पर उन्हीं के नाम इंदराज हों जो कि जमीन के जोतने वाले हैं। जैसा कि रेगुलेशन ५० में दिया हुआ है, मालूम होता है कि आपने उसकी भावना को नहीं समझा है। क्या आप चाहते हैं कि मैं अपनी बातें न कहूं ?

श्री अध्यक्ष—मैं रिपीटीशन नहीं पसन्द करता हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी--इसीलिये तो मैं रिपोर्ट नहीं पढ़ रहा हूं। नहीं तो मैं रिपोर्ट पढ़ कर सारी बातें बतला देता। मैं रिपीटिशन नहीं कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष--सावधान। आप बार बार उसी बात को दोहरा रहे हैं। बार बार भावनाओं का जिक्र कर रहे हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी--मैं अभी खत्म कर रहा हूं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि रेगुलेशन ५० के अनुसार माननीय मंत्री जी अपनी भावनायें जारी रखें और इस संशोधन को स्वीकार करें।

श्री चरण सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अब दो संशोधन हो चुके हैं तो धारा ७ का उपखंड (२) अब इस प्रकार हो जाता है :--

"यदि इस धारा के अन्तर्गत विवाद जांच करते समय स्पेशल रेकार्ड आफिसर निश्चय न कर सके कि किस पक्ष का कब्जा है तो वह सरसरी तौर पर यह जांच करेगा कि कौन सा व्यक्ति संपत्ति का सब से अधिक हकदार है और ऐसे व्यक्ति को कब्जा दिलायेगा।" यानी अगर किसी के कब्जे में है तो उसको तो रेकर्ड कर दिया लेकिन आपका जो संशोधन है वह तो कब्जा दिलाने का है। आपका संशोधन है :

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि अगर कोई काश्तकार किसी खाते पर खेती करता चला आ रहा है, तो किसी विवाद के होते हुए भी ऐसे खाते पर स्पेशल रेकर्ड आफिसर उस काश्तकार को हर हालत में आवश्यक इंदराज कर कब्जा दिला देगा।"

अगर वह खेती करता चला आ रहा है तो बावजूद किसी के दिलाने के उसका कब्जा तो उस पर है ही। अगर उसके कब्जे में है तो उसका नाम इंदराज हो ही जायगा। फिर कब्जा दिलाने का सवाल नहीं है। लेकिन अगर कब्जा डिस्प्यूटेड है तो उसके लिये वह सरसरी तौर पर समरी इंक्वायरी करेगा कि किसका कब्जा है और टाइटिल किसका है और फिर वह अधिकारी देखेगा कि इस पर किसका अधिकार होना चाहिये। जब उसका इंदराज है तो फिर उसे कब्जा दिलायेगा। हमारे विधेयक में यह चीज तो लिखी हुई है, फिर इसकी क्या आवश्यकता है। मेरे मित्र का कहना है कि सरसरी तौर पर इंक्वायरी होती ही नहीं है। मैं कहता हूं कि महाराज सरसरी तौर पर इंक्वायरी ऐसे मामलों में होती है। असिस्टेंट कलेक्टर या जो इसके लिये मुकर्रर होता है वह इसकी इंक्वायरी करता है। रिमेनिंग रेंट वगैरह के लिये सरसरी तौर पर इंक्वायरी होती है और उसका फैसला वहीं पर होता है। टाइटिल का जो केस होता है उसका फैसला सिविल कोर्ट में होता है। श्रीमन्, मैं सिर्फ आधा मिनट ही लूंगा। पहली बात यह है कि अगर कब्जा है तो उसका इंदराज कर दिया जायगा। अगर कब्जा डिस्प्यूटेड है तो उसकी समरी इंक्वायरी की जायगी और अगर उसका इंदराज है और कब्जा है तो फिर यह संशोधन बिल्कुल बेकार है।

(इसके बाद सदन ५ बज कर ३० मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
४ दिसम्बर, १९५२।

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ १९८ पर)

क्रम संख्या	ब्लाक का नाम			क्षेत्रफल एकड़ों में
१	हिम्मतपुर	...	..	७५६·८
२	गुलजारपुर	..	...	१३७·६
३	जोगीपुरा	..	...	१८२५·६
४	बरहनी	...	...	७५८·४
५	दादूपुरा	...	...	२८०·०
६	घिमड़ी	..	...	६१०·०
७	लम्बाचौर के उत्तर पूर्व में "डी" क्लास फारेस्ट		..	१३६·६
८	गोला रौखाड़	...	...	१६·२
९	खनिया	...	...	२,५७०·०
१०	कोटपड़ा	...	...	९९०·४
११	बाराकोली	...	...	५००·०
		योग	...	८,५८५·६

पी० एस० यू० पी०—६४ एल० ए०—१९५२—८८३०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, ५ दिसम्बर, १९५२

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३५४)

अक्षयवर सिंह, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेश प्रताप सिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इर्तजा हुसैन, श्री
इसराहुल हक़, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फ़त सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकि, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरु प्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्दवल्लभ पन्त, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री

चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रपाल वाजपेयी, श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाज़िम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन, श्री
निहालुद्दीन, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिन विहारी, श्रीमती
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फ़तेह सिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री

बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन मिश्र, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेव प्रसाद, श्री
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
मन्नालाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री

यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणञ्जय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्र प्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनाथ तिवारी, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री

रामभूर्ति, श्री
राम रतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मणराव क़दम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विश्वम्भरनाथ पांडे, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजबिहारी मिश्र, श्री
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवरामराय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द्र, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्य सिंह राणा, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री

सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र बाजपेयी, श्री
हरि सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री
होतीलाल दास, श्री

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

*१--३--श्री सत्यानन्द (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)--[देखिए आगे पृष्ठ २६६ पर]।

*४-५--श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--[२६ दिसम्बर, १९५२ के लिए स्थगित किये गये]

सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों का वेतन तथा महंगाई भत्ता

*६--श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तथा राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के वेतनक्रम में अन्तर क्यों रखा गया है ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डाक्टर सीताराम)--अन्तर दोनों प्रकार के स्कूलों के अध्यापकों के सेवा प्रतिबन्ध के कारण है।

श्री शिवनारायण--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि अध्यापकों के सेवा प्रतिबन्ध का क्या अर्थ है ?

डाक्टर सीताराम--सेवा प्रतिबन्ध का यह अर्थ है कि जैसा सर्विस रेगुलेशंस में दिया गया है उसी के अनुसार अगर उनकी योग्यता पायी गयी तो उसी के अनुसार उनका वेतन भी मुक़र्रर किया गया।

श्री शिवनारायण--जो अध्यापक कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन्स के होते हैं और गवर्नमेंट इंस्टीटयूशंस के होते हैं दोनों यदि एम० ए०, एल० टी० होते हैं तब भी उन दोनों के वेतनक्रम में अन्तर क्यों होता है ?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)--चूंकि सरकारी संस्थाओं के रिक्रूटमेंट पर सरकारी कंट्रोल होता है और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन्स के रिक्रूटमेंट पर कंट्रोल नहीं होता है इसलिये यह अन्तर है।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)--क्या सरकार को मालूम है कि प्राइवेट स्कूलों में जो अध्यापकों को वेतन मिलता है उसका एक भाग अनिवार्य रूप से दान में उन संस्थाओं द्वारा ले लिया जाता है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--सम्भव है, ऐसा होता हो, लेकिन कोई सरकारी सूचना सरकार को नहीं है।

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)--क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि एजूकेशन कोड के अन्तर्गत राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्यापकों के लिये एक ही ग्रेड है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--नहीं। उस संबंध में पे कमेटी की रिपोर्ट है। उसके अनुसार सरकारी स्कूलों का वेतनक्रम दूसरा है और एडेड इंस्टीटयूशंस का वेतनक्रम दूसरा है।

*७--श्री शिवनारायण--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी स० प्र० उ० मा० विद्यालयों के अध्यापकों के लिए मंहगाई की दर सरकार द्वारा नियत की गई है ? यदि हां, तो किस दर पर ?

डाक्टर सीताराम--जी हां। ७० रु० तक वेतन पाने वाले अध्यापकों को १० रु० प्रतिमास (५ रु० शासन की ओर से और ५ रु० प्रबन्ध समिति की ओर से) और ७० रु० से अधिक वेतन पाने वाले अध्यापकों को मंहगाई फ़ीस से, जो विद्यार्थियों से ली जाती है मंहगाई भत्ता दिया जाता है, परन्तु इसका कोई दर निर्धारित नहीं है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो विद्यार्थियों से मासिक ज्यादा फ़ीस ली जाती है, मंहगाई भत्ता देने के लिये उसको सरकार बन्द करने का विचार कर रही है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--उसी से तो इंस्टीटयूशन्स के टीचर्स को मंहगाई का भत्ता दिया जाता है।

*८--श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा) (अनुपस्थित)--[देखिए आगे पृष्ठ २६७ पर।)

* * * *

सेवाग्राम की नई तालीम योजना के संबंध में सरकार* की नीति

*१--श्री सत्यानन्द (अनुपस्थित)--(क) क्या ८ वें नई तालीम सम्मेलन सेवाग्राम में सम्मिलित होने का निमंत्रण इस प्रदेश की सरकार के पास सेवाग्राम से आया था ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार की ओर से कोई प्रतिनिधि उक्त सम्मेलन में सम्मिलित हुआ ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम--(क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

*२--श्री सत्यानन्द (अनुपस्थित)--क्या सरकार ने इसके पिछले सम्मेलनों में अपना प्रतिनिधि भेजा था ?

डाक्टर सीताराम--जी हां।

श्री ब्रजबिहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार उस व्यक्ति का नाम तथा पद बतलाने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सीताराम--डा० पचौरी।

श्री ब्रजबिहारी मिश्र--मैंने पद भी पूछा था।

श्री हरगोविन्द सिंह--ओ० एस० डी० टेक्स्ट बुक्स।

*३--श्री सत्यानन्द (अनुपस्थित)--(क) क्या नई तालीम के सम्बन्ध में सरकार ने अपनी कोई नीति निश्चित की है ?

(ख) यदि हां, तो उसके अनुसार क्या योजना बनायी गयी या अमल में लायी जा रही है ?

नोट--तारांकित प्रश्न १--३ श्री ब्रजबिहारी मिश्र ने पूछे।

डाक्टर सीताराम--(क) जी हां।

(ख) प्रदेश के सभी आरम्भिक (प्राइमरी) स्कूलों में नई तालीमी योजना के अनुसार शिक्षा दी जा रही है।

* * * *

आगरा जिले में डाकुओं का आतंक

*८--श्री देवकी नन्दन विभव (अनुपस्थित)--क्या गृह मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गत अक्टूबर माह में आगरे जिले में कितने व्यक्तियों को डाकू उठा कर ले गये और उन्हें ढूंढने का क्या प्रयत्न किया गया?

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--अक्टूबर सन् १९५२ में आगरे जिले में ३ व्यक्तियों को डाकू उठा कर ले गये। उन्हें ढूंढने के लिये पुलिस ने भरसक प्रयत्न किया। जगह-जगह पर डाकुओं पर छापे मारे गये। मध्य भारत और राजस्थान के पुलिस अफसरों का भी सहयोग प्राप्त किया गया। इन सब प्रयत्नों के फलस्वरूप उन तीनों व्यक्तियों को डाकुओं ने छोड़ दिया।

जमींदारी उन्मूलन के बाद भी विभिन्न जिलों में अत्याचारों के सम्बन्ध में कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--मेरे पास एक कार्य रोको प्रस्ताव श्री रामसुन्दर पांडेय जी ने भेजा है। वह जमींदारी उन्मूलन हो जाने के बाद भी जो हर जिले में अत्याचार हो रहे हैं, आदि के ऊपर विचार करने के लिये इस सदन का कार्य स्थगित करना चाहते हैं। यह बहुत अनिश्चित सा है और मैं समझता हूं कि बहुत अत्यावश्यक बात भी नहीं है। इसलिये मैं इसकी मंजूरी नहीं देता हूं कि वह यहां पेश किया जाय।

जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५० की धारा ३४२ (३) के अनुसार उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (परगना कसवार राजा) (कठिनाइयों को दूर करने की) आज्ञा, १९५२ की प्रतिलिपि मेज पर रखना

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)--मैं उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५० की धारा ३४२ की उपधारा (३) के अनुसार उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (परगना कसवार राजा) (कठिनाइयों को दूर करने की) आज्ञा, १९५२ की प्रतिलिपि मेज पर रखता हूं।

जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५२ की धारा ३४२ (३) के अनुसार उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (कठिनाइयों को दूर करने की) (द्वितीय) आज्ञा, १९५२ की प्रतिलिपि मेज पर रखना

माल मन्त्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)--मैं उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५० की धारा ३४२ की उपधारा (३) के अनुसार उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (कठिनाइयों को दूर करने की) (द्वितीय) आज्ञा, १९५२ की प्रतिलिपि मेज पर रखता हूं।

मोटर वेहिकिल्स, ऐक्ट १९३९ की धारा १३३ (३) के अनुसार यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० के रूल ७२ में किये गये संशोधनों की प्रतिलिपि मेज पर रखना

माल मन्त्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)--मैं, मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अनुसार यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० के रूल ७२ में किये गये संशोधन की प्रतिलिपि मेज पर रखता हूं।

नोट--तारांकित प्रश्न ८ श्री दीनदयालु शास्त्री ने पूछा।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--आन ए प्वाइंट आफ आर्डर (विधान का प्रश्न है) क्या माननीय सभा सचिव जी माननीय परिवहन मंत्री की ओर से मेज पर रख भी सकते है ?

श्री अध्यक्ष--क्या माननीय परिवहन मंत्री ने माननीय सभासचिव जी को इजाजत दी थी कि वह मेज पर रखे ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--जी हां।

श्री अध्यक्ष--केवल माननीय सभासचिव ही नही, अगर माननीय नारायणदत्त जी को भी इजाजत मिल जाय तो वह भी पेश कर सकते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या लिखी हुई इजाजत है ?

श्री अध्यक्ष--यहां पर कोई अदालत तो है नहीं। माननीय सदस्यों के कहे हुए पर विश्वास किया जाता है और विश्वास के ही ऊपर यह सदन चलता है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुना (जिला इलाहाबाद)--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह परिवहन मंत्री द्वारा जो अभी मेज पर रखने की बात हुई है, उसकी कापी तो मेज पर है नहीं।

श्री अध्यक्ष--किसी और माननीय सदस्य की मेज पर यह प्रतिलिपि नहीं है ? कोई आवाज नहीं आई। तो शायद गलती से माननीय बहुगुना जी की मेज पर न हो। अभी भेजवा दी जाती है।

*जौनसार बावर भौमिक अधिकार सुरक्षा तथा भौमिक अभिलेख विधेयक, १९५२

खंड ७ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष--अब जौनसार बावर भौमिक अधिकार सुरक्षा तथा भौमिक अभिलेख विधेयक, १९५२ पर विचार जारी रहेगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--श्रीमान्, कल मेरे संशोधन का विरोध करते हुए माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो निवेदन किया, उसमें उनका सब से प्रमुख आक्षेप या अपत्ति इस प्रकार थी कि अगर कोई काश्तकार किसी खाते पर खेती करता चला आ रहा है तो कब्जा तो उसका हो ही जायगा, उसका नाम तो इंदराज में हो ही जायगा। तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि इसकी आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि जब खाते में खेती करता चला आ रहा है तो इस धारा ६ के नक्शे के अनुसार "उन सभी व्यक्तियों को जो भूमि पर खेती करते हों......" लेकिन श्रीमान् माननीय मंत्री जी ने बिल्कुल ही गलत हवाला दिया, क्योंकि यह धारा ६ की उपधारा (२) में जो कुछ लिखा गया है, उन सभी का एक रजिस्टर होगा।

माल मन्त्री के सभासचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)--धारा ६ नहीं, धारा ७ की उपधारा (२) देखिए।

श्री नारायणदत्त तिवारी--तो यह तो अभिलेखों से संबंधित है और इसमें सब से बड़ी बात जो है, वह यह कि वह अभिलेख जो विवाद के संबंध में है। मेरे संशोधन का "विवाद" नामक शब्द उन्होंने नहीं पढ़ा कि, "किसी विवाद के होते हुए भी"। कोई काश्तकार खेती करता चला आ रहा है तो इंदराज के मौके पर क्या विवाद नहीं खड़ा होता। मैंने तो देखा है कि जहां १०, १० और १२, १२ साल तक काबिज है वहां भी एतराज

*१३ अक्तूबर, १९५२ की कार्यवाही में छपा है

करने वाले पैदा हो जाते हैं कि यह खेत हमारा है। भाई भाइयों में झगड़ा हो जाता है। तो यहां पर तो प्रश्न है कि अगर विवाद खड़ा होता है तब! अगर नहीं होता है, तब तो इंदराज हो ही जायगा। मेरा प्रतिबन्ध अगर दोबारा मंत्री जी पढ़े तो स्पष्ट लिखा है, "किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि अगर कोई काश्तकार किसी खाते पर खेती करता चला आ रहा है तो किसी विवाद के होते हुए भी ऐसे खाते पर स्पेशल रिकार्ड आफिसर उक्त काश्तकार को हर हालत में" मैं इन दो शब्दों पर ज्यादा जोर देता हूं। और विवाद की बात तो स्वयं धारा ७ में रखी हुई कि, "यदि इस धारा के अन्तर्गत विवाद जांच करते समय स्पेशल रेकार्ड आफिसर अपने को संतोषप्रद ढंग से यह निर्णय करने में असमर्थ हो....."।

दूसरी बात जो मंत्री जी ने कही कि "कब्जा देना" क्योंकि मेरे संशोधन में लिखा हुआ है "हर हालत में आवश्यक इंदराज कर कब्जा दिला देगा" तो उनकी आपत्ति हो गयी। लेकिन मैं आपके द्वारा पूछना चाहता हूं कि कब्जा दिलाने की बात तो स्वयं उपधारा (२) में जो धारा ७ की है दी हुई है, "वह जांच करेगा कि कौन सा व्यक्ति संपत्ति का सबसे अधिक हकदार है और ऐसे व्यक्ति को कब्जा दिला देगा।" तो रेकार्ड आफिसर को कब्जा दिलाने का अधिकार तो स्वयं आपने दिया है और वह भी सरसरी तौर से। तो अगर मैंने भी कब्जा दिलाने की बात रख दी तो कौन सा गुनाह कर दिया।

कल यह दो एतराज ही माननीय मंत्री ने किये जो तथ्य के अनुसार साबित नहीं होतीं। मैंने जो संशोधन दिया है, वह बहुत उचित है, यह दूसरी बात है कि उसे माकूल न समझें। मुझे आशा है कि कल रात भर इस पर विचार करने के बाद वह काफी परिपक्व होकर आये होंगे तो विश्लेषण भी कर लिया होगा और कल की गरमा गरमी भी निपट गयी होगी और शांतिपूर्ण ढंग से अगर स्वीकार कर ले तो बड़ा अच्छा होगा।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य——माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री नारायण दत्त जी को तो कुछ कहना चाहिये, चाहे वह संगत हो अथवा असंगत हो। उन्होंने जो संशोधन रखा है, वह इस प्रकार है, "किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि अगर कोई काश्तकार किसी खाते पर खेती करता चला आ रहा है, तो किसी विवाद के होते हुए भी ऐसे खाते पर स्पेशल रेकार्ड आफिसर उक्त काश्तकार को हर हालत में आवश्यक इंदराज कर कब्जा दिला देगा।"

और धारा ७ की उपधारा (१) और (२) इस प्रकार है:

"(१) अभिलेखों के सभी विवादहीन इंदराज स्वत्व रखने वाले पत्रों द्वारा प्रमाणित किये जायेंगे और ऐसे इंदराजों के संबंध सभी विवाद कब्जे के आधार पर निर्णीत किये जायेंगे।

(२) यदि इस धारा के अन्तर्गत विवाद जांच करते समय स्पेशल रेकर्ड आफिसर अपने को संतोषप्रद ढंग से यह निणय करने में असमर्थ हो कि किस पक्ष का कब्जा है तो वह सरकारी तौर से वह जांच करेगा कि कौन सा व्यक्ति सम्पत्ति का सब से अधिक हकदार है और ऐसे व्यक्ति को कब्जा दिला देगा।"

श्री अध्यक्ष——आपने गलत पढ़ा, एक संशोधन हो चुका है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य——हां, संशोधन हो चुका है और उस संशोधन के सहित समझ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष——माननीय राजस्व मंत्री अगर स्वयं असमर्थ हैं तो दूसरे कैसे समझ लेंगे। वह जरा उसे पढ़ करके सुना देंगे तो अधिक अच्छा हो।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य——श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं आप की सहायता चाहता हूं। आज के अजेंडा में कल का संशोधन है नहीं, इसलिये कठिनाई पड़ गयी।

श्री अध्यक्ष——"स्पेशल रेकर्ड आफिसर यह निश्चय न कर सके" ऐसा मेरा ख्याल संशोधन हुआ है।

इसमें भी है। "कब्जा दिला देगा" उसको संशोधन में ... और "कब्जा दिला देगा" इस विधेयक में भी है। तो वह कहते हैं कि जब सब बातें विधेयक में हैं तो मेरी बात क्यों नहीं मान ली जाती है। यह बात मेरी समझ में नहीं आती है कि जब सब बातें उसमें हैं तो फिर दुबारा उनको रखने से कौन सा मतलब। इस विधेयक को बढ़ जायगी और कैसे वह सुन्दर हो जायगा। मैं समझता हूं कि एक विशेष चीज उन्होंने रखी है। यह पहले से उसमें मौजूद है कि रेकर्ड आफिसर ... तो कब्जा दर्ज कर देगा, अगर विवाद हो तो सरसरी तौर पर देखेगा कि कौन ... और अगर उसमें उनका दिक्कत पड़ेगी तो फिर देखेगा कि कौन ... और फिर उसका ... दर्ज करायेगा और उसको कब्जा दिला देगा। जो आपने संशोधन रखा है, उसमें भी यही है कि जो खेत करता चला आ रहा है उसका नाम दर्ज किया जाय और अगर विवाद हो तो उसकी जांच करके उसका नाम दर्ज करदे और उसको कब्जा दिला दे। तो ... हुई ... एक सुन्दर ढंग से पहले से मौजूद है। इसलिये ... जो आप चाहते हैं उसकी कोई आवश्यकता नहीं ... पहले से मौजूद है। इसलिये मैं नहीं समझता ... उसको ... किया जाय। मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—यदि मुझे कुछ ... की संभावना दे दी जाय तो मैं इसे वापस ले सकता हूं।

श्री अध्यक्ष—पूछिए।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं सभा सचिव जी से पूछना चाहता हूं कि जो उन्होंने कहा है कि मेरी सब बातें पहले से उसमें हैं तो ... में कब्जा होने पर इंदराज हो जायगा" यह बात ... ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—धारा को पढ़ लीजिए।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ७ के उपखंड (२) के बाद निम्नलिखित प्रतिबन्ध बढ़ा दिया जाय—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि अगर कोई काश्तकार किसी खाते पर खेती करता चला आ रहा है, तो किसी विवाद के होते हुए भी ऐसे खाते पर रेकर्ड आफिसर उक्त काश्तकार को हर हालत में आवश्यक इंदराज कर कब्जा दिला देगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ८

८—इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार तैयार किये हुए अभिलेखों में इंदराज तब तक सत्य परिकल्पित किये जायंगे (shall be presumed true) जब तक कि अन्यथा सिद्ध न हों।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

९—चूंकि भूमि के बाबत मालिकाना अधिकारों में सुधार करने तथा उनको स्थायी बनाने की दृष्टि से राज्य सरकार ने यू० पी० लैण्ड रिफार्म्स ऐक्ट १९५० में निर्दिष्ट सिद्धान्तों के अनुसार उक्त क्षेत्र के लिये [illegible] अभिलेख तैयार करने और उनके पुनरीक्षण के लिये आदेश दिये थे; वैधीकरण (V[illegible])

और राज्य सरकार ने उक्त प्रयोजन के निमित्त नियम, आदेश तथा अनुदेश ([illegible]) प्रचारित कर दिये हैं;

और कुछ क्षेत्रों के सम्बन्ध में नए अभिलेख तैयार हो चुके हैं और अन्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में तैयार किये जा रहे हैं;

और यह आवश्यक है कि इस प्रकार प्रचारित नियमों, आदेशों और अनुदेशों को तथा अभिलेखों को, जहां तक कि वे उक्त [illegible] विधि से तैयार किये जा चुके हैं, विधिक बल ([illegible]) प्रदान की जाय;

अतएव एतद्द्वारा [illegible] ([illegible]) [illegible] कि उक्त अभिलेखों को तैयार करने में तथा उनके पुनरीक्षण के निमित्त प्रचारित समस्त नियम, आदेश तथा अनुदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक [illegible] के भीतर गजट में विज्ञप्ति द्वारा प्रकाशित किये जायेंगे तथा ऐसे प्रकाशन के उपरान्त इस प्रकार प्रकाशित नियम, आदेश तथा अनुदेश, जहां तक कि वे इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन व अनुसार या विधिवत् निर्मित व प्रचारित नियम, आदेश अथवा अनुदेश समझे जायेंगे तथा किया हुआ प्रत्येक कार्य या कार्यवाही इत्यादि अथवा बात प्रयोग में लाये गये अधिकार तथा क्षेत्राधिकार विधि की दृष्टि में उचित रूप से वैध होंगे, मानो कि इस अध्याय के सभी उपबन्ध ऐसे सब दिनांकों पर प्रभावी थे, जिनको उक्त क्रिया से कोई सम्बन्ध हो।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (बाराबंकी)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं:

"खंड ९ के अन्तिम पैरा की पंक्ति ५—६ में शब्द 'अनुसार' तथा शब्द "विधिवत्" के बीच का शब्द "या" निकाल दिया जाय।"

यह एक शाब्दिक संशोधन है और बहुत ही आवश्यक है मैं समझता हूं कि राजस्व मंत्री इसे स्वीकार करेंगे।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—अध्यक्ष महोदय, मुझे यह स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ९ के अन्तिम पेरा की पंक्ति ७ में शब्द 'अनुसार' तथा शब्द "विधिवत" के बीच का शब्द "या" निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (बाराबंकी)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ९ के अन्तिम पेरा की पंक्ति ८ व ९ में शब्द "किया हुआ प्रत्येक कार्य या कार्यवाही इत्यादि अथवा बात" के स्थान पर शब्द 'किया हुआ प्रत्येक कार्य, कार्यवाही या इत्यादि अथवा की हुई बात' रख दिये जायं।

यह कुछ लिखावट की गलती से या कहीं शब्द न आने की वजह से इसके पूरे अर्थ नहीं आते हैं अगर यह संशोधन न किया जाय। इसलिये यह संशोधन बहुत आवश्यक है और माननीय राजस्व मंत्री इसे स्वीकार करेंगे।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—माननीय अध्यक्ष, इस संशोधन से क्लाज सुन्दर हो जाता है। मैं इसे स्वीकार करता हूं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ६ के अन्तिम पैरा की पंक्ति ६ व ७ के शब्द "किया हुआ प्रत्येक कार्य या कार्यवाही इन्दराज अथवा बात" के स्थान पर शब्द "किया हुआ प्रत्येक कार्य, कार्यवाही इन्दराज अथवा की हुई बात" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)--अध्यक्ष महोदय, मैं इसे परिवर्तित रूप में उपस्थित करना चाहता हूं। श्रीमान्, जो जो संशोधन अभी स्वीकृत हुआ है, उसमें अशुद्धि हो गयी है, वह इस प्रकार से नहीं होना चाहिए था, तो मैं स्वीकृत संशोधन में संशोधन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--क्या कहेंगे कहिए।

श्री जयराम वर्मा--इस संशोधन से अथवा के बाद 'की हुई बात' यह शब्द निकाल दिये जायं। संशोधन के द्वारा इसमें कार्य शब्द आया है "किया हुआ प्रत्येक कार्य, कार्यवाही या इन्दराज अथवा की हुई बात" जब इसमें प्रत्येक कार्य मौजूद है तो फिर 'की हुई बात' का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। इसलिये यह व्यर्थ में शब्द रखे गये हैं और इसके बाद शब्द आए हैं प्रयोग में लाये गये। इनके बीच में शब्द 'अथवा' होना चाहिए था। यह काम दे सकता है और इससे वाक्य भी साफ हो जायगा और अर्थ भी ठीक निकलेगा। लेकिन जिस तरह से संशोधन अभी हुआ है उससे वाक्य शुद्ध नहीं होता है और अशुद्ध रह जाता है।

श्री अध्यक्ष--उस वक्त तो संशोधन आपने किया नहीं और वह स्वीकृत हो गया। उस वक्त आपने संशोधन करने की कोई इच्छा प्रगट की नहीं और अब सदन उसे स्वीकार कर चुका है।

श्री जयराम वर्मा--जो संशोधन स्वीकार हो चुका है, उस पर फिर से संशोधन हो सकता है।

श्री अध्यक्ष--इस तरह से अगर संशोधन होने चले जायं तो आखीर तक दिन भर संशोधन होते चले जायं।

श्री जयराम वर्मा--श्रीमन्, मैं तो खड़ा हुआ था, लेकिन आपने कुछ ध्यान नहीं दिया, इसलिये मैं कुछ नहीं कह सका।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि अब आप पेश नहीं कर सकते।

श्री जयराम वर्मा--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ के अंतिम पैरा की दसवीं पंक्ति में शब्द "मैं" और शब्द "उचित" के बीच शब्द "इस प्रकार" और शब्द "तौर" के स्थान पर शब्द "और" रख दिया जाय।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ६ की अन्तिम पैरा की दसवीं पंक्ति में शब्द "मैं" और शब्द "उचित" के बीच शब्द "इस प्रकार" और शब्द "तौर" के स्थान पर शब्द "और" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (बाराबंकी)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ के अन्तिम पैरा की पंक्ति ८ के शब्द "अध्याय" के स्थान पर शब्द "अधिनियम" रख दिया जाय।

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य--स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ६ के अन्तिम पैरा की पंक्ति १० के शब्द "अध्याय" के स्थान पर शब्द "अधिनियम" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ९ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १०

१०—राज्य सरकार इस अधिनियम द्वारा अपने को प्राप्त कोई भी अधिकार अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी अथवा प्राधिकारी (outhori'y) को ऐसे प्रतिबन्धों सहित अथवा ऐसी दशाओं में, जो विज्ञप्ति में, निर्दिष्ट हों, प्रयोग में लाने के लिये सौंप (del'gate) सकती है। अधिकार का सौंपना

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (बाराबंकी)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १० की पंक्ति २ के शब्द "अधिकार" के बाद शब्द "सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा" बढ़ा दिये जायं।

यह आवश्यक भूल है और यह शब्द न होने पर इसका अर्थ ठीक लगाने में बाधा पड़ती है। इस लिये इस शब्द के बढ़ाने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि सरकार को यह प्रस्ताव स्वीकार होगा।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह संशोधन स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १० की पंक्ति २ के शब्द "अधिकार" के बाद शब्द "सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा" बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १० इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ११

११—राज्य सरकार आदेश द्वारा निम्नलिखित के लिये नियम बना सकती है : नियम।

(क) धारा ३ के अन्तर्गत बेदखली के निमित्त अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(ख) काश्तकार द्वारा खातों को शिकमी पर देने से सम्बन्धित विषय,

(ग) इस अधिनियम के अन्तर्गत तैयार किये जाने वाले अभिलेखों के आकार (form) और विषय, तैयार करने के ढंग, प्रमाणीकरण तथा रखरखाव ;

(घ) इस अधिनियम के अन्तर्गत वादों, प्रार्थनापत्रों तथा अन्य कार्यवाहियों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(ङ) अवधि जिसके भीतर इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थनापत्र तथा अपील प्रस्तुत की जायं ;

(च) इस अधिनियम के अन्तर्गत अपीलों और प्रार्थना पत्रों के सम्बन्ध में देय शुल्क ;

(छ) इस अधिनियम के अन्तर्गत क्षेत्राधिकार प्राप्त किसी अधिकारी अथवा प्राधिकारी के कर्त्तव्य तथा ऐसे अधिकारी अथवा प्राधिकारी द्वारा की जाने वाली, अनुसरण प्रक्रिया ;

(ज) किसी अधिकारी अथवा प्राधिकारी के यहां से दूसरे अधिकारी अथवा प्राधिकारी के पास कार्यवाहियों का संक्रमण ;

(झ) इस अधिनियम के उपबन्धों को, कार्यान्वित करने के लिये सामान्यतः अधिकारियों के लिये पथ-प्रदर्शन ;

(ञ) अन्य कोई विषय, जिनके सम्बन्ध में राज्य सरकार के मतानुसार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये व्यवस्था की आवश्यकता हो।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ११ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १

१--(१) यह अधिनियम जौनसार बावर भौमिक अधिकार सुरक्षा तथा भौमिक अभिलेख, अधिनियम, १९५२ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार देहरादून जिले के समस्त परगना जौनसार बावर में होगा।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं कि खंड १ के उपखंड (१) का प्रथम पंक्ति के शब्द "अधिकार" के उपरान्त शब्द, "प्राप्ति" बढ़ा दिया जाय।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--मैं वैधानिक प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं। श्रीमन्, जो यह संशोधन रखा गया है, अगर यह स्वीकार कर लिया जाय तो अधिकार प्राप्त की बात आ जाती है, लेकिन इस विधेयक का यह उद्देश्य हर्गिज नहीं है। जो नये अधिकार दिये जा रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिये यह विधेयक पेश किया गया है। जो काश्तकार काबिज हैं, मौरूसी या गैर मौरूसी, वह बेदखल नहीं हो सकेंगे। इस विधेयक का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है यानी इससे उनके जो अधिकार हैं उनकी रक्षा हो सके। कोई विशेष अधिकार प्राप्ति कराने के लिये यह विधेयक नहीं लाया गया है, क्योंकि इसमें किसी नई जमीन की बात नहीं रखी गयी है और न किसी और अधिकार का उल्लेख किया गया है। न इस भवन ने कोई वितरण की समस्या को ही स्वीकार किया है कि किस से ली जाय या किसको दी जाय, अधिकार प्राप्त की बात नहीं आई है। शुरू से आखीर तक इस विधेयक पर जो विचार हुआ है और जितनी धारायें मन्जूर हुई हैं, उनमें जमीन के अधिकार प्राप्त कराने की बात नहीं आई है। इस लिये मैं यह समझता हूं कि यह अनावश्यक है और नियमानुसार इसको स्वीकार नहीं होना चाहिए कि यहां पर रखा जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, सभासचिव ने बहुत जल्दी की। मैं तो खुद भी ही इस बात को समझा रहा था कि प्राप्ति शब्द किस प्रकार आना चाहिए। मैं आपकी आज्ञा से यह बतलाना चाहता हूं कि उन्होंने यह कहा कि कहीं पर विधेयक में अधिकार प्राप्ति की बात नहीं आई है, लेकिन अगर वे इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि "प्राप्ति" शब्द इसमें आया है। मैं आपका और सभासचिव जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--आप इसको कहां पर रखना चाहते हैं। आप इसको शायद यहां पर रखना चाहते हैं कि जौनसार बावर भौमिक अधिकार प्राप्ति सुरक्षा तथा भौमिक अभिलेख विधेयक।

श्री नारायणदत्त तिवारी--जी हां, मैं भौमिक अधिकार प्राप्ति .... इस तरह रखना चाहता हूं। मैं माननीय सभासचिव जी का ध्यान धारा ७ की उपधारा (२) की तरफ

दिलाना चाहता हूं, जहां पर उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि यदि इस धारा के अन्तर्गत विवाद जांच करते समय स्पेशल रेकार्ड आफिसर अपने को सन्तोषप्रद ढंग से यह निर्णय करने में असमर्थ हो कि किस पक्ष का कब्जा है तो वह सरकारी तौर से जांच करेगा कि कौनसा व्यक्ति सम्पत्ति का सबसे अधिक हकदार है और ऐसे व्यक्ति को कब्जा दिला देगा। "कब्जा" उर्दू में है और 'प्राप्ति' उसी का हिन्दी में है और अगर केवल बेदखली रोकने की बात होती तो कब्जे का सवाल ही नहीं था। मान लीजिए कि किसी का कब्जा नहीं है और कोई विवाद है और विवाद में उसका कब्जा नहीं है तब ऐसी हालत में कब्जा दिलाया जायगा। अगर कब्जा है तो कब्जा दिलाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसमें कब्जा दिलाने के लिये स्पष्ट लिखा है इसके अलावा अभी थोड़ी देर हुई माननीय सभासचिव ने कहा था कि कब्जा दिला देगा, कई बार ऐसा कहा था। तो यह "प्राप्ति" कब्जे का ही हिन्दी है। तो माननीय सभासचिव का जो कहना है कि यह केवल सुरक्षा है तो यह केवल सुरक्षा ही नहीं है, बल्कि अगर किसी का कब्जा छीना गया है तो उसको कब्जा दिलाया जायगा। और जिसका कब्जा नहीं है उसको भी दिलाया जायगा। जब माननीय सभासचिव इसको स्वीकार कर चुके हैं तो अधिकार के बाद "प्राप्ति" शब्द जोड़ना आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष——जो वैधानिक आपत्ति पेश की गई है मैं उसको उचित नहीं समझता हूं, क्योंकि कोई नया अधिकार प्राप्त हो ऐसा शब्द नहीं जोड़ा है। उन्होंने भौमिक अधिकार "प्राप्ति" जो रखना चाहा है वह किसी चीज की प्राप्ति नहीं है। उसकी प्राप्ति अगर देखें तो वह सुरक्षा के अन्दर आ सकती है। यह रिन्डन्डेन्ट हो सकता है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि यह स्कोप के बाहर है। जो अर्थ माननीय राजस्व मन्त्री जी सुरक्षा का करते हैं, उसमें वह "प्राप्ति" शब्द लगाकर और भी स्पष्ट करना चाहते हैं। इसी दृष्टि से वह पेश कर रहे हैं। उनकी भी कोई नये अधिकार प्राप्ति की मन्शा नहीं है। जो अधिकार है उसी की प्राप्ति करा देना, वह जोड़ना चाहते हैं। इसलिये मैं इसको अनियमित नहीं समझता हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी——मैं अपना तर्क कर चुका हूं कि इसी बिल में एक स्थान पर हमने कब्जा दिलाने की बात रखी है और बेदखली के मुकाबिले में कब्जा दिलाना एक अलग चीज है। मैंने दफा ७ की उपधारा (२) में जैसे कि अभी बताया था। इसलिये मैं आवश्यक समझता हूं कि इस विधेयक के पूरे नाम, प्रस्तावना और शीर्षक में शब्द "प्राप्ति" बढ़ा दिया जाय ताकि यह साफ हो जाय। आशा है माननीय मन्त्री महोदय इसे स्वीकार करेंगे।

माल मन्त्री (श्री चरण सिंह)——अध्यक्ष महोदय, किसी भी विधेयक या अधिनियम के नाम ऐसे शब्दों से रखे जाते हैं, जिससे उसका मुख्य उद्देश्य प्रगट हो जाय। उनका यह कहना कि जितनी धारायें इसके अन्दर हैं उन सबका आशय शीर्षक से प्रकट हो जाय, यह जरा कठिन है। मिसाल के तौर पर जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम में एक धारा है, जिसके अनुसार कानून शफा के अनुसार सूबे में जितनी नालिशें थीं, वह सब खत्म हो गयीं और आगे के लिये वह कानून खत्म कर दिया गया, लेकिन जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम से वह आइडिया जाहिर नहीं होता कि इसमें कानून शफा भी खत्म हो रहा है। इसी तरह से इस अधिनियम के मातहत लैन्ड यूटिलाइजेशन ऐक्ट भी खत्म हो रहा है और वह बात भी इस जमींदारी अधिनियम के नाम से जाहिर नहीं होती। असिल मन्शा यह है कि जो गैर मौरूसी और सेवा के बदले में काबिज लोग हैं उनकी सिक्योरिटी मुकम्मिल कर दी जाय और वह बेदखल न हो सकें। उनके क्या हकूक होंगे, इसका जिक्र इसमें नहीं है और आगे क्या हकूक होंगे इसका भी जिक्र इसमें नहीं है। अभी मेरे माननीय मित्र तिवारी जी ने जो दफा ७ का जिक्र किया, उसमें तो यह है कि जितने कब्जे साफ हैं, उनकी इन्ट्री कर दी जाय।

जहां कब्जा डिस्प्यूटेड है टाइटिल की सरसरी इन्क्वायरी करा कर कब्जा दिला देगा। और जिसका कब्जा क्लीयर है उसको तो कोई नया कब्जा दिलाना नहीं है, उसका तो कब्जा है ही। दूसरी बात यह कि उसका कब्जा दिलाना भी फाइनल नहीं

[श्री चरण सिंह]

हैं क्योंकि उसी के उपखंड (३) में लिखा हुआ है "उसके अन्दर अगर टाइटिल के बिना पर उसने कब्जा दिलाया है तो वह सिविल कोर्ट में डिस्प्यूट कर सकता है । इसलिये नया राइट देने का उसमें भी सवाल नहीं है । इसलिये मैं समझता हूं कि यह बिलकुल गैर जरूरी है। यह १०–१५ क्लाज का एक बिल है, जिसके लिये आप चाहते हैं कि बहुत बड़े वाक्य का नाम हो जाय । यह बिलकुल रिडेन्डेन्ट है जो आपने फरमाया है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--श्रीमन्, मैं तो समझता था कि माननीय सभा-सचिव ने जो पहले कहा था कि हम हर हालत में कब्जा दिला देंगे, उस चीज के बारे में भी कुछ कहते, लेकिन जो कुछ माननीय मंत्री जी ने कहा वह मेरी समझ के बाहर है। उन्होंने कहा कि यह कहीं नहीं लिखा है कि जब डिस्प्यूट होगा, विवाद होगा, तब हम उसको कब्जा दिला देंगे। इसके अन्दर कब्जा दिलाने की बात ही नहीं आयी। लेकिन मैं एक प्रश्न माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं। मान लीजिये किसी व्यक्ति का कब्जा पहले से चला आ रहा है और जब रेकर्ड आफिसर के पास वह पहुंचा रेकर्ड बनाने के लिये, तो वहां दो व्यक्तियों में विवाद खड़ा हो गया 'ए' के कब्जे में जमीन है लेकिन 'बी' ने विवाद खड़ा कर दिया और बाद में जांच करके रेकर्ड आफिसर ने मालूम किया कि वास्तव में यह 'ए' की जमीन नहीं है बल्कि 'बी' की ही जमीन है और उसे कब्जा दिला दिया। तो क्या इस धारा के अनुसार रेकर्ड आफिसर 'बी' को कब्जा नहीं दिलायेगा ? इस तरह के सैकड़ों और हजारों केस आयेंगे, क्योंकि रेकर्ड का इन्दराज आप वहां पहली बार करने जा रहे हैं। तो श्रीमान्, काश्तकारों के लिये धारा ४ और धारा ७ सबसे महत्वपूर्ण धारा इस विधेयक के अन्दर है। माननीय मंत्रीजी कहते हैं कि विधेयक का उद्देश्य एक तो बदखली को रोकना है और दूसरा ठीक इन्दराज करके कब्जा दिलाना है। तो फिर मैं माननीय मंत्रीजी के सामने यह समस्या रखता हूं कि मान लीजिये कि 'ए' का कब्जा है और 'बी' को कब्जा मिलता है तो क्या इस धारा के अनुसार वह प्राप्ति नहीं मानी जायगी ? श्रीमान् माननीय मंत्री ने दलील तो काफी सुन्दर दी, लेकिन वे इस धारा की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। इसलिये मैं फिर उनसे निवेदन करता हूं कि वे मेरे संशोधन को स्वीकार करें।

श्री चरण सिंह--अगर 'ए' का कब्जा है तो 'बी' को कबजा नहीं दिलायेंगे बल्कि 'ए' का कब्जा इन्दराज कर देंगे। अगर वह डिस्प्यूटेड है और तय नहीं कर पाते हैं कि कब्जा 'ए' का है या 'बी' का है तो टाइटिल की इनक्वायरी करा कर उसका कब्जा दिला देंगे। मैं इन चीजों की ज्यादा व्याख्या करके सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि यदि मैं शाम तक भी इसकी व्याख्या करता रहूं तो भी कोई नतीजा निकलेगा नहीं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १ के उपखंड (१) की प्रथम पंक्ति के शब्द "अधिकार" के उपरान्त शब्द "प्राप्ति" बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १ इस विधेयक का अंश माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक तथा प्रस्तावना

जौनसार बावर भौमिक अधिकार सुरक्षा तथा भौमिक अभिलेख विधेयक, १९५२

देहरादून जिले के परगना जौनसार बावर में भौमिक अधिकारों की सुरक्षा तथा भौमिक अभिलेखों (land records) को तैयार करने की व्यवस्था का--

विधेयक

यह आवश्यक है कि देहरादून जिले के परगना जौनसार बावर में भौमिक अधिकारों की सुरक्षा तथा भौमिक अभिलेखों को तैयार करने की व्यवस्था की जाय ।

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

श्री अध्यक्ष--प्रस्तावना और शीर्षक में जो संशोधन हैं वे उसी प्रकार के हैं जो अब अवैधानिक हो गये हैं क्योंकि एक सिद्धान्त तय हो चुका है ।

प्रश्न यह है कि प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चरण सिंह--मैं प्रस्ताव करता हूं कि जौनसार बावर सुरक्षा तथा भौमिक अभिलेख विधेयक, १९५२ जैसा कि इस विधान सभा द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष--(श्री नारायणदत्त तिवारी से) आप अपना भाषण, जो संशोधन हुए हैं, केवल उनके परिणाम, उनका फल क्या हुआ उसी तक सीमित रखेंगे ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, मैं पहले आपका ध्यान नियम ११८ के उपनियम २ की ओर दिलाना चाहता हूं और आप से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आज यह विधेयक पारित न किया जाय ।

"If an amendment is made in the Bill, any member may object to a motion being made on the same day that the Bill be passed, and such objection shall prevail unless the Speaker allows the motion to be made".

[यदि विधेयक में कोई संशोधन हुआ हो तो कोई भी सदस्य इस प्रस्ताव के कि विधेयक पारित किया जाय उसी दिन लिये जाने पर आपत्ति कर सकता है, और ऐसी आपत्ति मान्य होगी जब तक कि अध्यक्ष इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुज्ञा न दे दे ।]

तो श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि यह विधेयक पारित न हो क्योंकि हमें संशोधनों पर सोचने का मौका दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि यह जो आपने आपत्ति की है जिस तरह से तीन-चार रोज गौर हुआ उसमें काफी विचार करने का समय आपको मिला। जो परिवर्तन हुए हैं, जो संशोधन भी हुए हैं वह अधिकतर शाब्दिक ही हुए हैं । उन पर और अधिक विचार करने के लिए माननीय नारायण दत्त जी ऐसे विद्वान् के लिये तो मैं समझता हूं कि समय की जरूरत नहीं मालूम होती ।

इसलिए मैं उनकी आपत्ति को महत्व नहीं देता और इसकी इजाजत देता हूं कि इसकी तीसरी रीडिंग, तीसरा जो पढ़ना है वह आज ही हो जाय ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मैंने तो इजाजत मांगी थी।

श्री अध्यक्ष--आपने तो आपत्ति की थी।

श्री नारायणदत्त तिवारी--जी हां।

श्री अध्यक्ष--मैंने उसको स्वीकार नहीं किया ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--श्रीमन्, जैसा विधेयक अभी विधान सभा ने पारित किया है उसमें दो बहुत ही ऐसे महत्वपूर्ण संशोधन मान लिये गये हैं जो कि सारे विधेयक के क्षेत्र को ही कुरूप बना देते हैं और वह संशोधन धारा ४ में हुए है। वह इस प्रकार हैं कि जहां पर "३ वर्ष से अधिक अवधि के लिये अथवा किसी शिकमी

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

के पास किसी भाग के रहने से तीन वर्ष के भीतर" यह जो सब निकाल दिया जायगा इससे वहां पर बहुत ही अनर्थ होने वाला है। चूंकि जैसा कि मैंने कहा मैं दोहराना तो नहीं चाहता लेकिन इस संशोधन को जो मान लिया गया इसके महत्व को देखते हुए उसकी ओर ध्यान दिलाना बहुत ही आवश्यक मालूम होता है। चूंकि वहां के कोल्टा और बाजगियों को और वहां की पिछड़ी हुई जाति के लोगों की हमेशा से मांग रही है कि जो भूमि हमारे पास पट्टे पर है, जिस पर हम शिकमी के रूप में काबिज हैं, उस जमीन पर हमको दखीलकार काश्तकार के आकुपेंसी टेनेंट के अधिकार दिये जायं। तो जबकि पहले हमने इस बात को माना था कि तीन वर्ष तक उनको शिकमी रहने का मौका दिया जाय और हमने यह भी मौका दिया था कि ३ वर्ष के भीतर कोई सबलेट न कर सके जबकि एक बार पहले सबलेटिंग हो चुका है तो यह जो इतनी महत्वपूर्ण धारा रखी थी उसको इस संशोधन के द्वारा रोक दिया गया। इसका नतीजा क्या होगा ? यह होगा कि सारे विधेयक को दृष्टि में रखते हुए वहां जितने भी शिकमी के रूप में काश्त करने वाले हैं जबकि हमने उनको काश्तकार की परिभाषा में नहीं रखा, परिभाषा में केवल मौरूसी काश्तकार और गैर-मौरूसी काश्तकार रखा है केवल ऐसे काश्तकार जो सेवाभाव से काम करने वाले हैं रखा है और पट्टेदार के रूप में जो शिकमी हैं उनको नहीं रखा है, इसका नतीजा होगा कि वहां सैकड़ों बेदखलियां इस विधेयक के लागू होने के बाद शुरू हो जायंगी। क्योंकि हमन उनको कोई अधिकार नहीं दिया। पट्टेदार जो शिकमी हैं उनको काश्तकार नहीं माना। धारा २ (ड.) में मौजूद है धारा ४ के अनुसार उनको अधिकार भी नहीं दिया तो क्या होगा ? जो बेदखलियां माननीय मंत्री जी रोकना चाहते हैं वह फिर शुरू हो जायंगी और साथ ही साथ जहां पर सन् ५० का रेगूलेशन लागू था, जिसके अनुसार भूमि जोतने वाले जिनमें कि शिकमी भी आते हैं, जिनमें कि पट्टा देने वाले जमीन लेने वाले भी आते हैं, जोकि सन् ५० के रेगुलेशन के अनुसार काबिज थे, जिनकी बेदखलियां रुकी हुई थीं उस रेगुलेशन के गैरकानूनी होने के बाद वह बेदखलियां शुरू हो जायंगी। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी भी ऐसा नहीं कहेंगे कि इस विधेयक के लागू होने के बाद भी वह रेगुलेशन लागू रहता है। तो इस विधेयक के लागू होने पर जैसे ही वह रेगुलेशन खत्म हुआ वैसे ही शिकमी काश्तकार जिन्होंने सबलीज के रूप में भूमि ले रखी थी उनका स्वत्व भी समाप्त हो जायगा। तो इस बिल में यह जो संशोधन माना गया है मैं समझता हूं कि उससे जो कुछ भी हमारी मंशा है वह खत्म हो जाती है। माननीय मंत्री कहेंगे कि हम तो वहां जमींदारी खत्म करने जा रहे हैं आप छोटे-मोटे संशोधन की बात करते हैं। कल भी उन्होंने यह कहा कि हम जब वहां जमींदारी खत्म कर रहे हैं तो तीन वर्ष का अरसा क्यों रखें ? उन्होंने कहा कि जब जमींदारी विनाश करने ही जा रहे हैं तो इसको रखने में क्या आपत्ति है ? मैं कहता हूं कि जमींदारी विनाश विधेयक तो अभी आ नहीं रहा है। उसके आने में चार-छः महीने लगेंगे और इस काल में मुझे भय है कि इस संशोधन के द्वारा बड़ा अहित होने जा रहा है और इस प्रकार के काश्तकारों की बेदखली हो जाने की सम्भावना है और कोल्टा और बाजगी, जिनके पास आज तक कोई भूमि नहीं, वह शिकमी पर जमीन ले लेते थे और मौरूसी तथा गैर-मौरूसी काश्तकार उनको शिकमी पर जमीन उठा देते थे, अब इस संशोधन के स्वीकार होन के बाद वे बेदखल हो जायंगे और जौनसार बावर में भूमिहीनों की संख्या बढ़ने वाली है। इस प्रकार इस प्रदेश में भूमिहीनों की समस्या जो इतनी जटिल है वह और भी जटिल हो जायगी। मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता। केवल इतना कहना चाहता हूं कि जब शिकमी पर जमीन जोतने को नहीं मिलेगी तो इससे भूमिहीनों की संख्या में और वृद्धि होगी।

इस कमेटी की रिपोर्ट मे इस बात को बिलकुल साफ कर दिया गया है कि कम से कम थोड़ी शिकमी देने का मौका जरूर उनको मिलना चाहिए ।

"No tenant shall submit the whole or any part of his holding for a term exceeding one year and shall not again submit the whole or any portion of his holding within two years of expiry of the sub-lease"

[कोई भी असामी अपनी पूरी जोत या उसके किसी भाग को एक साल से अधिक समय के लिए न देगा और शिकमी पट्टे की समाप्ति के उपरान्त दो वर्ष के भीतर अपनी पूरी जोत या उसके किसी भाग को न देगा ।]

तो पुरानी कमेटी की रिपोर्ट मे भी कोल्टा और बाजगी आदि गरीबों की हालत देखते हुए एक और दो साल का प्रतिबन्ध किया । इस विधेयक मे भी रखा गया था, लेकिन पीछे हटा दिया गया ।

दूसरी आपत्ति जो धारा ४ की उपधारा (२) मे जहां माइनर का सवाल आया जिसका पिता मर गया हो उसके बाद संशोधन माना गया कि अगर कोई रेकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन का विद्यार्थी है तो २५ वर्ष तक माइनर माना जायगा । जो दूसरा संशोधन स्वीकार किया गया उसके बारे मे मैं आपसे क्या कहूं, वह सारे विधेयक की हत्या कर देता है । तो इसके मानी यह है कि जो भी विद्यार्थी होगा किसी रेकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन का उसके नाम जमीन चढ़ने लगेगी । बहुत से लोग ऐसा करने लगेंगे कि जब वह माइनर की परिभाषा मे आ गया तो हर विद्यार्थी माइनर हो गया, यदि वह किसी रेकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट मे पढ़ता है और २५ वर्ष तक माइनर रहे, ऐसी परिभाषा तो संसार के इतिहास मे और कहीं हुई नहीं ।

श्री अध्यक्ष—माइनर (minor) की कोई परिभाषा तो की नहीं गयी है । यह आप गलत कह रहे हैं । वह तो अलग से है । विद्यार्थी को अलग से अधिकार दिया गया है । वयस्क को अधिकार दिये गये हैं और उन अधिकारों के लिये कहा है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—उन्हीं अधिकारों के बारे मे मैं कह रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष—मैं जरा संशोधन को स्पष्ट कर दूं । शायद आप इस भ्रम मे होंगे कि माइनर जिसका पिता मर गया है उसी के साथ यह जोड़ दिया गया है । यह उसके साथ जोड़ा नहीं गया है, लेकिन २–ए करके एक दूसरा क्लाज जोड़ा गया है, जिसमें २५ वर्ष का विद्यार्थी हो, वह वयस्क तो होगा लेकिन अगर पढ़ता हो तो उसको भी अधिकार दिये गये है कि वह सब्लेट करे ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—तो श्रीमन्, मान लिया कि माइनर की परिभाषा नहीं है । मुमकिन है जो छपा हुआ था आया नहीं, इसलिय गलती हो गई है, लेकिन इस प्रकार विद्यार्थियों को अधिकार देना पहले ही से जो गड़बड़ी दस्तूरूल अमल मे है उसमें एक वृद्धि कर देना है । वहां के रिवाज बहुत पेचीदा पहले से है, उनकी पेचीदगियों को खत्म करना आवश्यक था । अब उसमे एक पेचीदगी और विद्यार्थियों की जोड़ दी गई है और यह मैं समझता हूं कि किसी प्रकार वहां की परम्पराओं को देखते हुये श्रेयस्कर नहीं है और इससे वहां की जनता का अहित ही होगा और आपसी झगड़े और फिसाद बढेंगे । मान लीजिये एक परिवार के चार विद्यार्थी है अब चारों उसमे हिस्सा ले सकेंगे या थोड़ी देर के लिये मान लीजिये एक ने शिकमी पर दे दिया और दूसरे ने एतराज कर दिया तो इससे झगड़े बढ़ने की उम्मीद है । और इससे जो इसका अन्तिम लक्ष्य है उसमे गड़बड़ी पड़ेगी । इतना कहकर मैं आपकी आज्ञा से सदन से निवेदन करूंगा कि इन दोनों संशोधनों के महत्व पर विचार करें कि यह वहां तक उचित और मुनासिब है और कहां तक उद्देश्य और कारणों और लक्ष्य मे उससे फर्क पड़ता है ।

श्री चरण सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय तिवारी जी ने दो एतराज किये हैं कि उन संशोधनों की वजह से बिल पेचीदा हुआ है और बजाय फायदे के वहां के किसानों का अहित होगा। उनमें से पहला तो यह कि जिसपर उन्होंने बहुत बड़ा बल दिया है कि आगे काश्तकारों को शिकमियों को उठाने का अधिकार, जिसे पहले विधेयक में रखा गया था, अब निकाल लिया गया है। तो पेशतर इसके कि मैं तफसील से जवाब दूं कि उससे नुकसान नहीं होने वाला है न कोई बेदखली होगी, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से कल जो मैंने कहा था वह दोहराना चाहता हूं। परसों शाम जब कि सदन उठ चुका था तो सोशलिस्ट पार्टी के एक माननीय सदस्य ने मुझसे यह कहा कि क्या वाकई सरकार का इरादा जमींदारी वहां से खत्म करने का है। मैंने कहा, हां है। उन्होंने कहा मालूम तो नहीं होता। मैंने पूछा क्यों? तो उन्होंने कहा कि इसलिये कि तीन साल तक हर एक आदमी को शिकमी देने का हक दे रहे हैं। खंड ४ में परसों खंड तीन तक हुआ था। हमने कहा कि बेशक हमारा इरादा है और हम जमींदारी खत्म करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि फिर तीन साल तक रखना बेकार है। मुझको उनकी दलील उचित मालूम पड़ी और इसलिये मैंने कल अपनी पार्टी के एक माननीय सदस्य से कहा कि आप इस तरह का संशोधन भेज दें। उन्होंने भेज दिया और मैंने स्वीकार कर लिया। तो अगर मैं स्वीकार न करता और इस तरह का संशोधन न करता तो बराबर दलील दी जाती कि जब तीन साल तक शिकमी उठाने का अधिकार दे रहे हो तो फिर कैसे उम्मीद की जाय कि जमींदारी खत्म करने का इरादा है। तो इसलिये मैंने यह अमेंडमेंट पेश करवाया और स्वीकार किया। अब यह प्रतिक्रियावादी है या नहीं है यह मैं इसी पर छोड़े देता हूं कि कहां से सजेशन आया और मैंने कैसे एक्सेप्ट किया। एक तो यह बात है।

दूसरी बात यह है कि क्या काश्तकारों को यह अधिकार रहे कि वह काश्तकारों को शिकमी पर जमीन देते रहें? क्या यह समाजवादी सिद्धान्तों के अनुसार है? क्या यह एक्सप्लायटेशन नहीं है? जमींदारी हमने क्यों खत्म कर दी है? इसी लिये कि जमींदार खुद खेती न करके दूसरों से खेती करवाते थे और उनकी मेहनत का कुछ हिस्सा बांट लेते थे। यही एक्सप्लायटेशन है। तो जब जमींदार जबकि जमीन का मालिक था और जिससे चाहे अपना खून पसीना करके उस जमीन को खरीदा हो, उसका हक मिल्कियत इसलिये ले लिया गया चूंकि वह दूसरों से खेती करवाता था, तो वह काश्तकार जो खुद मालिक नहीं है और जो मालिक से जमीन काश्त करने के लिये लेता है और फिर स्वयं काश्त न करके दूसरों को उठा देता है, तो क्या मैं मुखालिफत बेन्चों से पूछ सकता हूं कि वह एक्सप्लाइटर नहीं है? वह एक्सप्लाइटर है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—पुराने शिकमियों का क्या होगा, यह मैं जानना चाहता हूं?

श्री चरण सिंह—वह दूसरा सवाल है। केवल देखना यह है कि जिस तरह जमींदार दूसरों से लगान लेता है उसी तरह अगर कोई शख्स काश्तकारी के लिये जमीन लेकर खुद मेहनत न करके दूसरों से खेती करवा कर उनकी मेहनत का हिस्सा बटवाये तो क्या वह शोषक नहीं है? हां, वह शोषक है और इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं। फिर भी इधर से यह कहा जाता है कि लीजिए इस तरह का संशोधन कर दिया गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मेरी बुद्धि नहीं काम कर रही है कि आखिर माने क्या हैं? क्या चीज है प्रतिक्रियावादी और क्या चीज है प्रगतिशील? रोज आप जिन चीजों को कहते हैं, वही चीजें जब हम करते हैं तब वे प्रतिक्रियावादी हो जाती हैं। यह रही उसूल की बात।

अब रही एजेक्टमेंट की बात। क्यों होगा एजेक्टमेंट? एजेक्टमेंट नहीं होगा। जैसा मैंने कल कहा था कि जो पहिले के सब्लीज हैं वे जायज हैं क्योंकि यह आगे से लागू होगा, रिट्रास्पेक्टिव एफेक्ट से नहीं होगा। "अनलेस इट इज सेड एक्सप्रेसली ऐन्ड डेफिनिटली" जब

तक हम साफ न कहे कि उसका रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट हो तब तक वही होगा जैसा कि सब कानूनों के संबन्ध में होता है कि जिस रोज गजट में वे प्रकाशित होने हैं उस दिन से वे लागू होते हैं। लिहाजा पहिले के जो सबलीज हैं वे जायज हैं और जो पहिले के सब स्टेनण्ट्स हैं वे बेदखल नहीं होंगे। अगर कोई ऐसी त्रुटि कानून में हो तो मैं जानना चाहूंगा, अगर न हो तो फिर कल जो बात कही गयी थी और जिसका जवाब मैंने दे दिया था वही फिर दोहरा देता हूं कि एक आदमी भी बेदखल नहीं होगा।

फिर कहा गया कि सन् १९४९ का जो रेग्यूलेशन है वह इससे खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया? सन् १९४९ का रेग्युलेशन यह था कि जिन किसानों का कब्जा तीन साल या तीन साल से अधिक हो वे किसी सूरत में बेदखल नहीं होंगे। वे अब भी नहीं बेदखल होंगे। अब तो हमने यह कर दिया कि जिनका कब्जा एक साल से भी होगा वे भी नहीं बेदखल होंगे और जिनका नाम रिकर्ड में दर्ज है वे भी नहीं बेदखल होंगे। तो कैसे वह रेग्यूलेशन मंसूख हो गया?

फिर यह बात कही गयी कि आगे किसी आदमी को जमीन नहीं मिलेगी। ठीक है, किसी आदमी को जमीन मिले या न मिले, मान लो कि न मिले तो उससे तादाद भूमिहीनों की कैसे बढ़ जायेगी? जितने आज भूमिहीन हैं उतने ही रहे। फिर यह कि जमीन नहीं मिलेगी, ऐसा कहां है? जमींदार काश्तकार को अपनी जमीन उठा सकते हैं और जो असमर्थ काश्तकार हैं वह शिकमी पर जमीन दे सकते हैं। तो इस दलील में भी कोई बल नहीं है। फिर वही लाल किताब आपने उठा ली। सफा १२७ पर एक प्रोप्रोजल है नम्बर ७६ कि इस तरह का रूल बना दिया जाय कि आगे को एक साल तक शिकमी पर उठा सकेगा काश्तकार दो-दो साल का बीच में वक्फा देकर।

हमने अपने विधेयक में रखा था कि तीन साल में उठा सकेंगे और तीन-तीन साल का वक्फा देकर। लेकिन अध्यक्ष महोदय, हमारे साथी भूल जाते हैं कि किस धारा के मातहत यह सजेशन है कि जमींदारी कायम रहे। हमने जमींदारी खत्म की है तो आगे को हमने सबलेटिंग बन्द किया हुआ है। इसमें हमने कहा है कि एबिल बौडीड के होते हुए वह अपनी जमीन नहीं उठा सकेंगे, मगर जो नाकाबिल खेती करने के अयोग्य हैं वह उठा सकेंगे। लेकिन हमारे साथी भूल जाते हैं कि हम कहां जा रहे हैं। कहा यह जाता है जो पहले की किताब पढ़कर सुनाया करते हैं वे रिएक्शनरी होते हैं। जो किताबें उन्होंने पढ़ी हैं उनमें लिखा हुआ है कि .. ..

श्री अध्यक्ष—वह दूसरी किताब आपसे चाहते हैं।

श्री चरण सिंह—लेकिन पुरानी किताबों के बारे में यह है कि जितना जमाना बीतता जाता है उतनी ही उनकी सैंकटिटी हो जाती है, उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। एक कमेटी की रिपोर्ट लिखी हुई है, जिसमें कांग्रेस के लोग थे भी नहीं। वह एक अंग्रेज की रिपोर्ट लिखी हुई है जो दस साल पुरानी है। उसकी सैंक्टिटी आपके लिये इतनी हो गयी है। आप भूल गये हैं कि कहां बैठे और क्या बात है, देश आजाद हो गया है, लेकिन फिर भी आप वही बातें करते हैं। फिर आपने यह कहा कि स्टूडेण्ट को तो इजाजत मिल गयी। अध्यक्ष महोदय, आपने मेरा बहुत काम हल्का कर दिया है उसके लिये मैं आपका आभारी हूं, लेकिन मुझे माफ करेंगे यदि मैं यह कहूं कि आपकी मेहनत बेकार गयी। वह इस बात को कि दो और दो चार होते हैं मानने के लिये तैयार ही नहीं हैं।

पहली बात यह है कि यह कहा गया कि दुनिया भर में यह चीज कहीं भी नहीं है। महाराज जमींदारी अबालिशन ऐक्ट की दफा ५३ में ही ऐसा है। आप दूर क्यों जाते हैं। उसमें लिखा है कि जो शख्स २५ साल तक का पढ़ता होगा वह अपनी जमीन उठा सकता है इसमें एडीशनल बात रखी गयी है। यह नहीं है कि जो विद्यार्थी है उसका बाप जिन्दा है और वह नाबालिग है तो उठा सकेगा। यदि बाप जिन्दा है चाहे वह विद्यार्थी हो या न हो जमीन लगान पर नहीं उठा सकता है। इसमें हमने लफ्ज माइनर नहीं रखा है बल्कि "परसन" रखा

[श्री चरण सिंह]

है। अगर वह विद्यार्थी है तो २५ साल की उम्र तक अपनी जमीन उठा सकता है। वह एडीशनल बात है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यही पांच बातें कही गई थीं उनका मैंने क्रमशः जवाब दे दिया है। अब मैं ऐसी भूल करने वाला नहीं हूं कि मैं दरख्वास्त करूं। वह समझे या न समझें बेकार है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि जौनसार बावर भौमिक अधिकार सुरक्षा तथा भौमिक अभिलेख विधेयक, १९५२ जैसा कि वह इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५२

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)--मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५२ पर विचार किया जाय।

यह अधिनियम, जिसको संशोधन के उद्देश्य से मैंने २ दिसम्बर को पेश किया था और जिस पर विचार करने के लिये मैंने अभी प्रस्ताव किया है, पास हुए तकरीबन दो साल होने को आये। २४ जनवरी, १९५१ को यह पास हुआ था। यह अधिनियम बहुत क्रान्तिकारी था और इसका असर बहुत दूर तक पड़ा है। हमारे समाज की आधारशिला अब तक जमींदारी रही है। जमींदारी को मान कर हमारे बहुत से क्वानीन बने, बहुत से जाब्ता बने, और बहुत सी हमारी मान्यतायें कायम हो गई हैं। तो पुराना समाज, जिसको कि हम आजतक जानते रहे हैं और जिसमें पल कर बड़े हुए हैं वह एकदम खत्म हो गया है और खत्म किये जाने के प्रोसेस में है। तो जो इतना क्रान्तिकारी अधिनियम हो उसमें किसी भी आदमी के लिये यह कह सकना नामुमकिन है, किसी भी व्यक्ति के लिये और किसी भी सभा या विधान मंडल के लिये कि जो हम बात करने जा रहे हैं वह अटल हो गयी है और उसमें कोई भ्रांति नहीं है और अब संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी। दुनिया में कदाचित ही कोई कानून हो, मैं तो कहता हूं मामूली से मामूली कानून हो जिसमें संशोधन की आवश्यकता न पड़ती हो। हमारे देश में अब तक इंडियन पेनल कोड और इन्डियन एविडेन्स ऐक्ट, जिसमें से एक १८६० में और दूसरा १८७०-७१ में पास हुआ था, ये कानून ऐसे माने जाते हैं जो ड्राफ्टिंग और लीगल इंटलिजेन्स के लिहाज से मिसाल हैं लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, इन दो मास्टर माइण्ड्स के बने हुए कानूनों में भी तजुर्बे ने बतलाया कि संशोधन की आवश्यकता है लिहाजा उनमें संशोधन हुए। यह अधिनियम जिसको मैंने आपकी इजाजत से हाउस में जिक्र किया था यों तो हर मामूली से मामूली क्वानीन में परिवर्तन की आवश्यकता होती है, इसका असर बहुत दूर तक जाने वाला है, बहुत लोगों पर असर डालने वाला है और पिछले विधान मंडल, जिसने इसको पारित किया था, उसके सदस्य यह जानते तो थे कि इसका असर फार रीचिंग है लेकिन तफसील में क्या क्या असर होंगे उनके डिटेल्स, उनके कंटम्प्लेशन इमेजिनेशन में भी नहीं आ सकते थे क्योंकि जैसा मैंने कहा हमारे सारे स्टैन्डर्स पुराने नक्शे में ढले हुए हैं, इसका असर कहां कहां जा कर पड़ेगा एक मामूली इन्सान के लिये कहना मुश्किल है। इसलिये मैंने जो यह विधेयक पेश किया है, जो खामियां, जो त्रुटियां गवर्नमेंट को, दूसरे लोगों, वकला, राज कर्मचारियों को उसके इम्पलीमेंटेशन में जाहिर हुईं उन पर विचार करके यह विधेयक लाया गया है।

*२ दिसम्बर, १९५२ की कार्यवाही में छपा है।

और मैं इस बात की गारण्टी देने के लिये तैयार नहीं हूं कि यह फाइनल है। शायद हो सकता है कि कभी जरूरत पड़े तो फिर मैं या और कोई जो इस महकमे के चार्ज में हों वह एक और संशोधन का विधेयक लाने पर मजबूर हों। इस खयाल से कि हमारे समाज का परिवर्तन हो रहा है और उस परिवर्तन को सहज और सुगम बनाने के लिये पिछले विधान मंडल ने दफा ३४२ जमींदारी उन्मूलन के मातहत और टेनेन्सी ऐक्ट और लैंड रेवेन्यू ऐक्ट में इस तरह का अख्तियार सरकार को दिया है कि एडप्टेशन आर्डर के जरिये से उसको तरमीम कर सकती है। लिहाजा अभी हम २—३ अडप्टेशन के आर्डर जारी भी कर चुके हैं। उन आर्डर्स के जरिये से जो संशोधन किये गये हैं वह संशोधन भी इस विधेयक में हैं और और भी काफी हुये हैं और जो काफी प्रभाव रखने वाले संशोधन हैं वह सब इस विधेयक के जरिये से इस विधान सभा के सामने पेश किये गये हैं। मेरा खयाल है कि सारे संशोधन करीब ४०—५० होंगे लेकिन बड़े संशोधन केवल ४—५ हैं जिनका जिक्र करना मैं जरूरी समझता हूं।

सब से बड़ा संशोधन जो इस विधेयक में माना गया है वह यह है कि दफा १९८ के मुताबिक अभी तक गांव सभा या गांव सभा की ओर से गांव पंचायत भूमि प्रबन्धक कमेटी को एक क्रम बतलाया गया है कि ऐसी भूमि जो जेरेकाश्त न हो लेकिन काबिल काश्त हों या जो जेरेकाश्त रही हों लेकिन काश्तकार के लावारिस होने की वजह से गांव सभा के अधिकार में आ गई हैं या खिलाफ कानून भूमिधर या सीरदार के जरिये से अगर पट्टे पर उठा दी गई हों कानून के जरिये जब्त होकर गांव सभा में पहुंच गई या और कोई किसी वजह से गांव सभा के अधिकार में आ गई हैं तो गांव सभा उस क्रम के अनुसार वह जमीन दूसरे लोगों को वितरित कर देगी तकसीम कर देगी। उसमें क्रम यह था कि पहले सहकारी कृषि समितियों को देगी कोआपरेटिव फार्मिंग को देगी, अगर कोई हो और अगर कोआपरेटिव फार्मिंग न हो और हो भी तो लेना न चाहती हो तो भूमिधर को देगी जो कि गांव के अन्दर हो। इसके बाद अगर कोई भूमिधर न हो तो फिर एसे आदमी को देगी जो सीरदार हो और जिसके पास १० बीघे पुख्ता या सवा छः एकड़ से कम जमीन हो और अगर ऐसा व्यक्ति न हो या लेना न चाहता हो तो भूमिहीन व्यक्ति को दी जायगी और इसके बाद पांचवे नम्बर पर किसी और को देगी। अब वह क्रम बदल दिया गया है और भूमिहीन व्यक्ति बल्कि वह भूमिहीन व्यक्ति जो खेतिहर मजदूर हो उसको दूसरे नम्बर पर रखा गया है। कोआपरेटिव फार्मिंग के बाद इसको रखा गया है और भूमिधर को चौथे नम्बर पर रखा गया है, सब के आखिर में। कोआपरेटिव फार्मिंग बहुत कम तरीके पर हुआ करती है और यह सम्भव है कि लोगों में सामूहिक तरीके से काम करने की प्रवृत्ति धीरे—धीरे जागे और फिर कोआपरेटिव फार्मिंग कायम हो जायें लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है। तो एक प्रकार से जब हमने कोआपरेटिव फार्मिंग के बाद दूसरे नम्बर पर इसको रखा है तो भूमिहीन खेतिहर मजदूरों का नम्बर १ पर ही नम्बर आता है।

तो जिस चीज का मुतालबा बहुत से लोगों की ओर से था और जिस आन्दोलन को जन्म दिया आचार्य बिनोवा भावे ने और उसके नतीजे के तौर पर जो प्रवृत्तियां समाज में जगीं और जिस अहम सवाल की ओर समाज का ध्यान गया कि भूमिहीन लोगों को जमीन का यथाशक्ति दिया जाना उसमें गवर्नमेंट जिस हदतक जो भी कुछ कर सकती थी वह उसने इस संशोधन के द्वारा किया। इस वक्त मैं ज्यादा तफसील में जाना नहीं चाहता। जब सेलेक्ट कमेटी से यह बिल की शक्ल में आयेगा तब इस पर विचार होगा और उस वक्त उस सिलसिले में कोई चीज मुझे साफ करनी होगी तो उस वक्त तफसील के साथ बतलाऊंगा।

[श्री चरण सिंह]

इस बिल में जो मुख्य संशोधन हैं उनमें दूसरा मुख्य संशोधन यह है कि जो निजी कुएं मध्यवर्तियों के थे और जो उनकी जोत या बाग के बाहर स्थित थे वह अबतक अधिनियम के मुताबिक स्टेट में वेस्ट कर गए थे । अबतक अधिनियम के मातहत पोजीशन यह है कि किसानों के कुएं लिए जाने का सवाल नहीं है और मध्यवर्ती या जमींदारों के वह कुएं उनके पास छोड़ दिए गये थे जो कि उनकी होल्डिंग में थे या उनके खाते में थे उनके बाग में बने थे। अब जमींदारों के केवल वही कुएं रह गए जो कि उनके अपने निजी थे क्योंकि पब्लिक वेल्स तो अब भी स्टेट के ही हैं और जो निजी थे और बाग या खाते में नहीं थे बल्कि उनसे थोड़ा सा बाहर वाके थे वह इस अधिनियम के मुताबिक अभी स्टेट में वेस्ट हो गए थे लेकिन हम यह जरूरी समझते हैं कि उनको भी इन्हीं मध्यवर्तियों के पास छोड़ा जाय । एक कुएं से आम तौर से ५-७ एकड़ जमीन की आबपाशी मुमकिन है और उस में आम तौर से कोई शोषण की बात नहीं होती । आम तौर से ५-७ पट्टीदार या भाईचारे के खातेदार मिलकर कुएं का इन्तजाम करते हैं और ओसरे बन्दी भी करते हैं और कभी कभी जब कुआं खाली रहता है तो दूसरे आदमियों को भी उन मध्यवर्तियों की इजाजत से अपने खेत सींचने का मौका मिल जाता है । तो अगर वह ऐसा करते हैं तो उन का नाम खसरे में लिखा होता है कि कौन-कौन खेत किस कुएं से सिंचा है । इसलिए इसकी भी कोई हानि नहीं होती । लेकिन जैसा कि मैंने कहा ऐसा भी बहुत कम होता है और ज्यादातर तो लोग अपने खेतों की आबपाशी के लिए ही कुएं बनाते हैं । इसलिए हम यही उचित समझते हैं कि वह कुएं मध्यवर्तियों के ही पास रखे जायं क्योंकि एक तो यह कि ऐसे कुओं की तादाद ज्यादा नहीं है और गांव सभा को हम देना इसलिए नहीं चाहते कि उन पर काफी बोझ पड़ चुका है और वह काफी जिम्मेदारियों से दब चुकी है तो ऐसी हालत में उनको कुवें देने से कोई खास पबलिक पर्पज सर्व नहीं होता । इसलिए उनको इन कुवों की जिम्मेदारी देना जरूरी और फायदेमन्द नहीं है । तो जो कुएं जमींदारों के बंजर वगैरह के इलाकों में हैं वह हम उन्हीं के पास छोड़ रहे हैं क्योंकि जैसा कि मैंने कहा उन को गांव सभाओं को देने से कोई पब्लिक पर्पज सर्व नहीं होता है ।

तीसरा बड़ा संशोधन यह है कि जमींदारी अधिनियम में यह था कि २५० रुपये से ज्यादा के मालगुजारी की सीर के जो गैरदखीलकार काश्तकार थे, सीरदार हो जाते थे लेकिन अगर कोई ऐसी खेवट है या खाता है कि जिसकी ३७५ रुपया मालगुजारी है और उसके मालिक दो भाई हैं जिनमें से एक २५५ रुपया और दूसरा १२० रुपया मालगुजारी देता है और वह दोनों का मुश्तर्क खाता है तो एक आदमी तो क्योंकि वह केवल एक खेवट वाले नियम से एक लैंड-होल्डर २५५ रुपए का मालगुजार है और दूसरा २५० से कम का है तो वह सारी जमीन का अधिवासी है या सीरदार है ।

२५० रुपये से कम के मालगुजार के नान-आक्यूपेंसी टेनेंट को अधिवासी और २५० रुपये से ज्यादा के मालगुजार के टेनेंट को सीरदार समझा जायगा । लेकिन कानून पर आगे विचार करने में और जमींदारी अबालिशन के सिलसिले में जो फार्म तैयार हो रहे हैं और रिकार्ड रखा जा रहा है उनके तैयार करने के सिलसिले में अफसरान के सामने जो दिक्कतें आईं उनको इन संशोधनों के द्वारा दूर करने की कोशिश की जा रही है । हिस्सा रसदी की जो जमीनें हैं उनमें २५० रुपये से ज्यादा के मालगुजार की जितनी भूमि है उस पर उस काश्तकार को मौरूसी समझा जायगा और दूसरे हिस्से पर उसको अधिवासी के अधिकार प्राप्त होंगे ।

चौथा जो बड़ा संशोधन है वह यह है कि बागदारों को एक दम भूमिधर बनाया जा रहा है । जो लोग काश्तकारों की हैसियत से काम कर रहे थे और उन्होंने उन जमीनों पर बाग लगा लिये थे वे ग्रो-होल्डर्स कहलाते थे । इनको मौजूदा अधिनियम

में सीरदार करार दिया गया था लेकिन वाकया यह है कि उनको पहिले भी ट्रान्सफर के अधिकार थे। अपने हक को मुन्तकिल करने का हक उनको हासिल था। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने भूमिधरों और सीरदारों में एक इम्तियाज रखा है। भूमिधरों को हमने ट्रान्सफर का अधिकार दिया है और हमने भूमिधर बनाया भी उन्हीं लोगों को [illegible]
पर [illegible]
टेनेंट थे लेकिन उनको ट्रान्सफर आफ राइट्स हासिल थे उनको भी भूमिधर बनाया गया इसी तरह से रेंट फ्री ग्रान्टीज को भी ट्रान्सफर का अधिकार था उसको भी भूमिधर बनाया गया। इसी प्रकार दवामी मौरूसी पट्टेदारों को भी बिना दस गुना दिये हुए भूमिधरी के अधिकार दिये गये थे। इसी प्रकार से ग्रोव-होल्डर्स को भी राइट आफ ट्रान्सफर था। उनको भी भूमिधर बनाया जाना चाहिये था लेकिन यह एक गलती रह गई थी जिसको अब ठीक किया जा रहा है।

पांचवां भी बड़ा संशोधन है वह यह है कि इस सदन के माननीय सदस्यों को याद होगा कि हम पुनर्वासन अनुदान भी दे रहे हैं लेकिन यह पुनर्वासन अनुदान १० हजार से ज्यादा मालगुजारी देने वालों को नहीं दिया जा रहा है। लेकिन जो रिलीजस एन्डाउन्मेंट्स वगैरा की जो सालाना नेट इनकम थी उसको हम गारण्टी कर रहे हैं उनकी चाहे मालगुजारी कितनी ही क्यों न हो। इससे मन्शा यह थी कि जो इस प्रकार के न्यास या ट्रस्ट हैं उनकी वह इनकम हमेशा बनी रहे मिसाल के तौर पर कायस्थ पाठशाला, इलाहाबाद की जो जायदाद है उसकी इनकम १० हजार से ज्यादा है उसको हम इसलिये कि उसकी आमदनी कम न हो जाय, उसकी इनकम की गारंटी कर रहे हैं। लिहाजा वह जो नुक्स रह गया था उस नुक्स को भी दूर किया गया और साथ ही एक धारा अधिनियम में यह है कि जो अन्तरिम प्रतिकर दिया जाय तो वह कम्पेनसेशन मे से कटेगा। तो यह व्यक्तियों के लिये तो ठीक है लेकिन अगर कोई रेलिजस प्लेस है, ट्रस्ट है, वक्फ है और उनके कम्पेनसेशन में से काट लेते हैं तो हमेशा के लिये उनकी इनकम [illegible]

शक्ल में देते हैं तो वह तो रिहैबिलिटेशन ग्रांट के तरीके पर उनकी ऐन्यूटी में से कटेगा ताकि उनका परमानेंट लास न हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, गांव समाज का जैसा कांस्टीट्यूशन हमारे अधिनियम में दिया हुआ है उस कांस्टीट्यूशन की वजह से वह भूमि जो अनकल्चरेबिल लैंड है वह स्टेट में वेस्ट हुई और वह गांव समाज में निहित हुई। उसका इन्तजाम बहुत से गांवों में अबतक नहीं हो पाया है। अध्यक्ष महोदय, दफा १४ में यह लिखा हुआ है कि गांव समाज के वे लोग मेम्बर होंगे जो वहां के निवासी हों या उस सर्किल में पाही काश्त करते हों। रहने वाले भले ही दूसरी जगह के हों लेकिन उस गांव में काश्त करते हों। गांव समाज एक प्रकार से नानफंक्शनेबिल बाडी रखा गया है इस ऐक्ट के अन्दर। उसके अन्दर गांव समाज सारा कार्य कर सकता है, गांव समाज की तरफ से गांव पंचायतें सारा कार्य करती हैं और गांव पंचायतों की ओर से लैंड मैनेजमेंट कमेटी सारा कार्य कर सकती है। अन्ततोगत्वा लैंड मनेजमेंट कमेटी हुई जो जमीन का इन्तजाम करती है। लेकिन दफा १२२ में यह लिखा हुआ है कि औसतन तीन गांव समाज पर एक गांव पंचायत होगी और उसकी एक लैंड मैनेजिंग कमेटी होगी है। अध्यक्ष महोदय, पेश्तर इसके कि मैं इस सिलसिले को जारी रखूं एक बात मैं बीच में कहना चाहता हूं कि जो मैं गांव सभा या गांव का नाम लेता हूं इसको भी जरा समझना है। हमारे यहां गांव बहुत छोटे-छोटे भी हैं। इस सूबे में करीब एक लाख ११ हजार गांव हैं जिनमें से करीब १४ हजार गांव पहाड़ों में स्थित हैं। और ९७,९८ हजार गांव मैदानी इलाकों मे स्थित हैं।

[श्री चरण सिंह]

तो पहाड़ी इलाकों में जो १३,१४ हजार गांव स्थित हैं, मैं समझता हूं कि वहां से इस कानून का कोई सम्बन्ध ही नहीं है क्योंकि वहां जमींदारी एबालिशन ऐक्ट लागू नहीं किया गया है। ९७,९८ हजार गांवों में करीब साढ़े तेरह हजार गांव ऐसे हैं जो रेवेन्यू यूनिट्स हैं। रेवेन्यू कमेटी के मुताबिक वे विलेजेज ऐसे हैं जिनके रेकर्ड्स सेपरेट हैं। साथ ही साथ ऐसे रेकर्ड्स भी तैयार कराये गये हैं वहां एक एक गांव में २० एडल्ट्स हैं और जहां कुल ४५ से लेकर ५० आदमी तक बसते हैं। यानी जहां पर करीब १० कुटुम्ब बसते हैं ऐसे गांवों की तादाद साढ़े तेरह हजार तक है। तो इन गांवों को आसपास के गांवों में मिला दिया गया है। उसकी तहकीकात करने में भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को महीनों लगे। फिर उसका नोटिफिकेशन वगैरह करने पर एक इतना बड़ा पोथा ही तैयार हो गया। तो इस प्रकार से करीब साढ़े ८४-८५ हजार गांव समाज कायम हुए हैं।

एक तरीके से साढ़े ८४ या ८५ हजार। तो यह ३६ हजार के करीब गांव सभाओं की एक्जीक्यूटिव गांव पंचायत होंगी। एक प्रकार से दो तीन या १ से लेकर ४ तक, जहां बड़ा गांव हुआ तो एक गांव की और बहुत छोटे हुए तो चार-चार गांव की पंचायतें बनीं। तो इन गांव समाजों के जो नुमाइन्दे गांव सभाओं में या गांव पंचायतों में दिये हुए हैं दफा १२२ कहती है कि अगर १० से ज्यादा नुमाइन्दे गांव पंचायतों में हैं तो उस गांव समाज का प्रबन्ध लैन्ड मैनेजमेंट कांस्टीट्यूट करे लेकिन अगर १० से कम हैं तो गांव समाज एलेक्ट करेगा उतने मेम्बर्स को जितने की मिलाकर १० मेम्बर्स उसके हो जायं। पंचायत राज ऐक्ट के हिसाब से जो गांव के रेजीडेन्स होंगे वह गांव सभा के मेम्बर्स होंगे गांव समाज के वह भी मेम्बर्स होंगे जो कि काश्त करते हों उनका रजिस्टर नहीं था लिहाजा दिक्कत आयी, लैन्ड मैनेजमेंट कमेटी बनाने में तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ऐडाप्टेशन आर्डर की बात जो पहिले अखबारों में जाहिर हो चुकी है और आज जो मेज पर रखी गई है उसके जरिये से उन कठिनाइयों को दूर करने के लिये कोशिश की गयी है कि गांव सभा के जितने भी मेम्बर्स हों चाहे जितने भी हों चाहे वह १० से कम भी हों तो भी वह उस गांव की लैन्ड मैनेजमेंट कमेटी कहलाये चाहे वह तादाद में एक हो या दो। तो यह जो कठिनाई थी उसको हल करने के लिये इसमें संशोधन आया। उसकी तफसील में जाना मैं इस वक्त मुनासिब नहीं समझता। इसके बाद ६ और ७ वह संशोधन है गैर मजरूआ जमीन की बाबत कि अगर वह किसी गांव रकबे के अन्दर तो हो लेकिन वह गांव बजाते खुद किसी लोकल बाडी, टाउन एरिया, नोटीफाईड एरिया या म्युनिसिपल एरिया के अन्दर आ गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसी कठिनाई है जो मेरे दिमाग में उस वक्त भी थी जिस वक्त यह बिल बना और कई दफे सोचा लेकिन जिस वक्त फाइनलाईज हुआ उस वक्त दिमाग से निकल गयी और बात रह गयी। लेकिन वह तो रियल डिफीकल्टी थी। उसका इन्तजाम कुछ नहीं है। मान लो कि एक गांव है उसमें गैर मजरूआ भूमि है तो वह सारी स्टेट में वेस्ट हुई गांव समाज में वस्ट हुई और लैन्ड मैनेजमेन्ट कमेटी उसका इन्तजाम कर रही है जहां बनी है, लेकिन मान लीजिए कि वह जमीन टाउन एरिया में पड़ती है तो टाउन एरिया तो बजात खुद एक रेवेन्यू यूनिट है उसमें भी रिकर्ड्स हैं। तो टाउन एरिया की लिमिट्स तो ज्यादा से ज्यादा आधे फर्लांग आबादी के चारों ओर है तो उन लिमिट्स के अन्दर जमींदारी अबालिश नहीं हुई और अब उसके लिये दूसरा बिल आया हुआ है, लेकिन इन लिमिट्स में बीस बिस्वे रकबा जो गांव का एग्रीकल्चरल एरिया है उसके बीच में पड़ता है तो उस अनकल्टीवेटेड लैन्ड का इन्तजाम कुछ नहीं है। अगर मामूली गांव होता और टाउन एरिया के अन्दर शामिल नहीं होता, म्युनिसिपल एरिया के अन्दर शामिल न होता तो गांव समाज को मिलता। लेकिन यहां अभी तक गांव सभायें हैं क्योंकि वहां नोटीफाईड एरिया या टाउन एरिया है और वह जमीन अभी तक स्टेट में वेस्ट करती है और किसी को नही दी गई। लिहाजा एसी जमीन का इन्तजाम भी इसमें हो जाय तो

मन्शा यह है कि ऐसी अनकल्टीवेटेड एरिया जो कि उनके रकबे के अन्दर शामिल हो जो टाउन एरिया और म्युनिसिपल एरिया के लिमिट्स के अन्दर रहने हों वह जमीन उन टाउन एरिया और नोटीफाइड एरिया या म्युनिसिपल एरिया के इन्तजाम के लिए दे दी जायेगी और उनकी जो लिमिट्स के बाहर हैं, लेकिन वहां के रहने वालों की मिलकियत में थी या यह कहिए कि जो उसके गांव के एरिया के अन्दर शामिल है। क्योंकि उस गांव के रहने वाले ऐसे हो सकते हैं जो उस गांव में नहीं किसी दूसरी जगह मालिक हों। वह एक बड़ा नुक्स था जो इस विधेयक में दूर किया गया है। भूमिधरी अधिकार प्राप्त करने के सिलसिले में टिनेन्ट्स (एक्वीजिशन आफ प्रिविलिजेज) ऐक्ट जिनके अधीन भूमिधरी आन्दोलन चलाया था उसमें यह था कि किसान जब दस गुना दाखिल कर दे उसी तारीख से भूमिधर होना था। लेकिन किसी तरह से इस अधिनियम में ऐसा हो गया कि वह उसी वक्त में नहीं होगा बल्कि अगली फसल से होगा। वह बिलकुल ओवर साइट से ऐसा हुआ था। लिहाजा उस त्रुटि को इसमें दूर किया गया है। और भी उस सिलसिले में बहुत छोटे छोटे संशोधन हैं लफ्जी। हमारे स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स ऐन्ड रीजन्स में यह लिखा हुआ है सवा ६ एकड़ के बजाय ३.१२५ से नीचे तकसीम नहीं हो सकती। मैं आपकी इजाजत से सदन में कहना चाहता हूं कि यह गलत है। ऐसी इसमें कोई धारा नहीं है। जो मालगुजारी अपनी न दे तो अपने हिस्से की माल-गुजारी न देने के सिलसिले में वह शख्स गिरफ्तार हो सकता है। ऐसा अधिनियम में है लेकिन मालगुजारी के अलावा गवर्नमेंट के जो और भी ड्यूज हैं वह भी मालगुजारी के तरीके पर वसूल किये जा सकते हैं। यह उसूल रहा है हमेशा। तो इस मौजूदा अधिनियम में यह है कि मालगुजारी अगर अपनी न दे तो किन्हीं शर्तों में अगर मजबूरी हो तो गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन मालगुजारी के अलावा कोई और देय रकम हो तो गिरफ्तार नहीं हो सकता है। यह भी मन्शा नहीं थी। यह भी गलती थी। उसको दूर किया गया है।

दफा ३०२ मौजूदा अधिनियम में यह है कि अदालत माल में जो दावा दायर हो उसमें अगर टाईटिल का सवाल उठे तो अदालत माल जो शख्स टाईटिल का सवाल उठाता है उसको यह हुकुम देगी कि किसी विशेष अर्से के अन्दर तुम दावा अदालत दीवानी में दायर करो और जब उसका फैसला हो जाय तब यह मुकदमा यहां चलेगा। उसके बजाय यह किया जा रहा है कि यह होगा कि बजाय इसके कि वह मुकद्दमा रोककर वह एक अलहदा मुकदमा दायर करे यह होगा कि केवल तनकीह अदालत दीवानी ही भेजेगा, जहां मुकदमा रुका रहेगा जैसा कि यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट में एक सेक्शन था, बिलकुल उन्हीं लाइन्स पर इसमें तैयार की गयी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मोटी सी तरमीमें हैं जो कि इसमें की जा रही हैं। जैसा कि मैंने कहा है कि और भी छोटी मोटी तरमीमें हैं।

मेरा प्रस्ताव है कि इस विधेयक पर विचार किया जाय।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (जिला बाराबंकी)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय राजस्व मन्त्री के भाषण से प्रकाशित है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन होने जा रहा है जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम में। उन संशोधनों को माननीय राजस्व मन्त्री ने स्वयं विस्तार से बताया है। जब कि इतने महत्वपूर्ण संशोधन हैं। जिनका इतना बड़ा असर होगा हमारे प्रदेश के इतने व्यक्तियों के ऊपर तो यदि हम इन संशोधनों को सदन में ऐसे मान ले और उनके ऊपर वाद-विवाद होने लगे तो मेरी समझ से यह बहुत ज्यादा उपयुक्त न होगा।

अतः मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि यह विधेयक एक प्रवर समिति को जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगे, निर्दिष्ट किया जाय जो अपनी रिपोर्ट सात दिन के अन्दर दे --

(१) श्री द्वारका प्रसाद मौर्य।
(२) श्री जयपाल सिंह।
(३) श्री वसी नकवी।

[श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (बाराबंकी)]

(४) श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (बाराबंकी)।
(५) श्री शिवनाथ काटजू।
(६) श्री राधामोहन सिंह।
(७) श्री पद्मनाथ सिंह।
(८) श्री नवलकिशोर।
(९) श्री रामलखन (बनारस)।
(१०) श्री लुत्फअली खां।
(११) श्री शिवसरन लाल श्रीवास्तव।
(१२) श्री ब्रजवासी लाल।
(१३) श्री वीरेन्द्रपति यादव।
(१४) श्री देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह।
(१५) श्री रामलखन मिश्र (बस्ती)।
(१६) श्री लक्ष्मीरमण आचार्य।
(१७) श्री ज्वालाप्रसाद।
(१८) श्री उम्मेद सिंह।
(१९) श्री गेंदा सिंह।
(२०) श्री रामनारायण त्रिपाठी।

जैसा कि मैंने निवेदन किया है कि इस संशोधन के ऊपर हमारे प्रान्त के एक बहुत बड़े बुद्धिवादी वर्ग के लोग अपनी राय करेंगे, अपने विचार उसके इंटरप्रिटेशन के ऊपर लगायेंगे, मेरा मकसद उन विद्वानों से ऐडवोकेट्स और मुख्तारों से है कि जोकि अदालत में जाने के बाद इसका अर्थ लगावेंगे। तो पूर्व इसके कि हम इसे परिपक्व रूप देकर जनता के सामने भेजें। हम चाहेंगे कि इस पर अच्छी तरह से एक प्रवर समिति द्वारा विचार हो जाय और इसी वजह से यह जरूरी समझता हूं कि इस पर प्रवर समिति के द्वारा विचार किया जाय।

श्री चरण सिंह—अध्यक्ष महोदय, मुझको यह संशोधन स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि अभी और भी इस पर संशोधन मौजूद हैं। उनके सुनने के बाद आप अपनी राय देंगे।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक में निम्न-लिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं—

"यह विधेयक जनमत प्राप्ति के हेतु भेजा जाय, जो कि १५ दिन के अन्दर उपलब्ध होना चाहिये।"

मैं इस सम्बन्ध में जो कुछ दलील देना चाहता था उसमें से बहुत सी बातें तो माननीय राजस्व मंत्री जी ने कह दी और मेरा बोझ बहुत हलका हो गया। शायद मैं उतनी खूबसूरती के साथ कह भी न पाता, जितनी खूबसूरती के साथ उन्होंने कहा है। उन्होंने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि जब यह क़ानून इस प्रदेश में बना था तो बहुत ही विचार विनिमय के बाद बना था और उससे बड़ी बड़ी आशा की गयी थी और आज भी आशा है, जैसा कि उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है कि वह उस जमाने में भी बहुत क्रान्तिकारी था और आज भी है। मैं इस पर कुछ अधिक न कह करके इस बात को स्वीकार कर लेना चाहता हूं कि इसमें कोई संदेह नहीं कि उसने समाज को एक नई शक्ल में आने में बहुत मदद दी और जो हजारों वर्ष से स्थापित कुछ स्वार्थों के साथ में समाज की नकेल थी उसको निकाल करके एक रास्ता हमारा सुगम किया।

यह क़ानून काफ़ी लम्बा-चौड़ा है। ३०० धाराओं से ऊपर का है और कई वर्षों में यह क़ानून बन सका है। इतने दिनों के बाद क़ानून अमल में आया और कुछ ही दिन हुए कि क़ानून पर सूबे में काम हो रहा है। मुझे आश्चर्य इस बात पर हुआ कि इस क़ानून की

खामियों पर माननीय राजस्व मंत्री से इस संबंध में कुछ बात करने का कुछ सौभाग्य प्राप्त हुआ है कुछ दिन अधिक जब पिछली मर्तबा अधिनियम के कुछ रूल्स बन रहे थे उस जमाने में उनके साथ काम करने का मौका मिला था। एक कमेटी उन्होंने बनायी थी और उस कमेटी में काफ़ी बहस मुबाहिसा हुआ था। काफ़ी तजुर्बेकार लोग उस कमेटी में मौजूद थे। मुझे भी कुछ सीखने का मौका उस कमेटी में मिला था। मुझे कुछ ऐसी याद पड़ती है कि जिन बातों की चर्चा उस कमेटी में हुई थी उन बातों का स्मरण संभवतः माननीय राजस्व मंत्री जी को नहीं है। कुछ मेरा ही खयाल ऐसा नहीं है बल्कि जो लोग उस कमेटी के मेम्बर थे उस जमाने में और जो हमारे विचार से अधिक सहमत नहीं रहते हैं वे कांग्रेस दल के ही हैं और उनका भी ऐसा खयाल है। माननीय राजस्व मंत्री जी ने संशोधन का रूप बताया कि इस क़ानून में संशोधन करके पिछले क़ानून के क्रांतिकारी स्वरूप को कुछ और अधिक क्रांतिकारी बनाना चाहते हैं। मैं तो ऐसा ही समझता हूं कि उन्होंने ऐसा ही बिलकुल समझा होगा कि जो क़ानून पिछली मर्तबा बना है उसमें कई त्रुटियां रह गयी हैं और उन त्रुटियों को दूर करने के लिये यह संशोधन लाया जा रहा है। जो संशोधन इस समय हमारे सामने हैं उनपर जो सिलेक्ट कमेटी बनी हुई है विचार कर सकेगी। इसलिये इस सम्बन्ध में अधिक समय मैं सदन का लेना मुनासिब नहीं समझता। उसपर तो विचार करके उसको बदलने का उसके स्वरूप को कुछ इधर उधर करने का अधिकार इस सिलेक्ट कमेटी को हुआ है और सिलेक्ट कमेटी से विचार होकर के आने के बाद सदन को भी अधिकार रहेगा परन्तु मैं सबसे पहले इस सदन का और माननीय राजस्व मंत्री जी का ध्यान उन मोटी-मोटी दो एक बातों की तरफ दिलाना चाहता हूं जिनकी तरफ उनका ध्यान कतई नहीं गया है और वह भूल गये इस बात को कि इस क़ानून में कुछ मोटी मोटी ऐसी खामियां रह गयी हैं जिनको हम लोग पहले से अनुभव भी करते थे कि उनको दूर करने की कोशिश की जाय। मैं एक बहुत मोटी बात उनकी सेवा में पेश करना चाहता हूं। भूमिधरी के अधिकार के संबंध में जितनी बात माननीय राजस्व मंत्री जी कह सकते हैं उतनी बात शायद ही इस सदन में दूसरा कोई कहे। भूमिधरी राज्य का प्रवर्तक उन्हें कहा जाय तो अत्युक्ति न होगी। भूमिधरों को उत्पन्न करने का श्रेय उनको है परन्तु मैं "बेचारे" शब्द इस्तेमाल करता हूं कि उन बेचारे भूमिधरों की तरफ से कुछ उनसे निवेदन करना चाहता हूं। उन्होंने उनको बेचने का अधिकार दे रखा है।

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य)--एक बेचारे आप की बगल में बैठे हैं।

श्री गेंदासिंह--कई बेचारे होंगे। मैं इस सम्बन्ध में उनका ध्यान उन्हीं के बनाये हुये क़ानून की उन धाराओं की तरफ दिलाना चाहता हूं कि जहां पर उन्होंने ट्रांस्फर करने या बेचने का अधिकार तो दे रखा है भूमिधरों को लेकिन जहां पर कि भूमिधर अपनी जमीन को बंधक रखेगा तो बंधक रखने के बाद क़ानून के अनुसार जिसके हाथ में बंधक जमीन रखी जायगी वह उसका मालिक हो जायगा। इस तरह का अधिकार उन्होंने दिया है। मैं उसे पढ़ना चाहता हूं।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--पढ़ने की क्या जरूरत है।

श्री गेंदासिंह--आप स्वीकार करें तो पढ़ करके मैं सदन का समय जाया करना नहीं चाहता। इस तरह का क़ानून मौजूद है। हमारी साधारण बुद्धि में कोई ऐसी बात नहीं आ रही है जिससे यह कहा जाय कि एक आदमी को, एक हक़दार को आप इंतकाल का हक़ तो दे रहे हैं कि वह अपनी गर्दन पर छुरी चला ले। लेकिन वह अपनी उंगली काटकर अपनी हिफाजत कर सके इसका अधिकार हुकूमत नहीं देना चाहती है। मैं इसे ऐसा ही समझ रहा हूं। इस देश में गिरवी रखने की प्रथा आज से नहीं बहुत पुरानी प्रथा है। बावजूद इसके कि सन् १९३९ में एक ऐक्ट के द्वारा हमने इस पर रोक लगाई थी कि हम किसी भी हालत में यह हक़ काश्तकार को नहीं देंगे कि वह अपनी जमीन बंधक रख सके या किसी

[श्री गेंदा सिंह]

शिकमी को दे सके। लेकिन हमारे राजस्व मंत्री इस बात को तो स्वीकार करेंगे कि आज रेहन की प्रथा सारे सूबे मे प्रचलित है और लाखों किसान अपनी जमीन रेहन रखते हैं। अब मेरी राय इस संबंध में क्या हो सकती है। मै तो राजस्व मंत्री की क़ानूनों की पेचीदगियों और उनकी असली शक्ल क्या होती है इस पर ध्यान दिलाना चाहता हूं।

यह तो एक मोटी सी बात थी और जिस पर मै उम्मीद करता था कि माननीय सदस्य जो उस तरफ बैठे हुये हैं वह भी इस बात को समझते थे कि ऐसी मोटी गलती जो हो चुकी है उसका सुधार अब की मर्तबा जरूर हो जायगा। मुमकिन है यह भूल हुई हो। इसलिये मै यह सोचता हूं कि यदि यह बिल सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द हो गया तो वैसी हालत में हम सिलेक्ट कमेटी के स्कोप को तो बढ़ा नहीं सकते हैं। क्योंकि हमारी धारणा ऐसी है कि सिलेक्ट कमेटी सिर्फ उन्हीं बातों पर विचार कर सकती है जिनका जिक्र इस बिल में है। यदि सिलेक्ट कमेटी का स्कोप बढ़ सके और पिछले क़ानून पर भी सिलेक्ट कमेटी विचार कर सके तो मुझे ऐसा संशोधन इस सदन के सामने लाना नहीं है वर्ना मेरी मजबूरी है।

अध्यक्ष महोदय, मै आपकी सहायता चाहूंगा यदि इस तरह की गुंजायश किसी भी तरह से हो सकती हो कि सिलेक्ट कमेटी इस बिल के अलावा पुराने क़ानून पर भी विचार कर सके। यदि इस तरह की सुविधा प्राप्त हो जाय तब तो बहस यहीं खत्म हो जाती है और फिर हम लोग सिलेक्ट कमेटी मे बैठकर विचार कर लेंगे। लेकिन राजस्व मंत्री जैसा कि अपना सिर हिला रहे हैं उससे तो ऐसा मालूम पड़ता है कि वह इसे शायद स्वीकार नहीं करेंगे। तो अब ऐसी हालत में मेरी मजबूरी है। केवल एक उदाहरण मैने उनकी खिदमत में पेश किया है। यह एक ही मामला नहीं है। उन्होंने जिस चीज की तरफ इशारा किया था जिससे मेरी लालच बहुत बढ़ गया था। लेकिन उनमें से एक जो उन्होंने अभी छीना तो मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ वह था बंटवारे वाली धारा में संशोधन का। जो एम्स एंड आबजेक्ट्स बिल के हैं उन्हीं को मैने जल्दी में पढ़ा था। जमींदारी विनाश क़ानून में लिखा हुआ है कि इस संशोधन विधेयक ३ १/८ एकड़ से अधिक का खाता बंट सकेगा इसकी गुंजायश की गई थी। सवा छः एकड़ तक के खाते का बंटवारा नहीं हो सकेगा। रुक जायगा, लेकिन माननीय राजस्व मंत्री ने कहा कि यह गलत छप गया है और फिर इस प्रकार की कोई धारा बिल में नहीं है। मै इस ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जब रूल्स कमेटी बनी थी तो बार-बार कुछ मैने ही नहीं बल्कि माननीय सदस्यों में से अधिकांश ने राजस्व मंत्री जी का ध्यान दिलाया था कि जब तक मुल्क में जमीन के बंटवारे का कोई प्रबंध नहीं है, लोगों की रोजी का प्रबंध नहीं है तब तक बंटवारे को कुछ और लोगों को बिला जमीन के न बनाया जाय क्योंकि हमारे लिये यह मुसीबत की बात है। रोजी चाहे ५ एकड़ की बात हो, आधे एकड़ से हो, एक एकड़ से हो लेकिन अगर कोई भी रोजी रहती है तो हम यह कहने के लिये तैयार हैं कि इसके पास कुछ रोजी का जरिया है उसके लिए कुछ देर का सहारा है। परन्तु बंटवारा रोक कर हम फिर यह सोचेंगे कि उसको रोजी दिलाने का क्या इन्तजाम किया जाय। लेकिन अगर इस धारा को हम इस तरह से रखना चाहते हैं जैसी कि पहले से है तो इसका नतीजा यह होता है कि अगर ४ भाई हैं और आपस में न बनने से बटवारा होता है और सवा ६ एकड़ जमीन की भाई नहीं आयेगी तो सारी जमीन नीलाम की जायगी और जो भाई सबसे ज्यादा क़ीमत देने को तैयार होगा वह जमीन उसको दे दी जायगी। इसका मतलब यह है कि सवा ६ एकड़ से नीचे जमीन होने पर वह भाई जमीन नहीं पा सकता, रुपया पायेगा और रुपये से वह चाहे जिस तरह से परवरिश का इन्तजाम करे। यह भूमिहीन सेना पहले से ही इस देश में मौजूद है तो क्या उस सेना मे कुछ और भरती करने का कार्यक्रम है ? मै तो समझता हूं कि यह कार्यक्रम उचित नहीं है और उस बटवारे वाली धारा को भी माननीय राजस्व मंत्री जी को निकाल देना चाहिये और उसकी जगह पर ऐसा बन्दोबस्त करना चाहिये कि जब तक हम देश में रोजी दिलाने की

व्यवस्था न कर लें तब तक जिन लोगों के पास रोजी रह गई है उसको भी छीनने की व्यवस्था न करें।

श्री चरण सिंह--बच्चे ज्यादा पैदा न किये जायं।

श्री गेंदा सिंह--माननीय राजस्व मंत्री जी से मेरी प्रार्थना है कि वह भी तो जब्त करें। मुझे इसमें कोई एतराज़ नहीं है। मैं राजस्व मंत्री जी के इस सुझाव का स्वागत करता हूं लेकिन इस बिल में इसकी कहीं गुंजाइश नहीं है। अगर राजस्व मंत्री जी कोई बिल ले आयें तो फिर इसका बन्दोबस्त किया जा सकता है। लेकिन इस बिल से इसका कोई संबंध नहीं है।

श्री अध्यक्ष--माननीय मंत्री जी जौनसार बावर की प्रथा ला रहे हैं।

श्री गेंदा सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जौनसार बावर की प्रथा सारे सूबे में लाने की कोशिश न करें क्योंकि वहां पर तो हम सुधार चाहते हैं। तो मैं इस बात पर निवेदन कर रहा था कि जब तक कि रोजी देने की व्यवस्था हुकूमत न कर सके तब तक जो कुछ भी उनके पास रोजी का जरिया है उसको छीनने की कुव्यवस्था न करे, इस पर वह गौर करें। इस बिल मे कुछ ऐसी भी बातें हैं जिनको माननीय राजस्व मंत्री जी यह समझते हैं कि बड़ी प्रगतिशील है। दफ़ा १४६ में यह अधिकार था कि जो जिस प्रकार चाहे उसी प्रकार की उन्नति करे। यह लिखा हुआ था। माननीय राजस्व मंत्री जी यह कहते है कि मूल अधिनियम की धारा १४६ मे शब्द "और उसमें जिस प्रकार चाहे उसमें उन्नति करे" निकाल दिये जायं। मैं समझ नहीं पाया "कि जिस प्रकार की उन्नति करे निकाल दिये जायं" शब्द निकाल दिये जायं इससे क्या अर्थ है। मैं तो सीधा-सादा सा अर्थ जानता हूं। बहुत सीधी-सादी भाषा में मैं यह समझता हूं कि शायद माननीय राजस्व मंत्री जी इसको पूरे तौर से पढ़ नहीं पाये हैं। या उनकी कम जानकारी की वजह से इस तरह की धारा इसमें छप गई है। जब यह ऐसा बिल है कि जिसको राजस्व मंत्री जी प्रगतिशील कहते है तो हमारी प्रगतिशीलता में तो यह बात आती नहीं है।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि इस वक्त सिद्धान्त पर बहस हो सकती है लेकिन एक एक धारा को लेकर बहस नहीं होनी चाहिये।

श्री गेंदा सिंह--चूंकि राजस्व मंत्री जी ने अपनी तक़रीर में उन धाराओं का जिक्र किया था इसलिये मैंने धाराओं का जिक्र किया, अब मैं ध्यान रखूंगा कि सिद्धान्त पर ही बात हो।

श्री अध्यक्ष--सिद्धान्त के लिये धारा की आवश्यकता पड़े तो उसको कोट कर सकते हैं।

श्री गेंदा सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं केवल राजस्व मंत्री से यह प्रार्थना करूंगा कि वह बजाय इसके कि इस बिल को वह सेलेक्ट कमेटी के सिपुर्द करने की बात सोचें इस बात पर फिर विचार करें। मैं अपनी सलाह के लिये नहीं कह रहा हूं या इस तरफ बैठने वालों की सलाह के लिये नहीं कह रहा हूं

श्री चरण सिंह--आप यह मेरी और तेरी की बात करते है मैं तो सब को एक ही समझता हूं।

श्री गेंदा सिंह--जब मैं परमहंस की अवस्था को पहुंच जाऊंगा तब तो यह बात संभव हो सकती है कि मेरी और तेरी की बात छोड़ दी जाय और जो आदमी इस अवस्था को पहुंच गया हो उससे आप ऐसा कह सकते है कि वह मेरी और तेरी के झंझट में न पड़े, लेकिन जब तक मैं एक साधारण आदमी हूं। जब तक मेरी जायदाद है, मेरे लड़के हैं, मेरे बच्चे हैं और मेरी स्त्री है तो ऐसी हालत में राजस्व मंत्री मुझे क्षमा करेंगे कि मुझे इस भाषा को बोलना पड़ेगा।

[श्री गेंदा सिंह]

इस जगह पर मैं इस बात को मानने के लिये तैयार हूं कि यहां पर मेरी तेरी की बात न कही जाय तो अच्छा है पर देखें वह दिन कब आता है । आप इस बात को मान लीजिये कि यह १५ दिन का मामला है । १५ दिन में, माननीय सदस्यों की राय क्या है, आपको जनता की भी राय मालूम हो जायगी । लोगों की ऐसी राय है कि इस क़ानून पर संशोधन लाने के लिये कुछ थोड़ा सा आप को समय देना चाहिये । हुकूमत को यह चाहिये था कि लोगों की, माननीय सदस्यों की राय निमंत्रित करती । निमंत्रित करने पर सरकार को बहुत सहूलियत और आसानी प्राप्त हो सकती थी, क्योंकि जिन लोगों को असली तौर पर इस क़ानून का अनुभव प्राप्त हुआ है या जहां पर वह दिक्क़त समझते हैं वह सारी दिक्क़तें आपके सामने आतीं और उन सब मुसीबतों का दिग्दर्शन हो जाता । फिर राजस्व मंत्री जी उन सारी दिक्क़तों को सुनने के बाद अगर इस क़ानून को सुधारने की कोशिश करते तो ज्यादा अच्छा होता और क़ानून पूरा होता । उनका जो खयाल है कि वह पुराने क़ानून को पूरा करने के लिये और उसकी खामियों को दूर करने के लिये यह संशोधन लाये हैं पर उनका उद्देश्य अधूरा है । यह कोई मेरी भावना नहीं है और कोई केवल मेरी धारणा नहीं है यह भावना बहुत से लोगों की है । उसी भावना को मैं सदन के सामने उपस्थित कर रहा हूं । मैं तो यह समझ रहा हूं कि मैं कोई क़ानून पेशा नहीं हूं लेकिन जो लोग क़ानून पेशा हैं और ज्यादातर उस तरफ क़ानून पेशा लोग बैठे हुये हैं उन्होंने इस तरह की ख्वाहिश ज़ाहिर की है। हमारी तरफ तो नारायण दत्त जी जैसे क़ानून पेशा बैठे हुये हैं जिन्होंने कभी प्रैक्टिस ही नहीं की

श्री अध्यक्ष--अब तो यहां सभी सदस्यों को कानून पेशा बनना पड़ रहा है ।

श्री गेंदा सिंह--तो जितनी बात मेरी जानकारी में थी उसमें से कुछ निवेदन किया उन सभी को मैं इस समय कहना नहीं चाहता हूं । इसलिए मैं इतना कहकर केवल उनका आशीर्वाद इस संशोधन पर चाहता हूं कि वह इसको स्वीकार करें क्योंकि १५ दिन का कोई ऐसा मामला नहीं है । मैंने यह भी देखा कि इन संशोधनों की बदौलत कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होने जा रही है कि जिससे यह ७ दिन के अन्दर सेलेक्ट कमेटी से वापस आ जाय और जल्दी से पास हो जाय । मैं इतना जरूर निवेदन करूंगा कि मैंने तो यही सुना है कि अभी इस सेशन को काफ़ी चलना है और हम भी प्रयत्न करेंगे कि इस सेशन के चलते हुए ही यह क़ानून बन जाय बशर्ते कि इस पर लोगों की राय जान ली जाय और उसके अनुसार उस पुराने क़ानून को और सहूलियत के साथ अच्छा बनाने का प्रयत्न किया जाय ।

श्री अवधेशप्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरे दोस्त श्री गेंदा सिंह ने यह फरमाया है कि इसको जनमत के लिये भेज दिया जाय। मेरे खयाल में यह कौन सी ऐसी बात है कि जनमत के लिये भेजना जरूरी है। मेरे खयाल से तो साधारण से संशोधन हैं। जहां तक स्कोप के लिये फरमाया कि सेलेक्ट कमेटी को वाइड पावर्स दी जायं तो इसमें कोई ऐसा अमेंडमेंट नहीं है जिसकी वजह से ज्यादा पावर देने की जरूरत है। जहां तक इसके सिद्धान्तों पर बहस का ताल्लुक है मैं यह बतलाना चाहता हूं कि मैं तहेदिल से इसका स्वागत करता हूं। माननीय मंत्री जी ने जो कुछ किया है वह कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो किसी द्वेष-भाव से की हो। जहां तक जमींदारों को उनके निजी कुओं के देने का सवाल है मेरे खयाल में सूबे भर में कोई भी ऐसा निकम्मा जमींदार न होगा जो अपने कुओं से किसानों को पानी न लेने देता हो वह तो ऐसी चीज है कि जमींदार हमेशा अपनी लकड़ी और ईंट देकर बनवाते थे और काश्तकारों को पानी की हर तरह की सुविधा देते थे ताकि वह उनका लगान आसानी के साथ अदा कर सकें।

जिन मध्यवर्तियों के काश्तकारों को आपने मौरूसी हक दिये थे, जो कि २५० से ऊपर के मालगुजार थे, अब ऐसा मालूम होता है कि वह माफ़ीदार, मालिक अदना या दवामी काश्तकार, जो कि २५० रुपये से कम के थे, उनको अधिवासी अब माना जाय और जो अधिक देते थे उनके

लिये आपने एक प्रतिबन्ध लगा दिया है। मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल व्यर्थ और प्रयोजनरहित है। एक चीज और है जिसके बारे में मुझे कहना है और जहां तक दूसरे उपबन्धों का प्रश्न है मुझे कुछ कहना नहीं है। धारा १९८ में प्राथमिकता के क्रम में कृषि संबंधी भूमि में श्रमिक को द्वितीय स्थान दिया जायगा। प्रायरिटी कोआपरेटिव फार्म को दी गयी है, जहां तक कोआपरेटिव फार्म का संबंध है, मैं कहता हूं कि एग्रीकल्चरल लेबर जो कि लैंडलेस हैं उसी को प्राथमिकता देना चाहिये क्योंकि एक के पास जमीन अधिक है और दूसरे के पास बिल्कुल नहीं है। मैं जानता हूं कि कोआपरेटिव फार्म के लिये काफी प्रयत्न होना जरूरी है लेकिन लैन्डलेस लेबर को भी जमीन देने में हिचक नहीं होना चाहिये और हमारे सोशलिस्ट भाइयों को भी इसमें एतराज न होना चाहिये हमेशा से इस पर जोर देते आये हैं। और जिसकी ओर माननीय गेंदा सिंह ने विशेष बयान नहीं दिया। श्रीमान् जी, एक टाइटिल का भी प्रश्न है। उसके मुताल्लिक अदालत माल को ऐसे अधिकार दे दिये गये हैं कि वे चाहे तो सिविल कोर्ट्स में भेजे या न भेजे।

श्री अध्यक्ष--माननीय सदस्य तो सेलेक्ट कमेटी को सपोर्ट कर रहे हैं। उसके उसूल को तो मानते ही हैं।

(इस समय १ बज कर १७ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर १८ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हर गोविन्द पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)--उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक कि इन संशोधनों का संबंध है, मैं समझता हूं कि इनका आना अत्यन्त आवश्यक था और बहुत सी कमियां जो लोगों के सामने थीं हमारे राजस्व मंत्री महोदय ने इसमें रख दी हैं। फिर भी कुछ बातें ऐसी रह गयी हैं जिनका आना बहुत ही जरूरी है। मिसाल के तौर पर, कुछ भूमि ऐसी है जो कागज में किसान की दर्ज नहीं है, मगर वह उसके दिन रात इस्तेमाल में आती रही है। एक किसान के खलिहान की या कोल्हू रखने की जगह नए ऐक्ट के मुताबिक गांव सभा की हो जानी चाहिए, क्योंकि भूमिधर को केवल वही भूमि दी जाती है जो कि उसके मकान के नीचे हो या बाग के नीचे हो मगर वह भूमि जिस पर एक किसान बाप दादाओं के जमाने से कोल्हू खड़ा करता आया है या जहां अपने पैर डालता है, वह गांव सभा की हो जाती है। वह चीज कितनी आवश्यक है, यह सभी भाई खेती से संबंध रखने वाले अच्छी तरह समझ सकते हैं। एक समय राजस्व मंत्री के सामने यह बात रखी भी गयी थी और इस किस्म का संशोधन होना आवश्यक है।

दूसरी बात यह है कि नम्बरदार लोगों ने, चूंकि उनका अधिकार था, ऐसे लोगों से जो जमीन पर गासिबाना काबिज थे, जमीनें बेदखल कराई और उन नम्बरदारों ने उन्हें अपने ही कब्जे में रख लिया और अब वे नम्बरदार उन जमीनों से बड़े अच्छे मुनाफे कमा रहे हैं। नम्बरदार की हैसियत एक रिप्रेजेंटेटिव की थी और जो जमीन उसने बेदखल कराई वह सबके फायदे के लिये होनी चाहिये थी। मगर जिस समय जमींदारी विनाश कानून बना उस वक्त इस पर विचार नहीं किया गया। इसके कारण लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। और उनके लिये कोई स्थान नहीं रह जाता है कि वे कहां जावें।

श्री चरण सिंह--आपकी इजाजत से मैं एक बात कहना चाहता हूं। सेलेक्ट कमेटी के लिये मोशन हो चुका है और मैंने उसे स्वीकार कर लिया है। अमेंडिंग बिल्स का कायदा यह है कि चाहे वे सेलेक्ट कमेटी में जावें चाहे सरकुलेशन में, उसको बढ़ाया नहीं जा सकता। लिहाजा और कोई सुझाव देना, चाहे वह कितना ही अच्छा क्यों न हो, इस समय बेकार है। वे अब इसमें इनकारपोरेट नहीं हो सकता। और जिस विशेष बात का वह जिक्र कर रहे हैं, वह हम रूल्स में करने जा रहे हैं। इसलिये मैं अपने लायक दोस्त से कहूंगा कि अपने सुझाव देने से पहले वह विचार करें कि क्या उसमें कोई लाभ होगा।

श्री बलवन्त सिंह--चूंकि ऐक्ट में यह कमी रह गयी थी इसलिये उनका पूरा होना आवश्यक था। मेरा मंशा यह है कि जो सेलेक्ट कमेटी है, वह इन सुझावों को भी सोचे और इसके लिये इसका स्कोप बढ़ाया जाय।

श्री चरण सिंह--नहीं बढ़ाया जा सकता। कानूनन नहीं बढ़ सकता वरना तो सारा ऐक्ट ही खुल जायगा और दूसरा बिल लाना होगा।

श्री बलवन्त सिंह--किसी ऐक्ट का बारबार संशोधन करना तो मैं कुछ ज्यादा अच्छा नहीं समझता।

श्री चरण सिंह--जरा सी बात। शुरू में ही कम से कम जहां तक कांग्रेस पार्टी के मेम्बर्स का सवाल है, हर एक से सुझाव मांगे गये थे।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)--मैं अदब से अर्ज करूंगा कि जो सुझाव मांगे गये वे बहुत से नहीं आये हैं।

श्री चरण सिंह--हां, यह दूसरी बात है कि वे गैरजरूरी थे।

श्री बलवन्त सिंह--मुझे सदन के सामने और राजस्व मंत्री के सामने ये दो चार बातें रखनी थीं, जो मैं समझता हूं कि आवश्यक हैं। वे हमारी बदकिस्मती से रह गयी थीं। आगे के अमेंडमेंट से मालूम ऐसा होता है कि उसमें बहुत समय लगेगा और समय लगने के बाद बहुत सी खराबियां रह जाती हैं जो फिर कानून की शकल अख्तियार कर जाती हैं। उसमें लिमिटेशन आ जाता है जिसके कारण दिक्कतें बढ़ जाती हैं। मगर मैं चाहता हूं कि अगर कोई तरीका हो सकता हो तो इन बातों को इसमें ले लिया जाय।

श्री सुरेशप्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)--उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव आया है कि इसे प्रवर समिति में भेजा जाय, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने कहा, यह नामुमकिन सा था कि जमींदारी एबालिशन जैसे बिल में, जिसमें कि ३०० के लगभग धारायें हों, जो इतना क्रांतिकारी हो और जिसका कि इस स्टेट के बहुत से लोगों की जिन्दगी पर बहुत ज्यादा असर पड़ा हो, उसके लागू हो जाने के बाद कोई ऐसी मुश्किलात महसूस न हो कि कोई अमेंडिंग बिल न लाना पड़े या कोई ऐसी बातें न छूट गयी हों जो बाद में अनुभव से पता चले कि उनका वहां होना आवश्यक था। इस मौजूदा संशोधन विधेयक में जो चीजें हैं वे बड़ी बड़ी या मोटी मोटी तीन चार हैं, जिनका कि माननीय मंत्री ने खुलासा तौर से यहां जिक्र किया है। जहां तक इंटरमिडियेरीज के कुवों का ताल्लुक है, यह मानना होगा कि अगर वे इंटरमीडियेरीज के पास ही छोड़ दिये जाते हैं तो उसमें किसी को भी कोई असुविधा होने की आशंका नहीं है। बल्कि मेरा तो खयाल है कि उससे काश्तकारों को, जमींदारों को सुविधा ही होगी। बाग, जिनके पास हैं उनका भूमिधर हो जाना अत्यन्त ही आवश्यक था और अगर किसी ने किसी तरह से किन्हीं कारणों से पहले विधेयक में छूट गया था और अब जब इस विधेयक का संशोधन किया जा रहा है तो उस समय श्रीमान्, यह प्राविजन रखना कि ग्रोव होल्डर भी भूमिधर हो जायेंगे, मैं समझता हूं कि बहुत ही उचित बात है, इस तरह वक्फ और ट्रस्ट्स जो १० हजार रुपये से ज्यादा लैन्ड रेवेन्यू या मालगुजारी देते हैं, उनको भी ऐन्यूटी मिलती रहे यह बहुत ही उचित और आवश्यक चीज थी। इस विधेयक की केवल एक चीज से मैं इत्तफाक नहीं करता और उसके खिलाफ मैं आपके द्वारा सरकार से कुछ कहना चाहता हूं। और वह यह है कि चाहे उस समय गलती से छूट गया हो, परन्तु कोई भी काश्तकार जो मालगुजारी अदा न कर सके, गवर्नमेंट रेवेन्यू अदा न कर सके तो वह गिरफ्तार नहीं हो सकता था। चाहे वह मिस्टेक ही रहा हो, मिस्टेक से ही छूट गया हो, लेकिन मैं समझता हूं कि उस मिस्टेक को सुधारने से काश्तकारों को बहुत असुविधा होगी। इसलिये श्रीमान्, मैं कहता हूं कि जहां तक गवर्नमेंट की मालगुजारी का प्रश्न है वह तो अवश्य किसी न किसी तरह से वसूल होगी ही। परन्तु मैंने अपने अनुभव से देखा है, कम से कम अपने क्षेत्र में जो गांजर क्षेत्र कहा जाता है, जहां लगातार दो तीन साल तक फसल बरबाद होती रही है और वहां के लोगों को तकावी भी दी गयी है। लेकिन वह क्षेत्र इतना पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जहां के लोगों को यह भी नहीं मालूम कि अगर तकावी न अदा कर

सके तो उसके लिये आगे क्या उपाय करें। फसलें लगातार खराब होने की वजह से वे तकावी तो अदा ही नहीं कर सकते उसका सूद भी नहीं अदा कर सकते। फिर पिछड़े हुए क्षेत्र में रहने की वजह से उनको किसी प्रकार की यह भी सुविधा नहीं है कि कोई उनको यह भी बतला सके कि आगे तुमको क्या करना चाहिये। अगर मैं कभी बीच में चला गया और उन लोगों ने मुझसे कुछ पूछा तो मैंने बतला दिया लेकिन वहां की हालत इस मामले में बहुत ही खराब है। ऐसी हालत में श्रीमन्, अगर कोई आदमी वहां अरेस्ट कर लिया जाता है तो मैं समझता हूं कि यह किसी तरह से भी मुनासिब नहीं है। इसलिये मैं आपके द्वारा सरकार से यह अवश्य निवेदन करूंगा कि जिसको वे समझते हैं कि गलती है और अब हम उसको सुधारने जा रहे हैं तो उसको गलती ही मान कर छोड़ दें। मैं समझता हूं कि उससे सरकार को कोई असुविधा नहीं होगी। इसकी भी कोई आशंका नहीं है कि काश्तकार जान बूझ कर गवर्नमेंट ड्यूज नहीं देंगे। गवर्नमेंट ड्यूज हैं, पंचायतें टैक्स लगाने जा रही हैं, तो कौन कौन गवर्नमेंट ड्यूज समझे जायेंगे। यह किस परिभाषा में आता है उसको भी तय करना होगा। वे गरीब बेचारे अपने बीज वगैरह के लिये तकावी लेते हैं और सरकार यह देख कर, खूब अच्छी तरह जांच कर के ही कि इस आदमी को तकावी देना बहुत जरूरी है तब वह तकावी देती है। ऐसी हालत में जब उन गरीबों की मदद करने के लिये ही तकावी दी जाती है क्योंकि उनकी फसल लगातार दो तीन चार साल तक बरबाद हो चुकी है तो उस समय इस तरह से तकावी को वसूल करना मैं समझता हूं श्रीमान्, कि सर्वथा अनुचित होगा। खासतौर से गवर्नमेंट ड्यूज। इन चन्द बातों को सरकार के सामने रख कर मैं फिर इस विधेयक का समर्थन करता हूं और इसका भी समर्थन करता हूं कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाय।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)——माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक हमारे सामने है और उसके संबंध में यह प्रस्ताव है कि प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, मैं उसे उचित समझता हूं। माननीय मंत्री जी ने जो इसमें बातें रखी हैं और कहा है कि वे आवश्यक बातें हैं उनमें से कई बातों से मेरा पूरा इत्तिफाक है परन्तु एक दो बातों के लिये मैं नया सुझाव देता हूं। उन्होंने यह रखा कि धर्मार्थ की आमदनी जितनी रही है उतनी मिलती रहेगी यह बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से अगर टाइटिल का मामला माल की अदालत में पेश होता है तो माल की अदालत स्वयमेव ईशू (issue) कायम करके दीवानी अदालत को भेज देगी। यह भी बहुत ठीक है। इससे बहुत सी तवालत बच जायगी। इसी तरह से कुओं की बात जो उन्होंने रखी है कि अगर खाते के अन्दर हो या बाग के अन्दर हो तो वह भूमिधर का और उसके बाहर हो तो गांव सभा के सुपुर्द किया जाय यह भी बिल्कुल ठीक है। एक बात जो मुझ को कहनी है वह सक्सेशन पर है। वह खाली जमीन की बाबत है जो भूमिहीन थे वे पहले तो चौथे नम्बर पर रखे गये थे परन्तु अब जो संशोधन विधयक आया है उसमें उसको दूसरे नम्बर पर रखा गया है। पहला नम्बर कोआपरेटिव सोसाइटीज को दिया है और दूसरे नम्बर पर भूमिहीन को रखा है। मेरी समझ में आज कल जो कोआपरटिव फार्म चल रहे हैं वास्तव में अगर देखा जाय तो वह असली माने में कोआपरेटिव फार्म नहीं है। कुछ रिश्तेदार या दोस्त मिल जाते हैं और उन्होंने किसी तरह के कोआपरेटिव फार्म्स बना लिये हैं परन्तु वास्तव में कोआपरेटिव फार्म की न वहां स्पिरिट है और न उस ढंग से है। वाकया यह है कि अगर जमीन खाली होगी तो इस हिसाब से पहले कोआपरेटिव सोसाइटीज हथिया लेंगी। इस तरह से जो भूमिधर हैं या पहले से किसान हैं जिनके पास कुछ जमीन पहले से है ये कोआपरेटिव फार्म्स को कुछ शक्ल देकर अपने लिये गांव सभा से जमीन ले लेंगे और अगर ऐसा होता है तो अन्याय होता है। तो मेरे विचार में तमाम परिस्थितियों को देखते हुए यह मुनासिब होगा कि जो भूमिहीन हैं उन्हें पहले जगह दी जाय यानी कोई जमीन खाली होती है तो पहले भूमिहीनों को दी जाय। उसके बाद और वर्ग को दी जाय। यह बात मैं माननीय मंत्री जी और कमेटी के और सदस्यों के सामने रख देना चाहता हूं कि जो आजकल कोआपरेटिव फार्म्स हैं जहां यदि वास्तविक हैं वहां तो ठीक है परन्तु जहां वास्तविक नहीं हैं और उनका जो ढांचा है वह वास्तविकता से दूर है तो उनको सच मानकर तरजीह देना यह एक प्रकार का अन्याय है। इसलिये यह बात मैं माननीय मंत्री जी और प्रवर समिति के सामने ला देना चाहता हूं।

[श्री रतनलाल जैन]

इस प्रस्ताव का विरोध माननीय गेंदा सिंह ने किया। उन्होंने जो दलील दी है वह मुझे कुछ नहीं जंची। उन्होंने कहा कि इसको १५ दिन के लिये पब्लिक ओपीनियन के लिये रख देना चाहिये। पब्लिक ओपीनियन के संबंध में उन्होंने कहा कि वह ओपीनियन तो आम तौर पर इस हाउस के सदस्यों की ही होगी। अगर ऐसा है तो मैं उनसे कहूंगा कि माननीय सदस्य जो इस विधेयक में कोई संशोधन देना चाहते हैं तो वे तो अपने मित्रों के द्वारा दे सकते हैं। फिर क्या आवश्यकता है कि इसको पब्लिक ओपीनियन के लिये रखा जाय। इसमें तो सीधी बात मुझे यह दिखाई देती है कि वह इसको तआलत में डालना चाहते हैं। ऐसा आवश्यक बिल तो शीघ्र से शीघ्र पास हो जाना चाहिये। जो कठिनाइयां उपस्थित हैं उनको जितना शीघ्र दूर कर दिया जाय उतना ही अच्छा है। इस तरह से मैं श्री गेंदा सिंह जी के सुझाव का विरोध करता हूं और जो प्रस्ताव प्रवर समिति में भेजने का आया है उसका समर्थन करता हूं।

श्री मुश्ताक अली खां (जिला बदायूं)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक जो कि जमींदारी अबालिशन ऐक्ट के सिलसिले में आज हाउस के सामने पेश है मैं उसका खैरमकदम करता हूं। लेकिन यह चीज काबिले अफसोस है कि अभी मुश्किल से एक साल भी नहीं हुआ जब कानून बना था। उसमें कुछ नुकायस मालूम किये गये और उनको तरमीम करने के लिये यह विधेयक इस हाउस में आज पेश किया गया। मैं समझता हूं कि इस विधेयक के कानून बन जाने के बाद जब इस पर अमलदरामद होगा तो ताज्जुब नहीं कि इसमें भी कुछ दिक्कतें महसूस हों और फिर मजीद तरमीम करने की जरूरत लाहक हो।

जो विधेयक पेश किया गया है और इस सिलसिल में वजीर साहब ने जो तकरीर फरमायी है मैं समझता हूं कि उसमें अभी और इंप्रूवमेंट की जगह है। बताया गया कि जमींदार की सीर या खुदकाश्त के अन्दर जो कुएं हैं वह उसी के रहेंगे। मुझको इस सिलसिले में यह अर्ज करना है कि अगर वह जमींदार की काश्त जैलियों पर उठी हुई है और वह मौजूदा कानून के पेशेनजर बेदखल नहीं हो सकती तो वह कुएं भी किस तरह से जमींदार को मिल जायेंगे। जब कि काश्त उनसे जाती रहेगी तो वह कुएं भी उनसे जाते रहेंगे। गालिबन इसको महसूस नहीं किया गया कि इस सूरत में जो इंटरमीडियरी की काश्त जैलियों पर उठी हुई हैं, जब वह उससे बेदखल नहीं होगी, तो वह कुएं भी उसको नहीं मिल सकते।

दूसरी चीज जो मैं इस सिलसिले में अर्ज करना चाहता हूं वह यह है कि जो एरियर जमींदार के जिम्मे बाकी रह गया है वह जब कम्पेंसेशन उनको मिलेगा उसी में से ले लिया जाय और मजीद तकलीफ इसके मुताल्लिक न की जाय।

श्री चन्द्र सिंह रावत (जिला गढ़वाल)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में जो अधिनियम पेश है मैं उसका समर्थन करता हूं और उस अधिनियम में जो संशोधन पेश किया गया है उसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय मुझे इसके मुताल्लिक कुछ अर्ज करना है।

पहले भी इस सदन ने कई एक विधेयक प्रवर समिति के सुपुर्द किये हैं। लेकिन हमने देखा है कि प्रवर समिति की रिपोर्ट के बावजूद इस सदन को कोई खास फायदा नहीं हुआ क्योंकि जो समय सदन में उस विधेयक के डिस्कशन में लेना था वह पूरा समय इस सदन में लिया गया। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर इस विधेयक को प्रवर समिति के सम्मुख भेजा जाता है तो इस सदन को अवश्य कोई न कोई फायदा होना जरूरी है। इसलिये अगर प्रवर समिति अपनी रिपोर्ट देती है तो उसको काफी समय इस विधेयक के ऊपर सोचने का, विचारने का दिया जाना चाहिए, किसी भी कानून को जल्दी में पास कर देना कोई कीमत नहीं रखता है और न कोई उसमें खूबी या सुन्दरता है। मैं समझता हूं सुन्दरता तो इसी बात में है कि जब कानून एक बार पास हो जाय फिर दूसरी बार इतनी जल्दी ही उसको संशोधित करने की जरूरत न पड़े। कानून में निकट भविष्य में आने वाली बातों का भी खयाल रखना चाहिए। उन बातों के असर का

ध्यान रखकर उसके लिये पहले से ही कानून में व्यवस्था कर देनी चाहिए। इसलिये जो सात रोज का समय प्रवर समिति के लिये सुझाव पेश करने के लिये दिया गया है मैं समझता हूं बहुत कम है और इस प्रकार सात रोज में जल्दी से इस विधेयक पर अपनी रिपोर्ट पेश कर देने से मुझे कोई खास फायदा नजर नहीं आता है।

इसलिये मैं यह सुझाव पेश करता हूं कि अगर यह प्रवर समिति को विधेयक भेजा जाता है तो काफी समय दिया जाना चाहिए।

दूसरे जबकि प्रवर समिति के पास यह विधेयक पहुंचता है और रिपोर्ट होती है तो फिर इस सदन का समय इतना ज्यादा जाया नहीं किया जाना चाहिए जैसे कि दो एक बार पहले हो चुका है। मै समझता हूं कि प्रवर समिति की रिपोर्ट खास ईश्यूज पर ही होनी चाहिए और उस रिपोर्ट को इस सदन के ऊपर कुछ हद तक लागू होना चाहिए वरना अगर प्रवर समिति की रिपोर्ट मिलने पर भी पूरा-पूरा समय इस सदन का खर्च हुआ तो मैं समझता हूं कि यह बेहतर हो कि इस विधेयक को प्रवर समिति के पास न भजा जाय।

अब बहुत से माननीय सदस्यों ने यह सुझाव रखे हैं कि जमीन्दारी अबालिशन ऐक्ट की और भी धाराओं के मुताल्लिक आज जरूरत नजर आती है कि उनमें अमेंडमेंट कर दिये जायं। अगर माननीय मन्त्री इस बात को उचित समझते हैं, अगर वह जानते हैं कि फिर और भी कुछ दफायें इस ऐक्ट के अन्दर हैं जिनका अमेंड करना बहुत जरूरी है और परिस्थितियों के बदल जाने से जिनका अमेंड होना बहुत जरूरी है तो मैं समझता हूं कि इसमें भी कोई खूबी नहीं है कि इस ऐक्ट को पीस मील अमेंडमेंट्स लाकर बारबार इस विधेयक को अमेंड करने के लिये समय खर्च हो। यह उचित होगा यदि इस सदन की प्रेस्टिज के लिये और इस सदन का समय बचाने के लिये कि जितने भी अमेंडमेंट हों वह एक साथ आवें। अगर उसके लिये कुछ देरी भी होती है, एक महीना, दो महीना, तीन महीना इसमें खर्च हों तब भी मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को यह कबूल और मन्जूर होना चाहिए। इसमें कोई दिक्कत बड़ी भारी हमें नजर नहीं आती है। लेकिन हमें यह बात खलती है और जनता में भी इसका बुरा प्रचार होता है कि ऐक्ट पास होने पर भी अमेंडमेंट आते हैं और इस प्रकार हमें बड़ी दिक्कत होती है।

दूसरी बात यह है कि यह बहुत आवश्यक होगा कि जबकि अदालतों में यह कानून जाता है तो दो तरफा बहस होने से उसकी कमियां नजर आती हैं। अगर ऐसे अमेंडमेंट आवें तो आना बहुत जरूरी है लेकिन पास होते ही अमेंडमेंटों का लाना मैं समझता हूं कि इसमें तो हमारी कमजोरी खुद नजर आवेगी। इसलिये मैं यह उचित समझता हूं कि काफी समय इस प्रकार के अमेंडमेंटों के लाने में अगर लग भी जाय तो कोई डिस्क्रेडिट हमारी सरकार पर रिफ्लेक्ट नहीं होता, बल्कि मैं समझता हूं कि अगर सरकार समझदारी से और काफी थाटफुल्ली किसी विधेयक को लाती है, उससे हमारी सरकार की प्रेस्टिज बढ़ती है और उससे हमारा कानून मजबूत और सही बनता है और जनता में गलत कानून बन जाने से जो कि व्यक्तियों को नुकसान पहुंचता है उस नुकसान से हम जनता की रक्षा करते हैं। इस लिये मैं समझता हूं कि यह उचित होगा और उसके ऊपर अवश्य गौर किया जाना चाहिए कि अगर और भी दफायें इस ऐक्ट के अन्दर हों जिन में तरमीम होना जरूरी है तो उन सब तरमीमों को एक ही साथ लिया जाना चाहिए।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, जो प्रस्ताव हमारे माननीय गेन्दा सिंह जी ने रखा है कि इसे पब्लिक ओपीनियन के लिये भेजा जाय, उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

हमारे इस सदन के बहुत से माननीय सदस्यों के भाषण मैंने सुने और उनसे भी यह मालूम होता है कि वह भी कुछ समय ज्यादा चाहते हैं जिससे कि वह जमीन्दारी उन्मूलन बिल में जो जो खराबियां हैं उनको दूर करवाने की वह कोशिश करें। दुख मुझे माननीय रतनलाल

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

जैन साहब का भाषण सुनने से हुआ। जब उन्होंने यह कहा कि जो लोग चाहते हैं इसमें संशोधन कराना वह प्रवर समिति में करवा लें। मैं समझता हूं कि वह जानते ही होंगे कि प्रवर समिति में बिल चला जायगा तो हम बिल की उन्हीं धाराओं पर कह सकेंगे कि इस बिल में रखी हुई हैं और उन्हीं पर हम यह कह सकेंगे कि उनमें कोई संशोधन किया जाय या न किया जाय। उसके बाहर तो हम जा ही नहीं सकते हैं। हमारी जो मन्शा है वह यह है कि बिल पब्लिक ओपीनियन के लिये भेजा जाय। इससे जो हमारे एसेम्बली के मेम्बरान हैं जो किसी कारण से सदन के भीतर नहीं बोल सकते हैं उनको भी यह मौका मिलेगा कि वे अपने सुझाव दे सकें। उसके बाद माननीय राजस्व मन्त्री जी उन सुझावों की बिना पर ऐसा एक बिल इस सदन में लावें जिस बिल से जमीन्दारी उन्मूलन में जो–जो खराबियां हैं उनको दूर किया जाय। इसी उद्देश्य से हमने यह प्रस्ताव सदन के सामने रखा है। इसके पास हो जाने के बाद या थोड़े दिनों के बाद कोई नया अमेंडिंग बिल लाया जाय जैसा कि माननीय चन्द्र सिंह रावत जी ने कहा, वह शोभा भी नहीं देता है और उससे समय भी नष्ट होता है। इसमें कोई ऐसी बात भी नहीं है जिसकी वजह से काम रुक सके। अगर माननीय राजस्व मन्त्री जी थोड़े दिन रुक कर लोगों की सलाह लेकर और खास कर हमारे माननीय सदस्यों की राय लेकर जिन संशोधनों की आवश्यकता हो उन्हें एक बिल के रूप में इस सदन के सामने पेश करें तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि प्रवर समिति में हम उन्हीं बातों के ऊपर जा सकते हैं जो कि इस बिल में हैं।

श्री चरण सिंह––जनमत के लिये अगर आप इसे भेजना चाहते हैं तो वहां भी यह लिमिटेशन रहेगा। इसलिये वह बेकार है भेजना। उसके स्कोप के बाहर आप नहीं जा सकते हैं।

एक सदस्य––जानते नहीं हैं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय––जानता नहीं हूं, सीखूंगा, लेकिन सवाल यह है कि अगर ऐसा है कि उन्हीं संशोधनों पर जनमत आ सकता है तो फिर एक ही बात हुई। वैसे हमारी मन्शा यह है कि इसे वापस ले लिया जाय और जो हमारे माननीय सदस्य किसानों के बीच में काम करते हैं उन्हें अगर जमींदारी उन्मूलन के सम्बन्ध में कोई दिक्कतें मालूम हुई हों तो उनके सुझाव पर एक नया बिल इस सदन के सामने आवे जिसमें सारे सुधार हो जायं और जितनी कमियां हैं वे सब दूर कर दी जायं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग यह नहीं चाहते हैं कि केवल उन्हीं सेक्शनों पर जनमत ले लिया जाय। वह तो हम प्रवर समिति में भी कर सकते हैं लेकिन हमारी इच्छा यह है कि जनता से पूछा जाय कि जमीन्दारी उन्मूलन में अगर कोई दिक्कतें हों तो उनको दूर करने के लिये हमें क्या क्या अमेंडिंग बिल में रखना चाहिए। इसलिये माननीय गेन्दा सिंह जी ने जो प्रस्ताव पब्लिक ओपीनियन प्राप्त करने के लिये रखा है उसका मैं फिर समर्थन करता हूं और यह चाहता हूं कि पब्लिक ओपीनियन के लिये इस बिल को भेजा जाय।

श्री जयपाल सिंह (जिला सहारनपुर)––उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल के लाने के लिये माननीय माल मन्त्री जी को बधाई देता हूं इसलिये कि उन्होंने सरकार की उस पालिसी का इस बिल को ला करके अनुसरण किया है, अमली रूप देने की कोशिश की है, जिसका कि जिक्र इस असेम्बली के शुरू के अधिवेशन में माननीय गवर्नर महोदय ने किया था। उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट की पालिसी फालतू जमीन, जो बन्जर है या कल्टीवेबिल लैन्ड है, उसके सम्बन्ध में यह है कि खेतिहर मजदूरों को सबसे पहला स्थान दिया जाय। उस एड्रेस के पढ़ने से मालूम होता है कि इस बिल के लाने से आंशिक रूप में ही वह कथन पूरा होता है। ऐसी दशा में मैं फिर भी माननीय माल मन्त्री जी को बधाई देता हूं। इसके अलावा मुझे जो इस बिल के सम्बन्ध में कहना है वह यह है कि जहां हमने इतना बड़ा सुधार जमीन्दारी उन्मूलन करके देश में किया जिसमें करीब–करीब चार–पांच साल लग गये थे लेकिन उन मौलिक सिद्धान्तों को हमने अमली रूप नहीं दिया है। मैं यह कह देना उचित

समझता हूं कि जहां काश्तकार की परिभाषा की गयी है कि काश्तकार कौन है तो वहां अधूरी परिभाषा ही की गयी है कि जो लोग स्वयं जमीन न जोतते हों उनको भी किसान मान लिया गया है। ऐसी अवस्था में मैं समझता हूं कि उसमें भी तरमीम की आवश्यकता है और तरमीम की जानी चाहिए। जब जमींदारी उन्मूलन करने का प्रस्ताव इस भवन में सन् १९४६ में पास हुआ था उसके पश्चात् ही जमींदारों ने काश्तकारों से अथवा जो बैरेन लैन्ड पड़ी हुई थी उसको कब्जे में करना शुरू कर दिया था और चाहे वे जोती गयी हों या न जोती गयी हों उन जमीनों को अपने नाम पटवारी के रजिस्टरों में चढ़वा लिया। इस तरीके से उन्होंने जितना भी हो सकता था ज्यादा से ज्यादा जमीन अपने कब्जे में दिखायी, जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट के पास होने तक। यह ऐक्ट जनवरी, सन् १९५१ में पास हो गया और उसे अमल में लाने की घोषणा कर दी गयी। तो उस समय जमींदारों के पास जितनी जमीन थी और उससे पहले जितनी जमीन उनके कब्जे में थी उसमें बहुत बड़ा अन्तर आ गया। तो इस तरह से जमींदार होने के नाते जो उनको अधिकार थे वे तो खत्म कर दिये गये लेकिन उनको ज्यादा से ज्यादा हड़पने का अधिकार फिर भी रहा और इसका उनको ज्यादा से ज्यादा मौका मिला। तो जो इतनी बड़ी भारी तादाद में जमीन उन लोगों के कब्जे में आ गयी, चाहे वे उस पर पैदावार करते हों या न करते हों, उसका इन्तजाम ठीक करने के लिये हमने कोई व्यवस्था नहीं की है। तो हमको चाहिए यह था कि जिन जमींदारों के पास जो इस वक्त बड़े किसानों के रूप में हैं इतनी बड़ी-बड़ी जमीनें हैं उनको देखते कि आया वे उन जमीनों पर अपने आप काश्त कर भी सकते हैं या नहीं। ट्रैक्टर्स का जो इस्तेमाल हमारे यहां शुरू किया गया है वह सोशल इविल को पैदा करने वाला है। और चाहे जो कुछ भी हो हमारे यहां इस जमाने में तो ट्रैक्टर्स के जरिये से खेती की ही नहीं जा सकती है जबकि हमारे देश की इतनी बड़ी आबादी है जो खती पर निर्भर करती है और इसके सिवाय उनके पास और कोई रोजगार भी नहीं है, न इन्डस्ट्रीज हैं, न दस्तकारियां हैं। तो ऐसी हालत में अगर हमने ट्रैक्टर्स के इस्तेमाल को प्रोत्साहन दिया और मेकेनाइज्ड फार्म्स खोल कर खेती करना शुरू कर दिया तो इतनी बड़ी आबादी की शक्ति का अपव्यय होगा, उपहास होगा। तो ऐसी हालत में जरूरी यह था कि जो इतनी बड़ी-बड़ी जमीनें हैं, पांच-पांच सौ और पांच-पांच हजार बीघा या इससे अधिक जमीनें लोगों के कब्जे में हैं उनको सैकड़ों आदमियों, हजारों परिवारों में बांटना चाहिए था ताकि हजारों परिवारों का पालन पोषण होता न कि उन बड़े बड़े जमींदारों को यह अधिकार दिया जाय कि वे ट्रैक्टर द्वारा खेती करें और न खेतों की पैदावार ही बढ़ाते रहें और दूसरों को एक्सप्लायट करते रहें और मुल्क की जो जनशक्ति है उसका इस तरह से अपव्यय और उपहास होने दें। मैं यह निवेदन करना चहता हूं कि कांग्रेस एग्रेरियन रिफार्म्स जो कमेटी सन् १९४७ में बनी थी उसमें यह कहा गया है :

"On the unanimous suggestion of the Revenue Ministers' Conference which met in Delhi in December, 1947, Dr. Rajendra Prasad the then Congress President, appointed an Agrarian Reforms Committee"

[दिसम्बर, १९४७ में दिल्ली में होने वाले माल मन्त्रियों के सम्मेलन के सर्वसम्मति प्रस्ताव पर डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद ने एक कृषि सुधार समिति नियुक्त की।]

तो उस कमेटी के अनुसार यह भी था कि काश्तकार की परिभाषा यह होनी चाहिए कि जो वास्तव में जमीन को जोतता हो।

"Only those who put in a minimum amount of physical labour and participate in actual agricultural operations would be deemed to cultivate land personally"

[जमीन को स्वयं जोतने वाले केवल वही लोग समझे जावेगे जो कुछ न कुछ शारीरिक परिश्रम करके कृषि के कार्यों में भाग लेते हों।]

इससे साफ है कि जमीन जोतने वाले की परिभाषा स्पष्ट है। काश्तकार वह है जो स्वयं जमीन को जोतता है और उससे गल्ला पैदा करता है। ऐसी अवस्था में किसान की परिभाषा

[श्री जयपाल सिंह]

थी। वहां पर इसे डिफाइन करना चाहिए और स्पष्ट कर देना चाहिए कि किसान वही है जो स्वयं अपने खेत को जोतता है। इस सिलसिले में यही निवेदन करना चाहता हूं।

अब मैं एक बात और कह देना चाहता हूं कि इतनी बड़ी जमीन जो जमीन्दारों के पास है जो पहिले जमीन्दार थे और अब जमीन्दारी अबालिशन के बाद बड़े किसान हैं उनके पास हजारों एकड़ जमीन है। उसको कम करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसी दशा में मैं यह कहना चाहता हूं कि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में साफ कर दिया है कि इकोनामिक होल्डिंग्स होनी चाहिए और मैक्जिमम होल्डिंग्स की यह हद (limit) होनी चाहिए। हमने सवा ६ एकड़ जमीन को लाभकर होल्डिंग्स (economic holding) ऐक्ट में स्वीकार किया है। हमें अपने मौलिक सिद्धान्तों के प्रति अपनी कमर कस कर इसे तय करना चाहिए तब ही हम सारे देश का रिफार्म कर सकते हैं और तभी सोशल रिफार्म कर सकते हैं वर्ना जमीन ज्यों की त्यों है और कोई फर्क नहीं मालूम पड़ता है। हां, जमीन्दारी अबालिशन के बाद जमीन्दार अब बड़ा किसान हो गया है और वैसे उनके सामाजिक व्यवहार में कोई फर्क नहीं हुआ है। इसलिये हमें मैक्जिमम होल्डिंग्स नियत करनी चाहिए। इसके सम्बन्ध में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि--

"The Committee has, therefore, recommended that the optimum size should be three times the size of the economic holding."

[इसलिये समिति ने यह सिफारिश की कि अधिकतम लाभकर परिमाण लाभकर जोत के परिमाण का तीन गुना होना चाहिए।]

यह बिल्कुल स्पष्ट है। हमें यह विचार करना है कि आया मैक्जिमम होल्डिंग्स कितनी होनी चाहिए। अगर हम इसको इस तरह से निर्धारित कर दें तो लाखों की संख्या में जो लोग निस्सहाय हैं उनको रोजगार मिल सकता है और सही मानों में वह खेती कर सकते हैं और ठीक रूप में पैदावार कर सकते हैं। वह मेहनतकश और मजदूर ही कर सकते हैं या किसान कर सकते हैं जो अपने हाथों से हल जोतते हैं अन्यथा वह व्यक्ति नहीं कर सकते हैं जो दूसरों से खेती करवाते हैं और दूसरों से एक्सप्लायट शोषण करते हैं। ऐसी अवस्था में निहायत जरूरी है कि मैक्जिमम होल्डिंग्स की एक लिमिट होनी चाहिए और फालतू जमीन का ठीक तरह से बटवारा होना चाहिए।

एक बात और कह देना चाहता हूं, वह यह है कि जहां दफा २० का सवाल है जमीन्दारी अबालिशन ऐक्ट की उसमें २५० रुपये के ऊपर के जो सीर के शिकमी थे उनको भूमिधरी के अधिकार दिये गये हैं लेकिन उसके अनुसार मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऊपर वालों को तो यह अधिकार दिये गये हैं लेकिन नीचे वालों को यह अधिकार नहीं दिये गये हैं। इस तरीके से मैक्जिमम होल्डिंग्स निर्धारित होनी चाहिए और इस तरह से दफा २० और १६ में तरमीम होना आवश्यक है लेकिन वह नहीं हुई है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वह इस बिल में नहीं आ सकता है तो आइंदा इसको तरमीम करके ऐसा करें जिससे देश का ठीक तरह से सुधार हो सके और यदि हम ऐसा करेंगे तभी हम अपने देश को उन्नति की ओर अग्रसर कर सकेंगे।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि जहां एग्रीकल्चरल-लैन्ड लेस लेबर को दूसरा स्थान दिया गया है और कोआपरेटिव सोसाइटी को पहला स्थान दिया गया है। यहां पर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पहला स्थान उसको होना चाहिए था। वहां पर यह निवेदन करना चाहता हूं कि उसको पहिला स्थान देना चाहिए जैसा कि गवर्नर महोदय ने अपनी सरकार की पालिसी स्पष्ट करते हुए यह बतलाया था, उससे हम एक कदम भी पीछे न रहें। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कोआपरेटिव फार्मिंग हमारे यहां ठीक तरह से लागू नहीं है, नाकामयाब हो रही है। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बड़े-बड़े लोग कोआपरेटिव फार्मिंग में शामिल हो जायेंगे और वे जमीनों को हड़पने की कोशिश करेंगे और एक्सप्लायट

करेंगे और एग्रीकल्चरल लेबरर्स को एक बीघा भी जमीन नहीं मिलेगी। अगर पहिला स्थान देंगे तो कोआपरेटिव फार्मिन्ग का एक्सप्लायटेशन भी नहीं होगा और दूसरे भूमिहीनों को भी जमीन मिल जायगी।

इसके अलावा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां एग्रीकल्चरल लेबरर को इस कानून के द्वारा जमीन देने जा रहे हैं, सरकार भी जमीन को रिक्लेम करती है, उसको वह कैसे देती है, उसका क्या बन्दोबस्त करती है। ऐसी सभी जमीनों का बन्दोबस्त भी खेतिहर मजदूरों के साथ होना चाहिए।

श्री चरणसिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि आखिर व्याख्यान किस पर हो रहा है आया सिलेक्ट कमेटी के पास जाय या न जाय। सरकार जमीन को रिक्लेम करती है और क्या बन्दोबस्त करती है इसका यहां क्या सम्बन्ध है। आप तो सिलेक्ट कमेटी के मेम्बर्स भी हैं वहां यह सब बातें कह सकते हैं।

श्री जयपाल सिंह---उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि सिलेक्ट कमेटी को यह बिल जा रहा है वहां पर तो मैं कहूंगा ही लेकिन यह बात सिद्धांत से सम्बन्ध रखती थी जिससे यहां पर जिक्र किया। मेरा कहना यह है कि, हालांकि यह बात इस बिल से सम्बन्ध नहीं रखती, जमीन देने का निश्चय सरकार ने एग्रीकल्चरल लेबरर्स को किया है, इसमें पहला स्थान उनको दिया जाय।

मैं अपने पहले अल्फाज को दोहराता हूं और सरकार को इस बात के लिये बधाई देता हूं। बिनोवा भावे जी ने जिस आन्दोलन का श्रीगणेश किया उसको असली स्वरूप देने के लिये सरकार इस हद तक आई कि वह एग्रीकल्चरल लेबरर्स को जमीन देने के लिये बन्दोबस्त में जो आयेगी वह उनको दी जायगी। इन अल्फाज के साथ मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूं।

श्री व्रजभूषण मिश्र---मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं कि अब राय ले लेना चाहिये। प्रश्न यह है कि अब वादानुवाद समाप्त किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चरणसिंह---माननीय उपाध्यक्ष, मुझे केवल यह कहना है कि नियमानुकूल यह होता है कि संशोधन करने के लिये अगर कोई विधेयक आये, चाहे वह सिलेक्ट कमेटी में जाय, चाहे वह जनमत के लिये जाय जो उसका स्कोप है उसके बाहर यह सदन नहीं जा सकता और सिलेक्ट कमेटी में जाय तो सिलेक्ट कमेटी भी नहीं जा सकती। इसलिये जहां तक सर्कुलेशन का सवाल है वह एक प्रकार से निरर्थक है। इसके अलावा पहली दिसम्बर के गजट में यह छाया हो चुका। ५ दिसम्बर आज है और ७ दिन के लिये यह फिर और जा रहा है तो १२, १३ दिन सदस्यों को इस पर विचार करने के लिये मिलते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत बड़ी तादाद इस सदन के सदस्यों की है। उन्हें तो इस सिलसिले में पहले भी काफी मौका दिया गया। जुलाई में ही कहा गया था कि जिसको जो सुझाव और तजावीज देनी हों वे दे दें। किसी साहब को भी मनाही नहीं थी। बहुत से वकला और मुख्तारों ने सुझाव भेजे। मुझको याद पड़ता है कि जुलाई के महीने में हमने ऐलान किया था कि हम इस अधिनियम का संशोधन करने के लिये विधेयक लाने का विचार कर रहे हैं और जिस साहब को जो त्रुटि दीखे वह उसको भेज सकता था। तो इसलिये जनमत के लिये भेजना गैर जरूरी है।

अब माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात कही गयी, रावत जी ने बड़े जोर से कहा कि गवर्नमेंट की बड़ी तौहीन होती है कि अभी तो ऐक्ट पास किया और अभी फिर उसे तरमीम के लिये ले आये। तो यह बात नहीं है। इतना बड़ा काम था, उसमें संशोधन लाना अनिवार्य था। उनका कहना है कि इस पर और विचार किया जाय। चाहे इस पर कितना ही विचार किया जाय

[श्री चरण सिंह]

फिर भी गलती रह सकती है। त्रुटि रह ही सकती है। इसलिये किसी भी सदस्य को अपना सर नीचा करने की जरूरत नहीं है।

माननीय गेंदा सिंह जी यहां नहीं हैं। इसलिये जो कुछ उन्होंने कहा उसके सिलसिले में ज्यादा कहना नहीं चाहता लेकिन संक्षेप में यह कहना चाहता हूं। एक बात उन्होंने यह कही कि नियमों पर विचार करने के लिये कमेटी बनी थी। उस कमेटी की मीटिंग्स में उन्होंने कहा कि इन विचारों के लिये जगह नहीं दिखायी दे रही है, ऐसी बात नहीं है। एक तो भूमि व्यवस्था अनुपूरक विधेयक अधिनियम जो पास हुआ है, एक तो यह मंशा उसमें पूरी हो गयी थी जहां लोगों का नाम दर्ज नहीं था उनको जमीनें देने का इसका जिक्र रूल कमेटी में आया। सेक्शन २० में हमने अमेंडमेंट किया है और बकिया कमी इसमें पूरी हो जाती है। जैसा कि सब लोगों को मालूम है ढाई दो महीने तक इस सदन के माननीय सदस्य अपने अपने इलाके से हो कर आये हैं, ऐसी जमीन जिस पर लोगों का नाम दर्ज नहीं है और उनका कब्जा हो, ऐसे वाकयात बहुत कम सुनने में आये। शुरू में ४, ५ जगह हरदोई, बनारस और फैजाबाद में कुछ क्लैशेज हुए लेकिन वह समस्या अब है नहीं, और अगर कुछ थी भी तो उसके लिये हम अधिनियम पास कर चुके और सेक्शन २० में अमेंडमेंट ला रहे हैं।

रहा यह कि दखली रहन कोई करेगा तो जमीन बय समझी जायगी। बात बिल्कुल ठीक है। दखली रहन के लिये कहा जा चुका है कि अगर कोई करेगा तो बैनामा समझा जायगा। इसलिये समझा जायगा कि जिन उसूलों पर अधिनियम बनाया गया है उसमें एक उसूल तो यह है कि जमीन पर दखल और कानून हक दो आदमियों के हक में नहीं रहेगा। इसलिये लीज भी प्राहीबिटेड है और मार्गेज भी प्राहीबिटेड है। क्योंकि लीज करने में यह होता है कि जो लैसर होता है उसके हाथ में उसकी मिल्कियत रहती है मालिक वह रहता है और कब्जा दूसरे को दे देता है जिससे सालाना कुछ पाता है। तो इससे भी एक जमींदारीपन पैदा होता है। दखलिया रहन में भी यही होता है कि उसमें जरेपेशगी वह पा लेता है। कब्जा दूसरे को चला जाता है और टाइटिल उसके पास रह जाता है। दोनों में यह होता है कि एक तो सालाना देता रहता है और दूसरे से जरेपेशगी वह पहले पा लेता है। अदालत में इन दोनों में फर्क करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से सब लैटिंग भी होता है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ताज्जुब यह होता है कि जिन लोगों को इस बिल की दाद देनी चाहिये कि कांग्रेस वालों ने इस हद तक एक्सप्लयाटेशन को कम किया और बन्द किया, वह उल्टे यह कहने लगते हैं कि यह क्यों कर दिया। इसका असली कारण यह है कि उनके दिमाग में विचारों का संघर्ष रहता है, उनके विचार कन्फ्यूज हो जाते हैं उनको पता नहीं रहता कि क्या सही है। मैं अपनी बात को फिर दोहराना चाहता हूं कि यह अधिनियम भी किसी उसूल पर बना है। भूमिधर अपनी जमीन को ट्रांसफर कर सकें लिहाजा आज राइट आफ ट्रांसफर का अधिकार उसको दिया गया। टाइटिल का पजेशन दो आदमियों के हाथ में रहता है तो फिर वही एक्सप्लायटेशन का सवाल पैदा होता है और ऐसी स्थिति में हमने सीर का भी हक नहीं रखा। जिसके पास टाइटिल रहेगा उसके पास ही कब्जा रहेगा और यह दोनों अधिकार एक ही आदमी के रहेंगे।

इंप्रूवमेंट की बात उठाई गई। उसके लिये ४, ५ सेक्शन यहां पर करना बेकार था, क्योंकि उसकी परिभाषा टेनेंसी ऐक्ट में दी गयी है और उसकी वहां पर जरूरत थी और ५, ७ सेक्शन उसके लिये उसमें दिये गए हैं। इसके अन्दर परिभाषा देने की जरूरत नहीं है। उसको इंप्रूवमेंट करने का अधिकार है। दूसरे लोग उसका मुआविजा पायें और वह बेचारा रह जाये यह चीज गैरजरूरी मालूम होती है। इसलिये इसको निकाल दिया गया है। बदकिस्मती यह है कि जितनी मेहनत का तकाजा यह अधिनियम करता है उतनी मेहनत बहुत कम लोग करते हैं। कोई भी एक आदमी खड़ा हो गया और कह दिया कि साहब कुछ नहीं किया गया। मैं उन सब दोस्तों से यह आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग इसके ऊपर एक बार फिर विचार करें और विचार करने के बाद, मैं यह समझता हूं, कि उनकी शंका का

जवाब इसमें से शायद मिल जाय। जयपाल जी ने थोड़ा बहुत कहा और बधाई भी दी। मैं उनको इसके लिये धन्यवाद देता हूं लेकिन वह बधाई बड़ी ग्रॉजली उन्होंने दी। जो बात हम अपनी पार्टी में कहते हैं और अपने लीडर से कहते हैं और जिसको वह मंजूर करते हैं तो फिर इस प्रकार का प्रश्न कैसे आ सकता है। जो बात आई उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब वह गांव में जाते हैं तो उनको वही हालत पहले की नजर आती है। सिवाय इसके कि जिन जमींदारों के पास १०, १५ बीघे जमीन है और तो मैं समझता हूं वहां उनको बदली हुई हालत देखने में जरूर आयेगी। जिन लोगों के पास इतनी थोड़ी जमीन है उनसे ले लेना तो उनका खुद का मन्शा भी नहीं है। वह खुद चाहते हैं कि कम से कम १० एकड़ जमीन तो जमींदारों के पास रहनी ही चाहिये। उनको सहारनपुर में १९ एकड़ वाले बहुत दिखाई देते हैं लेकिन मैं समझता हूं कि बहुत कम लोग ऐसे नजर आयेंगे। अगर २० एकड़ भी उन लोगों के पास हर एक के हो जाय तो जो नकशा आज दिखाई देता है उसमें कोई अन्तर नहीं पड़ेगा। एक चीज जो हो गयी है वह तो कुछ नहीं लेकिन एक चीज जो रह गयी है वह अगर हो जायगी तो बस जादू हो जायगा। सहारनपुर के जिले में २० से २५ एकड़ तक के कुल खाते २,४३२ हैं और २५ एकड़ से ऊपर के जो खाते हैं वह ३,२११ हैं। तो इतने बड़े सहारनपुर जैसे जिले में कुल २० एकड़ से ऊपर की होल्डिंग ५,६४३ हैं। २० एकड़ तक की तो रहनी चाहिये यह तो जयपाल सिंह जी मानते ही हैं। अगर आप २० एकड़ से ऊपर लेकर तकसीम भी करेंगे तो मैं यकीन दिलाता हूं कि अगर उसके बाद भी फिर जयपाल सिंह जी वहां जावेंगे मार्च या अप्रैल के महीने में तो भी उनको कोई फर्क नहीं मालूम होगा। ठीक है, अगर चीज डिजायरेबिल है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस और हमारी वर्किंग कमेटी कभी ऐसा करने में नहीं हिचकिचायेगी लेकिन इसके लिये सबसे पहले काटेज इंडस्ट्रीज बढ़ाने की जरूरत है और इसके साथ ही जो हमारी दूसरी प्राबलम है और जो बहुत ही सीरियस है वह है पापुलेशन का कंट्रोल। आखिर में उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि हो सकता है कि कोई बात इस बिल में आने से रह गई हो तो यदि माननीय सदस्य कोई सुझाव देंगे तो हम उस पर विचार कर लेंगे। एडेप्टेशन की दफा ३४२ के जरिये हमको पावर है और हमने दो—तीन किये भी हैं और हम कर भी देते हैं और जून से ६ महीने से हम विचार कर रहे हैं। हमने वकीलों से मशविरा किया, बहुतों ने राय भेजी, करीब २५ मीटिंग हमने डिप्टी लीगल रिमेम्ब्रेन्सर और लैन्ड रिफार्म कमिश्नर वगैरह को साथ लेकर की और जो कुछ विचार हो सका उसी का यह नतीजा है। यह कहना कि अभी और ६ महीने का इंतजार कर लिया जाय, यह ठीक नहीं है, क्योंकि अभी कम्पेनसेशन के स्टेटमेंट तैयार हो रहे हैं उनके लिये यह बहुत जरूरी है और इस वक्त इसका बनना बहुत ही फायदेमन्द है, इसलिये यह स्टेज है कि हम अब इंतजार नहीं कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं फिर सदन से प्रार्थना करूंगा कि वह इस प्रस्ताव पर विचार करे और इसे अस्वीकार करे।

श्री उपाध्यक्ष——प्रश्न यह है कि यह विधेयक जनमत प्राप्ति के हेतु भेजा जाय जो कि १५ दिन के अन्दर उपलब्ध होना चाहिये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष——प्रश्न यह है कि यह विधेयक एक प्रवर समिति को, जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगे, निर्दिष्ट किया जाय जो अपनी रिपोर्ट ७ दिन के अन्दर दे:——

१——श्री द्वारका प्रसाद मौर्य।
२——श्री जयपाल सिंह।
३——श्री बसी नकवी।
४——श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (बाराबंकी)।
५——श्री शिव नाथ काटजू।

[श्री उपाध्यक्ष]

६—श्री राधा मोहन सिंह।
७—श्री पद्मनाथ सिंह।
८—श्री नवल किशोर।
९—श्री राम लखन (बनारस)।
१०—श्री लुत्फ अली खां।
११—श्री शिव सरन लाल श्रीवास्तव।
१२—श्री ब्रजवासी लाल।
१३—श्री वीरेन्द्र पति यादव।
१४—श्री देवेंद्र प्रताप नारायण सिंह।
१५—श्री राम लखन मिश्र (बस्ती)।
१६—श्री लक्ष्मीरमण आचार्य।
१७—श्री ज्वाला प्रसाद।
१८—श्री उम्मेद सिंह।
१९—श्री गेंदा सिंह।
२०—श्री राम नारायण त्रिपाठी।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९५२

स्वशासन मंत्री (श्री मोहन लाल गौतम)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९५२ पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से पारित हुआ है, विचार किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत जरूरी अमेंडमेंट बिल है। इस बात की चारों ओर से मांग है कि जिन म्युनिसिपैलिटीज का चुनाव सन् १९४५ में हुआ था वे चुनाव शीघ्र करा दिये जायं। पहिले ही जितना समय उसमें बीत चुका है वह कहीं ज्यादा है। मेरा यह अन्दाजा है कि कोई भी दल या शहर में रहने वाला नागरिक, सिवाय कुछ लोगों के, ऐसा नहीं होगा जो नगरपालिकाओं का चुनाव शीघ्र नहीं चाहता हो। जब चुनाव की इतनी जबरदस्त मांग है तो प्रश्न यह उठता है कि चुनाव किस प्रकार जल्द कराया जाय। जहां तक म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट का संबंध है, वह एक बहुत पुराना ऐक्ट हो चुका है। नयी बदली हुई परिस्थिति में यह आवश्यक है कि वह पूरी तरह से ओवरहाल किया जाय। उस ऐक्ट को अगर आप दोबारा अमेंड करें तो उसमें बहुत से मूलसिद्धांतों पर आपको बहस करनी होगी। वे मूल सिद्धांत आज आपके सामने जब रखे जावेंगे तो उन पर हो सकता है कि काफी विवाद हो लेकिन बहुत से लोग होंगे जो भिन्न भिन्न विचार रख सकते हैं। इस विषय पर दूसरे रूप में एक और चीज सदन के सामने आने वाली है। वह होगी म्युनिसिपल कारपोरेशन्स बिल। इस बिल में उन सिद्धांतों को लाने की कोशिश की जायगी जिनके अनुसार आगे म्युनिसिपैलिटीज का ऐडमिनिस्ट्रेशन चलेगा। इसलिये म्युनिसिपैलिटीज के अमेंडिंग बिल के लिये यह ज्यादा मुनासिब है कि हम उस समय तक इंतजार करें जब म्युनिसिपल कारपोरेशन बिल का फैसला यह सदन करदे, क्योंकि दोनों में जो मूलसिद्धांत हैं वे एक ही होने चाहियें जब तक कि यह सदन उनमें कोई फर्क करने का फैसला न करे। इसलिये यह एक छोटा सा बिल इस वक्त लाया जा रहा है जो ज्यादा तर इस ख्याल से है, या कहिये कि पूरी तरह से इसी विचार से है कि नगरपालिकाओं का चुनाव जल्द कराया जाय। उन मूल सिद्धांतों पर जोकि म्युनिसिपल ऐडमिनिस्ट्रेशन के हैं, बाद में विचार किया जाय। इसलिये मैं इस सदन के सब सदस्यों से, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा यह निवेदन करूंगा कि इस मौजूदा बिल को केवल उसी रूप में लें जिसमें इसे पेश कर रहा हूं। म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट में बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जिनकी ओर सदस्यगण इशारा कर सकते हैं, ध्यान दिला सकते हैं, लेकिन यह

---

*२ दिसम्बर, १९५२ की कार्यवाही में छपा है।

नहीं है कि वे हमारी आंखों से ओझल हैं और इसलिये हमने उन पर विचार नहीं किया या इसमें नहीं शामिल किया। वे चीजें हमारे सामने हैं। उन पर विचार हो रहा है। जो दूसरा अमेंडिंग बिल होगा वह बहुत कम्प्रीहेंसिव होगा और उसमें वे सब बातें आवेंगी। जैसा मैंने कहा, यह बिल केवल चुनाव के लिये ही खासतौर से लाया जा रहा है। सन् १९४८ में जो अमेंडमेंट्स म्युनिसिपल ऐक्ट में हुए थे वे अभी तक अमल में नहीं लाये गये क्योंकि उसके बाद कोई चुनाव नहीं हुए। वे पहली मर्तबा इस दफा के चुनाव में काम आयेंगे। उनमें मैं दो बातों की ओर खास तौर से इशारा करना चाहता हूं। एक तो सन् १९४८ के संशोधन में एडल्ट फ्रेंचाइज यानी बालिग मताधिकार रखा गया था। दूसरे कोआप्शन या नामीनेशन बिल्कुल गायब है। इस समय जो कानून है उसमें कोई कोआप्शन या नामीनेशन नहीं होगा। अब म्युनिसिपैलिटीज के चेयरमैन प्रेसीडेंट कहलावेंगे और उनका चुनाव सीधे जनता द्वारा होगा, मेम्बरों द्वारा नहीं। ये वे चीजें हैं जो पहले ही फैसला हो चुकी हैं और जो कि अब पहले पहल अमल में आवेंगी।

यह जो अमेंडिंग बिल है इसकी खास बातें भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यों तो यह बिल काउन्सिल से पास हो कर आया है और सदन के बहुत से सदस्यों ने, लगभग सभी सदस्यों ने, इसे अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा। यह एक छोटी सी चीज है लेकिन फिर भी यदि मैं थोड़ा सा समय इस सदन का लूं तो उसके लिये माफी चाहता हूं। नयी परिस्थिति में जिस तरह से पीपल्स रिप्रेजेंटेशन ऐक्ट में पार्लियामेंट और असेम्बलियों के चुनाव हुए हैं उससे आप दूसरी तरह से म्युनिसिपैलिटीज के चुनाव शायद करना पसन्द नहीं करेंगे। इसलिये इन तमाम चुनावों का आधार पीपल्स रिप्रेजेंटेशन ऐक्ट ही है। उसमें एक बात तो यह है कि जो असेम्बली के इलेक्टोरल रोल्स हैं वही अब म्युनिसिपैलिटीज के होंगे और जैसा कि सदस्यों को मालूम है कि वह स्टैंडिंग रोल्स हैं। यह अब नहीं होगा जैसा कि पहले हुआ करता था कि एक रोल तैयार हो, उसे टांगा जाय, एतराज लिये जावें और उन्हें सुना जाय और फैसला किया जाय। जो इलेक्टोरल रोल्स इस समय हैं वही होंगे। उनमें एक परिवर्तन होगा और वह यह कि इस वक्त जो कंस्टीट्यूएंसी वाइज इलेक्टोरल रोल्स हैं वे वार्डवाइज होंगे। जो अब तक कांस्टीट्यूएंसी असेम्बली की है वही वार्ड-वाइज इलेक्टोरल रोल म्युनिसिपैलिटीज के होंगे। जो वोटर नहीं हैं और जो होना चाहता है अगर उसमें वह काबिलियत है जिसके अनुसार वह वोटर हो सकता है तब ५० रुपया देने पर वह किसी समय भी वोटर हो सकता है। अगर ५० रुपये देकर एक व्यक्ति असेम्बली का वोटर हो जाता है किसी समय भी तो उसका नाम म्युनिसिपैलिटीज की निर्वाचन सूची में भी दर्ज हो जायगा खुदबखुद। लेकिन अगर वह ५० रुपये नहीं खर्च करना चाहता है और असेम्बली का वोटर नहीं होना चाहे तो १० रुपये देकर म्युनिसिपैलिटी के इलेक्टोरल रोल में अपना नाम दर्ज करा सकता है। दूसरी बात है कि जो रिजर्वेशन आफ सीट्स है वह अब नहीं रहा, सिवाय उस हद तक जिस हद तक कि शेड्यूल कास्ट्स के रिजर्वेशन का सवाल है। इसे छोड़ कर और कोई रिजर्वेशन नहीं होगा।

यानी न रिजर्वेशन होगा, न नामिनेशन होगा और न कोआप्शन ही होगा। इसके अलावा ये जो इलेक्शन्स हुआ करेंगे वे सब डायरेक्टर आफ इलेक्शन्स (लोकल बाडीज़) के अधीन हुआ करेंगे। उनको लोकल सेल्फ डिपार्टमेंट की जो मदद लेनी होगी ले लेंगे लेकिन फैसला उसी का अन्तिम होगा। वही सारे इलेक्शन को कंडेक्ट करने के ज़िम्मेदार होंगे। इन थोड़ी सी बातों की तरफ मैंने इशारा इसलिये किया कि पीपिल्स रिप्रेजेंटेशन ऐक्ट के अनुसार हमें इसमें कुछ संशोधन लाने की आवश्यकता हुई।

बोर्ड का कंपोजीशन क्या होगा, यह भी एक विचारणीय चीज़ है। आजकल जो क़ानून है उसके अनुसार म्युनिसिपल बोर्ड में मेम्बरों की संख्या २० से ८० तक हो सकती है, लेकिन ऐसा सोचा गया कि यह संख्या अधिक है इसलिये अब यह संख्या १५ से ५० कर दी गई है। इसके मुताल्लिक़ थोड़ा सा अर्ज कर दूं। बड़े-बड़े शहरों मे म्युनिसिपैलिटीज के बजाय कारपोरेशन दिया जा रहा है। एक-दो शहर इस तरह से निकल

[श्री मोहनलाल गौतम]

जायेंगे बाकी जो शहर होंगे उनमें ५० की संख्या काफ़ी होगी। ख्याल यह है कि ८० बहुत संख्या है। जिस प्रकार की जिम्मेदारी हम उन्हें दे रहे हैं उसमें थोड़ी संख्या होना अच्छा होगा, विचार करने में भी सुभीता होगा और काम के चलाने में भी।

एक चीज और है। अब तक जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की जो मियाद थी उसको चाहे जिस हद तक बढ़ाया जा सकता था, उसके लिये कोई रुकावट नहीं थी। अभी मेरे एक मित्र ने कहा कि अभी इसकी जल्दी क्या है, इसको पब्लिक ओपीनियन के लिये भेज दिया जाय, लेकिन इस म्युनिसिपैलिटी के अमेंडिंग बिलमें हमने म्युनिसिपैलिटी की मियाद चार साल की रखी है और गवर्नमेंट उसे ज्यादा से ज्यादा दो साल और बढ़ा सकती है यानी ६ साल के अन्दर इलेक्शन होना जरूरी होगा। इसके बाद वह मियाद नहीं बढ़ सकती।

इसमें एक और चीज़ रखी गयी है कि आप प्रेसीडेंट का डाइरेक्ट इलेक्शन करेंगे। प्रेसीडेंट को उतने ही वोटर वोट देंगे जितने कि कुल बोर्ड को वोट करेंगे। इसलिये यह भी रखा गया है कि अगर बोर्ड को डिजाल्व किया जाय तो तीन सूरतें पैदा होती हैं। (१) यह कि प्रेसीडेंट को ही हटा दिया जाय, (२) प्रेसीडेंट को रखें और बोर्ड का चुनाव दुबारा करायें, (३) यह भी हो सकता है कि प्रेसीडेंट और बोर्ड दोनों का चुनाव दुबारा करायें।

ये तो चुनाव से संबंध रखने वाली बातें हैं, जिनका कि मैंने अभी ज़िक्र किया। इनके अलावा थोड़ी सी चीजें ऐसी हैं जिनके लिये यह जरूरी था कि उनको फौरन् किया जाता ताकि म्युनिसिपैलिटियों का इंतजाम ठीक ठीक हो सके और उ .का काम ठीक ठीक चल सके। जब से ग्रो मोर फूड की आवाज़ उठी है तब से चारों तरफ इस बात की कोशिश है और गवर्नमेंट आफ इंडिया ने भी यह कहा कि कंपोस्ट का इंतजाम म्युनिसिपैलिटीज करें। उसमें कुछ कठिनाइयां आई हैं इसलिये यह अधिकार देना और बात है और म्युनिसिपैलिटीज कम्पोस्ट बनाने का काम कर सकें उस पर खर्चा कर सकें यह दूसरी बात है। कहा यह जाता है कि हर एक म्यु-निसिपैलिटी के लिये यह कंपल्सरी कर दिया जाय कि वह कम्पोस्ट बनाने का काम करे।

यद्यपि इच्छा हमारी भी यह है और सब लोगों की भी हो सकती है कि कम्पोस्ट बनाने का काम म्युनिसिपैलिटियों के सुपुर्द किया जाय, लेकिन उसमें दिक्क़त हो सकती है। दिक्क़त यह है कि ११९ म्युनिसिपैलिटियां एक ही लेविल की एक ही स्टैंडर्ड की नहीं हैं। उनके सामने कई दिक्क़तें भी होती हैं, फाइनेंशियल भी और ऐडमिनिस्ट्रेटिव भी। इसलिये इस चीज को कम्पलसरी करने का मतलब यह होता है कि अगर कोई म्युनिसिपैलिटी इस काम को पूरा न कर सके, उसमें फैल्योर हो तो उस पर अनुशासन वगैरह का इल्ज़ाम हो। इसलिये इसको अभी डिस्क्रिमिनेटरी रखा गया है, लेकिन कोशिश यह है कि ज्यादा से ज्यादा इस ओर म्युनिसिपैलिटियाँ आगे क़दम बढ़ावें।

एक चीज है एकाउंट आफिसर को मुक़र्रर करने की। आजकल बहुत सी जगहों से शिकायतें आ रही हैं, कई जगह गबन हुए हैं, कई जगह गबन करने वाले लापता हो गये हैं और एकाउंट के रखने में लोगों को दिक्क़तें हैं। इसलिय इसमें एक यह भी इन्तजाम किया गया है कि एकाउंट आफिसर मुक़र्रर किया जा सके। वह एकाउंट आफिसर हर एक म्युनिसिपै-लिटी में हो या कई म्युनिसिपैलिटियों को मिला कर एक एकाउंट आफिसर हो। इस चीज को भी देखना है क्योंकि इसका भी ख्याल रखना है कि हर म्युनिसिपैलिटी इसका बोझ भी बर्दाश्त कर सकेगी।

प्रेसिडेंट और मेम्बर साहबान को रिमूव करने का अधिकार गवर्नमेंट को इस क़ानून में है। मैं इस बात को फिर दोहरा देना चाहता हूं, क्योंकि यह गलतफहमी बहुत लोगों को है और कई अखबार वालों को भी है कि यह एक नयी चीज, एक नया पावर हमलोग ले रहे हैं। यह बात नहीं है। म्युनिसिपल बोर्ड्स के चेयरमैन और मेम्बरों को रिमूव करने का अधिकार इस वक्त भी गवर्नमेंट के हाथ में है, लेकिन अब जो चीज की जा रही है वह यह है कि दौराने तहक़ीक़ात, कोई जांच हो रही हो और यह जरूरत समझी जाय तो वह सस्पेंड भी किया जा सके।

सिर्फ सस्पेंड करने की बात जोड़ी जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जहां रिमूवल की ताक़त किसी अथारिटी के पास होती है वहां सस्पेंशन उसके अन्दर है। मैं समझता हूं कोई बड़ी ताक़त नहीं है। आप देखें, कुछ म्युनिसिपल बोर्ड्स के कर्मचारी यह शिकायत करते हैं कि यह चेयरमैन रिश्वत लेता है और हम यह साबित करने के लिये तैयार हैं। अगर आप उसकी तहक़ीक़ात करवाना चाहते हैं तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन के सदस्यगण से यह प्रार्थना करूंगा कि वे इस पर विचार करें कि अगर वह चेयरमैन सस्पेंड नहीं होता तो वे तमाम कर्मचारी जो शिकायत करना चाहते हैं और वे तमाम काग़ज़ात जो उसके सामने पेश करना चाहते हैं, उन सब पर उस चेयरमैन का अधिकार है तो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि वह चीज पूरी नहीं हो सकती। इसमें बहुत सी रुकावटें होंगी। यह तो मामूली तरीक़े से इसकी मांग रोज होती है। कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जिसने कोई गबन किया है, अगर कोई तहक़ीक़ात आप उसके खिलाफ कराना चाहते हैं तो सबसे पहली मांग जनता की यही होती है कि यह थानेदार या तहसीलदार या जो एक्जीक्यूटिव आफिसर हो उसे तहक़ीक़ात कराने के वक्त वहां से हटा दिया जाय तो तहक़ीक़ात ठीक हो सकेगी। अगर वह आफिसर वहां मौजूद रहेगा और काग़ज़ात उसके अधिकार में रहेंगे तो तहक़ीक़ात होने में कितनी दिक्क़त हो सकती है इसको बहुत आसानी से समझा जा सकता है। यह मैं कोई हवाई बात नहीं कह रहा हूं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं कई म्युनिसिपैलिटीज़ की बातें भी पेश कर सकता हूं जिनमें चेयरमैन ने रिश्वत ली। रिश्वत लेने की बात वहां के कर्मचारियों ने पेश की और वह बात ठीक थी, उन्होंने कहा कि हम तमाम सबूत पेश कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त हमें म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन को सस्पेंड करने का अधिकार नहीं है। ऐसी हालत में बड़ी दिक्क़त हुई। म्युनिसिपल बोर्ड के कर्मचारी डरते हैं कि अगर हमने इसके खिलाफ गवाही वगैरह दी और कहीं यह रह गया तो फिर बाद में हमसे बदला लेगा। काग़ज़ात जब आप मांगते हैं, तो वह काग़ज़ात ठीक-ठीक आ सकते हैं या नहीं यह आप खुद समझ लीजिये। मुझे तो एक बहुत बड़ा केस मालूम है जिसमें म्युनिसिपल बोर्ड के मेम्बर के खिलाफ जिसने कर्मचारी की रिश्वत पकड़ी थी, वह मेम्बर है और उसी की पार्टी का चेयरमैन है और उसके खिलाफ म्युनिसिपल बोर्ड के दफ्तर से जाली फोर्ज्ड डाकूमेंट्स अदालत में पेश हुये थे। इसलिये अगर इस तरह की अगर आप तहक़ीक़ात करना चाहते हैं और अगर आप यह चाहते हैं कि इस मुल्क में करप्शन और बेईमानी रुके तो मैं निवेदन करूंगा कि रिमूव करने का तो अधिकार है ही उस रिमूव करने से पहले अगर तहक़ीक़ात करने के वक्त इसकी ज़रूरत पड़े तो वह ताक़त गवर्नमेंट के पास होनी चाहिये। कहा यह जा सकता है कि यह बड़ी वाइड पावर्स है और इसका बहुत मिसयूज़ हो सकता है, ठीक है, हो सकता है लेकिन मैं अर्ज़ करूंगा कि इसमें बहुत-सी रोकथाम भी है। क़ायदा यह है कि अगर आप किसी को हटाना चाहते हैं तो उस पर चार्जशीट फ्रेम करेंगे, उससे जवाब तलब करेंगे और उसको हाईकोर्ट में भी जाने का अधिकार है, यह कह कर कि उसको गलत तरीक़े से हटाया गया और मेरे साथ अन्याय हुआ है। इस तरह के बहुत से केसेज़ हाईकोर्ट में गये और हाईकोर्ट ने फाइलें भी तलब कीं और हाईकोर्ट ने देखा है कि किस तरीक़े से ये लोग हटाये गये हैं। तो यह क़ायदा है, इसलिये उन पावर्स का मिसयूज़ नहीं हो सकता है और अच्छे ऐडमिनिस्ट्रेशन के लिये ज़रूरी है कि ऐसी पावर्स गवर्नमेंट के पास हों। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सस्पेंशन की पावर्स जो मेम्बरान और चेयरमैन के लिये लाई गई है वह डिस्मिसल में इम्प्लाइड है और डिस्मिसल की पावर्स नई नहीं है और इस वक्त मौजूद है और डिस्मिसल की पावर्स के होते हुये सस्पेंशन की पावर्स के मिसयूज़ होने की कोई सम्भावना नहीं है। आज कितने आदमी डिस्मिस हुये हैं?

मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपसे कहूं कि अगर इस सदन के सदस्यगण मुझसे यह शिकायत करें कि जितनी खराबियां म्युनिसिपैलिटियों में हैं और जितने लोगों ने गलतियां की हैं जिन लोगों ने बेईमानियां की हैं उन सब का हम इंतजाम नहीं कर सके हैं, तो मैं इस बात को मानने के लिये तैयार हूं। यह गलती हुई तो दूसरी तरफ से हुई है। लीनियेंसी बरती गई है, काफ़ी सख्ती नहीं की गई, काफ़ी लोगों को निकाला नहीं गया, उनको सस्पेंड नहीं किया गया,

[श्री मोहनलाल गौतम]

उनको प्रासीक्यूट नहीं किया गया। लेकिन इस तरह से गलती नहीं हुई है कि इन पावर्स की वजह से जबरदस्ती आदमियों को निकाला गया हो उसकी वजह से म्युनिसिपल ऐडमिनिस्ट्रेशन इस प्रदेश का अच्छा नहीं हो पाया है और उसमें तरक्की होनी चाहिये।

एजूकेशन स्टाफ के संबंध में एक संशोधन है और वह यह है कि जो भी स्टाफ होगा उसको एप्वाइंट करने का और सजा देने का, डिस्मिस करने का अधिकार एजूकेशन सुपरिन्टेंडेंट और चेयरमेन एजूकेशन कमेटी को है और अपील उसकी प्रेसीडेंट, म्युनिसिपल बोर्ड को जाय। इसमें जो चीज नई आई है वह यह है कि एजूकेशन कमेटी से एप्वाइंटमेंट और डिस्मिसल हटा लिया गया है। एजूकेशन कमेटी से एक तरह से जो वोट लेकर एप्वाइंटमेंट और डिस्मिसल होते हैं उसमें कुछ कठिनाइयां देखी गई है, लेकिन चेयरमैन को अधिकार है। चेयरमैन के काम को अगर एजूकेशन कमेटी डिस्कस करना चाहे तो वह कर सकती है।

हमारी इच्छा यह है कि शहरों की हालत सुधरे। उसके लिये कुछ मास्टर प्लान्स भी बने हुये हैं और कुछ सड़कों और मकानों को एक प्रकार का इंतजाम किया जा रहा है। उसके लिये एक टाउन और विलेज प्लानिंग डिपार्टमेंट भी है, उसमें कुछ अच्छे अच्छे आफिसर्स भी हैं और हमको इस बात की खुशी है कि हमको काफ़ी अच्छे आफिसर्स उसमें मिले हैं। लेकिन अभी दिक्क़त है कि इस तरह की मास्टर प्लान बने, उसके अनुसार शहर बने, उसके अनुसार सड़कें वगैरह ठीक हों, उसके लिये क़ानून में कोई अधिकार नहीं है।

इसलिए यह कि मास्टर प्लान के अनुसार एक ऐडहाक कमेटी बने उसके अनुसार कुछ कार्य-वाही हो सके, उसका अधिकार इस अमेंडमेंट बिल में लिया गया है।

एक चीज और है और वह यह कि आक्ट्राय, आजकल आक्ट्राय के बारे में बड़ी शिकायत है और हर जगह से शिकायत आ रही है। उस शिकायत के दो पहलू हैं। एक तो यह है कि उसकी वजह से व्यापारियों को बहुत तकलीफ होती है और व्यापार नष्ट हो रहे हैं। कई जगह व्यापारियों ने इस प्रकार का आन्दोलन भी किया है और रिप्रेजेंटेशंस तो काफ़ी आते रहते हैं। दूसरी चीज यह है कि जो मौजूदा आक्ट्राय है उसमें एक बड़ी भारी खराबी यह है कि मिसाल के तौर पर आप एक म्युनिसिपैलिटी ले लीजिये। मान लीजिये कि उसकी आक्ट्राय की आमदनी ४० लाख की है। ३० लाख उसका रिफंड हो जाता है। अब म्युनिसिपल बोर्ड यह कहते हैं कि यह जो माल हमारे यहां से बीच में हो करके गुजरता है उसमें तीस लाख जो रिफंड हुआ उसको वसूल करने के लिए एक आदमी चाहिए, स्टेशनरी चाहिए। तीस लाख वसूल करने के लिए एक एंड पर एक आदमी और दूसरे एंड पर वापस करने के लिए दूसरा आदमी चाहिए। आडिट भी तीस लाख का होगा। तो इसके वसूल करने के लिए मशीनरी चाहिए, उसको स्टेशनरी चाहिए और आडिट फी चाहिए। तो इससे म्युनिसिपल बोर्ड्स को एक जबरदस्त घाटा होता है।

तीसरी बात यह है कि लोगों को यह भी शिकायत है कि इसके रिफंड में काफ़ी लीकेज है।

इन तमाम बातों पर विचार इसमें हो रहा है। यह बहुत महत्व की बात है। लोगों का सुझाव यह है कि इसमें टर्मिनल टैक्स लगा दिया जाय। टर्मिनल टैक्स सेंट्रल सब्जेक्ट है इसलिए बगैर उनकी इजाजत के हम नहीं लगा सकते। वह इसके लिए बहुत रजामन्द नहीं हैं कि हर म्युनिसिपैलिटी के लिए टर्मिनल टैक्स वसूल करके आप को दें। इसलिए हमारे सामने सवाल इस तरह से हो जाता है कि टर्मिनल टैक्स में जो अच्छी बातें हैं वह ले लें और आक्ट्राय में जो बुरी बातें हैं उनको छोड़ दें और दोनों को मिला कर ऐसा रास्ता निकालें जिससे आक्ट्राय की खराबियां दूर हो जायं और टर्मिनल टैक्स की खूबियां आ जायं और न व्यापार को धक्का पहुंचे, न म्युनिसिपैलिटी को नुक़सान ही पहुंचे और न लीकेज हो कर बेईमान लोग फायदा उठाएं। यह एक रास्ता है जिसको अख्तियार करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिये आक्ट्राय में एक छोटा सा संशोधन आया है। इसके बाद जब अधिकार

हो जायगा तो एक स्कीम बनेगी और उस स्कीम के मुताबिक हम कोशिश करेंगे कि इस तरह की आक्ट्राय का वह रुपया दे दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस बिल की मोटी मोटी बातें आपके सामने रखी हैं। यह बिल लेजिस्लेटिव काउंसिल से पास हो चुका है और जैसा कि मैंने अभी अभी निवेदन किया इसमें कोई बहुत बड़ी सिद्धान्त की बातें हैं नहीं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस सदन के सदस्यगण मेरे हाथ मजबूत करें और यह बिल जल्द से जल्द पास हो जाय, ताकि जल्द से जल्द हम एलेक्शन करा सकें। इन एलेक्शनों की ज़रूरत के ऊपर एक लफ्ज़ भी कहना अनावश्यक है। शायद ही कोई व्यक्ति इस सदन का हो जो इसकी ज़रूरत न महसूस करता हो। इसलिए जो डाइलेक्टरी टैक्टिक्स होती है कि इसको पब्लिक ओपीनियन के लिए सरकुलेट किया जाय उसमें कुछ रखा नहीं है। उसके मानी यह हैं कि इस बिल को अभी कोल्ड स्टोरेज में रख दिया जाय। पब्लिक ओपीनियन के लिये सरकुलेशन में और कोल्ड स्टोरेज में कोई फर्क नहीं है। जहां तक सेलेक्ट कमेटी का संबंध है अगर कोई ऐसा सिद्धान्त होता जिसमें कि सेलेक्ट कमेटी बहस करके उसके ऊपर कोई संशोधन कर दे और उसको इम्प्रूव कर दे तो मुझे कोई एतराज नहीं था। बड़े बड़े बिल्स आयेंगे। कार्पोरेशन बिल आयेगा, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अमेंडिंग बिल आयेगा और पंचायत के संबंध में कोई बड़ा बिल आया तो ऐसे बड़े बिलों में सिद्धान्तों का सवाल हो सकता है और सेलेक्ट कमेटी की मांग हो सकती है। लेकिन इस वक्त मैं सदन के सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि इस तरह का कोई प्रस्ताव इस समय न करें और इसको जल्द से जल्द पारित कर दें, ताकि हम एलेक्शन कराने में जल्दी सफल हों।

इन शब्दों के साथ मैं इसको पेश करता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं कि नियम १३७ के अनुसार यह विधेयक इस सदन द्वारा नियत एक प्रवर समिति के समक्ष जिसकी नामावली बाद को प्रस्तुत की जायगी भेजा जावे, जो दस दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट दे दें।

श्रीमन्, मुझे दुःख है कि माननीय प्रशासन मंत्री जी ने इसके पहले ही कि मैं कोई प्रवर समिति के बारे में प्रस्ताव करूं और उनसे यह निवेदन करूं कि वह पुर्नविचार करें, उन्होंने प्रवर समिति में जाने के प्रस्ताव को पहले से ही ठुकरा दिया और इस सदन को मौक़ा नहीं दिया और इस सदन के सभी सदस्यों को स्वतंत्र रूप से विचार करने का मौक़ा नहीं दिया कि यह बिल सेलेक्ट कमेटी में जाना चाहिये या नहीं? मुझे ऐसी आशा माननीय मंत्री जी से नहीं थी कि वह पहले ही माननीय सदस्यों के लिये एक लगाम सी लगा देंगे कि वे अपने विचार स्वतंत्रतापूर्वक व्यक्त न कर पायें या करें। खैर, यह उनकी इच्छा के ऊपर है। मैं तो यह बहुत ही आवश्यक समझता हूं कि यह बिल प्रवर समिति में जाय और उसके कारणों पर भी मैं सिद्धान्ततः प्रकाश डालना चाहता हूं।

माननीय मंत्री जी ने इसको बहुत ही छोटा बिल बतलाया और यह कहा कि इसमें कोई "बहुत बड़ा" सिद्धान्त नहीं है। "बड़ा" तो है, "बहुत बड़ा" नहीं है। उनका ऐसा विश्वास था, जिससे यह प्रवर समिति को भेजा जा सके। मैंने तो यह देखा कि माननीय मंत्री जी ने इसको एक प्रेस कान्फ्रेंस में डिक्लेयर किया था और बहुत महत्व इसको दिया था और हम इन्तज़ार में थे कि कौन दिन आये कि हम इसे देख सकें और इस पर अपने विचार व्यक्त कर सकें। अब ऐसा भी मुझे नजर नहीं आता जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि यह केवल एलेक्शनों के लिये है कि हम विधान के अनुसार अडल्ट सफ्रेज के द्वारा, बालिग मताधिकार के अनुसार चुनाव करेंगे और इसलिये यह बिल आया है। अगर यह बिल केवल एलेक्शनों के लिये होता तो इसमें केवल उन्तीसवीं धारा तक संशोधन होने चाहिये थे। जितने एलेक्शनों के प्रावीजन पुराने ऐक्ट में हैं वे उन्तीसवीं धारा तक सीमित होते हैं। उसके बाद नई धाराएं आती हैं। लेकिन इसमें तो आमूल परिवर्तन भरे पड़े हैं। इसलिये यह नहीं माना जा सकता कि यह केवल एलेक्शनों के लिये ही है और इसी कारण से जल्द से जल्द लागू होना चाहिये।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

मैं अपने दृष्टिकोण से इस बिल के दो हिस्से करता हूं। एक हिस्सा डिस्क्रिशनरी पावर्स के लिये, सस्पेंशन करने के लिये, पावर्स लेने के लिये और आक्ट्राय के नौकरों के सस्पेंशन होने के लिये है और एक दूसरा एलेक्शन के बारे में है एक आम तरीके से। दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो मैं पहले एलेक्शन का हिस्सा लेना चाहता हूं जिस पर माननीय मंत्री जी ने इतना जोर दिया कि हमें रिजर्वेशन सीट्स को खत्म करना है और एलेक्शन कराना है।

माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम तो एक इंडिपेंडेंट अथारिटी बना रहे हैं इस एलेक्शन को चलाने के लिये जो कि प्रान्त से लोकल बाडीज का होगी। श्रीमन्, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या डाइरेक्टर आफ एलेक्शन्स उसी प्रकार इंडिपेंडेंट अथारिटी होने जा रहे हैं जिस प्रकार सेंटर में एलेक्शन कमिश्नर विधान के अनुसार इंडिपेंडेंट हैं? मेरा विश्वास है कि ऐसा नहीं है। मैं इसके लिये डाइरेक्टर आफ एलेक्शन्स की परिभाषा पढ़ना चाहता हूं जोकि इसमें दी हुई है--

"'Director of Elections (Local Bodies)' means an officer appointed by the State Government in this behalf by notification in the official *Gazette*."

इसके अलावा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि वह इंडिपेंडेंट होगा। एलेक्शन कमिश्नर के लिये तो विधान में साफ दिया हुआ है कि वह इंडिपेंडेंट होगा। मेरा विचार यह है कि जैसे और आफिसर्स रखे जाते हैं वैसे ही डाइरेक्टर आफ एलेक्शन्स रखा जायगा। यदि यह होता कि एलेक्शन कमिश्नर के द्वारा डाइरेक्टर आफ एलेक्शन्स की नियुक्ति की जाती तब तो वह इम्पार्शल अथारिटी हो सकता था। अगर यह रख दिया जाता कि एलेक्शन कमिश्नर एक आफिसर रख दे और सारी मशीनरी उसके अन्डर में रन करे, और जो एलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन आफिसर्स रखे जायं वे डाइरेक्टर आफ एलेक्शन्स के अन्डर में रहें, तब तो कहा जा सकता था कि इंडिपेंडेंट एलेक्शन होने जा रहा है, लेकिन जब तक आप डाइरेक्टर आफ एलेक्शन्स को नामजद करते हैं और डाइरेक्टर आफ एलेक्शन्स और एलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन आफिसर्स अलग अलग रहते हैं, उनका आपस में कोई सम्बन्ध नहीं रहता है तब तक आप कैसे कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट अथारिटी आप रखने जा रहे हैं? एलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन आफिसर्स को डाइरेक्टर आफ एलेक्शन्स के सुपरविजन में काम करने के लिये कहां इस बिल में दिया गया है। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि इंडिपेंडेंट अथारिटी होना चाहिये वैसा तो इस विधेयक में कहीं नजर नहीं आता। न एलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन आफिसर्स इंडिपेंडेंट हैं और न डाइरेक्टर आफ एलेक्शन्स ही इंडिपेंडेंट हैं ठीक उस मानी में जिस मानी में कि एलेक्शन कमिश्नर इंडिपेंडेंट हैं। इसलिये माननीय मंत्री जी से मैं कहूंगा कि उन्हें दुबारा विचार करना चाहिये और इस विधेयक को प्रवर समिति में ले जाना चाहिये।

दूसरा प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री जी ने बड़े जोर से दावा किया है कि हमने नामिनेशन और कोआप्शन बिल्कुल समाप्त कर दिया। कोआप्शन तो जरूर समाप्त हो गया है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या नामिनेशन भी समाप्त हो गया है? मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान म्युनिसिपल ऐक्ट की धारा १० की तरफ दिलाना चाहता हूं, धारा १० में बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है--

"The State Government may, if satisfied in the case of any Municipality that its circumstances render inadvisable the application thereto of the provisions of section 9 declare by notification that the Board shall notwithstanding anything contained in this Act, be constituted as follows, namely :

(*a*) such number of members to be nominated by the State Government as may be specified ;

(*b*) such number of elected members to be elected in such manner and by such persons or class of persons as may be specified."

तो श्रीमन्, माननीय मंत्री जी दावा करते हैं कि नामिनेशन बिल्कुल समाप्त हो गया है लेकिन धारा १० के अनुसार स्टेट गवर्नमेंट को पूरा पूरा अधिकार है कि वह नामिनेशन करे और कितने नामिनेशन करे, यह भी उसके हाथ में है और कितने मेम्बर एलेक्ट करवाये यह भी उसके हाथ में है। माननीय मंत्री जी कहेंगे कि इसमें एक प्राविजन लगा हुआ है कि सन् १९४० के पहले जितनी म्युनिसिपैलिटीज बनी हुई हैं, उन पर यह लागू नहीं होगा, लेकिन श्रीमन्, मुझे जहां तक मालूम है सन् १९४८ के संशोधन ऐक्ट के बनने के बाद इन चार सालों के अन्दर बहुत म्युनिसिपैलिटीज बन चुकी हैं। सन् ४८ से पहले जो म्युनिसिपैलिटीज बनी थीं उनमें से तीन म्युनिसिपैलिटीज के अन्दर यह धारा १० पहले से लागू है। कौन कौन? नैनीताल, हलद्वानी, मंसूरी। इन तीन म्युनिसिपैलिटीज में धारा १० पहले से लागू है। सन् ४८ के बाद जितनी म्युनिसिपैलिटीज बनी हैं उनमें सरकार अब भी लागू कर सकती है। तो मैं श्रीमन्, माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि वे ऐसा दावा न करें जोकि इस विधेयक में न हो। इससे सदन को गलतफहमी होती है और हमको गलत सूचनायें मिलती हैं और हम गलत सूचनाओं के ऊपर कोई कार्यवाही या विचार कर सकते हैं।

(इस समय ४ बजे श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)।

मैं समझता हूं कि मैं गलत नहीं हूं कि चूंकि धारा १० कहीं भी इस विधेयक के द्वारा रेपील या संशोधित नहीं हुई है और सन् १९४८ के बाद जितनी भी म्युनिसिपैलिटीज बनी हैं उन सब में सरकार जितने सदस्यों को चाहे नामिनेट कर सकती है और स्वयं इस विधेयक में कई जगह नामिनेशन शब्द का प्रयोग किया गया है। तो मैं जानना चाहता हूं, श्रीमन, कि यह माननीय मंत्री जी का दावा है इस विधेयक की कसौटी में कहाँ सच्चा है जबकि वे कहते हैं कि हमने नामिनेशन खत्म कर दिया है और इसके बाद जहां सवाल आता है वार्ड्स का, माननीय मंत्री जी ने यह तो कहा कि वार्ड्स होंगे, यह तो इस विधेयक के अन्दर है, श्रीमन्, इस विधेयक में कहीं यह पता नहीं चलता कि वार्ड में कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितने मेम्बर हो सकते हैं। पुराने ऐक्ट में जो क्लाज निकाल दिया गया है उसमें साफ लिखा था कि एक वार्ड के अन्दर ७ मेम्बर से ज्यादा और ३ मेम्बर्स से कम नहीं होंगे। लेकिन इस विधेयक में कहीं यह पता नहीं चलता कि एक वार्ड के अन्दर कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितने मेम्बर्स होंगे। हमने सारी म्युनिसिपैलिटीज की लिमिट तो तै कर दी है कि कम से कम २० और ज्यादा से ज्यादा ५० मेम्बर्स होंगे लेकिन हमने वार्ड के हिसाब से यह तय नहीं किया है कि एक वार्ड में कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितने मेम्बर्स होंगे। तो श्रीमन्, इन तीन मामलों में यह विधेयक अधूरा है।

दो बातें मैं इस सिलसिले में और कहना चाहता हूं जोकि अत्यन्त ही आवश्यक हैं। वे यह कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि अब हम ८० से घटाकर एक म्युनिसिपैलिटी में मेम्बरों की संख्या ५० करने जा रहे हैं, चूंकि ८० बहुत बड़ी संख्या है और कैबाल टाउन्स में हम कारपोरेशन भी बनाने जा रहे हैं, इसलिये ८० बहुत ज्यादा होंगे और ५० ठीक रहेंगे और जितने कम आदमी होते हैं वे उतना ज्यादा काम करते हैं। मैं तो ऐसे किसी बिल के इंतजार में बहुत दिनों से था और मैं समझता हूं कि मैं ही नहीं बल्कि बहुत से इसी सदन के माननीय सदस्य उसके इंतजार में होंगे। मेरे पास लोकल सेल्फ डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट है। सन् १९४८ की यह रिपोर्ट है और तभी से इस बिल का इंतजार है। उस रिपोर्ट के पेज ३ में लिखा है —

"The 1938 Local Self-Government Committee made the following very important proposals among others:"

[सन् १९३८ की स्थानीय स्वशासन समिति ने अन्य प्रस्तावों के अतिरिक्त निम्नलिखित अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रस्ताव रक्खे।]

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

मैं उसको फिर पूरा पढ़ लूंगा, लेकिन इस समय ज्यादा समय नहीं लगाना चाहता। उसमें लिखा हुआ है--

"All these matters are receiving the earnest consideration of the Ministry and a bill providing all these matters has been drafted and will, it is hoped, be placed before the Legislature shortly."

[इन सब बातों पर मंत्रिमंडल एकाग्र होकर विचार कर रहा है और इन सब बातों का उपबंध करने वाले एक विधेयक का प्रारूप बन चुका है, जोकि आशा है कि शीघ्र ही विधान मंडल के संमुख उपस्थित किया जायगा।]

सन् १९४८ में यह बिल ड्राफ्ट हुआ, लेकिन आज तक वह इस सदन के सामने तो आया नहीं। शायद माननीय मंत्री जी बता सकते हों कि वह बिल कैसा है और कहां गया। इसके अलावा, श्रीमन्, अगर मैं सदन को यह सुझाव देने की गुस्ताखी करूं, मैं समझता हूं बहुत से सदस्य जानते भी होंगे कि सन् १९३८ में श्रीमान् आत्माराम गोविन्द खेर साहब जोकि उस समय यहां पर सभा सचिव थे और जो बाद को यहां पर स्वशासन मंत्री भी रहे और जिनके कार्यकाल में मैं समझता हूं कि यहां के स्वशासन में काफी तरक्की भी हुई उनकी अध्यक्षता में एक २४ सदस्यों की कमेटी बनी थी। उस कमेटी के दो चार और मेम्बर्स जो यहां उपस्थित हैं आज बड़ी बड़ी जगहों पर हैं। माननीय श्री चन्द्रभानु गुप्त जी भी उस कमेटी के मेम्बर थे। उस कमेटी की रिपोर्ट सन् १९४८ से आज तक, उसकी जितनी रेकमेंडेशन्स थी उनकी केवल २५ फी सदी ही मुश्किल से लागू हुई है और ७५ फी सदी लागू नहीं हुई है। उस रिपोर्ट में माननीय मंत्री जी की इस राय के बिल्कुल विपरीत लिखा है। उस कमेटी की रिपोर्ट के पेज ६ में लिखा है --

'In the case of municipalities where variations on local conditions are bound to be very much larger, we have suggested a membership ranging from 20 to 125 The increase in membership will make unhealthy party goupings inside a Board difficult if not actually impossible."

पुराने ऐक्ट में ८० मेम्बर थे अब इसमें १२५ हैं।

खेर कमेटी की रिपोर्ट तो यह है कि ज्यादा मेम्बर्स म्युनिसिपैलिटीज में होंगे तो पार्टी पालिटिक्स का खत्म होना अगर असंभव नहीं होगा तो कम तो जरूर ही हो जायगी। यह गवर्नमेंट की एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कमेटी की रिपोर्ट है। उसकी राय यह है और हमारे माननीय मंत्री जी की राय यह है कि कम मेम्बर्स होंगे तो काम अच्छा होगा। मैंने माननीय मंत्री जी के मुखारबिन्द से यह नहीं सुना कि यह कमेटी की रिपोर्ट गलत है या इसकी सिफारिशों को नहीं मानेंगे। इसकी सिफारिशें भी जब कारपोरेशन बिल आयेगा तो इनक्लूड हो सकती हैं लेकिन फिर इलेक्शन का चैप्टर कहां रहेगा। जब यह सवाल है और इसको इलेक्शन की वजह से लाये हैं तो कृपा करके माननीय मंत्री जी को इस कमेटी की रिपोर्ट पर भी तो गौर कर लेना चाहिये था और देखते कि उस कमेटी ने इस संबंध में क्या किया है।

मुझे कोई आपत्ति नहीं होती, अगर आप ८० मेम्बर्स रख देते क्योंकि मैं जानता हूं कि अब तो बहुत जल्दी ही बड़े शहरों में कारपोरेशन्स बनने जा रहे हैं। लेकिन शहरों की आबादी बहुत ज्यादा बढ़ गयी है। इसलिये मैं समझता हूं कि 'खेर कमेटी' की उस बात को मान लिया जाना चाहिये था, जिसमें कहा गया था कि प्रत्येक ऐसे कस्बे को जिसकी आबादी भी दस हजार से ज्यादा है और जिसकी टाउन एरिया कमेटी की दस हजार से ज्यादा आमदनी है, उसको म्युनिसिपैलिटी बना दिया जाय। अगर आप इजाजत दें तो मैं उसको सदन के सामने पढ़कर सुना दूं। इसके पेज ५ पर लिखा हुआ है कि--

"With regard to municipalities we have suggested that every town which has a population of 10,000 souls or an income of at least 1,00,000 should be deemed a municipality. We have further suggested that municipalities which have a population of $1\frac{1}{2}$ lakhs or above and whose income is not below rupees 15 lakhs should be termed corporations."

तो यह कारपोरेशन्स केवल कबाल टाउन्स में ही नहीं बल्कि सारे शहरों में बनाने की बात है जिनकी आबादी डेढ़ लाख से ज्यादा है वहां पर कारपोरेशन्स बना दिये जायं। क्या माननीय मंत्री जी की रिपोर्ट का इस बात की ओर ध्यान अभी तक नहीं गया है कि अब जितने ऐसे शहर हैं उनमें म्युनिसिपैलिटीज बना दी जायं। उस रिपोर्ट का पहला भाग मेरे पास नहीं है। उसमें उनका एक सुझाव था कि जितनी नोटिफाइड कमेटीज हैं उन सबको खत्म कर दिया जाय यानी वह जो तीसरी कैटेगरीज नोटीफाइड एरिया की है उनको खत्म हो जाना चाहिये। अगर माननीय मंत्री जी इधर ध्यान देते तो कम से कम धारायें जो ३३८ और ३३९ हैं उनको तो वह डिलीट करा ही देते और यह घोषित करते कि अब नोटिफाइड कमेटीज एरिया टाउन कमेटी मानी जायेगी। अगर इलेक्शन्स की बात आप ले रहे हैं तो यह बात अवश्य होनी चाहिये थी।

श्रीमन्, मैं देखता हूं कि माननीय मंत्री जी ने इतनी मेहनत करके यह बिल तो बनाया है लेकिन यह बिल अधूरा है। अब मैं आपकी आज्ञा से वोटर्स की परिभाषा की तरफ सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। बालिग मताधिकार के अनुसार चुनाव होंगे यह ठीक है। लेकिन अगर वह 'खेर कमेटी' की रिपोर्ट की ओर ध्यान देते तो उसमें एक बहुत भारी क्रांतिकारी सुझाव दिया गया है। उसमें यह कहा गया है कि ऐसे जितने देहाती क्षेत्रों में व्यक्ति रहने वाले हैं जो किसी म्युनिसिपलिटी में किसी प्रकार का टैक्स देते हों उनको भी वोट देने का अधिकार होना चाहिये। यह इतना जरूरी प्रस्ताव था कि जिस पर माननीय मंत्री जी को अमल करना अत्यंत आवश्यक था।

इसमें, कमेटी की रिपोर्ट में पेज ६ पर यह दिया हुआ है——

"We have gone a step further in the case of Districts and Municipal Boards and suggested that an adult residing in a municipal area may be a voter under the district if he was paying any tax to the latter and *vice versa*."

[जिला बोर्डों तथा म्युनिसिपल बोर्डों के प्रकरण में हम लोग एक कदम और आगे बढ़ गये हैं और यह सुझाव रक्खा गया है कि म्युनिसिपल क्षेत्र में निवास करने वाला वयस्क जिले के अन्तर्गत मतदाता हो सकता है यदि वह जिले को कोई कर देता रहा हो तथा इसी प्रकार से जिला क्षेत्र में रहने वाला वयस्क म्युनिसिपल बोर्ड के अन्तर्गत मतदाता हो सकता है।]

इसका मतलब बिल्कुल सही है। कोई आदमी गांव में रहता है, लेकिन उसको कई तरह से टैक्स देना पड़ता है। घोड़े पर सामान गया तो उसका भी टैक्स देना पड़ता है और भी तरह तरह का सामान जाता है, उसका भी उसको टैक्स देना पड़ता है लेकिन वोट देने का उसको अधिकार नहीं है। इसमें भी वही बात आनी चाहिये थी और खेर कमेटी ने इस बात को माना है और इस आधार पर माना है जैसा कि अमेरिका में माना गया है कि 'नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन" (प्रतिनिधित्व के बिना कररोपण न होगा),। इसी आधार पर खेर कमेटी ने यही पर माना है और सिफारिश "बोस्टन टी पार्टी" के समय से है कि सभी आदमी जो टैक्स देते हैं उनको वोट देने का अधिकार होना चाहिये। इसी तरह से सब आदमी जो म्युनिसिपल एरिया में रहते हैं और टैक्स देते हैं उनको भी वोट का अधिकार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में होना चाहिये। यह एक प्रजातांत्रिक सिद्धांत के आधार पर कहा गया है। इन सिफारिशों को विधेयक में भी मान लेना चाहिये। अगर माननीय मंत्री जी ऐसा करेंगे तो बड़ा अनुग्रह होगा और वह प्रजातांत्रिक परम्पराओं को सुरक्षित रखेंगे। जब मैं और जगह की परम्पराओं को देख रहा था तो मुझे आश्चर्य हुआ। बम्बई में खेर

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

कमेटी के मुकाबिले मे एक काले कमेटी बिठाई गई थी। उसका एक जबरदस्त सुझाव वोटर्स के बारे मे इस प्रकार से है—

"Voting should be made compulsory at least in the case of Municipal elections and failure to vote by a voter penalised."

[कम से कम म्युनिसिपल बोर्डो के चुनाव मे मतदान अनिवार्य कर देना चाहिये और जो मतदाता मतदान मे असफल रहे उनको दंड मिलना चाहिये।]

मै यहां पर इसको विस्तार के साथ कहना चाहता हूं। लेकिन हमारी सरकार को ऐसी कोशिश करनी चाहिये कि तमाम प्रान्त मे जनता मे इस बात की भावना पैदा हो कि जितने भी बालिग मताधिकार वाले इस प्रान्त के अन्दर है उन सब मे इस बात की भावना पैदा हो कि कानून के जरिये से वह वोट देने जायं। यह हमारा दुर्भाग्य है कि यहां पर जितने वोटर्स है उनमें से ५० फीसदी ही वोट देने वाले है और इतने भी आ जायं तो गनीमत है। काले कमेटी ने जो सुझाव दिया है उस पर अगर विचार किया जाय तो उससे कुछ प्रेरणा मिल सकती है। खासतौर से शहरों की जनता मे यहां पर कि पढ़े-लिखे लोग ज्यादा होते है और जिनको वोट देने का तरीका भी कुछ मालूम होता है उनको अगर किसी प्रकार से प्रेरणा की जाय कि वह अधिक से अधिक ८० फीसदी नहीं तो कम से कम ७५ फीसदी वोट देने के लिये जरूर आयें तो ऐसा हो सकता है।

एक बात जो आपकी आज्ञा से मैंने माननीय मंत्री जी के सामने रखी यह इलेक्शन का जो वेटर है उसके संबंध मे है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इस पर पुर्नविचार करेगे और इसको कार्यान्वित करने की कृपा करेगे। अब जब कि यह बिल प्रवर समिति मे जायगा तो खेर कमेटी की जो सिफारिशे है और काले कमेटी की जो सिफारिशे है वह नामिनेशन प्रथा को खत्म करने वाली है वह वहां प्रवर समिति मे नामिनेशन प्रथा को खत्म करने के लिये सुझाव देगे। प्रवर समिति मे जो एक सेक्शन १० है अगर उसको डिलीट कर दिया जाय तो यह प्रथा खत्म होगी।

अब मै माननीय मंत्री जी का ध्यान 'ससपेंशन' के अधिकार की तरफ दिलाना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने काफी तौर से कहा कि बहुत करप्शन है और हालत काफी खराब है और यह हमारी कमजोरी है कि उनके ऊपर कोई ऐक्शन नहीं लिया गया। रिमूवल की ताकत तो आपके पास थी ही अब उनके ससपेंशन की पावर भी ले रहे है, क्योंकि इससे उनको अधिकार हो जाता है कि वह यह सब कर सके। यह सब बाते उन्होंने हमारे सामने रखी है। श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बाते परस्पर विरोधी है और यह देखकर मुझे बहुत खेद होता है। जब मै खेर कमेटी की रिपोर्ट को देखता हूं कि जो धारा ३, ४ के अनुसार माननीय मंत्री जी को रिमूवल की ताकत देती है उस खेर कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है उपधारा ४० की धारा ३ व ४ इस प्रकार है जिसके अनुसार मेम्बरों को या प्रेसीडेंट को रिमूवल की ताकत है। उपधारा ३—

"(3) The State Government may remove from the Board a member who in its opinion has so flagrantly abused in any manner his position as a member of the Board as to render his continuance as a member detrimental to the public interest;

(4) Provided that when either the State Government or the prescribed Authority, as the case may be, proposes to take action under the foregoing provisions of this section, an opportunity of explanation shall be given to the member concerned, and when such action is taken, the reasons therefor shall be placed on record."

इन धाराओं के अनुसार मंत्री महोदय इस ताकत को लेना चाहते है। इसमें बहुत अधिक महत्व की उपधारा ३ है जिसमे कहा गया है, कि अगर कोई मेम्बर

अपनी पोजीशन को एब्यूज करता है तो पब्लिक इंटरेस्ट को डेट्रिमेंटल होतब वह हटाया जा सकता है।

खेर कमेटी ने क्या कहा है वह तो बहुत ही महत्व की चीज है किसी भी तरह से हमें इस प्रकार की चेष्टा नहीं करनी चाहिये जिससे कि प्रेसीडेंट के अधिकार में कोई कमी इस संदिग्ध रूप से आने की गुंजायश हो।

नोकानफिडेंस प्राविजन के बारे में भी खेर कमेटी की रिपोर्ट में कहा है कि अगर कोई पुराना बोर्ड होता है जिसमें बोर्ड के चेयरमैन का चुनाव जनता द्वारा नहीं होता है तब तो उसकी इजाजत होनी चाहिये लेकिन जब कि प्रेसीडेंट का चुनाव जनता करती है तो इस बात की चेष्टा नहीं करना चाहिये कि चुने हुए प्रेसीडेंट के ऊपर किसी प्रकार का वोट आफ नोकानफिडेंस लावें। इसमें लिखा है--

"We have done away with the existing provision about no-confidence motion against a chairman by members of the Board as this has been almost universally condemned.'

तो माननीय मंत्री जी चेयरमैन के 'सस्पेंशन' की ताकत लेने जा रहे हैं जब कि उनको उसकी सुरक्षा करनी चाहिये थी और उसको अधिकार देने चाहिये थे। इस तरह से उनके अधिकारों को छीनता जा रहा है और साथ ही जनता के चुने हुए आदमी को ठुकराने की कोशिश की जा रही है। खेर कमेटी की रिपोर्ट ने रिमूवल, एक्सेप्शन और ससपेंशन के बारे में जो राय थी वह सफा ७ पर इस प्रकार है --

"The only other important change which we have suggested in the grounds of removal is with regard to the provision relating to flagrant abuse of his position by a member. We have found from past experience that this rule is capable for being misused owing to its vague and indifinite pharaseology. We have, therefore, substituted for it a new provision whose language is more precise and simple, namely that a member may be removed on the ground that he had been guilty of habitually contravening the provisions of the District Board and Municipalities Act or rules, by laws or regulations framed thereunder."

माननीय मन्त्री जी ने जिस बात की ओर बड़े जोर दार शब्दों में कहा है कि हम तो एक्शन कम ले रहे हैं और हमें ऐक्शन और ज्यादा लेना चाहिए था। जब रिमूवल होता है तो उसके साथ सस्पेन्शन भी होना चाहिए। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि रिमूवल की बात को भी सीमित करना चाहिए। तो मेरी राय में इस तरह से नई ताकत नहीं बढ़ानी चाहिए बल्कि धारा ४० की उपधारा ३ में संशोधन होना चाहिए। मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इसको प्रवर समिति में ले जाकर ठीक करा लें और इस तरह से प्रेसीडेन्ट को हटाने की बात न लावे।

जब रिमूवल का चार्ज लगेगा, चाहे वह प्रेसीडेन्ट हो या कोई मेम्बर हो, उसको एक्सप्ले-नेशन का कोई मौका नहीं दिया जायगा। खेर कमेटी की रिपोर्ट में एक्सप्लनेशन ही नहीं है, बल्कि जुडीशियल इन्क्वायरी तक मांग सकता है, ऐसा लिखा गया है। कमेटी की राय है--

पृष्ठ ७ के आखिर में--

"In all cases of removal of members we have given the latter the option to demand a judicial inquiry prior to removal, if they wish to do so, as we think it necessary to give members a certain amount of protection against arbitrary orders."

श्रीमान् जी, कहां तो जुडिशियल इन्क्वायरी का प्रावीजन रखा गया है और कहां संशोधन इस प्रकार का रखा गया है और एक और नई चीज सस्पेन्शन की बढ़ा दी गयी। इसके जरिये

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

से स्वायत्त शासन की भावना को लोकल आथारिटीज के अन्दर है, जो स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य करने का उत्साह मेम्बरों के अन्दर होता है, उसके उन अधिकार और स्वतन्त्रता को भी इसके अन्दर छीना जा रहा है। हर प्रेसीडेन्ट और मेम्बर को यह डर लगा रहेगा कि अगर उसने सेटर यानी प्राविन्शियल गवर्नमेंट के आदेशों का अनुसरण नहीं किया तो उसको सस्पेन्ड कर दिया जायगा और रिमूवल के लिये इन्क्वायरी बैठा दी जायगी। यह होना स्वाभाविक ही है। दो चार कम्यूनिक निकाले गये कि यह फ्रेग्रेंट अव्यूज आफ पावर है इसलिये इन्क्वायरी की जाय। और फिर सस्पेन्शन हो जायगा। मैं जानना चाहता हूं कि इस संशोधन विधेयक की यह धारा किस प्रकार सिद्धांतों के अनुकूल बैठती है जिनको आप बयान करते हैं और किस प्रकार वह सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के अनुकूल है।

इन संशोधनों में कर्मचारियों को निकालने के बारे में भी बतलाया गया है। यह तो ठीक है कि कर्मचारियों पर अनुशासन होना ही चाहिए। यह भी ठीक है कि कर्मचारियों को निकालने आदि के अधिकार भी होने चाहिए। इस विधेयक के जरिये हर प्रकार के कर्मचारियों को तीन भागों में विभाजित किया गया है। एक वह जो ४० रुपये में कम तनख्वाह पाते हैं, दूसरे वह जो ४० रुपये से ज्यादा और ५० रुपये से ज्यादा तनख्वाह नहीं पाते और तीसरे वह जो ५० रुपये से ज्यादा तनख्वाह पाते हैं। इन तीनों के लिये अलग-अलग व्यवस्था की गयी है। अपील की व्यवस्था यह की गयी है जो बड़ी अजीब है। मैंने बहुत समझने की चेष्टा की लेकिन नहीं समझ पाया। बी क्लास के जो लोग हैं उनके लिये अपील की व्यवस्था की गयी है वह खंड २८ की उपधारा २ के क्लास ए, बी और सी में की गयी है जो चालीस से कम तनख्वाह पाते हैं उनको अपील का एक मौका दिया गया है। वे चेयरमैन एजूकेशन कमेटी को अपील कर सकता है लेकिन चेयरमैन एजूकेशन कमेटी ने निकाला हो तो प्रेसीडेन्ट बोर्ड को अपील कर सकता है। बी किस्म के जो कर्मचारी हैं उनको २ अपील के मौके दिये गये हैं। अगर चेयरमैन एजूकेशन कमेटी ने निकाला है तो वह स्टेट गवर्नमेंट को अपील कर सकता है। लेकिन जो ५० रुपये से ज्यादा पाने वाले कर्मचारी हैं वे प्रेसाइडिंग अथारिटी को अपील कर सकते हैं।

श्री मोहन लाल गौतम--यह "an appeal shall lie" है "an appeal shall be" नहीं है। यदि उससे अपना काम चल जाता है तब तो ठीक है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--उससे काम चलता नहीं है, श्रीमन्।

श्री मोहनलाल गौतम--पेज १३ पर २८ (२) में बी की दूसरी लाइन में इन क्लाज बी जो लिखा हुआ है वह बी नहीं है बल्कि सी है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, मैं निवेदन कर रहा था कि जो बी क्लास के कर्मचारी हैं "in the case of an order"।

श्री मोहन लाल गौतम--यह सी है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--मैं बी नहीं पढ़ रहा हूं। जो धारा है उसको पढ़ रहा हूं। जो चेयरमैन एजुकेशन कमेटी को अपील होगी वह क्लास बी के कर्मचारियों की होगी। और नीचे के कर्मचारियों की अपील स्टेट गवर्नमेंट को होगी। इन दि केस आफ . . . .

श्री मोहन लाल गौतम--आप कहां पढ़ रहे हैं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--जब बी क्लास के लोगों की बहुत ऊंचे स्तर पर स्टेट गवर्नमेंट के यहां अपील होगी और सी क्लास के लोगों की प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के पास होगी।

श्री मोहन लाल गौतम--भाई बी न पढ़ो, सी पढ़ो।

श्री नारायण दत्त तिवारी--दो तीन सी है, मैं कौन सा सी पढ़ूं ?

श्री अध्यक्ष--आप जरा एक्सप्लेन कर दें !

श्री मोहन लाल गौतम--जिसको आप बी कह रहे हैं, वह सी है। बी जो लिखा हुआ है वह सी है।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि अलग अलग छपा हुआ है। कहीं बी लिखा हुआ है, कहीं (सी) लिखा हुआ है इसलिये यह कंफ्यूजन हो रहा है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--मैं केवल बी क्लास के कर्मचारियों के लिये नहीं कह रहा हूं बल्कि ए बी. सी तीनों प्रकार के कर्मचारियों के लिये कह रहा हूं कि उनकी फाइनल अपील चाहे चेयरमैन एजूकेशन कमेटी को हो चाहे चेयरमैन साहब को हो, चाहे प्रेसीडेन्ट को हो या चाहे सुपरिन्टेन्डेन्ट को हो या लेडी सुपरिन्टेन्डेंट को हो, सबकी अपील प्रेसक्राइब्ड अथारिटी के पास होनी चाहिए। इन सबकी अपील बिना ए, बी, सी का ख्याल किये ही होना चाहिए। बम्बई
कमेटी ने जो सुझाव इस बारे में रखे हैं वे इस प्रकार हैं उनका कहना तो यह है कि केवल पूरी अथारिटी के पास अपील होनी चाहिए। कमेटी ने कहा कि

"A proposal for the removal including cases of termination of service due to retrenchment or punishment of officers including that of suspending, reducing, fining, censuring, withholding increments or for inflicting punishment in any other form should be passed by a majority of the total number of members at a special general meeting called for the purpose after giving concerned a reasonable opportunity of explaining the allegations made against him."

हर मामले को इस प्रकार बोर्ड के अन्दर रखा जाना चाहिए यह एक बड़ा अच्छा सुझाव है और वहां जो गरीब कर्मचारी म्युनिसिपल बोर्ड के हैं उन सबको बराबर शिकायत करने का मौका भी न रहेगा और कम से कम यह तो रहेगा कि बोर्ड के अन्दर इस प्रकार के सारे मामले आ सकेंगे और सभी मेम्बरों को इस मामले में राय देने का अधिकार रहेगा। यह नहीं है कि चेयरमैन एजूकेशन कमेटी या प्रेसीडेन्ट के हाथ में ही यह चीज रहेगी। अब तक इन्डीविजुवल्स के हाथ में रहती थी लेकिन इसके बाद सारा मामला बोर्ड की मजारिटी सामने आयेगा और तब इस मामले में अन्याय की गुन्जाइश कम रहेगी और उसकी संभावना भी कम रहेगी। साथ ही साथ मैं माननीय वित्त मन्त्री जी से एक और निवेदन करना चाहता हूं और वह यह है कि उन्होंने इसमें डिस्क्रेशनरी पावर रखी है और वह इसलिये रखी है कि सीवेज और नाइट स्वायल के सम्बन्ध में उसके इस्तेमाल कर पायेंगे। अगर डिस्क्रीशनरी पावर रखनी ही थी तो मैं कहता हूं कि वह और आगे बढ़ते और फमिली प्लानिंग और बर्थ कन्ट्रोल क्लिनिक्स वगैरह के लिये भी इस प्रकार के पावर रखते। या तो केवल एजूकेशन के लिये रखते और उसको और आगे बढ़ाते। इस सम्बन्ध में मेरा ध्यान खेर कमेटी की रिपोर्ट की तरफ भी गया। वह कहती है कि अगर म्युनिसिपल बोर्ड को म्युनिसिपल पुलिस रखने का मौका मिलना चाहिए।

"We are of the opinion that every district and municipal board should be required to have its own police for the purpose of (1) protecting public property, (2) preventing and suppressing nuisance, (3) controlling traffic, (4) enforcing rules, regulations by-laws, and orders issued under the Act and (5) co-operating in the maintenance of public peace and safety. In our opinion rules relating to the training, discipline and appointment of such police should be passed by the Government in consultation with the L. S.-G. Board whose appointment we have recommended in Chapter VIII."

माननीय मन्त्री जी यह कहेंगे कि हम सारे प्रदेश में म्युनिसिपल पुलिस की व्यवस्था नहीं कर सकते लेकिन फिर भी यह डिस्क्रीशनरी पावर में इसे रख देते तो सरकार म्युनिसिपल बोर्ड्स में "एज एक्सपेरीमेन्टल मेजर्स" करवा सकती है। मैं जानता हूं कि बहुत सी म्युनिसिपल

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

बोर्ड्स की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और हमेशा उनकी बहुत सी आर्थिक मांगे रहती है। लेकिन फिर भी चौखम्भा पन्चायती राज्य की योजना को सफल बनाने के लिये उसको पूरा करने के लिये और गांधीजी के विकन्द्रीयकरण स्वप्न को पूरा करने के लिये मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य मुरझा जायगा वैसे भी व्यय न कर ले सब लोग अपना शासन स्वयं करेंगे। इस सिद्धांत पर चलने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से यदि सिविल क्रिमिनल जस्टिस के साथ साथ म्युनिसिपल पुलिस की कुछ व्यवस्था होती तो एक तरफ पुलिस की निरंकुशता कम होती। चूंकि जब म्युनिसिपैलिटी के हाथ में पुलिस होती तो पुलिस की जो शहरों में निरंकुशता होती है उसमें भी कमी होती और धीरे-धीरे हमारी जनता को और म्युनिसिपल बोर्ड्स को तजुर्बा होता और हमारे लोग अपने यहां की रक्षा के लिये अपना इन्तजाम स्वयं कर सकते। मुझे यह भी मालूम है कि सन् १८६८ से लेकर सन् १९०५ तक इस प्रान्त में म्युनिसिपल पुलिस थी ब्रिटिश शासन काल में और वह इसलिये यहां से उस वक्त सन् १९०५ में खत्म की गई थी कि खर्चा ज्यादा होता था। तो मैं नहीं कहता कि हम प्रान्त पर खर्च का भार बढ़ायें। आजकल जो हमारी पुलिस फोर्स है उसका ट्रेफिक पुलिस फोर्स का भी हिस्सा है उसको म्यूनिसिपल बोर्ड के हाथ में कर दीजिए। उस कमेटी की रिपोर्ट में भी राय दी है कि पुलिस का कन्ट्रोल म्युनिसिपल बोर्ड्स के हाथ में दे दीजिए इससे खर्चा कम होगा। चूंकि खर्चा प्रान्तीय सरकार का होगा और कार्य का सचालन म्युनिसिपल बोर्ड करेगी और काम भी अच्छा होगा और खर कमटी की जो भावनायें है वह भी कामयाब होंगी।

"Even in our own province from 1868 to 1905 the responsibility for maintaining the Police rested on the municipalities, but sometime after 1905 the Municipal Police was abolished in order to relieve municipalities of the financial burden of maintaining them and with a view to provincialise the Force."

[हमारे अपने प्रान्त में भी पुलिस को बनाये रखने की जिम्मेदारी सन् १८६८ से १९०५ तक म्युनिसिपेलिटियों के ऊपर थी, परन्तु पुलिस को प्रान्तीय बनाने के लिये तथा म्युनिसिपैलिटियों को उसके रखरखाव के भार से मुक्त करने के लिये १९०५ के बाद किसी समय म्युनिसिपल पुलिस को उन्मूलित कर दिया गया था।]

इस सम्बन्ध में माननीय मन्त्री जी का ध्यान इंगलैन्ड और यूरोप की म्युनिसिपैलिटियों की व्यवस्था की ओर दिलाना चाहता हूं। मैं यह नहीं कहता कि हमारे देश की इतनी अच्छी हालत हो गयी है कि हमारी म्युनिसिपैलिटियां ऐसी हो सकती है इस सम्बन्ध में जैसा की इंगलैन्ड और यूरोप के अन्दर है क्योंकि इंगलैन्ड में तो म्युनिसिपैलिटियां इस सिद्धान्त के अनुसार आधारित है कि सरकार के अलग अलग सेटर्स हों। काउन्टी गवर्नमेंट अलग हो, बरो गवर्नमेंट अलग हो कारपोरेशन गवर्नमेंट अलग हों, और अपनी गवर्नमेंट सेन्ट्रल अलग हो तो वहां तो सरकारों का एक जाल सा है। तो हमें यह देखना है कि कहां तक गांधी जी के आदेशों के अनुसार या चौखम्भा सिद्धांत के अनुसार म्युनिसिपल बोर्ड्स को बना सकते है हमारा उद्देश्य म्युनिसिपल बोर्ड्स की ताकतों को छीनने का नहीं होना चाहिए। हमारा सिद्धांत यह नहीं होना चाहिए कि गवर्नमेंट सस्पेन्स और रिमूवल की ताकत अपने हाथ में लेकर उसको विधानतः इतना शक्तिहीन बना दे कि उनको स्टेट गवर्नमेंट से हमेशा डर लगा रहे। मैंने तो देखा कि म्युनिसिपैलिटी वाले कहते है कि जैसा स्टेट गवर्नमेंट कहेगी वैसा हम करेंगे। अगर इस प्रकार के विधेयक बनते चले जायेंगे तो म्युनिसिपल बोर्ड्स और टाउन एरिया ज्यादा से ज्यादा इस सरकार की दृष्टिपेक्षण करेंगे। जब कि हमारी प्रान्तीय सरकार ने अभी तक कोई लोकल सेल्फ गवर्नमेंट नहीं बनाया। अभी जबकि ३८-३९ में ही उस कमेटी ने यह बड़ा महत्वपूर्ण सुझाव दिया था कि इस गवर्नमेंट को शीघ्र ही एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाना चाहिए जिसके तीस मेम्बर होने चाहिए और उसमे एक्सपर्ट्स भी होने चाहिए जो कि लोकल बाडीज के मामलों को अच्छी तरह से जानते हों तो इस प्रकार का तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोर्ड

बना होता तो जो डिपार्टमेंटल इतना बड़ा बोझा है उसमें कमी होती और दूसरे हमें एक्सपर्ट्स की राय भी मिलती। साथ ही साथ अगर सरकार इस कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने की चेष्टा करती तो जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने कहा कि सर्विसेज बड़ा करप्शन और नेपोटिज्म है, और प्रान्त की म्युनिसिपैलिटियों के इस प्रकार के कर्मचारी हैं और घूसखोरी फैली हुई है। वह भी कम होती. अगर कागजात मांगे जाते हैं तो प्रेसीडेंट हस्तक्षेप करते हैं ऐसा कहा गया है अगर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोर्ड और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पब्लिक सर्विस होता तो प्रान्त के स्वायत्त शासन की व्यवस्था में एक क्रान्तिकारी सुधार होता। म्युनिसिपैलिटियों के चुने हुए मेम्बर और चुने हुए सभापति हैं उनको भी यह मालूम होता कि अब हमारा सम्बन्ध सीधे तौर से प्रान्तीय सरकार से नहीं होगा बल्कि बोर्ड्स के शासन में जानकार लोगों के बोर्ड्स से हमारा सम्बन्ध होगा।

सन् १९४८ से सरकार इस पर विचार कर रही है लेकिन माननीय मन्त्री जी ने कभी भी अपने भाषण में नहीं कहा कि हम एक ऐसा अमेंडिंग बिल ला रहे हैं जिसमें पब्लिक सर्विस कमीशन और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनायेंगे। उन्होंने सिर्फ यह कहा कि हम कुछ प्राविजंस ला रहे हैं तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह खुद पहलुओं पर विचार करें।

अब मैं आपकी आज्ञा से उनका ध्यान पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज की ओर दिलाऊंगा।

होती है उसमें कुछ ऐसा सामंजस्य होना चाहिए जिससे कि म्युनिसिपल बोर्ड्स जितनी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज हैं उनका इन्तजाम भी चलायें।

यू० पी० गवर्नमेंट की रोडवेज हैं। यह एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम के अनुसार चल रहे हैं। मैं यह समझता हूं कि शहरों के अन्दर जो बसें चलती हैं उन्हें अगर उन्हीं रूट्स पर चलाने का अधिकार म्युनिसिपल बोर्ड्स को दे दिया जाय तो उससे उनकी आमदनी बढ़ सकती है और इंगलैंड के या योरूप या अमेरिका के म्युनिसिपल बोर्डों के अनुसार यहां के बोर्ड टेलीफोन एक्सचेंज, ट्रांसपोर्ट सर्विस और गैस सर्विस भी चलावें। हमें अपने बोर्डों को इस बात की ट्रेनिंग देनी चाहिये। तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह प्रवर समिति में इस बिल को ले जाकर इस ओर भी विचार करें। आप देखें कि इंगलैंड में इनके बारे में हरमन फाइनर ने क्या कहा है--

"These local authorities supervise direct and control our lives, awake and asleep at work and at play; they provide for all citizens a common minimum of health education, relief of destitution, roads, peace, security and beauty of environments. They sell water, gas electricity tramway, and bus transport. The scope and detail of their work are not describable, both are immense. They are indispensable members of the English body politic, as indispensable as the authorities at Westminister."

[यह स्थानीय अधिकारी वर्ग हमारे जीवन को, सोते, जागते, काम करते हुए या विनोद करते हुए, सब समय नियंत्रित करता है तथा पथ प्रदर्शन करता है; यह सभी नागरिकों के लिए न्यूनतम उपलब्ध स्वास्थ्य का, शिक्षा का, दारिद्र निवारण का, सड़कों का, शान्ति का, सुरक्षा का और सुन्दर वायुमंडल का प्रबन्ध करता है। यह पानी, गैस, बिजली ट्रैम तथा बस यातायात की सुविधाओं को भेजता है। इसका कार्य-क्षेत्र विस्तीर्ण है तथा इसके कार्यों का सविस्तार वर्णन कठिन है। कार्य तथा कार्य-क्षेत्र दोनों ही अत्यन्त अधिक हैं। अंग्रेजी संयुक्त-जीवन का यह वर्ग ऐसा अंग है जिसके बिना काम नहीं चल सकता जैसे कि वेस्ट मिंस्टर के अधिकारी वर्ग के बिना काम नहीं चलता।]

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

मैं यह नहीं कहता कि हम इंगलैंड की नकल करें। बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि भारतीय पद्धति के अनुसार और अपनी स्थिति के अनुसार हम अपने म्युनिसिपल बोर्डों का ढांचा बनायें। उनके अधिकार बढ़ायें और साथ ही उन्हें ट्रेनिंग भी दें। इसके साथ हमें उनके ऊपर कंट्रोल भी रखना चाहिये उस हद तक जिस हद तक कि उनके अधिकारों पर आघात न हो।

मैं काफी समय ले चुका हूं। इस समय मैंने केवल सिद्धान्त की बातें रखी हैं। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इस बिल को अवश्य प्रवर समिति में ले जावेंगे। १० दिन का समय कोई बहुत बड़ा समय नहीं है। माननीय मंत्री को यह ख्याल नहीं होना चाहिये कि यदि १० दिन में यह रिपोर्ट आ जावेगी तो चुनाव में कोई अड़चन या गड़बड़ हो जायगा। जहां आपने ३ साल या ५ साल इलेक्शन नहीं कराये तो अगर १० दिन चुनाव और भी हट गया तो कोई बड़ी भारी आपत्ति नहीं आ जायगी। मैं समझता हूं कि मार्च में ही इलेक्शन हो जावेंगे जैसी कि आपकी घोषणा है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वह मेरे प्रस्ताव का समर्थन करने की कृपा करें।

श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नारायणदत्त जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्री अध्यक्ष--आपका तो एक संशोधन है।

श्री अवधेश प्रताप सिंह--उसको श्रीमन्, मैं पेश नहीं करना चाहता।

श्रीमन्, जहां तक पुराने म्युनिसिपलिटीज ऐक्ट में या आजकल जो हमारा कान्स्टीट्यूशन है उसके मुताबिक जितनी बातें एक दूसरे से असंगत थीं उनको दूर करने के लिये जो कुछ भी इस विधेयक में रखा गया है उससे मैं सहमत हूं और वह आवश्यक था और यह मेरा कर्तव्य है कि मैं उनको सहर्ष स्वीकार करूं। लेकिन साथ ही साथ उसके माननीय मंत्री जी ने एक बात यह कही है कि असेम्बली के एलेक्टर रोल म्युनिसिपलिटीज के लिये भी माने जायंगे और उसके लिये सरकार का दूसरा तुर्रा यह है कि १० रुपया वे लोग, जिनका नाम असेम्बली एलेक्टर रोल में नहीं है, अगर वे म्युनिसिपलिटीज के लिये कराना चाहें तो १० रुपया देकर उनका नाम दर्ज हो सकता है। श्रीमन्, अगर किसी कारण से किसी व्यक्ति का नाम एलेक्टर रोल में नहीं था और आज वह क्वालिफिकेशन से हासिल करता है तो मंत्री महोदय के कहने के अनुसार उसको यह अधिकार न होगा कि वह म्युनिसिपलिटीज में अपने राइट आफ फ्रेंचाइज को एक्सरसाइज कर सके जो कि एक तरह से अन्यायपूर्ण है और डिमोक्रेटिक प्रिंसिपिल्स के बिल्कुल विरोध में है।

श्रीमन्, इस विधेयक को देखने के उपरान्त एक नई बात उत्पन्न होती है और वह यह है कि म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन या जो भविष्य में प्रेसीडेंट कहलायेंगे, श्रीमन्, आप इस डिपार्टमेंट से भलीभांति परिचित हैं, उनकी क्या दशा होगी। वह भी सब इंसपेक्टर माने जाते हैं। हमारे माननीय मंत्री जी ने एक हवाला देते हुए यह कहा कि अगर जरूरत हुई कि किसी सब-इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्यवाही या इन्क्वायरी की जाय तो उसको मुअत्तल कर देना लाजिमी होता है।

श्री मोहनलाल गौतम--यह तो ऐसे इस सदन के सामने कोई बात नहीं कही।

श्री अध्यक्ष--जब तक वह बैठ नहीं जाते इस प्रकार से कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री अवधेश प्रताप सिंह--मैं इस बिल के पेश होने के संबंध में मंत्री जी से बात कर रहा था। उसी के दौरान में मंत्री जी ने यह कहा था। उसी का हवाला दिया है और आपने यह भी कहा कि जब तक म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन मुअत्तल नहीं किये जाते उनके खिलाफ कोई इन्क्वायरी नहीं की जा सकती है। उनके पास बहुत सी ऐसी रिपोर्ट हैं और उनके पास काफी सबूत हैं जिससे वह साबित कर सकते हैं और किसी म्युनिसिपलिटी का

वह हवाला दे रहे थे कि लोकल आफिसर्स, म्युनिसिपैलिटीज की जो सर्विस है वह सदन में आना चाहते हैं प्रेसीडेंट के खिलाफ लेकिन उस चीज को वह कहीं आगे चल कर न निकालें वह उनके सामने कोई बात नहीं कह सकते।

श्रीमन्, यह लोकल गवर्नमेंट इंगलैंड में नाइन्थ सेंचुरी से है। उस जगह भी आप देख सकते हैं और इंगलैंड में ही नहीं बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका में भी यह कहीं नहीं दिखाई देगा कि प्रेसीडेंट सस्पेन्ड किया जाय, निकाला जाय और जिस तरह से चाहे गवर्नमेंट उनके साथ व्यवहार कर सके। इंगलैंड में बहुत से फार्म्स हैं समान इन्स्टिट्यूशन, जिनके पास है। अगर मामला संगीन हो तो हाईकोर्ट में किया जा सकता है और रिट आफ मैंडमस से साबित किया जाय, ऐसा प्राविजन है और उनके खिलाफ कार्यवाही की जाती है जो अपने अधिकारों को भूल जाते हैं या उनका दुरुपयोग करते हैं। लेकिन यह सरकार की मुट्ठी में अधिकार दे देना कि उनको सस्पेंड किया जा सके यह कहां तक उचित है ? श्रीमन् आपने कहा कि वह अपने अधिकारों का दुरुपयोग करेगा तो श्रीमन् क्या इसका मतलब है कि प्रेसीडेंट म्युनिसिपल बोर्ड ही अपने अधिकारों का दुरुपयोग करेंगे। कल कोई गवर्नमेंट है, कोई गवर्नमेंट का ठेका नहीं है और न यही कहा जा सकता है कि इस मिनिस्टरी के रहते हुए उनके पास ही यह डिपार्टमेंट रहेगा।

अगर यह शंकाएं उत्पन्न होती हैं तो इसमें किसी की भूल नहीं है। मुमकिन है कि कल ये मेम्बर साहबान या कम्युनिस्ट वहां आ जायं। उसके बाद यह कहना कि गवर्नमेंट जो पावर में आती है वह अपनी पावर का सदुपयोग ही करती है, तो फिर श्रीमन् का सवाल ही कहां पैदा होता है। इसके माने यह है कि गवर्नमेंट के पास जो पावर है उसका मिसयूज ही नहीं हो सकता है लेकिन वही पावर अगर लोकल बार्डीज के पास जाय तो उसका मिसयूज हो सकता है। जहां तक किसी माननीय मंत्री जी का ताल्लुक है उनके लिये ऐसे आर्गुमेंट्स का सदन के अन्दर देना उचित नहीं मालूम होता है।

आप कहते हैं कि जब पावर आफ डिसमिसल है तो वह लाजमी है कि पावर आफ सस्पेंशन भी रहे। श्रीमन्, यह अंधेर है। प्रेसीडेंट म्युनिसिपल बोर्ड एलेक्टेड होता है और उसको आप निकाल देना चाहते हैं। ५० या ७५ हजार आदमी चुनकर के उसको भेजते हैं और एक मैजिस्ट्रेट की रिपोर्ट पर उसको आप निकाल देना चाहते हैं। यह प्रजातंत्र के उसूलों को देखते हुये एक शर्म की बात है। अगर आप के पास कोई सबूत है कि किसी मेम्बर या प्रेसीडेंट ने अपने अधिकारों का सदुपयोग नहीं किया है तो ऐसी सूरत में आप यह कर सकते हैं कि आप एक ट्रिब्यूनल बना दें और यह पावर आप जुडिशियरी को दे दें कि जो कार्यवाही वह करना चाहे वह डिफ लिटग मेम्बर के खिलाफ करे। यह कहां का उसूल है कि इंक्वायरी या जो कुछ आप करना चाहें वह आप स्वयं करें। धारा ४८ में यह दिया हुआ है कि वह प्रेसिडेंट जो निकाल दिया जाय, वह अदालत में नहीं जा सकता है। संविधान के अनुसार माननीय मंत्री जी यह फरमाते हैं कि प्रेसिडेंट अगर निकाला जाता है तो उसको यह अधिकार होगा कि वह हाई कोर्ट में जा करके आपत्ति कर सके और अपने अधिकारों को सुरक्षित कर सके। लेकिन श्रीमन्, जब तक धारा ४८ में आप यह रखते हैं कि जुडिशियरी को कोई अख्तियार नहीं होगा कि वह ऐसे मामलात में हाथ लगा सके, तब तक जो माननीय मंत्री जी कहते हैं उसके यह बिल्कुल विपरीत जाता है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी का ध्यान धारा ४८ की ओर नहीं गया है। माननीय मंत्री जी सस्पेंशन और डिसमिसल को एक साथ लाना चाहते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि आप इनको किस तरह एक साथ मिला देते हैं।

श्रीमन्, ओरिजनल बिल में जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन्स थीं वे इस बिल के कौंसिल में जाने के बाद कहीं नहीं दिखाई देती हैं। सम्पूर्ण विधेयक में यह कहीं नहीं मिलता है कि यह एजुकेशनल क्वालिफिकेशन्स होंगी। आप कह सकते हैं कि जब लेजिस्लेचर के मेम्बरान के लिये कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, प्रेसीडेंट आफ दि यूनियन के लिये कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, तो उनके लिये क्यों रखी जाय। ठीक है लेकिन कोई ऐसी वैधानिक आपत्ति नहीं है कि आप कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रख ही नहीं सकते हैं। यदि

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

आप यह चाहते हैं कि वे लोग वहां जाकर क़ानून समझ सकें और अपने धर्म और कर्त्तव्य का पालन कर सकें तो ऐसी हालत में उनके लिये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का रखना निहायत ज़रूरी है। आप श्रीमन्, यह जानते हैं कि पहले लोगों के वहां जाने का क्या क्राइटेरियन था। पहले वही लोग जा सकते थे जो रुपया सर्फ़ कर सकते थे। आज यह हो गया है कि जिनके पास किसी पार्टी का लेबिल हो वे जा सकते हैं चाहे वे काग़ज़ न पढ़ सकते हों और एक्ज़िक्यूटिव आफिसर्स उनसे आंख मूंद करके दस्तखत करवा लेते हों।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--पढ़ा-लिखा भी न कुछ समझे तो क्या होगा ?

श्री अवधेश प्रताप सिंह--वे पढ़े-लिखे जैसे होते हैं वह तो आप समझते हैं। श्रीमन्, इसमें एक एकाउंट आफिसर के लिये कहा गया है।

श्री अध्यक्ष--(श्री अवधेश प्रताप सिंह से) मैं समझता हूं शायद उसूल तो सब खत्म हो चुके।

श्री अवधेश प्रताप सिंह--श्रीमन्, जो आज्ञा दें, मैं समाप्त करता हूं।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुज़फ़्फ़रनगर)--अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस अमेंडिंग विधेयक का सम्बन्ध है इसके लिये तो मुझे अपने स्वशासन मंत्री को धन्यवाद देना चाहिये इस कारण से कि बहुत अर्से से जनता की इच्छायें इस तरफ़ लगी हुई थीं कि कब इन मौजूदा म्युनिसिपैलिटियों से उनका पीछा छूटे। एक बड़ा लम्बा समय हो गया कि बराबर उनको मोहलतें मिल रही थीं और इन्तज़ाम की बुरी हालत थी कि इतनी खराबी उसके अन्दर पाई गई थी कि कोई इन्तज़ाम किसी म्युनिसिपैलिटी का ढंग का चल ही नहीं रहा था। तो मैं अपने स्वशासन मंत्री जी को इसके लिये धन्यवाद तो अवश्य दूंगा। कई बातें इसमें उन्होंने बड़ी विशेषता की रखीं हालांकि हमारे अपोज़ीशन के कुछ भाइयों को वह कुछ नागवार गुज़रीं जैसे कि प्रेसीडेंट्स को या मेम्बर साहबान को सस्पेंड कर दिया जायगा। अगर आज कल की मौजूदा हालत को कोई भाई म्युनिसिपैलिटी में जा कर देखे तो उनको यह बात सफ़ा ज़ाहिर होती है कि जो तरीक़ा इस समय तक उन प्रेसीडेंट्स या मेम्बर्स का है कि वे बार बार गड़बड़ी करते हैं तो मैं समझता हूं कि वह इसी नतीजे पर ज़रूर पहुंचेगा कि कोई ऐसा तरीक़ा होना चाहिये कि पब्लिक का उनसे पीछा छूट सके। यह मैं मानता हूं कि यह बात बड़ी खटकने वाली है कि ऐसे लोगों को जो कि पब्लिक ने चुने हों और उनको सरकार निकाल दे। मगर वह अब पुराना ज़माना तो रहा नहीं जब कि वे जिस तरह से चाहें, काम करते रहें। अब तो हमें ढंग के साथ काम करना है। तो जो हमारे स्वशासन मंत्री जी ने इस अमेंडिंग बिल में जो बात रखी है, मैं समझता हूं कि वह बिल्कुल ही मुनासिब बात है।

श्री अध्यक्ष--अब तो आप खतम करें। मुझे एक सूचना देनी है।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५२ सम्बन्धी प्रवर समिति के सभापति की नियुक्ति

श्री अध्यक्ष--उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था संशोधन विधेयक, पर एक प्रवर समिति नियुक्त हुई है इस सदन द्वारा। नियम १०० के अनुसार कमेटी के जो चेयरमैन होंगे उनको मुक़र्रर मैं करूंगा। इसलिये चूंकि उस प्रवर समिति के सदस्य, माननीय मंत्री भी मौजूद हैं श्री चरण सिंह जी, उनको मैं चेयरमैन नियुक्त करता हूं।

(इसके बाद सदन ५ बजे सोमवार, ८ दिसम्बर, १९५२ के ११ बजे दिन तक के लिए स्थगित हो गया।)

कैलाश चन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
५ दिसम्बर, १९५२।

पी० एस० यू० पी०--६५ एल० ए०--१९५२--८३०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

को

कार्यवाही

की

अनुक्रमणिका

खण्ड ११३

प्रश्नोत्तर

अनुक्रमणिका

पी० एस० यू० पी०--९८ एल० ए०--१९५३--८३०